ISO 9001:2015 Company

ISO 14001:2015

आईटीआई लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

73वीं वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

1948 से राष्ट्र निर्माण में भागीदार

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के संदेश

प्रिय शेयरधारको,

आपके सम्मुख आईटीआई लिमिटेड की वित्तीय वर्ष 2022-23 की 73वीं वार्षिक रिपोर्ट की प्रस्तुति करते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। मैं आपको यह सहर्ष सूचित करना चाहता हूँ कि आपकी कंपनी ने सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों से संबंधित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया है। आईटीआई लिमिटेड तथा निदेशक मंडल की ओर से वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट की प्रस्तुति के साथ साथ अपने विचार आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का जो सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है, वह मुझे गौरव भी प्रदान कर रहा है।

प्रिय शेयरधारको, मैं पिछले वित्तीय वर्ष के निष्पादन के बारे में आपसे बात करने से पहले आपको यह सूचित करना चाहता हूँ कि आईटीआई लिमिटेड को बीएसएनएल से पूर्ण स्वदेशी 4जी टैक्नोलॉजी का आर्डर प्राप्त हो गया है जिसका मूल्य 2421.49 करोड़ रुपए है और इसमें के साथ साथ पश्चिम जोन में 23,633 साइट्स पर 4जी रेडियो की सप्लाई, इंस्टालेशन तथा कमीशनिंग के कार्य भी शामिल हैं। इस आर्डर की लंबे समय से प्रतीक्षा हो रही थी तथा आईटीआई के लिए यह महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इससे 5जी टैक्नोलॉजी एरिना के लिए भी नए अवसरों के द्वार खुल गए हैं। आइए, अब बात करते हैं वित्तीय वर्ष 2022-23 के बारे में। यह वर्ष कंपनी के लिए चुनौतियों और अप्रत्याशित समस्याओं का वर्ष रहा। अत्यधिक संभावनाओं वाली परियोजनाएँ इस वर्ष ग्राहकों की कुछ समस्याओं के कारण पूरी नहीं हो सकी थी। एस्कॉन चरण IV परियोजना की पीओसी भी पूरी नहीं हो पाई हैं जिससे परियोजना को रोलआउट करने और नकदी प्रवाह में देरी हुई है। इसी प्रकार, बीएसएनएल की 4जी परियोजना की पीओसी में भी अनावश्यक देरी हुई है जिससे बीएसएनएल से आरक्यू आर्डर की प्राप्ति में विलंब हो रहा है। इन दो अनापेक्षित घटनाओं से हमारा निष्पादन काफी अधिक प्रभावित हुआ है तथा इससे कंपनी की टर्नओवर तथा लाभ इस वर्ष कम हो गए हैं। कंपनी को 1588.60 करोड़ रुपए की टर्नओवर हासिल हुई है जिससे 359.85 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इन दो बड़ी हताशाओं के बावजूद भी हासिल हुई यह टर्नओवर मुख्यतः एस्कॉन चरण IV, महानेट, टैनफीनेट, एनएफएस परियोजना, गुजनेट, तथा 3जी नेटवर्क को 4जी/एलटीई नेटवर्क में अपग्रेड करने की भारतीय वायुसेना की परियोजना के योगदान से संभव हो पाई है। इस वर्ष विनिर्माण से भी योगदान प्राप्त हुआ है जो मुख्यतः एचडीपीई, ओएफसी, एनक्रिप्शन उत्पादों, सौर पैनलों, एफटीएमएस, मिनी पीसी, तथा सोलार स्ट्रीट लाइटों जैसे विभिन्न उत्पादों की आपूर्ति के माध्यम से हुआ है। एस्कॉन के लिए एएमसी, ओसीबी, जीएसएम-दक्षिण क्षेत्र तथा एमएलएलएन, डाटा सेंटर, वीएसएससी बिजनेस, थर्ड पार्टी ऑडिट सर्विसेस (टीपीए) जैसी सेवाओं और साथ ही साथ एमएसपी द्वारा दिए गए बिजनेस का भी इस उपलब्धि में योगदान है।

प्रिय शेयरधारको, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, कंपनी 4जी के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी अवसरों के साथ बड़े पैमाने पर कार्य कर रही है, जिससे अपेक्षित है कि अगली पीढ़ी के लिए 5जी का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। हमने परियोजना को रोलआउट करने के साथ-साथ 4जी रेडियो के निर्माण के लिए टीसीएस के साथ सहयोग किया है। रेडियो के अलावा, आईटीआई लिमिटेड रोल आउट के लिए आवश्यक आउटडोर कैबिनेट और केबल का विनिर्माण भी करना चाहती है।

आईटीआई लिमिटेड ने सी-डॉट के साथ 4जी रेडियो के निर्माण के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी अंतरण (Transfer of Technology) के लिए समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। कंपोनेंट्स के लिए, सप्लाई चेन में लगने वाले लम्बे समय के बावजूद, हम 6 से 7 महीनों में अपना पहला प्रोटोटाइप तैयार कर सकते हैं तथा पीओसी के लिए अंबाला में आईटीआई लिमिटेड द्वारा इसे पहले से ही डिप्लाय कर दिया गया है। बीएसएनएल से हमें पहले ही पीओसी के लिए खरीद आदेश (4जी की 20 साइटें और 5जी के लिए 5 साइटें) प्राप्त हो चुका है। 4जी रेडियो के निर्माण से आईटीआई लिमिटेड 5जी रेडियो का निर्माण करने में सक्षम हो सकता है, जिससे कंपनी का कायाकल्प हो सकता है। 4जी रेडियो का निर्माण यूएसओएफ अनुमोदित परियोजनाओं से भी होने की संभावना है। कंपनी इन पायलट परियोजनाओं के विस्तार के लिए 4 स्टार्ट-अप फर्मों के साथ समन्वय कर रही है। बीएसएनएल एवं अन्य ग्राहकों से प्राप्त होने वाली उभरती प्रौद्योगिकियों के व्यवसाय से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और अधिक अवसर प्राप्त होने की संभावना है।

प्रिय शेयरधारकों, मुझे आपको यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) द्वारा विकसित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को तकनीकी मूल्यांकन समिति ने अनुमोदित कर दिया है। आईटीआई लिमिटेड ने ईवीएम के बड़े पैमाने पर निर्माण की पहल कर दी है। कंपनी ईवीएम की मार्केटिंग (विपणन) के लिए राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) के साथ भी अनुसरण कर रही है। आर एंड डी द्वारा विकसित एक अन्य उत्पाद डिजिटल मोबाइल रेडियो (डीएमआर) है और इसके प्रोटोटाइप भारतीय रेलवे में प्रदर्शित किए गए हैं। रेलवे के अलावा गृह मंत्रालय, राज्य पुलिस, रक्षा बलों जैसी एजेंसियों से अच्छी बाजार मांग होने की संभावना है।

हम अपने डाटा सेंटर से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के विपणन के लिए भी प्रत्येक संभव प्रयास कर रहे हैं। हमारा डाटा सेंटर क्लाउड सेवाओं, प्रबंधित सुरक्षा सेवाओं, ऑन-डिमांड सेवाओं, व्यावसायिक सेवाओं, सुरक्षा (एसओसी) और प्रबंधित आईटी सेवाओं सहित सेवाओं की विस्तृत शृंखला की प्रस्तुति के लिए सुसज्जित है। डाटा सेंटर में हमने अपने ग्राहकों तथा एमएसएमई की सेवा के लिए साइबर खतरों की चौबीसों घंटे निगरानी, रोकथाम, पता लगाने, जांच करने और प्रतिक्रिया के लिए एसओसी प्लेटफॉर्म स्थापित करने की पहल की है। टेलीकॉम टेस्ट लैब्स से हमारे वाणिज्यिक, संचार, चिकित्सा, ऑटोमोटिव, रेलवे, औद्योगिक, आईटी और घरेलू क्षेत्रों के ग्राहकों को विविध प्रकार की परीक्षण सेवाओं की पेशकश की जा सकती है। ईएमआई/ईएमसी लैब को सैन्य मानकों के अनुरूप उन्नत किया गया है तथा यह लैब एनएबीएल एवं टीईसी अनुरूपता

मूल्यांकन निकाय (सीएबी), टीईसी दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। स्टार्ट-अप हब स्टार्ट-अप फर्मों को आकर्षित करने में अच्छी प्रगति कर रहा है और इस हब से जुड़ने के लिए टेलीकॉम क्षेत्र में स्टार्ट-अप की पहचान किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि हम टेलीकॉम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) तथा अन्य क्षेत्रों में सफल उत्पादों के निर्माण और विपणन के माध्यम से नवीन उत्पादों को बढ़ावा दे सकें। रक्षा क्षेत्र को एन्क्रिप्शन उपकरणों के डिजाइन और आपूर्ति के लिए हमारा अनुसंधान एवं विकास पिछले 5 दशकों से अग्रणी है।

यूनिटों के योगदान में, पालक्काड़ यूनिट इंटेल के सहयोग से लैपटॉप का निर्माण और विपणन कर रही है। पालक्काड़ यूनिट द्वारा विकसित लैपटॉप ने बीआईएस, एफसीसी, आरओएचएस, सीई, बीईई आदि से प्रमाणन प्राप्त कर लिया गया है। डेस्कटॉप माइक्रो पीसी की आपूर्ति विभिन्न शैक्षिक संगठनों को की गई है तथा प्रतिवर्ष लगभग 2000 से 3000 माइक्रो पीसी पालक्काड़ यूनिट से भेजे जा रहे हैं। मुझे आपको यह सूचित करते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि हमें एलवीएम3 एम2/वन वेब इंडिया-1 मिशन और चंद्रयान-3 (एलवीएम3-एम4) मिशन को लॉन्च करने के अवसर पर उड़ान किए जाने वाले एवियोनिक्स पैकेज का निर्माण इसरो के सभी गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप और समयबद्ध स्वरूप में आपूर्ति करने में पालक्काड़ टीम के सराहनीय योगदान, के लिए प्रशंसा पत्र मिला है।

हमारी मनकापुर यूनिट के, एचडीपीई डक्ट संयंत्र को वाटर पाइप के निर्माण के लिए परिवर्तित किया गया है और विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अब तक लगभग 5000 किलोमीटर वाटर पाइप का निर्माण किया जा चुका है। यूनिट द्वारा एस्कॉन चरण-IV तथा टैनफीनेट परियोजनाओं के लिए लगभग 1140 फाइबर वितरण प्रबंधन प्रणाली (एफडीएमएस) का सफलतापूर्वक निर्माण और आपूर्ति की गई है। मनकापुर संयंत्र द्वारा रेलटेल के लिए 8000 ओएनटी का भी निर्माण किया गया है।

हमारी रायबरेली यूनिट द्वारा एस्कॉन चरण-IV, महानेट, टैनफीनेट, ए एंड एन परियोजनाओं और भारतीय वायु सेना (आईएएफ) परियोजनाओं के लिए लगभग 23,400 किलोमीटर एचडीपीई डक्ट का निर्माण किया गया है। इसके अलावा, यूनिट ने लगभग 23,407 किलोमीटर ओएफसी का निर्माण करके मुख्य रूप से एस्कॉन तथा टैनफीनेट परियोजनाओं के लिए आपूर्ति की है। निर्माण सुविधा का अधिकतम उपयोग करने के लिए विपणन टीम द्वारा वोडाफोन, एयरटेल आदि जैसे निजी ऑपरेटरों के साथ अवसरों की तलाश की जा रही है।

नैनी यूनिट में निर्मित सोलार पैनलों का उपयोग आईटीआई लिमिटेड की सभी यूनिटों में और क्षेत्रीय कार्यालय की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए किया गया है। कैप्टिव पावर प्लांट की संचयी क्षमता लगभग 5.6 मेगावाट पावर है जिससे यूनिटों का ऊर्जा व्यय 20 प्रतिशत तक कम होता है। हमारी नैनी यूनिट ने भारतनेट परियोजनाओं के लिए एसपीवी सिस्टम की भी आपूर्ति की है। हमारी योजना 500 मेगा वाट क्षमता वाली मोनो क्रिस्टलाइन सौर पैनल की निर्माण लाइन की स्थापना करने की है। श्रीनगर यूनिट का ध्यान केन्द्र कौशल विकास कार्यक्रम पर है तथा हमारी इस यूनिट ने ओएफसी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी की है।

संवहनीय विकास को हासिल करने के लिए कंपनी की ऑर्डर बुक में वर्ष प्रति वर्ष सुधार होना अत्यंत आवश्यक है। कॉर्पोरेट मार्केटिंग टीम विभिन्न उत्पादों के लिए निजी बाज़ार की खोज करने की प्रक्रिया आक्रामक रूप से कर रह रही है। इस प्रक्रिया में आईटीआई लिमिटेड एचडीपीई डक्ट के लिए वोडाफोन के साथ पैनलबद्ध हुई है। मिनीओएलटी एवं ओएनटी, की आपूर्ति, निजी संस्थानों को मिनी पीसी की आपूर्ति, टेबलेट पीसी, लैपटाप, ओएफसी, एचडीपीई वाटर पाइप, मोबाइल हैंडसेट, पतंजलि के लिए 125 वाट के 15,000 सौर माड्यूल के अनुबंधित निर्माण की प्रक्रिया प्रगति पर है / सक्रिय रूप से विचाराधीन है तथा इन अवसरों से राजस्व की प्राप्ति होने की पूरी संभावना है।

पिछले वर्ष के राजस्व में सबसे अधिक योगदान नेटवर्क सिस्टम यूनिट (एनएसयू) का रहा है। एनएसयू द्वारा एस्कॉन चरण-IV एवं एएमसी-390 से करोड़ रुपए, महानेट-313 करोड़ रुपए, टैनफीनेट- 140 करोड़ रुपए, आईएएफ 4जी, गुजनेट, एनएफएस, जीएसएम आदि -382 करोड़ रुपए की प्रमुख परियोजनाओं का निष्पादन किया गया है। ओफसी को रोलआउट करने की प्रक्रिया भारत के पश्चिमी, उत्तरी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्रगति पर है तथा 5865 किलोमीटर टी एंड डी, 1681 किलोमीटर एटी का कार्य पूरा कर लिया गया है। सिविल निर्माण कार्य भी अच्छी प्रगति पर है। टैनफीनेट परियोजना में जीपी लिटिंग का 25 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है तथा ओएफसी बिछाने के 45 प्रतिशत कार्य पूरे कर लिए गए हैं। हम इस परियोजना को सितम्बर, 2023 तक संपादित करने की योजना बना रहे है।

प्रिय शेयरधारको, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए, आपकी कंपनी प्रौद्योगिकी में तीव्र गति से हो रहे परिवर्तनों को अंगीकार करने एवं तारतम्यता के प्रयास कर रही है। हमारा यह मानना है कि 4जी/5जी रेडियो, ईवीएम, डीएमआर जैसे उत्पाद कंपनी के लिए गेम-चेंजर हो सकते हैं। हमारा मार्ग कठिन है परंतु हमारा कृतसंकल्प सभी बाधाओं और सभी चुनौतियों से जूझकर पूर्ण पुनरुद्धार की स्थिति को प्राप्त करने पर केन्द्रित है। हमें अपनी पूर्ण प्रतिभाओं और आपनी विदग्धता का उपयोग अपने इस प्रमुख लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाना होगा। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सजग प्रयास एवं दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ना समय की मांग है और इससे ही कंपनी को नई ऊंचाइयों की प्राप्ति हो सकेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार की विभिन्न नई पहलों, नई प्रौद्योगिकी, नए व्यापार क्षेत्रों, नई परियोजनाओं और उत्पादों के साथ जुड़कर, हम निकट भविष्य में भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपकी कंपनी इस वर्ष अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे करने जा रही है, इसलिए 'अमृत महोत्सव' के आयोजन से इस वित्तीय वर्ष में निष्पादन में बेहतरी देखने में आई है। दूरसंचार विभाग और भारत सरकार से प्राप्त सहयोग से, हमारा निष्पादन सर्वश्रेष्ठ होगा और इसी के बलबूते कंपनी बाजार नेतृत्व एवं वित्तीय संवहनीयता की स्थिति प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेगी।

मैं भारत सरकार, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, दूरसंचार आयोग, बीएसएनएल, एमटीएनएल, बीबीएनएल, रक्षा, टीसीआईएल, भारतीय रेलवे, केंद्र और राज्य सरकारों के सभी विभागों के प्रति आभार की अभिव्यक्ति के साथ साथ अपने मूल्यवान ग्राहकों, जमाकर्ताओं, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, विदेशी सहयोगियों, लेखा परीक्षकों, सार्वजनिक उपक्रम समिति सीओपीयू, सूचना प्रौद्योगिकी की स्थायी समिति और सार्वजनिक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन स्कोप को उनके निरंतर सहयोग और समर्थन के लिए आभार प्रस्तुत करता हूँ। इस अवसर पर, मैं सभी कर्मचारियों और शेयरधारकों को उनके समर्थन एवं अनुकूलता के लिए धन्यवाद देता हूँ।

धन्यवाद

राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: बैंगलूरु

यह 73वीं वार्षिक आम बैठक की प्रक्रिया में रिकार्ड किए जाने के उद्देश्य से नहीं है।

संकल्पना, ध्येय और आदर्श

संकल्पना

भारत का नेतृत्व दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी उत्पाद और सेवा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाते हुए जीवन को बेहतर बनाने का समाधान देना ।

ध्येय

हमारा ध्येय आंतरिक रुप से विकसित अभिसरण समाधान, उत्पाद और सेवाएं दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा प्रणाली, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और स्मार्ट कनेक्टेड प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ग्राहकों के लिए प्रदान करना ।

आदर्श

हमारी महत्वकांक्षा नवोन्मेष, सतत सुधार और रणनीतिक सहयोगी उद्यमों (साझेदार /गठबंधन) के साथ करते हुए पारदर्शिता तथा जिम्मेदारी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की हैं ।

- **नवोन्मेष:**
  विकास को अग्रसित करने हेतू नवोत्थान के लिए सुविधा, संसाधन प्रावधान, प्रोत्साहन और मान्यता एक निरंतर आवश्यकता है।

- **निरंतर सुधार:**
  हम निरंतर सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिक परिष्कृत और समग्र रूप से बेहतर आर्थिक प्रतिस्पर्धी उत्पाद एवं सेवाएँ लाते हैं ।

- **रणनीतिक साझेदारी:**
  हम सिर्फ व्यवसाय ही नहीं लाते हैं, बल्कि हम ग्राहकों और अन्य हितधारकों के लिए हमसे जुड़े लोगों के जीवन परिवर्तन में मदद करते हैं।

- **पारदर्शिता:**
  हम अपने आचरण में निष्पक्ष, ईमानदार और नैतिक हैं, हम जो भी करते हैं वह जाँच की कसौटी पर खरा उतरता है ।

- **जिम्मेदार प्रणाली:**
  हम अपने व्यवसाय में पर्यावरण और सामाजिक सिद्धांतों को एकीकृत करते हुए यह सुनिश्चित करते हैं कि हम जो भी उत्पादन करते हैं वह हितधारकों को वापस प्राप्त हो ।

वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023

विषय सूची

विवरण.....पृष्ठ संख्या

कंपनी की जानकारी.....6
सूचना.....7
दस वर्ष के संक्षिप्त आँकड़े.....15
आँकड़े एक झलक.....18
निदेशक मंडल.....20
कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट.....69

एकल वित्तीय विवरण

- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ.....91
- तुलन पत्र.....98
- लाभ और हानि का विवरण.....102
- नकद प्रवाह विवरण.....103
- वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी.....104
- स्वतंत्र लेखापरिक्षकों की रिपोर्ट.....148

समेकित वित्तीय विवरण

- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ.....159
- तुलन पत्र.....166
- लाभ और हानि का विवरण.....170
- नकद प्रवाह विवरण.....171
- वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी.....172
- स्वतंत्र लेखापरिक्षकों की रिपोर्ट.....215

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी.....222

कंपनी की जानकारी

निदेशक मंडल*

श्री राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री राकेश चंद्र तिवारी
निदेशक-विपणन

श्री राजीव श्रीवास्तव
निदेशक-वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्रीमती एस जेयंति
निदेशक-उत्पादन एवं निदेशक-मानव संसाधन (अतिरिक्त प्रभार)

लेफ्टिनेंट जनरल एम उन्नीकृष्णन नायर, एवीएसएम, एसएम
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री आर शाक्य, उप महानिदेशक पीएम (दूरसंचार विभाग)
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्रीमती ममता पलारिया
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. राजा नायक
स्वतंत्र निदेशक

श्री विलेश्वर सिन्हा
स्वतंत्र निदेशक

कंपनी सचिव
श्रीमती शालिनी घटक

सांविधिक लेखापरीक्षक
मेसर्स जीआरएसएम एण्ड एसोसिएटस, बेंगलूरु

शाखा लेखापरीक्षक
मेसर्स मेहरोत्रा कपूर एंड टंडन (रायबरेली)
मेसर्स जी.के अरोरा एण्ड एसोसिएटस (नैनी)
मेसर्स एस.के. एसोसिएटस (मनकापुर)
मेसर्स एआरजीईई एण्ड कं., (पालक्काड)
मेसर्स एमआईआर एंड कं., (श्रीनगर)

लागत लेखापरीक्षक
मेसर्स जीएनवी एसोसिएटस, बैंगलूरू
मेसर्स अमन मालवीय एवं एसोसिएटस, लखनऊ

सचिवीय लेखापरीक्षक
श्री के एन नागेश राव, बेंगलूरू

बैंकर
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ बड़ौदा
केनरा बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
इंडियन बैंक

प्रबंधन*

निगमित कार्यालय

श्री बी. काशीविश्वनाथन
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्रीमती ईला बहादुर
कार्यकारी निदेशक-प्रौद्योगिकी विकास

श्री अखिल कुमार
महाप्रबंधक-निगमित वित्त

ब्रिगेडियर गिरीश सूरी (सेवानिवृत्त)
महाप्रबंधक-मानव संसाधन एवं जनसंपर्क

श्रीमती जयंतीमाला जी
मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक

श्री साजन अब्रहाम
अपर महाप्रबंधक-एमएम एवं सीपीआईओ

यूनिट

नेटवर्क सिस्टम्स यूनिट
श्री प्रकाश चंद्र जैन
कार्यकारी निदेशक

निगमित विपणन
श्री सुरेंद्र सुधाकर टी
महाप्रबंधक

बेंगलूरु प्लांट
श्रीमती आर वसंती
महाप्रबंधक

पालक्काड प्लांट
श्री नागराजा के वी
महाप्रबंधक

मनकापुर और नैनी इकाई
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव
अपर महाप्रबंधक

रायबरेली इकाई
श्री सुनील डोभाल
अपर महाप्रबंधक

श्रीनगर प्लांट
श्री इदरिश असलम खान
अपर महाप्रबंधक

* 11.08.2023 तक

आईटीआई लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

सीआईएन : एल32202केए1950जीओआई000640
पंजीकृत कार्यालय : आईटीआई भवन, दूरवाणीनगर, बैंगलूरु 560016
दूरभाष संख्या: 91(080) 25614466 फैक्स सं.: 91(080) 25617525 ई-मेल: cosecy_crp@itiltd.co.in वेबसाइट : www.itiltd.in

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आईटीआई लिमिटेड की तिहत्तरवीं (73वीं) वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) का आयोजन वीडियो कांफ्रेंसिंग(वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) से गुरूवार, 28 सितंबर, 2023 को पूर्वाह्न 11.30 बजे किया जाएगा।

I. सामान्य कार्य :

1. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

   यह संकल्प किया गया कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण सहित लेखा परीक्षित एकल वित्तीय विवरण और उनके साथ उन पर निदेशक मंडल तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ, एतद्वारा स्वीकार, विचार और अपनाया जाता है।

2. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना :

   यह संकल्प किया गया कि श्री राकेश चंद्र तिवारी (डीआईएन:08953397), जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र हैं, को कंपनी के निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है।

3. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना :

   यह संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 142 के तहत, आईटीआई लिमिटेड के निदेशक मंडली को अधिकृत किया जाता है कि यह कंपनी के साथ नियुक्त किए गए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के यात्रा खर्च की वापसी और जेब खर्च सहित पारिश्रमिक और अन्य नियमों और शर्तों को ठीक करने के लिए अधिकृत किया गया है । भारत के नियंत्रक और सामान्य लेखा परीक्षक और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के शाखा लेखा परीक्षक द्वारा।

II. विशेष कार्य :

4. विचार करने तथा उचित पाए जाने की स्थिति में किसी आशोधन अथवा आशोधन के बिना साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करने :

   यह संकल्प किया गया है कि, संबंधित नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149,152 तथा अन्य लागू प्रावधानों, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा संचार मंत्रालय के दिनांक 20 फरवरी, 2023 के आदेश संख्या ई-14-3/2022-पीएसए के अनुसरण में श्री राजेश राय (डीआईएन : 10052045) को, एतद्वारा, रोटेशन के अनुसार सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदेयी न होने एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार, उनके द्वारा पद का कार्यभार ग्रहण किए जाने की तिथि यथा 21 फरवरी, 2021 से, अथवा उनकी अधिवार्षिता की आयु की तिथि तक, अथवा आगामी आदेशों तक के लिए, जो भी पहले हो, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है।

5. विचार करने तथा उचित पाए जाने की स्थिति में किसी आशोधन अथवा आशोधन के बिना **साधारण संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करने

   यह संकल्प किया गया है कि, संबंधित नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149,152 तथा अन्य लागू प्रावधानों, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार निम्नलिखित सरकारी आदेशों के अनुसरण में, श्रीमती एस जेयंति (डीआईएन: 10059174) को एतद्वारा, निदेशक मानव संसाधन (अतिरिक्त प्रभार) तथा निदेशक उत्पादन नियुक्ति किया जाता है।

   i. उनके द्वारा पद का प्रभार ग्रहण किए जाने की तिथि यथा 28 फरवरी, 2023 से एक वर्ष की अवधि अथवा नियमित चयनित उम्मीदवार द्वारा सेवाभार ग्रहण किए जाने तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए उन्हें निदेशक (मानव संसाधन) का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने से संबंधित दिनांक 28 फरवरी, 2023 का सरकारी आदेश संख्या ई-14-4/2021-पीएसए।

   ii. उनके द्वारा पद का प्रभार ग्रहण किए जाने की तिथि यथा 19 मई, 2023 से उनकी अधिवार्षिता की तिथि यथा 30.6.2026 तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए कंपनी का निदेशक उत्पादन नियुक्त किए जाने से संबंधित दिनांक 19 मई, 2023 का सरकारी आदेश संख्या ई-14-3/2021-पीएसए ।

   आगे यह संकल्प किया गया है कि, श्रीमती एस जेयंति रोटेशन से सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदेयी हैं तथा उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार है।

6. निम्नलिखित पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के, **समान्य संकल्प** के रूप में पारित करना :

   यह संकल्प किया गया है कि, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत बनाए गए नियमों की धारा 148 के प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार एवं उस आधार पर पारिश्रमिक 3.16 लाख रु. (साथ ही लागू कर) और कंपनी के वर्ष 2023-24 के सभी इकाइयों के लागत अभिलेखों की और वास्तविक जेब खर्च और वाहन का खर्च सहित के लिए लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए लागत लेखापरीक्षक की नियुक्ति तय की गई है एवं एतद्वारा अनुसमर्थित है।

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय
आईटीआई भवन, दूरवाणीनगर,

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक : 11.08.2023

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते **आईटीआई लिमिटेड**

शालिनी घटक
कंपनी सचिव

टिप्पणी :

1. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 एवं 28 दिसम्बर, 2022 के परिपत्रों तथा सेबी के दिनांक 12 मई, 2020, 13 मई, 2022 एवं 5 जनवरी, 2023 के परिपत्रों (एतद्वारा सामूहिक रूप से 'परिपत्रों' के रूप में संदर्भित) में, किसी एक स्थल पर सदस्यों की स्वयं उपस्थिति के बिना, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य

आडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") से करने की अनुमति प्रदान की गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") तथा परिपत्रों के अनुसार में कंपनी की वार्षिक आम सभा का आयोजन बृहस्पतिवार, दिनांक 28 सितम्बर, 2023 को प्रातः 11.30 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग ("वीवी") / अन्य आडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। अतः सदस्य वीडियो कांफ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य आडियो विजुअल माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं अथवा नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर लाइव टेलीकॉस्ट देख सकते हैं। वार्षिक आम सभा का मान्त्रित स्थल पंजीकृत कार्यालय : आईटीआई भवन, दूरवाणी नगर, बैंगलूरु - 560016 होगा।

2. चूँकि यह ए.जी.एम. एम.सी.ए. के परिपत्रों के अनुसरण में वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से आयोजित की जा रही है, सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है । तदनुसार, सदस्यों द्वारा परोक्षी नियुक्त करने की सुविधा इस ए.जी.एम. में उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए, परोक्षी फार्म और उपस्थिति पर्ची इस सूचना के साथ संलग्न नहीं किए गए हैं ।

3. वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ए.जी.एम. में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम पूरा करने के प्रयोजनार्थ की जाएगी ।

4. सामान्य परिपत्र के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ-साथ इस ए.जी.एम. की सूचना केवल ऐसे सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है जिनके ई-मेल एड्रेस कंपनी / डिपोज़िटरों के पास दर्ज हैं। वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड कॉपी की आवश्यक सदस्य cosecy_crp@itiltd.co.in. पर ईमेल भेजकर अपना अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं।

5. वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के पूर्ण संस्करण के साथ 73वीं ए.जी.एम. आहूत करने की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.itiltd.in पर 'निवेशक सूचना' खंड में अपलोड की गई है जिसे स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी देखा जा सकता है। इस ए.जी.एम. की सूचना एन.डी.एस.एल. (सुदूर ई-मतदान और ए.जी.एम. के दौरान ई-मतदान प्रणाली की सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी प्रसारित की गई है।

6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 113 के अनुसार वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ए.जी.एम. में भाग लेने के लिए अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने का आशय रखने वाले कार्पोरेट सदस्य / एफ.आई.आई. / वित्तीय संस्थानों से अनुरोध है कि वे मंडल के संकल्प / अन्य दस्तावेज जिनमें बैठक में उनकी ओर से शामिल होने और मतदान करने हेतु उनके प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) को अधिकृत किया गया है, की प्रमाणित प्रति, उनके नमूने के हस्ताक्षों के साथ पर ईमेल dvenkatacs@gmail.com और evoting@nsdl.co.in द्वारा कंपनी को भेजें।

7. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार प्रासंगिक व्याख्यात्मक कथन, जो वार्षिक आम बैठक में विशेष व्यवसाय से संबंधित विवरण का वर्णन करता है, को इसके साथ सूचना के अंश बननेवाले **अनुबंध-क** में दिया जाता है।

8. सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, नियमन के उपबंध 36 (3) और भारत के कंपनी सचिव के संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठक पर सचिवीय मानक के अनुसार, निदेशक, जो पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं का संक्षिप्त विवरण/रूपरेखा या पूरी जानकारी हेतु मद सं. 2,4 और 5, देखें जो **अनुबंध-ख** के रूप में संलग्न है।

9. अधिनियम की धारा 142 के साथ पठित धारा 139 के अनुसार, कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है । तथापि, लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में निर्धारित किया जाएगा । वर्ष 2023-24 के लिए सदस्य बोर्ड के लेखा परीक्षकों के देय यदि कोई हो, उपयुक्त पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं । सांविधिक आवश्यकताओं/कार्य की मात्रा/मुद्रास्फीति सूचकांक आदि को ध्यान में रखते हुए यदि कोई हो, असाइनमेंट के दायरे में परिवर्तन किया जा सकता है ।

10. संयुक्त धारकों के मामले में, ऐसे सदस्य जिनके नाम कंपनी के सदस्यों की पंजी के अनुसार नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में दर्शित होते हैं, वे इस बैठक में मतदान करने के हकदार होंगे।

11. सूचीबद्धता विनियम के विनियम 44, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के परिपत्र तथा सेबी परिपत्र के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 108 के अनुसरण में कंपनी द्वारा अपने सदस्यों को सहर्ष वार्षिक आम सभा में किए जाने वाले व्यवसाय संव्यवहारों के लिए नोटिस में उल्लिखित सभी संकल्पों पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से तथा वार्षिक आम सभा के दौरान ई-वोटिंग एवं वीडियो कांफ्रेंसिंग / अन्य आडियो विजुअल माध्यम से बैठक में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस उद्देश्य से कंपनी द्वारा नेशनल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (एनडीएसएल) के साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए ई-वोटिंग एजेंसी के लिए अनुबंध किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से सदस्यों को वोट डालने एवं वार्षिक आम सभा के दौरान स्थल पर वोटिंग सिस्टम की स्थापना की सुविधा के कार्य सीडीएसएल द्वारा प्रदान किए जाने हैं। रिमोट ई-वोटिंग, वार्षिक आम सभा के दौरान ई वोटिंग तथा वीडियो कांफ्रेंसिंग / अन्य आडियो विजुअल माध्यम से बैठक में भाग लेने से संबंधित निदेश नोटिस के अनुलग्नक ग में दिए गए हैं।

12. सदस्य **अनुलग्नक-ग** में उल्लिखित अनुदेशों का पालन करते हुए बैठक के प्रारंभ होने से 30 मिनट पहले और बैठक शुरु होने के निर्धारित समय के 30 मिनट के भीतर वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ए.जी.एम. में शामिल हो सकते हैं। सदस्य एन.डी.एस.एल. की ई-मतदान वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर लॉगिन कर बैठक की कार्यवाही देख सकते हैं। वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ए.जी.एम. में भाग लेने की सुविधा पहले आओ, पहले पाओ आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (जिनका शेयरधारण 2 या उससे अधिक हो), प्रवर्तक, संस्थागत निदेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन व पारिश्रमिक समिति तथा पणधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे जिन्हें पहले आओ, पहले पाओ आधार पर की सीमा के बिना ए.जी.एम. में शामिल होने की अनुमति होगी।

13. सूचना में संदर्भित सभी दस्तावेज और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 और 189 के तहत रखी गई सांविधिक पंजियाँ ए.जी.एम. के दौरान इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी । ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य cosecy_crp@itiltd.co.in पर ई-मेल भेज सकते हैं।

14. सदस्यों द्वारा लेखे की जानकारी अपेक्षित होने की दशा में, अनुरोध है कि बैठक की तारीख से कम-से-कम 15 दिन पूर्व कंपनी को लिखें ताकि वांछित सूचना तैयार रखी जा सके ।

15. श्री डी वेंकटेश्वरुलु (सी.पी. सं. 7773), पेशेवर कंपनी सचिव एवं डीएसी और एसोसिएट्स के साझेदार, बैंगलूरु को ए.जी.एम. के दौरान मतदान की जाँच-पड़ताल करने और सुदूर ई-मतदान उचित और पारदर्शी ढंग से संचालित करने के लिए संपीक्षक नियुक्त किया गया है।

16. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर, शुक्रवार, दिनांक 22 सितम्बर, 2023 से बृहस्पतिवार, दिनांक 28 सितम्बर, 2023 (दोनों दिन शामिल) को वार्षिक आम बैठक के आयोजन के उद्देश्य से बंद रखा जाएगा।

17. सेबी द्वारा दिनांक 3 नवम्बर, 2022 एवं 15 दिसम्बर 2021 के अपने परिपत्रों के माध्यम से प्रतिभूतियों को भौतिक स्वरूप में धारण करने वाले शेयरधारकों के लिए 31 मार्च, 2023 तक पैन, केवाईसी विवरण एवं नामांकन की प्रस्तुति किए जाने तथा दिनांक 31 मार्च, 2022 तक आधार के साथ पैन की लिंकिंग किए जाने की अनिवार्यता की गई है। तदनुसार, कंपनी ने शेयरों का भौतिक स्वरूप में धारण करने वाले सभी सदस्यों को वैयक्तिक पत्र भेज अपने पैन, केवाईसी एवं नामांकन विवरण इत्यादि की प्रस्तुति के लिए अनुरोध किया है। सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे अपने पैन, केवाईसी एवं नामांकन विवरण की प्रस्तुति कंपनी के आरटीए को करें। इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में शेयरों का धारण करने वाले सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे अपने पैन, केवाईसी एवं नामांकन विवरण की प्रस्तुति अपने संबंधित डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट (पार्टिसिपेंटों) को करें। इसके अद्यतन के अपेक्षित फार्म www.itiltd.in/common_and_simplified_norms पर उपलब्ध हैं।

यदि भौतिक प्रतिभूतियों के धारक ऊपर उल्लिखित नियत तिथियों से पूर्व इन विवरण की प्रस्तुति नहीं करते हैं अथवा आधार के साथ पैन की लिंकिंग नहीं करते हैं तो आरटीए द्वारा ऐसे फोलियो को निश्चल किया जा सकेगा। निश्चय फोलियो वाली प्रतिभूतियों के लिए भुगतान (लाभांश सहित) प्राप्त करने एवं अपनी शिकायत दर्ज करने पात्रता केवल सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात ही हासिल हो सकेगी।

यदि प्रतिभूतियां 31 दिसम्बर, 2025 के पश्चात भी निश्चय स्थिति में रहती हैं तो आरटीए / कंपनी द्वारा ऐसी प्रतिभूतियों को बेनामी संव्यवहार(प्रतिबंध) अधिनियम, 1998 तथा / अथवा ऋणशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रशासनिक प्राधिकारी को संदर्भित किया जा सकेगा।

18. सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 40, यथासंशोधित, के अनुसरण में कंपनी ने भौतिक स्वरूप में धारित प्रतिभूतियों के अंतरण के नए अनुरोध स्वीकार करने बंद कर दिए हैं। कंपनी के शेयरों का भौतिक स्वरूप में धारण करने वाले सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे कृपया डिमेट के अंतर्निहित लाभों की प्राप्ति के लिए अपने शेयरों को डिमेट / इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में परिवर्तित करवा लें।

19. सदस्य, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 तथा कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियमावली, 2014 के अनुसार नामांकन सुविधा के लिए निर्दिष्ट फार्म एसएच-13 भरकर कंपनी को प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई सदस्य अपने पूर्व नामांकन को बदलना अथवा रद्द करना चाहता है तो वह नया नामांकन कर सकता है, इसके लिए, फार्म आईएसआर-3 अथवा आईएसआर-4, जैसा भी मामला हो, की प्रस्तुति करनी अपेक्षित है। ये फार्म कंपनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/common_and_simplified_norms से डाउनलोड किए जा सकते हैं। सदस्यों से यह अनुरोध है कि यदि उनके पास शेयरों का धारण इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में है तो वे अपने अपेक्षित फार्म अपने डीपी को प्रस्तुत करें तथा यदि शेयरों का धारण भौतिक स्वरूप में है तो फोलियो संख्या के हवाले के साथ अपने फार्म रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करें।

20. सदस्य, कृपया यह नोट करें कि सेबी द्वारा अपने दिनांक 25 जनवरी, 2022 के परिपत्र के माध्यम से सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए डुप्लीकेट प्रतिभूति प्रमाण जारी करने; उचंत खाते से संबंधित दावे; प्रतिभूति प्रमाण पत्रों के नवीकरण / विनिमय; पृष्ठांकन; प्रतिभूति प्रमाणपत्रों का सब-डिवीजन / विभाजन; प्रतिभूति प्रमाण पत्रों/ फोलियो का समेकन; ट्रांसमिशन एवं ट्रांसपोजिशन के प्राप्त अनुरोध के प्रति केवल डिमेट स्वरूप में प्रमाण पत्र जारी करने की अनिवार्यता की गई है। तदनुसार, सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे ऊपर उल्लिखित निवेश सेवाओं के लिए विधिवत भरा गया अपना फार्म आईएसआर-4, जो कंपनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/common_and_simplified_norms पर उपलब्ध है, के साथ दस्तावेज, एवं उसमें उल्लिखित विवरण, के साथ प्रस्तुत करें।

21. सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि, यदि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में शेयरों का धारण किया है, वे अपने नाम, डाक पते, ईमेल पते, मोबाइल नम्बर, पैन, नामांकन के पंजीकरण, बैंक के अनिवार्य विवरण इत्यादि से संबंधित विवरण, यदि परिवर्तन किए गए हैं, अपने डीपी को प्रस्तुत करें तथा यदि शेयरों का धारण भौतिक स्वरूप में किया गया है तो फोलियो नम्बर के संदर्भ के साथ इसे रजिस्ट्रार को irg@integratedindia.in पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था करें।

22. 'हरित पहल' के समर्थन में जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते का पंजीकरण नहीं करवाया है वे कृपया अपने डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, यदि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में शेयरों का धारण है, से तथा यदि शेयरों का धारण भौतिक स्वरूप में किया गया है तो कंपनी से अनुरोध करके पंजीकरण करवा लें।

23. वार्षिक आम बैठक की रिकार्ड की गई ट्रांसक्रिप्ट का अनुरक्षण कंपनी द्वारा किया जाएगा तथा यह बैठक के समापन के पश्चात यथाशीघ्र कंपनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/annual_general_meeting पर उपलब्ध होगी।

24. सदस्य कंपनी के बारे में अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट देख सकते हैं ।

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय
आईटीआई भवन, दूरवाणीनगर,

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक : 11.08.2023

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते **आईटीआई लिमिटेड**

शालिनी घटक
कंपनी सचिव

अनुबंध-क

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 4 से 5:

भारत के राष्ट्रपति को, कंपनी के संगम अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसरण में, समय समय कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति करने तथा ऐसे निदेशकों की संदर्भ शर्तें भी निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है। तदनुसार, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में, भारत के राष्ट्रपति के निदेशों का अनुसरण करते हुए वर्ष के दौरान निम्नलिखित नियुक्तियां की गई हैं :

श्री राजेश राय, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (डीआईएन : 10052045)

संचार मंत्रालय द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2023 के आदेश के माध्यम से श्री राजेश राय की नियुक्ति आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर उनके द्वारा पद का कार्यभार ग्रहण किए जाने की तिथि से पांच वर्ष के लिए अथवा उनकी अधिवार्षिता की आयु तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, की गई है। श्री राजेश राय द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2023 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर श्री राजेश राय की नियुक्ति की शर्तें एवं निबंधन लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अंतर्गत शासित हैं।

श्रीमती एस जेयंति, निदेशक उत्पादन एवं निदेशक मानव संसाधन (अतिरिक्त प्रभार) (डीआईएन: 100591740)

संचार मंत्रालय द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2023 के आदेश संख्या ई-14-4/2021-पीएसए के अनुसार श्रीमती एस जेयंति को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए यथा 28 फरवरी 2023 तक अथवा नियमित चयनित उम्मीदवार द्वारा पद पर कार्यभार ग्रहण किए जाने होने तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक मानव संसाधन के पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

संचार मंत्रालय द्वारा दिनांक 19 मई 2023 के आदेश के माध्यम से श्रीमती एस जेयंति को पद का कार्यभार ग्रहण किए जाने की तिथि अर्थात 19 मई 2023 (अपराह्न) से 30 मई, 2026 अर्थात उनकी अधिवार्षिता की तिथि तक आईटीआई लिमिटेड के निदेशक उत्पादन के पद पर नियुक्त किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार, श्रीमती एस जेयंति कार्यालय पद का धारण आगामी वार्षिक आम बैठक की तिथि तक करेंगी।

निदेशक उत्पादन के पद पर श्रीमती एस जेयंति की नियुक्ति की नियुक्ति की शर्तें एवं निबंधन लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अंतर्गत शासित हैं।

श्री राजेश राय तथा श्रीमती एस जेयंति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अंतर्गत निदेशक के रूप में नियुक्त के पात्र हैं तथा उन्होंने कंपनी के निदेशक के रूप में कार्य करने की अपनी सहमति दे दी है। कंपनी को सदस्यों से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत नोटिस प्राप्त हुआ है,जिससे श्री राजेश राय और श्रीमती एस जेयंति की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति की मंशा स्पष्ट होती है।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा दिनांक 08 अगस्त, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में सदस्यों से श्री राजेश राय और श्रीमती एस जेयंति को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने की अनुशंसा की गई है ।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के अनुसार, प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति कंपनी की आम सभा में की जानी है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए आवश्यक संकल्प वार्षिक आम सभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं ।

यह माना गया है कि स्वतंत्र निदेशक के पद पर अपनी नियुक्ति के प्रस्तावित संकल्प को श्री राजेश राय और श्रीमती एस जेयंति की रुचि माना गया है।

मद संख्या 4 से 5 में संकल्प के प्रति कंपनी के किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके किसी संबंधी की वित्तीय अथवा अन्य किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं है।

श्री राजेश राय के पास कंपनी में अपनी व्यक्तिगत क्षमता से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए लाभकारी आधार पर शेयरों का धारण नहीं है। श्रीमती एस जेयंति के पास कंपनी के 50 इक्विटी शेयर हैं।

आपके निदेशक नोटिस में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार श्री राजेश राय को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और श्रीमती एस जेयंति को कंपनी के निदेशक उत्पादन निदेशक मानव संसाधन (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में नियुक्त करने के साधारण संकल्पों की अनुशंसा करते हैं।

इस नोटिस के **अनुलग्नक ख** में श्री राजेश राय और श्रीमती एस जेयंति का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

मद संख्या 6

निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की विभिन्न यूनिटों के लागत रिकार्डों की लेखापरीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षा समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करने का अनुमोदन प्रदान किया है :

क्र.सं.	लागत लेखापरीक्षक का नाम	जीएसटी सहित लेखा परीक्षा शुल्क (रुपए में)
1.	जीएनवी एंड एसोसिएट्स, बेंगलूरु	2,36,000
2.	अमन मालवीय एंड एसोसिएट्स, लखनऊ	80,000
	योग	**3,16,000**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के अंतर्गत नियुक्त किए जाने वाले कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण करने के लिए कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) के नियम 14 में सदस्यों से अनुसमर्थन प्राप्त करने की अपेक्षा की गई है।

तदनुसार, वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखापरीक्षक की नियुक्ति के उद्देश्य से सदस्यों के सम्मुख अनुमोदन के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव 3.16 लाख रुपए (लागू करों सहित) के पारिश्रमिक तथा ऊपरी खर्चों एवं वास्तविक व्यय के निर्धारण के साथ अनुसमर्थन का आवश्यक संकल्प पारित कर लिया गया है।

कंपनी का कोई भी निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अथवा उनके किसी संबंधित के वित्तीय अथवा अन्यथा स्वरूप में कोई हित नोटिस की मद संख्या 6 में सूचीबद्ध संकल्प के प्रति नहीं हैं।

आपके निदेशकों ने इस साधारण संकल्प पर सदस्यों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नोटिस में की गई प्रस्तावना के अनुसार अनुशंसा की है।

अनुलग्नक ख

सेबी सूचीबद्ध नियमों और लागू सचिवीय मानकों के विनियमन 36 के अंतर्गत आवश्यक नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

मद संख्या 2

श्री राकेश चन्द्र तिवारी, निदेशक - विपणन की पुनर्नियुक्ति

श्री राकेश चंद्र तिवारी को दिनांक 7 जनवरी 2021 से आईटीआई लिमिटेड के निदेशक (विपणन) के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 1985 बैच के भारतीय दूरसंचार सेवा अधिकारी, श्री तिवारी को दूरसंचार प्रबंधन, स्विच इंस्टॉलेशन, गुणवत्ता आश्वासन, नेटवर्क योजना एवं परिचालन, परियोजना कार्यान्वयन, उद्यम व्यवसाय विकास फिक्स्ड लाइन सेवाओं के विपणन आदि के क्षेत्रों में 3 दशकों से अधिक का समृद्ध और विविध अनुभव प्राप्त है।

आईटीआई लिमिटेड में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, श्री तिवारी बीएसएनएल निगमित कार्यालय, नई दिल्ली में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। आप बीएसएनएल में एंटरप्राइज बिजनेस पोर्टफोलियो के कार्य देख रहे थे। आपने बीएसएनएल में नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम (एनएफएस) तथा भारतनेट जैसी प्रतिष्ठित परियोजनाओं की संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने अहमदाबाद और जलगांव में कई सेमिनार और कौशल विकास पाठ्यक्रमों के आयोजन की व्यवस्था की है। आपको दूरसंचार विभाग / बीएसएनएल को प्रदत्त अभूतपूर्व सेवाओं के लिए संचार सारथी से भी सम्मानित किया गया है।

आप आरईसी कुरुक्षेत्र से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग में स्नातक और राष्ट्रीय प्रबंधन कार्यक्रम (एनएमपी) सहित एमडीआई गुरुग्राम से पीजीडीएम प्राप्त हैं। इसके पश्चात, आपने सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ आईआईएम अहमदाबाद से पीजीपी-पीएमपी पूरा किया। आपने मणिपाल सिक्किम यूनिवर्सिटी से मानव संसाधन में एमबीए भी किया है।

सूचीबद्धताा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार श्री राकेश चंद्र तिवारी से संबंधित अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

- वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति : **8**
- 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक पद धारिता का विवरण : **शून्य**
- 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता: **आईटीआई लिमिटेड में लेखा परीक्षा समिति के सदस्य**
- पिछले 3 वर्षों के दौरान अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक पद से त्यागपत्र का विवरण: **शून्य**
- वर्तमान में कंपनी में धारित शेयरों की संख्या (लाभार्थी स्वामी के रूप में धारित शेयरों सहित) : **शून्य**
- निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के मध्य अंतर-संबंधों का प्रकटीकरण: **शून्य**

मद संख्या. 4

श्री राजेश राय की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्ति

श्री राजेश राय को दूरसंचार उद्योग में 30 से भी अधिक वर्षों का समृद्ध अनुभव प्राप्त है तथा उन्होंने दिनांक 21 फरवरी 2023 को आईटीआई लिमिटेड (आईटीआई) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है।

आईटीआई में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री राजेश राय महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल), मुंबई में महाप्रबंधक (प्रशासन) के पद पर कार्यरत थे।

श्री राजेश राय ने 12 वर्षों तक मॉरीशस में महानगर टेलीफोन मॉरीशस लिमिटेड (एमटीएमएल) के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के प्रतिष्ठित पद पर भी कार्य किया है, जहाँ वे सीडीएमए, जीएसएम, 3जी और 4जी नेटवर्क तथा ग्राहक उपलब्धि के कार्य देख रहे थे।

आपने मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गोरखपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की स्नातक डिग्री, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एम.टेक (कंप्यूटर विज्ञान) तथा एफएमएस, दिल्ली विश्वविद्यालय से एमबीए की डिग्री प्राप्त की है।

सूचीबद्धताा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार श्री राजेश राय से संबंधित अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

- वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति : **वित्तीय वर्ष 2023 में श्री राजेश राय की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्ति के पश्चात से निदेशक मंडल की कोई बैठक आयोजित नह हुई है।**
- 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक पद धारिता का विवरण : **शून्य**
- 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता :**शून्य**
- पिछले 3 वर्षों के दौरान अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक पद से त्यागपत्र का विवरण: **शून्य**

  वर्तमान में कंपनी में धारित शेयरों की संख्या (लाभार्थी स्वामी के रूप में धारित शेयरों सहित) : **शून्य**
- निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के मध्य अंतर-संबंधों का प्रकटीकरण: **शून्य**

मद संख्या 5

निदेशक उत्पादन के रूप में श्रीमती एस जेयंति की नियुक्ति

श्रीमती एस जेयंति, निदेशक मानव संसाधन (अतिरिक्त प्रभार) तथा के पद पर कार्यरत हैं तथा उनके द्वारा दिनांक 19 मई 2023 को निदेशक उत्पादन के पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है।

श्रीमती एस जेयंति द्वारा वर्ष 1989 में सहायक कार्यकारी अभियंता के पद पर आईटीआई बेंगलूरु संयंत्र में कार्यभार ग्रहण किया गया था तथा उसके पश्चात आपने उत्पादन क्षेत्र में विभिन्न पदों पर सेवाएं प्रदान की हैं। श्रीमती एस जेयंति को दूरसंचार और संबद्ध उत्पादों के उत्पादन की सम्हलाई का 3 दशकों से अधिक अवधि का समृद्ध अनुभव प्राप्त है। श्रीमती एस जेयंति को वर्ष 2021 में पालक्काड युनिट के महाप्रबंधक-उत्पादन के पद पर पदोन्नत किया गया था।

श्रीमती एस जेयंति द्वारा बेंगलूरु संयंत्र की उत्पादन सुविधाओं के उन्नयन के कार्य सफलतापूर्वक निष्पादित किए गए हैं तथा उनके द्वारा रक्षा एवं इसरो के लिए प्रतिष्ठित ऑर्डर निष्पादित किए गए हैं।

श्रीमती एस जेयंति को मेप्को श्लेन्क इंजीनियरिंग कॉलेज, शिवाकाशी, तमिलनाडु से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में बीई स्नातक की डिग्री प्राप्त है।

सूचीबद्धताा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार श्रीमती एस जेयंति से संबंधित अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

- वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति : **वित्तीय वर्ष 2023 में श्रीमती एस जेयंति की नियुक्ति के पश्चात से निदेशक मंडल की कोई बैठक आयोजित नह हुई है।**
- 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक पद धारिता का विवरण : **शून्य**
- 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता :**शून्य**
- पिछले 3 वर्षों के दौरान अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक पद से त्यागपत्र का विवरण: **शून्य**
- वर्तमान में कंपनी में धारित शेयरों की संख्या (लाभार्थी स्वामी के रूप में धारित शेयरों सहित) : **50 इक्विटी शेयर**
- निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के मध्य अंतर-संबंधों का प्रकटीकरण: **शून्य**

अनुबंध-ग

रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों को निर्देश

रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नलिखित हैं:

1. वोटिंग की अवधि सोमवार, दिनांक 25 सितंबर, 2023 को पूर्वाह्न 09 बजे प्रारंभ होगी तथा बुधवार, दिनांक 27 सितंबर, 2023 को अपराह्न 5 बजे समाप्त होगी । इस अवधि के दौरान कटऑफ तिथि (रिकार्ड तिथि) दिनांक 21 सितंबर, 2023 के अनुसार कंपनी के शेयरों का भौतिक अथवा डीमेट स्वरूप में धारण करने वाले सदस्य इलेक्ट्रानिक विधि से अपना वोट दे सकेंगे । इसके पश्चात मतदान के लिए एनडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
2. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पहले ही अपना वोट दे चुके शेयरधारक एजीएम में वोट देने के पात्र नहीं होंगे।
3. सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9.12.2020 के साथ पठित सेबी परिपत्र दिनांक 13 मई 2022 के अनुसरण में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार सूचीबद्ध इकाईयों से अपने सदस्यों को, सभी शेयरधारक संकल्पों के लिए, रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा दिए जाने की अपेक्षा की गई है। तथापि, ऐसा देखने में आया है कि पब्लिक गैर-संस्थानिक शेयरधारकों / रिटेल शेयरधारकों की उपस्थिति का स्तर नगण्य होता है।

   वर्तमान में, अनेकों ई-वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) हैं जो भारत में सूचीबद्ध कम्पनियों को ई-वोटिंग की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए शेयरधारकों से ईएसपी के पास पंजीकरण करवाने एवं मल्टीप्ल यूजर आईडी एवं पासवर्ड तैयार करना अपेक्षित होता है।

   वोटिंग प्रक्रिया में सुगमता को और बढ़ाने के लिए, एक जन परामर्श के अनुसरण में, सभी डीमेट खाता धारकों को उनके डीमेट खाते / डिपोजिटरियों/ डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स की वेबसाइट के माध्यम से एकल लॉगिन विवरण ई-वोटिंग के उद्देश्य से प्रभावी करने का निर्णय लिया गया है। डीमेट खाता धारक अब अपना वोट ईएसपी के पास फिर से पंजीकरण किए जाने की आवश्यकता के बिना कर सकते हैं, जिससे, सत्यापन की प्रक्रिया निर्बाध रूप् से सम्पन्न हो सकेगी अपितु इससे ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेना भी सुगम हो सकेगा।
4. सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसम्बर, 2020 के उपबंधों के अनुसार डीमेट स्वरूप में सिक्योरिटिज का धारण करने वाले वैयक्तिक सदस्य अपना वोट डिपोजिटरी एवं डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अनुरक्षित अपने डीमेट खाते के माध्यम से कर सकते हैं। सदस्यों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के लिए अपना मोबाइल नम्बर तथा ईमेल आईडी अपने डीमेट खाते में अपडेट करवा लें ।

सेबी के उपरोक्त परिपत्र के अनुसार, डीमैट स्वरूप में सीडीएसएल/एनएसडीएल की प्रतिभूतियां करने वाले वैयक्तिक सदस्यों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि नीचे प्रस्तुत की गई है:

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के लिए

क) डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियों का धारण करने शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने की लॉगिन विधि।

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित सेबी के दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियां का धारण वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी तथा डिपॉजिटरी प्रतिभागियों द्वारा अनुरक्षित अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। शेयरधारकों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे ई-वोटिंग सुविधा तक पहुंच के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कर लें।

डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियां का धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि निम्नानुसार है:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक सदस्य	1. विद्यमान IDeAS आईडीईएएस उपयोक्ता अपने पर्सनल कम्प्यूटर अथवा अपने मोबाइल के माध्यम से एनएसडीएल की वेबसाइट https://eservices.nsdl.com पर विजिट कर सकते हैं। ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च होने के बाद, लॉगिन के अंतर्गत बेनिफिशियल ओनर आइकन पर क्लिक करें, जो IDeAS 'आइडीएएस' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी और आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत एक्सेस टू ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अथवा वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2. यदि उपयोगकर्ता IDeAS आईडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। IDeAS के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें पोर्टल का चयन करें अथवा https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अथवा अपने पर्सनल कंप्यूटर पर अथवा मोबाइल पर URL: https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, लॉगिन आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अथवा वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। 4. शेयरधारक / सदस्य निर्बाध वोटिंग अनुभव के लिए निम्नलिखित क्यू आर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल एप्प "एनएसडीएल स्पीडी" भी डाउनलोड कर सकते हैं। NSDL Mobile App is available on App Store Google Play
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक सदस्य	1. जिन प्रयोक्ताओं ने सीडीएसएल ईजी/ईज़ीएस्ट सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉग इन कर सकते हैं। बिना किसी और सत्यापन के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए ईज़ी/ईज़ीएस्ट में लॉग इन करने के लिए यूआरएल है www.cdslindia.com पर जाएं और लॉग इन आइकन पर क्लिक करें और New System Myeasi का चयन करें। 2. सफल लॉगिन के बाद ईज़ी/ईज़ीएस्ट उपयोगकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे, जहां इवोटिंग चल रही है। ईवोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अथवा वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं अर्थात सीडीएसएल/एनएसडीएल/कार्वी/लिंकइनटाइम की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें। 3. यदि उपयोगकर्ता Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प www.cdslindia.com पर उपलब्ध है तथा इसमें क्लीक करके लॉगिन करें और New System Myeasi पर क्लिक करने पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध होगा। 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर क्लिक करके ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा जैसा कि डीमैट खाते में दर्ज है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देखने में सक्षम होगा जहां वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक सीधे पहुंचने में भी सक्षम होगा। वैयक्तिक सदस्य (डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले) द्वारा अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। एक बार जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अथवा वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोटः जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट / वेबसाइटों पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी अर्थात सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों का धारण करने वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक सदस्य	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबरः 022-4886 7000 तथा 022-2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक सदस्य	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नम्बर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।

ख) डीमैट स्वरूप में वैयक्तिक सदस्यों के अलावा शेयरों का भौतिक स्वरूप में धारण करने वाले सदस्यों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि

1. अपने पर्सनल कम्प्यूटर अथवा मोबाइल के उपयोग से एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर विजिट करके निम्नलिखित यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें।
2. ई-वोटिंग प्रणाली का मुख पृष्ठ खुलने के पश्चात, लॉगिन आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' भाग में उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी तथा आपको अपनी लॉगिन आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी तथा स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।

   इसके विकल्प के तौर पर, यदि आप एनएसडीएल सर्विसेज यथा IDeAS के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा IDeAS लॉगिन के साथ https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ईसर्विसेज में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं अर्थात अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप से दे सकते हैं।
4. आपकी लॉगिन आईडी का विवरण नीचे दिया गया है:

डीमेट स्वरूप (एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल) अथवा भौतिक शेयरों के धारण के लिए	**आपका यूजर आईडी :**
क) उन सदस्यों के लिए जिनके धारित शेयर एनएसडीएल के डीमेट खाते में हैं	8 अक्षर वाली डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों वाली क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** तथा क्लांइट आईडी 12*** है तो आपकी यूजर आईडी IN300***12*** है।
ख) उन सदस्यों के लिए जिनके धारित शेयर सीडीएसएल के डीमेट खाते में हैं	16 अंकों की बेनिफिशयरी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी बेनिफिशयरी आईडी 12*** है तो आपकी यूजर आईडी 12*** है।
ग) भौतिक स्वरूप में शेयरों का धारण करने वाले सदस्यों के लिए	कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर के बाद EVEN नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलियो नम्बर 001*** है और EVEN नम्बरर 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** है।

5. वैयक्तिक सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों का पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है :
   क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं तो आप अपने लॉगिन के लिए अपने विद्यमान पासवर्ड का उपयोग करके अपना वोट दे सकते हैं।
   ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए कहेगा।
   ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे पुनः प्राप्त करें?
      (i) यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में अथवा कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपकी ईमेल आईडी पर सूचित किया जाता है। आपके मेलबॉक्स से एनएसडीएल द्वारा आपको भेजी गई ईमेल को ट्रेस करके खोलें और उसकी अटैचमेंट में से पीडीएफ फ़ाइल खोलें। पीडीएल फ़ाइल खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक अथवा भौतिक स्वरूप में धारित शेयरों के मामले में फोलियो नंबर है। पीडीएल फ़ाइल में आपकी 'यूजर आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' है।
      (ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन चरणों का अनुसरण करें जो उन शेयरधारकों के संबंध में दिया गया है जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं।
6. यदि आप प्रारंभिक पासवर्ड पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं अथवा यह आपको प्राप्त ही नहीं हुआ है अथवा आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं:
   क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details/Password?" (यदि आपके पास एनएसडीएल या सीडीएसएल के अपने डीमैट खाते में शेयर हैं) विकल्प पर क्लिक करें।
   ख) **"Physical User Reset Password?"** (यदि आपके पास फिजिकल मोड में शेयर हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।
   ग) यदि आप अभी भी उपरोक्त दो विकल्पों के उपयोग से पासवर्ड नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो आप अपना डीमैट खाता नंबर/फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपना पंजीकृत पता आदि का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं।
   घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।
7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के पश्चात चेक बॉक्स पर सेलेक्ट करके नियम एवं शर्तें से सहमत होने के लिए टिक करें।
8. अब, आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा।
9. लॉगिन बटन पर क्लिक करने के पश्चात ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम सभा में भाग लें।

1. चरण 1 पर सफल लॉगिन करने के पश्चात, आप उन सभी कम्पनियों को "EVEN" में देख सकेंगे जिनके शेयर आपके पास हैं और जिनका वोटिंग खुला तथा आम सभा सक्रिय स्थिति में है।
2. उस कंपनी के "EVEN" का चयन करें जिसकी रिमोट ई-वोटिंग अवधि अथवा आम सभा के दौरान आप वोट डालाना चाहते हैं। वर्चुअल बैठक में भाग लेने के लिए आपको ''वीसी/ओएवीएम'' लिंक पर क्लिक करना चाहिए जो ''Join Meeting के अंतर्गत दिया गया है।
3. अब वोटिंग पेज खुलने पर आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
4. यथोचित विकल्प अर्थात सहमत अथवा असहमत का चयन करके, शेयरों की संख्या का सत्यापन करके / संशोधन करके आप अपनी इच्छा के अनुसार अपना वोट डाल सकते हैं तथा इसके पश्चात ''सब्मिट'' और ''कंफर्म'' पर क्लिक कर सकते हैं।
5. पुष्टि के तौर वोट सफलतापूर्वक डाले जाने का संदेश प्रदर्शित होगा।

6. आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने वोट का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।

7. एक बार संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि किए जाने के पश्चात आप अपने वोट में बदलाव नहीं कर सकते हैं।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थानिक सदस्यों (अर्थात वैयक्तिक, एचयूएफ , एनआरआई आदि के अलावा) से यह अपेक्षित है कि वे अपने संबंधित निदेशक मंडल संकल्प/ प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ / जेपीजी फार्मेट) उन व्यक्तियों के साक्ष्यांकित हस्ताक्षरों का वोट देने के पात्र अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के हस्ताक्षर के साथ स्क्रूटनाइजर को dvenkatacs@gmail.com को ई-मेल के माध्यम से भेजें तथा उसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in भी भेजें। संस्थानिक सदस्य (वैयक्तिक, एचयूएफ , एनआरआई आदि के अलावा) अपने ई-वोटिंग टैग में लॉगिन करके अपलोड निदेशक मंडल संकल्प / अधिकार पत्र पर क्लिक करके अपने निदेशक मंडल संकल्प / पावर ऑफ अटॉर्नी / अधिकार पत्र आदि को भी अपलोड कर सकते हैं।

2. अत्यधिक दृढता के साथ यह अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर न करें तथा अपने पासवर्ड को गोपनीयता बनाए रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। गलत पासवर्ड दर्ज करने के पांच असफल प्रयासों के पश्चात ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन बंद कर दी जाएगी। ऐसा होने पर आपको www.evoting.nsdl.com वेबसाइट पर **F orgot User Details/Password or Physical User R eset Password** के माध्यम से अपना पासवर्ड रिसेट करना होगा।

3. किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए शेयरधारकों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड भाग में उपलब्ध शेयरधारकों के ई-वोटिंग यूजर मैनुअल से संदर्भ प्राप्त कर सकते हैं अथवा 022 - 4886 7000 एवं 022 - 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं अथवा श्री फाल्गुनी चक्रबर्ती, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध कर सकते हैं।

जिन सदस्यों की ईमेल आईडी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उन सदस्यों के लिए इस नोटिस में दिए गए प्रस्तावों हेतु यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-वोटिंग के लिए ईमेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया :

1. यदि शेयर भौतिक स्वरूप में हैं तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार कार्ड (स्वयं सत्यापित आधार कार्ड की स्कैन की गई प्रति) की प्रति ईमेल cosecy_crp@itiltd.co.in. के माध्यम से प्रस्तुत करें।

2. यदि शेयर डीमैट स्वरूप में हैं, तो कृपया डीपी आईडी क्लाइंट आईडी (16 अंक डीपीआईडी क्लाइंट आईडी अथवा 16 अंक की बेनिफिशियरी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन कार्ड (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति) कार्ड की प्रति cosecy_crp@itiltd.co.in पर भेजें। यदि आप डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियों का धारक करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक हैं तो आपसे अनुरोध है कि चरण 1 (क) में बताई गई लॉगिन विधि देखें, अर्थात ई-वोटिंग तथा वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि और डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों की लॉगिन विधि।

3. वैकल्पिक रूप से शेयरधारक/सदस्य ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर उपर्युक्त दस्तावेजों के साथ अनुरोध भेज सकते हैं।

4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा के संबंध में सेबी के दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी एवं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति दी गई है। ई-वोटिंग सुविधा तक पहुंच बनाने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।

वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं।

1. ए.जी.एम. के दिन ई-मतदान की प्रक्रिया सुदूर ई-मतदान के लिए ऊपर उल्लिखित अनुदेशों के समान होगी।

2. केवल ऐसे शेयरधारक जो वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. की सुविधा द्वारा ए.जी.एम. में उपस्थित होंगे और जिन्होंने सुदूर ई-मतदान द्वारा संकल्पों पर अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है और जो अन्यथा ऐसा करने के लिए बाधित नहीं किए गए हैं, ए.जी.एम. के दौरान उपलब्ध ई-मतदान सुविधा के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

3. जिन सदस्यों ने सुदूर ई-मतदान द्वारा मतदान किया है, वे ए.जी.एम. में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। बहरहाल, वे ए.जी.एम. में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

4. वार्षिक आम बैठक के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए सम्पर्क व्यक्ति का विवरण वही है जिसका उल्लेख रिमोट ई-वोटिंग के लिए किया गया है।

वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. द्वारा ए.जी.एम. में शामिल होने वाले सदस्यों के लिए अनुदेश इस प्रकार हैं -

1. सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के उपयोग से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुंच के लिए ऊपर उल्लेख किए गए चरणों का अनुसरण कर सकते हैं। सफल लॉगिन के पश्चात, आप कंपनी के नाम के सामने ज्वाइन मीटिंग मेनू के अंतर्गत वीसी/ओएवीएम का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि ज्वाइन मीटिंग मेनू के अंतर्गत वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम का लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का ईवीईएन आपको दिखाई देगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है अथवा वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

2. सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप / आई पैड द्वारा बैठक में शामिल हों।

3. इसके अलावा, शेयरधारकों को बैठक के दौरान किसी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए कैमेरा और अच्छी स्पीड के इंटरनेट का उपयोग करना होगा।

4. कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से अथवा मोबाइल हॉटस्पॉट के ज़रिए कनेक्ट होने वाले लैपटॉप से जुड़ने वाले प्रतिभागी अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढाव के कारण ऑडियो / वीडियो में बाधा हो सकती है। इसलिए, यह सुझाव दिया जाता है कि वे स्थिर वाइ-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करें ताकि इस तरह का व्यवधान कम हो।

5. जो सदस्य अपने विचार व्यक्त करना/जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर के उल्लेख के साथ अपने प्रश्न cosecy_crp@itiltd.co.in को भेज सकते हैं। कंपनी द्वारा इसका यथोचित उत्तर दिया जाएगा।

6. ऐसे शेयरधारक जिन्होंने स्पीकर के रूप में स्वयं को दर्ज कराया है, केवल उन्हें बैठक के दौरान अपने विचार / प्रश्न रखने की अनुमति होगी। कंपनी ए.जी.एम. में समय की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए स्पीकरों की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

7. जो सदस्य ए.जी.एम. के दौरान कुछ बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन कुछ पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या / फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर उल्लेख करते हुए बैठक से 7 दिन पहले अग्रिम रूप से अपना अनुरोध cosecy_crp@itiltd.co.in में भेजें। उनके प्रश्नों के उत्तर कंपनी द्वारा ईमेल के माध्यम से दिए जाएँगे।

अन्य अनुदेश

1. वार्षिक आम बैठक में मतदान समाप्त होने के तुरंत पश्चात, स्क्रूटनाइजर द्वारा एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों को अनब्लॉक कर दी जाएगी तथा वार्षिक आम सभा की समाप्ति के 48 घंटे के भीतर पक्ष अथवा विपक्ष में डाले गए कुल वोटों, यदि कोई हो, की समेकित स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा लिखित में अधिकृत व्यक्ति को सौंपी जाएगी, जो उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

2. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.itiltd.in पर और एन.डी.एस.एल. की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर तुरंत डाले जाएँगे। इसके साथ ही कंपनी परिणामों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बी.एस.ई. लिमिटेड, जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, को अग्रेषित करेगी।

दस वर्ष के संक्षिप्त आंकड़े

परिचालन परिणाम	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
सेवाओं सहित बिक्री	**1589**	2077	2578	2403	1894	1703	1611	1253	620	770
स्टॉक में अभिवृद्धि / (ह्रास)	**33**	19	9	40	11	(12)	18	-	(2)	(2)
उत्पादन मूल्य	**1622**	2096	2586	2444	1905	1691	1629	1253	618	768
अन्य आय**	**53**	255	161	184	336	381	542	598	86	40
प्रत्यक्ष सामग्री	**438**	741	446	508	605	545	605	670	185	137
संस्थापन एवं अनुरक्षण पर प्रभार	**777**	714	1,472	1114	784	526	642	318	214	382
कर्मचारी लागत **	**229**	222	290	231	204	226	301	332	321	337
मूल्यह्रास	**49**	51	42	42	37	25	17	13	15	17
वित्तपोषण व्यय	**210**	192	160	141	106	153	153	157	157	122
स्थापना और रखरखाव को छोड़कर अन्य आय पर कम शुल्क	**332**	311	327	445	412	367	187	124	110	159
लाभ	**(360)**	120	11	147	93	230	266	238	(298)	(346)
पूर्व अवधि समायोजन	**-**	-	-	-	-	-	-	-	1	2
असाधारण मद	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कराधन के पहले लाभ	**(360)**	120	11	147	93	230	266	238	(297)	(344)
कर / आस्थगित कर / एफआरबी के लिए प्रावधान	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़े : पिछले वर्षों हेतु प्रस्तावित कर अधिक समय के लिए आवश्यक नहीं	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कराधन के बाद लाभ	**(360)**	120	11	147	93	230	266	238	(297)	(344)
अन्य व्यापक आय	**(61)**	(15)	20	4	18	5	39	17	-	-
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (व्यापक लाभ/ (हानि) अवधि के लिए अन्य व्यापक आय)	**(421)**	105	31	151	111	235	305	255	-	-
वित्तीय स्थिति	**2022-23**	**2021-22**	**2020-21**	**2019-20**	**2018-19**	**2017-18**	**2016-17**	**2015-16**	**2014-15**	**2013-14**
इक्विटी	**950**	934	934	925	897	760	560	288	288	288
अधिमान शेयर	**-**	-	-	-	-	-	-	-	300	300
अधिमान शेयर आवेदन	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पैसा प्राप्त आबंटन लंबित	**107**	71.56	-	-	55	137	-	192	192	-
आरक्षित निधि तथा अधिशेष	**5791**	5716	5731	5613	2847	2824	2814	2769	2735	2718
पुनर्मूल्यांकन आरक्षित	**-**	-	-	-	2335	2339	2348	2354	2360	2374
बट्टे खाते में डाले गए विविध व्यय	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लाभ और हानि लेखा (नामे)	**4508**	4148	4256	4255	4340	4432	4663	4929	5166	4869
निवल मूल्य निधि पुनर्मूल्यांकन ##	**2340**	2573	2408	2282	1794	1628	1059	674	713	819
आरक्षित के साथ बट्टे खाते में डाले गए डीआरई पर पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निवल मूल्य निधि ##	**2340**	2573	2408	2282	(541)	(711)	(1289)	(1680)	(1647)	(1555)
सहायता अनुदान	**-**	-	-	-	-	-	-	-	4	8
बांड	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य उधार और आस्थगित ऋण	**1696**	1372	1164	1036	959	926	879	839	921	876
सकल ब्लाक #	**3014**	2942	2864	2814	2775	2663	2524	3737	3690	3696
मूल्यह्रास #	**262**	213	163	121	80	43	18	1279	1267	1243
निवल ब्लाक	**2752**	2729	2700	2693	2695	2620	2506	2458	2423	2453
पूँजीगत चालू वर्ष	**139**	150	169	189	165	149	102	92	33	21
परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम: (चालू और गैर-चालू)										
मालसूची	**250**	193	194	173	149	156	142	104	93	96
देनदार	**2626**	2966	2905	3120	2659	3086	2196	2743	2219	2152
अन्य	**3690**	3502	2907	1508	1292	996	566	436	572	366
कुल	**6566**	**6661**	**6006**	**4801**	**4100**	**4238**	**2904**	**3283**	**2884**	**2614**

वर्ष 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13 और 2011-12 के उत्पाद शुल्क और सेवाएं कर, कुल बिक्री और उत्पादन मूल्य के साथ सम्मिलित है,, जबकि शेष वर्षों के लिए केवल उत्पाद शुल्क सम्मिलित है। वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए उत्पादन का कुल बिक्री और मूल्य में केवल जीएसटी शामिल है।

*2012-13 के कुछ आंकड़ों को संशोधित अनुसूची-III के अनुसार पुर्नवर्गीकृत किया गया है ।

**भारत सरकार से प्राप्त वित्त पोषित वीआरएस के खाते में वित्तीय वर्ष 2021-22, वित्तीय वर्ष 2020-21, वित्तीय वर्ष 2019-20, वित्तीय वर्ष 2017-18 और वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 4.81 करोड़ रुपये, 66.75 करोड़ रुपये, 4.39 करोड़ रुपये, 2.86 करोड़ रुपये और 33.72 करोड़ रुपये कर्मचारियों की लागत और अन्य आय शामिल हैं।

#आईएनडी एएस कार्यान्वयन के कारण 01.04.2016 से, खातों की किताबों में समेकित लागत के रूप में शुद्ध वाहक मूल्य लिया गया है ।

##वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार संशोधित आंकड़े।

वित्तीय स्थिति	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
देयता और प्रावधान (चालू और गैर-चालू)$	**5241**	5355	5004	4185	3907	4153	3274	4021	3406	3393
कार्यशील पूँजी	**(221)**	85	(342)	(456)	(498)	(642)	(1054)	(1478)	(1311)	(1501)
प्रयुक्त पूँजी (निवल स्थायी परिसंपत्तियाँ कार्यशील पूँजी)	**2531**	2814	2358	2237	2197	1978	1452	980	1112	952
निधियों के स्रोत:										
शेयरधारकों का निधि	**2340**	2573	2408	2282	1794	1628	1059	674	713	819
उधार	**1876**	1612	1464	1216	1259	1226	1179	1139	1223	876
निवल गैर चालू देयताएं	**(24)**	(74)	(178)	(36)	268	199	195	98	131	155
आस्थगित कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**4191**	**4111**	**3694**	**3462**	**3321**	**3053**	**2433**	**1911**	**2067**	**1850**
निधि का विनियोग:										
निवल स्थाई परिसंपत्तियाँ	**2752**	2729	2700	2693	2695	2620	2506	2458	2423	2453
कार्यशील पूँजी (नकदी ऋण के अलावा)	**1355**	1397	822	579	460	283	(176)	(640)	(390)	(625)
पूँजीगत चालू कार्य	**139**	150	169	189	165	149	102	92	33	21
निवेश	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1
कुल	**4247**	**4277**	**3692**	**3462**	**3321**	**3053**	**2433**	**1911**	**2067**	**1850**
वित्तीय अनुपात	**2022-23**	**2021-22**	**2020-21**	**2019-20**	**2018-19**	**2017-18**	**2016-17**	**2015-16**	**2014-15**	**2013-14**
कार्यशील पूँजी अनुपात:										
चालू अनुपात	0.97:1	1.01:1	0.94:1	0.91:1	0.89:1	0.87:1	0.73:1	0.69:1	0.66:1	0.62:1
उत्पादन मूल्य के माह की सं. में कार्यशील पूँजी	लागू नही	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
उत्पादन मूल्य के माह की सं. में कार्यशील	1.85	1.12	0.90	0.85	0.94	1.11	1.05	1.00	1.81	1.50
विक्रय और सेवाओं के माह में देनदार (अग्रिम का निवल)	11.84	10.75	8.38	12.26	12.85	16.31	14.13	18.28	38.76	30.22
कार्यशील पूँजी से कु ल परिसंपत्तियों (%)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
प्रत्यक्ष सामग्री की लागत से उत्पादन मूल्य उत्पाद शुल्क सहित (%)	26.99	35.34	17.24	20.78	31.76	32.23	37.14	53.47	29.94	17.84
प्रत्यक्ष सामग्री की लागत एवं संस्थापन प्रभार से उत्पादन मूल्य उत्पाद शुल्क सहित (%)	74.88	69.40	74.16	66.34	72.91	63.34	76.55	78.85	64.56	67.58
शेयरपूंजी अनुपात को ऋण	0.81	0.64	0.62	0.60	2.88	3.30	-	-	-	-
इक्विटी (आरओई)/ शुद्ध मूल्य अनुपात पर वापसी	(15)	0.132	0.032	0.03	(0.17)	(0.14)	-	-	-	-
निवल लाभ मार्जिन (%)	-25.81%	6.45%	0.47%	7.16%	5.55%	6.82%	-	-	-	-
देनदारी/ प्राप्य कु लबिक्री अनुपात	0.5	0.63	0.78	0.71	0.58	0.54	-	-	-	-
इन्वेंट्री कु ल बिक्री अनुपात	6.89	9.07	12.53	11.82	11.90	9.48	-	-	-	-
ब्याज कवरेज/ऋण सेवा कवरेज अनुपात	-0.98	1.73	1.08	1.49	1.01	1.01	-	-	-	-
परिचालन लाभ मार्जिन (%)	-9.1%	6.40%	2.67%	7.82%	1.00%	-3.25%	-	-	-	-

वित्तीय अनुपात	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
संवृद्धि अनुपात :										
सकल निरुद्ध पूँजी में वार्षिक संवृद्धि (%)	(22.62)	(18.96)	5.84	28.28	12.66	3.81	30.01	102.75	(19.53)	(15.60)
पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर (%) $	2.6	2.74	1.77	539.55	35.80	84.09	(87.27)	3.98	(0.58)	0.10
अन्य आंकड़े	**2022-23**	**2021-22**	**2020-21**	**2019-20**	**2018-19**	**2017-18**	**2016-17**	**2015-16**	**2014-15**	**2013-14**
कुल विक्रय संघटन										
बीएसएनएल/एमटीएनएल और अन्य संस्थान	196	282	237	309	974	1188	1083	592	239	260
अन्य	1393	1796	2341	2094	920	515	528	661	381	510
कुल	**1589**	**2077**	**2578**	**2403**	**1894**	**1703**	**1611**	**1253**	**620**	**770**
मूल्य वृद्धि	196	408	438	463	276	324	283	177	153	164
31 मार्च तक कार्मिकों की संख्या	2094	2442	2876	3498	3520	3576	4052	5229	6177	7311
प्रति कार्मिक मूल्य वृद्धि (₹)	863095	1534081	1372767	1319464	777903	849502	609848	310363	226868	207241
प्रति कार्मिक उत्पादन वृद्धि (₹)	7151003	7882663	8115593	6964213	5369222	4433665	3510398	2197089	916370	970493

$ 1. सरकारी अनुदान का अनुचित हिस्सा (अनुदान दस्तावेज की शर्तों के अनुसार) को अन्य इक्विटी से अलग वर्गीकृत किया जाता है और गैर-मौजूदा देनदारियों के रूप में दिखाया जाता है।

$ 2. चूंकि बरीयता शेयर गैर परिवर्तनीय और अतिदेय हैं, वही शेयर पूंजी से हटा दिया गया है और वर्तमान वित्तीय देयता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। (कोष्ठक में प्रस्तुत आंकड़े ऋणात्मक आंकड़े है)

आँकड़े एक झलक

करोड़ रु. में

तुलनपत्र		31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को
(क) कंपनी स्वामित्व की संपत्तियाँ				
स्थाई परिसंपत्तियाँ		3014		2942
घटाएं : मूल्यह्रास		262		213
निवल ब्लाक		2752		2729
पूँजीगत चालू कार्य		139		150
निवेश				
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	6369		6424	
घटाएं : चालू देयताएं	6590		6340	
		-221		84
जोड़ें: गैर-चालू परिसंपत्तियाँ,		197		237
		2867		3200
(ख) घटाएं : कंपनी की देनदारियाँ:				
गैर चालू देयताएं		527		627
(ग) शेयरधारकों की निधि (क) - (ख)		2340		2573
निम्नलिखित द्वारा अधिशेष :				
शेयर पूँजी		950		934
आरक्षित निधि तथा अधिशेष	3411		3275	
पुनर्मूल्यांकन आरक्षित				
अनुदान सहायता	107		72	
घटाएं : लाभ और हानि खाता (डेबिट)	2128		1708	
		1,390		1,639
		2,340		2,573

लाभ और हानि लेखा	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) कंपनी अर्जन		
सेवाओं सहित विक्रय (जीएसटी सहित)	1,589	2,077
अन्य आय	53	255*
प्रक्रियाधीन कार्य भंडार माल और विनिर्मित घटक में वृद्धि / (ह्रास)	33	19
	1,675	2,351
(ख) कंपनी का व्यय		
सामग्री	1,214	1,455
कर्मचारी लागत	229	222
मूल्यह्रास	50	51**
वित्तपोषण व्यय	210	192
अन्य व्यय (जीएसटी सहित)	332	311
	2,035	2,231
(ग) कर (क-ख) पूर्व लाभ/(हानि)	(360)	120***
(घ) घटाएं : कराधान का प्रावधान	0	0
(ङ) कर के बाद लाभ**	(360)	120
(च) अन्य व्यापक आय	(61)	(15)
(छ) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (व्यापक लाभ/(हानि) और अवधि के लिए अन्य व्यापक आय)	(421)	105

* अन्य आय में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा 30.06.2018 की स्थिति के दौरान कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य निधि एवं उपदान दायित्व की पूर्ति के लिए स्वीकृत 214.29 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

** वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मूल्यह्रास को बहाल कर दिया गया है।

*** वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 120 करोड़ रुपये का लाभ 214.29 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के साथ है।

करोड़ रु. में

निधियों के स्रोत और उपयोग	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को स माप्त वर्ष के लिए
निधियों के स्रोत		
1. मूल्यह्रास	50	51
2. उधार में वृद्धि	324	208
3. कार्यशील पूँजी में कटौती	0	0
4. प्राप्त राजस्व अनुदान सहायता	0	214
5. प्राप्त पूँजीगत अनुदान सहायता	187	72
6. गैर-चालू देयताओं में वृद्धि	0	0
7. गैर मौजूदा परिसंपत्ति में कमी	40	117
8. क) कर पूर्व लाभ*	0	120*
ख) अन्य व्यापक आय	-61	-15
	540	767
निधियों के उपयोग		
1. करोपरांत हानि	360	0
2. उधार में कमी	0	0
3. कार्यशील पूँजी में वृद्धि	18	482
4. स्थाई परिसंपत्तियाँ	61	59
5. अन्य इक्विटी में परिवर्तन	0	0
6. प्रयुक्त पूँजीगत सहायता अनुदान	0	0
7. प्रयुक्त राजस्व सहायता अनुदान	0	219
8. गैर चालू देयताओं में कमी	101	7
9. गैर-मौजूदा परिसंपत्तियों में वृद्धि	0	0
	540	767
*** वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 120 करोड़ रुपये का लाभ 214.29 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के साथ है।**		

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

आपका निदेशक मंडल आपके सम्मुख आपकी कंपनी ("कंपनी" अथवा "आईटीआई") के व्यवसाय परिचालनों के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (स्टैंडएलोन एवं समेकित), लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ अपनी रिपोर्ट की प्रस्तुति कर रहे हैं।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा फरवरी 2014 में आईटीआई लिमिटेड के लिए अनुमोदित पुनरुद्धार योजना के अनुसरण में कंपनी के लिए 4156.79 करोड़ रुपए की राशि का अनुमोदन दिया गया था। इस पैकेज में पूंजी व्यय (कैपेक्स) निधि के लिए इक्विटी के रूप में 2264 करोड़ रुपए और अनुदान सहायता के रूप में 1892.79 करोड़ रुपए की राशि शामिल हैं। कंपनी को वर्ष 2014-15 के पश्चात से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक पूंजी व्यय के प्रति 1132.56 करोड़ रुपए तथा इक्विटी अनुदान सहायता की सम्पूर्ण राशि क्रमबद्ध स्वरूप में प्राप्त हो चुकी है।

पुनरूद्धार योजना में सांविधिक देयता के प्रति अतिदेय 360 करोड़ रुपए की राशि के प्रावधान (1892.79 करोड़ रुपए का भाग) शामिल किए गए थे। कंपनी को फरवरी, 2016 के पश्चात से 360 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था तथा अंतिम किश्त मार्च, 2018 में प्राप्त हुई थी। इसके परिणामस्वरूप, 30 जून 2018 तक बकाया सांविधिक देनदारी में 299.69 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी देरी से भुगतान के कारण हुई है। वर्ष 2020-21 में सांविधिक देयता के प्रति प्राप्त 299.69 करोड़ रुपए (गैर योजना - राजस्व) की अतिरिक्त राहत के रूप में प्राप्त हुई है जिसमें से 2020-21 और 2021-22 के दौरान 120.40 करोड़ रुपए; 3 अप्रैल, 2023 को 25 करोड़ रुपए तथा शेष 154.29 करोड़ रुपए की राशि 15 जून, 2023 को प्राप्त हुई है।

कैपेक्स निधि का निवेश दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी उत्पादों, सेवाओं और समाधानों के क्षेत्र की उदयीमान प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से आईटीआई की विभिन्न यूनिटों में निर्माण अवसंरचना उन्नयन के लिए किया गया है। इन परियोजनाएँ आईटीआई को अपनी विनिर्माण ताकत फिर से हासिल करने में मदद की है। पुनरुद्धार पैकेज निधि के अंतर्गत स्थापित अत्याधुनिक अवसंरचना से भारत सरकार के "मेक इन इंडिया" मिशन की अनुरूपता के अनुसार घरेलू बाजार की मांग की पूर्ति के लिए निर्माणक्षमता में संवर्धन हुआ है।

वित्तीय निष्पादन

पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कंपनी के संक्षिप्त निष्पादन (एकल आधार) निम्नलिखित हैं:

रुपए करोड़ में

क्र.सं.	विवरण	2022-23	2021-22
1	सेवाओं सहित बिक्री	1589	2077
2	उत्पादन मूल्य	1622	2097
3	कर पूर्व (लाभ)/हानि	(360)	120
4	कर पूर्व (हानि)/लाभ	(360)	120
5	अन्य व्यापक आय	(61)	(15)
6	कुल व्यापक आय	(421)	105
7	वित्तीय व्यय	210	192
8	मूल्यह्रास	49	51
9	नियोजित पूंजी (निवल स्थिर परिसम्पतियां + कार्यशील पूंजी)	2531	2657
10	अनुसंधान एवं विकास व्यय	14	15

समेकित निष्पादन

परिचालनों से समेकित राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 25% की बढ़ोतरी के साथ 1395 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1861 करोड़ रुपए) हो गया है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान (118.71) करोड़ रुपए के कर पश्चात लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्त कर पश्चात लाभ (359.85) करोड़ रुपए है।

परिचालन निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी की टर्नओवर पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में हासिल 2077.48 करोड़ रुपए की तुलना में 1588.60 करोड़ रुपए है।

उत्पादन की प्रमुख विशेषताएं

आईटीआई लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण अर्थात रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों एवं प्रणालियों का अग्रणी प्रदाता है। हमारी अत्याधुनिक तकनीक और समाधान उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन स्थापित होंगे और यह इसे अगले स्तर पर ले जाएंगे। वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी विभिन्न यूनिटों में रक्षा, लैपटॉप/पीसी, सौर पैनल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, हाई-डेंसिटी पॉलीथीन (एचडीपीई), स्विच्ड मोड पावर सप्लाई (एसएमपीएस) आदि के लिए एनक्रिप्टर का निर्माण किया है।

आर्डर बुक की स्थिति

कंपनी की आर्डर बुक की स्थिति 30 जून 2023 की स्थिति के अनुसार 11,460.14 करोड़ रुपए है ।

कंपनी की महत्वपूर्ण उपलब्धियां:

- आईटीआई लिमिटेड को पश्चिम क्षेत्र में आरक्षण कोटा (आरक्यू) के तहत बीएसएनएल से 4जी रोलआउट के लिए 2421.49 करोड़ रुपए का क्रयादेश (पीओ) प्राप्त हुआ है । बीएसएनएल द्वारा पश्चिम क्षेत्र में रिजर्वेशन कोटा (आरक्यू) आर्डर के लिए क्रयादेश (पीओ) जारी किया गया है। कार्य स्कोप में बीएसएनएल नेटवर्क के पश्चिमी क्षेत्र में 23,633 साइटों के लिए 4जी मोबाइल नेटवर्क की योजना, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग, एकीकरण और वार्षिक रखरखाव शामिल है।
- इसरो द्वारा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) के सभी गुणवत्ता मानदंडों की अनुरूपता के अनुसार समयबद्ध विधि से एलवीएम3 एम2/वनवेब इंडिया-1 मिशन के लॉन्च से संबंधित उड़ान पैकेजों को साकार करने के लिए आईटीआई लिमिटेड, पालक्काड संयंत्र की सराहना की गई है। एलवीएम3/एम2/वनवैब इंडिया-1 मिशन का प्रक्षेपण 23 अक्टूबर, 2022 को सफलतापूर्वक पूरा किया गया था तथा सभी 36 उपग्रहों को उनकी आशित कक्षाओं में सटीक रूप से स्थापित किया गया। इसरो को हासिल यह सफलता अनेक बाह्य साझेदारों की भागीदारी से संभव हुई है। आईटीआई लिमिटेड, पालक्काड एक प्रमुख उद्योग भागीदार था जिसके लिए वीएसएससी की निर्भरता एवियोनिक्स पैकेजों की प्राप्ति पर है। आईटीआई लिमिटेड, पालक्काड द्वारा निर्मित विभिन्न पैकेजों ने एलवीएम3 एम2 मिशन में सफलतापूर्वक उड़ान संभव हुई है।
- पालक्काड संयंत्र की सहभागिता 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के प्रतिष्ठित चंद्रयान मिशन एलवीएम3-एम4 में है। मिशन के लिए उपयोग में लाए गए कुल पैकेजों में से, 55 पैकेज आईटीआई पालक्काड टीम द्वारा तैयार किए गए हैं।
- आईटीआई लिमिटेड, नैनी ने 1.3 मेगावाट क्षमता के रूफटाप सोलर संयंत्र की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमपीपीकेवीवीसीएल), जबलपुर के साथ गैर-प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- आईटीआई लिमिटेड, पालक्काड संयंत्र को केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टैक्नोलॉजी फार एजुकेशन (केआईटीई) तथा केरल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से आईटीआई मेक के 9223 लैपटॉप की आपूर्ति का क्रयादेश प्राप्त हुआ है।
- बिहार में प्रधान मंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण (बीआरईडीए) द्वारा आईटीआई नैनी यूनिट को परियोजना निष्पादन एजेंसी के दायित्व सौंपे गए हैं। योजना के अंतर्गत आईटीआई को कुल 11 जिलों के लिए अवार्ड दिए गए हैं तथा 40830 सौर स्ट्रीट लाइट सिस्टम की आपूर्ति का आर्डर प्राप्त हुआ है।
- आईटीआई लिमिटेड मनकापुर संयंत्र को सी-डॉट से मैसर्स रेलटेल लिमिटेड को 40,000 ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल (ओएनटी)23 की आपूर्ति का आर्डर प्राप्त हुआ है।
- आईटीआई लिमिटेड मनकापुर संयंत्र को 5 वर्ष की एएमसी सेवाओं सहित 1500 ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल -4पी की आपूर्ति के लिए बीएसएनएल से आर्डर प्राप्त हुआ है।

- आईटीआई लिमिटेड मनकापुर संयंत्र ने अपने आंतरिक उत्पाद को 24 फाइबर एफडीएमएस (फाइबर वितरण प्रबंधन प्रणाली) के रूप में विकसित किया है। यह उत्पाद टैनफिनेट परियोजना में आपूर्ति के लिए निर्मित किया गया है।
- आईटीआई लिमिटेड ने सी-डॉट प्रौद्योगिकी के साथ रेडियो एक्सेस नेटवर्क (आरएएन) का निर्माण पूरा कर लिया है। बीएसएनएल नेटवर्क में अवधारणा प्रमाण (प्रूफ ऑफ कंसेप्ट) के लिए अंबाला और फ़रीदाबाद साइटों पर बी28 और बी8 बैंड आरएएन उपकरण की आपूर्ति की गई है। अन्य बैंड 1, 41 तथा 3 में आरएएन के विनिर्माण की प्रक्रिया की जा रही है। आईटीआई ने भारतीय रेलवे के साथ पीओसी (अवधारणा प्रमाण) के लिए बी28 आरएएन तैनात करने की भी योजना बनाई है।
- इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस/ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्पैटिबिलिटी लैब टेलीकॉम टेस्टिंग सेंटर का भाग है जिसका निर्माण बाजार में लॉन्च किए गए टेलीकॉम उपकरणों की ईएमसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बेंगलुरु संयंत्र में किया गया है। यह प्रयोगशाला अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार दूरसंचार इंजीनियरिंग केन्द्र की उत्सर्जन और प्रतिरक्षा अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए औद्योगिक, वैज्ञानिक, चिकित्सा और आईटी उपकरणों का परीक्षण कर सकती है। रक्षा एवं वाणिज्य उपकरण के लिए एमआईएल-एसटीडी-461 का अनुसरण किया जाता है तथा इनका परीक्षण सीआईएसपीआर 11/22/15/32 के अनुसार किया जा सकता है।
- इस प्रयोगशाला को अब नीचे उल्लिखित प्रक्रियाओं के लिए एमआईएल मानक -461 ई/एफ/जी परीक्षण प्रणाली में अपग्रेड किया गया है:
  1. सीई101 (उत्सर्जन, पावर लीड, 30 हर्ट्ज से 10 किलोहर्ट्ज़ की प्रक्रिया)
  2. सीई102 (उत्सर्जन, पावर लीड, 10 किलोहर्ट्ज़ से 10 मेगाहर्ट्ज़ की प्रक्रिया)
  3. सीएस101 (संवेदनशीलता, पावर लीड, 30 हर्ट्ज से 150 किलोहर्ट्ज़ की प्रक्रिया)
  4. सीएस109 (संवेदनशीलता, स्ट्रक्चरल करेंट, 60 हर्ट्ज से 100 किलोहर्ट्ज़)
  5. आरई101 (रेडिएटिड उत्सर्जन, चुंबकीय क्षेत्र, 30 हर्ट्ज से 100 किलोहर्ट्ज़ की प्रक्रिया)
  6. आरई102 (रेडिएटिड उत्सर्जन, इलेक्ट्रिक क्षेत्र, 10 किलोहर्ट्ज़ से 18 गीगाहर्ट्ज़ की प्रक्रिया)
  7. आरएस101 (रेडिएटिड संवेदनशीलता, चुंबकीय क्षेत्र, 30 हर्ट्ज से 100 किलोहर्ट्ज़ की प्रक्रिया)
  8. सीएस114 (संवेदनशीलता, बल्क केबल इंजेक्शन, 10 किलोहर्ट्ज़ से 200 मेगाहर्ट्ज की प्रक्रिया)
  9. सीएस115 (संवेदनशीलता, बल्क केबल इंजेक्शन, इम्पल्स एक्साइटेशन की प्रक्रिया)
  10. सीएस116 (संवेदनशीलता, डैम्प्ड साइनसॉइडल ट्रांसिएंट, केबल एवं पावर लीड, 10 किलोहर्ट्ज़ से 100 मेगाहर्ट्ज की प्रक्रिया)

वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त टर्नओवर का विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना / उत्पादन	2022-23 (जीएसटी सहित)	2021-22 (जीएसटी सहित)
1	एस्कॉन चरण IV	389.96	599.57
2	कॉर्पोरेट विपणन एवं एमएसपी	339.34	744.24
3	महानेट	313.00	283.51
4	टैनफिनेट	140.89	-
5	गुजनेट	79.56	63.08
6	एनएफएस परियोजना	78.76	104.88
7	जीएसएम एसजेड एएमसी	62.52	98.42
8	3डी प्रिंटिंग, आधार आधारित व्यवसाय/ मिनी पीसी/ कंपोनेंट स्क्रीनिंग/ ई-गवर्नेंस परियोजनाएं /टेस्ट लैब/ विश्वसनीयता प्रयोगशालाएँ/ई-सेवा/ टेलीफोन/स्मार्ट कार्ड/ऊर्जा बचत/ बैटरी/जीएसएम फ्रेंचाइज/बैंकिंग उत्पाद/एसएनवीएम/एसएनडीएम/एएमसी	42.75	22.08
9	डेटा सेंटर	22.97	20.41
10	एमएलएलएन/एसएसटीपी के लिए एएमसी	18.72	18.86
11	सौर पैनल / सौर स्ट्रीट लाइट	18.20	29.98
12	एयरटेल एफटीटीएच	17.38	5.97
13	रक्षा व्यवसाय एवं एएमसी/एस्कॉन एएमसी	14.16	34.39
14	जीपॉन (ओएनटी,ओएलटी,एसपीवी एवं संस्थापन तथा कमीशनिंग)	12.32	8.62
15	एसएमपीएस	9.34	19.92
16	यूएसओएफ - स्टार्ट अप द्वारा 4जी	7.97	-
17	झारखंड, उड़ीसा में भारतनेट परियोजना के लिए टीपीए एवं सेटेलाइट	5.93	9.18
18	ओएफसी रैलवे एवं एमटीएनएल	5.06	5.08
19	एचडीपीई पाइप निर्माण/वॉटर पाइप	4.12	0.41
20	बीएसएनएल 4जी पीओसी/एनजीएन एएमसी/ ओसीबी एएमसी/ वाई-फाई हॉटस्पाट	4.00	8.21
21	भारतनेट ए एवं एन	1.65	0.67
	योग	**1588.60**	**2077.48**

शेयर पूंजी में परिवर्तन/शेयरों का निर्गम :

वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, दिनांक 08 जनवरी 2013 के BIFR आदेश के अनुसरण में निदेशक मंडल द्वारा भारत सरकार से प्राप्त पूंजीव्यय (कैपेक्स) के प्रति अविमान्य आधार पर भारत के राष्ट्रपति को इक्विटी शेयर आवंटित किए थे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

इक्विटी शेयरों के आवंटन की तिथि	जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	आबंटन मूल्य	कैपेक्स प्राप्ति (रुपए में)
25.05.2022	83,21,279	86 रुपए (10 रुपए के अंकित मूल्य तथा 76 रुपए के प्रीमियम पर)	71,56,30,000
28.09.2022	77,33,204	103.45 रुपए (10 रुपए के अंकित मूल्य तथा 93.45 रुपए के प्रीमियम पर)	80,00,00,000

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 9,49,57,73,520 रुपए से बढ़कर 9,33,52,28,690 रुपए हो गई है।

कंपनी को भारत सरकार से दिनांक 23 मार्च 2023 को कैपेक्स के रूप में 107 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जिसके प्रति निदेशक मंडल ने 11 मई 2023 को आयोजित बैठक में भारत के राष्ट्रपति को अधिमान आधार पर 1,13,09,586 इक्विटी शेयर 94.61 रुपएं (10 रुपएं अंकित मूल्य और 84.61 रुपए प्रति शेयर के प्रीमियम पर) आवंटित किए थे।

विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने स्टॉक विकल्प अथवा स्वीट इक्विटी शेयर प्रदान नहीं किए हैं। 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार श्रीमती एस जेयंति, जिनके पास 50 इक्विटी शेयर हैं, के अलावा, कंपनी के किसी भी निदेशक के पास कंपनी का कोई शेयर नहीं है।

लाभांश

कंपनी को वर्ष 2022-23 के दौरान घाटा हुआ था तथा अभी भी पिछले वर्षों के संचयी घाटे हैं तथा इस विचार निदेशक मंडल वर्ष 2022-23 के लिए किसी लाभांश की अनुशंसा करने की स्थिति में नहीं हैं।

रिजर्व

कंपनी अभी भी संचित घाटे का वहन कर रही है, इसलिए सामान्य रिजर्व में किसी राशि का अंतरण नहीं किया गया है।

उत्पादन संयंत्रों और सेवा यूनिटों का परिचालन निष्पादन

बेंगलूरु यूनिट :

I. निष्पादन:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बेंगलूरु यूनिट द्वारा 414.48 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त की गई है। टर्नओवर में मुख्य रूप से विनिर्माण, विभिन्न सेवाएं और परियोजनाएं शामिल हैं।

II. प्रमुख विशेषताएं:

(i) एन्क्रिप्शन उत्पाद

हमारे अनुसंधान एवं विकास द्वारा रक्षा संचार नेटवर्क और अन्य मंत्रालयों के लिए सीक्रेसी उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है तथा आईटीआई द्वारा काफी लम्बे समय इनका निर्माण, आपूर्ति एवं अनुरक्षण किया जा रहा है। आईटीआई इस क्षेत्र में अग्रणी है। पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल संचार प्रौद्योगिकी में हुए विकास के अनुरूप उत्पादों का विकास किया गया है। रक्षा के नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम, आर्मी स्टेटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क (एस्कॉन) आदि जैसी अनेक एन्क्रिप्शन उत्पादों की अपेक्षाएं काफी अधिक हैं।

बेंगलूरु संयंत्र द्वारा रक्षा संचार नेटवर्क के उत्पादों में 51 हाई थ्रूपुट टर्मिनल एंड सेक्रेसी डिवाइस (एसईएसडी) तथा 26 नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्क (एनजीएन) - बल्क एन्क्रिप्शन यूनिट (बीईयू) सब रैक डिजाइन, निर्मित और आपूर्ति का योगदान दिया गया है।

(ii) टेलीफोन

संयंत्र द्वारा अशोक लीलैंड, जीआरएसई और बीएसएनएल को 302 फील्ड टेलीफोन (5सी) एवं एक्जीक्यूटिव टेलीफोन सिस्टम (1+1) की आपूर्ति की गई है।

(iii) 4जी आरएएन विनिर्माण:

बेंगलूरु संयंत्र ने पीओसी साइट, अंबाला में सी-डॉट 4जी आरएएन उपकरण (बैंड 28 और बैंड 8) का निर्माण और आपूर्ति की है।

(iv) 3 डी प्रिंटिग:

3डी प्रिंटिंग के लिए आंतरिक और बाहरी ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की जा रही है। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर (टीईडीबीएफ) तथा एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एएमसीए) जैसे 5वीं जनरेशन के फोर्स एंड मोमेंट लो-स्पीड विंड टनल फाइटर जेट मॉडल के निर्माण का आर्डर हमारे सम्मानित ग्राहकों एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और आईआईटी-कानपुर से प्राप्त हुआ है।

(v) रिलायबिल्टी इंजीनियरिंग लैब

रिलायबिल्टी इंजीनियरिंग लैब विभिन्न पर्यावरण परीक्षण चेम्बरों से सुसज्जित है तथा यहां से आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ बाह्य ग्राहकों को भी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। यह प्रयोगशाला क्यूएम 333, जेएसएस 55555, एमआईएल मानक और ग्राहक परीक्षण अपेक्षाओं के अनुसार प्रत्येक प्रकार के पर्यावरण परीक्षण करने की सुविधा प्रदान कर रहा है।

(vi) दूरसंचार परीक्षण प्रयोगशाला (टीटीएल):

एनएबीएल से मान्यता प्राप्त ईएमआई/ईएमसी प्रयोगशाला दूरसंचार परीक्षण केंद्र का भाग है जिसकी बेंगलूरु संयंत्र में स्थापना बाजार में लॉन्च किए गए टेलीकॉम उपकरणों की ईएमसी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए की गई है। यह प्रयोगशाला अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार टीईसी की उत्सर्जन और प्रतिरक्षा अपेक्षाओं के लिए औद्योगिक, वैज्ञानिक, चिकित्सा और आईटी उपकरणों का परीक्षण कर सकती है। रक्षा के लिए एमआईएल-एसटीडी-461 का अनुसरण एवं वाणिज्यिक उपकरण का परीक्षण सीआईएसपीआर 11/22/15/32 के अनुसार किया जा सकता है।

दूरसंचार परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा वाणिज्यिक, संचार, चिकित्सा, औद्योगिक, आईटी, ऑटोमोबाइल एवं घरेलू क्षेत्रों के ग्राहकों के साथ साथ बाह्य ग्राहकों को सेवा प्रदान की जाती है।

(vii) रक्षा एएमसी और गैर एएमसी कार्ड मरम्मत

बेंगलूरु संयंत्र सम्पूर्ण भारत में रक्षा क्षेत्र के ग्राहकों को आपूर्ति किए जाने वाले आनंद बीईयू एमके II, ईडीयू, एसटीएम 1 और एसटीएम 4 एन्क्रिप्शन उपकरण के लिए वार्षिक अनुरक्षण सेवाएं भी प्रदान करता है।

(viii) मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली (जीएसएम) दक्षिण जोन एएमसी:

आईटीआई द्वारा बीएसएनएल दक्षिण जोन की 9एमएल जीएसएम उपकरण की बीएसएनएल जीएसएम परियोजना के लिए लगभग 2940 करोड़ रुपए मूल्य के बीएसएनएल दक्षिण जोन के विभिन्न सर्कलों नामतः आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, चेन्नई, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु सर्कल में सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं तथा अनिवार्य एएमसी का निष्पादन किया गया है। अनिवार्य वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध के निष्पादन के पश्चात बीएसएनएल द्वारा 70 करोड़ रुपए की राशि से इसे दिसंबर, 2021 तक के लिए विस्तारित किया गया था तथा इसे आगे 65 करोड़ रुपए की राशि के साथ दिसंबर, 2022 तक के लिए विस्तारित किया गया था तथा इनका निष्पादन आईटीआई बेंगलूरु द्वारा सफलतापूर्वक कर लिया गया है। आईटीआई बेंगलूरु संयंत्र को बीएसएनएल के दक्षिण जोन सर्कल के संबंध में वर्ष 2023 प्राप्त विस्तारित एएमसी का आदेश पुष्टि के साथ प्राप्त हुआ है।

(ix) डाटा सेंटर और आईटी व्यवसाय:

डाटा सेंटर व्यवसाय की उच्च मांग तथा भारत में इस व्यवसाय के संभावित विकास को दृष्टिगत रखकर पुनरूद्धार योजना के अंतर्गत बेंगलूरु यूनिट में टियर III प्रमाणन यथा एएनएसआई/टीआईए-942-बी से युक्त 1000 रैक क्षमता के एक नए डेटा सेंटर की स्थापना की गई है। टीआईए-942 प्रमाणन कार्यक्रम डेटा केंद्रों को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त एएनएसआई/टीआईए-942 मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप समीक्षा और प्रमाणित करने में सक्षम बनाता है, जिससे ग्राहकों और स्टेकधारकों को उच्चतर आश्वासन प्राप्त होते हैं।

डाटा सेंटर के पास आईएसओ 20000-1:2011, आईएसओ 27001:2013, आईएसओ 27017: 2015 एवं आईएसओ 27018:2019 प्रमाणन है। आईटीआई डेटा सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सूचीबद्ध क्लाउड सेवा प्रदाता भी है। आईटीआई ने क्षमता परिपक्वता मॉडल (सीएमएमआई) लेवल 3 प्राप्त किया है।

आईटीआई डाटा सेंटर में उच्च घनत्व होस्टिंग सेवाएं, क्लाउड सेवाएं, प्रबंधित सुरक्षा सेवाएं, ऑन डिमांड सेवाएं, व्यावसायिक सेवाएं, सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) तथा प्रबंधित आईटी सेवाएं शामिल हैं।

कंपनी आईटीआई डाटा सेंटर के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण सेवाएं, ई-केवाईसी सेवाएं, प्रमुख बैंकिंग एप्लिकेशन, ईआरपी सेवाएं, मोबाइल वॉलेट एप्लिकेशन, ई-सेवा सेवाएं आदि जैसी आईटी सेवाएं प्रदान कर रही है।

(x) सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी)

सुरक्षा परिचालन केन्द्र के कार्य राउंड द क्लॉक साइबर खतरों की निगरानी, रोकथाम, खोज, जांच करना और प्रतिक्रिया देना है। सुरक्षा परिचालन केन्द्र अपनी टीमों के माध्यम से बौद्धिक संपदा, वैयक्तिक डेटा, व्यवसाय प्रणालियों और ब्रांड सत्यनिष्ठा सहित संगठन की संपत्ति की निगरानी और सुरक्षा के उत्तरदायित्व निभाता है। सुरक्षा परिचालन केन्द्र की टीम संगठन की समग्र साइबर सुरक्षा रणनीति को लागू करती है और साइबर हमले की निगरानी, आकलन और बचाव के समन्वित प्रयासों में सहयोग के केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करती है।

सुरक्षा परिचालन केन्द्र (सेवा के रूप में सुरक्षा परिचालन केन्द्र) द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाएँ निम्नानुसार हैं:

i) डाटा हानि से बचाव

ii) सुरक्षा सूचना और घटना प्रबंधन एसआईईएम एवं उपयोगकर्ता तथा इकाई व्यवहार विश्लेषण (यूईबीए)।

iii) सुभेद्यता और भेदन परीक्षण(वीएपीटी)

iv) ई-मेल सुरक्षा

v) डीडीओएस के साथ फ़ायरवॉल (डिस्ट्रिब्यूटेड डिनायल-ऑफ-सर्विस)

vi) नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (एनएसी)

vii) पहचान और पहुंच प्रबंधन

viii) एंडपॉइंट डिटेक्शन एवं प्रतिक्रिया (ईडीआर)

(xi) आईटीआई ई-सेवा

यह सीएससी योजना के अंतर्गत नागरिकों को 40 से अधिक ई-सेवाएं देने के लिए एक एकीकृत ई-सेवा प्लेटफार्म है।

सामाजिक आजीविका पर प्रभाव:

i. 500 से अधिक उद्यमियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आत्म निर्भरता के लिए रोजगार प्रदान करना।

ii. आईटीआई ई-सेवा कर्नाटक और यूपी राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में स्थापना के माध्यम से नागरिकों को घर-घर जाकर प्रत्येक ई-सेवा प्रदान करती है।

(xii) कंपनी द्वारा की गई प्रमुख अनुसंधान एवं विकास (आर एवं डी) पहल:

कंपनी की अनुसंधान एवं विकास विचारधारा अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य चुने हुए क्षेत्रों के उत्पादों/सेवाओं में अपनी श्रेष्ठता में संवर्धन करने की है। कंपनी का अनुसंधान एवं विकास अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मॉड्यूल के साथ निर्मित नए उत्पादों के विकास के लिए प्रयासरत है।

बेंगलूरु संयंत्र में स्थित अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) आंतरिक विनिर्माण के प्रोत्साहन के लिए संचार उपकरण डिजाइन उपकरण का विकास कर रहा है तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ समान रूप से प्रगति कर रहा है। रक्षा बलों, गृह मंत्रालय, एनटीआरओ आदि के लिए संचार नेटवर्क की प्राप्ति के उद्देश्य से एन्क्रिप्शन सिस्टम के डिजाइन और विकास में अनुसंधान एवं विकास की प्रमुख शक्ति विभिन्न मीडिया पर 8 केबीपीएस से 10 जीबीपीएस डेटा दर और नेटवर्क समाधान के विकास में भी है।

डिजाइन और विकास में सहायता के लिए आवश्यक अवसंरचना नवीनतम परीक्षण उपकरण, सॉफ्टवेयर डिजाइन टूल्स, कंप्यूटर-समर्थित डिजाइन (सीएडी) टूल्स, रिलायबिल्टी प्रयोगशाला, ईएमआई/ईएमसी परीक्षण प्रयोगशाला और दूरसंचार परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में उपलब्ध है।

प्रमुख अनुसंधान एवं विकास उत्पाद/सेवाएं निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए उपलब्ध हैं:

क. रक्षा, गृह मंत्रालय आदि के लिए एक्रिप्शन प्रणाली

ख. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम)

ग. डिजिटल मोबाइल रेडियो (डीएमआर) प्रणाली

घ. बिजली आपूर्ति मॉड्यूल

ङ. संचार नेटवर्क के लिए नेटवर्क समाधान

च. स्वामित्व प्राप्त अल्गोरिथ्म युक्त क्रिप्टो उत्पादों के लिए सीपीसी अनुमोदन प्राप्त करना

वित्तीय वर्ष 2022-23 में विकसित/उत्पादित सफल उत्पाद/समाधान:

उत्पाद/सेवाएं:

क. मल्टी पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम)

ख. आईवी-एमएचए के लिए 1जीई आईपीई (डीआरडीओ द्वारा मूल्यांकन)

ग. टीईएसडी/एसईएसडी, 10/100 आईपीई, एनजीएन और डीसीएन परियोजना मूल्यांकन के फ्लेक्सी बीईयू के लिए अतिरिक्त एल्गोरिदम का विकास डीआरडीओ द्वारा पूरा किया गया।

घ. पूर्वी कमान (सेना) के लिए ई1 एन्क्रिप्टर

एन्क्रिप्शन उत्पादों का ग्राहकों द्वारा सफलतापूर्वक फील्ड ट्रायल, परीक्षण और मूल्यांकन किया गया है।

पालक्काड संयंत्र

I. निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2022-23 में पालक्काड संयंत्र द्वारा 57.69 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया गया है।

II. प्रमुख आकर्षण:

(i) लैपटॉप:

माइक्रो पीसी सेगमेंट में आईटीआई स्मैश ब्रांड को सफलतापूर्वक स्थापित करने के पश्चात आईटीआई पालक्काड ने अब आईटीआई स्मैश ब्रांड लैपटॉप के निर्माण का उद्यम किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, पालक्काड यूनिट ने 9223 लैपटॉप की आपूर्ती की है। जिसमें केआईटीई (केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन) को 6600 लैपटॉप की आपूर्ति शामिल है। आईटीआई स्मैश लैपटॉप को केआईटीई एवं केएसईडीसी (केरल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) जैसे प्रमुख ग्राहकों से काफी सराहना प्राप्त हुई है। ये लैपटॉप कॉनफॉर्माइट यूरोपीन (सीई), फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन (एफसीसी), रिस्ट्रिक्शन आफ हजारडॉयस सबस्टेंस (आरओएचएस), भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन प्राप्त हैं, जिससे आईटीआई के पोर्टफोलियो में इनका महत्व काफी अधिक है।

बाजार विश्लेषण तथा उत्पाद विकास के लिए इंटेल कॉरपोरेशन और साथ ही साथ ओईएम उत्पादों के उद्देश्य से माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के साथ पीसी और लैपटॉप के लिए किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) से इन उत्पादों को सुदृढ़ता प्राप्त हुई है।

(ii) स्मैश पीसी:

प्रौद्योगिकी उन्नयन, नवयुग के प्रोस्सेसरों के समावेश के साथ आईटीआई के स्मैश ब्रांडेड मिनी पीसी की बाजार उपस्थिति सुदृढ़ हो गई है। अपनी ऊर्जा दक्षता और छोटे फॉर्म फैक्टर के लिए विख्यात ये कॉम्पैक्ट कंप्यूटर स्मार्ट पावर स्टेशन युक्त हैं, जो एक हरित ऊर्जा समाधान है तथा यूपीएस का कार्य करता है तथा सौर एवं ग्रिड, दोनों स्रोतों से, बिजली की प्राप्ति करता है। यह अभिनव संयोजन न्यूनतम ग्रिड निर्भरता और महत्वपूर्ण ऊर्जा बचत प्रदान करता है। इसके अलावा, इन उपकरणों के लिए सीई, एफसीसी, आरओएचएस,बीआईएस एवं एनर्जी स्टार जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन हैं।

माइक्रो पीसी व्यवसाय का विस्तार कर्नाटक राज्य में भी हुआ है तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण विभाग / निदेशक सार्वजनिक अनुदेश (डीपीआई) के 17 जिलों में पीसी की आपूर्ति की गई है। केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (केएसईडीसी), केरल ई-हेल्थ, एअर इंडिया, एनआईसी, केरल वन विभाग, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, एनआईसी, कालीकट विश्वविद्यालय, कन्नूर विश्वविद्यालय एवं विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों सहित सम्मानित ग्राहकों का ध्यान इस उत्पाद की ओर आकर्षित हुआ है। पीसी सेगमेंट से कुल वर्तमान राजस्व उत्पत्ति लगभग 18 करोड़ है।

मिनी पीसी के अलावा, पालक्काड संयंत्र इस उत्पाद से जुड़े स्कूलों और विश्वविद्यालयों के लिए स्मार्ट क्लासरूम, एचसीआई (मानव-कंप्यूटर इंटरेक्शन) समाधान और विश्वविद्यालयों के लिए छात्र जीवनचक्र प्रबंधन प्रणालीटर्नकी जैसे समाधानों की एक कड़ी प्रदान करता है ।

(iii) विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) व्यवसायः

आईटीआई पालक्काड यूनिट विभिन्न प्रक्षेपण वाहनों के इलेक्ट्रॉनिक पैकेजों की प्राप्ति एवं इलेक्ट्रॉनिक घटकों/पैकेजों की स्क्रीनिंग के लिए वीएसएससी, तिरुवनंतपुरम के साथ सम्बद्ध है। यह सम्बद्धता वर्ष 2010 में अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए आईटीआई पालक्काड में इलेक्ट्रॉनिक असेंबली के उद्देश्य से स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स फैब्रिकेशन सेंटर (एसईएफसी) की स्थापना के साथ स्थापित हुई थी तथा एक दशक में की गई अनेक विस्तृत गतिविधियों से इसका विस्तार हुआ था। इस केंद्र को लॉन्च वाहनों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक पैकेजों की प्राप्ति का अनुमोदन प्राप्त है जिसमें एसएमडी असेंबली और मैनुअल असेंबली, कॉनफॉर्मल कोटिंग, कार्ड स्तर परीक्षण, एकीकरण, एकीकरण परीक्षण, इन लाइन क्यूसी, घटकों की स्क्रीनिंग, परीक्षण और मूल्यांकन, असेंबली एवं मल्टी स्टैक जैसे परिचालन शामिल हैं। का टी एंड ई)। मदवार अर्हता प्रक्रियाओं की पूर्ति के लिए, वीएसएससी द्वारा निर्धारित सभी महत्वपूर्ण मापदंडों को पूरा करके प्रत्येक असेंबली/घटकों के लिए व्यक्तिगत रूप से अनुकूलित परीक्षण जिग्स, बर्न-इन बोर्ड, कंपन फिक्स्चर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन-हाउस विकसित किए जाते हैं। आईटीआई पालक्काड आरएफ पैकेज असेंबली और परीक्षण के लिए वीएसएससी से मान्यता प्राप्त एकमात्र केंद्र है।

आईटीआई पालक्काड का इसरो की 3 यूनिटों नामतः वीएसएससी, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर (एलपीएसएससी) तथा मैकेनिज्म्स एंड व्हीकल इंटीग्रेशन टेस्टिंग (एमवीआईटी) के साथ व्यावसायिक सहकार्यता है तथा ये सभी यूनिटें तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं और ये सभी इसरो के विभिन्न अंतरिक्ष अभियानों में उपयोग किए जाने वाले लॉन्च व्हीक्ल्स - पीएसएलवी, जीएसएलवी, जीएसएलवी मार्क III आदि के विनिर्माण, परीक्षण और एकीकरण के कार्य कर रही हैं। वर्ष 2010-11 से निरंतर आर्डर प्राप्त किए जाते हैं एवं निष्पादित किए जा रहे हैं।

हाल ही में हमारे सुविधा केन्द्र को इसरो की गगनयान मिशन परियोजना की स्क्रीनिंग और पैकेज प्राप्ति के लिए अर्हता प्राप्त हुई है, जिसके अंतर्गत पायलट मात्रा की स्क्रीनिंग / असेम्बिलंग के कार्य करके सफलतापूर्वक आपूर्ति की गई है। अधिक उपकरणों के लिए परीक्षण सुविधाओं का विकास करके कार्यक्रम के दायरे का निरंतर विस्तार किया जा रहा है।

इन सभी प्रक्रियाओं के लिए कार्यरत अधिकारी वीएसएससी द्वारा दिए गए अत्यधिक कड़े प्रशिक्षण और परीक्षणों के माध्यम से अर्हक हुए हैं। यह कार्य अनुबंध निर्माण स्वरूप में किया जाता है, जिसके सभी आवश्यक घटक वीएसएससी द्वारा निःशुल्क सामग्री (एफआईएम) के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं।

इस केंद्र से 1 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक घटकों की जांच की जाती है तथा आईटीआई द्वारा निर्मित 2500 से अधिक उड़ान पैकेजों का इसरो के विभिन्न प्रक्षेपण वाहनों - जीएसएलवी, पीएसएलवी और जीएसएलवी मार्क-III- में सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है, जिसमें 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया प्रतिष्ठित चंद्रयान मिशन एलवीएम3-एम4 भी शामिल है। मिशन में प्रयुक्त कुल पैकेजों में से, 55 पैकेज आईटीआई पालक्काड टीम द्वारा तैयार किए गए हैं।

जीएसएलवी मार्क III को 23 अक्टूबर 2022 को 36 सेटेलाइट के साथ लॉन्च किया गया था तथा इसके द्वारा इन सभी सेटेलाइट्स को एलवीएम 3 एम2/वन वेब इंडियन-1 मिशन में अत्यधिक सटीकता के साथ सही कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित किया था, जिसमें कुल 47 पैकेज शामिल थे। आईटीआई पालक्काड संयंत्र तथा मिशन में हमारे बहुमूल्य योगदान को इसरो दूरसंचार विभाग द्वारा स्वीकार किया गया है और इसकी सराहना की गई है।

(iv) स्मार्ट बैंकिंग कार्ड

आईटीआई पालक्काड संयंत्र में भुगतान कार्ड उद्योग (पीसीआई) के लिए तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप अत्याधुनिक अवसंरचना स्थापित है। आईटीआई सार्वजनिक क्षेत्र का एकमात्र है जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) से रूपे चिप कार्ड के वैयक्तिकीकरण के लिए मान्यता प्राप्त है। अवसंरचना में स्मार्ट कार्ड असेंबली के लिए आधुनिक निर्माणउपकरण और मिलिंग और एम्बेडिंग, वैयक्तिकीकरण जैसी व्यवस्थाएं स्थापित हैं।

आईटीआई पालक्काड ने 2 लाख रुपे कार्ड और केरल चुनाव आयोग के लिए 4.1 लाख चुनाव आईडी कार्ड की आपूर्ति के लिए एसबीआई से प्राप्त पायलट ऑर्डर का निष्पादन किया है। आईटीआई और अधिक ऑर्डर प्राप्त करने के लिए अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य ग्राहकों के साथ अनुसरण कर रहा है।

(v) उच्च घनत्व पॉलीथीन (एचडीपीई) डक्ट विनिर्माणः

देश में ओएफसी के लिए एचडीपीई कंडयूट्स की बढ़ती मांग की संभावना एवं सरकार द्वारा सभी गांवों के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने पर सरकार पर किए गए ध्यान केन्द्रण को विचार में आईटीआई पालक्काड ने 8000 किलोमीटर की वार्षिक क्षमता वाली एचडीपीई मशीनरी की 2 लाइनें स्थापित की हैं। जहां एचडीपीई पाइप संयंत्र को 40/33 एमएम पीएलबी एचडीपीई डक्ट के निर्माण के लिए टीएसईसी प्राप्त हुआ है तथा महानेट, गुजनेट टैनफिनेट, भारतनेट अंडमान एवं निकोबार चरण IV परियोजनाओं के लिए 7000 किलोमीटर से अधिक डक्ट की अपेक्षाओं के लिए योगदान दिया गया है जो एस्कॉन परियोजना के लिए, समयबद्ध स्वरूप में उच्चतर गुणवत्ता वाले पुरस्कार भारतीय थलसेना से 2000 किलोमीटर डक्टन के निर्माण एवं आपूर्ति के अलावा है। अपने उत्पाद पोर्टफोलियो में बढ़ोतरी के लिए, आईटीआई पालक्काड द्वारा जल परिवहन के लिए एचडीपीई पाइप का निर्माण भी शुरू कर दिया है, जिसका विस्तार आने वाले वर्षों में किया जाएगा।

(vi) प्रबंधित लीज्ड लाइन नेटवर्क (एमएलएलएन)

वर्ष 2002-03 से ही आईटीआई द्वारा बीएसएनएल/एमटीएनएल को नेटवर्क उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, एकीकरण, कमीशनिंग, परिचालन एवं अनुरक्षण के लिए टर्नकी समाधानों के साथ साथ एमएलएलएन उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति की जा रही है। विद्यमान एमएलएलएन नेटवर्कों की स्थापना की गई है तथा इसका अनुरक्षण अब तक आईटीआई द्वारा किया जा रहा है। आईटीआई पालक्काड ने बीएसएनएल के लिए एमएलएलएन उपकरणों के वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (कार्ड मरम्मत और तकनीकी सहायता) का 18.72 करोड़ रुपए का आर्डर निष्पादित किया है।

(vii) अंडमान और निकोबार में भारतनेट चरण-I:

इस परियोजना के कार्यक्षेत्र में बीबीएनएल की भारतनेट चरण-I परियोजना के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्राम पंचायतों में डेटा कनेक्टिविटी के लिए फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की नेटवर्क डिजाइन और योजना, आपूर्ति, नियोजन एवं कमीशनिंग के कार्य शामिल हैं।

मनकापुर संयंत्र

I. निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनकापुर संयंत्र को 49.36 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त हुआ था।

II. प्रमुख आकर्षण:

i. फाइबर वितरण प्रबंधन प्रणाली (एफडीएमएस)

एफडीएमएस उत्पाद का निर्माण एस्कॉन और टैनफिनेट परियोजनाओं के लिए मनकापुर यूनिट द्वारा किया गया है तथा इसे बीएसएनएल प्रमाणपत्र (टीएसईसी) की प्राप्ति भी हुई है। एफडीएमएस उत्पाद का विकास/परीक्षण/निर्माण एवं पीडीआई आर्मी टीम द्वारा इसे किसी बाधा/विलंब के बिना पारित किया गया है। कुल 656 एफडीएमएस का निर्माण करके इन्हें एस्कॉन IV एवं तनफिनेट परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न स्थलों पर भेजा गया है।

ii. एचडीपीई डक्ट विनिर्माण

मनकापुर यूनिट द्वारा मैसर्स कटारिया पेस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मनकापुर संयंत्र को बीआईएस प्रमाणन प्राप्त हुआ है तथा इसके द्वारा वाटर पाइपों / टेलीकॉम डक्स का निर्माण दिसंबर 2022 से किया जा रहा है। विकसित एंड कैप का उपयोग एचडीपीई डक्ट सहायक उपकरणों के रूप में किया जा रहा है।

iii. 4जी विनिर्माण

मनकापुर यूनिट 4जी आरआरयू/किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद/कॉन्ट्रैक्ट एमएफजी के निर्माण के लिए पूरी तरह से तैयार है। सभी आवश्यक मशीनों का क्रय करके उन्हें स्थापित तथा चालू कर दिया गया है।

iv. ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल (ओएनटी)-23

सी-डॉट के माध्यम से मनकापुर यूनिट को रेलटेल को 40,000 ओएनटी 23 की आपूर्ति का आर्डर मिला है।

v. ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल (ओएलटी)-4 पोर्ट

मनकापुर यूनिट को बीएसएनएल से 5 वर्ष की एएमसी सेवाओं के साथ 1500 रुपए मूल्य की ओएलटी-4पी की आपूर्ति का आर्डर प्राप्त हुआ है।

vi. तृतीय पक्षकार आडिट (टीपीए)

मनकापुर यूनिट ने झारखंड में झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड, उड़ीसा में उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए भारत नेट की टीपीए प्रक्रियाओं के लिए तथा मणिपुर एवं त्रिपुरा में टीपीए वीएसएटी के कार्यान्वयन प्रारंभ किए हैं।

vii. विविध उत्पाद

मनकापुर यूनिट विविध उत्पादों का भी व्यवसाय कर रही है। आंतरिक रूप से विकसित एवं निर्मित किए जाने वाले उत्पादों में एनसीएम (नोट गिनने की मशीन), एसएनवीएम-फ्लोरा (सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन), एसएनडीएम-फौना (सेनेटरी नैपकिन डिस्पोजल मशीन), एफएमवीएम-कवच (फेस मास्क वेंडिंग मशीन) तथा एफएमडीएम-सीओएनए (फेस मास्क डिस्पोजल मशीन) जैसे उत्पाद हैं।

viii. कौशल विकास

कौशल विकास केन्द्र (ईडीसी) द्वारा आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) के छात्रों के लिए कार्यक्षम (ऑन जॉब ट्रेनिंग) कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। कर्मचारी विकास केंद्र द्वारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गोरखपुर के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर कंप्यूटर अवधारणाओं से संबंधित (सीसीसी) परीक्षा के पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

ix. सुरक्षा पुरस्कार

सुरक्षा एवं पर्यावरण के क्षेत्र में कम्पनियों के निष्पादन के आधार पर श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार जारी किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मनकापुर संयंत्र को रनर अप पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

रायबरेली संयंत्र

I. निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2022-23 में रायबरेली संयंत्र का टर्नओवर 52.87 करोड़ रुपए है।

II. प्रमुख आकर्षण:

i. ऑप्टिकल फाइबर केबल

भारतीय ऑप्टिकल फाइबर केबल बाजार में संकर्षण की स्थिति व्याप्त है। यह विकास भारत सरकार द्वारा ओएफसी नेटवर्क अवसंरचना के विकास के लिए निरंतर किए जा रहे निवेश का प्रतिफल है। डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, भारतनेट परियोजना आदि जैसी सरकार की पहलों के परिणामस्वरूप फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) कनेक्टिविटी का उपयोग बढ़ा है। इसके अलावा, भारत में डेटा केंद्रों की बढ़ती संख्या से इस विकास को और बढ़ावा मिलेगा।

कंपनी 30,000 किलोमीटर प्रति वर्ष की स्थापित क्षमता के साथ ऑप्टिक फाइबर केबल की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए काफी प्रयास कर रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, रायबरेली संयंत्र ने एस्कॉन, टैनफिनेट परियोजना, रेलवे, के लिए ओएफसी का निर्माण किया है।

ii. गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क (जीपॉन)

गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क तकनीक के अंतर्गत अंत उपभोक्ताओं ट्रिपल प्ले सेवाओं (वॉयस, डेटा और वीडियो) का उत्कृष्ट मिश्रण प्राप्त होता है। रायबरेली संयंत्र में जीपॉन-ओएलटी और ओएनटी सिस्टम के लिए अत्याधुनिक निर्माणसुविधा है।

iii. उच्च घनत्व पॉलीथीन (एचडीपीई) डक्ट विनिर्माण:

रायबरेली यूनिट 28,000 किलोमीटर की वार्षिक क्षमता के साथ एचडीपीई डक्ट्स के उत्पादन की उत्कृष्ट विनिर्माण अवसंरचना से सुसज्जित है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, यूनिट ने वोडाफोन के लिए एचडीपीई डक्ट के निर्माण किए हैं। स्थापित क्षमता का उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है।

iv. स्विच्ड-मोड बिजली आपूर्ति (एसएमपीएस)

रायबरेली संयंत्र को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बीएसएनएल के सम्पूर्ण भारत में स्थापित सर्कलों के लिए 393 मल्टी कॉन्फिगरेशन एसएमपीएस पावर संयंत्र की आपूर्ति के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं।

नैनी संयंत्र

I. निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नैनी संयंत्र का कुल हासिल टर्नओवर 18.20 करोड़ रुपए है।

II. प्रमुख आकर्षण

i. सौर पैनल

सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक 450 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा की उत्पत्ति का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नैनी संयंत्र में 18 मेगावाट की वार्षिक क्षमता से युक्त सौर पैनल विनिर्माण के लिए अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा स्थापित है।

आईटीआई को उत्तरी एवं दक्षिणी बेंगलूरु में 2000 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर रूफटॉप सोलर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बेस्कॉम (बीईएससीओएम) से कार्य आदेश दिया गया है ।

एनटीपीसी, विंध्याचल से 150 किलोवाट की ग्रिड रूफटाप सोलर परियोजना की स्थापना के लिए तथा एनटीपीसी, बोमईगांव, असम से 265 किलोवाट की ग्रिड रूफटाप सोलर परियोजना की स्थापना के लिए कार्य आदेश प्राप्त हुआ है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मॉडल और निर्माता की अनुमोदित सूची में सूचीबद्धता हुई है।

जुलाई-2024 तक 40डब्ल्यूपी से 325डब्ल्यूपी तक की वैधता वाले पॉली क्रिस्टलीय सोलर मॉडयूल के बीआईएस प्रमाणीकरण का पुनःमान्यकरण सफलतापूर्वक हो गया है।

आर्मी पब्लिक स्कूल झाँसी तथा आरटीओ, जाजपुर, भुवनेश्वर में 10 किलोवाट की ऑफ-ग्रिड रूफटाप सोलर परियोजनाएं सफलतापूर्वक स्थापित की गई हैं।

जेम (जीईएम) अनुबंध के माध्यम से बीबीएनएल को 4500 60डब्ल्यूपी एसवीपी पैनल की आपूर्ति की गई है।

ii. एलईडी स्ट्रीट लाइट

बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण (बीआरईडीए) द्वारा बिहार में प्रधान मंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के कार्यान्वयन के लिए आईटीआई नैनी यूनिट का चयन परियोजना निष्पादन एजेंसी के रूप में किया गया है। योजना के अंतर्गत, आईटीआई को कुल 11 जिलों के लिए अवार्ड दिए गए हैं तथा 40830 सोलर स्ट्रीट लाइट सिस्टम की आपूर्ति के लिए एलओआई प्राप्त हुआ है।

मैसर्स पतंजलि रिन्यूएबल्स के साथ ब्रेडा सोलर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

बीआरईडीए परियोजना के अंतर्गत 7252 सौर स्ट्रीट लाइट सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना के कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक कर लिया गया है।

श्रीनगर संयंत्रः

I. निष्पादनः

वित्तीय वर्ष 2022-23 में श्रीनगर यूनिट ने छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों ऑप्टिकल फाइबर केबल तकनीशियन/स्प्लिसर, पैशन डिजाइनिंग, डेटा एंट्री परिचालन एवं मेडिकल लैब तकनीशियन आदि के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

नेटवर्क सिस्टम यूनिट (एनएसयू)

I. निष्पादन

एनएसयू का मुख्यालय बैंगलूरु में स्थित है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय पूरे भारत में विस्तारित हैं। एनएसयू को परियोजना प्रबंधन, टर्नकी परियोजना कार्यान्वयन और रखरखाव सेवाओं में दक्षता प्राप्त है तथा परियोजनाओं/सेवाओं के विश्वसनीय और समय पर निष्पादन के लिए यह प्रतिबद्ध है।

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए एनएसयू द्वारा टर्नओवर 656.66 करोड़ रुपए की टर्नओवर प्राप्त की गई है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(क) परियोजनाएं

(i) रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त एस्कॉन-IV परियोजनाओं के आर्डर

(ii) गुजरात राज्य में ग्राम पंचायतों में ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी के लिए जीएफजीएनएल से गुजनेट परियोजना के लिए आर्डर।

(iii) तमिलनाडु में आईपीएम पीएलएस पर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए टैनफिनेट परियोजना

(ख) सेवाएं

(i) रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के लिए एस्कॉन चरण III- का एएमसी आर्डर

(ii) टैनफिनेट आर्डर

(iii) बीएसएनएल को आपूर्ति किए गए जीपॉन उपकरण की स्थापना और कमीशनिंग

(iv) यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) भारतनेट प्रोजेक्ट

(v) एयरटेल एफटीटीएच रोलआउट परियोजना

(vi) ओसीबी-एएमसी

II. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निष्पादित परियोजनाएं

i. आर्मी स्टेटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क (एस्कॉन) चरण-IV

आईटीआई को भारतीय थलसेना के लिए राष्ट्रीय महत्व की प्रतिष्ठित परियोजना (एस्कॉन-IV) के लिए आर्डर प्राप्त हुआ है। इस परियोजना में सीमाओं (भारत के उत्तरी, पूर्वोत्तर एवं पश्चिमी क्षेत्रों में विस्तारित) पर ध्यान केन्द्रण के साथ पूरी तरह से सुरक्षित रणनीतिक अत्याधुनिक संचार नेटवर्क का विकास किए जाने के कार्य हैं। परियोजना के दायरे में ओएफसी बिछाना, आईपी एमपीएलएस नेटवर्क, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, मोबाइल नोड्स की स्थापना तथा भवनों एवं टावरों का निर्माण शामिल है। परियोजना के दायरे में इस संचार नेटवर्क को भविष्य एवं परम्परागत आर्मी नेटवर्क यथा नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम (एनएफएस), आर्मी डब्ल्यूएएन, एस्कॉन चरण III के साथ एकीकरण की प्रक्रिया भी शामिल है।

एस्कॉन III के लिए एएमसीः आईटीआई ने एस्कॉन परियोजना के पहले 3 चरण सफलतापूर्वक निष्पादित किए थे तथा वर्तमान में इन एस्कॉन संपत्तियों के अनुरक्षण की प्रक्रियाएं की जा रही हैं। इस परियोजना के अंतर्गत सेवा के दायरे में गोपनीयता कार्डों की मरम्मत एवं अनुरक्षण, ओएफसी मार्गों का अनुरक्षण जैसे कार्य शामिल है।

ii. गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क (जीपॉन):

एनएसयू द्वारा पूरे भारत में बीएसएनएल और बीबीएनएल आर्डरों के प्रति जीपॉन उपकरण की स्थापना एवं कमीशनिंग कर दी गई है।

iii. गुजरात में भारतनेट चरण-II (गुजनेट)

आईटीआई को भारत नेट चरण II परियोजना के अंतर्गत गुजरात राज्य में ग्राम पंचायतों के लिए ब्रॉड बैंड डेटा कनेक्टिविटी की टर्नकी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड (जीएफजीएनएल) से आर्डर प्राप्त हुआ था। परियोजना में ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाना, डीडब्ल्यूडीएम उपकरण की आपूर्ति, ऑप्टिकल ट्रांसमिशन और एस्सेस उपकरण और अन्य संबंधित उत्पादों के साथ-साथ अनुरक्षण सेवाएं भी शामिल थीं। इसमें जीएफजीएनएल के भारतनेट परियोजना चरण-II (बीबीएनएल) के पैकेज-ए के अंतर्गत अतिरिक्त 336 ग्राम पंचायतों तथा 3 वर्षों के लिए परिचालन एवं अनुरक्षण के साथ गुजरात राज्य के 12 जिलों के 3925 ग्राम पंचायतों को 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ प्रदान करने के लिए सर्वेक्षण, डिजाइन और योजना, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने, एंड-टू-एंड एकीकरण भी शामिल है।

iv. तमिलनाडु में भारतनेट चरण-II (टैनफिनेट)

आईटीआई को पैकेज-डी के लिए तमिलनाडु में भारत नेट चरण-II के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए योजना, सर्वेक्षण, आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग, परीक्षण एंड टू एंड एकीकरण परिचालन तथा अनुरक्षण का कार्य आदेश प्राप्त हुआ है।

तमिलनाडु फाइबर नेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टैनफिनेट), भारतनेट चरण II परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में तमिलनाडु राज्य द्वारा गठित विशेष प्रयोजन वाहक (एसपीवी) संस्थान है। तनफिनेट में, चरण II के अंतर्गत, राज्य की सभी 12,524 ग्राम पंचायतों को, दोनों मोड में, एरियल/अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) के माध्यम से जोड़ा जाना है। सभी पैकेजों में समानांतर निष्पादन सुनिश्चित करके प्रभावी नेटवर्क रोलआउट के लिए ग्राम पंचायतों को चार पैकेजों यथा ए, बी, सी, डी में विभाजित किया गया है।

आईटीआई लिमिटेड को पैकेज डी का नेटवर्क रोलआउट प्राप्त हुआ है, जिसमें 10 जिलों में विस्तारित 109 ब्लॉक और 3103 ग्राम पंचायतें शामिल हैं तथा इसमें "गो लाइव" की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए परिचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) का दायित्व शामिल है। इसके कार्यक्षेत्र में संबंधित ब्लॉकों के लिए जिलों के सभी स्थानों पर सक्रिय और निष्क्रिय नेटवर्क अवसंरचना की योजना, सर्वेक्षण, डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और परीक्षण भी शामिल है।

v. अंडमान और निकोबार में भारतनेट चरण-I

इस परियोजना के दायरे में बीबीएनएल की भारतनेट चरण-I परियोजना के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्राम पंचायतों को डेटा कनेक्टिविटी के लिए फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की नेटवर्क डिजाइन और योजना, आपूर्ति, तैनाती और कमीशनिंग शामिल है, जिसमें भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 3 जिले, 7 ब्लॉक और 66 ग्राम पंचायतें हैं।

vi. महाराष्ट्र में भारतनेट चरण-II (महानेट)

परियोजना के कार्यक्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य में एरियल और यूजी केबल्स से एमपीएलएस का उपयोग करके ग्राम पंचायतों से कनेक्टिविटी की प्रक्रिया (पैकेज ए और सी) शामिल है।

(क) पैकेज ए : 8540 किलोमीटर में से 7640 किलोमीटर का टी एंड डी कार्य पूरा हो गया है; तथा 17429 किलोमीटर में से 12121 किलोमीटर केबल ब्लोइंग और स्ट्रिंगिंग (यूजी और ओएच) पूरा कर लिया गया है; 4003 राउटर्स में से 2099 राउटर्स की स्थापना की जा चुकी है। इसके अलावा, 4003 ग्राम पंचायतों में से 2003 ग्राम पंचायतों को सुविधा प्राप्त हो चुकी है।

(ख) पैकेज सी: 11132 किलोमीटर में से 10865 किलोमीटर का टी एंड डी पूरा हो गया है; 20741 किलोमीटर में से 18673 किलोमीटर केबल ब्लोइंग और स्ट्रिंगिंग (अंडरग्राउंड-यूजी और ओवरहेड-ओएच) पूरा कर लिया गया है; 4550 राउटर्स में से 3622 राउटर्स की स्थापना हो चुकी है; साथ ही, 4550 ग्राम पंचायतों में से 3588 ग्राम पंचायतों को सुविधा प्रदान कर दी गई है।

vii. एयरटेल परियोजना

आईटीआई लिमिटेड सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में स्थानीय कंपनियों एवं विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए निजी दूरसंचार कंपनियों के साथ कार्य कर रही है। इस उद्देश्य से, भारत के दूसरे सबसे बड़े सेवा प्रदाता, भारती एयरटेल ने 28 अगस्त 2020 को आईटीआई लिमिटेड को ओएफसी कार्य सौंपे गए हैं। राष्ट्रीय लॉंग डिस्टेंस (एनएलडी) सेवाओं की इस परियोजना में उड़ीसा राज्य में छह मार्गों पर बासठ नोड्स से संपर्कता वाली बैक बोन परिवहन लेयर को नगरों के मध्य लगभग 500 किलोमीटर का भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का निर्माण किया जाना है। इसमें फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) भी शामिल है, जिसमें भारत के 7 प्रमुख शहरों में 37000 से अधिक घरेलू कनेक्शनों को कवर करने के लिए लगभग 380 किलोमीटर एरियल एवं भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान की जानी है।

viii. स्पेक्ट्रम के लिए नेटवर्क (एनएफएस)

एनएफएस रक्षा मंत्रालय के परियोजना कार्यान्वयन कोर समूह (पीआईजीसी) के अंतर्गत रक्षा सेवाओं द्वारा स्वामित्व एवं परिचालन के लिए ओएफसी नेटवर्क विकसित करने तथा स्थापित करने की एक रणनीतिक संचार नेटवर्क परियोजना है। एनएफएस के अंतर्गत 414 रक्षा स्थलों और 219 सैन्य स्थलों पर एक्सेस नेटवर्क के लिए एक विशेष ओएफसी-आधारित राष्ट्रव्यापी ऑप्टिकल बैकबोन स्थापित किया जाना है। एनएफएस परियोजना में कुल मिलाकर 57,015 किलोमीटर के सभी ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) मार्ग हैं, जिन्हें सात पैकेजों में विभाजित किया गया है। आईटीआई के पास पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों (पैकेज जी एवं एफ) में भारतीय रक्षा बलों के लिए एनएफएस परियोजना के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का आर्डर है।

ix. यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ)

दूरसंचार विभाग द्वारा इन प्रौद्योगिकियों के विकास और सुदृढ़ीकरण को सक्षम करने के उद्देश्य से सी-डॉट के साथ 4जी/5जी प्रोटोटाइप के एकीकरण सहित ई-बैंड, लॉंग टर्म इवोल्यूशन (एलटीई) के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों की पायलट परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए आईटीआई लिमिटेड और बीएसएनएल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यूएसओएफ के अंतर्गत आईटीआई को कवर नहीं किए गए गांवों में अंतिम छोर ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी की पायलट परियोजनाओं के निष्पादन के लिए बीएसएनएल से कार्य आदेश प्राप्त हुआ था।

विपणन सेवाएं एवं परियोजनाएं (एमएसपी)

वर्ष 2022-23 के लिए कॉर्पोरेट मार्केटिंग यूनिट की कुल टर्नओवर 339.34 करोड़ रुपए है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- समग्र एमएसपी टर्नओवर - **220.55 करोड़ रुपए**
- परियोजनाओं की टर्नओवर: (आईएएफ I और II) - **118.79 करोड़ रुपए**

एमएसपी की महत्वपूर्ण परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:

- एचपी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद, गुरुग्राम विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय, बी.एन.मंडल विश्वविद्यालय के लिए एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली (आईयूएमएस) की सेवाएं प्रदान करना।
- चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में प्रवेश परीक्षा समाधान एवं बारकोडिंग डिकोडिंग तथा आनस्वर क्यू समाधान।
- बीएसएनएल की वितरित डिनायल ऑफ सर्विस परियोजना के लिए वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध
- ई-टेंडरिंग
- डेटा सेंटर और 4जी/5जी नेटवर्क के कार्यान्वयन से संबंधित भारतीय वायुसेना की परियोजनाएं/
- उत्तर प्रदेश विधान सभा की डिजिटल लाइब्रेरी एवं संचार प्रणाली परियोजना।
- रिजनल सेंटर फार अर्बन एंड एनवार्यनमेंटल स्टडीज फार जियो इंफार्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट (भू सूचना प्रणाली परियोजना के लिए नगरीय एवं पर्यावरणीय अध्ययन का क्षेत्रीय केन्द्र)
- उत्तराखंड भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड परियोजना
- उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (स्मार्ट क्लास वर्क्स) परियोजना
- उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लिए नेटवर्क समाधान
- उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना
- उत्तराखंड वन विकास निगम के उत्तराखंड वन विकास प्रबंधन प्रणाली का वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध
- बीएसएनएल के लिए नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली
- ईईएसएल के लिए केंद्रीय नियंत्रण निगरानी प्रणाली
- यारीगुट्टा मंदिर विकास प्राधिकरण के लिए सीसीटीवी
- वित्त प्रबंधन प्रणाली
- जियो फेंसिंग
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

- बिहार में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की वेबकास्टिंग
- ओएफसी केबल बिछाने तथा बीएसएस कार्य के प्रावधान की दक्षिणी रेलवे परियोजना
- बैंकों को आधार सेवाएं
- बीएसएनएल एसएसए में स्विच मोड बिजली आपूर्ति मरम्मत
- इंडियन बिजनेस स्कूल (वोडाफोन, एयरटेल)
- आईटी और आईओटी आपूर्ति तथा समाधान
- उडीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन परियोजना।
- बेंगलूरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड परियोजना
- उड़ीसा कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर परियोजना
- ब्रॉड बैंड नेटवर्क गेटवे परियोजना
- ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीकरण प्रमाणपत्र परियोजना

वर्ष 2022-23 के दौरान कॉर्पोरेट मार्केटिंग द्वारा किए गये प्रयास:

- आईटीआई लिमिटेड द्वारा नवंबर और दिसंबर 2022 माह में बीएसएनएल की 4जी मोबाइल नेटवर्क की निविदा में भाग लिया गया था। बीएसएनएल के साथ अनेक अवसरों पर बातचीत किए जाने के पश्चात कंपनी को मई, 2023 में 2421.49 करोड़ रुपए मूल्य की बीएसएनएल की पश्चिम जोन में 4जी मोबाइल नेटवर्क की योजना, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, स्थापना तथा परीक्षण एवं कमीशनिंग का आर्डर प्राप्त हुआ है।
- आईटीआई को बीएसएनएल से 1500 जीपॉन 4 पोर्ट ऑप्टिकल लाइन टर्मिनेशन उपकरण की आपूर्ति का आर्डर प्राप्त हुआ है।
- वोडाफोन के साथ एचडीपीई डक्ट तथा ओएफसी की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता के रूप पैनलबद्ध होना। पीएलबी एचडीपीई पाइप के लिए वोडाफोन आर्डर प्राप्त हुआ है।
- आदियासी क्षेत्र में एयरटेल उड़ीसा के लिए ओएफसी बिछाना।
- ओएफसी से संबंधित गर्वनमेंट ई मार्केटिंग (जीईएम) बोलियां/निविदाओं के लिए प्रतिभागिता की तथा 7059 किलोमीटर के लिए सफलता प्राप्त हुई।
- एमएसपी सहित अन्यों के साथ बेहतर समन्वय के लिए एमएसपी एमआईएस पोर्टल विकसित किया गया है।
- 2167 स्मैश पीसी तथा 9220 लैपटॉप- 9220 नंबर से संबंधित गर्वनमेंट ई मार्केटिंग (जीईएम) बोलियां/निविदाएं।

प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता:

कंपनी ने वर्ष 2022-23 के दौरान अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने तथा कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों की दृश्यता बढाने के लिए निम्नलिखित प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता की है।

- एयरो इंडिया शो 2023, बेंगलूरु
- इंडियन मोबाइल कांग्रेस नई दिल्ली
- बेंगलूरु टेक समिट बेंगलूरु
- भारत ऊर्जा सप्ताह बेंगलूरु
- उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन, लखनऊ
- अंतर्राष्ट्रीय आईईटीई शिखर सम्मेलन बेंगलूरु
- दक्षिण एशिया और अफ्रीका के लिए टेलीविजन के भविष्य पर आईटीयू कार्यशाला बेंगलूरु
- इंडिया आईएसपी कॉन्क्लेव पुणे
- भारत दूरसंचार प्रदर्शनी दिल्ली

समझौता ज्ञापन (एमओयू) रेटिंग

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की रेटिंग 44.76 के समग्र स्कोर के साथ "उचित" है। कंपनी ने प्रशासनिक मंत्रालय के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2569 करोड़ (उत्कृष्ट स्तर पर) रुपए की टर्नओवर के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग / लोक उद्यम विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के समझौता ज्ञापन मूल्यांकन का अभी अंतिम निर्धारण नहीं किया गया है।

भविष्य के प्रति अभिमुखता

अपनी टर्नओवर में बढ़ोतरी करने तथा पुनरूद्धार योजना के कार्यान्वयन के लिए कंपनी ने अनेक पहल/परियोजनाएं प्रारंभ की हैं।

I. मोनो क्रिस्टलीय सोलर सेल के साथ 500 एमडब्ल्यूपी सौर पैनल का निर्माण

भारत सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य तथा सौर क्षेत्र को प्राप्त अवलम्बन से स्वदेशी पीवी विनिर्माण में व्याप्त संभावनाएं काफी अधिक प्रबल हुई हैं।

वर्ष 2020 में, भारत द्वारा उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगा वाट (जीडब्ल्यू) पैमाने की विनिर्माण क्षमता की प्राप्ति के लिए 'उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के राष्ट्रीय कार्यक्रम' को अंगीकार किया है। मिशन का उद्देश्य भारत में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के विनिर्माण में बढ़ोतरी करके नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आयात निर्भरता में कमी लाना है।

पिछले पांच वर्षों में, भारत ने सौर विनिर्माण में काफी बेहतर प्रगति की है। सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 2016 में 5.8जीडब्ल्यू से तीन गुना बढ़कर दिसंबर 2022 में लगभग 39 जीडब्ल्यू हो गई है यह संभावना है कि वर्ष 2026 तक यह 110 जीडब्ल्यू हो जाएगी।

सौर फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी में बदलाव और उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल का अनुकूलन होने से, उच्च शक्ति एवं उच्च दक्षता की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए उच्च दक्षता वाले सौर सेल की मांग में भी काफी बढ़ रही है जिससे ऊर्जा की स्तरीय लागत (एलसीओई) में कमी आ सकेगी।

उच्च दक्षता एवं कम बिजली क्षरण के लाभ के कारण, मोनो पीईआरसी सौर सेल तकनीक से बने मोनो क्रिस्टलीय सौर मॉड्यूल का व्यापक रूप से उपयोगिता स्तर की सौर परियोजनाओं, आवासीय उद्देश्यों में उपयोग किया जा रहा है, पीईआरसी सौर पैनलों का उपयोग नियमित रूफ फोटो-वोल्टाइक, ईवी सौर छत चार्जर, और सौर शेड के रूप में एवं एकीकृत फोटो-वोल्टेइक (बीआईपीवी), जल सतह वाले बिजली स्टेशनों के निर्माण एवं अन्य अनेक के लिए किया जा सकता है।

इस प्रकार, आईटीआई द्वारा वर्ष 2023-24 में 110 करोड़ रुपए के निवेश के साथ उच्च दक्षता वाले मोनो क्रिस्टलीय सौर सेल के साथ 500 मेगावाट सौर मॉड्यूल की आंतरिक विनिर्माण सुविधा के कार्यान्वयन की योजना बनाई जा रही है।

II. डिजिटल मोबाइल रेडियो - डीएमआर

अनुसंधान एवं विकास द्वारा एनालोग रेडियो के स्थान पर किफायती, कम जटिल डिजीटल मानक प्रदान करने के लिए डिजिटल मोबाइल रेडियो (डीएमआर) का विकास किया गया है। डीएमआर आधारित वीएचएफ/यूएचएफ रेडियो का उपयोग सैन्य संचार, पुलिस, रेलवे, सार्वजनिक सुरक्षा, यातायात नियंत्रण, आपदा प्रबंधन, औद्योगिक सुरक्षा एवं संचार आदि जैसी अनेक उपयोज्यताओं के लिए किया जाता है। वीएचएफ/यूएचएफ रेडियो का उपयोग टियर I, टियर II तथा टियर II, टियर III में मल्टी-साइट पर्यावरण स्वरूपों में डायरेक्ट-टू-डायरेक्ट संचार के लिए किया जा सकता है।

विकसित रेडियो में उपभोक्ता अनुप्रयोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए संपूर्ण यूजर इंटरफेस और मैकेनिकल डिजाइन है।

अनुसंधान एवं विकास के डिजीटल मोबाइल रेडियो में डीएमआर स्मार्ट फोन, डीएमआर एलसीआर (न्यून लागत रेडियो), रिपीटर एवं बेस स्टेशन शामिल हैं। इसका प्रोटोटाइप तैयार पहले से ही तैयार किया जा चुका है तथा अब भारतीय रेल, बेंगलूरु के प्रत्यक्ष पर्यावरण में इसके परीक्षण किए जा रहे हैं।

III. 4जी आरएएन विनिर्माण

आईटीआई द्वारा आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत बीएसएनएल के 4जी टेंडर के माध्यम से स्वदेश में निर्मित 4जी मोबाइल उपकरणों के प्रसार में योगदान के लिए टर्नकी परियोजनाओं की ओर ध्यान केन्द्रित किया गया है। आईटीआई को बीएसएनएल नेटवर्क के पश्चिमी क्षेत्र में 23,633 साइटों के लिए योजना, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग एवं 4जी मोबाइल नेटवर्क की एएमसी के लिए बीएसएनएल से 2421.49 करोड़ रुपए का अग्रिम क्रयादेश प्राप्त हुआ है।

इसके अलावा आईटीआई ने बीएसएनएल नेटवर्क के लिए तैनात किए जाने वाले 4जी एलटीई आरएएन के निर्माण के लिए सी-डॉट के साथ प्रौद्योगिकी की व्यवस्था की है। आईटीआई द्वारा निर्मित रेडियो एस्सेस नेटवर्क (आरएएन) का पहला प्रोटोटाइप बीएसएनएल के पीओसी में पहले ही स्थापित किया जा चुका है। बीएसएनएल द्वारा पांच अलग-अलग बैंड के पीओसी के लिए 20 साइटें आवंटित की गई हैं।

IV. मल्टी सर्विस प्लेटफार्म (एमएसपी)/सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी):

आईटीआई द्वारा बेंगलूरु में आईटीआई डेटा सेंटर में मल्टीसर्विस प्लेटफॉर्म/सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर (एसओसी) की स्थापना के लिए टाटा कम्युनिकेशंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ग्राहकों को उनकी नेटवर्क सुरक्षा अपेक्षाओं के अनुसार आइडेंटिटी एस्सेस मैनेजमेंट, ईमेल सिक्योरिटी, डेटा लॉस प्रिवेंशन, डिस्ट्रिब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस (डीडीओएस) मिटिगेशन, नेटवर्क एस्सेस कंट्रोल, एंडपॉइंट प्रोटेक्शन, डिटेक्शन एंड रिमेडिएशन, एसआईईएम (सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट) तथा थ्रेट इंटेलिजेंस एंड एडवाइजरी जैसे विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। मल्टीसर्विस प्लेटफॉर्म/सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर (एसओसी) का कार्यान्वयन पूरा हो गया है तथा यह ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है। आईटीआई को बीएसएनएल से 11.01.2023 को एसईसीएएएस समाधान प्रदाता के रूप में राष्ट्रीय स्तर के सिस्टम इंटीग्रेटर के पैनल में शामिल होने का पत्र प्राप्त हुआ है।

V. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम)

आईटीआई की मंशा पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) प्रणाली का निर्माण करने की है। विकसित ईवीएम में राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) की अपेक्षाओं के अनुरूप पूर्ण यूजर इंटरफेस और यांत्रिक डिजाइन होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी (वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) शामिल होगी।

आईटीआई अनुसंधान एवं विकास ने प्रयोगशाला मूल्यांकन/ट्रेल्स और टीईसी/ईसीआई द्वारा उत्पाद अनुमोदन के लिए प्रोटोटाइप के विकास के लिए नवीनतम ईवीएम की एसईसी आवश्यकता से मेल खाने वाली ईवीएम की तकनीकी विशिष्टताओं को अंतिम रूप दे दिया है। आईटीआई ने प्रोटोटाइप का निर्माण किया है। इसके लिए राज्य चुनाव आयोगों से क्लीयरेंस प्रतीक्षित है।

VI. स्मार्ट ऊर्जा मीटर

विविधीकरण की रणनीति का अनुसरण करके आईटीआई ने जहां एक ओर स्मार्ट एनर्जी मीटर के निर्माण कार्य प्रारंभ किए हैं, वहीं पुराने ऊर्जा मीटरों को स्मार्ट ऊर्जा मीटरों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा रहा है। ये मीटर ऊर्जा खपत को रिकार्ड करते हैं और इसमें डेटा के भंडारण तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्ति की सुविधा है। ये मीटर केन्द्रीय प्रणाली एवं मीटर के मध्य दो-तरफा संचार के लिए समर्थित हैं। आईटीआई लिमिटेड द्वारा आईएस 16444 तकनीकी विशिष्टताओं की अनुकूलता वाले 91000 स्मार्ट मीटर उत्तर प्रदेश एवं हरिया के डिस्कॉम्स को एनर्जी एफिशियेंसी सर्विसेस लिमिटेड (ईईएसएल) के माध्यम से प्राप्त आर्डर के प्रति की गई है। आईटीआई पालक्काड संयंत्र में स्मार्ट ऊर्जा मीटरों के थोक निर्माण, के लिब्रेशन, परीक्षण और आपूर्ति के लिए संयंत्र में सुविधाएं और अवसंरचना स्थापित है। स्मार्ट एनर्जी मीटर की कैलिब्रेशन प्रयोगशाला को आईएसओ 17025: 2017 मानकों अनुसार एनएबीएल प्रमाणन प्राप्त हुआ है।

आईटीआई द्वारा स्मार्ट एनर्जी मीटर समाधान प्रदान करने के लिए विभिन्न बिजली वितरण कंपनियों के साथ व्यापार के प्रयास कर रहा है।

VII. रायबरेली संयंत्र में ओएफसी विनिर्माण लाइन (प्रति वर्ष 30,000 की क्षमता)

रेलवे, भारतनेट और रक्षा परियोजनाओं के लिए ओएफसी केबल की मांग काफी अधिक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) विनिर्माण लाइनों की स्थापना 30,000 किलोमीटर (24एफ लूज ट्यूब टाइप ओएफसी) एवं 10000 किलोमीटर रिबन टाइप ओएफसी की वार्षिक क्षमता के साथ रायबरेली संयंत्र में स्थापित की गई हैं।

आईटीआई ने एस्कॉन परियोजना के लिए 11000 किलोमीटर 24एफ एनजेडडीएस ओएफसी, तनफिनेट परियोजना के लिए 8997 किलोमीटर 24एफ/48एफ एडीएसएस, 96एफ रिबन ओएफसी, रेलवे के लिए 1800 किलोमीटर 24एफ आर्मर्ड ओएफसी, एमटीएनएल के लिए 900 किलोमीटर 24एफ/48एफ/96एफ ओएफसी, भारतीय वायु सेना के लिए 200 किलोमीटर 24एफ एमएफ एलटी प्रकार ओएफसी का निर्माण किया है।

आईटीआई ने हाल ही आरडीएसओ/रेलवे 24एफ आर्मर्ड ओएफसी की आपूर्ति करके थोक आपूर्ति श्रेणी हासिल की है। हमने आरडीएसओ/रेलवे के लिए 48एफ आर्मर्ड ओएफसी की आपूर्ति के लिए पंजीकरण कराया है। आईटीआई को आरडीएसओ/रेलवे के लिए 24एफ/48एफ बख्तरबंद ओएफसी के लिए 2000-5000 किमी का आर्डर मिलने की संभावना है।

आईटीआई की योजना 24 एफ सामान्य लूज ट्यूब क्षमता को 3000 किलोमीटर से बढ़ाकर 45000 किलोमीटर करने और पैच कॉर्ड, एफटीटीएच/ड्रॉप केबल के निर्माण के लिए नई अवसंरचना तैयार करने की है।

राजकोष में योगदान

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने शुल्कों एवं करों के रूप में राजकोष में 153.67 करोड़ रुपए का योगदान दिया है।

सार्वजनिक जमा

कंपनी ने वर्ष 2022-23 के दौरान कोई जमा स्वीकार नहीं किए हैं। 0.23 करोड़ रुपए की जमा राशि भुगतान के लिए परिपक्व हो गई थी, लेकिन नियत तारीखों पर इनके प्रति दावा नहीं किया गया था।

क्रेडिट रेटिंग

कंपनी के विभिन्न ऋण प्रपत्रों के लिए रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट रेटिंग का विवरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में दिया गया है।

संयुक्त उद्यम

इंडिया सैटकॉम लिमिटेड (आईएसएल)

आईएसएल क्रिस टेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और आईटीआई का संयुक्त उद्यम है। क्रिस टेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड की आईएसएल में 51% इक्विटी भागीदारी है और शेष इक्विटी आईटीआई के पास है।

पुनरुद्धार योजना के अंतर्गत आईएसएल ने अपनी अचल संपत्ति का विकास एक सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क के रूप में करने के लिए संयुक्त विकास समझौते निष्पादित किया है। सिलिकॉन फ़ॉरेस्ट नामक परियोजना के मास्टर डिज़ाइन को आईजीबीसी कोर और शेल गोल्ड सर्टिफिकेशन की रेटिंग, जो एक ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग है जिससे मेजबान के संवहनीय व्यवहारों एवं समाधानों से पर्यावरण प्रभाव न्यून किए जा सकते हैं, प्राप्त करने के लिए आवश्यक विनिर्देश के साथ पूरा किया गया था। इस परियोजना से निर्माण के दौरान 1000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर संभावित है और इससे 25,000 सॉफ्टवेयर व्यावसायिकों के लिए कार्य क्षमता के साथ एक आईटी अवसंरचना का निर्माण हो सकेगा।

इसके अलावा, आईएसएल अपने सॉफ्टवेयर SatP AY का व्यावसायीकरण करने के लिए भी तैयार है, जिससे बड़े उद्यमों को ऑनलाइन भुगतान की सुविधा होगी। सक्षम प्राधिकारियों से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, इसे विभिन्न सरकारी विभागों को उनकी ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया के एकीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आईएसएल को 3.21 करोड़ रुपए की कुल आय प्राप्त हुई थी तथा वर्ष में अर्जित लाभ 49.53 लाख रुपए है।

कोई भी कंपनी समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की सहायक, संयुक्त उद्यम अथवा सहायक कंपनी नहीं बनी है अथवा बंद हुई है।

संयुक्त उद्यम कंपनी के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं फॉर्म एओसी-1 में प्रस्तुत की गई हैं, जो इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक 1** के रूप में संलग्न है।

गुणवत्ता

आईटीआई लिमिटेड सदैव से गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्ध है तथा गुणवत्ता का समावेश प्रत्येक प्रक्रिया में किया गया है। गुणवत्ता एक ऐसा चालक है जिससे कम लागत के साथ अधिक लाभ की उत्पत्ति होती है और बाजार स्थल में एक प्रीमियम मूल्य की क्षमता की उपलब्धि होती है।

कंपनी के निगमन के प्रारंभ काल से गुणवत्ता के महत्व के प्रति काफी जागरूकता स्थापित है तथा कंपनी ने अनेक गुणवत्ता पूर्ण प्रक्रियाओं और व्यवहारों को लागू किया है और पूर्व काल में विभिन्न गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों और आवश्यक अवसंरचना की स्थापना की है।

कंपनी की सभी निर्माण यूनिटें आईएसओ आधारित गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली यथा आईएसओ 9001 और आईएसओ 14001 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित हैं।

कंपनी ने अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाओं जैसे पर्यावरण परीक्षण चेम्बर्स, उच्चतर प्रतिष्ठा युक्त परीक्षण सुविधाएं, डम्प और वायब्रेशन परीक्षण सुविधाएं, इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरणों के लिए के लिब्रेशन सुविधाएं, ईएमआई/ईएमसी परीक्षण सुविधाएं इत्यादि स्थापित करके आवश्यक आधारभूत संरचना का निर्माण किया है। हाइली एक्सिलरेटिड लाइफ टेस्टिंग (एचएएलटी), हाइली एक्सीलरेटिड स्ट्रेस स्क्रीनिंग (एचएएसएस) तथा सम्मिश्रित पर्यावरणीय परीक्षण जैसी सुविधाएं उत्पाद की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए स्थापित की गई है। लगभग दो प्रयोगशालाओं के लिए एनएबीएल द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों को क्षमता एवं विश्वसनीयता के विभिन्न घटकों के संबंध में आईएसओ के क्षमता विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाता है।

हमारे प्रयासों से कंपनी को अनेक स्वरूप में लाभांश रूपी फल की प्राप्ति हो रही है जिसके अंतर्गत हमारी प्रक्रियाओं में सुधार, लागत कम करने और लाभप्रदता में सुधार, ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने और सद्भावना, विश्वास और प्रतिष्ठा अर्जित करने जैसी अनेक उपलब्धियां हैं। कंपनी के पास उपलब्ध अपेक्षित अर्हता और उच्च स्तर की गुणवत्ता के प्रति जागरूकता के साथ इन सभी अवसंरचनाओं से हम भविष्य में किसी भी मोर्चे पर किसी भी चुनौती का डटकर सामना करने के लिए तत्पर हैं। कंपनी द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्ता के अनुरक्षण के लिए सभी विधियों एवं प्रक्रिया का निरंतर अनुपालन किया जा रहा है।

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली क्यूएमएस 9001-2015 निगरानी आडिट 20 जून 2023 को किया गया था ।

पालक्काड यूनिट में पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस 14001-2015) का नवीनीकरण आडिट नवंबर 2022 में किया गया था। लैपटॉप और माइक्रो पीसी के निर्माण, आपूर्ति, स्थापना और सर्विसिंग के कार्यों को भी इसमें अब शामिल किया गया है।

फरवरी 2023 में स्मार्ट एनर्जी मीटर कैलिब्रेशन प्रयोगशाला के लिए एनएबीएल मान्यता मानक आईएस:17025 का नवीनीकरण आडिट किया गया है।

स्मार्ट एनर्जी मीटर के लिए बीआईएस आईएस 16444-2015 का नवीकरण आडिट नवंबर 2022 में किया गया था। स्मार्ट एनर्जी मीटर के लिए बीआईएस आईएस 16444-2015 का नवीकरण आडिट नवंबर 2022 में किया गया था।

टीएसईसी (बीएसएनएल के क्यूए और निरीक्षण सर्कल द्वारा जारी तकनीकी विशिष्टता मूल्यांकन प्रमाणपत्र)

- आईएसएम बैंड में रेडियो मॉडेम (टाइप ए और टाइप बी),
- स्थायी रूप से लुब्रिके टिड एचडीपीई टेलीकॉम डक्ट्स
- कार्यकारी टेलीफोन प्रणाली (ईटीएस-04),
- ऑप्टिकल फाइबर के बल (विभिन्न प्रकार)
- फाइबर वितरण प्रबंधन प्रणाली

बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) प्रमाणन के लिए

- स्मार्ट एनर्जी मीटर
- क्रिस्टलाइन सिलिकॉन फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल
- स्मैश पीसी।
- लैपटॉप

"सौर पीवी मॉड्यूल" के लिए आईईसी (इंटरनेशनल इलेक्ट्रो-टैक्नीकल कमीशन) प्रमाण पत्र ।

स्थायी रूप से लुब्रिके टेड एचडीपीई टेलीकॉम डक्ट्स के लिए **टीईसी (टेलीकम्यूनिकेश इंजीनियरिंग सेंटर) टाइप अनुमोदन प्रमाण पत्र।**

पालक्काड प्लांट में स्मार्ट कार्ड विनिर्माण अवसंरचना के संबंध में **रुपे कार्ड विनिर्माण और वैयक्तिकिकरण के लिए एनपीसीआई प्रमाणन।**

एनएबीएल प्रमाण पत्र

- बेंगलूरु संयत्र में ईएमसी लैब
- पालक्काड संयंत्र में स्मार्ट एनर्जी मीटर कैलिब्रेशन प्रयोगशाला

बीएसएससी (विक्रम साराबाई अंतरिक्ष केंद्र, त्रिवेंद्रम) कंपोनेंट स्क्रीनिंग, परीक्षण और मूल्यांकन, असेंबली और उड़ान पैकेज के परीक्षण के लिए प्रमाणन।

जनशक्ति

कंपनी द्वारा उद्योग में सर्वोत्तम मानव संसाधन नीतियों एवं व्यवहारों के माध्यम से संगठन में तकनीकी और प्रबंधकीय उत्कृष्टता के निर्माण की प्रक्रियाएं की जाती है। कंपनी की मानव संसाधन नीतियां कंपनी की व्यावसायिक योजना के अनुरूप हैं। इसमें कर्मचारियों की उत्पादकता में सुधार के लिए उनके कौशल और क्षमताओं को उन्नत करने पर बल दिया गया है। कंपनी नए और रणनीतिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित कर रही है, जिससे कि कर्मचारी आने वाले वर्षों में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रह सकें। मानव संसाधन पहल टीम भावना विकसित करने, कर्मचारियों के सशक्तिकरण और विभिन्न गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर केंद्रित है।

कंपनी का मानव संसाधन दृष्टिकोण आईटीआई को, तेजी से बदलते दूरसंचार परिदृश्य में वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए, कुशल और प्रेरित मानव संसाधनों के साथ एक गतिशील, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और मूल्य आधारित शिक्षण संगठन बनाना है।

कर्मचारी जनशक्ति

31 मार्च, 2023 को कर्मचारियों की संख्या 2118 थी जिसमें से 374 महिला कर्मचारी थीं।

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति के 360 कर्मचारी, अनुसूचित जनजाति के 57 और अन्य पिछड़े वर्ग के 437 कर्मचारी कार्यरत थे।

वर्ष 2022-2023 के दौरान कार्यकाल/अनुबंध आधार पर 162 अधिकारियों, 06 परामर्शदाताओं की भर्ती की गई है।

दिव्यांगजन कर्मचारियों की संख्या 15 थी और वित्तीय वर्ष के अंत में भूतपूर्व सैनिक वर्ग में 19 कर्मचारी कंपनी की वेतन सूची में थे।

औद्योगिक संबंध

कंपनी में स्वस्थ नियोक्ता-कर्मचारी संबंध की उत्पत्ति एवं उसे बनाए रखने की गौरवशाली परंपरा है। कंपनी में औद्योगिक संबंध परिदृश्य पूरे वर्ष सौहार्दपूर्ण रहा। कर्मचारी संघ और अधिकारी संघ ने सुचारू कार्य प्रवाह सुनिश्चित करने में अपना सहयोग और समर्थन दिया और कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता की।

कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का निवारण

कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके अध्याधीन नियमों के अंतर्गत महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कंपनी ने अपनी सभी यूनिटों में लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के उद्देश्य से आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) का गठन किया है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदात्मक, अस्थायी, प्रशिक्षु) इस नीति के अंतर्गत आते हैं। कंपनी लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित सांविधिक प्रावधानों का समेकन किया तथा वर्ष के दौरान अधिनियम के अंतर्गत कोई मामला/शिकायत प्रस्तुत नहीं हुई है। शिकायत निवारण समितियों के गठन से संबंधित विवरण कंपनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/hr पर देखा जा सकता है।

कर्मचारियों की क्षमताओं और कौशल का विकास

आईटीआई लिमिटेड अपने कर्मचारियों के विकास के उद्देश्य से उनके कौशल एवं क्षमताओं का उत्तोलन करके उन्हें भविष्य में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक प्रकार की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए तैयार करता है।

मानव संसाधन विकासः

i) प्रशिक्षण एवं विकास

आज के वैश्वीकरण के युग में प्रौद्योगिकी का विकास तेजी से हो रहा है, इसलिए संगठन के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान हासिल करना महत्वपूर्ण है। सामने आने वाली बाधाओं को पूरा करने और दूर करने के लिए, नई प्रतिभाओं को तैयार करने, मौजूदा प्रतिभाओं में संवर्धन करने तथा क्षमता को बढ़ाने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। व्यवसाय की सफलता प्रशिक्षित कार्यबल पर निर्भर करती है। कौशल और ज्ञान कंपनी के विकास और स्थिरता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं।

वर्तमान में संगठन के सम्मुख प्रशिक्षित और अनुभवी श्रमिकों के अपघर्षण के परिणामस्वरूप उत्पन्न कुशल कामगारों की कमी है। मानव संसाधन कर्मचारी विकास (एचआरडीडी) विभाग सावधानीपूर्वक प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों का व्यवस्थापन करता है, कठिन परिस्थितियों और कौशल के आवश्यक सेट न होने के कारण उत्पन्न होने वाली खामियों को सुधारना/उस पर नियंत्रण कर पाना संभव है। आईटीआई लिमिटेड ने एक रणनीति का कार्यान्वयन किया है जिसमें व्यवस्थित एवं आवश्यकता आधारित योजना दृष्टिकोण के माध्यम से कर्मचारियों के प्रशिक्षण, विकास और क्षमता निर्माण को प्राथमिकता दिया गया है तथा जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण अपेक्षाओं की पहचान करना, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का निर्माण एवं अनुकूलन आदि जैसी प्रक्रियाएं शामिल है।

आईटीआई लिमिटेड का मूलभूत मूल्य लर्निंग है। वर्तमान और भविष्य की भूमिकाओं के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता पहचान कर आईटीआई लिमिटेड ने सभी संयंत्रों (अर्थात, बेंगलुरु, पालक्काड, मनकापुर, रायबरेली और नैनी) में कर्मचारी विकास केंद्र (ईडीसी) सहित व्यापक प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित की हैं। जब प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक कौशल और नेतृत्व की बात आती है तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट हमारे कर्मचारियों को भविष्य के लिए तैयार करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। इसलिए लर्निंग एक मूलभूत आश्वश्यकता है। प्रशिक्षण वितरण स्वरूप में प्रौद्योगिकी चालित प्लेटफार्मों पर बल देकर कक्षा, ऑनलाइन (वेब आधारित और वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग), वर्चुअल रियलिटी और ई-लर्निंग की प्रक्रियाएं की जाती हैं।

कंपनी के व्यावसायिक उद्देश्यों, कर्मचारी-केंद्रित तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल विकास, ग्राहक संबंधों एवं गुणवत्ता पर प्रमुख ध्यान केन्द्रण के साथ कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग, उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (सी-डॉक), नीति अनुसंधान, नवाचार और राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान (एनटीआईपीआरआईटी), दूरसंचार विभाग, राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास अकादमी (एनएएचआरडी), सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) आदि जैसी दूरसंचार प्रौद्योगिकियों में उभरते रुझानों में कौशल संवर्धन को अंगीकार करने की प्रतिबद्धता जताई है। मानव संसाधन लर्निंग मध्यवर्तन एवं कर्मचारी विकास गतिविधियों में भी इससे तेजी आई है।

कर्मचारियों को नई तकनीक/सामान्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जैसे 4जी/5जी, आईओटी, उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) पर उन्नत पाठ्यक्रम, पीसीएमएम स्तर 3 पर उन्नत पाठ्यक्रम, आरक्षण नियम और भर्ती नीति, कर्मचारी कल्याण/जागरूकता कार्यक्रम, जीईएम प्रापण, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आदि जैसे क्षेत्रों में कौशल/ज्ञान बढ़ोतरी के लिए नियमित पहुंच मिलती है।

कर्मचारियों की क्षमताओं, ज्ञान, दृष्टिकोण और नई प्रौद्योगिकीयों के विकास एवं उनकी क्षमताओं में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से 728 आईटीआई अधिकारियों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी संगठनों और निजी संस्थानों द्वारा आयोजित बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के लिए नामांकित किया गया है। ये कौचिंग कार्यक्रम लोगों को परिवर्तन के प्रबंधन की क्षमता, उनके नवोन्वेष एवं विधियों, गंभीर विचार की उनकी क्षमता तथा उच्च निष्पादक कार्यस्थल संस्कृति का निर्माण करने के सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास में सहायक हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या का विवरण; प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या; प्रशिक्षण मानव दिवस इत्यादि का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	प्रशिक्षण		योग
	आंतरिक (आईएच)	बाह्य (ईएन)	
कार्यक्रमों की संख्या	70	79	149
प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	1523	728	2251
प्राप्त श्रम दिन प्रशिक्षण	2201	940	3141
प्रशिक्षित पुरूष कर्मचारी	1140	527	1667
प्रशिक्षित महिला कर्मचारी	383	201	584
प्रशिक्षित अजा/अजजा कर्मचारी	256	171	427

टिप्पणी : आईएच - आंतरिक, ईएनः बाह्य नामांकन

उपरोक्त के अलावा, संचार मंत्रालय द्वारा वैयक्तिक अधिकारियों को, उनके क्षमता-निर्माण के प्रयासों में, मार्गदर्शन करने के लिए एक ऑनलाइन शिक्षण मंच का विकास किया गया है। यह ऑनलाइन लर्निंग, योग्यता प्रबंधन, कैरियर प्रबंधन, चर्चा और नेटवर्किंग के लिए पांच कार्यात्मक केंद्रों का सम्मिश्रण है।

आईटीआई के कर्मचारियों ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण के आईजीओटी पोर्टल (कर्मयोगी भारत) के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर अपने ज्ञान और कौशल को बेहतर बनाने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अब तक 79 कर्मचारियों ने आईजीओटी पोर्टल (कर्मयोगी भारत) के अंतर्गत दो अथवा अधिक ऑनलाइन प्रशिक्षण पूरे कर लिए हैं।

प्रतिभा विकास

कर्मचारियों की प्रतिभा एवं उन्हें उनके वैयक्तिक और व्यावसायिक विकास लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से आईटीआई लिमिटेड में न केवल अपने उत्पाद बल्कि वैयक्तिक समग्र विकास की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। सदैव से ही हमारी यह अवमानना है कि वैश्विक स्तर पर अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार की ओर रुझान को ध्यान में रखकर व्यापक प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कर्मचारियों का अवलम्बर अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

जैसे-जैसे हम अधिक अनुभव प्राप्त करते हैं वैसे वैसे ज्ञान एवं कौशल का संवर्धन होता है। कौशल, किसी कार्य का निर्वाह संतोषजनक स्वरूप में करने की क्षमता है। जब कर्मचारियों को अपने कार्यों के निर्वाह के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त होते हैं तो उनका निष्पादन बढ़ जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम से कर्मचारियों के कौशल का विकास किया जा सकता है। जब भी नई तकनीक, प्रक्रियाएं या सिस्टम प्रभावी होते हैं, तो कौशल प्रशिक्षण का उपयोग कर्मचारियों को फिर से शिक्षित करने और फिर से प्रशिक्षित करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा, कर्मचारी विकास पहल कर्मचारियों को उनके व्यावसायिक विकास में सहायक हो सकती है।

(ii) कौशल विकास और क्षमता निर्माण

कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र सरकार द्वारा रोजगार के उभरते या संभावित क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर बेरोजगार लोगों अथवा स्कूल छोड़ने वाले लोगों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक पहल है। किसी छात्र/उम्मीदवार के समग्र विकास में कौशल विकास महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत विकास और कौशल से न केवल अवसर बढ़ते हैं अपितु इससे व्यक्ति सशक्त भी बनेगा। संचार जैसे कौशल छात्रों/प्रशिक्षुओं के समग्र विकास में काफी मदद करते हैं। कौशल विकास प्रशिक्षण से रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आजीविका विकास के अवसरों में वृद्धि, वैयक्तिक विकास, स्थानीय उद्योग के ज्ञान और समझ में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं।

आईटीआई संयंत्रों में छह प्रशिक्षण केंद्र (टीसी) स्थापित किए गए हैं तथा स्मार्ट.एनएसडीसीइंडिया.ओआरजी पोर्टल - एनएसडीसी पर उनका पंजीकरण किया गया है। बेंगलूरु, पालक्काड, रायबरेली, नैनी एवं मनकापुर तथा आईटीआई श्रीनगर संयंत्र में स्मार्ट कौशल विकास केंद्र स्थापित किया गया है। कंपनी न केवल यूनिटों में स्थित अपने मानव संसाधन-कर्मचारी विकास केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करके अपने कर्मचारियों के कौशल सेट को विकसित करती है, बल्कि ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण/इंटर्नशिप परियोजनाओं आदि के माध्यम से व्यावसायिक ट्रेडों में युवाओं को प्रशिक्षित और शिक्षित भी करती है।

कंपनी टेलीकॉम स्किल सेक्टर काउंसिल (टीएसएससी)/इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (ईएसएससीआई) तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एनआईईएलआईटी) के विभिन्न जॉब रोल और आईटीआई

मॉड्यूल के विभिन्न मॉड्यूल में छात्रों की श्रेणियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्रिय रूप से शामिल है।

'स्किल इंडिया' फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंतर्गत आईटीआई ने युवाओं/प्रशिक्षुओं/छात्रों को आईटीआई के विभिन्न संयंत्रों में कौशल विकास और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करने की शुरूआत की है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि हुई है तथा उनके रोजगार के अवसर और उनकी उद्यमशीलता में वृद्धि हुई है।

कंपनी ने संस्थान-उद्योग कौशल अंतर को पाटने के प्रयास के रूप में इंजीनियरिंग, प्रबंधन के छात्रों को सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया भी की है। कंपनी के संयंत्रों में फिनिशिंग स्कूल प्रशिक्षण देश में छात्र समुदाय के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

सभी संयंत्रों ने अपने प्रशिक्षण केन्द्र skillindia.nsdcindia.org एनएसडीसी पर पुनः पंजीकृत/स्थानांतरित कर दिए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण तथा नियोजन (ईएसटी एंड पी) के माध्यम से रोजगार के अंतर्गत विभिन्न मॉड्यूल पर 310 छात्रों ने कौशल विकास प्रशिक्षण पूरा किया है।

उपरोक्त के अलावा, आईटीआई प्रशिक्षु अधिनियम/राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्धन योजना (एनएपीएस) के अंतर्गत विभिन्न ट्रेडों में ग्रेजुएट इंजीनियरों, डिप्लोमा (तकनीशियनों) और ट्रेड अपरेंटिस को भी शामिल कर रहा है और प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, क्षमता निर्माण के अंतर्गत, कंपनी इंजीनियरिंग/प्रबंधन के छात्रों को उनकी इंटर्नशिप, परियोजना और आईटीआई/औद्योगिक प्रशिक्षण को अपनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किए गए प्रतिभागियों की पाठ्यक्रम-वार संख्या निम्नानुसार है :

क्र.सं.	कौशल विकास योजना का नाम	प्रतिभागियों की संख्या
1	कंप्यूटर/नेटवर्क आधारित प्रशिक्षण (वीएचएसई)	90
2	फ़ील्ड तकनीशियन कंप्यूटिंग और परिधीय - ईएसटी और पी-डे एनयूएलएम	120
3	फायर फाइटर - ईएसटी और पी-डे एनयूएलएम	112
4	ब्रॉडबैंड तकनीशियन - ईएसटी और पी-डे एनयूएलएम	78
5	आईटीआई व्यवसाय अप्रेंटिस (एनएसी)	82
6	डिप्लोमा/तकनीशियन अप्रेंटिस	7
7	स्नातक इंजीनियर अप्रेंटिस	9
8	संयंत्र में / इंटर्नशिप प्रशिक्षण (आईटीआईएल माड्यूल)	547
9	परियोजना प्रशिक्षण (आईटीआईएल माड्यूल)	88
10	औद्योगिक दौरा	1730
11	विशेष औद्योगिक प्रशिक्षण (आईटीआईएल माड्यूल)	81
	योग	**2944**

राजभाषा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत अनुपालन

सभी युनिटों/विपणन सेवाएं और परियोजना ("एमएसपी") द्वारा राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रयास को और अधिक प्रभावी बनाएं रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर जाँच बिन्दु स्थापित किए गए हैं जिन पर प्रत्येक यूनिट/एमएसपी में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति नज़र रखती है।

निगमित कार्यालय सहित अधीनस्थ यूनिटों/विपणन सेवाएं और परियोजना में राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा, निगमित कार्यालय में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) द्वारा समय-समय पर की जाती है।

नैनी, रायबरेली, मनकापुर, नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद और निगमित कार्यालय जैसी यूनिटों/विपणन सेवाएं और परियोजनाओं में 80% से अधिक कर्मचारी वर्ग द्वारा हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने के कारण इन यूनिटों/विपणन सेवाएं और परियोजनाओं को राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10(2) और (4) के अंतर्गत भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया जा चुका है।

आईटीआई लिमिटेड, निगमित कार्यालय द्वारा संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली तथा उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, बेंगलूरु को नियमित रूप से तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजी जा रही है। हम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति(उपक्रम), बेंगलूरु के सचिव को अर्धवार्षिक रिपोर्ट तथा संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली को वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी भेजी जा रही है। तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के पश्चात उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, बेंगलूरु द्वारा निगमित कार्यालय को विगत एक वर्षों से प्रशंसनीय पत्र प्राप्त हो रहें हैं।

मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, निगमित कार्यालय के राजभाषा विभाग द्वारा उत्तर भारत में स्थित इकाईयों/एमएसपी कार्यालयों नैनी, रायबरेली, मनकापुर एवं लखनऊ में दिनांक 16 से 21 मई 2022 के दौरान 25 निरीक्षण किया गया।

नगर राजभाष कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), बेंगलूरु द्वारा आईटीआई लिमिटेड, निगमित कार्यालय को वर्ष 2021-22 के लिए 'छोटे कार्यालयों' की श्रेणी में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग एवं कार्यान्वयन के लिए दिनांक 25.07.2022 को प्रथम पुरस्कार "राजभाषा निष्पादन श्रेष्ठता पुरस्कार" प्राप्त हुआ।

दिनांक 25.08.2022 को संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति नई दिल्ली, डॉ. रीता बहुगुणा जोशी एवं समिति के सभी सदस्यों ने आईटीआई लिमिटेड एमएसपी कार्यालय, हैदराबाद राजभाषा विभाग का राजभाषा कार्यान्वयन नीति से संबंधित निरीक्षण किया गया।

कर्मचारियों में राजभाषा के ज्ञान को बढ़ाने के लिए आंतरिक/बाह्य संकाय के सहयोग से आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। इसके अलावा, कर्मचारियों को हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा और पारंगत परीक्षा में भाग लेने हेतु भी प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके लिए योग्य कर्मचारियों को वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाता है।

वर्ष 2022-23 में सभी इकाईयों/विपणन सेवाएं और परियोजनाओं में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया और पखवाड़े के दौरान कार्मिकों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति(उपक्रम), बेंगलूरु द्वारा संयुक्त हिंदी माह के दौरान आयोजित की गई प्रतियोगिताओं में इकाई/विपणन सेवाएं और परियोजनाओं के कार्मिकों ने भाग लिया और लगभग 03 पुरस्कार जीतें। कंपनी की वेबसाइट को नियमित रूप से द्विभाषी (अर्थात हिंदी और अंग्रेजी) में अद्यतन किया जाता है।

सतर्कता

आईटीआई लिमिटेड का सतर्कता विभाग प्रणाली में व्याप्त कमियों, यदि कोई हो, का संज्ञान करने के लिए निवारक सतर्कता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इनकी पुनरावृत्ति से बचाव के लिए प्रणाली को सुव्यवस्थित करने पर प्रबंधन को प्रदान करता है। प्राप्त शिकायतों की भी जांच करके तार्किक निष्कर्ष के माध्यम से समाधान किए जाते हैं। सतर्कता यूनिट का प्रबंधन आडिट 14 तथा 15 सितंबर 2022 को पूर्व अधिकारियों द्वारा किया गया था। आईटीआई में सतर्कता विभाग द्वारा 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2022 का आयोजन किया गया था।

I. **प्रणाली सुधार**

निवारक सतर्कता और शिकायतों की जांच के आधार पर किए गए प्रणाली सुधारों का विवरण नीचे दिया गया है:

क) **भूमि अभिलेख**

सतर्कता द्वारा आईटीआई के स्वामित्व वाली प्रत्येक भूमि के भूमि रिकार्ड का डिजिटलीकरण किया गया है जिससे भूमि रिकार्ड के साथ-साथ उसके उपयोग की स्थिति को पूरा करने में सुविधा हुई। विभिन्न संयंत्रों को पट्टे पर देने तथा अतिक्रमण हटाकर राजस्व संवर्धन के प्रति जागरूकता की उत्पति की गई है।

ख) **लागत में कमी के उपाय**

i. ओएफसी - सतर्कता पहल के आधार पर, ओएफसी विनिर्माण के लिए कच्चे माल की लागत में 17% की कमी की गई है।

ii. बिजली संरक्षण - बिजली की खपत के प्रति जागरूकता की उत्पति करके कम करने के उपाय पर सतर्कता द्वारा प्रकाश डाला गया और इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

iii. सभी श्रम अनुबंधों के सारांश का संकलन करके आउटसोर्सिंग की लागत को कम करने और अनुकूलित करने के लिए प्रबंधन का ध्यान आकर्षित किया गया है।

ग) **भर्ती एवं पदोन्नति**

अधिसूचना और चयन प्रक्रिया से संबंधित कमियों की ओर ध्यान दिया गया है तथा संवेदनशील भर्तियों में कमियों की पुनरावृत्ति से बचाव के लिए परामर्श दिए गए हैं।

2021 और 2022 में अनुसरण की गई पदोन्नति प्रक्रिया की समीक्षा की गई और इसे अधिक उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए अपेक्षित इनपुट पर प्रकाश डाला गया। उनमें से अधिकांश स्वीकार कर लिया गया।

घ) **कारखानों की सुरक्षा**

विभिन्न स्थलों पर आई टी आई की फैक्ट्रियों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई है और कमियों का विवरण और उन्हें सुधारने के लिए दिशा-निर्देश प्रबंधन को प्रस्तुत किए गए हैं।

ङ) **माल एवं सेवाओं का प्रापण**

वर्ष 2016 में संशोधित सामग्री प्रबंधन नियमावली की समीक्षा की गई है तथा कंपनी के अद्यतन दिशानिर्देशों और नीति के साथ संशोधित मैनुअल तैयार किया गया है जिसका मसौदा सम्बद्ध डीओपी के साथ अनुपालन के लिए प्रबंधन द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने के अग्रिम चरण में है।

च) **परियोजनाओं के निष्पादन के लिए कार्य अनुबंध**

विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत निष्पादित किए जा रहे अनुबंधों में पाई गई कमियों/विसंगतियों को दूर करने के लिए, पूर्व निविदा, निविदा चरण, निविदा मूल्यांकन और पोस्ट निविदा निष्पादन को शामिल करके विस्तृत परामर्श जारी किया गया है।

छ) **प्रौद्योगिकी का उत्तोलन**

प्रबंधन के साथ सतर्कता समीक्षा के अंतर्गत ई भुगतान, ई निविदा, जीईएम के माध्यम से प्रापण और ईआरपी के कार्यान्वयन को नियमित समीक्षा मदों को शामिल किया गया था और इससे संबंधित मात्रात्मक सुधार हासिल किए गए थे।

ज) **कालातीत सामग्री और संयंत्र एवं मशीनरी का निपटान**

पिछले दो दशकों में एकत्रित अप्रचलित / अनुपयोगी सामग्रियों और संयंत्र और मशीनरी के विशाल संचय की विस्तृत समीक्षा की गई है और अपेक्षित निपटान प्रक्रियाधीन है। इस प्रक्रिया से न केवल निपटान राजस्व की उत्पत्ति होगी अपितु मालसूचियों के अनुरक्षण का व्यय भी कम और यूनिट में वैकल्पिक उपयोग के लिए स्थल भी उपलब्ध हो सकेगा। स्क्रैप निपटान प्रक्रिया की समीक्षा की गई और पाई गई कमियों को अनुपालन के लिए उजागर किया गया है।

2. **सतर्कता शिकायतों की मॉनीटरिंग का विवरण**

सतर्कता विभाग द्वारा संगठन में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की जाती है जांच की अपेक्षा वाली शिकायतों पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार विधिवत कार्रवाई की जाती है। वर्ष के दौरान प्राप्त एवं संसाधित की गई सतर्कता शिकायतों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

सतर्कता शिकायतों की स्थिति - 2022-23

अथशेष	2022-23 के दौरान प्राप्त	कुल	निपटाए	शिकायतों की प्रकृति के साथ लंबित मामले
8	17	25	21	4 (अनुबंध-2) (मा.सं.-2)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) के अंतर्गत अनुपालन

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 451 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें पिछले वर्षों के अग्रेषित किए 48 आरटीआई आवेदन शामिल हैं। 460 आरटीआई आवेदनों के अंतर्गत मांगी गई जानकारी दे दी गई। केंद्रीय सूचना आयोग ("सीआईसी") द्वारा आवेदकों की सुविधा के लिए जानकारी की प्राप्ति के उद्देश्य से ऑनलाइन आरटीआई अनुरोध दाखिल करने के लिए ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापित किया गया है। दिए गए 460 उत्तरों में से 210 मामलों की सूचना ऑनलाइन प्रदान की गई थी। आवेदकों द्वारा द्वितीय अपील के रूप में सीआईसी को संदर्भित सभी मामलों का सफलतापूर्वक समाधान एवं अनुपालन किया गया है। त्रैमासिक ऑनलाइन आरटीआई विवरण सीआईसी पोर्टल पर अपलोड किए गए थे और समान जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर भी जारी की गई थी।

लेखापरीक्षा

- **सांविधिक लेखापरीक्षा**

  भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा बेंगलूरु संयंत्र, एनएस यूनिट, कॉर्पोरेट कार्यालय, 8 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा लेखों के समेकन के लिए मैसर्स जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, बेंगलूरु की नियुक्ति वर्ष 2022-23 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में की गई थी। वे आगामी वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद पर बने रहेंगे। सी एंड एजी वर्ष 2023-24 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में है।

  वैधानिक लेखा परीक्षकों को ऑडिट शुल्क, प्रमाणन और अन्य सेवाओं के लिए कुल 12.85 लाख रुपये का पारिश्रमिक दिया गया है। उपरोक्त शुल्क में कर, यात्रा की प्रतिपूर्ति और जेब खर्च शामिल नहीं हैं।

- **लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट**

  वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखों के संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत लेखों के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के उत्तर इस रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में संलग्न किए गए हैं।

  वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार कोई जालसाजी की घटना घटित नहीं हुई है।

- **शाखा लेखापरीक्षक**

  भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के विभिन्न संयंत्रों के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की निम्नलिखित फर्मों को शाखा लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था।

क्र.सं.	यूनिट	फर्म का नाम
1.	रायबरेली	मैसर्स मेहरोत्रा कपूर और टंडन, रायबरेली
2.	नैनी	मैसर्स जी.के . अरोड़ा एंड एसोसिएट्स, इलाहाबाद
3	मनकापुर	एस. के . एसोसिएट्स, फैजाबाद
4.	पालक्काड	मैसर्स आर्गी एंड कंपनी, पालक्काड
5.	श्रीनगर	मैसर्स एमआईआर एंड कंपनी, पुलवामा, श्रीनगर

  रायबरेली के लिए शाखा लेखापरीक्षक को 1.63 लाख रुपए, नैनी के लिए 1.16 लाख रुपए, पालक्काड के लिए 1.34 लाख रुपए, मनकापुर के लिए 1.18 लाख रुपये तथा श्रीनगर के लिए 0.20 लाख रुपए का भुगतान लेखापरीक्षा, प्रमाणन एवं अन्य सेवाओं के प्रति किया गया है। उपरोक्त शुल्क लागू कर और यात्रा और जेब से बाहर के खर्चों की प्रतिपूर्ति के अलावा हैं।

- **लागत लेखा परीक्षक**

  कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुसार लागत रिकॉर्ड का अनुरक्षण किया जाता है। कंपनी ने मैसर्स जीएनवी एंड एसोसिएट्स, बेंगलूरु को वर्ष 2022-23 के लिए प्रमुख लागत लेखा परीक्षकों के रूप में बेंगलूरु और पालक्काड में स्थित इकाईयों की लागत लेखा परीक्षा और साथ ही कंपनी की लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट के समेकन के लिए नियुक्त किया था।

मैसर्स अमन मालवीय एंड एसोसिएट्स, लखनऊ को नैनी, रायबरेली, मनकापुर और श्रीनगर में स्थित इकाइयों की लागत लेखा परीक्षा के लिए शाखा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखा परीक्षकों को निदेशक मंडल के अनुमोदन से जीएसटी सहित 3,16,000 रुपए का निर्धारित पारिश्रमिक चुकता किया गया था जिसका अनुमोदन शेयरधारकों द्वारा दिनांक 28.09.2022 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक में प्रदान किया गया था। वर्ष 2021-22 की लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई थी।

- **सचिवीय लेखा परीक्षक**

  निदेशक मंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा के लिए श्री के एन नागेश राव, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, की नियुक्ति की थी। सचिवीय लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने, **अनुबंध-2** में संलग्न सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित टिप्पणियों के अलावा, अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन किया है। सचिवीय लेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर निदेशकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

आईटीआई लिमिटेड में कंपनी के आकार एवं कार्य प्रकृति के अनुरूप वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित है। अपनी परिसम्पतियों यथा सामग्री प्रबंधन मैनुअल, मानव संसाधन नीतियों एवं प्रक्रियाओं, लेखांकन नीतियों, वित्तीय एवं प्रचालनात्मक प्रक्रियाओं के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन की सुरक्षा के लिए इसकी अच्छी तरह से स्थापित और प्रलेखित नीतियां और प्रक्रियाएं हैं। कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा टीम द्वारा कॉर्पोरेट कार्यालय और यूनिटों में मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की अध्यक्षता में आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है। कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन की स्थिति दर्शाने वाली आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की रिपोर्टों की समीक्षा समय-समय पर लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाती है। लेखापरीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए शाखा लेखापरीक्षकों सहित आंतरिक और सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ भी समय-समय पर बातचीत करती है।

कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अनुपालन का विश्लेषण एवं लेखापरीक्षा की जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट तैयार की गई है तथा यह स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ संलग्न है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी में, प्रत्येक सामग्रीगत स्वरूप में, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित है तथा ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, **अनुलग्नक-ख** में संदर्भित टिप्पणियों के अलावा, 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आडिट के मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरण मानदंड के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण परप्रभावी ढंग से कार्यशील थी।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

आईटीआई अपने सीएसआर पहलों के माध्यम से अपने व्यवसाय के आसपास और उससे भी आगे के समुदायों के प्रति प्रतिबद्ध है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ नकारात्मक होने के कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी को सीएसआर प्रक्रियाओं के लिए कोई भी राशि व्यय अपेक्षित नहीं थी। तथापि, कंपनी ने सीएसआर प्रक्रियाओं पर 6.13 लाख रुपए का व्यय किया गया था। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए 11.46 लाख रुपए की सीएसआर अव्ययित राशि 29 सितंबर 2022 को पीएम केयर्स फंड में अंतरित की गई थी ।

सीएसआर समिति के गठन सहित सीएसआर प्रक्रियाओं की रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के **अनुलग्नक-3** में संलग्न है।

सीएसआर नीति, परियोजनाओं और कार्यक्रमों का विवरण कंपनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/csr पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

आईटीआई लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है तथा तदनुसार निदेशकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक कंपनी के संबंध में लागू नहीं है तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना के माध्यम से उनके निष्पादन के मूल्यांकन से भी छूट दी गई है।

11 अगस्त 2023 की स्थिति के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल में नौ निदेशक हैं, जिनमें से चार पूर्णकालिक निदेशक (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित), दो सरकारी निदेशक और तीन गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) हैं।

स्वतंत्र निदेशक

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों की न तो कोई नियुक्ति नहीं हुई है तथा न ही कोई नियुक्ति समाप्त हुई है।

कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों से स्वतंत्रता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है, जिसमें यह पुष्टि की गई है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) के प्रावधानों के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं। स्वतंत्र निदेशकों ने पुष्टि की है कि वे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट (आईआईसीए) द्वारा अनुरक्षण किए जा रहे डेटाबेस में पंजीकृत हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के प्रावधानों के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की गई हैं। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के अंतर्गत रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।

विचाराधीन वर्ष के दौरान, 11 नवंबर 2022 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी स्वतंत्र निदेशक उपस्थित थे ।

सरकारी निदेशक

सरकारी निदेशकों के संबंध में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

1. दिनांक 30 जून, 2022 को अधिवार्षिता की आयु प्राप्त कर लिए जाने के परिणामस्वरूप लैफ्टिनेंट जनरल मिलिंद एन भुरके , पीवीएसएम, यीएसएम, मुख्य सिग्नल अधिकारी कंपनी में सरकारी निदेशक नहीं हैं।
2. नए कार्यभार ग्रहण करने के परिणामस्वरूप, डा. राजेश शर्मा, दिनांक 17 नवम्बर, 2022 से सरकारी निदेशक नहीं हैं।
3. श्री आर. शाक्य की नियुक्ति, निदेशक पहचान संख्या प्राप्त किए जाने के पश्चात, दिनांक 23 नवम्बर, 2022 से कंपनी में सरकारी निदेशक के रूप में की गई है।
4. लैफ्टिनेंट जनरल एम उन्नीकृष्णन, एवीएसएम, एसएम, मुख्य सिग्नल अधिकारी को लेफ्टिनेंट जनरल मिलिंद एन भुरके के स्थान पर, दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 से कंपनी में सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त की गई है।

कार्यात्मक निदेशक

कार्यात्मक निदेशकों में निम्नानुसार परिवर्तन हुए हैं ::

1. 30 जून 2022 को अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप श्री राकेश मोहन अग्रवाल दिनांक 30 जून, 2022 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं है।
2. श्री वेंकटेश्वरुलू, निदेशक उत्पादन / निदेशक मानव संसाधन, अतिरिक्त प्रभार को दिनांक 7 जुलाई, 2022 से 31 अगस्त 2022 तक के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।
3. अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप श्री वेंकटेश्वरुलू दिनांक 31 अगस्त, 2022 से निदेशक उत्पादन / अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक मानव संसाधन नहीं है।
4. श्री आनन्द सिंह, संयुक्त सचिव (दूरसंचार) को दिनांक 1 सितम्बर, 2022 से 30 सितम्बर, 2022 तक के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।
5. श्री राकेश चन्द्र तिवारी, निदेशक विपणन को दिनांक 1 अक्टूबर 2022 से 21 फरवरी 2023 (पूर्वाह्न) तक के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

6. श्री राजेश राय की नियुक्ति दिनांक 21 फरवरी 2023 से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर की गई है।

7. श्रीमती आर वसंती, महाप्रबंधक (परिचालन) को 28 फरवरी 2023 से नियमित रूप से चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति तक निदेशक उत्पादन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

8. श्रीमती एस जेयंति, महाप्रबंधक (परियोजना एवं योजना) को 28 फरवरी 2023 से नियमित रूप से चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति तक निदेशक मानव संसाधन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

9. श्रीमती एस जेयंति को 19 मई 2023 से निदेशक उत्पादन नियुक्त किया गया था। इसके परिणामस्वरूप श्रीमती आर वसंती 19 मई 2023 से कंपनी की निदेशक नहीं हैं।

निदेशक मंडल अपने उन निदेशकों द्वारा दिए गए सराहनीय योगदान और मार्गदर्शन के प्रति हृदय से आभार व्यक्त है, जिनका कार्यकाल वर्ष के दौरान समाप्त हुआ है।

श्री राकेश चंद्र तिवारी, निदेशक विपणन, आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा अपनी अर्हता के कारण उन्होंने स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत किया है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कार्यात्मक निदेशकों के अलावा, मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं कंपनी सचिव कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के पद पर बने रहेंगे।

कंपनी की कंपनी सचिव एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिक श्री शनमुगा प्रिया द्वारा दिनांक 9 मार्च 2023 से कंपनी की सेवाओं से त्यागपत्र दिया गया है।

निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 06 जुलाई 2023 से श्रीमती शालिनी घटक को कंपनी के कंपनी सचिव एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रूप में नियुक्त किया गया है।

निदेशक मंडल की बैठकों का विवरण

विचाराधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की 8 (आठ) बैठकें आयोजित की गई थी, कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग लेने वाली बैठकों का विवरण दिया गया है।

लेखापरीक्षा समिति की संरचना

31 मार्च 2023, के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति में 4 (चार) सदस्य शामिल थे, जिनमें से 3 (तीन) स्वतंत्र निदेशक थे और 1 (एक) एक कार्यात्मक निदेशक था। वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति की 06 (छः) बैठकें आयोजित की गई थी, जिनका विवरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में दिया गया है।

वर्ष के दौरान ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसके अनुसार निदेशक मंडल द्वारा लेखापरीक्षा समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार नहीं किया गया हो।

निदेशक मंडल, इसकी समितियों एवं वैयक्तिक निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन तथा निदेशकों के चयन एवं नियुक्ति तथा उनके पारिश्रमिक की नीति

आईटीआई लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है तथा इसे स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन से छूट प्राप्त है। इसके अलावा, भारत सरकार, जो नियुक्ति प्राधिकारी है, को मानदंड निर्धारित करने और नियुक्ति/पुनः नियुक्ति के समय स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए प्रक्रियाओं की अपनी व्यवस्था है।

एक सरकारी कंपनी होने के कारण, नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित मानदंड भारत सरकार द्वारा तैयार किए जाते हैं।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी के लिए जोखिम प्रबंधन योजना तैयार करने, कार्यान्वयन एवं निगरानी करने के लिए कंपनी में एक जोखिम प्रबंधन समिति ('आरएमसी') स्थापित है। समिति ने अपने उद्यम जोखिम प्रबंधन मैनुअल - नीति एवं रूपरेखा को यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नया रूप दिया था कि कंपनी में यथोचित एवं अनवरत जोखिम पहचान और प्रबंधन प्रक्रिया स्थापित है। कंपनी द्वारा सभी यूनिटों में जोखिम प्रबंधन का अनुसरण किया जा रहा है और व्यवसाय से जुड़े संभावित जोखिमों की पहचान करके शमन योजनाएं तैयार की जाती हैं। जोखिम प्राथमिकता के अलावा, सभी उप समितियों (बोर्ड स्तर से नीचे) की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई हैं।

समिति के विवरण सहित अन्य विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिए गए हैं, जिसकी प्रस्तुति प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में जोखिम प्रबंधन के एक विस्तृत नोट की गई है।

सचेतक नीति / चौकसी तंत्रव्यवस्था

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल ने अंतरंग व्यापार नियमों से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने के लिए सचेतक नीति में संशोधन किए हैं।

कर्मचारियों का विवरण

सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के अनुपालन से छूट प्राप्त है। इसलिए, इससे संबंधित विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है।

व्यावसायिक उत्तरदेयता और वहनीयता रिपोर्ट तथा प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

सूचीबद्धता विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट में "प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट" तथा व्यवसाय उत्तरदेयता और वहनीयता रिपोर्ट के लिए भिन्न खंड क्रमशः **अनुलग्नक 4** के रूप में शामिल किए गए हैं तथा ये निदेशक रिपोर्ट का भाग हैं।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

कॉरपोरेट शासन पर सूचीबद्धता विनियमों तथा लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुबंध-5** के रूप में संलग्न है।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

सूचीबद्धता विनियमों और सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट शासन शर्तों के अनुपालन पर कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट निदेशक रिपोर्ट का भाग है। प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन की उक्त शर्तों का अनुपालन करने का प्रमाण पत्र भी निदेशक रिपोर्ट का भाग है।

वार्षिक विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, वार्षिक विवरण कंपनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/annual_general_meeting पर उपलब्ध है।

संबंधित पक्षकार संव्यवहार

वर्ष 2022-23 के दौरान प्रविष्टि किए गए सभी सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार व्यवसाय के सामान्य क्रम में थे और आर्म लैंथ के आधार पर किए गए हैं।

कंपनी द्वारा सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार के संबंध में एक नीति का निर्माण किया है जो कंपनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/codes_and_policies. पर उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के अंतर्गत आवश्यक सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार का प्रकटीकरण की प्रस्तुति फॉर्म एओसी2 में करने की अपेक्षा कंपनी के लिए लागू नहीं है। सदस्य वित्तीय विवरण के लिए नोट संख्या 32 से संदर्भ प्राप्त कर सकते हैं जिसने इंड एएस 24 के अनुसरण में सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार के प्रकटीकरण दिए गए हैं।

वित्तीय वर्ष के समापन की तिथि और रिपोर्ट की तिथि के अंतराल के दौरान वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले सामग्रीगत परिवर्तन

वित्तीय वर्ष के समापन की तिथि और इस रिपोर्ट की तिथि के अंतराल में कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई सामग्रीगत परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं। कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आया है।

विनियामक अथवा न्यायालय आदेश:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, किसी भी न्यायालय अथवा ट्रिब्यूनल अथवा विनियामक प्राधिकरण का कोई आदेश या निर्देश ऐसा नहीं था जिससे कंपनी की गोइंग कंसर्न स्थिति अथवा कंपनी के व्यवसाय प्रचालनों पर किसी प्रकार महत्वपूर्ण हुआ हो।

निदेशकों का उत्तरदेयता विवरण

निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि

(क) 31 मार्च, 2023 को समाप्ति वार्षिक वित्तीय विवरण को तैयार करने में सामग्री प्रस्थान संबंधी समुचित व्याख्या के साथ लागू लेखाकरण मानकों का अनुसरण किया गया है।

(ख) सतत ढंग से ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन एवं इन्हें लागू किया गया है तथा युक्तियुक्त एवं बौद्धिक निर्णय और प्राक्कलन इस प्रकार किए गए है कि 31 मार्च 2023 को कंपनी के कार्य की स्थित तथा उस तारीख को कंपनी के लाभ की सही एवं स्पष्ट दृष्टि करा सकें।

(ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखा एवं अन्य अतियमितताओं को रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखाकरण दस्तावेजों के रखरखाव हेतु यथोचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

(घ) चालू संबंधों के आधार पर वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

(ङ) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण समुचित स्थान पर था और वित्तीय नियंत्रण यथोचित था और इसका संचालन प्रभावी ढंग से हुआ ; तथा

(च) अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली, लागू नियमों के सभी प्रावधानों के अनुरूप थी और ऐसी प्रणाली यथोचित थी और इसका संचालन प्रभावी ढंग से हुआ।

ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत कवर किए गए ऋण, गारंटी और निवेश से संबंधित कोई संव्यवहार नहीं किया गया है।

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अनुपालन की स्थिति

मैसर्स ईगल सॉफ्टवेयर इंडिया प्रा. लिमिटेड द्वारा आईटीआई लिमिटेड के प्रति कॉर्पोरेट ऋणशोधन समाधान प्रक्रिया के लिए एनसीएलटी, बेंगलूरु में आईबीसी की धारा 9 के अंतर्गत एक याचिका दायर की गई है। इस मामले की सुनवाई 07.06.2023 को हुई थी तथा इसका आदेश फिलहाल रिजर्व रखा गया है। कंपनी को एनसीएलटी बेंगलुरु से दिनांक 21 अप्रैल 2022 को एक ईमेल के माध्यम से मैसर्स फुजियामा द्वारा एक याचिका दायर की जाने की सूचना दी गई है।

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 में कॉर्पोरेट ऋणशोधन समाधान प्रक्रिया के लिए मैसर्स एम्डी डिजिट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मामला दायर करने का उल्लेख किया गया है, जो कि अब 20.09.2022 को वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया था।

ऊपर उल्लिखित मामलों के अलावा, वित्तीय वर्ष के दौरान दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के अंतर्गत कंपनी के प्रति अन्य कोई याचिका अथवा कोई कार्रवाई लंबित नहीं है।

एकमुश्त निपटान के तौर पर किए गए मूल्यांकन तथा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के मूल्यांकन के मध्य का विवरण तथा उससे संबंधित कारण

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एकमुश्त निपटान का कोई मामला नहीं है।

मनोरंजन व्यय और विदेश यात्रा

मनोरंजन पर 1.56 लाख रुपए (पिछले वर्ष 2.58 लाख रूपए) व्यय किए गए थे। वर्ष के दौरान कंपनी के अधिकारियों द्वारा आधिकारिक विदेश दौरे पर किया गया व्यय शून्य था।

नागरिक चार्टर

कर्मचारियों, ग्राहकों, विक्रेताओं, निवेशकों, सहयोगियों/संयुक्त उद्यम साझेदारों, प्रतिस्पर्धियों, मीडिया और सरकार तथा समाज/समुदाय में विस्तारित। नागरिकों को आईटीआई लिमिटेड (आईटीआई) के किसी भी स्टेकधारक के रूप में निहित किया गया है। सिटीजन चार्टर नए विधिक अधिकारों की उत्पति नहीं होती है, अपितु इससे नागरिकों को उनके विद्यमान अधिकारों की जानकारी प्राप्त होती है।

आईटीआई ने सिटीजन चार्टर की रूपरेखा में इसका कार्यक्षेत्र शामिल करके कंपनी, नागरिकों के प्रति कंपनी के दायित्वो एवं नागरिकों के प्रति प्रबंधन की प्रतिबद्धता के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान की है। इसमें शिकायत निवारण तंत्रव्यवस्था और नागरिक सेवा वितरण की जानकारी का भी समावेश है।

इस चार्टर में विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और कुशल सेवाएं प्रदान करने की संगठन की क्षमता दर्शाई गई है। इस चार्टर का उद्देश्य स्टेकधारकों की संतुष्टि के अनुरूप उत्पादों और सेवाओं में निरंतर सुधार करना है। कंपनी का सिटीजन चार्टर वेबसाइट https://itiltd.in/doc/2022/Citizen_Charter_ITI.pdf पर उपलब्ध है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित विवरण **अनुलग्नक 6** में प्रस्तुत है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से संबंधित प्रापण नीति आदेश 2012

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में सम्बद्ध संशोधनों के साथ पठित प्रापण नीति आदेश 2012 का अनुपालन कंपनी की सभी यूनिटों द्वारा किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में एमएसएमई खरीद के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 25% है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में वार्षिक प्रापण में से 26.30% प्रापण एमएसएमई विक्रेताओं से करने का अच्छा लक्ष्य प्राप्त किया गया है। एमएसएमई विक्रेताओं से कुल खरीद मूल्य 69.59 करोड़ रुपये था।

आभारोक्ति

निदेशक मंडल अपने सभी ग्राहकों, विक्रेताओं, निवेशकों, बैंकरों से वर्ष के दौरान अनवरत सहयोग के लिए अपना आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल भारत सरकार, विशेषतः संचार मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय और साथ ही विभिन्न राज्य सरकारों, विनियामकों तथा सांविधिक प्राधिकरणों से प्राप्त समर्थन के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहता है तथा भविष्य में भी उनसे इसी प्रकार सहयोग प्राप्त होने की कामना करता है। निदेशक मंडल बैंकों, निवेशकों, सदस्यों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवीय लेखापरीक्षकों, लागत लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षकों आदि सहित अपने सभी स्टेकधारकों द्वारा प्रदान किए गए अनवरत सहयोग के धन्यवाद प्रस्तुत करता है। हमारे सभी कर्मचारियों द्वारा दिया गया योगदान अमूल्य है और इसके प्रति आपका निदेशक मंडल अत्यंत आभारी है।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 10052045

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 11 अगस्त, 2023

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का परिशिष्ट

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में किए गए प्रेक्षणों के संबंध में कंपनी के उत्तर

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रेक्षण	कंपनी की टिप्पणियां
परिमाणात्मक अर्हताएं:		
1.	कंपनी द्वारा 5,847.90 लाख रुपए की राशि का वहन 31.3.2011 को समाप्त अवधि तक पड़े पर दिए गए परिसरों के प्रति सी-डॉट से किराए के रूप में प्राप्य के रूप में किया जा रहा है। कंपनी ने इस राशि की क्रेडिट हानि, जिसकी वसूली संदेहास्पद है,के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किए हैं। वसूली के प्रति अनिश्चितता के कारण कंपनी ने आगे की अवधि के देय किरायों के संबंध में भी कोई स्वीकृति नहीं दी है।	कंपनी सी-डॉट से बकाया किराए के लंबित मुद्दे के समाधान के लिए सी-डॉट के साथ पूर्ण कर्मठता से अनुसरण कर रही है। कंपनी को पूर्ण राशि प्राप्त होने की आशा है। कंपनी का यह मानना है कि वर्तमान में मामले का अंतिम समाधान होने तक 5847.90 लाख रुपए के लिए प्रावधान किए जाने अपेक्षित नहीं हैं।
2.	एचसीएल इंफोसिस्टम्स से 1690.20 लाख रुपए की मुआवजा वसूली नहीं की गई है जो कंपनी की मनकापुर यूनिट द्वारा आईटीआई, एचसीएल एवं अल्काटेल के मध्य हुए अनुबंध के आधार पर अधिक राशि के रूप में व्यय की गई थी।	जीएसएम परियोजना 2एम, 3एम एवं 9एम बीएसएनएल परियोजना तथा 1एम एमटीएनएल परियोजना का कार्यान्वयन और वर्ष 2006 में मास्टर अनुबंध (एमओयू) एवं अनुवर्ती आवर्धन। निर्णित हर्जाने, पार्टियों के मध्य उत्पन्न विवाद के कारण कुछ कार्य अधूरे रहने के कारण एचसीएल द्वारा दिसम्बर 2017 में सिविल मुकदमे की लंबितता के दौरान मध्यस्थता खंड का उपयोग किया गया था। इस मामले में आईटीआई ने भी अपना संशोधित प्रतिदावा दाखिल किया है। आरडब्ल्यू1 की जिरह जारी है। मामले को अंतिम बार 10.04.2021 से 13.04.2021 तक आरडब्ल्यू1 की आगे की जांच के लिए सूचीबद्ध किया गया था। तथापि, महामारी के कारण ऐसा नहीं हो सका। मामला 21 से 25 जुलाई , 2023 तक अंतिम बहस के लिए पोस्ट किया गया है। हमें कंपनी के पक्ष में निर्णय आने की उम्मीद है, जिससे फिलहाल प्रावधान किए जाने संभव नहीं हैं।
3.	हिमाचल फ्यूचरिस्टक्स कम्युनिकेशंस लिमिटेड से 1049.41 लाख रुपए की निर्णित हर्जाने की वसूली नहीं की गई है।	इंटीग्रेटेड फिक्स्ड वायरलेस टेलीफोन (आईएफडब्ल्यूटी) सेट की आपूर्ति के लिए मैसर्स आईटीआई लिमिटेड और मैसर्स हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) के बीच अनुबंध हुआ और दोनों पक्षों के बीच विवाद थे, इसलिए मैसर्स एचएफसीएल द्वारा मध्यस्थता खंड का उपयोग किया गया था। निर्णय एचएफसीएल के पक्ष में पारित किया गया। तथापि, एचएफसीएल द्वारा अवार्ड में वृद्धि के लिए वर्तमान मामला दायर किया है। मामला अंतिम बार 28 अप्रैल 2023 को पोस्ट किया गया था। अगली तिथि प्रतीक्षित है। हमारा यह मानना है कि निर्णय कंपनी के पक्ष में होगा तथा इस विचार से प्रावधान किए जाने संभव नहीं हैं।
4.	माइंड एरे से साख पत्र को भुनाने के प्रति 1023 लाख रुपए की राशि की वसूली नहीं हुई है।	आपराधिक शिकायत के लिए: पुलिस रिपोर्ट-बी रिपोर्ट के अनुसार आगे की जांच की आवश्यकता नहीं है। आईटीआई लिमिटेड ने पुलिस बी-रिपोर्ट के प्रति कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट सिविल कोर्ट के सम्मुख दिनांक 18/05/2022 में शिकायत दर्ज की है। सिविल मामले के लिए: न्यायालय ने दोनों पक्षों को मध्यस्थता के निदेश दिए हैं, जिसका अनुसरण करके आईटीआई लिमिटेड ने प्रत्येक मध्यस्थता सत्र में उपस्थिति दर्ज की है। तथापि, प्रतिपक्ष की उपस्थिति नहीं हुई थी जिसके कारण मध्यस्थता की प्रक्रिया असफल हुई है। अगले चरण में हम इसके लिए सिविल मामला प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैसर्स माइंड एरे के मामले की अदालत में पिछली सुनवाई दिनांक 04/04/2023 को हुई थी, जिसमें अदालत ने प्रतिपक्ष के वकील को अपनी दलील आगे बढ़ाने के लिए समय दिया था तथा आगे की जिरह प्रक्रिया के लिए मामला दिनांक 16.05.2023 के लिए पोस्ट किया गया था।
5.	कंपनी की पालक्काड यूनिट द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान 889 लाख रुपए प्राप्त कर क्रेडिट की गलत इनपुट का रिवर्सल नहीं किया गया है।	वर्ष 2019-20 के दौरान, बीएसएनएल ने विभिन्न कारणों से कुछ आपूर्तियों तथा स्मार्ट एनर्जी मीटर परियोजना के प्रेषिती पते के कारणों से रिवर्सल / अस्वीकृति की गई थी जिसके लिए पालक्काड यूनिट ने पूर्व जारी बिक्री चालान के प्रति क्रेडिट नोट जारी किए थे। जीएसटी में इनका लेखांकन करने के उद्देश्य से क्रेडिट नोट मूल्य के लिए पोर्टल को आउटपुट लायबिलिटी (जीएसटीआर3बी) से घटाकर आईटीसी दावे (जीएसटीआर3बी) में पुनः जोड़ दिया गया था। जिसके परिणामस्वरूप दावा किए गए आईटीसी और उपलब्ध आईटीसी (जीएसटीआर2ए) में अंतर आ गया है। मामले की समीक्षा चल रही है और 2023-24 के दौरान उचित कार्रवाई की जाएगी।
6.	नैनी यूनिट का अप्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट के प्रति 94.42 लाख रुपए का नामे शेष है, जो समय बाधित है।	मामले की यूनिट स्तर पर समीक्षा की जा रही है, वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान उचित कार्रवाई की जाएगी।

सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा किए गए प्रेक्षण के उत्तर

क्र. सं.	सचिवीय लेखापरीक्षक का प्रेक्षण	कंपनी के स्पष्टीकरण
परिमाणात्मक अर्हताएं:		
1.	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की कुल संख्या में से स्वतंत्र निदेशकों की संख्या 50% से कम होने के कारण सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ख) तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट शासन के दिशानिर्देश 2010 का अनुपालन नहीं किया है।	यह कंपनी संचार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है तथा लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी श्रेणियों के निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। कंपनी ने समय-समय पर सेबी विनियमों के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षाओं के संबंध में संचार मंत्रालय को सूचित किया है।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 10052045

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 11 अगस्त, 2023

अनुलग्नक - 1

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक
फार्म एओसी - 1

संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं वाले वक्तव्य
भाग "अ" : सहायक लागू नहीं भाग "ब" : सहयोगी और संयुक्त उद्यम
संयुक्त उद्यम से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के उपबंधों के अनुसार विवरण

क्र.सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	इंडिया सेटकॉम लिमिटेड
1	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र तिथि	31.03.2023
2	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनी में धारित अंशभाग	16,21,800 इक्विटी शेयर 10/- रुपए प्रत्येक
3	संयुक्त उद्यम/एसोसिएट्स में किए गए निवेश की राशि	40.55 लाख रुपए
4	धारिता का	49%
5	वर्णन करें कि महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे है	पूर्ण चुकता पूंजी के 49% तक इक्विटी में निवेश
6	संयुक्त उद्यम कंपनी का समेकन न किए जाने के कारण	लागू नहीं
7	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता से सम्बद्ध निवल सम्पति	3,514 लाख रुपए
8	वर्ष के दौरान लाभ / हानि	
	i) समेकन के लिए विचार में लिया गया	जी, हां, 24.27 लाख रुपए
	ii) समेकन के लिए विचार में नहीं लिया गया	शून्य

कृते **मेसर्स जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 000863एस

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

ए राजगोपाल
साझेदार
एम सं. 205296

राजीव श्रीवास्तव
निदेशक वित्त / मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन : 08921307

राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 10052045

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 29 मई, 2023

अनुलग्नक - 2

फार्म सं. एमआर-3

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की सचिवालयीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधन कार्मिक की नियुक्ति तथा पारिश्रामिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

सेवा में, सदस्य, आईटीआई लिमिटेड

1 मैंने लागू सांविधिक उपबंधों के अनुपालन तथा आईटीआई लिमिटेड(सीआईएन:एल32202केए1950जीओआई000640) (इसके बाद कंपनी कहा जाएगा) द्वारा पालन की गई अच्छी कार्पोरेट प्रक्रिया में सचिवालयीन लेखा परीक्षा संचालित की है। सचिवालयीन लेखा परीक्षा इस ढंग से संचालित की गई कि कॉर्पोरेट आचरण/ सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन हेतु मुझे एक युक्तियुक्त आधार मिला और उसके अनुसार मैंने विचार व्यक्त किया ।

2. कंपनी की बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों एवं दाखिल की गई विवरणियों तथा कंपनी में अनुरक्षित अन्य रिकार्डों का मेरे द्वारा किए गए सत्यापन तथा, सचिवीय लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान, कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों एवं अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर भी, एवं इसके साथ संलग्न में अलग पत्र, की शर्त पर, मैं, एतद्वारा यह रिपोर्ट करता हूं कि, मेरे मतानुसार, कंपनी ने, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान एतद् सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन नीचे की गई रिपोर्टिंग की शर्त पर विधिवत रूप से किया गया है तथा कंपनी में निदेशक मंडल प्रक्रियाओं एवं अपेक्षित अनुपालन तंत्रव्यवस्था स्थापित है।

3. मैंने बही, कागजात,कार्यवृत्त बही, फाइल किये गये फार्म एवं वापसी तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों पर 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की जांच निम्न उपबंधों के अनुसार की है :

क) कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंदर बनाये गये नियम,

ख) सुरक्षा संविदा (विनियम) अधिनियम,1956 (एससीआरए) तथा उसके अंदर बनाये गये नियम,

ग) जमाराशि अधिनियम, 1996 तथा उसके अंदर बनाये गये विनियम और उपनियम,

घ) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम,1999 तथा उसके अंदर सीधे विदेश निवेश, समुद्रपारीय सीधे निवेश की सीमा तथा बाह्य वाणिज्यिक उधारी ।

ङ) कंपनी के लिए लागू सीमा तक भारत के सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड के अंतर्गत निम्न विनियम एवं मार्गदर्शन निर्धारित किए गये:

i) भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर का वास्तविक अर्जन तथा अधिग्रहण) विनियम,2011;

ii) भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अंतरंगी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 ;

iii) भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करना तथा आवश्यकता प्रकटीकरण) विनियम, 2018;

iv) भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) मार्गदर्शी , 1999/ भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2014 उपरोक्त लेखा परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं ।

v) भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों को जारी करना एवं सूची बनाना) विनियम, 2008- उपरोक्त लेखा परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं ।

vi) भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (किसी मामले तथा शेयर हस्तांतरण एजेण्टों के पंजीयक) विनियम,1993 कंपनी अधिनियम 2013 तथा ग्राहकों के साथ व्यवहार के संबंध में।

vii) भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयर को सूची से हटाना) विनियम, 2021; - वर्ष के दौरान शेयरों की कोई डीलिस्टिंग नहीं की गई। तथा

viii) भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी खरीद) विनियम, 2018; - वर्ष के दौरान सूची से कोई वापसी खरीद नहीं की गई ।

(च) भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957

(छ) पेटेंट अधिनियम, 1970

(ज) व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

(झ) लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए जारी कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देश, 2010 जो गठन तथा निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित हैं।

(ञ) निवेश एवं लोक सम्पति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में लागू है।

4. मैंने कंपनी द्वारा किए गए सूचीबद्धता अनुबंधों के अनुपालन तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुपालन की भी जांच की है ।

5. मैंने निदेशक मंडल की बैठकों और सामान्य बैठक पर भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है।

6. मैंने कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जैसे लागू वित्तीय कानूनों का अनुपालन किए जाने की जांच नहीं की है क्योंकि इसकी समीक्षा सांविधिक वित्तीय लेखापरीक्षकों एवं अन्य पदनामित व्यावसायिकों द्वारा की जाती है।

7. विचाराधीन अवधि के दौरान नीचे पैराग्राफ 9 में उल्लिखित अर्हताओं की शर्त पर कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

8. पैराग्राफ 9 में उल्लिखित अर्हता की शर्त पर, मैं निम्नानुसार यह रिपोर्ट करता हूं:

8.1 कि -

(क) कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों तथा स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। विचाराधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में किए गए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए;

(ख) कंपनी द्वारा निदेशक मंडल की बैठकों के आयोजन के लिए यथोचित निदेशक मंडल प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है; कंपनी में सदस्यों की आम बैठकों, निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त के रिकार्ड के अनुरक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था है, ई वोटिंग के माध्यम से पारित संकल्प, यदि कोई हों, को आम सभा की कार्यवृत्त पुस्तिका में रिकार्ड किया जाता है।

(ग) निदेशक मंडल की बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया था, कम सूचना पर आयोजित बैठकों के अलावा अन्य बैठकों की कार्यसूची तथा कार्यसूची के विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, निदेशकों द्वारा अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के संबंध में कंपनी ने एक प्रणाली विकसित की है जिसके उपयोग से बैठक से पूर्व कार्यसूची की मद से संबंधित अपेक्षित सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करके बैठक में सार्थक भागीदारी कर सकते हैं। बहुमत निर्णय को आगे बढ़ाया जाता है जबकि असहमत सदस्यों के विचार, यदि कोई हों, को कार्यवृत्त में रिकार्ड किया जाता है।

(घ) कंपनी के आकार एवं परिचालनों के अनुरूप लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं स्थापित हैं।

वर्ष के दौरान 8.2:

(क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा जारी दिनांक 8 जनवरी 2013 के आदेश के अनुसरण में कैपेक्स की प्राप्ति के प्रति कंपनी द्वारा 10 रुपए मूल्य प्रत्येक (विवरण नीचे दिया गया है) के 1,60,54,483 इक्विटी शेयर अधिमान आधार पर भारत के राष्ट्रपति को आवंटित किए हैं।

क्र. सं.	आबंटन की तिथि	आबंटित इक्विटी शेयरों की संख्या	निर्गम मूल्य (प्रति शेयर 10 रुपए के अंकित मूल्य सहित)	आबंटन के लिए कुल प्रतिफल राशि रुपए में
1.	25 मई 2022	83,21,279	86.00	71,56,30,000
2.	28 सितम्बर 2022	77,33,204	103.45	80,00,000,000
	योग	**1,60,54,483**		**151,56,30,000**

सेबी की तत्कालीन अपेक्षाओं के साथ पठित औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा जारी 8 जनवरी 2013 के आदेश के अनुसार, कंपनी से अपनी चुकता पूंजी के न्यूनतम 10 प्रतिशत भाग की पब्लिक शेयरधारिता के अनुरक्षण की अपेक्षा है। इस अपेक्षा के अनुपालन के लिए तथा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2016 को दिए गए निर्देशों के अनुसरण में कंपनी के प्रोमोटर, भारत के राष्ट्रपति, से 10 रुपए मूल्य प्रत्येक के 15,77,800 इक्विटी शेयर विशेष राष्ट्रीय निवेश निधि (एसएनआईएफ) में अंतरित करने की अपेक्षा थी। वर्तमान में कंपनी के प्रमोटर, भारत के राष्ट्रपति की इक्विटी शेयरधारिता भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्धारित लॉक-इन अवधि के अंतर्गत है। तदनुसार, उपरोक्त 15,77,800 इक्विटी शेयर लॉक-इन अवधि जारी होने के बाद एसएनआईएफ में स्थानांतरित किए जाएंगे। जबकि, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम 1957 (9 अगस्त 2010 से प्रभावी) के नियम 19 क के अनुसार, कंपनी से अपनी सार्वजनिक हिस्सेदारी 31 मार्च, 2023 तक 9.83% से न्यूनतम 25% तक लाने की अपेक्षा है। तथापि, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 6 जुलाई, 2022 के अपने पत्र एफ.सं. 1/14/2018 - पीएम(भाग) के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की सूचीबद्ध कम्पनियों को 1 अगस्त 2024 तक का समय अपनी सार्वजनिक हिस्सेदारी को कम से कम 25% तक बढ़ाने के लिए दिया गया है।

उप पैराग्राफ 8.2 (क) में उल्लिखित आवंटन के अलावा, निम्नलिखित में से कोई स्थिति नहीं थी:

(i) सार्वजनिक, शेयरों अथवा डिबेंचरों अथवा स्वेट इक्विटी का अधिमान निर्गम

(ii) प्रतिभूतियों का मोचन या पुनर्खरीद;

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 के अनुसरण में सदस्यों द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय ;

(iv) विलय, समामेलन, पुनर्निर्माण आदि;

(v) विदेशी तकनीकी सहकार्यताएं

9. अर्हता:

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की कुल संख्या 50% से कम होने के कारण कंपनी ने सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ख) तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट शासन के दिशानिर्देश, 2010 का पालन नहीं किया है।

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 14 मई , 2023
यूडीआईएन सं.एफ003000ई000304169
पीयर रिव्यू यूनिक आईडी नंबर I2014केआर1122000

के एन नागेश राव
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
एफसीएस 3000 सीपी 12861

यह रिपोर्ट मेरे सम तिथि के पत्र के साथ पठित है जो अनुलग्नक क के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न भाग है।

अनुलग्नक - क

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

आईटीआई लिमिटेड के सदस्यों के लिए

इस पत्र के साथ मेरी सम दिनांक की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी पढ़ी जानी है।

1. सांविधिक रिकार्ड का अनुरक्षण तथा कॉर्पोरेट एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के अनुपालन का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। मेरा दायित्व इन सांविधिक रिकार्डों की अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर अपने मत की अभिव्यक्ति करना है।
2. सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए जहाँ तक उपयुक्त थे, मैंने ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है । सही तथ्य सचिवीय रिकार्ड में परिलक्षित हों, यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन के आधार पर परीक्षण किया गया । हम प्रक्रियाओं और प्रथाओं में विश्वास रखते हैं, हम अपनी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करते हैं ।
3. मैं, वित्तीय रिकार्ड और कंपनी के खातों की पुस्तक की सत्यता और औचित्य को सत्यापित नहीं किया है ।
4. जब कभी आवश्यकता प्रतीत हुई है तो मैंने प्रबंधन से कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने इत्यादि के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं।
5. निगमित और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालना, प्रबंधन की जिम्मेदारी है । मेरी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन के लिए सीमित था।
6. यह सांविधिक रिपोर्ट कंपनी की किसी प्रकार की भावी व्यवहार्यता का न तो प्रमाणन करती है तथा न ही यह कंपनी के प्रबंधन द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों की कार्य कुशलता अथवा प्रभाव्यता के संबंध में किसी प्रकार का आश्वासन है।

के एन नागेश राव
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
एफसीएस 3000 : सीपी 12861

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक: 14 मई, 2023
यूडीआईएन :एफ003000ई000304169
पीयर रिव्यू यूनिक आईडी नंबर I2014केआर1122000

अनुलग्नक - 3

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट

1. **कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति का सार संक्षेप :**

हम आईटीआई लिमिटेड (आईटीआई) में दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईसीटी उत्पादों, सेवाओं एवं समाधानों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के अपने विजन को साकार करने की दिशा में इस प्रकार कार्य कर रही है कि इससे लोगों के जीवन में बदलाव स्थापित हो एवं समाज की आर्थिक स्थिति, पर्यावरण तथा समृद्धि की समस्याओं का समाधान कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व प्रयासों से किया जा सके।

क) सीएसआर परियोजनाओं के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(क) सीएसआर गतिविधियों का निर्वाह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से ऐसी संवहनीय विधि से करना जो जो पारदर्शी और नीतिपरक हो।

(ख) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और संवहनीयता के तत्वविचार का एकीकरण कंपनी के मूल मूल्यों के साथ करना।

(ग) कर्मचारियों में सभी स्तरों पर सीएसआर और संवहनीयता के भाव का समावेश करना और कंपनी के सभी क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं, परिचालनों और संव्यवहारों में इसे शामिल करना।

(घ) कंपनी और कंपनी के अन्य हितधारकों के सर्वोत्तम हित में समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा उपयुक्त पाए गए अथवा निर्धारित किए गए किसी अन्य मामले पर प्रक्रिया करना।

ख) आईटीआई की सीएसआर परियोजनाओं/प्रक्रियाओं का संक्षिप्त वर्णन :

कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति एवं संवहनीयता के क्रियाकलापों में प्रमुख ध्यान केन्द्रण स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल और शिक्षा की ओर दिया गया है। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति एवं संवहनीयता की प्रक्रियाओं के लिए कंपनी के परिचालन क्षेत्र के आसपास के स्थानीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दिए जाने का सुनिश्चित करने के लिए अधिकांश सीएसआर निधियों के व्यय स्थानीय क्षेत्रों में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए किए जाते हैं।

क. आसपास के गांवों में पेयजल, स्वच्छता के लिए पहुंच प्रदान करना। आसपास के गांवों और वृद्धाश्रम के वृद्ध व्यक्तियों को भोजन के पैकेट और स्वास्थ्य सप्लीमेंट्स की आपूर्ति जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबी और भुख का उन्मूलन करने में सहयोग प्रदान करना।

ख. विशेष बच्चों (बौद्धिक विकलांग) के लिए स्नेहालय आईटीआई के विद्यालय का प्रबंधन ।

ग. आईटीआई टाउनशिप में सार्वजनिक उपयोग हेतु सामान्य पार्कों का रखरखाव ।

घ. कंपनी के आसपास के गांवों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों और महिलाओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए सैनिटरी पैड और विटामिन का वितरण करना।

ङ. विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों और सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों के लिए सुविधाएं।

च. सशस्त्र बलों के लाभ के उपायों के रूप में सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) में योगदान।

छ. प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स निधि) में योगदान।

2. **31.03.2023 तक कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति की संरचना**

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर की बैठकें में प्रतिभागिता
1.	श्री राकेश चंद्र तिवारी*	निदेशक-उत्पादन/समिति के अध्यक्ष	1	1
2.	श्री राजीव श्रीवास्तव	निदेशक-वित्त/सदस्य	2	2
3.	श्रीमती ममता पलारिया	स्वतंत्र निदेशक/सदस्य	2	2

*01.09.2022 से समिति के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

3. कंपनी में सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति एवं सीएसआर परियोजनाओं का विवरण वेबसाइट : **https://www.itiltd.in/management_team https://www.itiltd.in/csr** पर दिया गया है।

4. सीएसआर परियोजनाओं के संबंध में किए गए प्रभाव मूल्यांकन का विवरण: **लागू नहीं**

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में समंजन के लिए उपलब्ध राशि तथा वित्तीय वर्ष में समंजन के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो, का विवरण: **शून्य**

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ: **-665.00 लाख रुपए**

7. (क) धारा 135(5) के अंतर्गत निवल लाभ के औसत का दो प्रतिशत: **लागू नहीं**

(ख) पूर्व वित्तीय वर्षों में सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा क्रियाकलापों से उत्पन्न अतिरेक: **शून्य**

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान समंजन के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो: **शून्य**

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+ 7ख-7ग): **लागू नहीं**

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर राशि खर्च की गई या खर्च नहीं की गई :

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय की गई कुल राशि (रुपए लाख में)	अव्ययित राशि (रुपए में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
-	-	-	-	-	-

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान आनगोइंग परियोजनाओं के प्रति व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण : **शून्य**

(ग) वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु आनगोइंग के अलावा अन्य परियोजनाओं के लिए व्यय की गई *

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में से क्रियाकलाप की मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थल		परियोजना पर वार्षिक व्यय (रुपए में)	कार्यान्वयन की विधि डायरेक्ट (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का निर्वहन कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	गरीबी कुपोषण को मिटाने के लिए जरूरतमंदों को योगदान देना	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता एवं भूख उन्मूलन (अनुसूची VII की मद संख्या I)	हाँ	केरल	पालक्काड़	1,03,500.00	हाँ	लागू नही	लागू नही
2	शिक्षा को बढ़ावा देना	शिक्षा (अनुसूची VII की मद संख्या ii)	हाँ	केरल	पालक्काड़	10,000.00	हाँ	लागू नही	लागू नही
3	सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) में योगदान।	अनुसूची VII मद संख्या VI सशस्त्र बलों के लाभार्थ उपाय	हाँ	कर्नाटक	बेंगलुरु	5,00,000.00	हाँ	लागू नही	लागू नही
					योग	**6,13,500.00**			

* कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए स्वेच्छा से खर्च किया था

(घ) प्रशासनिक ओवरहैड के लिए व्यय की गई राशि : **शून्य**

(ड.) प्रभाव मूल्यांकन, यदि लागू है, के लिए व्यय की गई राशि : **शून्य**

(च) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ड.) : **6.13 लाख रुपए**

(छ) समंजन के लिए अतिरेक राशि, यदि कोई हो : **शून्य**

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपए लाख में)
1	धारा 135(5) के अंतर्गत औसत निवल लाभ के औसत का दो प्रतिशत	**-13.3 लाख**
2	वित्तीय वर्ष के दौरान किया गया कुल व्यय	**6.13 लाख**
3	वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई अतिरेक राशि [(ii)-(i)]	**6.13 लाख**
4	पूर्व वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा क्रियाकलापों से उत्पन्न अतिरेक, यदि कोई हो	**शून्य**
5	आगामी वित्तीय वर्षों में समंजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	**6.13 लाख**

9. (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यय न की गई सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	पिछले वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अंतर्गत सीएसआर खाते में अंतरित अव्ययित राशि (रुपए में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि (रुपए में)	धारा 135(6) की अनुसूची VII के अंतर्गत अन्य किसी निधि में अंतरित निधि, यदि कोई हो			आगामी वर्षों में व्यय के लिए शेष राशि (रुपए में)
				निधि का नाम	राशि (रुपए में)	अंतरण की तिथि	
1.	वित्तीय वर्ष 2021-22	-	-	पीएम केयर निधि	11,46,045.40	29.09.2022	-
2.	वित्तीय वर्ष 2020-21	-	-	पीएम केयर निधि	64,00,000.00	28.03.2022	-
3.	वित्तीय वर्ष 2019-20	-	-	-	-	-	-

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) के लिए आनगोइंग परियोजना में व्यय की गई राशि का विवरण: **शून्य**

10. यदि पूंजी परिसम्पतियों का निर्माण अथवा अधिग्रहण किया गया है तो वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय से निर्मित अथवा अधिग्रहित परिसम्पति का विवरण दें (परिसम्पति वार विवरण)

क. पूंजी परिसम्पति (परिसम्पतियों) का निर्माण अथवा अधिग्रहण करने की तिथि **-लागू नहीं-**

ख. पूंजी परिसम्पति के निर्माण अथवा अधिग्रहण पर व्यय की गई सीएसआर राशि **-लागू नहीं-**

इकाई अथवा सार्वजनिक प्राधिकारी अथवा लाभग्राही का विवरण जिसके नाम पर उक्त पूंजी परिसम्पति पंजीकृत है तथा उनका पता इत्यादि **- लागू नहीं-**

ग. निर्माण अथवा अधिग्रहण की गई पूंजी परिसम्पति (परिसम्पतियों) का विवरण प्रस्तुत करें (पूंजी परिसम्पति के पूरे पते एवं स्थल सहित) **-लागू नहीं-**

11. यदि कंपनी ने धारा 135 (5) के अंतर्गत औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत व्यय नहीं किया है तो कारण स्पष्ट करें **।वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लागू नहीं है।**

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त
राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 10052045

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 11 अगस्त 2023

अनुलग्नक - 4

व्यवसाय उत्तरदेयता एवं संवहनीयता रिपोर्ट

खंड क : सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध कंपनी का विवरण

क्र.सं.	ब्यौरा	विवरण
1	कंपनी की कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	एल32202केए1950जीओआई000640
2	सूचीबद्ध कंपनी का नाम	आईटीआई लिमिटेड
3	निगमन वर्ष	1950
4	पंजीकृत कार्यालय पता	आईटीआई भवन, दूरवाणी नगर, बेंगलूरु 560016
5	निगमित पता	आईटीआई भवन, दूरवाणी नगर, बेंगलूरु 560016
6	ईमेल	cosecy_crp@itiltd.co.in
7	टेलीफोन	91 (080) 2561 4466
8	वेबसाइट	https://www.itiltd.in/
9	रिपोर्टिंग का वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2022-23
10	स्टॉक एक्सचैंज (एक्सचेंजों) के नाम, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।	1. बीएसई लिमिटेड 2. नेशनल स्टॉक एक्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
11	चुकता पूंजी	9,49,57,73,520/- रुपए
12	उस व्यक्ति का नाम एवं सम्पर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट से संबंधित किसी जानकारी के लिए सम्पर्क किया जा सकता है।	शालिनी घटक कंपनी सचिव, टेलीफोन नम्बर: 91 (080) 2561 7486, ईमेल: cosecy_crp@itiltd.co.in
13	रिपोर्टिंग बाउंड्री- क्या इस रिपोर्ट के अंतर्गत स्टैंडएलोन आधार (यथा केवल कंपनी के संबंध में) पर प्रकटीकरण दिए गए हैं अथवा समेकित आधार (यथा कंपनी एवं इसकी सभी इकाईयां के लिए एक साथ, जो समेकित वित्तीय विवरणों का भाग हैं) पर।	स्टैंडएलोन आधार

II. उत्पाद / सेवाएं:

14. व्यापार क्रियाकलापों का विवरण *(टर्नओवर के 90% लेखांकन के लिए)*:

क्र.सं.	मुख्य क्रियाकलाप का विवरण	व्यवसाय क्रियाकलाप का विवरण	कंपनी की % टर्नओवर
1	विनिर्माण	दूरसंचार एवं इसके संबंधित उत्पाद	4.06%
2	सेवा	दूरसंचार एवं इसके संबंधित उत्पादों की मरम्मत तथा अनुरक्षण	23.68%
3	परियोजनाएं	टर्नकी परियोजनाओं का कार्यान्वयन	72.27%

15. कंपनी द्वारा बिक्री किए जाने वाले उत्पादन / सेवाएं (टर्नओवर के 90% लेखांकन के लिए):

क्र.सं..	उत्पाद / सेवाएं	एनआईसी कोड	कुल % टर्नओवर योगदान
1	टेलीफोन; अन्य संचार उपकरण, फाइबर आप्टिक केबल आदि का निर्माण	26302; 26309; 27310	4.06%
2	संचार उपकरण; दूरसंचार नेटवर्क की मरम्मत तथा अनुरक्षण	95120; 95111; 61102	23.68 %
3	टर्नकी परियोजना तथा अन्य दूरसंचार गतिविधिया	42202; 43213; 61900	72.27%

III. परिचालन:

16. स्थलों की कुल संख्या जहां कंपनी के संयंत्र तथा/अथवा परिचालन/कार्यालय स्थित हैं:

स्थल	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	योग
राष्ट्रीय	निर्माण संयंत्र 06 नेटवर्क सिस्टम यूनिट-01	कॉर्पोरेट कार्यालय:1; एमएसपी 08	16
अंतर्राष्ट्रीय	शून्य	-	-

17. कंपनी द्वारा सेवा प्रदान किए जा रहे बाजार :

क) स्थलों की संख्या

स्थल	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	पैन इंडिया
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	शून्य

ख) इकाई के कुल व्यवसाय में निर्यात का प्रतिशत के रूप में योगदान क्या है? शून्य

ग) ग्राहकों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी:

विभिन्न उत्पादों, सेवाओं और टर्नकी उत्पादों की आपूर्ति के लिए आईटीआई के निम्नलिखित ग्राहक हैं।

- सेना, नौसेना, भारतीय वायु सेना और गृह मंत्रालय
- बीएसएनएल (भारत संचार निगम लिमिटेड), एमटीएनएल (महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड), बीबीएनएल (भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क), ईईएसएल (एनर्जी एफिशेंसी सर्विसेस लिमिटेड), सी-डॉट (सेंटर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमैटिक्स), बीईएल (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स), एनटीपीसी (नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
- केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संगठन जैसे ओपीटीसीएल (उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड), टनफिनेट (तमिलनाडु फाइबरनेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड), एमआईटीसीएल (महाराष्ट्र इंफॉमेशन टैक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड), जेसीएनएल (झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड), जीएफजीएनएल (गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड), केएसईडीसी (कर्नाटक स्टेट एजुकेशन डेवलपमेंट काउंसिल), केआईटीई (केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड टैक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन), यूआरईडी (उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी), बीआरईडीए (बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी)।
- डाक विभाग, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, रेलवे
- निजी ग्राहक जैसे बैंक, स्कूल, विश्वविद्यालय, अस्पताल, टीसीएस, आरआईआईएल (रूरल इंफ्राटेल इंटरनेशनल लिमिटेड), अक्सेंट, केल्ट्रोन, वोडाफोन और एयरटेल

IV. कर्मचारी

18. वित्तीय वर्ष के अंत में विवरण:

क) कर्मचारी एवं कामगार (दिव्यांगजन सहित):

क्र. सं.	विवरण	योग (क)	पुरूष		महिला	
			सं.(ख)	% (ख /क)	सं. (ग)	% (ग/क)
			कर्मचारी			
1.	स्थायी (घ)	1072	875	81.6%	197	18.3%
2.	स्थायी के अलावा अन्य (ङ)	454	341	75.1%	113	24.8%
3.	**कुल कर्मचारी (घ + ङ)**	1526	1216	79.6%	310	20.3%
			कामगार			
4.	स्थायी (च)	245	221	90.2%	24	9.7%
5.	स्थायी के अलावा अन्य (छ)	347	248	71.4%	99	28.5%
6.	**कुल कामगार (च + छ)**	592	476	80.4%	123	20.7%

ख) दिव्यांगजन कर्मचारी एवं कामगार:

क्र. सं.	विवरण	योग (क)	पुरूष		महिला	
			सं.(ख)	% (ख /क)	सं. (ग)	% (ग/क)
			अन्यथा सक्षम कर्मचारी			
1.	स्थायी (घ)	11	10	90.9%	1	90.9%
2.	स्थायी के अलावा अन्य (ङ)	1	0	0	1	100%
3.	**कुल दिव्यांगजन कर्मचारी (घ + ङ)**	12	10	83.3%	2	16.6%
			अन्यथा सक्षम कामगार			
4.	स्थायी (च)	2	2	100%	0	0
5.	स्थायी के अलावा अन्य (छ)	1	0	0	1	100%
6.	**कुल दिव्यांगजन कामगार (च + छ)**	3	2	66.6%	1	33.3%

14. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व

	योग (क)	महिलाओं की संख्या एवं प्रतिशत	
		सं. (ख)	% (ख/क)
निदेशक मंडल	10	03	33.33%
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	05	02	40.00%

यह विवरण 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार है।

15. स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए टर्नओवर दर

(पिछले 3 वर्षों के रुझानों का खुलासा करें)

	वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2020-21		
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	299	27	326	304	23	327	584	51	635
स्थायी कामगार	46	6	57	73	4	77	165	16	181

V. धारक, सहायक एवं सम्बद्ध कंपनियाँ (संयुक्त उद्यम सहित)

16. (क) धारक/सहायक/सम्बद्ध कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के नाम

क्र. सं.	धारक/सहायक/ सम्बद्ध कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के नाम (क)	क्या यह धारक/सहायक/ सम्बद्ध कंपनी/ संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध कंपनी द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम क में दर्शाई गई इकाई सूचीबद्ध इकाई के व्यावसायिक उत्तरदेयता पहल में भाग लेती है? (हां / नहीं)
1	इंडिया सैटकॉम लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	49%	नहीं

VI. सीएसआर विवरण

17. (i) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है: हां

(ii) टर्नओवर (रुपए में): 15,88,61,97,265 लाख रुपए

(iii) निवल मूल्य (रुपए में): 2,33,95,961.81 रुपए

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

18. उत्तरदेयी व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अंतर्गत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) से संबंधित शिकायतें/शिकायतें:

समूह के स्टेकधारक जिनसे शिकायत प्राप्त हुई है	क्या शिकायत निवारण तंत्रव्यवस्था स्थापित है (हां/ नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति का वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्त वर्ष 2022-23 चालू वित्तीय वर्ष			वित्त वर्ष 2021-22 पिछला वित्तीय वर्ष		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
समुदाय	हां[1]	169	शून्य	शून्य	90	शून्य	शून्य
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शेयरधारक	हां[2]	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कर्मचारी एवं कामगार	हां[3]	2	2		0	0	
ग्राहक	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
मूल्य श्रृंखला भागीदार	हां[4]	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य (कृपया बताएं)							

1. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अंतर्गत केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) https://pgportal.gov.in/

2. शेयरधारक cosecy_crp@itiltd.co.in पर ईमेल भेजकर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

3. कर्मचारी तथा कामगार अपनी शिकायतें http://10.1.1.4/corp_hr/Docs/Grievance.Officers.pdf के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं।

4. आईटीआई रक्षा परियोजनाओं और डेटा सेंटर सेवाओं से संबंधित है, इसलिए सभी संचार ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार गोपनीय होते हैं। तदनुसार, शिकायतें दर्ज के लिए कोई वेब-लिंक मौजूद नहीं है। तथापि, भागीदार सीधे कंपनी को ईमेल भेजकर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

19. इकाई के महत्वपूर्ण उत्तरदेयी व्यावसायिक व्यवहार से संबंधित मामलों का संक्षिप्त विवरण।

कृपया ऐसे पर्यावरणीय एवं सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण उत्तरदेयी व्यवसाय व्यवहार के मामले सूचित करें जिनमें आपके व्यवसाय के लिए जोखिम अथवा कोई अवसर उपलब्ध है, ऐसा निर्धारण करने का औचित्य, जोखिम को अनुकूलित करने अथवा न्यून करने एवं इससे संबंधित वित्तीय निहितार्थ से संबंधित जानकारी नीचे दिए गए प्रारूप में करें।

क्र.सं.	संज्ञान में लिया गया सामग्रीगत मामला	यह बताएं कि क्या जोखिम है अथवा अवसर है (जोखिम/ अवसर)	जोखिम/अवसर की पहचान का औचित्य	जोखिम के मामले में अनुकूलन अथवा न्यून करने के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव सूचित करें)
1	पर्यावरणीय फुटप्रिंट जल प्रबंधन	जोखिम	जल की कमी कंपनी के परिचालन को बाधित कर सकती है और उसके व्यवसाय को बाधित कर सकती है। कंपनी एचडीपीई और ओएफसी केबल का निर्माण कर रही है जिसके लिए भारी मात्रा में जल की खपत अपेक्षित है।	जल संरक्षण, परिसरों में जल का अधिक कुशल उपयोग, वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण पर कर्मचारियों को शिक्षा।	नकारात्मक
2	सौर हरित ऊर्जा	अवसर	सौर हरित ऊर्जा अवसर कंपनी ने सभी विनिर्माण यूनिटों में 5.4 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है जिससे 25% की बचत होगी। इसके अलावा कंपनी ने जीपॉन प्रोजेक्ट, बीबीएनएल और विभिन्न अन्य ग्राहकों को 62000 सौर पैनलों की आपूर्ति की है; यूपी सरकार को 15000 सौर स्ट्रीट लाइटें। वर्तमान में कंपनी 40000 नग सौर स्ट्रीट लाइट की आपूर्ति के लिए बिहार राज्य में बीआरईडीए परियोजना क्रियान्वित कर रही है।	शून्य	सकारात्मक

खंड ख : प्रबंधन एवं प्रक्रिया प्रकटीकरण

यह खंड एनजीआरबीसी सिद्धांतों एवं प्रमुख तत्वों को अंगीकार करने की दिशा में व्यवसायों अपनी संरचनाएं, नीतियां एवं प्रक्रियाओं की रूपरेखा की प्रस्तुति में सहायता प्रदान करने के लिए है।

प्रकटीकरण प्रश्न		पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7*	पी 8	पी 9
नीति एवं प्रबंधन प्रक्रियाएं										
1.	क. क्या कंपनी की कोई ऐसी नीति/नीतियां हैं जिसमें एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत एवं उसके मूल तत्व शामिल हों (हां / नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	हां	हां
	ख. क्या नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है? (हां / नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	हां	हां
	ग. नीतियों का वेबलिंक, यदि उपलब्ध हैं	https://www.itiltd.in/								
2.	क्या कंपनी की नीतियों को प्रक्रियाओं में अंतरित किया गया है (हां / नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	हां	हां
3.	क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके वैल्यु चेन साझेदारों के लिए भी विस्तारित हैं (हां / नहीं)	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	-	हां	हां

*आईटीआई लिमिटेड अपने लाभ के लिए सार्वजनिक और नियामक नीतियों को प्रभावित करने की हिमायत नहीं करता है, इसलिए कोई नीति नहीं बनाई गई है। आवश्यकता होने पर कंपनी व्यापार उद्योग और उद्योग मंडलों और संघों और ऐसे अन्य सामूहिक रूपों के माध्यम से उपयुक्त प्राधिकारी से संपर्क कर सकती है।

4. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संहिताओं / प्रमाणपत्रों /लेबलों / मानकों (यथा वन स्टिवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेन फोरेस्ट एलायंस, न्यासी) मानक (यथा एसए 8000, ओएचएसएएस, आईएसओ, बीआईएस) हैं, जो आपकी कंपनी ने अंगीकार किए हों तथा प्रत्येक सिद्धांत के अनुकूल हों।	कंपनी नैतिक, पारदर्शी तथा उत्तरदेयी व्यावसायिक आचरण एवं अन्य के सुनिश्चय के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सेबी विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों और सीवीसी दिशानिर्देशों का पालन करती है। आईटीआई की यूनिटें आईएसओ 14001-2015; आईएसओ 9001:2015; आईएसओ 10002:2018; प्रमाणित हैं। ग्राहकों के लिए लागू मानकों के सुनिश्चय के लिए आईटीआई उत्पाद बीआईएस; टीईसी; टीएसईसी; आरडीएसओ; एनपीसीआई द्वारा प्रमाणित हैं। आईटीआई के कुछ उत्पाद ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं। आईटीआई ईएमसी टेस्ट लैब एनएबीएल से मान्यता प्राप्त है।

5.	कंपनी द्वारा परिभाषित समयसीमा के साथ निर्धारित की गई कोई विशिष्ट प्रतिबद्धता, ध्येय तथा लक्ष्य, यदि कोई हों।	प्रमाणपत्रों का निरंतर उन्नयन और समय पर नवीकरण सुनिश्चित किया जाता है।
6.	विशिष्ट प्रतिबद्धता, ध्येय तथा लक्ष्य के संबंध में कंपनी का निष्पादन तथा यदि पूर्ण नहीं हुए हैं तो उसके कारणों का उल्लेख करें।	लागू नहीं क्योंकि कंपनी नीति/मैनुअल/प्रमाणपत्रों का यथा लागू समय पर उन्नयन/ नवीकरण सुनिश्चित करती है

शासी व्यवस्था, नेतृत्व एवं चौकसी

7. व्यवसाय उत्तरदेयता रिपोर्ट की प्रस्तुति के लिए उत्तरदेयी निदेशक द्वारा प्रस्तुति जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का विवरण हो *(इस प्रकटीकरण की प्रस्तुति के संबंध में सूचीबद्ध इकाई में लोचकता हो)*

कंपनी के पांच मूल्यों में से एक मूल्य यह है कि हम अपने व्यवसायों में पर्यावरण और सामाजिक सिद्धांतों का एकीकरण यह सुनिश्चित करते हुए करेंगे कि हम जो उत्पन्न करते हैं वह स्टेकधारकों के पास वापस जाता है। हमारी कंपनी ने मूल्य श्रृंखला, संयंत्र संचालन और उत्पाद विकास के साथ हमारे स्थिरता प्रयासों का भी समन्वय किया है।:

आईटीआई लिमिटेड एक दूरसंचार कंपनी है जिसका लक्ष्य समुदाय के लिए पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों के माध्यम से एक स्थायी भविष्य का निर्माण करना है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी उत्सर्जन और अपशिष्ट उत्पति की निगरानी की जाती है। कंपनी लक्षित सीएसआर गतिविधियों जैसे स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार वृद्धि और स्वरोजगार के लिए कौशल विकास, शिक्षा, स्वच्छता, पेयजल, नदी कायाकल्प, पर्यावरण स्थिरता और खेल विकास आदि के माध्यम से सामाजिक आर्थिक कायाकल्प को भी सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है।

कंपनी प्रभावी ऊर्जा प्रबंधन उपायों और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाकर जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों का समाधान करती है। ऊर्जा-बचत पहल जैसे ऊर्जा कुशल चिलर, प्रकाश प्रबंधन प्रणाली, भवन प्रबंधन प्रणाली और डेलाइट हार्वेस्टिंग का पालन किया जाता है। ऊर्जा उत्पादन और वैप्टिव खपत के लिए सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कंपनी का लक्ष्य शुद्ध शून्य ग्रिड ऊर्जा के चरण को प्राप्त करना है। इसके अलावा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के सामान्य दायरे के अंतर्गत उत्पन्न विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के निपटान के लिए यूनिटों में स्क्रैप निपटान समिति का गठन किया गया है। औद्योगिक अपशिष्टों का निपटान सामान्य निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी को ईएसजी सिद्धांतों से संबंधित ऊर्जा आडिट, सुरक्षा आडिट, गुणवत्ता आडिट, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली आडिट जैसे विभिन्न आडिट के अधीन भी किया जाता है, जो कंपनी को ऊर्जा संरक्षण के लिए कार्रवाई का सर्वोत्तम तरीका निर्धारित करने, ऊर्जा इनपुट, ऊर्जा लागत और कार्बन फुटप्रिंट की मात्रा को कम करने में सहायक है।

स्थायी व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाने में एक बड़ी बाधा सभी यूनिटों और एमएसपी कार्यालयों में ईएसजी सिद्धांतों को शामिल करना है। तथापि, कंपनी नियमित रूप से विभिन्न कार्यक्रम और पहल आयोजित करके ईएसजी सिद्धांतों के प्रति जागरूकता की उत्पति की प्रक्रियाएं करती है।

आईटीआई, सार्वजनिक क्षेत्र का एक ऐसा उपक्रम है, जिसके निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है तथा इनके अनुपालन के लिए अधिनियम/नियम/ विनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर रिक्ति को भरने के संबंध में कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं है।

8.	**व्यवसाय उत्तरदेयता नीति (नीतियों) के कार्यान्वयन एवं चौकसी के लिए उत्तरदेयी उच्चतर प्राधिकारी का विवरण**	श्री राजेश राय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन : 10052045
9.	**क्या कंपनी में संवहनीयता से संबंधित मामलों पर निर्णय निर्धारण के लिए निदेशक मंडल / निदेशक स्तरीय कोई विशिष्ट समिति है? (हां/नहीं) यदि हां, तो विवरण प्रस्तुत करें।**	श्री राजेश राय, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संवहनीयता से संबंधित मामलों पर निर्णय निर्धारण के लिए उत्तरदायी हैं।

10. कंपनी द्वारा की गई एनजीआरबीसी समीक्षा का विवरणः

समीक्षा के विषय	कृपया बताएं कि क्या निदेशक मंडल / किसी अन्य समिति के निदेशक / समिति द्वारा कोई समीक्षा की गई थी।									आवृत्ति (वार्षिक / अर्द्ध-वार्षिक/ तिमाही/ अन्य कोई, कृपया स्पष्ट करें)								
	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
उपर्युक्त नीतियों का निष्पादन तथा अनुवर्ती कार्रवाई।	कंपनी की सभी नीतियों की समय-समय पर अथवा आवश्यकता के आधार पर विभाग प्रमुखों/संबंधित समितियों द्वारा समीक्षा की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुति की जाती है। मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान, इन नीतियों की प्रभावशीलता की भी समीक्षा की जाती है और नीतियों और प्रक्रियाओं में आवश्यक परिवर्तन लागू किए जाते हैं।																	
सिद्धांत से संबंधित सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन तथा अन्यथा अनुपालन की किसी स्थिति में की गई सुधार कार्रवाई	सेबी (एलओडीआर) विनियमों के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों की न होने के संबंध में निदेशक मंडल के गठन के अलावा अनुपालन किया गया। यह कंपनी एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है तथा इसके निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। यह मामला संचार मंत्रालय को पद की भर्ती के लिए प्रस्तुत किया गया है तथा यह अभी संचार मंत्रालय / कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में लंबित है।									जब कभी आवश्यक हो								

11.	क्या कंपनी ने किसी बाह्य एजेंसी से अपनी नीतियों की कार्यशीलता का कोई स्वतंत्र निरूपण / मूल्यांकन करवाया है? (हां / नहीं) यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं।	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
		कंपनी के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा, लागत लेखापरीक्षा, सचिवीय लेखापरीक्षा, ऊर्जा आडिट, सुरक्षा आडिट, गुणवत्ता आडिट, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली आडिट, आदि जैसे आडिट किए जाते हैं। ये आडिट विभिन्न आंतरिक और बाहरी नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।								

12. यदि उपर्युक्त प्रश्न (1) का उत्तर ''नह'' है अर्थात सभी सिद्धांत नीति के अंतर्गत शामिल नह हैं, तो उसके कारण सूचित करें :									
प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
कंपनी ने सिद्धांत को अपने व्यवसाय के लिए सामग्रीगत नहीं माना है (हां / नहीं)	लागू नह								
कंपनी की स्थिति ऐसी नहीं है कि यह विशिष्ट सिद्धांत से संबंधित नीतियों का स्वयं निर्माण तथा नीतियों का कार्यान्वयन कर सके। (हां / नहीं)									
कंपनी के पास इस कार्य के लिए वित्तीय अथवा/ जनशक्ति के संसाधन नहीं हैं। (हां / नहीं)									
यह अगले वित्तीय वर्ष में कार्य के लिए योजनागत है। (हां / नहीं)									
अन्य कोई कारण (कृपया ब्यौरा दें)									

खंड ग: सिद्धांत वार निष्पादन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य इकाईओं को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों के लिए किए गए निष्पादन की प्रस्तुति के लिए है। इसमें मांगी गई जानकारी को "आवश्यक" और "नेतृत्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक इकाई से ऐसे अनिवार्य सूचकों का प्रकटीकरण किए जाने की अपेक्षा की गई है जो इस रिपोर्ट की प्रस्तुति के लिए अनिवार्य हैं, इकाई द्वारा प्रकटीकरण किए जाने वाले प्रबंधन सूचक स्वैच्छिक हैं जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से उत्तरदेयी होने की अपनी आकांक्षा में उच्च स्तर तक प्रगति करने की इच्छा रखते हैं।

सिद्धांत 1: व्यापार का व्यवहार एवं संचलन सत्यनिष्ठा एवं उत्तरदेयता, पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए।

अनिवार्य सूचक			
1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों से प्राप्त प्रतिशत कवरेज:			
घटक	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण में शामिल विषय/सिद्धांत और उनका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का प्रतिशत
निदेशक मंडल	2	• स्वतंत्र निदेशकों के लिए अनुकूलन कार्यक्रम • कंपनी के परिचालनों के संबंध में अनुकूल	100%
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)	1	वाणिज्यिक विवाचन के संबंध मूलभूत प्रमाणपत्र कार्यक्रम	20%
निदेशक मंडल एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के अलावा अन्य कर्मचारी	144*	• व्यावसायिक आचरण एवं मूल्यों के विषय पर कार्यशाला, प्रशिक्षुता को बढ़ावा देने और कौशल भारत 2.0 का अंतिम स्वरूप तैयार करने से संबंधित वर्चुअल बैठक; • पीई सर्वेक्षण पोर्टल पर सीएसआर मॉड्यूल में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नोडल अधिकारियों के अनुकूल कार्यक्रम एवं मानव संसाधन चर्चा; • सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005, • सामग्री प्रबंधन, • नवनियुक्त अधिकारियों का अनुकूलन, अनुशासनात्मक कार्यवाही और घरेलू पूछताछ के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, • सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम), • विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में 5जी उपयोग के मामले, • प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण - आईओटी पर उन्नत कार्यक्रम, • आचरण एवं नेतृत्व और इसके साथ ही विभिन्न वेबिनार और कार्यशालाओं में कर्मचारियों ने भाग लिया है।	43.8%
कामगार	5**	सुरक्षा गार्डों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम)च हिंदी प्रशिक्षण, शून्य दुर्घटना पर सेमिनार और कंप्यूटर पर आधारभूत चर्चा	27.3%

नोट :

* निदेशक मंडल एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के अलावा,

** कामगारों द्वारा अधिकांश प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम, निदेशक मंडल एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के अलावा, अन्य कर्मचारियों के साथ प्राप्त किए गए हैं।

2. निम्नलिखित प्रारूप में वित्तीय वर्ष में विनियामकों/विधि प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों को (इकाई द्वारा अथवा निदेशकों/प्रमुख प्रबंधन कार्मिक द्वारा) भुगतान किया गया अर्थदंड/शास्ति/दंड/न्याय निर्णय/कंपाउंडिंग शुल्क/निपटान राशि का विवरण (नोटः इकाई द्वारा सेबी (सूचीबद्धता अपेक्षाएं एवं प्रकटीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और इकाई की वेबसाइट पर प्रदर्शित वस्तुपरकता के आधार पर प्रकटीकरण किया जाना है)					
	मौद्रिक				
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	**विनियामक / प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थानों का नाम**	**राशि (भारतीय रुपए)**	**मामले का संक्षिप्त विवरण**	**क्या कोई अपील दायर की गई है (हां/नहीं)**
शास्ति / अर्थदंड	**शून्य**				
समझौता					
संयुक्त शुल्क					

	गैर-मौद्रिक				
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	**विनियामक / प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थानों का नाम**	**राशि (भारतीय रुपए)**	**मामले का संक्षिप्त विवरण**	**क्या कोई अपील दायर की गई है (हां/नहीं)**
कैद होना	**शून्य**				
सज़ा					

3. ऊपर प्रश्न 2 में किए गए घटनाओं के प्रकटीकरण के अनुसार मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई के प्रति अपील किए जाने के मामलों में अपील / आविमत संशोधनः **शून्य**

मामले का विवरण	विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम

4. क्या इकाई में भ्रष्टाचार रोधक अथवा रिश्वत रोधी नीति है? यदि हां, तो संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करें और यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का वेब-लिंक दें।

कंपनी में स्थापित व्हीसल ब्लोअर नीति भ्रष्टाचार रोधी नीति का कार्य कर रही है। व्हीसल ब्लोअर नीति का उद्देश्य अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या आचार संहिता के उल्लंघन या मूल्य संवेदनशील जानकारी के लीक के बारे में वास्तविक चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए एक चैनल प्रदान करना है।

पॉलिसी का वेब लिंक नीचे दिया गया है: **https://www.itiltd.in/Vigilance/Corp%20HR%20Policy%20Circular%20No%20557%20dated%2003%2004%202021-revised.pdf**

5. ऐसे निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई हैः शून्य

	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)	**वित्त वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)**
निदेशक	**शून्य**	**शून्य**
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक		
कर्मचारी		
कामगार		

6. हित संघर्ष से संबंधित शिकायतों का विवरण : **शून्य**

	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)	**वित्त वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)**
निदेशकों के हित संघर्ष के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	**शून्य**	**शून्य**
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के हित संघर्ष के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	**शून्य**	**शून्य**

7. भ्रष्टाचार एवं हित संघर्ष के मामलों पर विनियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा शास्ति/अर्थ दंड के संबंध में की गई अथवा प्रक्रियाधीन किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करें। **शून्य**

सिद्धांत 2 - व्यापार के लिए ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धि करवाई जानी चाहिए जो संवहनीय एवं सुरक्षित हों

अनिवार्य सूचक

1. इकाई द्वारा उत्पादों एवं प्रक्रियाओं में पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव में सुधार के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में किए गए अनुसंधान एवं विकास तथा पूंजी व्यय (कैपेक्स) निवेश तथा इकाई द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास तथा पूंजी व्यय निवेश का क्रमशः प्रतिशत

	2022-23	2021-22	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
अनुसंधान एवं विकास	शून्य	शून्य	लागू नहीं
पूंजी व्यय	शून्य	शून्य	लागू नहीं

2. क. क्या इकाई में संवहनीय स्रोतन के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं? (हां / नहीं) हां

ख. यदि हां, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किए गए थे?

100% कंपनी द्वारा यथा लागू विभिन्न मानकों / प्रमाणन का अनुपालन करके कच्ची सामग्रियों का स्रोतण किया जा रहा है।

3. (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई-कचरा (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट के लिए अपने उत्पादों को पुनः उपयोग, रिसाइकलिंग तथा उपयोज्यता काल निपटान के संबंध में सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्ति की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

कंपनी उत्पादों की रिसाइकलिंग नहीं करती है क्योंकि अधिकांश उत्पाद रणनीतिक/राष्ट्रीय सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाते हैं।

कंपनी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित अधिकृत रिसाइक्लर्स के माध्यम से अपने उत्पादों/उपकरणों की निर्माण प्रक्रिया से निकलने वाले कचरे को वितरित करने के लिए एक संरचित तंत्रव्यवस्था है। धातु अपशिष्ट, अपशिष्ट तेल, सॉल्वेंट्स और तांबा युक्त अस्वीकृत को पुनर्चक्रण और पुनर्प्राप्ति के लिए रिसाइक्लर्स को अधिकृत करने के लिए (100%) भेजा जाता है। कागज और प्लास्टिक रिसाइक्लर्स को दे दिया जाता है।

इसके अलावा, विनिर्माण संयंत्रों में कारखाने और टाउनशिप से अपशिष्ट जल के प्रभावी रिसाइकलिंग के लिए जल उपचार किया जाता है।

प्रदूषण को रोकने के लिए विनिर्माण प्रक्रिया में स्वच्छ प्रौद्योगिकी की अवधारणा व्यवहार में लाई जाती है। आईटीआई का ध्यान स्रोत पर ही प्रदूषण की रोकथाम करना है। इस दिशा में, मौजूदा प्रक्रियाओं में कई सुधार और संशोधन शामिल किए गए हैं। पीसीबी निर्माण और धातु परिष्करण प्रक्रियाओं में कुछ खतरनाक पदार्थों के प्रतिबंध (आरओएचएस) के अनुरूप कई प्रक्रियाओं को पेश किया गया है।

अतिरिक्त पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों का कार्यान्वयन किया गया है , जैसे कम धुआं हैलोजन केबल, कम वीओसी धातु फिनिश (पॉलीयुरेथेन), साइनाइड मुक्त चांदी, जस्ता और तांबा चढ़ाना, और त्रिसंयोजक क्रोमियम-आधारित क्रोमेट रूपांतरण कोटिंग।

4. क्या विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) इकाई के कार्यों पर लागू है। (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके संबंध में क्या उपाय किए गए हैं।

लागू नहीं

सिद्धांत 3 - व्यापार में सभी कर्मचारियों एवं वैल्यु चेन के कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

आवश्यक सूचक

1. क. कर्मचारियों की सुख सुविधा के लिए किए गए उपायों का विवरण

वर्ग	कवर किए गए कर्मचारियों का %										
	कुल (क)	समूह जीवन बीमा		कल्याणकारी लाभ		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		सं. (ख)	% (ख)/(क)	सं. (ग)	% (ग)/(क)	सं. (घ)	% (घ)/(क)	सं. (ङ)	% (ङ) /(क)	सं. (च)	% (च/क)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	875	875	100%	875	100%	-	-	-	-	875	100%
महिला	197	197	100%	197	100%	197	100%	-	-	197	100%
कुल	**1072**	**1072**	**100%**	**1072**	**100%**	**197**	**18.4%%**		**-**	**1072**	**100%**

वर्ग	कवर किए गए कर्मचारियों का %										
	कुल (क)	समूह जीवन बीमा		कल्याणकारी लाभ		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		सं. (ख)	% (ख)/(क)	सं. (ग)	% (ग)/(क)	सं. (घ)	% (घ)/(क)	सं. (ङ)	% (ङ) /(क)	सं. (च)	% (च/क)
स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य											
पुरूष	341	341	100%	341	100%	-	-	-	-	341	100%
महिला	113	113	100%	113	100%	113	100%	-	-	113	100%
कुल	**454**	**454**	**100%**	**454**	**100%**	**113**	**24.8%**		**-**	**454**	**100%**

ख. कामगारों की सुख सुविधा के लिए किए गए उपायों का विवरणः

वर्ग	कवर किए गए कर्मचारियों का %										
	कुल (क)	समूह जीवन बीमा		कल्याणकारी लाभ		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		सं. (ख)	% (ख)/(क)	सं. (ग)	% (ग)/(क)	सं. (घ)	% (घ)/(क)	सं. (ङ)	% (ङ) /(क)	सं. (च)	% (च/क)
स्थायी कर्मचारी											
पुरूष	221	221	100%	221	100%	-	-	-	-	221	100%
महिला	24	24	100%	24	100%	24	100%	-	-	24	100%
कुल	**245**	**245**	**100%**	**245**	**100%**	**24**	**9.7%**		**-**	**245**	**100%**
स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य											
पुरूष	248	248	100%	248	100%	-	-	-	-	248	100%
महिला	99	99	100%	99	100%	99	100%	-	-	99	100%
कुल	**347**	**347**	**100%**	**347**	**100%**	**99**	**28.5%**	**-**	**-**	**347**	**100%**

2. चालू वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष में सेवानिवृत्ति लाभ का विवरण।

वर्ग	वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22		
लाभ	कुल कर्मचारियों के प्रति कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत	कुल कामगारों के प्रति कवर किए गए कामगारों की संख्या का प्रतिशत	कटौती की गई और प्राधिकारी को जमा की गई (हां/नहीं/ लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के प्रति कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत	कुल कामगारों के प्रति कवर किए गए कामगारों की संख्या का प्रतिशत	कटौती की गई और प्राधिकारी को जमा की गई (हां/ नहीं/ लागू नहीं)
भ.निधि	30.4%	23.2%	लागू नहीं	24.1%	25.8%	24.1%
उपदान	30.4%	23.2%	लागू नहीं	24.1%	25.8%	24.1%
कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य (पीएल नकदीकरण)	30.4%	23.2%	लागू नहीं	24.1%	25.8%	24.1%

3. कार्यस्थलों तक पहुंच

क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार परिसर/कार्यालय दिव्यांगजनों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या कंपनी द्वारा इस संबंध में कोई व्यवस्था की जा रही है? जी, हां।

4. क्या कंपनी में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हां, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

जी, नहीं। अलग से कोई नीति नहीं है। दिव्यांगजनों के अधिकारों का संरक्षण लागू अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है।

5. मातृत्व / पितृत्व अवकाश प्राप्त करने वाले स्थायी कर्मचारियों की कार्य पर वापसी एवं प्रतिधारण की दर

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कर्मचारी	
	कार्य पर वापसी की दर	प्रतिधारण दर	कार्य पर वापसी की दर	प्रतिधारण दर
पुरुष	100%	100%	100%	100%
महिला	100%	100%	100%	100%
कुल	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

6. **क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों तथा कामगारों से शिकायतें प्राप्त करने और उनके निवारण की कोई तंत्रव्यवस्था है ? यदि हां, तो तंत्रव्यवस्था का संक्षिप्त विवरण दें।**

सभी महिला कर्मचारी अपनी शिकायतें कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (प्रतिषेध, प्रतितोष एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित आंतरिक शिकायत समिति को रिपोर्ट कर सकती हैं और सभी कर्मचारी अपनी संबंधित यूनिट में मौजूद शिकायत निवारण समिति को रिपोर्ट कर सकती हैं और वे अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर सकती हैं। अपने सुझाव या शिकायतें कार्यालय परिसर में रखी सुझाव पेटी में डाली जा सकती हैं।

7. **सूचीबद्ध कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त संघों अथवा यूनियनों में कर्मचारियों और कामगारों की सदस्यता:**

वर्ग	वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22		
	वर्तमान वित्त वर्ष			पिछला वित्त वर्ष		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारियों / कामगारों की संख्या (क)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या, जो संघ अथवा यूनियन का भाग हैं (ख)	% (ख) / (क)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारियों / कामगारों की संख्या (ग)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या, जो संघ अथवा यूनियन का भाग हैं (घ)	% (घ/ग)
कुल स्थायी कर्मचारी	**1072**	**1072**	**100%**	**1358**	**1358**	**100%**
- पुरुष	875	875	100%	117	117	100%
- महिला	197	197	100%	211	211	100%
कुल स्थायी कर्मचारी	**245**	**245**	**100%**	**307**	**307**	**100%**
- पुरुष	221	221	100%	271	271	100%
- महिला	24	24	100%	36	36	100%

नोट: सभी नियमित कर्मचारी एवं अधिकारी आईटीआई एम्प्लाइज यूनियन तथा आईटीआई आफिसर्स यूनियन में क्रमशः सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं।

8. **कर्मचारियों एवं कामगारों को दिये गये प्रशिक्षण का विवरण: (स्थायी)**

वर्ग	वित्त वर्ष 2022-23 चालू वित्तीय वर्ष					वित्त वर्ष 2021-22 पिछला वित्तीय वर्ष				
	कुल (क)	स्वास्थ्य और सुरक्षा/ कल्याण		कौशल उन्नयन		कुल (घ)	स्वास्थ्य और सुरक्षा/ कल्याण		कौशल उन्नयन	
		सं. (ख)	% (ख)/(क)	सं. (ग)	% (ग)/(क)		सं. (ङ)	% (ङ/घ)	सं. (च)	% (च/ घ)
कर्मचारी										
पुरुष	598	37	6.19	561	93.81	1773	115	6.49	1658	93.51
महिला	175	15	8.57	160	91.43	568	55	9.68	513	90.32
कुल	**773**	**52**	**6.74**	**720**	**93.26**	**2341**	**170**	**7.26**	**2171**	**92.74**
कामगार										
पुरुष	84	20	23.81	64	76.19	72	34	47.22	38	52.78
महिला	34	0	0	34	100	66	12	18.18	54	81.82
कुल	**118**	**20**	**16.95**	**98**	**83.05**	**138**	**46**	**33.33**	**92**	**66.67**

9. कर्मचारियों के निष्पादन एवं आजीविका विकास की समीक्षा का विवरण:

वर्ग	31.03.2023 को			31.03.2022 को		
	कुल (क)	सं. (ख)	% (ख)/(क)	कुल (ग)	सं. (घ)	% (घ/ग)
कर्मचारी						
पुरूष	1283	1283	100%	1540	1540	100%
महिला	308	308	100%	330	330	100%
कुल	**1591**	**1591**	**100%**	**1870**	**1870**	**100%**
कामगार						
पुरूष	477	477	100%	557	557	100%
महिला	109	109	100%	115	115	100%
कुल	**586**	**586**	**100%**	**672**	**672**	**100%**

10. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

क. क्या इकाई द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन किया गया है? (हां नह)। यदि हां, तो ऐसी प्रणाली की कवरेज क्या है?

जी,हां। कर्मचारियों के इष्टतम स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा नियमों के अनुसार सभी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल शामिल किए गए हैं।

ख. इकाई द्वारा कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने तथा जोखिमों का नियमित एवं गैर-नियमित आधार पर आकलन करने के लिए उपयोग में लाई गई प्रक्रियाएं क्या हैं?

यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच एवं निगरानी की जाती है कि क्या उच्च सुरक्षा प्रबंधन मानक स्थापित किए गए हैं अथवा नहीं।

ग. क्या कंपनी में कार्य संबंधित खतरों के बारे में कामगार रिपोर्टिंग तथा ऐसे जोखिमों को दूर करने की प्रक्रियाएं हैं (हां/नह)।

जी, हां

घ. क्या कंपनी के कर्मचारियों / कामगारों के लिए गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हैं? (हां नह)।

जी, हां

11. नीचे दिए गए प्रारूप में सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण:

सुरक्षा घटना/संख्या	वर्ग	वित्त वर्ष 2022-23 चालू वित्तीय वर्ष	वित्त वर्ष 2021-22 पिछला वित्तीय वर्ष
लॉस्ट टाइम इंजरी (चोट) आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति एक मिलियन व्यक्ति कार्य घंटे)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार		
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य-संबंधी चोटें कर्मचारी	कर्मचारी		
	कामगार		
मृतकों की संख्या (सुरक्षा घटना)	कर्मचारी		
	कामगार		
उच्च परिणामी कार्य-संबंधी चोट या खराब स्वास्थ्य (मृत्यु के अलावा)	कर्मचारी		
	कामगार		

12. **इकाई द्वारा सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का वर्णन करें।**

- सुरक्षा आडिट सेफ (एसएएफई) /114 प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है
- कार्य निर्देश और सुरक्षित कार्य पद्धतियां तैयार की गई हैं तथा इनकी उपलब्धता सुगम है।
- सुरक्षा के लिए संसाधनों की पर्याप्तता की समीक्षा के लिए सभी यूनिटों में सुरक्षा समिति बनाई गई है
- सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए समय-समय पर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं

13. कर्मचारियों तथा कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

वर्ग	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्त वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)		
	वर्ष के दौरान प्रस्तुत	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान प्रस्तुत	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
कार्य स्थितिया	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
स्वास्थ्य और सुरक्षा	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं

14. वर्ष से संबंधित मूल्यांकन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका (इकाई अथवा सांविधिक प्राधिकरणों अथवा तीसरे पक्ष द्वारा) मूल्यांकन किया गया था
स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवहार	100%
कार्य स्थितियां	100%

प्रत्येक माह सुरक्षा समिति द्वारा एसएएफई (सेफ)/114 प्रक्रिया के अनुसार आडिट किया जाता है।

15. सुरक्षा-संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा व्यवहारों एवं कामकाजी परिस्थितियों के मूल्यांकन से उत्पन्न महत्वपूर्ण जोखिमों / सरोकारों के समाधान के लिए की गई अथवा की जा रही किसी भी सुधार कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करें।

आईटीआई लिमिटेड में, विभिन्न ऑडिटिंग और निरीक्षण प्रक्रियाओं के माध्यम से खतरों और जोखिमों की पहचान की जाती है। नियंत्रण प्रक्रिया के अनुसार महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और सुरक्षा खतरों को कम करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाइयां की जाती हैं।

सिद्धांत 4: व्यापार में प्रत्येक के हितों का सम्मान होना चाहिए तथा यह प्रत्येक स्टेकधारक के प्रति प्रतिक्रियात्मक होना चाहिए।

अनिवार्य सूचक

1. इकाई के प्रमुख स्टेकधारक समूहों की पहचान की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

प्रमुख स्टेकधारक व्यक्ति, संगठन, पार्टियां या संस्थाएं हैं जिनसे हमारा व्यवसाय प्रभावित होता है, मूल्य संवर्धन अथवा मुल्य श्रृंखला के महत्वपूर्ण तत्व हैं। विक्रेता, ग्राहक, कर्मचारी, समुदाय और शेयरधारक हमारे कुछ प्रमुख स्टेकधारक हैं।

2. आपकी इकाई के लिए महत्वपूर्ण के रूप में पहचान किए गए स्टेकधारक समूहों की सूची बनाएं तथा यह बताएं कि प्रत्येक स्टेकधारक समूह के साथ कार्य व्यवसाय की आवृत्ति क्या है।

प्रमुख स्टेकधारक	क्या कमजोर एवं वंचित समूह के रूप में पहचान की गई है (हां/नहीं)	संचार चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	कार्य व्यवसाय की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/तिमाही / अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	ऐसे कार्य व्यवसाय के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय एवं सरोकार सहित कार्य व्यवसाय का उद्देश्य और दायरा
समुदाय	नहीं	ईमेल, पत्र, सीएसआर पहल	आनगोइंग / आवश्यकता आधारित	जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्थानीय समुदाय के साथ जुड़ना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण देना
शेयरधारक	नहीं	ईमेल, समाचार पत्र, विज्ञापन, स्टाक एक्सचेंज, वेबसाइट, वर्चुअल बैठकें	आनगोइंग	शेयरधारकों के साथ बैठक तथा शिकायत निवारण
कर्मचारी एवं कामगार	नहीं	इंटरानेट, ईमेल, एसएमएस, वर्चुअल बैठकें, वैयक्तिक बैठक, आंतरिक प्रसंग, सूचना पट्टा	आनगोइंग	व्यापार सूचना, अध्ययन एवं विकास तथा मानव संसाधन नीतियों एवं व्यवहारों से संबंधित संचार
ग्राहक	नहीं	ईमेल, पत्र, बैठकें	आनगोइंग	विक्रेताओं के साथ कांक्लेव का आयोजन, विभिन्न प्रदर्शनियों के माध्यम उत्पादों का प्रदर्शन

प्रमुख स्टेकधारक	क्या कमजोर एवं वंचित समूह के रूप में पहचान की गई है (हां/नह)	संचार चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	कार्य व्यवसाय की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/तिमाही / अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	ऐसे कार्य व्यवसाय के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय एवं सरोकार सहित कार्य व्यवसाय का उद्देश्य और दायरा
वैल्यु चेन भागीदार	नहीं	ईमेल, वेबसाइट	आनगोईंग / आवश्यकता आधारित	• वेबसाइट पर निविदाएं जारी की जाती हैं। • एमएसई विक्रेताओं के हित में प्रापण योजना • प्रतिभागिता के लिए उपलब्ध ओपन निविदा
विनियामक प्राधिकरण	नहीं	अनुसूचित बैठकें उद्योग फोरम के साथ नियमित सम्पर्क	आनगोईंग	• चर्चा एवं विनियमन के इनपुट • व्यवसाय, आचार, व्यवहार

सिद्धांत 5 - व्यापार के अंतर्गत मानवाधिकारों को सम्मान दिया जाना चाहिए और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

अनिवार्य सूचक

1. जिन कर्मचारियों और कामगारों को निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार मानवाधिकार से संबंधित मामलों एवं कंपनी की नीति (नीतियों) के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

वर्ग	वित्त वर्ष 2022-23 चालू वित्तीय वर्ष			वित्त वर्ष 2021-22 पिछला वित्तीय वर्ष		
	कुल (क)	कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या (ख)	% (ख)/(क)	कुल (ग)	कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या (घ)	% (घ/ग)
कर्मचारी						
स्थायी	1487	124	8.34%	1747	30	1.72%
स्थायी के अलावा अन्य	45	0	0	45	0	0
कुल कर्मचारी	**1532**	**124**	**8.09%**	**1792**	**30**	**1.67%**
कामगार						
स्थायी	392	12	3.06%	453	2	0.44%
स्थायी के अलावा अन्य	194	1	0.52%	197	0	0
कुल कामगार	**586**	**13**	**2.22%**	**650**	**2**	**0.31%**

2. कर्मचारियों और कामगारों को चुकता की गई न्यूनतम मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में है:

वर्ग	चालू वित्त वर्ष 2022-23					पिछला वित्त वर्ष 2021-22				
	कुल (क)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		सं. (ख)	% (ख)/(क)	सं. (ग)	%(ग)/(क)		सं. (ङ)	% (ङ/घ)	सं. (च)	% (च/घ)
कर्मचारी										
स्थायी	1072	शून्य	शून्य	1072	100%	1358	शून्य	शून्य	1358	100%
पुरुष	875	शून्य	शून्य	875	100%	1147	शून्य	शून्य	1147	100%
महिला	197	शून्य	शून्य	197	100%	211	शून्य	शून्य	211	100%
स्थायी के अलावा अन्य	454	38	8.3%	416	91.6%	434	45	9.6%	389	89.1%
पुरुष	341	36	10.5%	305	89.4%	324	30	10.8%	294	90.1%
महिला	113	2	1.76%	111	98.2%	110	15	7.3%	95	86.1%

वर्ग	चालू वित्त वर्ष 2022-23					पिछला वित्त वर्ष 2021-22				
	कुल (क)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		सं. (ख)	% (ख)/(क)	सं. (ग)	%(ग)/(क)		सं. (ङ)	% (ङ/घ)	सं. (च)	% (च/घ)
कामगार										
स्थायी	245	शून्य	शून्य	245	100%	307	शून्य	शून्य	307	100%
पुरुष	221	शून्य	शून्य	221	100%	271	शून्य	शून्य	271	100%
महिला	24	शून्य	शून्य	24	100%	36	शून्य	शून्य	36	100%
स्थायी के अलावा अन्य	347	194	55.9%	153	44.1%	343	200	58.3%	143	41.6%
पुरुष	248	136	54.8%	112	45.1%	267	151	56.5%	116	43.4%
महिला	99	58	58.5%	41	41.4%	76	49	64.4%	27	35.5%

3. **निम्नलिखित प्रारूप में पारिश्रामिक/वेतन/मजदूरी का विवरण:**

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी
निदेशक मंडल*	5	16,54,572/-	2	2,04,078
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक**	5	16,54,572/-	3	2,04,078
निदेशक मंडल एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के अलावा अन्य कर्मचारी	1219	77,916.00/-	276	77,916.00/-
कामगार	322	31,864.00/-	62	31,864.00/-

*31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार पांच कार्यात्मक निदेशकों में दो महिला निदेशक हैं।

**31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार पांच प्रमुख प्रबंधन कार्मिक हैं। तथापि, इसमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के पदधारक कार्यात्मक निदेशकों एवं कंपनी सचिव तथा उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है जो अधिवार्षिता / त्यागपत्र के कारण अब निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक नहीं हैं।

4. **क्या व्यवसाय के कारण अथवा परिणामस्वरूप उत्पन्न मानवाधिकार प्रभावों अथवा मामलों के निवारण के लिए उत्तरदायी कोई केन्द्र बिन्दु (व्यक्ति / समिति) आपके पास है? जी, नहीं।**

5. **मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण की विद्यमान आंतरिक तंत्रव्यवस्था का वर्णन करें। जी, नहीं**

6. **निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और कामगारों द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायतों की संख्या:**

वर्ग	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्त वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)		
	वर्ष के दौरान प्रस्तुत	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान प्रस्तुत	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
लैंगिक उत्पीड़न	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
कार्यस्थल पर पक्षपात	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
बाल श्रम						
बलात श्रम/ अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
वेतन	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
मानवाधिकार से संबंधित अन्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-

7. **पक्षपात और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता पर हो सकने वाले प्रतिकूल परिणामों की रोकथाम के लिए तंत्रव्यवस्था।**

कंपनी में व्हिसल ब्लोअर नीति, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम नीति जैसी विभिन्न नीतियां हैं जो शिकायतकर्ता का बचाव भेदभाव अथवा उत्पीड़न के लिए अनुपालन फ़ाइल किए जाने के मामले में प्रतिकूल परिणामों से करती है।

8. **क्या मानवाधिकार अपेक्षाएं आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का भाग हैं? (हां नहीं)**

जी, हां। कंपनी की नीति के अनुसार मानवाधिकारों का ध्यान रखा जाता है। नियमित और अनुबंध कर्मचारियों के लिए काम के घंटे 8 घंटे तक सीमित हैं। मौलिक अधिकारों को सरकारी नीतियों के अनुरूप होने का सुनिश्चय किया जाता है।

9. वर्ष के दौरान मूल्यांकनः

वर्ष के दौरान मूल्यांकन	उन कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (कंपनी अथवा सांविधिक प्राधिकरणों अथवा तीसरे पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	शून्य
बलात/अनैच्छिक श्रम	
लैंगिक उत्पीड़न	
कार्यस्थल पर भेदभाव	

10. उपरोक्त प्रश्न 9 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/सरोकारों के निवारण के लिए की गई अथवा की जा रही सुधारात्मक कार्रवाईयों का विवरण प्रस्तुत करें। शून्य

सिद्धांत 6: व्यापार के अंतर्गत पर्यावरण के सम्मान, संरक्षण एवं पुनः बहाली के प्रयास किए जाने चाहिए।

अनिवार्य सूचक

1. निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (गीगा जूल में) तथा ऊर्जा गहनता का विवरणः

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कुल बिजली खपत (क)	115068786135.66 केजे	104870234635.78 केजे
कुल ईंधन खपत (ख)	314289212 केजे	297119269.6 केजे
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (ग)	3175859160 केजे	**शून्य**
कुल ऊर्जा खपत (क + ख + ग)	118558934507.84 केजे	105167353905.38 केजे
प्रति रुपए टर्नओवर के प्रति ऊर्जा गहनता *(कुल ऊर्जा खपत / रुपए में टर्नओवर)*	7.46 केजे/रुपए	5.06 केजे/रुपए

नोटः कृपया यह बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्य निर्धारण/आश्वासन किया गया है? यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नामः

2. क्या कंपनी की कोई भारत सरकार की निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के अंतर्गत नामोदिष्ट उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में निर्धारित की गई साइट/सुविधाएं हैं? क्या कंपनी की कोई भारत सरकार की निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के अंतर्गत नामोदिष्ट उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में निर्धारित की गई साइट/सुविधाएं हैं? यदि हां, तो कृपया बताएं कि क्या पीएटी योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं। शून्य

3. कृपया जल के संबंध में निम्नलिखित प्रकटीकरणों के विवरण प्रस्तुत करें :-

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	352885	424980
(ii) भूजल	6,88,579	12,76,588
(iii) तीसरे पक्ष जल	23760	46470
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	शून्य	शून्य
(v) अन्य	97.2	97.2
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	10,90,381.2	17,99,905
जल की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	10,90,381.2	17,99,905
प्रति रुपए टर्नओवर में जल गहनता (जल खपत / टर्नओवर)	0.00006864 केएल/रुपए	0.00008664 केएल/रुपए

नोटः कृपया यह बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्य निर्धारण/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

4. क्या इकाई ने शून्य तरल निर्वहन के लिए किसी तंत्रव्यवस्था का कार्यान्वयन किया है? यदि हां, तो इसकी कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रस्तुत करें।

शून्य

5. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में इकाई द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रस्तुत करें:

मापदंड	कृपया यूनिट का उल्लेख करें	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)
एनओx	एमजी/एनएम3	63.92	78.01
एसओx	एमजी/एनएम3	71.01	79.28
पार्टिकुलेट मैटर (पीएम)	एमजी/एनएम3	111.26	112.69
अनवरत जैविक प्रदूषक (पीओपी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
परिवर्तनशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य कृपया उल्लेख करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

नोट: कृपया यह बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्य निर्धारण/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो कृपया बाह्य एजेंसी का नाम सूचित करें।

- पालक्काड यूनिट में केएसपीसीबी द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला-मैसर्स स्टैंडर्ड्स एनवायर्नमेंटल एंड एनालिटिकल लेबोरेटरी, एर्नाकुलम द्वारा आवधिक स्टैक उत्सर्जन परीक्षण किया जाता है।
- नैनी यूनिट का परीक्षण भी यूपी प्रदूषण बोर्ड से कराया गया है।
- बेंगलुरु इकाई का परीक्षण मेसर्स वीसिक्स एनालिटिकल लैब्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भी किया जा रहा है।

6. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी गहनता का विवरण प्रदान करें:

मापदंड	इकाई	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (जीएचजी x सीओ2, सीएच4, एन2o, एचएफसी, पीएफसी,एसएफ6, एनएफ3, यदि उपलब्ध है, का ब्यौरा)	सीओ2 के समतुल्य मीट्रिक टन	3305	3214
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (जीएचजी x सीओ2, सीएच4, एन20, एचएफसी, पीएफसी,एसएफ6, एनएफ3, यदि उपलब्ध है, का ब्यौरा)	सीओ2 के समतुल्य मीट्रिक टन	5132.6385	5087.45
प्रति रुपए टर्नओवर में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन गहनता	मीट्रिक टन / रुपए	0.0000005311	0.0000003996

नोट: कृपया यह बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्य निर्धारण/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम:

7. **क्या इकाई के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां तो विवरण प्रस्तुत करें।**

आईटीआई ने 18 मेगावाट की वार्षिक क्षमता के साथ सौर पैनल विनिर्माण के लिए विनिर्माण सुविधा स्थापित की है। आईटीआई को जुलाई-2024 तक 40डब्ल्यूपी से 325डब्ल्यूपी की वैधता वाले पॉली क्रिस्टलीय सौर मॉड्यूल के लिए बीआईएस प्रमाणन प्राप्त हुआ है।

आईटीआई ने पावर-इन जीपॉन ओएनटी/वाईफाई एक्सेस उपकरण के लिए बीबीएनएल/बीएसएनएल को 47000 एसपीवी सिस्टम और महा आईटी परियोजना एवं बीएसएनएल टेलीकॉम टावर्स की 71 बीटीएस साइट के सोलराइजेशन के लिए 20000 एसपीवी सिस्टम की आपूर्ति की थी।

आईटीआई ने उत्तराखंड में 15350 सौर एलईडी स्मार्ट स्ट्रीट सौर लाइटें लगाई हैं और बिहार में 50000 स्मार्ट एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम चल रहा है।

ऑन ग्रिड यूटिलिटी स्केल सौर सिस्टम के अंतर्गत आईटीआई ने कैप्टिव उपयोग के लिए आईटीआई की विभिन्न यूनिटों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए 325डब्ल्यूपी के 18,955 सौर पैनल (5.66 मेगावाट) का निर्माण और आपूर्ति की थी, जीईएम अनुबंध के माध्यम से बीबीएनएल को 60 डब्ल्यूपी SPV पैनल के 5625, 150 किलोवाट की आपूर्ति की थी। तिब्बतन यूनिवर्सिटी, वाराणसी के लिए ग्रिड कनेक्टेड सौर परियोजना, एनएएसी, बेंगलुरु के लिए 225 किलोवाट ग्रिड कनेक्टेड सौर परियोजना और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के लिए 100 किलोवाट ग्रिड कनेक्टेड रूफटाप सोलर परियोजना।

आईटीआई ने आरटीओ, जयपुर एपीएस, झाँसी के लिए बैटरी बैकअप के साथ 10 किलोवाट ऑफ ग्रिड सौर प्रोजेक्ट (आवासीय छत सौर प्रणाली) भी निष्पादित किया था।

आईटीआई आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य के अनुरूप नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में व्यवसाय कर रहा है, जिसका उद्देश्य भारत में सौर पीवी विनिर्माण के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जो कार्बन उत्सर्जन को उत्तरोत्तर कम करता है।

8. अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कंपनी द्वारा किए गए कार्य से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:

मापदंड	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक कचरा (क)	120.57	49.675
ई-कचरा (ख)	49.471	2.448
जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (ग)	0.071	0.0795
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (घ)	60	208
बैटरी अपशिष्ट (ङ)	शून्य	शून्य
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (च)	शून्य	शून्य
अन्य खतरनाक अपशिष्ट. कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (छ)	14.69	8.58
उत्पन्न अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट (ज)। कृपया स्पष्ट करें, यदि कोई हो (किसी सम्मिश्रण यथा क्षेत्र से सम्बद्ध सामग्रियों का विवरण)	44.35	54.225
योग (क + ख + ग + घ + ङ + च + छ + ज)	**289.152**	**323.0075**
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए,रिसाइकलिंग, पुनः उपयोग अथवा अन्य पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाओं के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल कचरा (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) रिसाइकिल्ड	2.5	शून्य
(ii) पुनः उपयोज्य	शून्य	शून्य
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाएं	शून्य	शून्य शून्य
योग	**2.5**	**शून्य**
प्रत्येक श्रेणी के लिए उत्पन्न अपशिष्ट, निपटान विधि के अनुसार निपटान किया गया कुल		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्म विधी से	0.859	0.0675
(ii) लैंडफिलिंग	10.936	8
(iii) अन्य निपटान परिचालन	शून्य	शून्य
योग	**11.795**	**8.0675**

नोटः कृपया यह बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्य निर्धारण/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम :

9. **आपके प्रतिष्ठानों में अपनाए गए अपशिष्ट प्रबंधन व्यवहारों का संक्षिप्त वर्णन करें। आपकी कंपनी द्वारा अपने उत्पादों एवं प्रक्रियाओं में खतरनाक एवं विषाणु रसायनों का उपयोग कम करने के लिए अंगीकार की गई नीतियों का वर्णन करें तथा ऐसे अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए उपयोग किए जा रहे व्यवहारों के बारे में बताएं।**

पालक्काड यूनिटः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए नियमों की सामान्य धूरी में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट के निपटान के लिए यूनिट में अपशिष्ट निपटान समिति का गठन किया गया है। औद्योगिक कचरे का निपटान सामान्य निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। खतरनाक अपशिष्ट/रसायन केआईएल (केरल एनवायरो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) को सौंप दिए जाते हैं, जो केरल राज्य में उद्योगों से उत्पन्न खतरनाक कचरे के उपचार और निपटान के लिए खतरनाक कचरे पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति के निर्देश पर स्थापित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। ई-अपशिष्ट का निपटान प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।

मनकापुर यूनिटः अपशिष्ट पदार्थों का निपटान एमएसटीसी के माध्यम से किया जाता है। कंपनी में खतरनाक एवं जहरीला रसायन उत्पन्न नहीं होता है।

नैनी यूनिटः हमारे उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों का कोई उपयोग/उत्पादन नहीं होता है।

10. **यदि कंपनी के परिचालन/कार्यालय पर्यावरणीय अनुमोदन/अनुमति की अपेक्षा वाले इकोलॉजिकल संवेदी क्षेत्रों (यथा राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन जोन आदि) में/आस-पास स्थित हैं, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करें:**

क्र. सं.	परिचालनों / कार्यालयों के स्थान	परिचालन का प्रकार	क्या पर्यावरणीय अनुमोदन/क्लीयरेंस की शर्तों का पालन किया जा रहा है? (हां/नहीं) यदि नहीं, तो उसके कारण और यदि कोई हो तो सुधारात्मक कार्रवाई की गई।
	शून्य	शून्य	शून्य
	शून्य	शून्य	शून्य

11. कंपनी की परियोजनाओं के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लागू कानूनों के आधार पर किए गए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का विवरण:

परियोजना का नाम तथा संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना संख्या	तिथि	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया है (हां / नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में सूचित (हां/नहीं)	संबंधित वेब लिंक
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

12. क्या कंपनी भारत में लागू जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और इसके अंतर्गत नियमों जैसे पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है, (हां/नहीं) यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में सभी गैर-अनुपालनों का विवरण प्रस्तुत करें:

जी, हां। कंपनी भारत में लागू पर्यावरण कानून/ नियमों/ विनियमों दिशानिर्देशों का 100 अनुपालन करती है।

सिद्धांत 7 - सार्वजनिक एवं विनियामक नीति को प्रभावित करने वाले व्यवसाय उत्तरदेयी एवं पारदर्शी स्वरूप में किए जाने चाहिए।

अनिवार्य सूचक

1. क. व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या 9

ख. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों की सूची प्रस्तुत करें (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर) जिनमें कंपनी सदस्य है / सम्बद्ध है।

क्र. सं.	व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों का नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों तक पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	ब्राडबैंड इंडिया फोरम (बीआईएफ)	राष्ट्रीय
2	इंडिया इलेक्ट्रोनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (आईईएसए)	राष्ट्रीय
3	टेलीकॉम इक्वीपमेंट एंड सर्विसेस एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (टीईपीसी)	राष्ट्रीय
4	स्टैंडिंग कमेटी आफ पब्लिक एंटरप्राइज (स्कोप)	राष्ट्रीय
5	नेशनल सेफ्टी काउंसिल	राष्ट्रीय
6	इलेक्ट्रोनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आफ इंडिया	राष्ट्रीय
7	फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री	राज्य

2. विनियामक प्राधिकरण के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई अथवा की जा रही उपचार कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करें। **शून्य**

सिद्धांत 8 - व्यापार के अंतर्गत समावेशी विकास एवं न्यायोचित विकास का समर्थन होना चाहिए।

अनिवार्य सूचक

1. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण।

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तिथि	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया है (हां / नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन पर सूचित (हां/ नहीं)	संबंधित वेब लिंक
लागू कानूनों के अनुसार, कंपनी द्वारा की जारी किसी भी परियोजना के संबंध में एसआईए लागू नहीं है।					

2. निम्नलिखित प्रारुप में उन परियोजनाओं की जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी इकाई द्वारा चल रहे पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) का कार्य किया जा रहा है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम जिसके लिए आर एंड आर जारी है	राज्य	ज़िला	परियोजना प्रभावित परिवारों की संख्या (पीएएफ)	आर एंड आर के अंतर्गत कवर पीएएफ का %	वित्त वर्ष में पीएएफ को भुगतान की गई राशि (भारतीय रुपए में)
लागू नहीं क्योंकि किसी भी परियोजना में कंपनी द्वारा पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नहीं किया गया है।						

3. **स्थानीय समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने की तंत्रव्यवस्था का वर्णन करें।**

सार्वजनिक शिकायत पोर्टल **https://pgportal.gov.in/Home/LodgeGrievance** के माध्यम से शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर कुल इनपुट में से इनपुट):

	वित्त वर्ष 2022-23 चालू वित्तीय वर्ष	वित्त वर्ष 2021-22 पिछला वित्तीय वर्ष
एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से सीधे प्राप्त	26.26 %	58.90 %
जिले में से तथा पड़ोसी जिलों से प्राप्त	लागू नहीं	लागू नहीं

सिद्धांत 9 - व्यापार के अंतर्गत अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं महत्व देने के साथ उनसे उत्तरदायी स्वरूप में व्यवहार किया जाना चाहिए।

अनिवार्य सूचक

1. **उपभोक्ता शिकायतों एवं फीडबैक की प्राप्ति एवं प्रतिक्रिया के लिए स्थापित तंत्रव्यवस्था का वर्णन करें।**

ग्राहक सेवा केंद्र आईटीआई पालक्काड यूनिट के साथ-साथ बेंगलूरू में नेटवर्क सेवा यूनिटों में भी परिचालनात्मक है। इन केंद्रों से 24*7 ग्राहक शिकायत सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

2. **सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं की टर्नओवर, जिनके निम्नलिखित के बारे में सूचना होती है:**

	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंड	लगभग 3.00% (सौर पैनल, स्मैश पीसी, सेनिटरी नेपकिन वेंडिंग मशीन की बिक्री से टर्नओवर)
सुरक्षित एवं उत्तरदेयी उपयोग	
पुनर्चक्रण तथा / अथवा सुरक्षित निपटान	

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या: **शून्य**

वर्ग	वित्त वर्ष 2022-23 (चालू वित्तीय वर्ष)		टिप्पणियां	वित्त वर्ष 2021-22 (पिछला वित्तीय वर्ष)		टिप्पणियां
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
डाटा प्राइवेसी	शून्य	लागू नहीं		शून्य	लागू नहीं	
विज्ञापन	शून्य	लागू नहीं		शून्य	लागू नहीं	
साइबर सुरक्षा	शून्य	लागू नहीं		शून्य	लागू नहीं	
अनिवार्य सेवाओं की आपूर्ति	शून्य	लागू नहीं		शून्य	लागू नहीं	
प्रतिबंधित व्यवसाय व्यवहार	शून्य	लागू नहीं		शून्य	लागू नहीं	
अनुचित व्यवसाय व्यवहार	शून्य	लागू नहीं		शून्य	लागू नहीं	
अन्य	शून्य	लागू नहीं		शून्य	लागू नहीं	

4. **सुरक्षा कारणों से उत्पाद वापस मंगाए जाने की घटनाओं का विवरण:**

	संख्या	वापस मंगवाने का कारण
स्वैच्छिक रूप से मंगाए गए	शून्य	लागू नहीं
जबरन मंगाए गए	शून्य	लागू नहीं

5. **क्या इकाई के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों की कोई रूपरेखा/नीति है? (हां/नहीं) यदि है, तो नीति का वेबलिंक प्रदान करें।**

जी, हां, आईटीआई के पास आईटी सुरक्षा नीति है जो सूचना सुरक्षा में खामियों के कारण उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक जोखिम को कम करने के लिए सुरक्षा उपायों के अनुप्रयोग को निर्धारित करती है। इसे कॉर्पोरेट जानकारी की सुरक्षा और परिसंपत्तियों की गोपनीयता, अखंडता, उपलब्धता और मूल्य को संरक्षित करने और सेवाओं की निरंतर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आईटीआई ने संपूर्ण संगठन में सभी कर्मचारियों द्वारा पालन की जाने वाली आईटी सुरक्षा नीतियों को तैयार और लागू किया है।

6. **विज्ञापन तथा अनिवार्य सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित मुद्दों ,उत्पाद वापसी की घटनाओं की पुनरावृत्ति; पर की गई अथवा की जा रही सुधार कार्रवाई; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकारियों द्वारा जुर्माना/कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करें;**

शून्य

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 10052045

स्थल : बेंगलूरू
दिनांक : 11 अगस्त, 2023

अनुलग्नक - 5

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

I. दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग संरचना

भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है जिसका ग्राहक आधार 1.18 बिलियन है और पिछले दश में इस बाजार ने मजबूत वृद्धि दर्ज की है। भारत विश्व में डेटा का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। ट्राई के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020 में प्रति वायरलेस डेटा ग्राहक औसत वायरलेस डेटा उपयोग 11 जीबी प्रति माह था। वर्ष 2025 तक अब यह 18 जीबी तक पहुंचने की संभावना आंकी गई है। कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। मार्च 2023 में इंटरनेट ग्राहकों की कुल संख्या बढ़कर 846.57 मिलियन हो गई है। मार्च 2023 में कुल वायरलेस या मोबाइल टेलीफोन ग्राहकों की संख्या बढ़कर 1143.93 मिलियन हो गई। जीएसएम एसोसिएशन (जीएसएमए) द्वारा बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) के सहयोग से तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मोबाइल अर्थव्यवस्था बदलाव की ओर तीव्र गति से बढ़ रही है और यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में महत्वपूर्ण योगदान देगी। सरकार ने दूरसंचार उपकरणों के लिए आसान बाजार पहुंच और एक निष्पक्ष और अग्रसक्रिय विनियामक संरचना प्रभावी की है जिससे उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर दूरसंचार सेवाओं की प्राप्ति का सुनिश्चय हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.7 प्रतिशत था तथा वित्तीय वर्ष 2023 में इसे सकल घरेलू उत्पाद के 6.4 प्रतिशत तक के लिए बजट किए जाने से सरकार के राजकोषीय घाटे के मोर्चे पर तो भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बजट 2023 में सरकार ने दूरसंचार विभाग के लिए 97579 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वित्तीय वर्ष 2019-2024 के बीच भारतीय दूरसंचार सेवा उद्योग 12-14% की दर से बढ़ने की संभावना है।

आईटीआई में बीएसएनएल नेटवर्क के लिए विस्तारित किए जाने वाले 4जी एलटीई आरएएन के निर्माण की प्रक्रिया सक्रिय रूप से की जा रही है। आईटीआई लिमिटेड ने आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत बीएसएनएल के 4जी नेटवर्क के कार्यान्वयन में भागीदारी के माध्यम से भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में स्वदेशी रूप से निर्मित 4जी मोबाइल उपकरण और सेवाओं के प्रसार में योगदान देने का निर्णय लिया है।

सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक 280 गीगावॉट की स्थापित सौर क्षमता का बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य तय किया गया है। नवीकरणीय स्रोतों की दिशा में भारत के ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल के घरेलू निर्माण के लिए 19,500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आईटीआई सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता को 18 एमडब्ल्यूपी से 500 एमडब्ल्यूपी तक विस्तारित करने की योजना बना रही है। आईटीआई नैनी यूनिट सौर व्यवसाय की आवश्यकताओं को लक्षित करने और बाजार पहुंच का विस्तार करने और भारत में स्थानीय आपूर्ति-श्रृंखला इको-सिस्टम का निर्माण करने के लिए केंद्रित दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है, जिससे अधिक नौकरियां एवं अधिक राजस्व की उत्पत्ति हो रही है।

सरकार द्वारा रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल-आधारित नेटवर्क के लिए 21.58 बिलियन रुपए तथा पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार परियोजनाओं के लिए 7.16 बिलियन रुपए आवंटित किए गए हैं। रेलवे, भारतनेट और रक्षा परियोजना और 5जी परियोजनाओं से ओएफसी केबल की भारी मांग को देखते हुए आईटीआई ओएफसी बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल विनिर्माण क्षमता के विस्तार की योजना बना रही है।

बेहतरीन प्रयासों के बावजूद, भारतीय और विदेशी, दोनों, स्रोतों से सेमीकंडक्टर आईसी के लिए कंपोनेंट्स, मॉड्यूल, असेंबलियां आदि प्राप्त न हो पाने के कारण, आईटीआई को, आपूर्ति की प्रतिबद्ध समय-सीमा के अनुसार, कुछ उत्पादों और प्रणालियों की आपूर्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। विश्व में सेमीकंडक्टरों की कमी होने से ओएनटी, ओएलटी4जी आरएएन का विनिर्माण प्रभावित हुआ है। सरकारी स्तर पर लॉजिस्टिक की देरियों को कम करने के लिए बैठकें आयोजित की गईं हैं तथा चिप निर्माताओं को पत्र भेजे गए हैं।

तथापि, आईटीआई द्वारा सेमीकंडक्टर की कमी/देरी के प्रबंधन के लिए सी-डॉट जैसे प्रौद्योगिकी भागीदार के साथ वैकल्पिक सोर्सिंग/पुनर्निर्माण समन्वय तथा प्रापण क्रम को न्यून करने के उद्देश्य से अग्रसक्रिय स्रोतण जैसी आवश्यक कार्रवाईयां की जा रही हैं।

II. अवसर और आशंकाएं

अवसर:

जहां एक ओर दूरसंचार, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स औद्योगिक, आईटी और बीए तथा ऑटोमोबाइल जैसे मौजूदा क्षेत्रों का विकास हुआ है वहीं नवोपायों की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ रहे बाजार में इलेक्ट्रिक वाहन, 5 जी, ड्रोन, चिकित्सा प्रौद्योगिकी, कृषि प्रौद्योगिकी, आईओटी, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, रक्षा, अंतरिक्ष और बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स एवं अन्य अनेक विघटनकारी प्रौद्योगिकियों का आगमन बाजार में हुआ है। भारत वैश्विक कंपनियों के लिए एक नयाचार-चालित अनुसंधान एवं विकास गंतव्य बन रहा है। शिक्षा जगत, उद्योग जगत और उद्योग संघों को उद्योग को उसकी क्षमता तक पहुँचने में मदद करने के लिए सरकार द्वारा ठोस और समन्वित प्रयास किए जाने आवश्यक हैं।

सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान में स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है तथा इसका लक्ष्य डिजिटल संचार प्रौद्योगिकियों में निर्दिष्ट उत्पाद खंडों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना है। ईएमएस बाजार में हुई वृद्धि से डिज़ाइन-आधारित विनिर्माण के लिए अवसर उत्पन्न हुआ है; जिसे पीएलआई जैसी योजनाओं के अंतर्गत प्रोत्साहन के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी वर्ष 2018 की अधिसूचना में, मेक इन इंडिया उत्पादों को प्राथमिकता प्रदान करके सार्वजनिक प्रापण का अनुपालन करने तथा इलेक्ट्रानिक संचार संचार से जुड़े उत्पादों और सेवाओं के प्रापण में स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को वरीयता देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। इस नीति और दिशानिर्देश से अनेक अवसरों की उत्पति होगी जिससे दूरसंचार उत्पाद तथा सेवा क्षेत्रों में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

4जी एलटीई संचार, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर ऊर्जा संयंत्र के सामान और चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में व्यापार के अनेक अवसर व्याप्त हैं। विविध प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार उपकरणों का उत्पादन करने के लिए, आईटीआई ने अनेक स्टार्ट-अप और प्रतिष्ठित तकनीकी भागीदारों के साथ सहकार्यता की है। हाल के वर्षों में क्लाउड-आधारित स्टोरेज और प्लेटफॉर्मों की लोकप्रियता में काफी बढ़ोतरी हुई है, अमेज़न वेब सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट एज़ूर जैसी कंपनियों ने भारत में आक्रामक रूप से अपनी बाजार हिस्सेदारी और उत्पाद अंगीकरण को बढा रही है। आईटीआई अपने बैंगलूरु स्थित डेटा सेंटर में क्लाउड सेवाएं और समाधान प्रदान कर रहा है। सरकारी सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता को देखते हुए डिजिटल माध्यमों में केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर ई-गवर्नेंस समाधान और सेवाएं देने की कई संभावनाएं हैं।

5जी ग्लोबल विपणन बढ़ रहा है तथा वर्ष 2026 तक यह 2.6 ट्रिलियन अमरीकी डालर के ऑर्डर से समृद्ध होगा। सुपर कैपेसिटर की उभरती तकनीक विभिन्न आकारों की ली-आयन बैटरियों की जगह ले लेगी। सोलर फिल्म्स और बैटरी टेक्नोलॉजीज के परिपक्व होने के साथ, सोलर संयंत्र भविष्य में थर्मल पावर प्लांट्स को अपने कब्जे में ले लेंगे। दूरसंचार में विशेष रूप से आरएएन के लिए छोटे क्षमता वाले बिजली संयंत्रों का उपयोग बढ़ता रहेगा। घरेलू बिजली आपूर्ति और इन्वर्टर बाजार आईटीआई के लिए आशाजनक व्यवसाय हैं। ई और वी बैंड रेडियो का उपयोग उच्च क्षमता वाले बैकहॉल में किया जाएगा और यह न बिछाए जाने योग्य वैकल्पिक ऑप्टिकल फाइबर केबल भी होगा । के लिए अवधारणा के प्रमाण (पीओसी) को पहले करने और उसके पश्चात प्रौद्योगिकी अंतरण के साथ आगे बढ़ने के दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप आईटीआई के लिए सफल उत्पादों की उत्पति हो सकेगी।

आयात पर देश की अत्यधिक निर्भरता के कारण भारत में स्थानीय मांग और स्थानीय आपूर्ति के बीच भारी असमानता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवीजनों में विनिर्माण सूचकांक को बढ़ावा देने की क्षमता माना गया है। चौथी औद्योगिक क्रांति को उत्प्रेरित करने के लिए कंपनी की योजना नए उत्पाद विकास और उत्पादन में निवेश, नवाचार और आईपीआर को बढ़ावा देने की है।

आईटीआई के सम्मुख वर्तमान अवसर निम्नलिखित हैं:

1. सरकार द्वारा दूरसंचार एवं इलेक्ट्रानिक उपकरणों के निर्माण के लिए मेक-इन-इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से दिया गया बल।
2. सरकार द्वारा नई लॉन्च की गई 5जी सेवाओं के उपयोग से स्मार्ट क्लासरूम, शुद्ध खेती, कुशल परिवहन प्रणाली एवं स्वास्थ्य सेवाओं जैसे अनुप्रयोगों का विकास करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना बनाई गई है।
3. देश में बढ़ती दूरसंचार, रक्षा एवं सुरक्षा आवश्यकताएं
4. बीएसएनएल 4जी नेटवर्क
5. एस्कॉन चरण-IV परियोजना
6. विश्व में अग्रणी डिज़ाइन हाउसों का विनिर्माण फोकस भारत एवं चुनिंदा एशियाई देशों के विनिर्माण आधार की ओर आकर्षित होना।
7. सौर, इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की नीति
8. भारतीय उद्योगों के लिए अंतरिक्ष इलेक्ट्रानिक्स बाजार खोलना
9. बीएसएनएल रेलवे, रक्षा नेटवर्क का आधुनिकीकरण
10. स्मार्ट सिटी, ऊर्जा भंडारण उत्पाद, डेटा सेंटर, नेटवर्क एवं साइबर सुरक्षा, सौर आधारित बिजली संयंत्र, रक्षा बाजार आदि जैसे क्षेत्रों के लिए बढ़ता बाजार
11. सरकार की पीएलआई योजना तथा स्वदेशीकरण को बढ़ावा

जोखिम:

वर्तमान में, भारतीय इलेक्ट्रानिक्स उद्योग का वर्णन एक ऐसे अत्यधिक प्रतिस्पर्धी उद्योग के रूप में किया जाता है, जिसमें तीव्र गति से प्रौद्योगिकी परिवर्तन हो रहे हैं तथा मूल उपकरण निर्माताओं द्वारा इसमें बड़े निवेश किए जा रहे हैं तथा जिसके टीएसपी थोड़े से समय काल में पुराने हो जाते हैं।

कंपनी ने परिवर्तनशील व्यवसाय वातावरण में निम्नलिखित जोखिमों को संज्ञान में लिया है:

1. दूरसंचार उद्योग अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है।
2. कार्यशील पूंजी के लिए उच्च वित्तीयन लागत।
3. कुछ महत्वपूर्ण और अस्वीकृत प्रौद्योगिकियों की सोर्सिंग में कठिनाई।
4. सरकारी नीतियों का कुशल उपयोग करने की निजी सेक्टर को प्राप्त लोचकता
5. भारतीय निजी उद्योग तथा दूरसंचार क्षेत्र में मूल उपकरण निर्माताओं तथा उनके संयुक्त उद्यमों से प्रतिस्पर्धा में कई गुना वृद्धि।

III. शक्तियां एवं न्यूनताएं :

शक्तियां

1. दूरसंचार/इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की पूरी श्रृंखला के निर्माण के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना।
2. इलेक्ट्रानिक उपकरण निर्माण तथा राष्ट्रीय नेटवर्क के निर्माण के लिए दूरसंचार टर्नकी समाधान प्रदान के लिए प्राप्त दशकों का अनुभव
3. टेलीकॉम इलेक्ट्रानिक्स में उत्कृष्ट डोमेन ज्ञान एवं प्रमुख दक्षताएं प्राप्त होना।
4. टर्नकी आधार पर रक्षा प्रतिष्ठान के लिए रणनीतिक दूरसंचार नेटवर्क अवसंरचना के संस्थापन एवं अनुरक्षण का अनुभव।
5. भारतनेट जैसी मेगा परियोजनाओं का एंड टू एंड निष्पादन करने की क्षमता।
6. आईटीआई टियर -3 डेटा सेंटर से विभिन्न आईटी सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए साइबर सुरक्षा अवसंरचना।
7. रक्षा के लिए एन्क्रिप्शन उत्पादों के विकास के लिए घरेलू अनुसंधान एवं विकास क्षमता।
8. दूरसंचार विभाग के अनिवार्य परीक्षण और दूरसंचार उपकरण प्रमाणन (एमटीसीटीई) नियमों के अंतर्गत दूरसंचार उपकरण परीक्षणों के लिए दूरसंचार परीक्षण प्रयोगशालाएं।
9. अखिल भारतीय उपस्थिति (बेंगलूरु, पालक्काड, रायबरेली, मनकापुर, नैनी और श्रीनगर में 6 विनिर्माण संयंत्र) के साथ-साथ बेंगलूरु, चेन्नै, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ और भुवनेश्वर में 8 एमएसपी कार्यालयों के माध्यम से मजबूत विपणन उपस्थिति और साथ ही अनेक क्षेत्रीय कार्यालय।
10. 4जी आरएएन के स्वदेशी निर्माण के लिए क्षमता वृद्धि।
11. विकास के लिए साझेदारी पारिस्थितिकी तंत्र का उत्तोलन

अशक्तियां:

1. कम टेलीकॉम ऑर्डर वॉल्यूम पर निर्भरता
2. कुशल संसाधन उपलब्ध न होना
3. कंपोनेंट प्राप्ण में लगने वाला अधिक समय
4. उत्पादों के विपणन का समय-उच्च
5. विशिष्ट दूरसंचार प्रौद्योगिकी/उत्पादों का काफी कम समावेशन
6. कुछ क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के लिए सी-डॉट पर निर्भरता
7. प्रमुख प्रौद्योगिकियों के लिए प्रौद्योगिकी भागीदारों पर निर्भरता।
8. प्रौद्योगिकी की कमी तथा बौद्धिक संपदा (आईपी) विकास, विकास अवरोधक है।

IV. भविष्य के प्रति अभिमुखता

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार अग्रिम क्रयादेशों सहित आईटीआई की ऑर्डर बुक का मूल्य लगभग 11,460.14 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी ने 2648 करोड़ रुपए की टर्नओवर की योजना बनाई है। आईटीआई काफी बड़े पैमाने पर विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और मूल्य संवर्धन के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) के रूप में टर्नकी परियोजनाओं को प्राप्त करने की योजना बना रहा है। आईटीआई द्वारा आर्मी स्टेटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क (एएससीओएन) परियोजना के चौथे चरण में रक्षा आर्डर का निष्पादन किया जा रहा है। इस परियोजना में अवसंरचना के निर्माण के लिए सिविल कार्य और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, आईपी एमपीएलएस राउटर, माइक्रोवेव रेडियो, सैटेलाइट टर्मिनल, एनएमएस और परीक्षण उपकरण जैसे उपकरणों की स्थापना, कमीशन और अनुरक्षण के कार्य शामिल हैं। राष्ट्र निर्माण में अपना योजना देने के लिए आईटीआई को बीएसएनएल से बीएसएनएल नेटवर्क के पश्चिमी क्षेत्र में 23,633 स्थलों के संबंध में योजना, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, स्थापना तथा कमीशनिंग एवं 4 जी मोबाइल नेटवर्क की एएमसी का अग्रिम क्रयादेश प्राप्त हुआ है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एसआई होने के अलावा, आईटीआई द्वारा 4जी आरएएन उपकरण का निर्माण करने और साथ ही अन्य परिचालाकों की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए 4जी तथा 5जी के संबंध में योजना बनाई जा रही है। निर्माण प्रक्रियाओं में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार द्वारा 'मेक इन इंडिया' एवं 'आत्मनिर्भर भारत' पर बल दिया गया है तथा इससे आयात प्रतिस्थापन एवं दूरसंचार बाजार में नवोपाय युक्त स्वदेशी समाधान प्रोत्साहित के महान अवसर उपलबध हुए हैं। हम उभरती प्रौद्योगिकियों में नए उत्पादों और प्रणालियों के विकास के लिए सी-डॉट, अनुसंधान एवं प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों तथा प्रगतिशील प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ मिलकर काम करेंगे।

सरकार की ओर से निरंतर समर्थन से आईटीआई द्वारा बड़े पैमाने पर विभिन्न बाजार क्षेत्रों के लिए उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। हम अपनी मौजूदा क्षमताओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कंपनी अब हाई स्पीड वाई-फाई एक्सेस पॉइंट, जीपॉन, ओएफसी तथा सोलर पैनल जैसे अनेक नए दूरसंचार उत्पाद बना रही है। कंपनी इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी), डिजिटल मोबाइल रेडियो (डीएमआर), कॉम्पैक्ट टीईएसडी (टर्मिनल एंड सेक्रेसी डिवाइस) एवं सॉफ्टवेयर डिफाईड रेडियो जैसे नए उत्पादों के विकास कार्य कर रही है। आईटीआई द्वारा तनफिनेट, अंडमान एवं निकोबार ओएफसी एवं भारतीय वायुसेना 4जी एलटीई जैसी भारतनेट परियोजनाओं के लिए अनुबंध प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा कंपनी रक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक एन्क्रिप्टेड दूरसंचार उपकरणों के निर्माण पर प्रमुख ध्यान दे रही है।

आईटीआई अपने विद्यमान एवं नए भौगोलिक क्षेत्रों में नए ग्राहकों को आकर्षित करके व्यवसाय का विस्तार करने के अवसरों का अंवेषण कर रही है। हम अपने राजस्व मार्जिन को बढ़ाने के लिए ओपेक्स, सर्विस मॉडल और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी संचालित (जीओसीओ) जैसे बिजनेस मॉडल को आगे बढ़ाएंगे और उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक क्षेत्रों में हमारी उपस्थिति कम है, लेकिन हम अन्य भारतीय कंपनियों और स्थानीय भागीदारों के साथ सहयोग करके दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका में व्यापार के अवसरों को बढ़ाने के लिए विपणन कार्यालय बनाने की अपनी रणनीति पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

अनेक अवसर होने पर भी हम प्रतिस्पर्धा, भू-राजनीतिक स्थितियों, बदलती नीतियों एवं विनियामक परिदृश्यों, उदयीमान प्रौद्योगिकियों और साथ ही ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं के कारण चुनौतियों का भी अनुमान आंकते हैं। हम अपने व्यवसाय को बढ़ाने और भविष्य में नए चुनौतीपूर्ण कार्य स्वीकार करने पर केंद्रित करते रहेंगे।

V. जोखिम प्रबंधन

कंपनी में शासन, जोखिम प्रबंधन एवं अनुपालन (जीआरसी) के अंतर्गत कार्यान्वित उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) संरचना आईएसओ 31000:2018 तथा आईईसी 31010:2019 द्वारा कवर किए गए जोखिम प्रबंधन से संबंधित वैश्विक सर्वोत्तम व्यवहारों पर आधारित है तथा इस व्यवस्था से कंपनी अपने सामान्य व्यवसाय परिचालनों का पूर्ण रूप से एकीकरण जोखिम प्रबंधन से करने में सक्षम हुई है।

कंपनी की ईआरएम नीति रूपरेखा एक संरचित प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सभी बाहरी और आंतरिक जोखिम-कारकों की पहचान करना
- संगठन के व्यवसाय और वित्तीय लक्ष्यों पर इन जोखिमों के प्रभाव का आकलन करना
- संज्ञान में लिए गए जोखिम-कारकों को वरीयता देना
- इन जोखिमों के उपचार के लिए विभिन्न विकल्प खोजना
- जोखिमों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण और निगरानी तंत्रव्यवस्था का कार्यान्वयन करना

ईआरएम एक सतत एवं गतिशील प्रक्रिया है जिसके लिए परिवर्तनशील परिस्थितियों में पुनरावृत्ति एवं अनुकूलन की आवश्यकता होती है। कंपनी का ईआरएम मैनुअल पूर्ण रूप से एक संरचित रूपरेखा है जिसमें शासन टीम की चार परतें हैं

- लेवल-1: यूआरएमसी (यूनिट स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति)
- स्तर-2: ईआरएमएससी (ईआरएम कार्यवाहक समिति)
- लेवल-3: ईआरएमजीसी (उद्यम जोखिम प्रबंधन शासी समिति) अथवा आरएमसी (जोखिम प्रबंधन समिति)
- स्तर4: निदेशक मंडल स्तर पर उद्यम जोखिम प्रबंधन

ये समितियाँ अनुमोदित ईआरएम प्रक्रिया, ईआरएम शासन संरचना, संबंधित स्टेकधारकों की भूमिका एवं जिम्मेदारियों, जोखिम रजिस्टरों के निर्माण, कंपनी की सभी यूनिटों में ईआरएम के परिचालन में अपना निरंतर योगदान प्रदान करके सभी यूनिटों में नीति कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी हैं।

ईआरएम रूपरेखा की स्थापना एवं अनुरक्षण से कंपनी के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रभावी निर्णय लेने की प्रक्रिया सुगम हो गई है। कंपनी द्वारा अनुरक्षण किए गए जोखिम रजिस्टर में कॉर्पोरेट के संबंध में संज्ञान में लिए स्टैंडएलोन जोखिमों के साथ-साथ यूनिटों के महत्वपूर्ण जोखिम भी शामिल किए गए हैं जिससे कॉर्पोरेट का ध्यान आकर्षित होता है तथा कार्य बल समिति द्वारा इनकी नियमित प्रस्तुति एवं समीक्षा की जाती है।

सभी यूनिटें ईआरएम जोखिम रजिस्टर की प्रस्तुति ईआरएम कार्यवाहक समिति (ईआरएमएससी) को करती हैं तथा इसे अद्यतन रखा जाता है। नीति परिचालन के अंतर्गत ईआरएमएससी द्वारा दिनांक 23 सितंबर 2022, 21 अक्टूबर 2022, 24 नवंबर 2022 तथा 31 जनवरी 2023 को सभी यूनिटों (यूआरएमएससी) के साथ मासिक जोखिम प्रबंधन समीक्षा बैठकें आयोजित की हैं तथा दिनांक 10 फरवरी 2023 और 13 फरवरी 2023 को आयोजित जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक तथा निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्तावित उच्च प्राथमिकता वाले जोखिम और शमन योजनाओं की समीक्षा की गई है।

ईआरएम मैनुअल में किए गए उल्लेख के अनुसार, जोखिम प्रबंधन गतिविधियाँ नियमित व्यावसायिक परिचालन के अंतर्गत निरंतर आधार पर की जाती हैं।

VI. मानव संसाधन

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी में पिछले वर्ष के अंत में 2442 कर्मचारियों की तुलना में कुल कर्मचारियों की संख्या 2118 थी। मानव संसाधन/औद्योगिक मोर्चे के संबंध में किए गए सामग्रीगत विकास की विस्तृत जानकारी निदेशक रिपोर्ट में दी गई है।

VII. आंतरिक नियंत्रण उपाय

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां इसके व्यवसाय की प्रकृति, आकार और इसके परिचालनों की जटिलता के अनुरूप हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ विभिन्न स्तर पर पूर्ण प्रभाव के साथ कार्यशील हैं। निदेशक एवं विभाग प्रमुख अपनी यूनिटों में आंतरिक नियंत्रणों की निगरानी के प्रति उत्तरदायी हैं। प्रबंधक और पर्यवेक्षी कर्मचारी अपनी सम्बद्ध इकाई में विस्तृत स्तर पर नियंत्रण नीतियों और प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन करने के लिए उत्तरदायी हैं। इकाई के प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं अपने विशिष्ट कार्य उत्तरदायित्व से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं का ज्ञान होना अपेक्षित है।

कॉर्पोरेट कार्यालय और यूनिटों में कंपनी का आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग, कंपनी की प्रक्रियाओं और नीतियों के अनुपालन की समीक्षा करता है। विभाग वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता जैसे परिचालन के सभी प्रमुख क्षेत्रों की कवरेज के सुनिश्चय के लिए कंपनी की इकाई/मंडलों के साथ समन्वय करता है।

VIII. वित्तीय निष्पादन

आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के 1589 करोड़ रुपये की तुलना में 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 2077 करोड़ रुपये की बिक्री टर्नओवर की है। वित्तीय निष्पादन से संबंधित विस्तृत जानकारी निदेशक रिपोर्ट में दी गई है।

IX. प्रमुख वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	वि.वर्ष 2022-23	वि.वर्ष 2021-22	भिन्नता के कारण
1	देनदार टर्नओवर	0.50	0.63	मुख्यतः टर्नओवर में कमी के कारण हुई कमी
2	मालसूची टर्नओवर	6.89	9.07	औसत मालसूची में बढ़ोतरी के कारण तथा विक्रय की गई वस्तुओं की लागत में कमी के कारण भी।
3	ब्याज कवरेज अनुपात	-0.98	1.72	चालू वर्ष के दौरान मुख्यतः नकारात्मक ईबीआईटी के कारण कमी हुई है जबकि वित्तीय लागत में बढ़ोतरी हुई है।
4	चालू अनुपात	0.97	1.01	मालसूची में बढ़ोतरी होने पर भी मुख्य रूप से ऋण की वर्तमान देनदारी में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप वर्तमान अनुपात में थोड़ी कमी आई है।
5	नामे इक्विटी अनुपात	0.81	0.64	ऋण में वृद्धि तथा इक्विटी में मामूली कमी के कारण बढ़ोतरी हुई है।
6	परिचालन लाभ मार्जिन (%)	-9.10%	6.40%	कुल आय में कमी तथा परिचालन हानि के कारण भी
7	निवल लाभ मार्जिन (%)	-25.81%	6.45%	कुल आय में कमी तथा हानि के कारण भी

सम्बद्ध स्पष्टीकरणों के साथ निकटतम पूर्व वित्तीय वर्ष की तुलना में निवल सम्पति के प्रतिफल में आए किसी परिवर्तन का विवरण।

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में निवल सम्पति के प्रतिफल में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान हानि होने से अनुपात नकारात्मक हुआ है।

X. पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण

कंपनी की यूनिटें देश में विभिन्न स्थलों यथा बेंगलूरु, मनकापुर, रायबरेली, नैनी, पालक्काड एवं श्रीनगर में विस्तारित हैं। यूनिटों में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन की व्यवस्था विभिन्न अधिनयमों एवं नियमों यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापारीय संचलन) नियमावली, 2016, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 इत्यादि के अंतर्गत की जाती है।

XI. प्रौद्योगिकी संरक्षण, अक्षय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण :

उपर्युक्त से सम्बद्ध सूचना का प्रकटीकरण निदेशक रिपोर्ट में किया गया है।

XII. सचेतक विवरण

आपकी कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों, प्रत्याशाओं के बारे में प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण में दिया गया विवरण लागू विधियों एवं विनियमों के अर्थ के अनुसार "भविष्य के अग्र विचार" है। वास्तविक परिणाम अभिव्यक्त अथवा अंतर्निहित अर्थ से सामग्रीगत स्वरूप में भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के निष्पादन में भिन्नता स्थापित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में मांग / आपूर्ति को प्रभावित करने वाली आर्थिक स्थितियां एवं उस घरेलू बाजार की मूल्य स्थितियां, जिनमें आपकी कंपनी परिचालन करती है, सरकारी विनियमों, कर विधियों, आदेशों एवं अन्य आनुषंगिक सम्बद्ध मामलों में परिवर्तन शामिल है।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 10052045

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 11 अगस्त 2023

अनुलग्नक - 6

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134

क ऊर्जा संरक्षण

I. ऊर्जा संरक्षण का प्रभाव / किए गए उपाय ।

कंपनी के परिचालन में कम ऊर्जा खपत शामिल है। ऐसा होते हुए जहां भी संभव हुआ है वहां ऊर्जा संरक्षण के उपाय किए किए थे। बेहतर परिचालन विधियों एवं अन्य माध्यम से ऊर्जा के उपयोग को संरक्षित एवं अनुकूलित करने के प्रयास जारी रखे जाएंगे।

- o कारखाना क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना
- o पुराने उपकरणों के स्थान पर ऊर्जा दक्ष उपकरण स्थापित करना

II. ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग एवं ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश के लिए कंपनी द्वारा किए गए उपाय।

निरंतर प्रयास के माध्यम से आईटीआई द्वारा कैप्टिव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी उत्पादन इकाइयों, कॉर्पोरेट कार्यालय और एमएसपी-लखनऊ में 5600 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित की जा रही है।

ख प्रौद्योगिकी आमेलन:

(i) प्रौद्योगिकी अवचूषण की दिशा में किए गए प्रयास

1. नेटग्रिड हेतु 1जीई आई एनक्रिप्टर के लिए सीएआई डीआरडीओ के साथ संयुक्त विकास
2. रक्षा हेतु आईआरएनएसएस-आरएस के लिए एसएसी-आईएसआरओ/ आरसीआई-डीआरडीओ के साथ संयुक्त विकास
3. सीएआई डीआरडीओ के साथ वीएचपी (वर्सटाइल हार्डवेयर प्लेटफार्म) के लिए संयुक्त विकास प्रौद्योगिकी आमेलन के लिए किए गए उपाय

(ii) उत्पाद सुधार, लागत में कटौती, उत्पाद विकास अथवा आयात प्रतिस्थापन जैसे प्राप्त लाभ:

निम्नलिखित अनुसंधान एवं विकास उत्पादों को साकार रूप दिया गया है जिससे कंपनी की टर्नओवर में 9.1 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ोतरी हुई है।

1) एनक्रिप्शन उत्पाद - टीईएसडी, एसईएसडी, आनंद बीईयू एमकेआईआई
2) फील्ड टेलीफोन
3) एस्कॉन चरण IV के लिए तकनीकी सहायता : अवधारणा प्रमाण (पीओसी)

(iii) आयातित प्रौद्योगिकी

वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित : शून्य

(iv) अनुसंधान एवं विकास व्यय

क.	पूंजी :	3.67 करोड़ रुपए
ख.	राजस्व:	13.79 करोड़ रुपए
	योग:	**17.46 करोड़ रुपए**

कुल टर्नओवर के प्रति अनुसंधान एवं विकास के लिए कुल व्यय का प्रतिशत (जीएसटी के अलावा टर्नओवर): 1.25% और 1.10% (जीएसटी सहित टर्नओवर)

ग. विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

I. निर्यात से संबंधित प्रक्रिया, निर्यात संवर्धन के लिए की गई पहल, उत्पादों और सेवाओं के लिए नए निर्यात बाजारों का विकास और निर्यात योजनाएं: शून्य

II. कुल विदेशी मुद्रा की उत्पति एवं व्यय

विदेशी मुद्रा अर्जन: शून्य

विदेशी मुद्रा व्यय: 21.13 करोड़ रुपए

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 10052045

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 11 अगस्त 2023

निगमित शासन की रिपोर्ट

कंपनी द्वारा लोक उद्यम विभाग ने कॉर्पोरेट शासन के संबंध में जारी दिशानिर्देशों (डीपीई दिशानिर्देश) के साथ पठनीय यथासंशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 (सूचीबद्धता बाध्यताएं) के अनुसरण में निम्नानुसार कॉर्पोरेट शासन के मानदंडों का अनुपालन किया है:

1. हमारी कॉर्पोरेट शासन सिद्धांत

कंपनी के कॉर्पोरेट शासन फ्रेमवर्क एवं तत्व विचार की स्पष्ट झलक कंपनी की कॉर्पोरेट संस्कृति, कंपनी की नीतियों, मूल्यों एवं स्टेकधारकों से सम्बद्धता में दिखाई देते है जो समस्त संगठन में निरंतर संचालित होती है। कंपनी उत्तम कॉर्पोरेट शासन में विश्वास रखती है जो कि दीर्घकालिक कॉर्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा स्टेकधारक मूल्यों में संवर्धन के लिए आवश्यक है। एक उत्तम कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में कंपनी ने अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं में कार्य कुशल एवं आचरण युक्त व्यवहार के लिए सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदेयता की कॉर्पोरेट संस्कृति को काफी महत्व दिया है।

हमारे कॉर्पोरेट शासन को कंपनी की आचार संहिता और आचार नीति, कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देशों, नीतियों और समिति चार्टरों के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त होती है। निदेशक मंडल और प्रबंधन प्रक्रियाएं, लेखा परीक्षा एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कॉर्पोरेट शासन के सिद्धांतों की छवि स्पष्ट दिखाई देती है।

2. निदेशक मंडल

(क) निदेशक मंडल संरचना:

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार, आईटीआई के निदेशक मंडल में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, 10 अंशकालिक (पदेन) निदेशक (सरकारी निदेशक) और 2 अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) (एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित) 3 पूर्णकालिक (कार्यकारी) निदेशक थे।

निदेशक मंडल की संरचना सूचीबद्धता विनियमों तथा लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। कंपनी में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। तदनुसार, कंपनी ने सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के सम्मुख मामला प्रस्तुत किया है।

(ख) निदेशकों की श्रेणी और उपस्थिति

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित विवरण और समान तिथि के अनुसार अन्य निदेशक पदधारिता एवं निदेशक मंडल की समितियों में सदस्यता / अध्यक्ष पद का धारण, वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में, पिछली वार्षिक आम सभा में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति से संबंधित विवरण नीचे प्रस्तुत है:

निदेशक का नाम तथा निदेशक पहचान संख्या	पदनाम	कुल बोर्ड बैठक		पिछली वार्षिक आम सभा में उपस्थिति	अन्य सार्वजनिक कम्पनियों में निदेशक पद का धारण	अन्य सदस्यता आयोजित[4]	
		निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक के कार्यकाल के दौरान भाग लिया			सदस्य के रूप में	अध्यक्ष के रूप में
पूर्णकालिक कार्यात्मक (कार्यकारी) निदेशक							
श्री राकेश मोहन अग्रवाल[1] डीआईएन: 07333145	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1	1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री डी.वेंकटेशवरलू[2] डीआईएन: 08605954	निदेशक उत्पादन एव अतिरिक्त प्रभार निदेशक मानव संसाधन एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	3	3	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री आनंद सिंह[3] डीआईएन: 01784114	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	1	1	जी,हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री राजेश राय[4] डीआईएन: 10052045	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	0	0	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
श्री राकेश चन्द तिवारी[5] डीआईएन:08953397	निदेशक विपणन	8	8	जी,हां	1	2	0
श्री राजीव श्रीवास्तव डीआईएन: 08921307	निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी	8	8	जी,हां	1	1	0
श्रीमती आर वसंती[6] डीआईएन: 10059129	निदेशक उत्पादन (अतिरिक्त प्रभार)	0	0	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
श्रीमती एस जेयंति[7] डीआईएन:	निदेशक मानव संसाधन (अतिरिक्त प्रभार)	0	0	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
सरकारी निदेशक							
लै. जनरल मिलिंद एन भुर्के[8] डीआईएन:09168118	सरकारी निदेशक	1	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
लै. जनरल उन्नीकृष्ण नायर[9] डीआईएन:09826740	सरकारी निदेशक	3	3	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
डॉ. राजेश शर्मा[10] डीआईएन:08200125	सरकारी निदेशक	4	4	जी,हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री शाक्य[11] डीआईएन:09800172	सरकारी निदेशक	3	3	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य

निदेशक का नाम तथा निदेशक पहचान संख्या	पदनाम	कुल बोर्ड बैठक		पिछली वार्षिक आम सभा में उपस्थिति	अन्य सार्वजनिक कम्पनियों में निदेशक पद का धारण	अन्य सदस्यता आयोजित[4]	
		निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक के कार्यकाल के दौरान भाग लिया			सदस्य के रूप में	अध्यक्ष के रूप में
स्वतंत्र निदेशक							
डॉ. राजा नायक[12] डीआईएन:06451006	स्वतंत्र निदेशक	8	8	जी,हां	शून्य	2	1
श्री बिलेश्वर सिन्हा डीआईएन:09393543	स्वतंत्र निदेशक	8	5	लागू नहीं	शून्य	1	0
श्रीमती ममता पलारिया[13] डीआईएन:07749007	स्वतंत्र निदेशक	8	8	लागू नहीं	शून्य	1	1

नोट :

1. 30 जून 2022 को अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप श्री राकेश मोहन अग्रवाल दिनांक 30 जून, 2022 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं है।
2. श्री वेंकटेश्वरलू, निदेशक उत्पादन / निदेशक मानव संसाधन, अतिरिक्त प्रभार को दिनांक 7 जुलाई, 2022 से 31 अगस्त 2022 तक के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप श्री वेंकटेश्वरलू दिनांक 31 अगस्त, 2022 से निदेशक नहीं है।
3. श्री आनन्द सिंह, संयुक्त सचिव (दूरसंचार) को दिनांक 1 सितम्बर, 2022 से 30 सितम्बर, 2022 तक के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।
4. श्री राजेश राय की नियुक्ति दिनांक 21 फरवरी 2023 से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर की गई है।
5. श्री राकेश चन्द्र तिवारी, निदेशक विपणन को दिनांक 1 अक्टूबर 2022 से 21 फरवरी 2023 (पूर्वाह्न) तक के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।
6. श्रीमती आर वर्सती, महाप्रबंधक (परिचालन) को 28 फरवरी 2023 से निदेशक उत्पादन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था ।
7. श्रीमती एस जेयंति, महाप्रबंधक (परियोजना एवं योजना) को 28 फरवरी 2023 से निदेशक मानव संसाधन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था ।
8. दिनांक 30 जून, 2022 को अधिवार्षिता की आयु प्राप्त कर लिए जाने के परिणामस्वरूप लैफ्टिनेंट जनरल मिलिंद एन भुरके, पीवीएसएम, वीएसएम, मुख्य सिग्नल अधिकारी कंपनी में सरकारी निदेशक नहीं हैं।
9. लैफ्टिनेंट जनरल एम उन्नीकृष्णन, एवीएसएम, एसएम, मुख्य सिग्नल अधिकारी की नियुक्ति, निदेशक पहचान संख्या प्राप्त होने के पश्चात, दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 से कंपनी में सरकारी निदेशक के रूप में की गई है।
10. डा. राजेश शर्मा, दिनांक 17 नवम्बर, 2022 से सरकारी निदेशक नहीं हैं।
11. श्री आर. शाक्य की नियुक्ति, निदेशक पहचान संख्या प्राप्त किए जाने के पश्चात, दिनांक 23 नवम्बर, 2022 से कंपनी में सरकारी निदेशक के रूप में की गई है।
12. डा. राजा नाय स्टेकधारक संबंध समिति के अध्यक्ष हैं।
13. श्रीमती ममता पालरिया लेखापरीक्षा समिति की अध्यक्ष हैं।
14. लेखापरीक्षा समिति तथा स्टेकधारक संबंध समिति के अध्यक्ष / सदस्यों की ही केवल गणना की गई है।

नोट :

- कोई भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक परस्पर संबंधित नहीं हैं और निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं हैं
- प्राप्त घोषणाओं के अनुसार, किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक के पास कंपनी में कोई इक्विटी शेयर नहीं है।
- निदेशकों का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं है (पारिश्रमिक के अलावा, बैठक शुल्क सहित, उनकी पात्रता के अनुसार)।
- 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार कोई भी निदेशक किसी सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक मंडल में नहीं है।
- निदेशकों ने न तो 10 से अधिक समितियों की सदस्यता धारण की और न ही उन सभी कंपनियों में 5 से अधिक समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जिनमें वे निदेशक हैं।
- अन्य स्थानों पर रहने वाले निदेशकों को बैठकों में भाग लेने की सुविधा के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का भी उपयोग किया जाता है।
- निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर कंपनी के संबंध में लागू सभी विधिक अपेक्षाओं अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है।

(ग) निदेशक मंडल की मुख्य कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताएं

एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी के सभी निदेशक मंडल के सभी निदेशक यथा कार्यात्मक निदेशक, सरकारी निदेशक एवं स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति प्रत्येक श्रेणी के निदेशकों के लिए विधिवत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सरकार द्वारा की जाती है। कंपनी के व्यवसाय के संदर्भ में , निदेशकों के चयन के लिए निदेशक मंडल को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक मूल कौशल, विशेषज्ञता और क्षमता सरकार की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इसके संबंध में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार निदेशक में अपेक्षित किसी प्रमुख कौशल / विशेषज्ञता / क्षमता को संज्ञान में नहीं लिया गया है।

(घ) स्वतंत्र निदेशक

i. निदेशक मंडल के स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 150(1) के अंतर्गत की गई अधिसूचना के अनुसार इंडियन इंस्टीट्यूट आफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान) में अपना पंजीकरण करवा लिया है।

ii. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने कंपनी से त्यागपत्र नहीं दिया है।

iii. **निदेशकों के लिए अनुकूलन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण:**

स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए गए अनुकूल कार्यक्रम के विवरण कंपनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/Investor%20 information/2022/Familiraisation%20programme-Independent %20Directors_updated_18_07_2022.pdf पर उपलब्ध है।

iv. **स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक**

दिनांक 11 नवंबर 2022 को स्वतंत्र निदेशकों की एक पृथक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी, प्रबंधन और निदेशक मंडल के सूचनाओं के संप्रेषण की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का मूल्यांकन किया था।

v. **स्वतंत्रता की घोषणाः**

कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों ने इस पुष्टि के साथ यह घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 और सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं और भारतीय कॉर्पोरेट संस्थान द्वारा अनुरक्षित स्वतंत्र निदेशक के डेटाबैंक में वे पंजीकृत हैं। यह पुष्टि की जाती है कि निदेशक मंडल के मतानुसार स्वतंत्र निदेशक सूचीबद्धता विनियमों की निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं तथा वे प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

(ड) **निदेशक मंडल की बैठकों की तिथियां:**

विचाराधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की निम्नानुसार 7 बैठकें आयोजित की गईः

25 मई 2022	26 जुलाई 2022	10 अगस्त 2022
28 सितंबर 2022	11 नवंबर 2022	30 दिसंबर 2022
01 फरवरी 2023	13 फरवरी 2023	

3. **निदेशक मंडल समितियां**

क. **लेखा परीक्षा समिति**

लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें एवं संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के साथ पठित नियमों, सूचीबद्धता विनियमों और लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुपालन में हैं।

31 मार्च 2023 तक, लेखा परीक्षा समिति में अध्यक्ष सहित तीन स्वतंत्र निदेशक और समिति के सदस्यों के रूप में एक कार्यकारी निदेशक शामिल हैं:

i. श्रीमती ममता पलारिया , स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष

ii. श्री राकेश चंद्र तिवारी, निदेशक विपणन, सदस्य

iii. डा. राजा नायक, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य ; तथा

iv. श्री बिलेश्वर सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की 5 बैठकें दिनांक 25 मई 2022, 10 अगस्त 2022, 27 सितंबर 2022, 11 नवंबर 2022 और 13 फरवरी 2023 को आयोजित की गई थी।

विचाराधीन वर्ष के दौरान समिति सदस्यता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है:-

सदस्य का नाम	निदेशक के संबंध कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	निदेशक के संबंध कार्यकाल के दौरान बैठकों में प्रतिभागिता
श्रीमती ममता पालिया	5	5
श्री राकेश चंद्र तिवारी	5	5
डॉ. राजा नायक[iii]	5	5
श्री बिलेश्वर सिन्हा	5	5

निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं और कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

ख. **नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)**

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संदर्भ शर्तें संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178, सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 19 (सरकारी कंपनियों को प्रदत्त छूट विस्तार के अलावा) के प्रावधानों के अनुसार हैं। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति, नियुक्ति के नियम तथा शर्तें भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 और सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार समिति के संदर्भ की शर्तें वरिष्ठ प्रबंधन की सीमा तक अर्थात निदेशक मंडल से एक स्तर नीचे और मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं कंपनी सचिव और निष्पादन संबद्ध वेतन के लिए डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार सीमित हैं।

31 मार्च 2023 तक, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना निम्नानुसार थी:

I. श्री बिलेश्वर सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष;

II. श्रीमती ममता पलारिया, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य, एवं

III. डॉ. राजेश शर्मा, सरकारी निदेशक, सदस्य

IV. श्री शाक्य, सरकारी निदेशक, सदस्य

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक दिनांक 09 अगस्त 2022 और फरवरी 2023 को आयोजित की गई थी।

सदस्य के कार्यकाल में परिवर्तन, यदि कोई हो, वर्ष के दौरान हुई बैठकों की संख्या और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	निदेशक के संबंध कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	निदेशक के संबंध कार्यकाल के दौरान बैठकों में प्रतिभागिता
श्री बिलेश्वर सिन्हा	2	2
श्रीमती ममता पलारिया	2	2
डॉ. राजेश शर्मा[1]	1	1
श्री आर शाक्य[2]	1	1
डा राजा नायक[3]	1	1

[1] 17.11.2022 से समिति के सदस्य नहीं हैं।

[2] 12.10.2022 से समिति के सदस्य हैं।

[3] 23.11.2022 से समिति के सदस्य हैं।

निदेशकों का पारिश्रमिक

(i) पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को चुकता किया गया पारिश्रमिक निम्नानुसार है:

(रुपए)

निदेशक का नाम	पदनाम	वेतन	अनुलाभ	भविष्य निधि अंशदान	योग
श्री राकेश मोहन अग्रवाल[1]	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	7,32,337	99,829	55,058	8,87,224
श्री राजेश राय[2]	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	3,78,173	-	33,417	4,11,590
श्री डी वेंकटेशवरलू[3]	निदेशक उत्पादन और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं निदेशक-मा.सं. (अतिरिक्त प्रभार)	40,30,043	97,954	78,784	42,06,781
श्री आनंद सिंह[4]	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	-	-	-	-
श्री राजीव श्रीवास्तव	निदेशक वित्त, सीएमडी	19,22,405	2,74,074	2,25,441	24,21,920
श्री राकेश चन्द्र तिवारी	निदेशक विपणन	37,41,676	5,48,662	3,07,256	45,97,594
श्रीमती आर वसंती[5]	निदेशक उत्पादन (अतिरिक्त)	1,83,450	-	20,628	2,04,078
श्रीमती एस जेयंति[6]	निदेशक मानव संसाधन (अतिरिक्त)	1,83,450	-	20,628	2,04,078

1. 30 जून 2022 को अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप श्री राकेश मोहन अग्रवाल दिनांक 30 जून, 2022 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं है।
2. श्री राजेश राय की नियुक्ति दिनांक 21 फरवरी 2023 से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर की गई है।
3. श्री डी वेंकटेश्वरलू 31 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर कंपनी के निदेशक उत्पादन और अतिरिक्त प्रभार निदेशक मानव संसाधन और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नहीं रहे।
4. श्री आनन्द सिंह, संयुक्त सचिव (दूरसंचार) को दिनांक 1 सितम्बर, 2022 से 30 सितम्बर, 2022 तक के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।
5. श्रीमती आर वसंती, महाप्रबंधक (परिचालन) को 28 फरवरी 2023 से निदेशक उत्पादन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था ।
6. श्रीमती एस जेयंति, महाप्रबंधक (परियोजना एवं योजना) को 28 फरवरी 2023 से निदेशक मानव संसाधन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था ।

नोट:

क. उपरोक्त निदेशकों के सेवा अनुबंध / नोटिस अवधि / पृथक्करण शुल्क आदि, भारत सरकार की नियुक्ति की शर्तों के अनुसार हैं।

ख. वर्ष 2022-23 के दौरान, निदेशकों को किसी बोनस/कमीशन का भुगतान नहीं किया गया था और न ही कोई स्टॉक विकल्प जारी किया गया था।

ग. विचाराधीन वर्ष के दौरान कार्यपालक निदेशकों को निष्पादन सम्बद्ध वेतन नहीं दिया गया है।

(ii) अंशकालिक सरकारी निदेशकों को प्रतिपूर्ति

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए सरकारी निदेशकों को काई पारिश्रमिक, बैठक शुल्क चुकता नही दिया जाता है।

(iii) स्वतंत्र निदेशकों को प्रतिपूर्ति

स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल एवं इसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रति बैठक 10,000/- रुपए प्रति बैठक शुल्क के अलावा अन्य कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान चुकता किया गया बैठक शुल्क निम्नानुसार है:

(रुपए में)

निदेशक का नाम	निदेशक मंडल की बैठक	समिति की बैठक	योग
श्रीमती ममता पलारिया	80,000	1,00,000	1,80,000
डॉ. राजा नायक	80,000	1,00,000	1,80,000
श्री बिलेश्वर सिन्हा	50,000	80,000	1,30,000

(iv) निदेशक मंडल के स्तर से एक स्तर कम में कार्यरत वरिष्ठ प्रबंधन, मुख्य वित्त अधिकारी एवं कंपनी सचिव सहित, की नियुक्ति अथवा सेवा समाप्ति सूचीबद्धता विनियमों की अनुसूची (II) के भाग ए (ई) में की निर्दिष्ट, जो कंपनी अधिनियम, 2013, सूचीबद्धता विनियमों द्वारा शासित है, के अनुसार की जाती है तथा समय समय इसकी जानकारी निदेशक मंडल को दी जाती है।

(v) आईटीआई लिमिटेड एक सरकारी कंपनी होने के कारण नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) का निष्पादन मूल्यांकन नहीं किया जाता है। निदेशकों की नियुक्ति, मूल्यांकन और निदेशिकता की शर्तों से संबंधित शक्तियां भारत सरकार के पास हैं। ऐसे निष्पादन मूल्यांकन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी कंपनियों को छूट दी गई है।

(vi) कंपनी सचिव नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सचिव की भूमिका का निर्वाह करते हैं।

(vii) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी सचिव श्रीमती एस शनमुगा प्रिया ने 9 मार्च 2023 से कंपनी की सेवाओं से इस्तीफा दे दिया है।

ग. स्टेकधारक संबंध समिति

स्टेकधारक संबंध समिति ('एसआरसी') शेयरधारकों के हित के विभिन्न पहलुओं से संबंधित प्रक्रियाओं की देखरेख करती है। समिति शेयरधारकों की सेवा हितों का सरंक्षण, सौहार्दपूर्ण निवेशक संबंध का अनुरक्षण एवं तंत्रव्यवस्था की निगरानी की समीक्षा तथा निवेशकों की शिकायतों के निवारण का सुनिश्चय करती है। समिति द्वारा रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के निष्पादन तथा कंपनी द्वारा की जाने वाली कार्रवाईओं की देखरेख एवं समीक्षा भी की जाती है।

संदर्भ शर्तें तथा स्टेकधारक संबंध समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 एवं सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार है।

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार स्टेकधारक संबंध समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

i. डा. राजा नायक , स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष;
ii. श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक वित्तीय - सदस्य; तथा
iii. श्री राकेश चंद्र तिवारी, निदेशक विपणन - सदस्य

कंपनी सचिव कंपनी के अनुपालन अधिकारी के कार्य की देखरेख करते हैं।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान एसआरसी की एक बैठक दिनांक 27 मार्च 2023 को आयोजित की गई थी जिसमें समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे।

सदस्यों के कार्यकाल में विवरण परिवर्तन, यदि कोई हो, वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या और एसआरसी की बैठकों में उनकी उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	निदेशक के संबंध कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	निदेशक के संबंध कार्यकाल के दौरान बैठकों में प्रतिभागिता
डॉ. राजा नायक	1	1
श्री राकेश मोहन अग्रवाल[1]	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री डी वेंकटेश्वरलू[2]	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री राजीव श्रीवास्तव[3]	1	1
श्री राकेश चंद्र तिवारी	1	1

[1] 30.06.2022 से समिति की सदस्य नहीं हैं।
[2] 31.08.2022 से समिति की सदस्य नहीं हैं।
[3] 01.07.2022 से समिति की सदस्य के रूप में शामिल किए गए है।
[4] 01.09.2022 से समिति की सदस्य के रूप में शामिल किए गए है।

कंपनी सदैव स्टेकधारकों/निवेशकों की शिकायतों/ शंकाओं/प्रश्नों का समाधान समय पर करने का प्रयास करती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी को शेयरधारकों से कोई शिकायत नहीं मिली है।

निवेशक संबंध कक्ष

निवेशकों और विश्लेषकों द्वारा अक्सर मांगी जाने वाली आवश्यक जानकारी कंपनी की वेबसाइट **www.itiltd.in** पर 'निवेशक सूचना' पृष्ठ के अंतर्गत उपलब्ध है। वेबसाइट में वित्तीय विवरण, निवेशक से संबंधित घटनाक्रम और प्रस्तुतियां, वार्षिक रिपोर्ट और शेयरधारिता पैटर्न के साथ-साथ मीडिया रिलीज और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट इत्यादि के अपडेट उपलब्ध हैं।

घ. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति

निदेशक मंडल द्वारा सीएसआर समिति का गठन सीएसआर नीति के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले वाली प्रक्रियाओं की अनुशंसा करने, निगरानी करने तथा आयोजित करने एवं निष्पादन / कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए किया गया है। सीएसआर समिति की संदर्भ शर्तें और संरचना लागू नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 135 में की गई निर्दिष्ट के अनुसार है।

31 मार्च 2023 को समिति में निम्नलिखित शामिल थे:

I. श्री राकेश चंद्र तिवारी, निदेशक-वपणन, अध्यक्ष
II. श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक उत्पादन, सदस्य और
III. श्रीमती ममता पलारिया, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 09 अगस्त 2022 एवं 13 फरवरी, 2023 को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की दो बैठक आयोजित की गई थी जिसमें समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे।

समिति की संरचना में परिवर्तन, यदि कोई हो, वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की बैठक में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	संबंधित निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	संबंधित निदेशक के कार्यकाल के दौरान बैठकों में प्रतिभागिता
श्री राकेश मोहन अग्रवाल[1]	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री डी वेंकटेश्वरुलू[2]	1	1
श्री राजीव श्रीवास्तव	2	2
श्रीमती ममता पलारिया	2	2
श्री राकेश चंद्र तिवारी[3]	1	1

[1] 30.06.2022 से समिति की सदस्य एवं अध्यक्ष नहीं हैं।

[2] 07.07.2022 से समिति की सदस्य के रुप में शामिल किए गए और 31.08.2022 से समिति की सदस्य नहीं हैं।

[3] 01.09.2022 से समिति की सदस्य के रूप में शामिल किए गए है।

सीएसआर नीति की प्रस्तुति कंपनी के वेबसाइट लिंक **https://www.itiltd.in/csr** पर उपलब्ध है। 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत की गई अपेक्षाओं के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व रिपोर्ट की प्रस्तुति निदेशक रिपोर्ट के साथ की गई है।

ड. जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी ने जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं की समीक्षा के लिए जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है जिसमें जोखिम मूल्यांकन और प्रक्रियाओं को न्यूनतम बनाने की प्रक्रिया शामिल है। जोखिम प्रबंधन समिति की संदर्भ शर्तें सूचीबद्धता विनियमों में की गई निर्दिष्ट के अनुसार हैं।

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :

I. श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक वित्त, अध्यक्ष
ii. डॉ. राजा नायक, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य
iii. श्री राकेश चंद्र तिवारी, निदेशक विपणन, सदस्य
iv. श्रीमती आर वसंती, महाप्रबंधक-परियोजना, सदस्य
v. श्रीमती एस जेयंति, परियोजना एवं योजना प्रमुख सदस्य

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 26 अगस्त 2022 और 10 फरवारी 2023 को जोखिम प्रबंधन समिति की दो बैठक आयोजित की गई थी जिसमें समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे।

सदस्यों के कार्यकाल में ब्यौरे में परिवर्तन, यदि कोई हो, वर्ष के दौरान हुई बैठकों की संख्या और जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	संबंधित निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	संबंधित निदेशक के कार्यकाल के दौरान बैठकों में प्रतिभागिता
श्री डी वेंकटेश्वरुलू[1]	1	1
श्री राजीव श्रीवास्तव[2]	2	2
श्री राकेश चंद्र तिवारी	2	2
डॉ. राजा नायक	2	2
श्रीमती आर वसंती	2	2
श्रीमती एस जेयंति[3]	2	2
श्रीमती इला बहादुर[4]	लागू नहीं	लागू नहीं

[1] 31.08.2022 से समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष नहीं हैं।

[2] 01.09.2022 से समिति के सदस्य के रुप में शामिल किया गया हैं।

[3] 06.06.2022 से समिति के सदस्य के रुप में शामिल किया गया हैं।

[4] 06.06.2022 से समिति के सदस्य नहीं हैं।

4. आम बैठक

क. कंपनी की पिछली तीन एजीएम क विवरण:

पिछले तीन वर्षों में आयोजित वार्षिक/असाधारण आम सभाओं के समय, तिथि एवं स्थल तथा पारित विशेष संकल्पों से संबंधित विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	तिथि तथा समय	स्थल	विशेष संकल्प
2019-20	04 दिसम्बर, 2020 को प्रातः 11.30 बजे	वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित की गई थी।	नहीं
2020-21	10 नवंबर, 2021 को प्रातः 11.30 बजे		नहीं
2021-22	28 सितंबर, 2022 को प्रातः 11.30 बजे		कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ. राजा नायक (डीआईएन : 06451006) की नियुक्ति कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री बिल्लेश्वर सिन्हा (डीआईएन : 09393543) की नियुक्ति कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्रीमती ममता पलारिया (डीआईएन : 07749007) की नियुक्ति

ख. असाधारण आम बैठकें :

वर्ष 2022-23 के दौरान शेयरधारकों की कोई असाधारण आम बैठक आयोजित नहीं की गई है।

ग. डाक मतपत्र :

i. डाक मतपत्र के माध्यम से पारित विशेष संकल्पों का विवरण:

विचाराधीन वर्ष के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से कोई संकल्प पारित नहीं किया गया है।

ii. वोटिंग पैटर्न का विवरण:

व्यवसाय का विवरण	संकल्प के पक्ष में पारित वोट			संकल्प के विरूद्ध पारित वोट		
	सदस्यों के मतों की संख्या	दिए गए मतों की संख्या	मान्य मतों की संख्या का %	सदस्यों के मतों की संख्या	दिए गए मतों की संख्या	मान्य मतों की संख्या का %
श्री आर शाक्य (डीआईएन: 09800172), डीडीजी (पीएम), संचार मंत्रालय की कंपनी में सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति	161	85,65,54,541	99.96	18	3,42,011	0.04
लैफ्टिनेंट जनरल एम उन्नीकृष्णन (डीआईएन: 09826740), एवीएसएम, एसएम, मुख्य सिग्नल अधिकारी, रक्षा मंत्रालय की कंपनी में सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति	162	85,65,03,998	99.95	19	3,92,605	0.05

iii. उपर्युक्त डाक मतपत्र प्रक्रिया का संचालन करने वाले व्यक्ति :

श्री डी वैंकटेश्वरलू, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव (एफसीएस: 8554) एवं डीएसी एंड एसोसिएट्स के साझेदार, जो पोस्टल डाक मतपत्र के जांच हैं, द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी विधि से डाक मतपत्र का संचालन किया गया था।

iv. क्या कोई विशेष प्रस्ताव डाक मतपत्र के माध्यम से पारित करने का प्रस्ताव है:

वर्तमान में डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव नहीं है।

v. डाक मतपत्र की प्रक्रिया :

संबंधित नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, 110 के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, सूचीबद्धता विनियम के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव सचिव संस्थान द्वारा आम सभा के संबंध में जारी सचिवीय मानकों, तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 15 जून, 2020, 28 सितम्बर, 2020, 31 दिसम्बर, 2020, 23 जून, 2021, 8 दिसम्बर, 2021 5 मई, 2022 एवं अन्य सम्बद्ध परिपत्रों तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसरण में डाक मतपत्र की प्रक्रिया की गई थी।

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा श्री डी. वैंकटेश्वरलू (सदस्यता संख्या 8554 सीओपी संख्या 7773), प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव तथा मैसर्स डीएसी एंड एसोसिएट्स एलएलपी के नामोर्दिष्ट भागीदार को निष्पक्ष एवं पारदर्शी स्वरूप में डाक मतपत्र की प्रक्रिया के आयोजन के लिए स्क्रूटनाइजर नियुक्त किया गया है।

डाक मतपत्र प्रक्रिया का ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की सेवाएं प्राप्त की गई थी।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के उपरोक्त परिपत्रों के अनुसरण में डाक मतपत्र की इलेक्ट्रानिक माध्यम से सूचना दिनांक 28 दिसंबर, 2022 को ई-वोटिंग एजेंसी सीडीएसएल के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी गई थी, जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थियों की सूची में शुक्रवार, दिनांक 23 सितम्बर, 2022 तक दर्ज थे। इसमें शामिल प्रस्तावों पर सदस्यों की सहमति या असहमति केवल रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मांगी गई थी।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि गुरुवार, 29 दिसंबर 2022 को प्रातः 09:00 बजे, भारतीय मानक समय, प्रारंभ हुई थी तथा शुक्रवार, दिनांक 27 जनवरी 2023 को सायं 05.00 बजे, भारतीय मानक समय, समाप्त हुई थी।

डाक मतपत्र प्रक्रिया के स्क्रूटनाइजर श्री डी. वैंकटेश्वरलु, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव तथा मैसर्स डीएसी एंड एसोसिएट्स एलएलपी के नामोर्दिष्ट भागीदार द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2023 को अपनी रिपोर्ट कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत की गई थी। दिनांक 22 दिसंबर 2022 के डाक मतपत्र नोटिस में उल्लिखित सभी संकल्प अपेक्षित बहुमत के साथ पारित किए गए थे।

रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट के परिणाम सोमवार, 30 जनवरी 2023 को कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा घोषित किए गए तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों को इनकी प्रस्तुति की गई थी जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं तथा ये कंपनी की वेबसाइट एवं सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए हैं ।

5. संचार के माध्यम

त्रैमासिक/वार्षिक परिणाम:

लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की घोषणा सूचीबद्धता विनियमों में निर्धारित समय के अनुसार की गई है। परिणाम बिजनेस स्टैंडर्ड/फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी में), संजीपनी (कन्नड में) और दक्षिण भारत राष्ट्रमत (हिंदी में) जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट: https://www.itiltd.in/newspaper publications. पर भी उपलब्ध हैं ।

समाचार विज्ञप्ति, प्रस्तुति आदि।

कंपनी महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट निर्णयों / गतिविधियों से संबंधित समाचारों की विज्ञप्ति करती है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर भी जारी किया जाता है और साथ ही इसकी जानकारी, आवश्यक होने की स्थिति में, स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाती है।

वेबसाइट:

कंपनी की वेबसाइट www.itiltd.in में अलग से समर्पित खंड 'निवेशक सूचना' है जहां शेयरधारकों के लिए जानकारी उपलब्ध होती है। पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट, शेयरधारिता पैटर्न, कॉरपोरेट शासन रिपोर्ट, स्टॉक एक्सचेंजों के सम्मुख प्रस्तुत सभी प्रकटीकरण इत्यादि वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

निवेशक सेवा कक्ष:

शेयरधारकों की शिकायतों / प्रश्नों से संबंधित प्रक्रिया बैंगलुरु में स्थित कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय और बैंगलूरु में इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) कार्यालय में की जाती है।

निवेशक अपने प्रश्न / शिकायतें ईमेल के माध्यम से cosecy_crp@itiltd.co.in एवं irg@integrated.in को भेज सकते हैं।

स्कोर (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली)

सेबी ने एससीओआरईएस (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली) नामक एक केंद्रीकृत वेब-आधारित शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की है, जिसके माध्यम से निवेशक कंपनी के खिलाफ अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। कंपनी स्कोर प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने वाले मामलों के समाधान के लिए भी स्कोर साथ पंजीकृत है।

स्टॉक एक्सचेंजों में विवाद समाधान तंत्रव्यवस्था की उपलब्धता:

सेबी द्वारा दिनांक 30 मई 2022 के परिपत्र के माध्यम से मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जिसके अनुसार कंपनी के शेयरधारक/निवेशक और रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेंट के मध्य विवाद के ऐसे मामले समाधान के लिए स्टाक एक्सचेंजों को संदर्भित किए जा सकते हैं जिनके संबंध में प्राप्त शिकायतों, जिनमें एससीओआरईएस (स्कोर) पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतें भी शामिल हैं, के निवारण के लिए प्रत्येक कार्रवाई की जा चुकी है। सेबी द्वारा दिनांक 27 जनवरी, 2023 को जागरूकता की उत्पति के लिए स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध विवाद समाधान तंत्रव्यवस्था के संबंध में एक और परिपत्र जारी किया गया है। इस परिपत्र के अनुसरण में आरटीए द्वारा भौतिक शेयरधारकों को इसके संबंध में सूचना तथा सेबी को प्रस्तुत मामलों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सेबी को प्रस्तुत की गई है।

शेयरधारकों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे कंपनी अथवा आरटीए के साथ किसी भी विवाद के मामले में स्टॉक एक्सचेंजों की विवाद समाधान तंत्रव्यवस्था की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

हरित पहल - इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में दस्तावेजों की प्रस्तुति

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान और उसके अध्याधीन निर्मित नियम इलेक्ट्रॉनिक मोड में सभी दस्तावेजों की प्रस्तुति कागज मुक्त संचार के माध्यम से किए जाने की स्वीकृति देते हैं। इसके अलावा, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ-साथ सेबी ने भी शेयरधारकों को सभी सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। इसके अनुपालन में, कंपनी ने उन शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से, जिनके ईमेल पते कंपनी के पंजीकृत रिकार्ड में उपलब्ध हैं, वार्षिक रिपोर्ट सहित सूचनाओं का प्रेषण करने का व्यवहार अपनाया है।

6. आचार संहिता:

कंपनी द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता अंगीकार की गई है, जिसका वितरण प्रत्येक संबंधित को किया गया है और यह कंपनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/codes_and_policies पर भी जारी की जाती है। कंपनी के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने सेबी सूचीबद्धता नियमों के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आचार संहिता के प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि की है और कोई भी ऐसा भौतिक वित्तीय या वाणिज्यिक लेनदेन नहीं किया है, जो कंपनी के हितों के साथ साथ हित संघर्ष का कारण बन सके। इस आशय की घोषणा, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित, इस रिपोर्ट के अनुबंध-ख में संलग्न है।

7. अंतरंग व्यापार प्रतिबंध संहिता:

कंपनी द्वारा आईटीआई की सिक्योरिटिज में संव्यवहार के संबंध में सेबी (अंतरंग व्यापार प्रतिषेध) विनियम, 2015 के अनुसरण में "नामोर्दिष्ट व्यक्तियों एवं नामोर्दिष्ट व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी एवं रिपोर्टिंग तथा निष्पक्ष प्रकटीकरण (अंतरंग व्यापार संहिता) से संबंधित आईटीआई संहिता" स्थापित की गई है।

अंतरंग व्यापार प्रतिषेध संहिता का उद्देश्य अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना (यूपीएसआई) पर आधारित कंपनी के शेयरों की खरीद/बिक्री को रोकथाम करना है। अंतरंग व्यापार प्रतिषेध संहिता के अंतर्गत, कोई आंतरिक व्यक्ति (संबंधित व्यक्ति अथवा जिसको यूपीएसआई का धारण प्राप्त है) अथवा उसकी ओर से अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, यूपीएसआई के धारण के समय कंपनी के शेयरों के संव्यवहार के लिए प्रतिबंधित है। इसके अलावा, नामोर्दिष्ट व्यक्तियों को ट्रेडिंग विन्डो बंद होने की अवधि के दौरान कंपनी की सिक्योरिटिज में ट्रेडिंग करने की अनुमति भी नहीं है। निदिष्ट सीमा से अधिक कंपनी की सिक्योरिटिज में संव्यवहार के लिए अनुपालन अधिकारी से अनुमति प्राप्त की जानी अपेक्षित है।

सभी नोमोर्दिष्ट व्यक्तियों से अंतरंग व्यापार प्रतिषेध संहिता में की गई परिभाषा के अनुसार संबंधित जानकारी का प्रकटीकरण किया जाना अपेक्षित है। कंपनी की अंतरंग व्यापार प्रतिषेध संहिता कंपनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/codes_and_policies. पर उपलब्ध है ।

ट्रेडिंग विंडो

अनुपालन अधिकारी द्वारा समय समय 'अंतरंग व्यक्तियों' को कंपनी की सिक्योरिटिज में संव्यवहार के लिए ट्रेडिंग विन्डो बंद की जानकारी दी जाती है। कंपनी की सिक्योरिटिज में संव्यवहार के लिए अंतरंग व्यक्तियों के लिए प्रत्येक तिमाही के अंत से तिमाही परिणामों की प्रस्तुति स्टॉक एक्सचेंजों को किए जाने के पश्चात से ट्रेडिंग विन्डो 48 घंटे बंद रखी जाती है। इसके संबंध में प्रत्येक संचार स्टॉक एक्सचेंजों, अंतरंग व्यक्तियों को मेल के माध्यम से भेजा जाता है तथा कंपनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/noc_of_trading_window. पर भी सूचना अपलोड की जाती है।

8. लाभांश वितरण नीति

कंपनी ने लाभांश वितरण नीति अंगीकार की है, इसका निर्माण मुख्यतः कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है तथा निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, सेबी एवं अन्य द्वारा जारी यथा लागू सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों के पुंजी की पुनर्संरचना से संबंधित दिशानिर्देशों को भी विचार में लिया गया है। इस नीति किसी भी विनियामक प्राधिकरण तथा/अथवा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों, यदि कोई हो, को कवर किया गया माना जाएगा।

यह नीति कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश के वितरण पर विचार करने और निर्णय लेने तथा/अथवा संवहनीय विकास के लिए आय का धारण करने की सामान्य संरचना निर्धारित करती है।

उक्त नीति कंपनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/codes_and_policies पर उपलब्ध है ।

9. मुख्य कार्य अधिकारी / मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र

सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 17(8) के अनुसार, वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित वित्तीय विवरणों और आंतरिक नियंत्रणों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा जारी अनुपालन प्रमाण पत्र इस वार्षिक रिपोर्ट के **अनुलग्नक-ग** में दिया गया है।

10. प्रकटीकरण:

(क) विचाराधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी भी संबंधित पक्षकार के साथ आर्म लैंथ आधार पर तथा व्यवसाय के सामान्य क्रम में कोई अनुबंध, व्यवस्था तथा संव्यवहार नहीं किए हैं। ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार संव्यवहार नहीं है जिसके कारण मुख्यतः कंपनी के प्रति किसी प्रकार के हित संघर्ष होने की संभावना हो सके। संबंधित पक्षकार संव्यवहारों से संबंधित नीति कंपनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/codes_and_policies. पर उपलब्ध है।

(ख) **पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-अनुपालन/ निन्दा /जुर्माना**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी द्वारा निम्नलिखित के अलावा सूचीबद्धता विनियमों एवं लोक उद्यम विभाग की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है:

सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 17 के प्रावधानों का उल्लंघनः

- कंपनी को निदेशक मंडल के गठन से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन न करने अर्थात निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या न होने के संबंध में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) तथा बीएसई लिमिटेड (बीएसई) से नोटिस मिला है तथा इसके लिए मौद्रिक जुर्माना प्रत्यारोपित किया गया है।
- सूचीबद्धता विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट शासन के मानदंडों डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन के सुनिश्चय के लिए कंपनी द्वारा नियमित रूप से संचार मंत्रालय के साथ स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या के अनुसार नियुक्ति के लिए अनुसरण किया जा रहा है।
- 01 अक्टूबर 2022 से 16 दिसंबर 2022 के बीच की अवधि के दौरान, निदेशक मंडल में 3 स्वतंत्र निदेशकों सहित 6 निदेशक थे तथा इस प्रकार यह सूचीबद्धता विनियमों के अनुसरण में है। तदनुसार, कंपनी ने दोनों स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा सूचीबद्धता विनियमों का उल्लंघन किए जाने के लिए सितम्बर, 2022 तक के लिए प्रत्यारोपित 1,02,23,520 रुपए के जुर्माने से छूट प्राप्ति के लिए दिनांक 30 नवम्बर, 2023 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
- कंपनी द्वारा 1,02,23,520/ रुपए के जुर्माने से छूट प्राप्ति के लिए दिए गए आवेदन के प्रत्युत्तर में कंपनी को एनएसई से दिनांक 1 मार्च, 2023 के पत्र के माध्यम से सकारात्मक स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसके अनुसार 30 सितम्बर, 2022 तक के लिए प्रत्यारोपित जुर्माने से छूट प्रदान की गई है।
- छूट प्रदान किए जाने के आवेदन पर एक्सचेंजों द्वारा छूट प्रदान किए जाने के संसाधन से संबंधित एनएसई और बीएसई के दिनांक 31.03.2022 के परिपत्र के अनुसार सामान्य सूचीबद्ध इकाईयों के मामले में एनएसई का निर्णय अन्य ऐसी सभी एक्सचेंजों पर बाध्यकारी है, जिन्होंने समान गैर-अनुपालन के लिए कंपनियों पर जुर्माना लगाया है।
- तथापि, 31.12.2022 और 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या पर्याप्त न होने के कारण भी निदेशक मंडल की संरचना सूचीबद्धता विनियमों के अनुरूप नहीं थी। इस संबंध में स्टॉक एक्सचेंजों ने सेबी नियमों का पालन न करने पर कंपनी पर जुर्माना लगाया है। सरकारी कंपनी होने के कारण निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत सरकार के पास है अतः इस हवाले से कंपनी नियमित रूप से स्टॉक एक्सचेंज को अपना अभ्यावेदन कर रही है।

कंपनी के प्रति अन्य कोई जुर्माने अथवा गुण दोष व्याख्या नहीं है जो पूंजी बाजार के अन्यथा अनुपालन के संबंध में सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा प्रत्यारोपित की गई थी।

(ग) सचेतक नीति / चौकसी तंत्रव्यवस्था

कंपनी द्वारा निदेशकों एवं कर्मचारियों के लिए अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध जालसाजी, अथवा संहिता के उल्लंघन से संबंधित अपने सरोकार रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्रव्यवस्था स्थापित की है। इस तंत्रव्यवस्था का उपयोग करने वाले कर्मचारियों के प्रति होने वाले उत्पीड़न से बचाव के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों का भी प्रावधान किया गया है, और लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधे पहुंच की अनुमति प्रदान की गई है। वर्ष के दौरान, किसी भी व्यक्ति को लेखापरीक्षा समिति में प्रवेश से वंचित नहीं किया गया था। सचेतक नीति हमारी वेबसाइट https://www.itiltd.in/vigilance पर उपलब्ध है

(घ) अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन

कंपनी ने सूचीबद्धता विनियमों में निर्दिष्ट सभी कॉर्पोरेट शासन की अनिवार्य अपेक्षाओं कॉर्पोरेट शासन प्रमाण पत्र एवं सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में प्रेक्षण किए गए उल्लंघनों के अलावा, का अनुपालन किया है। सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के उत्तर में उल्लंघन के कारण अलग से प्रस्तुत किए गए हैं।

(ङ) गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं को अंगीकार करना

i. गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के लिए एक कार्यालय के अनुरक्षण और संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं होती क्योंकि कंपनी में एक कार्यकारी अध्यक्ष होता है।

ii. कंपनी के वित्तीय परिणाम बिजनेस स्टैंडर्ड/फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी में), संजीवनी (कन्नड में) और दक्षिण भारत राष्ट्रमत (हिंदी में) में प्रकाशित होते हैं । इसके अलावा सूचीबद्धता विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार, महत्वपूर्ण घटनाओं और सूचनाओं सहित कंपनी के परिणाम तुरंत स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किए जाते हैं और शेयरधारकों और अन्य निवेशकों की जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट www.itiltd.in पर भी अपलोड किए जाते हैं। इसलिए वित्तीय परिणाम शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जा रहे हैं।

iii. समेकित वित्तीय विवरण का प्रकटीकरण संशोधित लेखापरीक्षा मत के साथ किया जाता है।

iv. आवधिक रिपोर्टों से युक्त आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों में महत्वपूर्ण निष्कर्ष, यदि कोई हों, शामिल होते हैं और उनकी लेखापरीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है। आंतरिक लेखा परीक्षक के प्रमुख सीधे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष को रिपोर्ट करते हैं और लेखा परीक्षा समिति की बैठक में स्थायी आमंत्रित है।

(च) वस्तु मूल्य जोखिम अथवा विदेशी विनिमय जोखिम और निवारक प्रक्रियाएं:

फारवर्ड कंट्रेक्ट जैसे डेरिवेटिव के माध्यम से विदेशी मुद्रा जोखिमों का बचाव किया जा रहा है।

(छ) कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न से संबंधित प्रकटीकरण :

कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण निदेशक रिपोर्ट में किया गया है

(ज) अधिमान आवंटन के माध्यम से उत्पन्न की गई धनराशि के उपयोग का विवरण

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार पैकेज के एक भाग के रूप में कंपनी को प्रशासनिक मंत्रालय से बजट निर्धारण के रूप कैपेक्स की प्राप्ति हुई है, जिसके प्रति भारत के राष्ट्रपति को अधिमान आधार पर इक्विटी शेयर आवंटित किए गए हैं। कैपेक्स की प्राप्ति के प्रति भारत के राष्ट्रपति को जारी किए गए इक्विटी शेयरों का विवरण नीचे दिया गया है:

- 31 मार्च 2022 को कैपेक्स के प्रति 71.56 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्राप्त हुआ था जिसके प्रति दिनांक 25 मई 2022 को 86.00 रुपए प्रति शेयर की दर से 83,21,279 इक्विटी शेयर जारी किए गए थे।
- 6 अगस्त 2022 को कैपेक्स के लिए 80 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जिसके प्रति दिनांक 28 सितंबर 2022 को 103.45 रुपए प्रति शेयर की दर से 77,33,204 इक्विटी शेयर जारी किए गए थे।
- 23 मार्च 2023 को कैपेक्स के लिए 107 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जिसके प्रति 93.40 रुपए प्रति शेयर की दर से 1,13,09,586 इक्विटी शेयर जारी किए गए थे।

कैपेक्स उपयोग की पखवाड़ा रिपोर्ट संचार मंत्रालय, प्रशासनिक मंत्रालय को भेजी जा रही है।

(झ) **प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणन**

प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा इस आशय का एक प्रमाण पत्र जारी किया गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने अथवा सेवा में रहने से वंचित करने अथवा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। यह प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट **अनुलग्नक-क** के रूप में संलग्न है ।

(ञ) **समितियों की अनुशंसाएं:**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल समितियों की अनिवार्य अपेक्षाओं से संबंधित सभी सिफारिशों को स्वीकार किया है।

(ट) **सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान किए गए शुल्क का विवरण**

वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी को प्रदान की गई सभी सेवाओं के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को जीएसटी सहित 15,25,000 रुपए का कुल भुगतान किया गया था।

(ठ) **डीपीई द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश:**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, तथा पिछले 3 वर्षों के दौरान भी, कोई राष्ट्रपति निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है ।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य प्रशासनिक व्यय कुल व्यय का 4% था जो पिछले वर्ष के तुलना में 2% था।

11. सामान्य शेयरधारक सूचना

क) **वित्तीय वर्ष 2023 की वार्षिक आम बैठक**

दिनांक : 28 सितंबर 2023

समय : पूर्वाह्न 11.30 बजे।

स्थान : कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 05 मई, 2022 के साथ पठित दिनांक 28 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसरण में कंपनी बैठक का आयोजन वीडियो कांफ्रेंस / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से कर रही है वीसी के माध्यम से कर रही है तथा तदनुसार बैठक के स्थल की व्यवस्था अपेक्षित नहीं है।

सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 36(3) तथा सचिवीय मानक 2 की अपेक्षाओं के अनुसार इस वार्षिक आम सभा में नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति की अपेक्षा करने वाले निदेशकों का विवरण वार्षिक आम सभा की सूचना के अनुलग्नक में दिया गया है।

ख) **वित्तीय कैलेंडर**

2023-24 के वित्तीय परिणामों की घोषणा के लिए संभावित कैलेंडर नीचे दिया गया है:

निम्नानुसार तिमाही को समाप्त तिमाही परिणामों का अंगीकरण	निदेशक मंडल की बैठक की दिनाकं/संभावित तिथि
30.06.2023 (सांवधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के साथ)	14.08.2023 को अथवा उससे पूर्व
30.09.2023 (सांवधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के साथ)	14.11.2023 को अथवा उससे पूर्व
31.12.2023 (सांवधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के साथ)	14.02.2024 को अथवा उससे पूर्व
31.03.2023 (लेखापरीक्षित)	30.05.2024 को अथवा उससे पूव

ग) **स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता एवं सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान**

वर्तमान में कंपनी के इक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

नाम तथा पता	टेलीफोन/फैक्स/ई-मेल आईडी/वेबसाइट	ट्रेडिंग सिम्बल
बीएसई लिमिटेड (बीएसई) फिरोज जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट मुम्बई - 400 001	टेलीफोन: 022-22721233/4 फैक्स: 022-22721919 ईमेल: bsehelpbseindia.com वेबसाइट: www.bseindia.com	523610
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) एक्सचेंज प्लाजा बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुम्बई - 400 051	टेलीफोन: 022-26598100-8114 फैक्स: 022-26598120 ईमेल: ignse@nse.co.in वेबसाइट: www.nseindia.com	आईटीआई

कंपनी ने बीएसई तथा एनएसई को वर्ष 2022-23 के लिए सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान कर दिया है।

घ) **कस्टोडियन शुल्क:**

राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) एवं केंद्र निक्षेपागार सेवाएं लिमिटेड (सीडीएसएल) को कंपनी के इक्विटी शेयर, कोड नम्बर आईएनई 248ए01017 के कस्टोडियन शुल्क का भुगतान वर्ष 2022-23 के लिए कर दिया गया है।

ड.) **बाजार मूल्य डेटा**

कंपनी के बाजार शेयर मूल्यों के संबंध में बीएसई तथा एनएसई में उच्च / न्यून विवरण निम्नानुसार है:

माह	बीएसई (रुपए प्रति शेयर)			एनएसई (रुपए प्रति शेयर)		
	उच्च मूल्य	न्यून मूल्य	वाल्युम	उच्च मूल्य	न्यून मूल्य	वाल्युम
अप्रैल-22	106.20	96.30	6.41	106.25	95.60	39.91
मई-22	102.00	80.35	14.09	100.70	81.00	185.76
जून-22	114.10	81.00	44.32	114.20	81.70	817.24
जुलाई-22	129.50	97.00	79.23	129.65	96.85	1386.04
अगस्त-22	124.75	110.90	14.09	124.80	110.70	254.25
सितम्बर-22	117.50	100.05	14.72	117.65	100.00	233.73
अक्तूबर-22	111.90	99.75	8.30	111.95	99.70	89.70
नवम्बर-22	118.00	107.90	14.09	118.10	107.85	228.75
दिसम्बर-22	118.90	96.50	7.51	119.00	96.50	86.54
जनवरी-23	111.45	99.30	7.01	111.45	99.45	128.93
फरवरी-23	105.85	93.25	14.09	105.80	93.30	78.78
मार्च-23	99.90	86.50	11.68	99.95	86.55	304.38

च) **बीएसई सेंसेक्स जैसे वृहत आधार वाले इंडिक्स की तुलना में कंपनी का निष्पादन**

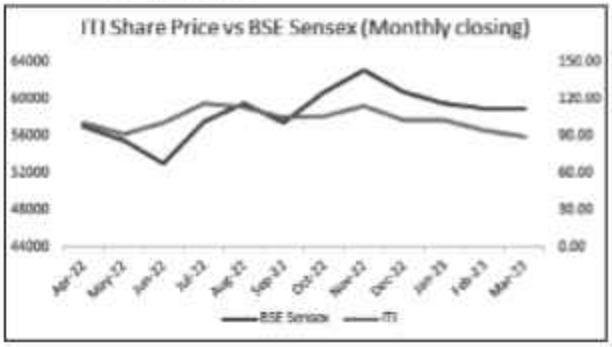

छ) **बहियां बंद किए जाने की तिथि**

सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी का शेयर अंतरण रजिस्टर दिनांक 22 सितंबर 2023 से दिनांक 28 सितंबर 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगा।

ज) **रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट**

इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक सेबी पंजीकृत श्रेणी-I रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है।

पता : 30, रमना रेजीडेंसी, 4 क्रॉस, संपिगे रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलूरु - 560003
फोन नं. : 080-23460815-818
फैक्स : 080-23460819
ई-मेल : irg@integratedindia.in

झ) **शेयर अंतरण प्रणाली**

यथासंशोधित सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 40(1) के अनुसार, प्रतिभूतियों का अंतरण 1 अप्रैल, 2019 से केवल डीमेट स्वरूप में ही किया जा सकता है। शेयरों का भौतिक स्वरूप में धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी होल्डिंग्स को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित करने पर विचार करें। इलेक्ट्रॉनिक रूप में इक्विटी शेयरों का अंतरण डिपॉजिटरी के माध्यम से किया जाता है, जिसमें कंपनी की कोई भागीदारी नहीं होती है। बाद की बोर्ड बैठकों में प्रतिभूतियों के अंतरण/ट्रांसमिशन का सारांश नोट निदेशक मंडल की बाद में आयोजित की जाने वाली बैठकों में प्रस्तुत किया जाता है।

सूचीबद्धता विनियम-2015 के विनियम 40 (10) के अनुसार, कंपनी द्वारा शेयर अंतरण की औपचारिकताओं के उचित अनुपालन की पुष्टि के आशय से शेयर डिमेट स्वरूप में जारी किए जाने से संबंधित वार्षिक आधार पर तैयार किया जाने वाला प्रमाण पत्र, सेबी (निक्षेपागार एवं सहभागी) विनियम, 2018 के अनुसार स्टाक एक्सचेंजों को भेजा जाता है।

इसके अलावा, शेयर पूंजी ऑडिट रिपोर्ट के समाधान के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को यह पुष्टि की जाती है कि कंपनी की कुल जारी पूंजी भौतिक रूप में शेयरों की कुल संख्या और एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास रखे गए डिमेट शेयरों की कुल संख्या के साथ मेल खाती है, तथा इसकी प्रस्तुति तिमाही आधार पर निदेशक मंडल के सम्मुख भी की जाती है।

ञ) **31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता:**

i. **31 मार्च 2023 को शेयरधारिता की श्रेणियां:**

क्र.सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	योग के प्रति %
1.	प्रोमोटर - भारत के राष्ट्रपति	1	85,59,12,566	90.14
2.	प्रोमोटर समूह - कर्नाटक के राज्यपाल	1	3,12,500	0.03
3.	**संस्थानिक:**			
	म्युचुअल फंड	9	1,09,900	0.01
	एफआईआईएस	19	7,56,001	0.08
	वित्तीय संस्थान / /बैंक	16	31,695	0.00
	बीमा कंपनियां	1	800	0.00
4.	**केन्द्र सरकार :**			
	विशेष राष्ट्रीय निवेश निधि (एसएनआईएफ)	1	7,31,32,976	7.70
5.	**गैर - संस्थानिक :**			
	वैयक्तिक	74,996	1,79,05,278	1.88
	अनिवासी भारतीय	489	3,16,445	0.03
	निकाय कॉर्पोरेट	277	9,13,355	0.10
	क्लीयरिंग सदस्य	67	1,20,365	0.01
	एलएलपी	7	59,451	0.01
	ट्रस्ट	2	6020	0.00
	योग	**75,886**	**94,95,77,352**	**100.00**

ii. **31.03.2023 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का वितरण**

क्र.सं.	विवरण	धारक	धारकों का %	धारिता	धारिता का %
1	1-500	69,504	91.59	73,43,951	0.77
2	501-1000	3,739	4.93	30,71,144	0.32
3	1001-2000	1,580	2.08	24,14,436	0.25
4	2001-3000	420	0.55	10,74,046	0.11
5	3001-4000	181	0.24	6,55,179	0.07
6	4001-5000	161	0.21	7,58,885	0.08
7	5001-10000	194	0.26	14,01,859	0.15
8	10001से अधिक	107	0.14	93,28,57,852	98.24
	योग	**75,886**	**100.00**	**94,95,77,352**	**100.00**

iii. **शेयरों का डिमेट और चलनिधि**

कंपनी के शेयर दोनों डिपॉजिटरियों यथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') 93,96,63,497 शेयर तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') 93,03,681 इक्विटी शेयर में डिमेट स्वरूप में स्वीकार किए जाते हैं। 6,10,174 इक्विटी शेयर भौतिक रूप में आयोजित होते हैं।

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार कंपनी के शेयरधारकों की संख्या 77,886 है।

कंपनी के कुल इक्विटी शेयरों का 99.94% एनएसडीएल और सीडीएसएल के निवेशकों द्वारा डीमैट स्वरूप में धारित है।

कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन)आईएनई 248ए01017 के अंतर्गत की जा रही है।

ट) **बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा कोई परिवर्तनीय प्रपत्र कंवर्जन तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव**

कंपनी द्वारा कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय प्रपत्र जारी नहीं किया गया है और इसलिए इक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं है।

ठ) **संयंत्र स्थान**

आईटीआई लिमिटेड का कर्नाटक राज्य में बेंगलूरु संयंत्र, केरल राज्य में पालक्काड प्लांट, उत्तर प्रदेश राज्य में रायबरेली संयंत्र,

नैनी संयंत्र और मनकापुर संयंत्र और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर संयंत्र है।

द) **कंपनी के साथ पत्राचार के लिए पता**

शेयरधारक / निवेशक, कंपनी सचिव, आईटीआई लिमिटेड, आईटीआई भवन, दूरवाणी नगर, बेंगलूरु - 560016, भारत को अपने पत्र भेज सकते हैं।

ध) **क्रेडिट रेटिंग**

विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को प्राप्त क्रेडिट रेटिंग निम्नानुसार है :

क्र.सं.	रेटिंग एजेंसी का नाम	रेटिंग	रेटिंग की तिथि
1.	आईसीआरए लिमिटेड	दीर्घकालिक रेटिंग: (आईसीआरए) बीबीबी: अल्पकालिक रेटिंग: (आईसीआरए) ए3 आउटलुक: स्थिर	10.03.2022
2.	एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड	दीर्घकालिक रेटिंग: एक्यूइट बीबीबी+ अल्पकालिक रेटिंग: एक्यूइट ए 2 आउटलुक: स्थिर	08.09.2022
3.	ब्रिकवर्क लांग रेटिंग्स इंडिया प्रा. लिमिटेड	दीर्घकालिक रेटिंग: बीडब्ल्यूआर+ अल्पकालिक रेटिंग: बीडब्ल्यूआर ए 2 आउटलुक: स्थिर	03.03.2023

ण) **डीमैट उचंत खाता / अदावित उचंत खाता के संबंध में प्रकटीकरण:**

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार, डीमैट उचंत खाते/ अदावित उचंत खाते में अंतरण के लिए कंपनी के कोई भी अदावित शेयर लंबित नहीं थे।

त) **निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ):**

सम्बद्ध नियमों के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में कोई राशि अंतरित नहीं की गई है।

थ) **निदेशकों के नाम एवं राशि के विवरण सहित ऐसी फर्मों / कम्पनियों को ऋण के स्वरूप में प्रदान किए गए ऋणों एवं अग्रिमों का प्रकटीकरण जिनमें निदेशकों के हित हैं।**

जिन फर्मों/कंपनियों में निदेशकों के हित होते हैं उन्हें कोई ऋण तथा/अग्रिम अग्रिम नहीं दिया जाता है।

12. प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव से सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट और प्रमाण पत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, सूचीबद्धता विनियमों, लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों, सेबी विनियमों तथा अन्य लागू कानूनों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव श्री केएन नागेश राव द्वारा की गई थी। सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट भाग है।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए श्री डी वेंकटेश्वरलु, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा जारी वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित समय में स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की गई थी।

सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत कॉर्पोरेट शासन की निर्धारित शर्तों के अनुपालन की पुष्टि के लिए प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव श्री डी वेंकटेश्वरलु द्वारा जारी प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-घ** में संलग्न है।

13. अनुपालन

आपकी कंपनी तिमाही समाप्ति से क्रमशः 15 और 21 दिनों के भीतर संचार मंत्रालय और स्टॉक एक्सचेंजों को निर्धारित प्रारूप में कॉर्पोरेट शासन की अपेक्षाओं के अनुपालन की त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

14. लोक उद्यम विभाग की ग्रेडिंग

आपकी कंपनी त्रैमासिक और वार्षिक आधार पर संचार मंत्रालय के साथ कॉर्पोरेट प्रशासन के अनुपालन पर एक ग्रेडिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ग्रेडिंग रिपोर्ट के अनुसार, आपकी कंपनी को वर्ष 2022-23 के लिए 93% के समग्र स्कोर के साथ 'उत्कृष्ट' स्कोर प्रदान किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 10052045

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 11 अगस्त, 2023

अनुलग्नक - क

निदेशकों का गैर - अनर्हता प्रमाण पत्र

(सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015) के विनियम 34(3) तथा अनुसूची V पैरा ग खंड (10)(i) के अनुसरण में)

सेवा में,

सदस्यगण,
आईटीआई लिमिटेड,
(सीआईएनः एल32202केए1950जीओआई000640)
आईटीआई भवन, दूरवाणीनगर,
बेंगलूरु - 560 016

मैंने, आईटीआई लिमिटेड के निदेशकों, जिसका सीआईएलः एल32202केए1950जीओआई000640 है तथा पंजीकृत कार्यालय आईटीआई भवन, दूरवाणी नगर, बेंगलूरु - 560 016 (एतद्वारा 'कंपनी' के नाम से संदर्भित) है, के संबंध में मेरे सम्मुख, कंपनी द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूबीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा ग उप खंड 10(i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अंतर्गत यह प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से, प्रस्तुत सम्बद्ध रजिस्टरों, रिकार्डों, फार्मों, विवरणियों एवं प्रकटीकरण की जांच की है।

मेरी मतानुसार एवं मुझे कंपनी तथा इसके अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा किए गए निम्नलिखित सत्यापन के अनुसारः

i. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध दस्तावेज़;
ii. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति का सत्यापन;
iii. निदेशकों द्वारा कंपनी को प्रदान किए गए प्रकटीकरण; तथा
iv. बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की प्रतिबंध सूची

मैं, एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल का कोई भी निदेशक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय अथवा अन्य किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा, 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के निदेशक के पद पर नियुक्त होने अथवा नियुक्त रहने से रोका अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि
1.	श्री राकेश मोहन अग्रवाल[1]	07333145	08.06.2016
2.	श्री आनंद सिन्हा[2]	01784114	01.09.2022
3.	श्री राजेश राय[3]	10052045	21.02.2023
4.	श्री दुय्युरी वेंकटेश्वरलू[4]	08605954	07.11.2019
5.	श्री राजीव श्रीवास्तव	08921307	15.10.2020
6.	श्री राकेश चन्द्र तिवारी	08953397	07.01.2021
7.	श्रीमती आर वसंती[5]	10059129	28.02.2023
8.	श्रीमती सेतुरामन जेयंति[6]	10059174	28.02.2023
9.	लैफ्टिनेंट जनरल मिलिंद नारायनराव भुर्के	09168118	07.05.2021
10.	लैफ्टिनेंट जनरल माधवन उन्नी कृष्णन नायर[8]	09826740	16.12.2022
11.	डॉ. राजेश शर्मा[9]	08200125	14.08.2018
12.	श्री राधाचरण शाक्य[10]	09800172	23.11.2022
13.	डॉ. राजा नायक	06451006	10.11.2021
14.	श्रीमती ममता पलारिया	07749007	10.11.2021
15.	श्री बिलेश्वर सिन्हा	09393543	10.11.2021

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का कार्यकाल 30 जून, 2022 को समाप्त हुआ है

2. दिनांक 01 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022 तक के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त

3. दिनांक 21 फरवरी 2023 से कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त

4. निदेशक उत्पादन/अतिरिक्त प्रभार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद के कार्यकाल 31 अगस्त 2023 को पूर्ण हुआ है।

5. दिनांक 28 फरवरी 2023 से निदेशक उत्पादन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया ।

6. दिनांक 28 फरवरी 2023 से निदेशक मानव संसाधन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया

7. दिनांक 30 जून 2022 को सरकारी निदेशक के पद का कार्यकाल पूरा हुआ

8. दिनांक 16 दिसंबर 2022 से कंपनी के सरकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया

9. दिनांक 17 नवंबर 2022 से कंपनी के सरकारी निदेशक नहीं हैं

10. दिनांक 23 नवंबर 2022 से कंपनी के सरकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया

निदेशक मंडल में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / निरंतरता की अर्हता का सुनिश्चय कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर अपने मत की अभिव्यक्ति करना है।

यह प्रमाण पत्र न तो कंपनी के संबंध में भविष्य के प्रति किसी प्रकार की व्यवहार्यता और न ही यह प्रबंधन द्वारा कंपनी के लिए किए गए कार्यों के कौशल अथवा प्रभावोत्पति का कोई आश्वासन है।

डी. वेंकटेश्वरलू
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
एफसीएस 8554 :: सी.पी. 7773
यूडीआईएनः एफ 008554डी000563196
पीआर नं. : 1617/2021

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 3 जुलाई 2023

अनुलग्नक - ख

घोषणा

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में की गई व्यवस्था के अनुसार निदेशक मंडल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 10052045

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 3 जुलाई, 2023

अनुलग्नक - ग

मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा प्रमाणन

(सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और कॉर्पोरेट शासन से सम्बद्ध लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में)

सेवा में,

निदेशक मंडल, आईटीआई लिमिटेड

हमने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आईटीआई लिमिटेड के तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखों एवं उसकी सभी अनुसूचियों तथा लेखांकन नोटों तथा साथ ही नकदी प्रवाह विवरणों और निदेशक रिपोर्ट की समीक्षा की है तथा हमारी जानकारी एवं हमारे विश्वास के अनुसार हम यह सूचित करते हैं कि :

(क) (i) इन विवरणों में सामग्रीगत रूप से कोई असत्य विवरण नहीं दिया गया है अथवा किसी ऐसे सामग्रीगत तथ्य का विलोपन नहीं किया गया है जो भ्रामक हो सकता

(ii) ये विवरण कंपनी की प्रक्रियाओं की सत्य एवं निष्पक्ष छवि की प्रस्तुति करते हैं तथा ये विद्यमान लेखांकन मानकों तथा / अथवा लागू कानूनों एवं विनियमों के अनुसरण में हैं।

(ख) हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा जालसाजी पूर्ण, गैर-कानूनी अथवा कंपनी की आचार संहिता के विरूद्ध कोई संव्यवहार नहीं किए गए हैं।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापन एवं अनुरक्षण के उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं। हमने कंपनी के आंतरिक नियंत्रणों की प्रभाव्यता का मूल्यांकन किया है तथा हमें ज्ञात इसके अभिकल्प अथवा आंतरिक नियंत्रणों की न्यूनताओं, यदि कोई हो, और ऐसी न्यूनताओं में सुधार के लिए प्रस्तावित उपायों का प्रकटीकरण लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को किया है।

(घ) हमने आपकी कंपनी के लेखापरीक्षकों एवं कंपनी के निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के सम्मुख कंपनी के संबंध में यथा लागू प्रकटीकरण किए हैं

- इस रिपोर्ट में विचाराधीन वर्ष के दौरान आंतरिक नियंत्रणों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन
- वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए सभी महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई हों, तथा इनका प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है।
- हमारी जानकारी में आई किसी प्रकार की जालसाजी की घटनाएं, जिसमें प्रबंधन अथवा ऐसे अन्य कर्मचारी शामिल हैं जिनकी भूमिका आपकी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है।

राजीव श्रीवास्तव
निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन : 08921307

राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 10052045

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 11 अगस्त, 2023

अनुलग्नक - घ

कॉर्पोरेट शासन का प्रमाण पत्र

सेवा में,

आईटीआई लिमिटेड के सदस्य

मैंने, डी. वेंकटेश्वरलू, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए, विनियम 17 से 27 तथा विनियम 46(2) के खंड (ख) से (i) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीबद्धता दायित्व') की अनुसूची V के पैराग्राफ ग,घ तथा ङ में की गई व्यवस्था के अनुसार आईटीआई लिमिटेड (सीआईएनः एल32202केए1950जीओआई000640) ('कंपनी') द्वारा कॉर्पोरेट शासन की अनुपालन स्थिति की जांच की है।

प्रबंधन के उत्तरदायित्व :

कॉर्पोरेट शासन के उत्तरदायित्वों के अनुपालन का दायित्व कंपनी प्रबंधन का है। इस उत्तरदायित्व में आंतरिक नियंत्रणों के अभिकल्प, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण तथा ऐसी प्रक्रियाओं के निर्माण के दायित्व शामिल हैं जिनसे सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत कॉर्पोरेट शासन के उपबंधों के अनुपालन का सुनिश्चय होता हो ।

लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व :

मेरा दायित्व, कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट शासन के उपबंधों के अनुपालन के सुनिश्चय के लिए अंगीकार की गई प्रक्रियाओं एवं उनके कार्यान्वयन की जांच तक सीमित है। यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरणों की किसी प्रकार की लेखापरीक्षा है तथा न ही किसी मत अभिव्यक्ति है।

मैंने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन के प्रमाणन के मार्गदर्शी नोट की अनुरूपता के अनुसार कंपनी के सम्बद्ध रिकार्डों की जांच की है।

मतः

मेरे द्वारा की गई सम्बद्ध रिकार्डों की जांच एवं मुझे दी गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के निदेशकों एवं प्रबंधन द्वारा की गई प्रस्तुति के आधार पर, मैं, यह प्रमाणित करता हूं कि 31 मार्च, 2023 के समाप्त वर्ष में कंपनी ने निम्नलिखित शर्तों के साथ सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 17 से 27 , विनियम 46(2) के खंड (बी) से (आई) तथा अनुसूची V के पैराग्राफ सी,डी एवं ई में की गई निर्दिष्टि के अनुसार कॉर्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन किया हैः

कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, 01.10.2022 से 16.12.2022 की अवधि के अलावा, निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या होने से संबंधित एलओडीआर के विनियम 17(1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।

मैं, आगे यह भी रिपोर्ट करता हूं कि उक्त अनुपालन न तो कंपनी के संबंध में भविष्य के प्रति किसी प्रकार की व्यवहार्यता और न ही यह प्रबंधन द्वारा कंपनी के लिए किए गए कार्यों के कौशल अथवा प्रभावोत्पति का कोई आश्वासन है।

डी. वेंकटेश्वरलू
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
एफसीएस 8554 :: सी.पी. 7773
यूडीआईएनः एफ 00855वाईई000568058
पीआर नं. : 1617/2021

स्थान : बेंगलुरु
दिनांक : 04 जुलाई, 2023

पुरस्कारें

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), बेंगलूरु द्वारा आईटीआई लिमिटेड, निगमित कार्यालय को वर्ष 2021-22 के लिए **'छोटे कार्यालयों'** की श्रेणी में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग एवं कार्यान्वयन के लिए दिनांक 25.07.2022 को प्रथम पुरस्कार **"राजभाषा निष्पादन श्रेष्ठता पुरस्कार"** प्राप्त हुआ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), बेंगलूरु द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के निष्पादन हेतु छोटे कार्यालय की श्रेणी में आईटीआई लिमिटेड निगमित कार्यालय को प्रथम पुरस्कार कंचन प्राप्त होने के उपलक्ष्य में, कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव श्री जोनाथन व्हीलर को उनके बहुमूल्य एवं सक्रिय योगदान हेतु नराकास के अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 25.07.2022 को स्मृति चिह्न सहित प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

आयोजन

लेफ्टिनेंट जनरल मिलिंद एन भुर्के, एवीएसएम, वीएसएम सिग्नल मुख्य सिग्नल अधिकारी एवं सरकारी निदेशक द्वारा आईटीआई लिमिटेड का दौरा

लेफ्टिनेंट जनरल मिलिंद एन भुर्के, एवीएसएम, वीएसएम मुख्य सिग्नल अधिकारी, एवं सरकारी निदेशक, द्वारा दिनांक 9 जून, 2022 को आईटीआई लिमिटेड के निगमित कार्यालय का दौरा किया गया। उन्होंने आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर एम अग्रवाल, श्री डी. वेंकटेश्वरलू, निदेशक (उत्पादन) तथा अतिरिक्त प्रभार (मानव संसाधन), श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त), एवं श्री राकेश चंद्र तिवारी, निदेशक (विपणन) तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की और साथ ही जारी परियोजनाओं के संबंध में समीक्षा की गई।

श्री हरवेश भाटिया, सदस्य (सेवाएं), डीसीसी आईटीआई लिमिटेड का दौरा

श्री हरवेश भाटिया, सदस्य (सेवाएं), डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) द्वारा दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार से डा. राजेश शर्मा, डीडीजी (एसयू), श्री पी.के सिंह, डीडीजी (एसए) तथा श्री मुकेश मंगल , डी डी जी (एसए-II) के साथ दिनांक 7 जुलाई, 2022 को आईटीआई बैंगलुरु संयंत्र का दौरा किया गया। श्री हरवेश भाटिया, सदस्य (सेवाएं) ने दूरसंचार विभाग के अधिकारियों के साथ आईटीआई के बैंगलुरु संयंत्र में एसएमटी लाइन, 4जी हैंगर, दूरसंचार परीक्षण प्रयोगशाला, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, डेटा केन्द्र एवं स्टार्टअप हब की स्थापित सुविधाओं का जायजा लिया ।

श्री हरवेश भाटिया, सदस्य (सेवाएं), डा. राजेश शर्मा, डीडीजी (एसयू), श्री पीके सिंह, डीडीजी (एमए) एवं श्री मुकेश मंगल , डीडीजी (एसए-II) ने आईटीआई कॉर्पोरेट कार्यालय का भी दौरा किया। श्री डी. वेंकटेश्वरलू, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, अतिरिक्त प्रभार एवं निदेशक (उत्पादन) द्वारा श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त), श्री राकेश चंद्र तिवारी, निदेशक (विपणन) और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में कंपनी के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की गई तथा उन्होंने जारी परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की ।

आईटीआई लिमिटेड द्वारा सी-डॉट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

आईटीआई लिमिटेड के निगमित कार्यालय में दिनांक 7 जुलाई, 2022 को आईटीआई लिमिटेड एवं सेंटर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमेटिक्स (सी-डॉट) के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। श्री हरवेश भाटिया, सदस्य (सेवाएं),डीसीसी, दूरसंचार विभाग से डा. राजेश शर्मा, डीडीजी (एसयू), श्री पीके सिंह, डीडीजी (एसए) एवं श्री मुकेश मंगल, डीडीजी (एसए-II) एवं आईटीआई लिमिटेड से श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त), श्री राकेश चन्द्र तिवारी, निदेशक (विपणन) तथा श्री आर प्रकाश, ग्रुप लीडर-4जी परियोजनाएं, सी-डॉट की उपस्थिति में श्री डी. वेंकटेश्वरलु, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, अतिरिक्त प्रभार तथा निदेशक (उत्पादन), श्री डेनियल जेबराज , निदेशक (सी-डॉट) द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन का उद्देश्य वायरलैस संचार प्रणालियों पर आधारित एलटीई/एलटीई-ए/4जी प्रौद्योगिकी के लिए सहकार्यता की एक रूपरेखा स्थापित करना है जो देश में विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को आगामी प्रौद्योगिकियों के नेटवर्क प्रदान करेगा और साथ ही देश एवं विश्व स्तर पर व्यवसाय के अवसरों को भी संबोधित करेगा। आईटीआई द्वारा 5जी के लिए उन्नयन योग्य 4जी रेडियो एक्सेस नेटवर्क (आरएएन) एवं संबंधित उपकरण का उत्पादन किया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन से दो संगठनों के मध्य सहकार्यता स्थापित होगी तथा भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' एवं 'आत्मनिर्भर भारत' की पहलों को आगे बढ़ाने की दिशा में ध्यान केन्द्रण किया जाएगा।

सुश्री अपराजिता शर्मा, डीडीजी (बीपीएफ) द्वारा आईटीआई लिमिटेड का दौरा

सुश्री अपराजिता शर्मा , डी डी जी (बीपीएफ) द्वारा दिनांक 11 जून, 2022 को आईटीआई लिमिटेड का दौरा किया गया। आईटीआई लिमिटेड के निगमित कार्यालय में उनके आगमन पर श्री डी. वेंकटेश्वरलू, निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक (मानव संसाधन), अतिरिक्त प्रभार द्वारा कंपनी के संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की गई तथा श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त), श्री राकेश

चन्द्र तिवारी, निदेशक (विपणन) एवं वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में जारी परियोजनाओं की प्रगति पर प्रकाश डाला गया। सुश्री अपराजिता शर्मा, डीडीजी (बीपीएफ) ने आईटीआई बेंगलूरु संयंत्र का दौरा भी किया। ब्रिगेडियर बी सी शर्मा, महाप्रबंधक बी तथा अनुसंधान एवं विकास, यूनिट प्रमुख, आईटीआई बेंगलुरु संयंत्र, श्रीमती इला बहादुर, ईडीआर (परियोजनाएं एवं परिचालनद्ध तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने संयंत्र में दूरसंचार परीक्षण प्रयोगशाला, एसएमटी लाइन, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र तथा डेटा सेंटर सुविधाओं का भी जायजा लिया।

आईटीआई लिमिटेड ने विश्व रक्तदाता दिवस 2022 का आयोजन

आईटीआई लिमिटेड द्वारा "रक्तदान ही एकजुटता का प्रतीक है" की थीम के साथ विश्व रक्तदाता दिवस किया गया था। 14 जून, 2022 को किए गए इस आयोजन का उद्घोष वाक्य 'जीवन रक्षण के प्रयास में योगदान' था। इस अवसर को स्मरणीय बनाने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय में श्री डी. वेंकटेश्वरलु, निदेशक (उत्पादन) एवं अतिरिक्त प्रभार निदेशक (मानव संसाधन) द्वारा सभी कर्मचारियों को अंग्रेजी भाषा में तथा श्री राकेश चंद्र तिवारी, निदेशक (विपणन) द्वारा हिन्दी भाषा में रक्तदान की शपथ दिलाई गई।

लेफ्टिनेंट जनरल बसंत कुमार रेप्सवाल , एवीएसएम, वीएसएम, कमांडेंट, आर्मी सर्विस कोर सेंटर एंड कॉलेज, बेंगलूरु द्वारा आईटीआई लिमिटेड का दौरा

लेफ्टिनेंट जनरल बसंत कुमार रेप्सवाल, एवीएसएम, वीएसएम, कमांडेंट, आर्मी सर्विस कोर सेंटर एंड कॉलेज, बेंगलूरु द्वारा दिनांक 15 जून, 2022 को आईटीआई कॉर्पोरेट कार्यालय का दौरा किया गया। उन्होंने श्री डी. वेंकटेश्वरलु, निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक (मानव संसाधन), अतिरिक्त प्रभार, श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त), श्री राकेश चंद्रा तिवारी, निदेशक (विपणन) तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की एवं जारी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

डा. रीता बहुगुणा जोशी, माननीय संसद सदस्य, लोकसभा द्वारा आईटीआई लिमिटेड का दौरा

डा. रीता बहुगुणा जोशी, माननीय संसद सदस्य, लोकसभा द्वारा दिनांक 28 अगस्त, 2022 को आईटीआई लिमिटेड का दौरा किया गया। अपने दौरे के दौरान डा रीता बहुगुणा जोशी ने एसएमटी लाइन, 4जी हैंगर, ईवीएम हैंगर, दूरसंचार परीक्षण प्रयोगशाला, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, डेटा एवं स्टार्टअप हब में स्थापित में संयंत्र की सुविधाओं का प्रेक्षण किया।

डा. रीता बहुगुणा जोशी ने आईटीआई निगमित कार्यालय का भी दौरा किया। उनकी यात्रा के अवसर के लिए एक प्रस्तुति तैयार की गई थी जिसमें कंपनी के निष्पादन एवं जारी परियोजनाओं की स्थिति दर्शाई गई थी तथा इसकी प्रस्तुति श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त), श्री राकेश चंद्र तिवारी, निदेशक (विपणन), श्री बी काशीविश्वनाथन, मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में की गई थी।

आईटीआई लिमिटेड में 76वें स्वतंत्रता दिवस का आयोजन

आईटीआई लिमिटेड में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर - आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया एवं 15 अगस्त, 2022 को अपने निगमित कार्यालय में 76वें स्वतंत्रता दिवस का आयोजन अत्यंत उत्साह तथा देशभक्ति के अपूर्व भाव के साथ मनाया गया। श्री डी. वेंकटेश्वरलु, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, अतिरिक्त प्रभार एवं निदेशक (उत्पादन), आईटीआई लिमिटेड द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के पश्चात राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। इसके पश्चात, निगमित कार्यालय, बेंगलुरु में श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त), श्री राकेश चंद्र तिवारी, निदेशक (विपणन), श्री बी काशीविश्वनाथन, मुख्य सतर्कता अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों और परिवार के सदस्यों, यूनियन कर्मचारियों और ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम किया गया तथा राष्ट्रगान की प्रस्तुति हुई।

आईटीआई लिमिटेड द्वारा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में प्रतिभागिता

आईटीआई लिमिटेड ने दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से 1 अक्तूबर से 4 अक्तूबर, 2022 के दौरान प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 (आईएमसी 2022) के छठे आयोजित में प्रतिभागिता की, जो एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी उत्सव है। आईटीआई लिमिटेड द्वारा 'आत्मनिर्भर भारत', 'मेक इन इंडिया' एवं 'डिजिटल इंडिया' पहल के अंतर्गत ओएफसी, एचडीपीई डक्ट, सोलर पैनल, 4जी आरएएन, जीपॉन, रक्षा एनक्रिप्टर जैसे टेलीकॉम उत्पाद पोर्टफोलियो, लैपटॉप, स्मैश पीसी जैसे अपने उत्पादों और सेवाओं की प्रदर्शनी आयोजित की गई। आयोजन में भारत सरकार के माननीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा रेल मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव ने आईटीआई स्टॉल का दौरा किया और प्रदर्शित उत्पादों का जायजा लिया।

माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022, नई दिल्ली में आईटीआई स्टाल का दौरा किया गया।

डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) के सदस्य (सेवाएं) डा. महेश शुक्ला ने आईटीआई लिमिटेड का दौरा किया।

डा. महेश शुक्ला, सदस्य (सेवाएं), डीसीसी तथा श्री हेमेंद्र कुमार शर्मा, निदेशक (पीएसयू-II), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 5 सितंबर, 2022 को आईटीआई लिमिटेड का दौरा किया गया। उनके दौरे के दौरान डा. महेश शुक्ला तथा श्री हेमेंद्र कुमार शर्मा द्वारा संयंत्र में स्थित दूरसंचार परीक्षण प्रयोगशाला, ईवीएम हैंगर, नए पीसीबी संयंत्र, एसएमटी लाइन, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, डेटा सेंटर तथा स्टार्टअप हब सुविधाओं का जायजा लिया गया।

डा. महेश शुक्ला, सदस्य (सेवाएं), डीसीसी तथा श्री हेमेंद्र कुमार शर्मा, निदेशक (पीएसयू-II), दूरसंचार विभाग ने भी आईटीआई निगमित कार्यालय का दौरा किया। उनकी यात्रा के दौरान, श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त), श्री राकेश चंद्र तिवारी, निदेशक (विपणन) एवं वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में कंपनी से संबंधित एक संक्षिप्त विवरण की प्रस्तुति दी गई।

श्री आनंद सिंह, भाप्रसे, संयुक्त सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईटीआई लिमिटेड द्वारा आईटीआई लिमिटेड का दौरा

श्री आनंद सिंह, भाप्रसे, संयुक्त सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईटीआई लिमिटेड ने दिनांक 8 सितंबर, 2022 को आईटीआई निगमित कार्यालय का दौरा किया। श्री आनंद सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईटीआई लिमिटेड ने श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त), श्री राकेश चंद्रा तिवारी, निदेशक (विपणन), श्री वी. काशीविश्वनाथन, मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की।

श्री आनंद सिंह ने आईटीआई बेंगलूरु संयंत्र भी गए तथा वहां उन्होंने संयंत्र में स्थित दूरसंचार परीक्षण प्रयोगशाला, ईवीएम हैंगर, 4जी हैंगर, एसएमटी लाइन, पीसीबी संयंत्र,अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, डेटा सेंटर, स्टार्टअप हब तथा आईटीआई अस्पताल सुविधाओं का प्रेक्षण भी किया।

आईटीआई लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय संविधान दिवस का आयोजन

आईटीआई लिमिटेड द्वारा दिनांक 26 नवंबर, 2022 को भारत के संविधान को अंगीकार किए जाने के उपलक्ष्य में कॉर्पोरेट कार्यालय तथा अपने विनिर्माण संयंत्रों/ यूनिटों में राष्ट्रीय संविधान दिवस का आयोजन किया गया था। इस दिन का उद्देश्य संविधान में निहित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस दिन को स्मरणीय बनाने के लिए, श्री राकेश चन्द्र तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अतिरिक्त प्रभार एवं निदेशक (विपणन) द्वारा आईटीआई निगमित कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संविधान की प्रस्तावना का पठन अंग्रेजी भाषा में किया गया तथा इसके पश्चात श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त) ने इसका पठन हिंदी भाषा में किया गया।

आईटीआई लिमिटेड द्वारा बेंगलूरु टेक समिट 2022 में प्रतिभागिता

आईटीआई लिमिटेड द्वारा दिनांक 16 से 18 नवंबर, 2022 के दौरान बेंगलूरु पैलेस में आयोजित बेंगलूरु टेक समिट 2022 में प्रतिभागिता की गई। आईटीआई द्वारा अपने दूरसंचार उत्पाद 4जी आरएएन, जीपॉन, स्वदेशी विकसित रक्षा उत्पाद, लैपटॉप/मिनी पीसी, ओएफसी, एचडीपीई डक्ट, सौर माड्यूल्स आदि जैसे उत्पादों और सेवाओं की प्रस्तुति बॉयस कंसोर्टियम, स्टॉल नम्बर टी33-टी35ए पर की गई। श्री राकेश चंद्र तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, अतिरिक्त प्रभार तथा निदेशक (विपणन), श्री राजीव दुबे, महाप्रबंधक, बेंगलूरु तथा अनुसंधान एवं विकास, यूनिट प्रमुख, आईटीआई बेंगलूरु संयंत्र और वरिष्ठ अधिकारियों ने स्टॉल पर आगंतुकों के साथ अन्योन्य क्रियाएं की।

आईटीआई लिमिटेड में स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन

आईटीआई लिमिटेड द्वारा अपने निगमित कार्यालय एवं अपने विनिर्माण संयंत्रों / यूनिटों में कर्मचारियों के मध्य स्वच्छता के प्रति जागरूकता की उत्पति के लिए 16 से 30 नवंबर, 2022 के दौरान स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया था। स्वच्छता पखवाड़े का प्रारंभ श्री राकेश चन्द्र तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, अतिरिक्त प्रभार एवं निदेशक (विपणन) द्वारा निगमित कार्यालय के अधिकारियों को हिन्दी भाषा में स्वच्छता की शपथ दिलाई गई तथा इसके पश्चात श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त) द्वारा यह शपथ अंग्रेजी भाषा में दिलाई गई ।

श्री राकेश चन्द्र तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, अतिरिक्त प्रभार एवं निदेशक (विपणन) द्वारा 1200 किलोवाट कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन

श्री राकेश चन्द्र तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, अतिरिक्त प्रभार एवं निदेशक (विपणन) द्वारा श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त), श्री राजीव दुबे, महाप्रबंधक-

बेंगलूरु तथा अनुसंधान एवं विकास, यूनिट प्रमुख, आईटीआई बेंगलूरु संयंत्र एवं आईटीआई बेंगलूरु संयंत्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में दिनांक 27 दिसम्बर, 2022 को 1200 किलोवाट कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया।

संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी की स्थाई समिति (2022-23) द्वारा 19 जनवरी से 24 जनवरी, 2023 के दौरान हैदराबाद, बेंगलूरु, पुणे और मुंबई का अध्ययन दौरा।

संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी की स्थाई समिति (2022-23) द्वारा 19 जनवरी से 24 जनवरी, 2023 के दौरान हैदराबाद, बेंगलूरु, पुणे और मुंबई का अध्ययन दौरा किया गया था। अध्ययन यात्रा के अंतर्गत, श्री प्रतापराव जाधव की अध्यक्षता में संसद की स्थाई समिति के सदस्य, श्री कार्तिकेय शर्मा, श्री कार्ति पी. चिदम्बरम, श्री संजय सेठ, डा. जॉन ब्रिटास, डा. अनिल अग्रवाल तथा श्री निशांत मेहरा, उप सचिव, श्री अर्जुन चौधरी, कार्यकारी अधिकारी तथा स्थाई समिति के अन्य सदस्य दिनांक 21 जनवरी, 2023 को ताज होटल, एमजी रोड, बेंगलूरु में उपस्थित हुए।

इस अवसर पर 'दूरसंचार उद्योग (आईटीआई) एवं इसके आधुनिकीकरण की समीक्षा' के विषय पर श्री बिजॉय कुमार नाथ, डीडीजी (एसयू) एवं श्री हेमेंद्र के शर्मा, निदेशक (पीएसयू-II), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार तथा श्री राकेश चन्द्र तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, अतिरिक्त प्रभार एवं निदेशक (विपणन), श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त) तथा आईटीआई लिमिटेड के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के मध्य विस्तृत चर्चा हुई।

श्री उमा शंकर पांडे, सदस्य (सेवाएं) के परामर्शदाता एवं विशेष कार्य अधिकारी, दूरसंचार विभाग द्वारा आईटीआई लिमिटेड का दौरा

श्री उमा शंकर पांडे, सदस्य (सेवाएं) के परामर्शदाता एवं विशेष कार्य अधिकारी, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 जनवरी, 2023 को आईटीआई लिमिटेड का दौरा किया गया।

आईटीआई निगमित कार्यालय में उनके दौरे के दौरान, श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त) एवं वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में कंपनी के निष्पादन और जारी परियोजनाओं की स्थिति पर प्रकाश डालने वाली एक प्रस्तुति दी गई। श्री उमा शंकर पांडे ने आईटीआई बैंगलुरु संयंत्र का भी दौरा किया तथा श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त), श्री टी एस सुधाकर, महाप्रबंधक, बेंगलूरु तथा अनुसंधान एवं विकास, यूनिट प्रमुख, आईटीआई बैंगलुरु संयंत्र एवं वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में दूरसंचार परीक्षण प्रयोगशाला की सुविधाओं का जायजा लिया।

आईटीआई लिमिटेड में 74वां गणतंत्र दिवस का आयोजन

26 जनवरी, 2023 को आईटीआई लिमिटेड के निगमित कार्यालय तथा विनिर्माण संयंत्रों/यूनिटों में अत्यंत जोश एवं उत्साह के साथ राष्ट्र के 74वें गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया था। श्री राकेश चंद्र तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, अतिरिक्त प्रभार एवं निदेशक (विपणन) द्वारा गार्ड आफ ऑनर के निरीक्षण के पश्चात श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त), निदेशक (विपणन), श्री बी काशीविश्वनाथन, मुख्य सतर्कता अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों और परिवार के सदस्यों, यूनियन कर्मचारियों और ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया गया तथा राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम के पश्चात राष्ट्रगान की प्रस्तुति हुई।

श्री राजेश राय, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईटीआई लिमिटेड द्वारा आईटीआई पालक्काड संयंत्र में 1 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी पावर संयंत्र का उद्घाटन

श्री राजेश राय, आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2023 को आईटीआई पालक्काड संयंत्र में श्री के पी नागराज, महाप्रबंधक-पालक्काड, यूनिट प्रमुख, आईटीआई पालक्काड संयंत्र तथा वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में 1 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी पावर संयंत्र का उद्घाटन किया गया।

श्री सतिंदर कुमार जैन, वरिष्ठ डीडीजी (एसयू), दूरसंचार विभाग द्वारा आईटीआई लिमिटेड का दौरा

श्री सतिंदर कुमार जैन, वरिष्ठ डीडीजी (एसयू), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 अप्रैल, 2023 को आईटीआई लिमिटेड का दौरा किया गया। अपने दौरे के दौरान, श्री सतिंदर कुमार जैन को बैंगलुरु संयंत्र में स्थित एसएमटी लाइन, 4 जी हैंगर, पीसीबी, एचडीपीई डक्ट, दूरसंचार परीक्षण प्रयोगशाला, 3डी प्रिंटिंग, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, डेटा सैंटर तथा स्टार्टअप हब ले जाया गया।

श्री सतेन्द्र कुमार जैन ने आईटीआई निगमित कार्यालय का भी दौरा किया। इस अवसर पर, आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री राजेश राय ने श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त), श्री राकेश चंद्र तिवारी, निदेशक (विपणन), श्रीमती जयंति एस, निदेशक (मानव संसाधन), अतिरिक्त प्रभार, श्रीमती वसंती आर, निदेशक (उत्पादन) अतिरिक्त प्रभार की उपस्थिति में जारी परियोजनाओं की प्रगति पर प्रकाश डाला।

आईटीआई लिमिटेड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का आयोजन

आईटीआई लिमिटेड द्वारा 9 मार्च, 2023 को 'डिजिट ऑल: लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी' के विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का आयोजन किया गया था। श्री राजेश राय, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईटीआई लिमिटेड ने श्री राजीव श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त), श्रीमती एस जेयंति, निदेशक (मानव संसाधन) अतिरिक्त प्रभार, श्रीमती वसंती आर, निदेशक (उत्पादन) अतिरिक्त प्रभार, श्री टी एस सुधाकर, महाप्रबंधक, बैंगलुरु तथा अनुसंधान एवं विकास, यूनिट प्रमुख, आईटीआई बैंगलूरु संयंत्र तथा विशेष अतिथि डा. सविता रानी, श्रीमती रेखा राय एवं वरिष्ठ अधिकारियों तथा महिला कर्मचारियों की उपस्थिति में समारोह की अध्यक्षता की। कार्यक्रम का उद्घाटन वरिष्ठ अधिकारियों, महिला कर्मचारियों, कर्मचारी संघ और अधिकारी संघ के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया था।

आईटीआई लिमिटेड द्वारा एयरो इंडिया शो 2023 के दौरान आयोजित विमानन प्रदर्शनी में प्रतिभागिता

एशिया के सर्वाधिक विशाल एयरो इंडिया शो 2023 का आयोजन रक्षा मंत्रालय के रक्षा प्रदर्शनी संगठन द्वारा दिनांक 13 फरवरी से 17 फरवरी, 2023 के दौरान वायु सेना स्टेशन, येलहंका, बैंगलुरु में 'द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज' थीम के साथ किया गया था। कार्यक्रम के दौरान एक विमानन प्रदर्शनी भी प्रस्तुत की गई थी। आईटीआई लिमिटेड ने प्रदर्शनी में भाग लिया तथा भारत सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत', 'मेक इन इंडिया' एवं 'डिजीटल इंडिया' पहल के अंतर्गत रक्षा एन्क्रिप्टर्स, ओएफसी, एचडीपीई डक्ट, सोलर पैनल, 4जी आरएएन, जीपॉन, ईवीएम, लैपटॉप, स्मैश पीसी और डेटा सेंटर के दूरसंचार उत्पाद पोर्टफोलियो जैसे उत्पादों और सेवाओं के अपने स्पेक्ट्रम की प्रदर्शनी की प्रस्तुति कार्यक्रम के हॉल एच, स्टॉल नंबर एचआर4.4 ए में की।

आईटीआई लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन (यूपीजीआईएस) 2023 में प्रतिभागिता

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 10 फरवरी से 12 फरवरी, 2023 के दौरान लखनऊ, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन (यूपीजीआईएस) 2023 का आयोजन किया गया था। आईटीआई लिमिटेड द्वारा इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज की गई एवं भारत सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत', 'मेक इन इंडिया' एवं 'डिजीटल इंडिया' पहल के अंतर्गत ईवीएम, ओएफसी, एचडीपीई डक्ट, सोलर पैनल, 4जी आरएएन के टेलीकॉम उत्पाद पोर्टफोलियो, जीपॉन, रक्षा एन्क्रिप्टर्स, लैपटॉप, स्मैश पीसी और डेटा सेंटर जैसे उत्पादों और सेवाओं के अपने स्पेक्ट्रम की प्रदर्शनी प्रस्तुत की।

एकल वित्तीय विवरण

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

कॉर्पोरेट जानकारी

भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र इकाई (पीएसयू) - आईटीआई लिमिटेड की स्थापना 1948 में हुई थी। तब से, दूरसंचार के क्षेत्र में एक अग्रणी उद्यम के रूप में, इसने वर्तमान राष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क का 50% योगदान दिया है। नवोन्मेष विनिर्माण सुविधाओं के साथ छह स्थानों और विपणन/सेवा आउटलेट के देशव्यापी नेटवर्क में फैले हुए, कंपनी दूरसंचार उत्पादों की पूरी शृंखला और स्विचिंग, ट्रांसमिशन, एक्सेस और अभिदाता परिसर उपकरण के पूरे विस्तार को कवर करने वाले सकल समाधान प्रदान करती है।

आईटीआई वर्ष 2005-06 में अपने मानकापुर और रायबरेली संयंत्रों में मोबाइल उपकरण निर्माण सुविधाओं के उद्घाटन के साथ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल (जीएसएम) प्रौद्योगिकी के विश्व स्तरीय विक्रेताओं के लीग में शामिल हो गया। इसने देश में स्वदेशी मोबाइल उपकरण उत्पादन के एक नए युग में शुरुआत की। ये दोनों सुविधाएं घरेलू और निर्यात बाजार दोनों के लिए सालाना नौ मिलियन से अधिक लाइनों की आपूर्ति करती हैं।

1) तैयारी का आधार

भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार जैसा कि यहां बताया गया है, उन्हें छोड़कर, वित्तीय विवरणों को, लेखांकन के संचय आधार पर, तैयार किए जाते हैं और प्रस्तुत किए जाते हैं। जीएएपी में अनिवार्य भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान शामिल हैं, जिन्हें लगातार लागू किया गया है, सिवाय इसके कि एक नया लेखा मानक प्रारंभ में अपनाया गया है या मौजूदा लेखा मानक में संशोधन के लिए अब तक लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता है।

मापन का आधार :

निम्नलिखित संपत्तियों और देनदारियों, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है, को छोड़कर वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है :

क. व्युत्पन्न वित्तीय साधन, यदि कोई हो

ख. वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा गया है

ग. परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य पर परिभाषित लाभ संपत्ति/(देयता) योजना संपत्तियों के कम उचित मूल्य मान्यता प्राप्त है।

2) अनुमानों का उपयोग

भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तारीख को प्रकट संपत्तियों, देनदारियों, राजस्व, व्यय और आकस्मिक देनदारियों की प्रकटीकरण की रिपोर्ट की गई राशि तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय पर रिपोर्ट की गई राशि में प्रबंधन को प्राक्कलनों और अनुमानों पर विचार करने की अपेक्षा होती है। हालांकि इस प्रकार के अनुमान सभी उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए एक उचित और विवेकी आधार पर किए जाते हैं, वास्तविक परिणाम अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और इस तरह के अंतर उस अवधि में मान्यता प्राप्त हैं जिसमें परिणाम निर्धारित किए जाते हैं।

3) कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किया जाता है, जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा है और प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा है जिसमें इकाई संचालित होती है। भारतीय रुपए में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी शेयर और प्रति शेयर डेटा को छोड़कर निकटतम लाखों में पूर्णांक की गई है।

4) राजस्व मान्यता

कंपनी ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंधों के प्रति प्राप्त राजस्व की स्वीकृति तब करती है जब ग्राहक को प्रतिबद्ध माल अथवा सेवा के अंतरण का दायित्व पूरा हो जाता है। राजस्व की स्वीकृति निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के अनुसार निर्धारित संव्यवहार मूल्य पर की जाती है। परिसम्पत्ति (माल अथवा सेवा) का अंतरण ग्राहक को किए जाने के समय निष्पादन दायित्व पूर्ण होते हैं तथा अन्य मामलों में निष्पादन दायित्व किसी समय बिन्दु पर पूर्ण होते हैं। समय के साथ पूर्ण होने वाले निष्पादन दायित्व के प्रति राजस्व स्वीकृति निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की प्रगति का मापन करके की जाती है। प्रगति का मापन व्यय की गई वास्तविक लागत के अनुपात के अनुसार निष्पादन दायित्व से सम्बद्ध अनुमानित लागत पर किया जाता है।

क. माल की बिक्री

माल की बिक्री से राजस्व को प्राप्त या प्राप्त करने योग्य, रिटर्न के शुद्ध, व्यापार छूट और वॉल्यूम छूट के उचित मूल्य पर विचार करते हुए मापा जाता है। जब महत्वपूर्ण जोखिम और स्वामित्व के पुरस्कार को बिक्री समझौते की शर्तों के अनुसार ग्राहक को स्थानांतरित कर दिया गया है, न ही निरंतर प्रबंधन भागीदारी और माल पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखा जाता है, विभार की वसूली संभव है, और लागत की लागत और राजस्व विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, तब राजस्व को मान्यता दी जाती है। जोखिम समझौते के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक शर्तों के आधार पर जोखिम और पुरस्कारों के हस्तांतरण का समय मूल्यांकन किया जाता है।

ख. पूर्व-संकर्म अनुबंध

जब आवश्यक माल पूर्व निरीक्षण और स्वीकृति के बाद अनुबंध के लिए बिना शर्त रूप से विनियमित होते हैं, यदि आवश्यक हो।

ग. एफ़ओआर अनुबंध

एफ़ओआर अनुबंध के मामले में, जब बिक्री पूर्व निर्धारित और स्वीकृति के बाद खरीददार को अंतरण के लिए वाहक को माल सौंप दिया जाता है और एफ़ओआर गंतव्य स्थान के अनुबंध के मामले में, यदि लेखांकन अवधि के अंदर गंतव्य तक पहुंचने वाले माल की उचित अपेक्षा होने पर बिक्री की मान्यता दी जाती है।

घ. बिल और होल्ड बिक्री

बिल-और-होल्ड लेनदेन के लिए, जब ग्राहक शीर्षक लेता है तो राजस्व पहचाना जाता है, बशर्ते कि :

i. यह संभव है कि वितरण किया जाएगा;

ii. जब बिक्री की मान्यता दी जाती है, तब खरीददार को मद को तैयार कर, पहचानकर और सुपुर्दगी की जाती है;

iii. खरीददार विशेष रूप से आस्थगित सुपुर्दगी निर्देशों को स्वीकार करता है; सामान्य भुगतान शर्तें लागू होती हैं।

ङ. **सेवाएं एवं निर्माण अनुबंध**

समय-एवं-सामग्री तथा यूनिट के कार्य आधारित अनुबंधों पर राजस्व की स्वीकृति सम्बद्ध सेवाओं का निष्पादन होने पर की जाती है। नियत मूल्य अनुरक्षण राजस्व की स्वीकृति आनुपातिक रूप से या तो सीधी रेखा आधार पर दर निर्धारण के लिए तब की जाती है जब सेवाओं का निष्पादन अनिश्चित संख्या की किन्हीं पुनरावृति क्रियाओं से किसी निर्दिष्ट अवधि में पूरा कर लिया गया हो अथवा आनुपातिक रूप में कार्य पूर्णता के प्रतिशत की विधि से तब की जाती है जब ग्राहक को प्रदान की गई सेवाओं के लाभों का पैटर्न तथा अनुबंध की अवधि पर कंपनी की लागतें अनुबंध के लिए पर्याप्त नहीं होती हैं क्योंकि सेवाओं का स्वरूप सामान्यतः भिन्न प्रकार का होता है तथा यह पुनरावृतीय नहीं होता है। निष्पादन दायित्व की पूर्ति समय के साथ साथ किए जाने वाले अन्य नियत मूल्य, नियत काल के अनुबंधों की राजस्व स्वीकृति, कार्य की पूर्णता के प्रतिशत की विधि से, की जाती है। इनपुट एवं उत्पादकता में प्रत्यक्ष सम्बद्धता होने के विचार से विस्तारित प्रयासों अथवा लागतों का उपयोग कार्य की पूर्ति की प्रगति के निर्धारण के लिए किया जाता है। कार्य की पूर्णता की प्रगति का मापन अनुमानित लागतों अथवा प्रयासों के संबंध में (निष्पादित कार्य के अनुसार) अब तक व्यय की गई लागतों अथवा के अनुपात के अनुसार किया जाता है। संव्यवहार मूल्य के अनुमानों तथा कुल लागतों अथवा प्रयासों की अनुबंध की अवधि के दौरान अनवरत निगरानी की जाती है तथा इनकी स्वीकृति अवधि के दौरान तब की जाती है जब इनके अनुमान परिवर्तित होते हैं अथवा अनुमान संशोधित होते हैं। राजस्व तथा अनुमानित कुल लागतों अथवा प्रयास अनुबंध की प्रगति के अनुसार संशोधित किए जाने की शर्त पर होते हैं। जब यह संभाव्य होता है कुल राजस्व के प्रति कार्य की पूर्ति के लिए अनुबंध लागतों में वृद्धि होगी तो कार्य पूर्णता की संभावित हानि को तत्काल व्यय के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

कुछ अनुबंधों में विभिन्न निष्पादन दायित्व शामिल होते हैं जैसे कि सिस्टम्स, उपकरण इत्यादि की आपूर्ति इत्यादि तथा अनुरक्षण सेवाएं। अनुरक्षण सेवाओं के संबंध में महत्व को संज्ञान में लिया जाता है तथा उसका लेखांकन एक पृथक निष्पादन दायित्व के रूप मे किया जाता है। जहां अनुबंधों में विभिन्न निष्पादन दायित्व होते हैं वहां संव्यवहार मूल्य को स्टैंडएलोन विक्रय मूल्यों के आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए निर्धारण किए जाते हैं। जहां इनकी प्रत्यक्ष संबद्धता प्रत्यक्ष रूप में स्पष्ट नहीं होती है तो संभावित लागत जमा मार्जिन के आधार पर उनके अनुमान लगाए जाते हैं।

अन्य नियत मूल्य अनुबंधों के लिए राजस्व की स्वीकृति संव्यवहार के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि को कार्य पूर्णता के चरण के अनुपात में की जाती है। कार्य पूर्णता के चरण का मूल्यांकन कार्य निष्पादन के संदर्भ में होता है। यदि किसी प्राप्य प्रतिफल की वसूली के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता होती है अथवा यदि व्यय की गई अथवा व्यय की जाने वाली लागतों का मापन विश्वसनीयता के साथ नहीं किया जा सकता है तो राजस्व की स्वीकृति नहीं की जाती है।

च. **ब्याज आय**

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग कर मान्यता दी जाती है।

छ. **लाभांश**

जब लाभांश प्राप्त करने हेतु कंपनी का अधिकार स्थापित किया जाता है तो लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।

ज. **किराए से आय**

जब तक किराये में वृद्धि अपेक्षित मुद्रास्फीति या अन्यथा उचित (उचित मूल्य) के अनुरूप नहीं होती है, परिचालनीय पट्टे से उत्पन्न होने वाली किराये के आय लीज अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर होते हैं।

झ. **शुल्क वापसी**

दावों को प्रमुखता देने के संबंध में निर्यात पर शुल्क वापसी का दावा किया जाता है।

ट. **अन्य आय**

अन्य आय जिसे विशेष रूप से ऊपर वर्णित नहीं है, को अर्जन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

5) **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, प्रगतिशील पूंजी कार्य**

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को ऐतिहासिक लागत पर संचित अवमूल्यन और क्षति नुकसान, यदि कोई हो, के घाटे पर दर्शाये गए हैं। लागत में खरीद मूल्य और पीपीई को अपने अभिप्रेत उपयोग के लिए कामकाजी स्थिति में लाने की कोई भी जिम्मेदार लागत शामिल है। पीपीई के अधिग्रहण से संबंधित उधार और अन्य जिम्मेदार लागत, जो इसके अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय लेती है, को भी इस अवधि तक संबंधित सीमा तक भी शामिल किया गया है जब तक कि इस तरह के पीपीई उपयोग करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। या तो निपटान पर या इस तरह के उपयोग से सेवानिवृत्त होने पर वित्तीय विवरणों से पीपीई को हटा दिया जाता है। जब संयंत्र और उपकरण के महत्वपूर्ण पुर्जों को अंतराल पर प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें अलग घटक के रूप में मान्यता दी जाती है।

उपहार के रूप में या मुफ्त में प्राप्त संपत्तियों को उचित मूल्य पर दर्शाई जाती हैं, जिसे अधिग्रहण या प्राप्ति के समय कम संचित मूल्यह्रास और क्षति नुकसान के घाटे पर अन्य इक्विटी में जमा किया जाता है।

प्रगतिशील पूंजी कार्य

तुलनपत्र की तिथि पर संस्थापन या निर्माणाधीन संपत्तियों को प्रगतिशील पूंजी कार्य के रूप में दर्शाई जाती है।

निर्माण अवधि से संबंधित आय, जैसे ठेकेदारों से प्राप्त अग्रिम से ब्याज, निविदा दस्तावेजों की बिक्री इत्यादि, को निर्माण के दौरान व्यय के विरुद्ध समाप्त किया जाता है।

पट्टेधारित भूमि के विकास पर व्यय को भूमि विकास व्यय के रूप में पूंजीकृत किया गया है और पट्टे की अवधि या उपयोगी, जीवनकाल जो भी कम है, पर अमूर्त किया गया है।

6) **अमूर्त संपत्तियां, विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां**

क. आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहित सॉफ़्टवेयर (जो संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है) की लागत और इसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण भविष्य के आर्थिक लाभ को, उपयोग के लिए तैयार हो जाने पर अमूर्त संपत्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। अमूर्त संपत्ति, जो तुलनपत्र की तिथि पर उनके अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार नहीं है, को विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

ख. जहां भी योग्य हो, विकासशील कार्य की लागत को उनके पूरा होने पर अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है।

ग. जहां भी योग्य हो, प्रगति के तहत विकास कार्यों की लागत को विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

घ. ले जाने वाली राशि में विकास परियोजना (ओं) की ओर बाहरी एजेंसियों को कंपनी द्वारा वित्त पोषित राशि और कंपनी द्वारा भौतिक लागत, कर्मचारी लागत और अन्य प्रत्यक्ष व्यय की ओर किए गए व्यय शामिल है।

7) **अनुसंधान और विकास व्ययः**

अनुसंधान व्यय लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। उत्पादों की विकास लागत को लाभ और हानि विवरण पर भी दर्शाया जाता है जब तक कि उत्पाद की तकनीकी व्यवहार्यता स्थापित नहीं की जाती है, इस मामले में इस तरह के व्यय को पूंजीकृत किया जाता है। अनुसंधान और विकास में उपयोग की जाने वाली मूर्त संपत्तियां पूंजीकृत हैं।

अन्य विकास गतिविधि की ओर किए गए व्यय, जहां नए या बेहतर उत्पादों या प्रक्रियाओं के विकास के लिए शोध परिणाम या अन्य ज्ञान लागू किया गया है, और यदि भारतीय लेखा मानक 38 में निर्दिष्ट मान्यता मानदंडों को पूरा किया जाता है, को अमूर्त संपत्ति के रूप में पहचाना जाता है और जब विकसित उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रयोग करने योग्य है, कंपनी के पास विकास को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं और बाद में अमूर्त संपत्ति का उपयोग या बिक्री की जाती है, और उत्पाद या प्रक्रिया भविष्य के आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की संभावना है।

8) **गैर-वित्तीय संपत्तियों का नुकसान**

प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि के अंत में, अगर आंतरिक/बाहरी कारकों के आधार पर हानि का कोई संकेत होने हेतु संपत्तियों की ले जानेवाली राशि की समीक्षा की जाती है। यदि अनुमानित वसूली योग्य राशि ले जाने वाली राशि से कम पाई जाती है, तो क्षति नुकसान की मान्यता दी जाती है और संपत्तियां वसूली योग्य राशि पर लिखी जाती हैं।

9) **मूल्यह्रास/परिशोधन**

संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर मूल्यह्रास की गणना सीधी रेखा के आधार पर की जाती है।

वर्ष के दौरान निश्चित परिसंपत्तियों को जोड़ और हटाने पर मूल्यह्रास को यथानुपात आधार पर निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

क. महीने के 15वें दिन या उससे पहले की गई संपत्तियों के अतिरिक्त महीने के लिए मूल्यह्रास पूरी तरह से माना जाता है जबकि महीने के 15वें दिन के बाद कमीशन की गई परिसंपत्तियों के अतिरिक्त महीने के लिए कोई मूल्यह्रास माना नहीं जाता है।

ख. महीने के 15वें दिन या उससे पहले बेचे गए, अयोग्य, क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्तियों के संबंध में, हटाने के महीने के लिए कोई मूल्यह्रास माना नहीं जाता है, जबकि महीने के 15वें दिन के बाद बेचे गए, अयोग्य, क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्तियों के लिए हटाने के महीने के लिए पूर्ण रूप में तरह से माना जाता है।

ग. परिसंपत्ति के एक हिस्से की लागत संपत्ति की कुल लागत के लिए महत्वपूर्ण है और उस हिस्से का उपयोगी जीवन शेष संपत्ति के उपयोगी जीवन से अलग है, तो उस महत्वपूर्ण भाग के उपयोगी जीवन को अलग-अलग निर्धारित किया जाता है और इसके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा विधि पर ह्रास की जाती है।

घ. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मूल्यह्रास के तरीकों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो, तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

परिशोधन

अमूर्त संपत्तियों को उनके संबंधित व्यक्तिगत अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर, उस तारीख, जब वे उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, से अलग किए जाते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधन विधियों और उपयोगी जीवन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

अवमूल्यन संपत्तियों के मामले में जो संशोधित किए गए हैं, पुनर्मूल्यांकित राशि पर सीधी रेखा विधि पर मूल्यह्रास की गणना की जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन के कारण बढ़ती अवमूल्यन सामान्य रिजर्व को क्रेडिट के रूप में कम किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का निपटान

शुरुआत में मान्यता दी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु और किसी भी महत्वपूर्ण भाग को उनके निपटान पर या इसके उपयोग या निपटान से भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है, तो उनके निपटान पर विमान्यता की जाती है।

परिसंपत्ति की विमान्यता पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि (निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की ले जाने वाली राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) को परिसंपत्ति को विमान्यता किए जाने पर लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

विवरण		(वर्ष)
क.	(क) भवन (कारखाने की इमारतों के अलावा)	60
	(ख) कारखाने की इमारत	30
	(ग) पूरी तरह से अस्थायी निर्माण	3
	(घ) प्लिंथ क्षेत्र में प्रत्येक इकाई के लिए आवास निर्माण 80 वर्गमीटर से अधिक नहीं है।	30
ख.	फर्नीचर और फिटिंग	10
ग.	संयंत्र और मशीनरी	
	(क) सामान्य दर (डबल शिफ्ट आधार पर)	15
	(ख) विशिष्ट दर : सर्वर और नेटवर्क	6
	(ग) कंप्यूटर सहित डेटा प्रोसेसिंग मशीन	3
घ.	सड़क और कार्पेड वाल	10
ङ	कार्यालय मशीनरी और उपकरण	5
च.	वाहन	8
छ.	5,000/- रुपये से कम की लागत वाली परिसंपत्तियाँ 100 प्रतिशत की कमी	
	हालांकि, 50,000/- रुपये और उससे अधिक की मूल लागत वाले परिसंपत्तियों के संबंध में, पुस्तकों में 5/- रुपये की अवशिष्ट शेष राशि बरकरार रखी गई है।	

10) **पट्टे**

प्रारम्भिक तिथि पर ही किसी पट्टे को वित्तीय या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

पट्टेदार के रूप में कंपनी

वित्तीय पट्टे को उचित मूल्य के नीचे पूंजीकृत किया जाता है और पट्टे के शुरू होने पर न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य होता है। वित्त प्रभार को लाभ और हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है। एक पट्टे वाली संपत्ति को संपत्ति या लीज अवधि के उपयोगी जीवन, जो भी कम हो, पर मूल्यह्रास किया जाता है।

पट्टा प्रारंभ की तिथि को कंपनी द्वारा उपयोग अधिकार परिसम्पति (आरओयू) तथा 12 माह अथवा कम (अल्प-कालिक पट्टे) अवधि के पट्टे एवं न्यून मूल्य पट्टे के अलावा पट्टा युक्त सभी पट्टा व्यवस्थाओं, जिनमें कंपनी पट्टेदार है, के लिए अनुवर्ती पट्टा दायित्व की स्वीकृति दी जाती है। इन अल्प कालिक एवं न्यून मूल्य की परिसम्पतियों के लिए कंपनी पट्टा भुगतानों की स्वीकृति, पट्टे के काल के लिए सीधी रेखा आधार पर, परिचालन व्यय के रूप में करती है। पट्टा देयता का प्रारंभिक मापन भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य की परिशोधन लागत पर किया जाता है। पट्टे की अंतर्निहित ब्याज की दर के उपयोग से अथवा यदि इनका निर्धारण तत्काल नहीं हो पाता है तो इन पट्टों के क्षेत्र की आवृत्ति ऋण दरों के उपयोग से पट्टा भुगतान बट्टा किए जाते हैं।

यदि कंपनी इनके विस्तार अथवा समापन विकल्प का उपयोग करने अथवा न करने के मूल्यांकन के प्रति बदलाव करती है तो पट्टा दायित्वों का पुनःमापन उपयोग अधिकार की परिसम्पति से सम्बद्ध अनुवर्ती समायोजन करके किया जाता है ।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है जिसमें पट्टा दायित्व की प्रारंभिक राशि का समायोजन पट्टे के प्रारंभ होने के समय अथवा पूर्व चुकता किए गए किन्हीं पट्टा भुगतानों जमा किसी प्रकार के पट्टा प्रोत्साहनों को घटाकर व्यय की गई प्रत्यक्ष लागतों को घटाकर किया जाता है। संचित मूल्यह्रास तथा अक्षमता क्षतियों को घटाकर लागत पर इनके अनुवर्ती मापन किए जाते हैं। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का मूल्यह्रास प्रारंभ तिथि से पट्टे के शेष काल तथा अंतर्निहित उपयोज्यता काल के लिए सीधी रेखा आधार पर किया जाता है। प्रतिलब्धता के लिए उपयोग अधिकार की परिसम्पतियों का मूल्यांकन तब किया जाता है जब परिस्थितियों अथवा परिवर्तनों के परिणामस्वरूप ऐसे संकेत प्रतीत हों कि उनकी वहन राशियों की वसूली नहीं की जा सकेगी।

पट्टादाता के रूप में कंपनी

ऑपरेटिंग लीज आय को सीधी रेखा के आधार पर लीज अवधि पर मान्यता प्राप्त होती है, सिवाय इसके कि जब वृद्धि सामान्य मुद्रास्फीति या अन्यथा उचित हो। आकस्मिक किराए, अगर कोई है, तो उसे अर्जित अवधि में राजस्व के रूप में पहचाने जाते हैं।

11) उधार लागत

उधार लागत सीधे उस संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार है जो आवश्यक उद्देश्य या बिक्री के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय लेती है, संपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत होती है।

सामान्य उधार लागत को पूंजीकरण दर लागू करके परिसंपत्तियों को अर्हता प्राप्त करने के लिए पूंजीकृत किया जाता है, जो उस उधार के लिए विशिष्ट उधार के अलावा बकाया सामान्य उधार के लिए उधार लेने वाली लागतों का भारित औसत होता है। अन्य सभी उधार लेने की लागत उस अवधि में व्यय होती है जिसमें वे संभावित हैं। उधार लागत में ब्याज और अन्य लागतें शामिल होती हैं जो एक इकाई निधि के उधार के संबंध में होती है, साथ ही साथ उधार लागत में समायोजन के रूप में माना जाता है।

12) सरकारी अनुदान

सरकार से प्राप्त अनुदान को उचित मूल्य पर मापा जाता है और शुरुआत में आस्थगित आय के रूप में पहचाना जाता है।

स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण आस्थगित आय के तहत पड़ी राशि को संबंधित परिसंपत्तियों पर लगाए गए मूल्यह्रास के अनुपात में अधिग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले सरकारी अनुदान के लिए जिम्मेदार सीमा तक लाभ और हानि विवरण के क्रेडिट में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

राजस्व व्यय के कारण आस्थगित आय के तहत निलंबित राशि को वित्त पोषण के अनुपात में किए गए व्यय की सीमा तक लाभ और हानि विवरण में हस्तांतरित किया जाता है, जो स्वीकृत अनुदान तक ही सीमित स्वीकृत लागत तक सीमित होता है।

13) संयुक्त उद्यम और एसोशिएट में निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों में संयुक्त उद्यम और एसोशिएट में कंपनी की भागीदारी को लागत पर दर्शाया गया है, बल्कि समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी विधि के तहत दर्शाया गया है।

14) मालसूचियाँ

विनिर्माण/उत्पादन गतिविधियों के लिए अप्रचलन के बाद, यदि कोई हो, खरीदी गई कच्ची सामग्रियों, घटकों और भंडार को कम लागत और निवल प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। वर्ष के अंत में भारित औसत दर पर लागत की गणना की जाती है। जहां भी वही सामान खरीदे जाते हैं, विनिर्माण लागत आमतौर पर अपनाई जाती है।

उप साधन और फैब्रिकेटर के साथ कच्चे माल और उत्पादन भंडार को उनके जारी किए जाने पर कम कीमत पर मूल्यांकित किए जाते हैं और अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, निवल निष्पाद्य मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

स्टॉक और स्टॉक-इन-ट्रेड में निर्मित मदों को, अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, ब्याज शुल्क, प्रशासन ओवरहेड्स और बिक्री ओवरहेड्स और निवल प्राप्य मूल्य पर छोड़कर कम लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

मूल्यवान धातु स्क्रैप को वर्ष के अंत में शुद्ध वास्तविक मूल्य पर बही खाते में लाया जाता है।

15) चालू कार्य

क. प्रक्रियाशील कार्य (उत्पादन) के मूल्य को, अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, ब्याज शुल्क, प्रशासन और बिक्री ओवरहेड्स को छोड़कर और निवल अचल मूल्य पर भौतिक रूप से सत्यापित मात्रा के आधार पर मूल्यांकित है ।

ख. प्रक्रियाशील कार्य (संस्थापन) के मूल्य को, अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, कार्य आदेशों और निवल प्राप्य मूल्य में दर्ज की गई लागत के कम मूल्य पर मूल्यांकित है।

16) औज़ार और गेज

विशेष उद्देश्य के औजारों और जुडनारों पर व्यय शुरू में लागत पर पूंजीकृत है और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, व्यवस्थित आधार पर उत्पादन पर परिशोधित हैं।

फुटकर औजारों को जारी करते समय राजस्व पर प्रभारित किए जाते हैं।

17) वित्तीय संपत्तियां (प्राप्य व्यापार और अन्य प्राप्य)

प्राप्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर पहचानी जाती हैं, जो ज्यादातर मामलों में मामूली मूल्य का अनुमान लगाती है। यदि संपत्ति को बाद में क्षति पहुँचने की कोई संकेत है, तो क्षति के लिए भी समीक्षा की जाती है।

18) त्रुटिय और अनुमान

यदि भारतीय लेखा मानकों में बदलाव के कारण परिवर्तन की आवश्यकता है या यदि परिवर्तन वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को अधिक प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है, तो कंपनी अपनी लेखांकन नीतियों को संशोधित करती है।

लेखांकन अनुमान में बदलाव के परिणामस्वरूप मान्यता प्राप्त संपत्तियों या देनदारियों या लाभ या हानि विवरण के लिए परिवर्तन की अवधि में परिवर्तनों की संभावना है।

त्रुटियों की खोज और परिणामों की तुलनात्मक रूप से पुनरीक्षण में परिणामों को पुनः निरीक्षण में परिणाम, देनदारियों और इक्विटी की पहली पूर्व अवधि की इक्विटी की तुलना में त्रुटि की खोज की जाती है। प्रस्तुत की गई पूर्व अवधि के प्रारम्भिक शेष भी पुनः घषित किए जाते हैं। 5

19) आय कर

आयकर में वर्तमान और आस्थगित आयकर शामिल हैं।

वर्तमान आयकर

कराधान प्राधिकारियों को देय या वसूल योग्य राशि को भुगतान की जाने वाली राशि पर मापा जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर की दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित होते हैं। इक्विटी में सीधे

मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित वर्तमान कर इक्विटी में मान्यता प्राप्त है और लाभ और हानि के विवरण में नहीं।

आस्थगित कर

संपत्ति और देनदारियों के कर आधार और रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए उनकी ले जाने वाली रकम के बीच अस्थायी अंतर पर तुलनपत्र विधि का उपयोग करके आस्थगित कर प्रावधान किया जाता है।

आस्थगित कर संपत्ति सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतर के लिए पहचानी जाती है, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और किसी भी अप्रयुक्त कर घाटे को आगे बढ़ाते हैं, इस हद तक कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक कम हो जाती है कि अब यह संभव नहीं है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या हिस्से को उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

20) वारंटी दायित्व

ग्राहकों को बेचे गए उपकरणों के संबंध में संविदात्मक दायित्व के लिए वारंटी दायित्व वार्षिक तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर माना जाता है।

21) विदेशी मुद्राएं

विदेशी मुद्राओं में लेन-देन को प्रारम्भ में कंपनी द्वारा अपनी संबंधित मुद्रा विनिमय दर पर लेनदेन की तारीख को पहली बार मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त होने पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक संपत्तियों और देनदारियों का अनुवाद रिपोर्टिंग तिथि पर कार्यात्मक मुद्रा विनिमय दर पर किया जाता है।

निपटारे या मौद्रिक वस्तुओं के अंतरण पर उत्पन्न अंतर लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त हैं।

गैर-मौद्रिक वस्तुओं को विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापा जाता है, प्रारंभिक लेनदेन की तारीखों पर कार्यात्मक मुद्रा विनिमय दर का उपयोग करके अंतरित किया जाता है।

22) कर्मचारी हितलाभ

क. अल्पावधि कर्मचारी लाभ को वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में गैर-छूट प्राप्त राशि पर एक व्यय के रूप में पहचाने जाते हैं जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है।

ख. रोज़गार के उपरांत के लाभ जैसे उपदान और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ जैसे विशेषाधिकार छुट्टी, बीमार छुट्टी और एलएलटीसी को वर्ष के लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष में कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं। व्यय आकलन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित देय राशि के वर्तमान मूल्य पर मान्यता प्राप्त है।

ग. बीमांकिक लाभ और हानि तथा योजना संपत्तियों (ब्याज को छोड़कर) का विवरण और परिसंपत्ति की अधिकतम सीमा का प्रभाव (यदि कोई हो, ब्याज को छोड़कर) को अन्य व्यापक आय (ओआईसी) में तुरंत मान्यता दी जाती है। निवल परिभाषित देयता (परिसंपत्तियों) पर निवल ब्याज व्यय (आय) की गणना निवल दर देकर (परिसंपत्ति) को वर्ष के दौरान योगदान और लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप किसी भी बदलाव को ध्यान में रखते हुए निवल परिभाषित देयता (परिसंपत्ति) को मापने के बाद वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, गणना दर लागू करने के द्वारा की जाती है। निवल ब्याज व्यय और परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्च लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त हैं।

घ. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) से संबंधित व्यय को घटनाओं के संबंधित वर्ष में लिखा गया है।

ङ. कंपनी के पात्र कर्मचारियों को परिभाषित अंशदायी योजना के अंतर्गत भविष्य निधि के लाभ प्रदान किए जाते हैं । पात्र कर्मचारी तथा कंपनी, दोनों, भविष्य निधि योजना में संबंधित कर्मचारी के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के अनुसार मासिक अंशदान करती हैं। कंपनी यह अंशदान आईटीआई कर्मचारी भविष्य निधि न्यास को सौंपती है। विनियमों के अनुसार सरकार द्वारा शासित पेंशन निधि में अंशदान का भाग जमा करवाने के पश्चात न्यास शेष निधियों का निवेश संबंधित विनियमों के अंतर्गत अनुमत्त विशिष्ट निर्दिष्ट उपकरणों में करता है। न्यास द्वारा लाभग्राहियों को चुकता किए जाने वाले वार्षिक ब्याज की दर का निर्धारण सरकार करती है।

23) प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब पिछले कार्यक्रम के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, यह संभव है कि आर्थिक लाभों को जोड़नेवाले संसाधनों का बहिर्वाह दायित्व को सुलझाने के लिए आवश्यक होगा और एक विश्वसनीय अनुमान दायित्व की राशि से किया जा सकता है। जब कंपनी को कुछ या सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की उम्मीद है, उदाहरणार्थ, एक बीमा अनुबंध के तहत, प्रतिपूर्ति एक अलग संपत्ति के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन केवल प्रतिपूर्ति लगभग निश्चित हो। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय किसी भी निवल प्रतिपूर्ति के लाभ और हानि विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

यदि पैसे के समय मूल्य का प्रभाव महत्त्वपूर्ण है, प्रावधानों को वर्तमान पूर्व कर दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो दर्शाती है, जब उचित हो, देयता के लिए विशिष्ट जोखिम होता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में पहचाना जाता है।

आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आकस्मिक देनदारियां जब तक कि आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ और आकस्मिक संपत्तियां जहां आर्थिक लाभ की आमद संभावित है, नोटों में प्रकट की जाती हैं।

भारयुक्त अनुबंध

जब संविदा से कंपनी द्वारा प्राप्त होनेवाले अपेक्षित लाभ संविदा के तहत अपने दायित्वों को पुरा करने की अपरिहार्य लागत से कम होते हैं तब निर्माण अनुबंधों के अलावा अन्य कई अनुबंधों के लिए प्रावधान किया जाता है।

प्रावधान को अनुबंध समाप्त होने की उम्मीद की निवल लागत के नीचे के वर्तमान मूल्य और अनुबंध के साथ जारी रखने की उम्मीद की निवल लागत से मापा जाता है।

प्रावधान स्थापित होने से पहले, कंपनी उस अनुबंध से जुड़ी संपत्तियों पर किसी भी क्षति नुकसान को पहचानती है।

24) उचित मूल्य मापन

कंपनी प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर उचित मूल्य पर अपने वित्तीय विवरणों में डेरिवेटिव्स और अन्य वस्तुओं जैसे कुछ वित्तीय उपकरणों को मापती है।

सभी संपत्तियों और देनदारियों के लिए जो उचित मूल्यों को वित्तीय विवरणों में मापा या खुलासा किया गया है, वे उचित मूल्य माप के आधार पर उचित मूल्य पदानुक्रम के अधीन वर्गीकृत होते हैं जो कि उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है :

स्तर 1 - समान संपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)

स्तर 2 - उद्धृत कीमतों के अलावा इनपुट्स जिसे स्तर 1 के अधीन शामिल किया गया है, जो संपत्ति या देयता के लिए, या तो सीधे (यानी कीमतों के रूप में) या परोक्ष रूप से (यानी कीमतों से व्युत्पन्न) विचारणीय हैं।

स्तर 3 - संपत्तियों या देनदारियों के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अप्रचलित इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के प्रयोजनों के लिए, कंपनी ने संपत्ति या देयता के प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों और उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्ग निर्धारित किए हैं।

25) निवेश सम्पत्ति

निवेश संपत्तियों को शुरुआत में लागत पर मापा जाता है, जिसमें लेनदेन लागत भी शामिल है। प्रारंभिक मान्यता के अनुक्रम में, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति नुकसान, यदि कोई हो, पर उल्लेख किया जाता है।

26) वित्तीय साधन

क. प्रारंभिक मान्यता और मापन

सभी वित्तीय संपत्तियों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया गया है, वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार लेनदेन लागत संपत्ति की लागत में शामिल है।

ख. अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय संपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है :

i. अमूर्त लागत पर ऋण साधन,

ii. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफवीटीओसीआई),

iii. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन, डेरिवेटिव और इक्विटी साधन (एफवीटीपीएल),

iv. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा इक्विटी साधन सहयोगियों में निवेश के अलावा जो लागत पर किया जाता है (एफवीटीओसीआई)।

विमान्यता

वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्ति के हिस्से को तब मान्यता दी जाती है जब परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

एम्बेडेड डेरिवेटिव

एम्बेडेड डेरिवेटिव, यदि आवश्यक हो, होस्ट अनुबंध से अलग किया गया है और उचित मूल्य पर मापा जाता है।

27) आगे अनुबंध

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों को संभालने के लिए आगे मुद्रा अनुबंध जैसे डेरिवेटिव वित्तीय उपकरणों का उपयोग करती है। इस तरह के डेरिवेटिव वित्तीय साधनों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है जिस पर एक डेरिवेटिव अनुबंध दर्ज किया जाता है और बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। जब उचित मूल्य सकारात्मक होता है तब डेरिवेटिव वित्तीय संपत्ति के रूप में ले जाते हैं और उचित देनदार होने पर वित्तीय देनदारियों के रूप में ले जाते हैं।

28) नकद और नकद समतुल्य

नकद में मौजूदा नकद और मांग जमा शामिल है। नकद समतुल्य तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक अत्यावधिक तरल निवेशह है, जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय है एवं मूल्य में परिवर्तन के तुच्छ जोखिम के अधीन है।

तुलनपत्र पर मौजूदा देनदारियों में उधार के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट, यदि कोई हो, को दिखाया गया है।

29) वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी माप के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है और क्रेडिट जोखिम के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि की पहचान करती है।

क. सरकार/सरकारी विभागों/सरकारी कंपनियों से कालवर्जित देय को आम तौर पर ऐसी वित्तीय संपत्ति के क्रेडिट जोखिम में वृद्धि के रूप में नहीं माना जाता है।

ख. जहां कानूनी कार्यवाही में बकाया राशि विवादित होती है, अगर कंपनी के विरुद्ध कोई निर्णय दिया जाता है तो भी प्रावधान किया जाता है, भले ही इसे उच्च प्राधिकारियों/अदालतों को अपील पर लिया जाता है।

ग. मामला-दर-मामले के आधार पर विशिष्ट समयावधि के लिए बकाया देय के मामले में।

अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त ईसीएल क्षति नुकसान भत्ता (या उलटा) को लाभ और हानि विवरण में व्यय/(आय) के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह राशि लाभ और हानि विवरण में क्षति लाभ में या हानि के रूप में प्रतिबिंबित करती है।

30) वित्तीय देयताएँ

क. प्रारम्भिक मान्यता और मापन

वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक रूप से उपयुक्त, ऋण, उधार, देनदार या डेरिवेटिव के रूप में लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है।

ऋण, उधार और देय, लेनदेन लागत का निवल कहा जाता है जो सीधे जिम्मेदार होते हैं ।

ख. बाद के मापन

वित्तीय देनदारियों का मापन उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

i. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियां।

ii. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। इस संवर्ग में कंपनी द्वारा प्रवेश किए गए डेरिवेटिव वित्तीय साधन भी शामिल हैं, जो भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज रिश्तों में हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित नहीं हैं। पृथक एम्बेडेड डेरिवेटिव को व्यापार के लिए भी वर्गीकृत किया जाता है जब तक उन्हें प्रभावी हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए धारित देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है।

ग. **ऋण और उधार**

प्रारंभिक मान्यता के बाद, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करके ब्याज-रहित ऋण और उधार को बाद में लागत में मापा जाता है। जब देनदारियों को ईआईआर अमूर्तकरण प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता प्राप्त होती है लाभ और हानि को लाभ या हानि के रूप में में पहचानी जाती है।

वित्तीय देनदारी के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त होने पर वित्तीय देयता की विमान्यता की जाती है।

घ. **व्यापार और अन्य देनदारियाँ**

चाहे आपूर्तिकर्ता द्वारा बिल किया गया हो या नहीं, देयताओं को भविष्य में प्राप्त की जानेवाली माल और सेवाओं के लिए भुगतान की जानेवाली राशि के रूप में मान्यता दी जाती है।

31) वित्तीय उपकरण का पुनःवर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों के वर्गीकरण को निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों, जो इक्विटी उपकरण और वित्तीय देनदारियां हैं, के लिए कोई पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण साधन हैं, पुनःवर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन संपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यावसायिक मॉडल में कोई बदलाव हो। अगर कंपनी वित्तीय संपत्तियों को पुनः वर्गीकृत करती है, तो यह भावी रूप से पुनः वर्गीकरण लागू करती है।

32) वित्तीय उपकरणों की ऑफसेटिंग

यदि मान्यता प्राप्त राशि को ऑफ सेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकारी है और निवल आधार निपटाने का इरादा है, तो वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ऑफ सेट किया जाता है और परिसंपत्तियों का एहसास करने तथा देनदारियों को एक साथ व्यवस्थित करने के लिए निवल का तुलन पत्र में दर्शाया जाता है।

33) इक्विटी शेयरधारकों को नकद लाभांश और गैर-नकद वितरण

कंपनी इक्विटी धारकों को नकद या गैर-नकदी वितरण करने की देयता को मान्यता देती है, जब वितरण अधिकृत होता है और वितरण अब कंपनी के विवेकानुसार नहीं होता है।

34) प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर की मूल अर्जन की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के आधार पर इक्विटी शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार अवधि के लिए निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर कम किया हुआ अर्जन की गणना के उद्देश्य के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार अवधि के लिए निवल लाभ या हानि और उस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी कम किए गए संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

35) रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ

समायोजित घटनाएँ ऐसी हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद स्थितियों के आगे प्रमाण करती हैं। इस मुद्दे के लिए प्राधिकरण से पहले वित्तीय विवरणों को इस तरह की घटनाओं के लिए समायोजित किया जाता है।

गैर-समायोजन घटनाएँ ऐसी हैं, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक उठनेवाली स्थिति के संकेतक हैं। रिपोर्टिंग की तारीख के बाद गैर-समायोजन घटनाओं का हिसाब नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें प्रकट किया गया है।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते **जीआरएसएम एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण नं. 000863एस

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ए राजगोपाल
साझेदार
एम.सं.205296

राजीव श्रीवास्तव
मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएनः 08921307

राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 10052045

स्थानः बैंगलूरु
दिनांकः 29 मई 2023

31.03.2023 के अनुसार एकल तुलन पत्र

लाख रुपए में

विवरण	नोट सं.	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
I. परिसंपत्तियाँ					
(1) गैर-चालू परिसंपत्तियाँ					
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	1	**268408.07**		266105.11	
(ख) प्रगतिशील पूंजी कार्य	2	**13863.12**		14964.58	
(ग) निवेश संपत्ति	3	**6827.78**		6838.00	
(घ) साख		**0.00**		0.00	
(ङ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ		**0.00**		0.00	
(च) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ		**0.00**		0.00	
(छ) बेरर संयंत्रों को छोड़कर जैविक परिसंपत्तियाँ		**0.00**		0.00	
(ज) वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
(i) निवेश	4(क)	**40.55**		40.55	
(ii) प्राप्य व्यापार	4(ख)	**19646.74**		23622.30	
(iii) ऋण	4(ग)	**0.00**		0.00	
(iv) अन्य	4(घ)	**3.00**		3.00	
(झ) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		**0.00**		0.00	
(ञ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	5	**0.52**	**308789.79**	0.52	311574.06
(2) चालू परिसंपत्तियाँ					
(क) माल सूचियाँ	6	**24975.23**		19339.54	
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
(i) निवेश		**0.00**		0.00	
(ii) प्राप्य व्यापार	7	**242927.83**		272989.62	
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	8(क)	**935.78**		1556.54	
(iv) ऊपर (iii) के इतर बैंक शेष	8(ख)	**20548.13**		29093.25	
(v) ऋण	9(क)	**73302.93**		75304.97	
(vii) अन्य	9(ख)	**257975.43**		230593.53	
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	0.00	**0.00**			
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	10	**16207.31**	**636872.64**	13578.72	642456.18
कुल			**945662.45**		**954030.25**
II. इक्विटी और देयताएँ					
इक्विटी					
(क) इक्विटी शेयर पूँजी	11	**94957.74**		93352.29	
(ख) अन्य इक्विटी	12	**139001.88**	**233959.62**	163996.00	257348.29
देयताएँ					
(1) गैर-चालू देयताएँ					
(क) अप्रयुक्त सरकारी अनुदान	13	**4501.06**		4250.12	
(ख) वित्तीय देयताएँ					
(i) उधार	14(क)	**18000.00**		24000.00	
(क) पट्टे देनदारियां	14(ख)	**59.66**		74.67	
(ii) व्यापार देनदारियाँ	14(ग)				
(क) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के कुल बकाया, तथा		**0.00**		0.00	
(ख) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया		**17399.02**		22381.00	
(iii) अन्य	14(घ)	**7631.29**		7386.26	

31.03.2023 के अनुसार एकल तुलन पत्र - जारी...

लाख रुपए में

विवरण	नोट सं.	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
(ग) प्रावधान	15	**5141.35**		4619.26	
(घ) आस्थगित कर देयताएँ		**0.00**		0.00	
(ङ) अन्य गैर-चालू देयताएँ	16	**0.00**	**52732.38**	0.00	62711.32
(क) चालू देयताएँ					
(क) वित्तीय देयताएँ					
(i) उधार	17(क)	**169583.52**		137199.25	
(iक) पट्टे देनदारियाँ	17(ख)	**15.01**		13.48	
(ii) व्यापार देनदारिया	17(ग)				
(क) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के कुल बकाया, तथा		**12895.01**		20606.69	
(ख) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया		**124773.18**		148399.64	
(iii) अन्य	18	**229040.32**		205577.47	
(ख) अन्य चालू देयताए	19	**103221.54**		106775.23	
(ग) प्रावधान	20	**19441.86**		15398.90	
(घ) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ	21	**0.00**	**658970.45**	0.00	633970.64
कुल			**945662.45**		**954030.25**

टिप्पणी: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते **जीआरएसएम एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण नं. 000863एस

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ए राजगोपाल
साझेदार
एम.सं.205296

राजीव श्रीवास्तव
मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन: 08921307

राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 10052045

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 29 मई 2023

इक्विटी में एकल परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी लाख रुपए में

लाख रुपए में

विवरण	2022-23	2021-22
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**93,352.29**	**93,352.29**
पूर्वावधि चूकों के कारण इक्विटी शेयर पुंजी में परिवर्तन	-	-
चालू रिपोर्टिंग वर्ष के प्रारंभ में पुनर्लिखित शेष	-	-
चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	1,605.45	-
वर्ष के अंत में शेष	**94,957.74**	**93,352.29**

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	शेयर आवेदन राशि निलंबित आबंटन	आरक्षित और अधिशेष					अधिशेष का पुनर्मूल्यांकन	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कुल
		पूंजी आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	अन्य व्यापक आय-डीबीपी का पुनर्मापन	अन्य रिजर्व	धारित आय			
01.04.2022 की स्थिति को शेष	**7,156.30**	**3,05,827.30**	**21,679.44**	**8,759.38**	**-**	**-1,79,426.37**	**-**	**-**	**1,63,996.05**
लेखांकन नीति / पूर्वावधि चूकों में परिवर्तन									-
चालू रिपोर्टिंग वर्ष के प्रारंभ में पुनर्लिखित शेष	**7,156.30**	**3,05,827.30**	**21,679.44**	**8,759.38**	**-**	**-1,79,426.37**	**-**	**-**	**1,63,996.05**
चालू वर्ष में कुल व्यापक आय				-6,079.04					**-6,079.04**
लाभांश									
धारित आय में अंतरण						-36,009.63			**-36,009.63**
अन्य कोई परिवर्तन	-7,156.30		13,550.85						**6,394.55**
वर्ष के दौरान प्राप्त पूंजी अनुदान*	10,700.00								**10,700.00**
31.03.2023 की स्थिति को शेष	**10,700.00**	**3,05,827.30**	**35,230.29**	**2,680.34**	**-**	**-2,15,436.00**	**-**	**-**	**1,39,001.93**
01.04.2021 की स्थिति को शेष	**-**	**3,05,827.30**	**21,679.44**	**10,245.45**		**-1,90,282.59**	**-**	**-**	**1,47,469.61**
लेखांकन नीति / पूर्वावधि चूका में परिवर्तन*						-1,151.55			**-1,151.55**
चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनर्लिखित शेष	**-**	**3,05,827.30**	**21,679.44**	**10,245.45**	**-**	**-1,91,434.14**	**-**	**-**	**1,46,318.06**
चालू वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय				-1,486.07					**-1,486.07**
लाभांश									
धारित आय में अंतरण						12,007.78			**12,007.78**
वर्ष के दौरान प्राप्त पूंजीगत अनुदान*	7,156.30								**7,156.30**
अन्य कोई परिवर्तन									-
31.03.2022 की स्थिति को शेष	**7,156.30**	**3,05,827.30**	**21,679.44**	**8,759.38**	**-**	**-1,79,426.37**	**-**	**-**	**1,63,996.06**

* नोट

(i) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कुछ मदों के पूंजीयन में हुई देरी की त्रुटि में सुधार किए हैं। इन परिसंपत्तियों के संस्थापन की तिथि के आधार पर, इन्हें वित्तीय विवरणों में शामिल तुलनीय अवधि से पूर्व पूंजीयन किया जाना चाहिए था तथा ऐसा न किए जाने के परिणामस्वरूप पूर्व वर्षों में मूल्यह्रास के प्रावधान नहीं किए जा सके थे। मूल्यह्रास के कम प्रावधान के मामले वर्ष 2021-22 से संबंधित भी हैं। इन त्रुटियों का (i) तुलनीय वर्ष वित्त वर्ष 2021-22 के मूल्यह्रास में 98.48 लाख रुपये की वृद्धि करके (ii) पूर्व अवधियों से संबंधित धारित आय में 117.42 लाख रुपए की राशि को मूल्यह्रास के प्रति कम करके सुधार किया गया है। (iii) पूंजी कार्य प्रगति पर में 2390.98 लाख रुपए की वहन मूल्य को कम करके 1.4.2021 की स्थिति के अनुसार तदनुरूपी पूर्वप्रभावी पुनर्विवरण में संपति, संयंत्र एवं उपकरण में समान राशि के वहन मूल्य में वृद्धि करके सुधार किया गया है।

(ii) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बिल न किए गए राजस्व से संबंधित 1593 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति का लेखांकन चूकवश नहीं किया जा सका था तथा चालू वर्ष में इस चुक में व्यापार देय के पूर्वप्रभावी पुनर्विवरण के माध्यम से किया गया है।

(iii) स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त 558.87 लाख रुपये की अनुदान सहायता का वहन चूकवश देयता के रूप में किया गया था तथा इसके अनुवर्ती व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 में किया गया था। तथापि, चूकवश इस अनुदान की स्वीकृति लागतों के अनुरूप आय के रूप में नहीं की गई थी। अन्य चालू देयताओं का पूर्वप्रभावी पुनर्विंदरण प्रस्तुत करके इस चूक में सुधार कर लिया गया है।

(iv) वित्तीय वर्ष 2022-23 में कंपनी को 18700 लाख रुपये का पूंजी अनुदान प्राप्त हुआ था। इसमें से 8,000.00 लाख रुपए की अनुदान राशि के लिए दिनांक 28.9.2022 को प्रति शेयर 103.45 रुपए (10 रुपए मूल्य के पूर्ण चुकता शेयर के प्रति 93.45 रुपए के प्रीमियम के साथ) की दर से 77,33,204 शेयर आवंटित किए गए थे तथा शेष 10700.00 लाख रुपए की राशि का लेखा बहियों में लेखांकन शेयर आवेदन राशि के रूप में लंबित आवंटन के प्रति किया गया है।

टिप्पणी: संलग्न महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते **जीआरएसएम एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण नं. 000863एस

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ए राजगोपाल	**राजीव श्रीवास्तव**	**राजेश राय**
साझेदार	निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम.सं.205296	डीआईएन: 08921307	डीआईएन: 10052045

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 29 मई 2023

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का एकल विवरण

लाख रुपए में

विवरण	नोट सं.	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
III. आय					
I. संचालन से राजस्व	22	**139544.51**		186073.13	
II. अन्य आय	23	**5254.88**		25456.63	
III. कुल राजस्व (I+II)			**144799.38**		**211529.76**
IV. व्यय:					
खपत सामग्री की लागत	24	**16441.53**		12045.53	
व्यापार में स्टॉक की खरीद	25 (क)	**27337.18**		62017.36	
संस्थापन एवं अनुरक्षण प्रभार	25 (ख)	**77664.74**		71390.78	
निर्मित माल, प्रगतिशील कार्य और व्यापार में स्टॉक की मालसूचियों में परिवर्तन	26	**(3322.78)**		(1928.37)	
कर्मचारी हितलाभ व्यय	27	**22887.13**		22217.84	
वित्तीय लागत	28	**20958.40**		19222.60	
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	29	**4949.84**		5101.43	
अन्य व्यय	30	**13892.97**		9454.82	
कुल व्यय		**180809.02**		199521.98	
V. असाधारण मद एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)			**(36009.63)**		12007.78
VI. असाधारण मद					
(i) आय			**0.00**		0.00
(ii) व्यय			**0.00**		0.00
VII. कर से पूर्व लाभ/(हानि) (V + VI)			**(36009.63)**		12007.78
VIII.कर संबंधी खर्च :					
(1) चालू कर			**0.00**		0.00
(2) आस्थगित कर			**0.00**		0.00
IX. वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)			**(36009.63)**		12007.78
X. अन्य व्यापक आय					
क. (i) मद जो लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं होंगे					
परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन, अन्य व्यापक आय			**(6079.04)**		(1486.07)
के माध्यम से इक्विटी साधन के उचित मूल्य में परिवर्तन			**0.00**		0.00
ख. (i) मद जो लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत होंगे			**0.00**		0.00
XI. वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (IX+X) (वर्ष के लिए लाभ/(हानि) और कुल व्यापक आय शामिल है)			**(42088.67)**		10521.70
XII. प्रति शेयर इक्विटी अर्जन (सतत संचालन के लिए):					
मूल एवं कम किया हुआ (अंकित मूल्य प्रति रु. 10/-):			**(3.81)**		1.29
शेयरों की भारित औसत संख्या			**944488639**		933522869

टिप्पणी : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते **जीआरएसएम एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण नं. 000863एस

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ए राजगोपाल
साझेदार
एम.सं.205296

राजीव श्रीवास्तव
निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन: 08921307

राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 10052045

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 29 मई 2023

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए एकल नकद प्रवाह विवरण

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
क) प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाहः				
कर से पूर्व निवल लाभ/(हानि)		**(36009.63)**		**12007.78**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः				
मूल्यह्रास	**4949.84**		5101.43	
वित्तपोषण व्यय	**20958.40**		19222.60	
निवेश के विक्रय से लाभ	**0.00**		0.00	
प्राप्त ब्याज/लाभांश	**(541.27)**		(485.26)	
परिसंपत्तियों के विक्रय से हानि	**0.00**		0.00	
परिसंपत्तियों के विक्रय से लाभ	**(1628.83)**		(344.48)	
सहायता अनुदान से अंतरण	**250.94**		(21912.40)	
सहायता अनुदान से अंतरण	**0.00**		0.00	
अन्य व्यापक आय	**(6079.04)**		(1486.07)	
गैर नकद व्यय	**2660.62**	**20570.67**	1042.20	1138.02
कार्यशील पूँजी परिवर्तन के पूर्व प्रचालन नकद (लाभ)		**(15438.97)**		**13145.80**
निम्नलिखित के लिए				
समायोजनः				
व्यापार और अन्य प्राप्य	**3297.07**		(90721.87)	
मालसूचियाँ	**(5635.69)**		30.36	
व्यापार देय	**(11600.83)**		33926.98	
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	**0.00**	**(13939.45)**	10.08	(56754.45)
संचालन से उत्पन्न नकद		**(29378.41)**		**(43608.66)**
प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		**(29378.41)**		**(43608.66)**
ख) निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाहः				
स्थाई परिसंपत्तियों सहित क्रयः				
पूँजीगत चालू कार्य	**(6069.96)**		(6016.08)	
स्थाई परिसंपत्तियों का विक्रय	**1628.83**		344.48	
निवेश	**0.00**		0.00	
प्राप्त ब्याज	**541.27**		485.26	
अन्य बैंक शेषों की परिपक्वता/जमा से प्राप्त आय	**8545.12**		22873.62	
प्राप्त लाभांश	**0.00**		0.00	
निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकद (ख)		**4645.26**		**17687.29**
ग) वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाहः				
अल्पकालिक उधार से प्राप्त आय	**26370.79**		14760.83	
शेयर आवेदन के पैसे	**10700.00**		7156.30	
कैपेक्स अनुदान प्राप्त हुआ और शेयर आवंटित किए गए	**8000.00**		0.00	
अधिशेष के साथ समायोजन	**0.00**		0.00	
प्राप्त सहायता अनुदान	**0.00**		21989.76	
वित्तीय व्यय	**(20958.40)**		(19222.60)	
वित्त पोषण क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकद (ग)		**24112.39**		**24684.30**
नकद और समतुल्य में निवल वृद्धि (क+ख+ग)		**(620.76)**		**(1237.08)**
नगद और नगद समतुल्य की अथशेष		**1556.54**		**2793.66**
नगद और नकद समतुल्य की अंतिम शेष		**935.78**		**1556.54**

टिप्पणी : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते **जीआरएसएम एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण नं. 000863एस

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ए राजगोपाल
साझेदार
एम.सं.205296

राजीव श्रीवास्तव
निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएनः 08921307

राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 10052045

स्थानः बेंगलुरु
दिनांकः 29 मई 2023

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी संख्या 1
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

लाख रु. में

वि.व. 2022-23

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास					31.03.2023 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2022	वृद्धि	विलोप	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि (शुल्क पुनर्मूल्यांकन कुल शुद्ध वहन राशि का 10% से अधिक है)	समायोजन	कुल 31.03.2023	संचित मूल्यह्रास 01.04.2022	अवधि के लिए	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2023	
भूमि:												
-पूर्व स्वामित्व	2,20,957.17	-	67.08	-	-	2,20,890.09	-	-	-	-	-	2,20,890.09
-पहाधृति	777.13	-	-	-	-	777.13	1.62	0.27	-	-	1.89	775.24
पट्टे पर दी गई परिसंपति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भूमि विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन	14,706.58	251.73	-	-	-	14,958.31	4,400.43	705.21	-	-	5,105.64	9,852.67
संयत्र एवं यंत्र	44,848.89	5,925.54	60.36	-	-	50,714.07	14,649.31	3,694.17	59.98	-	18,283.50	32,430.57
अन्य उपकरण	5,263.96	946.12	14.61	-	-	6,195.47	1,735.50	435.38	14.61	-	2,156.27	4,039.20
कार्यालय मशीन एवं उपस्कर	409.94	147.33	1.49	-	-	555.78	293.66	54.74	1.25	-	347.15	208.63
उपस्कर जुड़नार एवं पुर्जे	106.74	7.96	-	-	-	114.70	51.09	9.36	-	-	60.45	54.25
वाहन	148.06	27.74	-	-	-	175.80	87.75	16.24	-	-	103.99	71.81
विद्युत प्रतिष्ठापन	29.49	-	-	-	-	29.49	-	-	-	-	-	29.49
उपयोग का अधिकार (कार लीज)	102.03	-	-	-	-	102.03	25.51	20.41	-	-	45.91	56.12
कुल	**2,87,350.00**	**7,306.42**	**143.53**	**-**	**-**	**2,94,512.89**	**21,244.88**	**4,935.79**	**75.84**	**-**	**26,104.82**	**2,68,408.07**

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी संख्या 2

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

लाख रु. में

वि.व. 2021-22

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास					31.03.2022 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2021	वृद्धि	विलोप	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि (शुल्क पुनर्मूल्यांकन कुल शुद्ध वहन राशि का 10% से अधिक है)	समायोजन	कुल 31.03.2022	संचित मूल्यह्रास 01.04.2021	अवधि के लिए	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2022	
भूमिः												
-पूर्व स्वामित्व	2,21,058.84	-	101.67	-	-	2,20,957.17	-	-	-	-	-	2,20,957.17
-पट्टाधृति	777.13	-	-	-	-	777.13	1.35	0.27	-	-	1.62	775.51
पट्टे पर दी गई परिसंपति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भूमि विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन	14,556.03	150.55	-	-	-	14,706.58	3,709.11	704.46	-	-13.15	4,400.44	10,306.14
संयत्र एवं यंत्र	41,827.70	3,224.99	203.79	-	-	44,848.89	10,884.80	3,683.56	85.17	166.12	14,649.31	30,199.58
अन्य उपकरण	3,109.22	2,154.74	-	-	-	5,263.96	1,177.44	723.13	-	-165.07	1,735.50	3,528.46
कार्यालय मशीन एवं उपस्कर	343.96	65.98	-	-	-	409.94	240.74	53.97	-	-1.05	293.66	116.28
उपस्कर जुड़नार एवं पुर्जे	75.79	30.95	-	-	-	106.74	41.85	9.61	-	-0.37	51.09	55.65
वाहन	138.61	9.45	-	-	-	148.06	73.72	14.03	-	-	87.75	60.31
विद्युत प्रतिष्ठापन	-	29.49	-	-	-	29.49	-	-	-	-	-	29.49
उपयोग का अधिकार (कार लीज)	102.03	-	-	-	-	102.03	5.10	20.41	-	-	25.51	76.52
कुल	**2,81,989.30**	**5,666.16**	**305.46**	**-**	**-**	**2,87,350.00**	**16,134.12**	**5,209.44**	**85.17**	**-13.52**	**21,244.88**	**2,66,105.12**

टिप्पणी :

1. कर्नाटक सरकार के पक्ष में 400डी और 624ई टाइप क्वार्टरों के लिए इमदादी औद्योगिक आवास योजना की शर्तों के अनुसार प्राप्त सब्सीडी पर 7 लाख रुपये का प्रभार है।
2. फैक्ट्री भवन पट्टा भूमि पर है, जिसकी माप 36 कनाल्स तथा 13 मर्लास है, पट्टा अवधि बढ़ाने के कार्य जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ प्रक्रियाधीन है।
3. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और कंपनी की अन्य संपत्तियों के शीर्षक पर विभिन्न उधारदाताओं के पक्ष में 357694 लाख रुपये की कुल राशि का शुल्क है क्योंकि इन संपत्तियों को देनदारियों के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखा जाता है।
4. शीर्षक विलेखों की अनुपलब्धता। बैंगलूरु के आर पुरम में आईटीआई लिमिटेड के पास 435 एकड़ जमीन है । इसमें से, कंपनी के पास लगभग 376 एकड़ क्षेत्र के लिए मालिकाना हक है । शेष क्षेत्र के लिए, भूमि के उपयोग के लिए कंपनी के पास केवल अधिकारों का रिकॉर्ड मौजूद है और कंपनी के पास उचित स्वामित्व विलेख नहीं हैं।

मनकापुरः निजी मालिकों से खरीदी गई 191.03 एकड़ भूमि में से 41.77 एकड़ भूमि का मालिकाना हक प्रबंधन के पास उपलब्ध नहीं है।

नैनीः वर्ष 1969 में आईटीआई कॉम्प्लेक्स (174.69 एकड़) की भूमि जिला औद्योगिक अधिकारी को सौंपी गई थी। इस भूमि का स्वामित्व विलेख अभी भी मैसर्स आईटीआई लिमिटेड के नाम पर स्थानांतरित नहीं किया गया है।

पालक्काडः कंपनी के पास 77 एकड़ भूमि के संबंध में स्वामित्व/पट्टा विलेख संपत्तियां हैं, जिन्हें केरल सरकार द्वारा फिर से शुरू किया गया है और शीर्ष अदालत के समक्ष निर्णय के अधीन है।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी संख्या 3

लाख रु. में

निवेश संपत्तिः

वि.व. 2022-23

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास					31.03.2023 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2022	वृद्धि	विलोप	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि (शुल्क पुनर्मूल्यांकन कुल शुद्ध वहन राशि का 10% से अधिक है)	समायोजन	कुल 31.03.2023	संचित मूल्यह्रास 01.04.2022	अवधि के लिए	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2022	
भूमि	6,497.55	-	-	-	-	6,497.55	-	-	-	-	-	6,497.55
भवन	382.35	-	-	-	-	382.35	41.90	10.22	-	-	52.12	330.24
कुल	**6,879.90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,879.90**	**41.90**	**10.22**	**-**	**-**	**52.12**	**6,827.78**

निवेश सम्पत्ति

वि.व. 2021-22

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास					31.03.2022 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2021	वृद्धि	विलोप	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि (शुल्क पुनर्मूल्यांकन कुल शुद्ध वहन राशि का 10% से अधिक है)	समायोजन	कुल 31.03.2022	संचित मूल्यह्रास 01.04.2021	अवधि के लिए	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2021	
भूमि	6,395.87	101.67	-	-	-	6,497.55	-	-	-	-	-	6,497.55
भवन	382.35	-	-	-	-	382.35	31.69	10.21	-	-	41.90	340.45
कुल	**6,778.22**	**101.67**	**-**	**-**	**-**	**6,879.90**	**31.69**	**10.21**	**-**	**-**	**41.90**	**6,838.00**

टिप्पणी:

i) (क) दूरसंचार विभाग को 03.10.1983 को 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई 4653.75 वर्गमीटर भूमि। (ख) भूमि के संबंध में (बेंगलूरु और मनकापुर के कुछ भूभागों को छोड़कर) औपचारिक हस्तांतर-पत्र/पट्टा विलेख संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित किया गया है। (ग) दूरसंचार विभाग को 10.07.1991 से 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई 1256.86 वर्गमीटर भूमि। (घ) मार्च, 1994 से 3 एकड़ भूमि राज्य सरकार को 99 वर्ष की अवधि के लिए निनि विधान सौधा के निर्माण के लिए पट्टे पर दिया गया है।

ii) 1.83 एकड़ भूमि, दक्षिणी रेल्वे को पट्टे पर दी गई है तथा 0.286 एकड़ भूमि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) को पट्टे पर दी गई है।

iii) (क) बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज के पास 0.5733 एकड़ जमीन है। (ख) एचपीसीएल पेट्रोल बंक, आईटीआई कालोनी के पास 0.2222 एकड़ जमीन है। (ग) एचपीसीएल पेट्रोल बंक, ओल्ड मद्रास रोड, के.आर.पुरम के पास 0.3025 एकड़ जमीन है। (घ) ईपीएफओ, एफ-28 भवन, के पास 0.6069 एकड़ जमीन है। (ङ) थंबी एविएशन (हैलीपैड-ईसी प्लांट) के पास 0.9182 एकड़ जमीन है। (च) एम्बसी सर्विसस् प्राईवेट लिमिटेड के पास भूमि और भवन की क्रमशः 0.776 एकड़ और 6300 वर्ग मीटर का जमीन है।

iv) कंपनी विभिन्न निवेश संपत्तियों के उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए पंजीकृत मूल्य को शामिल करने की प्रक्रिया में है और इसलिए इस जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सका ।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी संख्या 2				
पूंजीगत चालू कार्य				
लागत पर पूंजीगत चालू कार्य	**7075.28**		9004.29	
घटाएं: प्रावधान	**0.00**		0.00	
कुल		**7075.28**		**9004.29**
ठेकेदारों के पास सामग्री	**28.93**		28.93	
घटाएं : प्रावधान	**28.93**		28.93	
कुल		**0.00**		**0.00**
लागत पर मशीनरी				
मार्गस्थ	**7.93**		60.84	
स्वीकृति/अधिष्ठापन प्रतीक्षित	**6786.44**		5905.98	
	6794.38		5966.82	
घटाएं : प्रावधान	**6.53**		6.53	
कुल		**6787.84**		**5960.29**
कुल योग		**13863.12**		**14964.58**

पूंजी कार्य प्रगति पर काल प्रभाव अनुसूची

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2023 को कुल स्थिति
परियोजनाएं प्रगति पर	166.75	160.27	0.00	6593.48	6920.50
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ट्रांजिट में स्वीकृति/संस्थापन के लिए प्रतीक्षित मशीनरी का लागत मूल्य	1733.05	1329.07	2234.16	1646.34	6942.62
कुल	**1899.80**	**1489.34**	**2234.16**	**8239.82**	**13863.12**
विवरण	**1 वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**31.03.2022 को कुल स्थिति**
परियोजनाएं प्रगति पर	1,922.78	225.17	118.06	6,738.28	9004.29
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	0.00
ट्रांजिट में स्वीकृति/संस्थापन के लिए प्रतीक्षित मशीनरी का लागत मूल्य	1,220.27	2,234.16	1,824.54	681.32	5960.29
कुल	**3143.05**	**2459.33**	**1942.60**	**7419.60**	**14964.58**

पंजी कार्य प्रगति पर के लिए, जिनकी कार्य पूर्णता अतिदेय है अथवा इसकी लागत इसकी मूल योजना की तुलना में बढ़ गई है*

सीडब्ल्यूआईपी कार्य पूर्णता अनुसूची

परियोजना का नाम	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
1- एनआईएफटी	0.00	0.00	0.00	6582.06
कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6582.06**
परियोजना का नाम	**1 वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**
1- एनआईएफटी	0.00	0.00	6582.05	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**	**6582.05**	**0.00**

नोट : कंपनी को एनआईएफटी भवन के निर्माण का कार्य सौंपा गया था जिसके लिए मैसर्स टीसीआईएल (भारत सरकार का उपक्रम) की सेवाएं पीएमसी के रूप में प्राप्त की गई थी तथा सम्पूर्ण निर्माण कार्य टीसीआईएल को सौंप दिया गया था। अब, सम्पूर्ण भवन का निर्माण हो चुका है तथा इसे एनआईएफटी को सौंप दिया गया है परन्तु टीसीआईएल ने स्थानीय विकास प्राधिकरणों से कुछ दस्तावेजों की प्राप्ति न हो पाने के कारण कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है। कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र की प्राप्ति के लिए कंपनी सभी स्टैकधारकों के साथ संपर्क कार्य कर रही है।

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी सं. 4(क)				
अप्रचलित वित्तीय परिसंपत्ति निवेश				
इक्विटी यंत्रों में निवेश				
लागत पर पूर्ण प्रदत्तश (अनुदत्त)	40.55		40.55	
इंडिया सेटकॉम लिमिटेड के पूर्ण प्रदत्त 10 रु. प्रति शेयर के 16,21,800 इक्विटी शेयर।				
कुल		40.55		40.55
भारतीय लेखा मानक 27 के अनुसार अलग वित्तीय विवरण, संयुक्त उद्यमों में निवेश एकल वित्तीय विवरणों के लागत पर किया जा रहा है ।				
नोट संख्या 4 (ख)				
गैर चालू वित्तीय परिसम्पतियां - व्यापार प्राप्य				
व्यापार प्राप्य अच्छा समझा गया - प्रतिभूत	0.00		0.00	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
व्यापार प्राप्य अच्छा समझा गया - अप्रतिभूत	19646.74		23622.30	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	0.00		0.00	
कुल		19646.74		23622.30
व्यापार प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	0.00		0.00	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
व्यापार प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00		0.00	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
कुल येग		19646.74		23622.30

व्यापार प्राप्त काल प्रभाव अनुसूची

विवरण	6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2023 की स्थिति
(i) गैर-विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	0.00	0.00	1440.54	15535.04	2671.16	19646.74
(ii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य - जिसका क्रेडिट जोखिम बढ़ गया है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसका क्रेडिट काफी जोखिम बढ़ गया है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**	**1440.54**	**15535.04**	**2671.16**	**19646.74**

विवादित व्यापार प्राप्यों के लिए काल प्रभाव अनुसूची की स्वीकृति नहीं की गई है क्योंकि इसकी स्वीकृति पहले से ही अशोध्य एवं संदेहास्पद नामे में की जा चुकी है।

व्यापार प्राप्त काल प्रभाव अनुसूची

भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया

विवरण	6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2022 की स्थिति
(i) गैर-विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	0.00	0.00	0.00	20703.30	2919.00	23622.30
(ii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य - जिसका क्रेडिट जोखिम बढ़ गया है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसका क्रेडिट काफी जोखिम बढ़ गया है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20703.30**	**2919.00**	**23622.30**

विवादित व्यापार प्राप्यों के लिए काल प्रभाव अनुसूची की स्वीकृति नहीं की गई है क्योंकि इसकी स्वीकृति पहले से ही अशोध्य एवं संदेहास्पद नामे में की जा चुकी है।

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
नोट संख्या 4(ग)				
गैर चालू वित्तीय परिसम्पतियां - ऋण				
ऋण प्राप्य अच्छा समझा गया - प्रतिभूत				
ऋण एवं अग्रिम	0.00		0.00	
अन्य	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
घटाएं - प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
ऋण प्राप्य अच्छा समझा गया - अप्रतिभूत				
ऋण एवं अग्रिम	0.00		0.00	
जमा	0.00		0.00	
सम्बद्ध पार्टियों को ऋण एवं अग्रिम	0.00		0.00	
अन्य	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
घटाएं - प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
ऋण प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	0.00		0.00	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
ऋण प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00		0.00	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
कुल योग		0.00		0.00

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी सं. 4(घ)				
अप्रचलित वित्तीय परिसंपत्ति अन्य				
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति				
(i) सुरक्षा जमा	0.00		0.00	
(ii) 12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि	3.00		3.00	
(iii) अन्य	0.00		0.00	
कुल योग		3.00		3.00

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी सं. 5				
अन्य अप्रचलित वित्तीय परिसंपत्ति				
(i) अग्रिम पूंजी	1.62		1.62	
घटाएं : प्रावधान	1.10		1.10	
कुल		0.52		0.52
(ii) पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम				
सीमांत राशि	0.00		0.00	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
(iii) अन्य	0.00		0.00	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
कुल योग		0.52		0.52

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी सं. 6				
माल सूचियाँ				
क) कच्चा माल और उत्पादन भंडार	**8041.77**		8196.77	
घटाएं : अप्रचलन के लिए प्रावधान	**1754.22**		1754.22	
		6287.55		**6442.55**
ख) विक्रेताओं द्वारा आयोजित फैब्रिकेशन संविदा के प्रति जारी सामग्री	**96.91**		96.91	
घटाएं : प्रावधान	**95.47**		95.47	
		1.44		1.44
ग) गैर-उत्पादन भंडार	**949.10**		843.96	
घटाएं : अप्रचलन के लिए प्रावधान	**237.41**		237.41	
		711.69		606.55
घ) प्रक्रियाधीन कार्य उत्पादन	**5626.31**		6934.06	
घटाएं : प्रावधान	**606.76**		606.76	
		5019.55		6327.30
ङ) प्रक्रियाधीन कार्य-स्थापना	**0.00**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
		0.00		0.00
च) विनिर्मित घटक	**4914.19**		4285.07	
घटाएं : प्रावधान	**40.13**		40.13	
		4874.06		4244.94
छ) तैयार माल				
भंडार माल	**6580.92**		2579.52	
घटाएं : प्रावधान	**1019.56**		1019.56	
		5561.36		1559.96
ज) स्टॉक समाधान लेखा	**19.47**		19.47	
घटाएं : प्रावधान	**10.33**		10.33	
		9.14		9.14
झ) निरीक्षण / स्वीकृति हेतु लंबित माल		**1141.60**		3.89
ञ) मार्गस्थ सामग्री अग्रिम				
प्राप्त समझी गइ	**493.99**		143.77	
संदिग्ध समझी गई	**238.76**		238.76	
	732.75		382.53	
घटाएं : प्रावधान	**238.76**		238.76	
		493.99		143.77
ट) प्राप्त सामग्री और देय मार्गस्थ अग्रिम		**874.86**		0.00
ठ) औजार और गेज		**0.00**		0.00
कुल योग		**24975.23**		**19339.54**

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी सं. 7				
चालू वित्तीय परिसम्पतियां - व्यापार प्राप्य				
व्यापार प्राप्य अच्छा समझा गया - प्रतिभूत	**0.00**		0.00	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		0.00
व्यापार प्राप्य अच्छा समझा गया - अप्रतिभूत				
- गुजनेट	**6419.28**		26000.32	
- गुजनेट के अलावा	**236508.55**		246989.30	
	242927.83		272989.63	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**0.00**		0.00	
कुल		**242927.83**		272989.63
व्यापार प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ गया है	**7070.95**		4974.00	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**7070.95**		4974.00	
कुल		**0.00**		0.00
व्यापार प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	**580.68**		580.68	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**580.68**		580.68	
कुल		**0.00**		0.00
कुल योग		**242927.83**		**272989.63**

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी में प्राप्य मूल्यों को अपेक्षित साख हानि मॉडल का इस्तेमाल करके हानि परीक्षण में दिया जाना चाहिए। भारतीय लेखा मानक 109 व्यापार प्राप्तियों पर अपेक्षित साख हानि को मापने के दौरान वास्तविक समयोचित के उपयोग की अनुमति देता है, और कहा जाता है कि प्रावधान मैट्रिक्स समयोचित के लिए उदाहरण है। अधिकांश व्यापार प्राप्तियां सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं से उत्पन्न होती हैं, जो उच्च जोखिम के संपर्क में नहीं हैं, कंपनी मामले की समीक्षा और बोर्ड द्वारा अनुमोदित मामले के आधार पर विशिष्ट प्रावधान कर रही है। जबकि, अन्य ग्राहकों के लिए, प्रावधान मामले के आधार पर अपेक्षित साख हानि मॉडल का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

लाख रुपए में

व्यापार प्राप्त काल प्रभाव अनुसूची

विवरण	6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2023 की स्थिति
(i) गैर-विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	32713.80	10856.19	32345.44	32116.04	117494.54	225526.01
(ii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य - जिसका क्रेडिट जोखिम बढ़ गया है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	0.00	0.00	0.00	0.00	17401.81	17401.81
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसका क्रेडिट काफी जोखिम बढ़ गया है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**32713.80**	**10856.19**	**32345.44**	**32116.04**	**134896.35**	**242927.83**

विवादित व्यापार प्राप्यों के लिए काल प्रभाव अनुसूची की स्वीकृति नहीं की गई है क्योंकि इसकी स्वीकृति पहले से ही अशोध्य एवं संदेहास्पद नामे में की जा चुकी है।

व्यापार प्राप्त काल प्रभाव अनुसूची

भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया

विवरण	6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2022 की स्थिति
(i) गैर-विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	43863.81	48114.98	43612.17	23434.67	96562.18	255587.81
(ii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य - जिसका क्रेडिट जोखिम बढ़ गया है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	0.00	0.00	0.00	0.00	17401.81	17401.81
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसका क्रेडिट काफी जोखिम बढ़ गया है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**43863.81**	**48114.98**	**43612.17**	**23434.67**	**113963.99**	**272989.63**

विवादित व्यापार प्राप्यों के लिए काल प्रभाव अनुसूची की स्वीकृति नहीं की गई है क्योंकि इसकी स्वीकृति पहले से ही अशोध्य एवं संदेहास्पद नामे में की जा चुकी है।

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी सं. 8 (क)				
चालू वित्तीयाँ परिसंपत्तियाँ रोकड और रोकड समकक्ष				
क) मार्गस्थ रोकड़	0.00		0.00	
ख) उपलब्ध रोकड़	3.56		4.18	
ग) चेक और उपलब्ध स्टैंप	0.46		0.59	
घ) बैंकों के पास शेष राशि :				
- चालू खाते में	931.76		1551.77	
कुल		935.78		1556.54
टिप्पणी सं. 8(ख)				
चालू वित्तीयाँ परिसंपत्तियाँ उपयुक्त को छोड़कर बैंक में शेष राशि				
बैंकों के पास शेष राशि :				
- एस्क्रो खाते पर	16240.59		20830.29	
- चालू खाते में (प्रशिक्षुओं)	424.46		54.76	
लाभांश बकाया	0.00		0.00	
एलसी मार्जिन धन	0.00		0.00	
बचत खाते में (प्रशिक्षुओं की प्रतिभूति जमा)	0.00		0.00	
अंशकालिक जमा (मार्जिन धन)	173.07		157.82	
चालू खाते में (मार्जिन धन)	0.00		0.00	
सावधि जमा खाता पर 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम परिपक्वता	3710.01		8050.37	
अन्य	0.00		0.00	
कुल		20548.13		29093.25
टिप्पणी सं. 9 (क)				
चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ ऋण				
वसूली योग्य नकद या वस्तु के रूप में या करने के लिए प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए सुरक्षित अग्रिम				
वाहन	0.00		0.00	
गृह भवन	0.00		0.00	
अन्य जमा	1147.76		1182.22	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		1147.76		1182.22
प्राप्य मूल्य पर नकद वसूलीय गैर प्रतिभूत अग्रिम				
अग्रिम वसूलीय - अच्छा समझा गया	27744.09		27939.38	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
		27744.09		27939.38
ऋण प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	536.60		536.60	
घटाएं : प्रावधान	536.60		536.60	
		0.00		0.00
ऋण प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00		0.00	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
		0.00		0.00
कुल		27744.09		27939.38
दावे एवं व्यय वसूलीय - अंतर्देशीय				
अच्छा समझा गया	41428.03		41054.37	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
		41428.03		41054.37

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
ऋण प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	992.29		992.29	
घटाएं : प्रावधान	992.29		992.29	
		0.00		0.00
ऋण प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	10.32		10.32	
घटाएं : प्रावधान	10.32		10.32	
		0.00		0.00
कुल		41428.03		41054.37
दावे एवं व्यय वसूलीय - विदेश				
अच्छा समझा गया	6.10		1.54	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
		6.10		1.54
ऋण प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	1204.32		1204.32	
घटाएं : प्रावधान	1204.32		1204.32	
		(0.00)		(0.00)
ऋण प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00		0.00	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
		0.00		0.00
कुल		6.10		1.54
सिविल निर्माण / पूंजी माल के लिए अग्रिम				
अच्छा समझा गया	0.00		0.00	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
		0.00		0.00
ऋण प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	0.00		0.00	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
		0.00		0.00
ऋण प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00		0.00	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
		0.00		0.00
कुल		0.00		0.00
वाहन अग्रिम	0.00		0.00	
संबंधित पार्टियों को ऋण एवं अग्रिम	0.00		0.00	
अन्य जमा	3387.01		5531.19	
घटाएं : प्रावधान	421.47		421.47	
	2965.54		5109.72	
अल्पावधि जमा पर ब्याज अर्जित नहीं	11.42		17.74	
कुल		2976.96		5127.46
कुल योग		73302.93		75304.96

(क) इसमें 1690.20 लाख रुपए जो कि एचसीएल इंफोसिस्टम से आईटीआई, एचसीएल और एल्काटेल के बीच समझौता के तहत क्षतिपूर्ति के रूप में वसूली करने योग्य है, का समावेश है। क्योंकि यह राशि आईटीआई लिमिटेड, मनकापुर द्वारा अधिक व्यय कर दी गई है।

(ख) दावा वसूली भूमि में 1049.41 लाख रुपये मेसर्स हिमाचल फ्यूचूरिस्टिक कम्यूनिकेशन से परिसमापन हर्जाना के अंतर्गत देय है । कंपनी ने कानूनी मामला दायर किया है जो उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष लंबित है ।

(ग) 31.03.2011 अवधि की समाप्त तक पट्टे पर दिए गए परिसर हेतु 5849.90 लाख रुपए किराए पर प्राप्त हुए है और उसी परिसर के लिए 31.03.2011 के बाद की अवधि के लिए कोई किराये की आय प्राप्ति की अनिश्चितता के कारण संचित आधार पर मान्यता प्राप्त नहीं है।

घ) दावा प्राप्य में मैसर्स माईडएरे से साख पत्र के नकदीकरण के प्रति 1023.00 लाख रुपए शामिल हैं।

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी सं. 9(ख)				
चालू वित्तीय परिसंपत्तियां अन्य				
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) सुरक्षा जमा		35.61		80.81
(ii) असंबद्ध राजस्व				
सरकार				
- गुजनेट	5307.00		7462.75	
- अन्य	252548.00		223038.57	
गैर सरकारी	0.00	257855.00	0.00	230501.32
(iii) अन्य		84.82		11.39
कुल		257975.43		230593.52
अन्य वित्तीय परिसम्पतियों में 257855 लाख रुपए का यूबीआर का वह राजस्व शामिल है जिसकी स्वीकृति पिछले कुछ वर्षों में निष्पादित कार्य के आधार पर की गई है तथा जिसकी बिलिंग अनुबंध शर्तों की पूर्ति होने पर की जानी है।				
टिप्पणी सं. 10				
अन्य मौजूदा परिसंपत्तियाँ				
गैर और शुल्क निवेश	14827.89		12827.37	
सीमा शुल्क विभाग के पास जमा	942.30		328.61	
अग्रिम कर का भुगतान (धनवापसी का निवल)	0.00		0.00	
उत्पाद शुल्क अधिकारी के पास जमा	437.12		422.74	
डब्ल्यूसीटी वसूली योग्य	0.00		0.00	
कुल		16207.31		13578.72
टिप्पणी सं. 11				
I. इक्विटी शेयर पूंजी				
(क) प्राधिकृत				
2,80,00,00, 000 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है	280000.00		280000.00	
(ख) निर्गमित				
949577352 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है (पिछले वर्ष 93,35,22,869 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है)	94957.74		93352.29	
(ग) अभिदत्त एवं पूर्णरूप से अप्रदत्त				
949577352 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है (पिछले वर्ष 93,35,22,869 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है)	94957.74		93352.29	
(घ) अभिदत्त एवं पूर्णरूप से अप्रदत्त नहीं	0.00		0.00	
(ङ) सममूल्य प्रति शेयर	10.00		10.00	
(च) अदत्त मौंग	0.00		0.00	
(छ) जब्त शेयर	0.00		0.00	
(ज) प्रारंभ में और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयरों की संख्या का पुनर्मूल्यांकन।				

विवरण	31.03.2023 को शेयरों की संख्या	31.03.2022 को शेयरों की संख्या
शेयरों की संख्या बकाया अथ शेष	933522869	933522869
जोडिए : वर्ष के दौरान निर्गम*	16054483	0
घटाए : वर्ष के दौरान वापसी क्रय नीति/जब्ती	0	0
शेयरों की बकाया संख्या अंत शेष	949577352	933522869

*भारत के राष्ट्रपति को कंपनी द्वारा दिनांक 25.05.2022 को 86 रुपए प्रति शेयर की दर से 7156.30 लाख रुपये के पूंजीगत अनुदान के प्रति 8321279 इक्विटी शेयर आवंटित किए गए हैं तथा भारत के राष्ट्रपति को दिनांक 28.09.2022 को भारत सरकार से प्राप्त 8000 लाख रुपए के पूंजी अनुदान के प्रति 103.45 रुपये प्रति शेयर की दर से 7733204 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं।

(झ) अधिकारों एवं अधिमानो एवं उपरोक्त वर्ग के शेयर के साथ प्रतिबंध संलग्न

- इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार
- कंपनी के परिनिर्धारण होने की दशा में, अधिमान्य राशि का वितरण होने के बाद, इक्विटी शेयर धारकों को कंपनी की शेष परिसंपत्तियों का वितरण उनके द्वारा लिए गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा।

(ञ) शेयरधारकों की सूची जिन्होने 5% से ज्यादा शेयर लिया है।			
नाम	रखे गए शेयरों की संख्या		रखे गए शेयरों की संख्या
1. भारत के राष्ट्रपति	855912566		839858083
2. विशेष राष्ट्रपति निवेश कोष	73132976		73132976
ट) पिछले पाँच वर्षो के दौरान:			
i) नकद प्राप्त किए बिना आबंटित शेयरों की कुल संख्या	0		0
ii) अधिलाभ शेयरों के माध्यम से पूरी तरह से भुगतान के रूप में आबंटित शेयरों की कुल संख्या	0		0
iii) वापस खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या एवं वर्ग	0		0
	31.03.2022 को		31.03.2022 को
II. प्राथमिकता शेयर:			
क) अधिकृत			
70000000 वरीयता शेयर प्रत्येक 100 रुपए के	7000.00		7000.00
(ठ) प्रमोटर की शेयरधारिता			
	31.03.2023 को रखे गए शेयरों		
प्रवर्तक का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	31.03.2023 के समाप्त अवधि के दौरान % परिवर्तन
1. भारत के राष्ट्रपति	855912566	90.14	1.91
2. कर्नाटक सरकार	312500	0.03	0.00

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी सं. 12				
अन्य इक्विटी				
1) **आरक्षित पूंजी**				
i) **उपहार स्वरुप दी गई निःशुल्क भूमि**				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	25.30		25.30	
वृद्धि	0.00		0.00	
कुल	25.30		25.30	
कटौती	0.00		0.00	
इति शेष	25.30		25.30	
ii) **सहायता अनुदान पूँजी**				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	305802.00		305802.00	
सहायता अनुदान से अंतरण (पूँजी)	0.00		0.00	
इति शेष		305802.00		305802.00
कुल आरक्षित पूंजी		305827.30		305827.30
2) **प्रतिभूति बीमा-किस्त आरक्षिति**				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	21679.44		21679.44	
वृद्धि	13550.85		0.00	
कुल	35230.29		21679.44	
कटौती : एफपीओ मुद्दे व्यय*	0.00		0.00	
इति शेष	35230.29		21679.44	
3) **पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति**				
i) **पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति भूमि**				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	0.00		0.00	
घटाएं - भूमि की बिक्री पर उत्क्रमण	0.00		0.00	
इति शेष	0.00		0.00	
ii) **पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति भवन**				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	0.00		0.00	
घटाएं सामान्य संशय पर अंतरण	0.00		0.00	
इति शेष	0.00		0.00	
कुल पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति		0.00		0.00

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
4) प्रतिधारित आय				
i) सामान्य आरक्षिति :				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	235316.61		235316.61	
पूर्व अवधि समायोजन	0.00		0.00	
जोड़ें : बांड मोचनीय आरक्षिति से अंतरण	0.00		0.00	
घटाएं लाभ-हानि में अंतरण	0.00		0.00	
घटाएं - अधिशेष के लिए अंतरण	0.00		0.00	
इति शेष	235316.61		235316.61	
ii) अचल संपत्ति की बिक्री पर लाभ				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	0.00		0.00	
घटाएं - अधिशेष के लिए अंतरण	0.00		0.00	
इति शेष	0.00		0.00	
iii) तकनीकी जानकारी की बिक्री				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	3.50		3.50	
घटाएं - लाभ-हानि में अंतरण	0.00		0.00	
इति शेष	3.50		3.50	
iv) औद्योगिक आवास सब्सिडी				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	6.79		6.79	
घटाएं - लाभ-हानि में अंतरण	0.00		0.00	
इति शेष	6.79		6.79	
v) निवेशीय भत्ता आरक्षिति				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	0.00		0.00	
घटाएं - सामान्य आरक्षिति में अंतरण	0.00		0.00	
इति शेष	0.00		0.00	
vi) अधिशेष				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	(414753.31)		(425609.53)	
जोड़ें: वर्ष के दौरान लाभ/हानि	(36009.63)		12007.78	
जोड़ें: सामान्य आरक्षित से अंतरण	0.00		0.00	
जोड़ें: अचल संपत्तियों की बिक्री के हानि पर लाभ से अंतरण	0.00		0.00	
कुल	(450762.95)		(413601.76)	
घटाएं : विनियोग	0.00		1151.55	
घटाएं-लाभ और हानि खाते से कम अंतरण(वर्ष के लिए हानि)	0.00		0.00	
इति शेष	(450762.95)		(414753.31)	
कुल प्रतिधारित कमाई		**(215436.05)**		(179426.41)
5) शेयर अनुप्रयोग में लंबित आबंटित धन राशि		**10700.00**		7156.30
6) अन्य व्यापक आय				
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन (बीमांकिक लाभ)				
अथशेष	8759.38		10245.45	
वर्ष के दौरान परिवर्तन	(6079.04)		(1486.07)	
इति शेष		2680.34		8759.38
कुल योग अन्य इक्विटी		**139001.88**		163996.00

- वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी ने सेबी में एफपीओ (फर्दर पब्लिक ऑफर) के लिए रेड हेरिंग प्रोस्पैक्टस फाइल किया था। तथापि, कंपनी ने तात्कालिक बाजार स्थितियों के विचार से इश्यू वापिस ले लिया। एफपीओ के प्रति इश्यू के लिए किया गया 1363.39 लाख रुपए के व्यय का समंजन कंपनी अधिनियम की धारा 52 के अंतर्गत सिक्योरिटी प्रीमियम खाते में किया है। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 के दौरान एफपीओ व्यय के वास्तविक भुगतान के पश्चात 165.51 लाख रुपए की अधिक रिवर्स कर दिए गए हैं।
- कंपनी को वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 18700 लाख रुपये का पूंजी अनुदान प्राप्त हुआ। इसमें से 8,000.00 लाख रुपए के अनुदान की राशि के प्रति 77,33,204 शेयर 103.45 रुपये प्रति शेयर (10 रुपए मूल्य के पूर्ण चुकता शेयर के प्रति 93.45 रुपए के प्रीमियम के साथ) दिनांक 28.9.2022 को आबंटित किए गए हैं तथा शेष 10700.00 लाख रुपए की राशि का लेखा बहियों में लेखांकन शेयर आवेदन राशि के रूप में लंबित आबंटन के प्रति किया गया है।

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी सं. 13				
अप्रचलित देनदारियाँ				
सरकारी अनुदान का अनुपयोग :				
i) **उपहार स्वरुप दी गई निःशुल्क उपस्कर**				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	0.00		0.00	
घटाएं - लाभ-हानि में अंतरण	0.00		0.00	
इति शेष	0.00		0.00	
ii) **सहायता अनुदान (पूंजीगत):**				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	4.64		4.64	
जोड़े : इस वर्ष की प्राप्तियॉं	0.00		0.00	
कुल	4.64		4.64	
घटाएं : सहायता अनुदान राजस्व में अंतरण:पूंजीगत आरक्षिति	0.00		0.00	
घटाएं : लाभ हानि लेखा में अंतरण	0.00		0.00	
इति शेष	4.64		4.64	
iii) **सहायता अनुदान (राजस्व)**				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	4245.48		4726.98	
जोड़े : इस वर्ष की प्राप्तियॉं*	0.00		21430.89	
कुल	4245.48		26157.87	
घटाएं : लाभ/हानि लेखे में अंतरण	(250.94)		21912.40	
इति शेष	4496.42		4245.48	
कुल योग		4501.06		4250.12

- वर्ष 2021-22 के दौरान दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा कंपनी को 30.6.2018 तक कंपनी में सेवारत कर्मचारियों की भविष्य निधि एवं अनुदान की देयताओं की पूर्ति के लिए 21429 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया गया था जिसके लिए अनुमोदन व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय से प्राप्त था। इंड एएस 20 के अनुसरण में 21429 लाख रुपए अनुदान की स्वीकृति आय के रूप में की गई है।
- सरकार से प्राप्त अनुदान के अव्ययित भाग (अनुदान दस्तावेज की शर्तों के अंतर्गत) का वर्गीकरण अन्य इक्विटी से अलग किया गया है तथा इसे गैर-चालू देयताओं में दर्शाया गया है।

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी सं. 14(क)				
अप्रचलित वित्तीय देनदारियाँ उधार				
I. **उधार - सुरक्षित**				
(क) बांड	0.00		0.00	
(ख) सावधि ऋण				
(i) बैंक द्वारा	0.00		0.00	
(ii) अन्य द्वारा	0.00		0.00	
(ग) आस्थगित भुगतान देयता	0.00		0.00	
(घ) जमा	0.00		0.00	
(ड) संबंधित पक्ष द्वारा ऋण	0.00		0.00	
(च) यौगिक वित्तीय लिखतों का दायित्व घटक	0.00		0.00	
(छ) अन्य ऋण	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
II. **उधार असुरक्षित**				
(क) बांड	0.00		0.00	
(ख) सावधि ऋण				
(i) बैंक द्वारा	0.00		0.00	
(ii) अन्य द्वारा	0.00		0.00	
भारत सरकार से ऋण*	18000.00		24000.00	
उपार्जित और उपरोक्त पर देय ब्याज	0.00		0.00	

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
(ग) आस्थगित भुगतान देयता	0.00		0.00	
(घ) जमा	0.00		0.00	
(ङ) संबंधित पक्ष द्वारा ऋण	0.00		0.00	
(च) यौगिक वित्तीय लिखतों का दायित्व घटक	0.00		0.00	
(छ) अन्य ऋण	0.00		0.00	
कुल		18000.00		24000.00
कुल योग		18000.00		24000.00

*कंपनी को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान 30,000 लाख का साफ्ट ऋण प्राप्त हुआ था जिसकी अदायगी दो वर्ष के स्थगन काल सहित कंपनी द्वारा लाभ कमाना प्रारंभ करने के पांच वर्षों में की जानी है। कंपनी को दूरसंचार विभाग से दिनांक 27.10.21 को एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें इस प्रेक्षण का उल्लेख है कि कंपनी ने वर्ष 2019-20 से अपने परिचालनों से लाभ अर्जित करने प्रारंभ किए हैं तथा तदनुसार कंपनी को वित्त वर्ष 2022-23 से उक्त ऋण का पुनर्भुगतान प्रारंभ कर देना चाहिए। तदनुसार, अगले 12 माह में देय पुनर्भुगतान चालू देयताओं के अंतर्गत दर्शाया गया है।

- सरकार से प्राप्त अनुदान के अव्ययित भाग (अनुदान दस्तावेज की शर्तों के अंतर्गत) का वर्गीकरण अन्य इक्विटी से अलग किया गया है तथा इसे गैर-चालू देयताओं में दर्शाया गया है।

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी सं. 14(ख)				
अचल वित्तीय देयता पट्टे देयता				
वित्त पट्टे देयताएं	59.66		74.67	
परिचालन पट्टे देयताएं	0.00		0.00	
कुल योग		59.66		74.67
टिप्पणी सं. 14(ग)				
चालू वित्तीय देयताएँ - व्यापार प्राप्तियाँ				
वस्तुओं के संभरण के लिए				
- गुजनेट				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	0.00		0.00	
- अन्य	17399.02		22381.00	
- गुजनेट के अलावा				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	0.00		0.00	
- अन्य	0.00		0.00	
कुल		17399.02		22381.00
व्ययों और सेवाओं के लिए				
- गुजनेट				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	0.00		0.00	
- अन्य	0.00		0.00	
- गुजनेट के अलावा				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	0.00		0.00	
- अन्य	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
अन्य देयताओं के लिए				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	0.00		0.00	
- अन्य	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
विवादित देय राशि				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	0.00		0.00	
- अन्य	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
कुल योग		17399.02		22381.00

लाख रुपए में

व्यापार प्राप्य काल प्रभाव अनुसूची					
विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2023 की स्थिति
(i) एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) अन्य	882.38	4181.57	2015.59	10319.48	17399.02
(iii) विवादित बकाया-एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित बकाया-अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**882.38**	**4181.57**	**2015.59**	**10319.48**	**17399.02**

व्यापार प्राप्य काल प्रभाव अनुसूची					
विवरण	विवरण भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2022 की स्थिति
(i) एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) अन्य	1439.14	5301.92	2555.61	13084.33	22381.00
(iii) विवादित बकाया-एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित बकाया-अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**1439.14**	**5301.92**	**2555.61**	**13084.33**	**22381.00**
टिप्पणी सं. 14(घ)					
अचल वित्तीय देयता अन्य					
प्राप्त प्रतिभूति जमा		7631.29		7386.26	
कुल योग			**7631.29**		**7386.26**

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी सं. 15				
अचल प्रावधान का विवरण				
(i) कर्मचारियों के लाभ के लिए				
विशेषाधिकृत अवकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**4572.04**		5268.57	
घटाएं : निगमित से अंतरण	**0.00**		0.00	
जोड़े : वर्ष के लिए प्रावधान	**539.61**		(696.53)	
घटाएं : अदायगी	**0.00**		0.00	
कुल		**5111.65**		4572.04
रुग्णावकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**47.23**		56.34	
घटाएं : निगमित से अंतरण	**0.00**		0.00	
जोड़े : वर्ष के लिए प्रावधान का उत्क्रमण	**(17.52)**		(9.12)	
घटाएं : अदायगी	**0.00**		0.00	
कुल		**29.71**		47.23
(ii) अन्य	**0.00**		0.00	
कुल योग		**5141.35**		4619.26
टिप्पणी सं. 16				
अन्य गैर-चालू देयताएँ				
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
कुल योग		**0.00**		0.00

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी सं. 17 (क)				
चालू वित्तीय देयताएँ ऋण				
I. **ऋण - प्रतिभूत**				
(क) मांग पर पुनर्भुगतान किए जाने वाले ऋण				
(i) बैंकों से				
भारतीय स्टेट बैंक एवं कंसोर्टियम के अन्य बैंकों से स्टॉक, भंडार एवं कच्ची सामग्रियों, माल एवं अग्रिमों तथ चल एवं अचल, दोनों, परिसम्पतियों के सैकेंड चार्ज के दृष्टि बंधन के प्रति नकद क्रेडिट	**157561.05**		131189.85	
(ii) अन्यों से	**22.47**		9.40	
(ख) सम्बद्ध पार्टियों से ऋण	**0.00**		0.00	
(ग) जमा	**0.00**		0.00	
(घ) दीर्घकालिक ऋणों की चालू परिपक्वता	**0.00**		0.00	
(ङ) अन्य	**0.00**		0.00	
कुल		**157583.52**		131199.25
II. **ऋण - अप्रतिभूत**				
(क) मांग पर पुनर्भुगतान किए जाने वाले ऋण				
(i) बैंकों से	**0.00**		0.00	
(ii) अन्यों से	**0.00**		0.00	
(ख) सम्बद्ध पार्टियों से ऋण	**0.00**		0.00	
(ग) जमा	**0.00**		0.00	
(घ) दीर्घकालिक ऋणों की चालू परिपक्वता	**12000.00**		6000.00	
(ङ) अन्य	**0.00**		0.00	
कुल		**12000.00**		6000.00
कुल योग		**169583.52**		137199.25
31.3.2023 की स्थिति के अनुसार जमा, जो प्राप्य हैं तथा धनवापसी के लिए दावा नहीं किए गए हैं, को चालू देयताओं में दर्शाया गया है।				
टिप्पणी सं. 17(ख)				
चालू वित्तीय देयताएँ पट्टे देयताएँ				
वित्त पट्टे देयताएँ	**15.01**		13.48	
प्रचालन पट्टे देयताएँ	**0.00**		0.00	
कुल योग		**15.01**		13.48
टिप्पणी सं. 17(ग)				
चालू वित्तीय देयताएँ-व्यापार प्राप्तियाँ				
वस्तुओं के संभरण के लिए				
- गुजनेट				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		345.08	
- अन्य	**5767.42**		12705.91	
- गुजनेट के अलावा				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**12895.01**		20261.61	
- अन्य	**111152.25**		128098.77	
कुल		**129814.68**		161411.36
व्यय और सेवाओं के लिए				
- गुजनेट				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	
- अन्य	**489.77**		923.65	
- गुजनेट के अलावा				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**0.00**		0.00	

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
- अन्य	3537.07		4295.17	
कुल		4026.84		5218.82
अन्य देयताओं के लिए				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	0.00		0.00	
- अन्य	3826.67		2376.14	
कुल		3826.67		2376.14
विवादित बकाया				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	0.00		0.00	
- अन्य	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
कुल योग		137668.19		169006.33

व्यापार प्राप्य काल प्रभाव अनुसूची

विवरण	विवरण भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2023 की स्थिति
(i) एमएसएमई	3859.89	2799.52	2273.09	3962.52	12895.01
(ii) अन्य	28104.90	18378.17	22839.33	39049.94	108372.34
(iii) विवादित बकाया-एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) वयादित बकाया-अन्य	0.00	0.00	0.00	16400.82	16400.82
कुल	**31964.79**	**21177.69**	**25112.42**	**59413.28**	**137668.19**

विवरण	विवरण भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2022 की स्थिति
(i) एमएसएमई	16223.06	1860.04	968.14	1555.45	20606.69
(ii) अन्य	54885.25	30101.34	26955.25	18106.71	130048.55
(iii) विवादित बकाया-एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) वयादित बकाया-अन्य	0.00	1771.00	0.00	16580.08	18351.08
कुल	**71108.31**	**33732.38**	**27923.39**	**36242.24**	**169006.33**

सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यमों की एक सूची जिसका कंपनी ऋणी है, बकाया ब्याज के साथ किसी भी राशी के लिए।

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
अनुलग्नक के अनुसार:				
सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय/भुगतान का प्रकटण उस सीमा तक करना, जिस सीमा तक कंपनी द्वारा ऐसे उद्यमों की पहचान की जाती है।				
(क) समाप्त अवधि के लिए न चुकाया हुआ मूल राशि का बकाया है।	**12895.01**		20606.69	
(ख) समाप्त अवधि के लिए न चुकाया हुआ ब्याज बकाया है।	**68.25**		31.03	
(ग) अवधि के दौरान नियुक्ति दिन से परे भुगतान किया गया ब्याज और मूलधन की राशि।	**0.00**		0.00	
(घ) भुगतान में देरी के कारण हेतु ब्याज राशि की शेष और देय (जो नियुक्ति अवधि के दौरान से परे भुगतान की गई) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2007 के अंतर्गत ब्याज को छोड़कर।	**0.00**		0.00	

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
(ङ) समाप्त अवधि के लिए न चुकाया हुआ अर्जित ब्याज की राशि शेष।	0.00		0.00	
(च) सफल वर्ष में भी देय और शेष ब्याज की राशि देय। (जब तक इस तरह के ब्याज का भुगतान छोटे उद्यम को नहीं किया जाता है।)	0.00		0.00	
टिप्पणी सं. 18				
चालू वित्तीय देयताएँ अन्य				
बिल न चुकाया देय				
सरकार				
- गुजनेट	5011.06		4554.71	
- गुजनेट के अलावा	140547.18		120525.01	
गैर सरकार	0.00		0.00	
उधार पर नहीं बकाया किन्तु प्रोदभूत ब्याज	2556.20		2256.20	
उधार पर बकाया एवं प्रोदभूत ब्याज	0.00		0.00	
अप्रदत परिपक्व जमा एवं उन पर प्रोदभूत ब्याज	0.00		0.00	
अप्रदत परिपक्व डिबेंचर एवं उन पर प्रोदभूत ब्याज	0.00		0.00	
दावा न किए गए लाभांश	0.00		0.00	
व्यय एवं सेवा कर के लिए	11485.08		11864.70	
अन्य देयता के लिए	26675.34		26632.85	
अन्य देय	660.60		468.48	
देय वेतन	2747.87		2542.05	
रॉयल्टी देय	1007.54		212.80	
वेतन संशोधन बकाया	1006.28		1014.89	
ठेकेदारों से जमा	7263.30		6898.06	
विविध देनदारिया	30079.87		28607.72	
अधिमान शेयर	0.00		0.00	
कुल		229040.32		205577.47

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी सं. 19				
अन्य चालू देयताएँ				
अग्रिम में आय प्राप्त	2.66		0.00	
शुल्क और कर	3628.85		3414.24	
ग्राहकों से अग्रिम	99590.03		103360.99	
कुल		103221.54		106775.23
टिप्पणी सं. 20				
चालू प्रावधान				
कराधन के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	0.00		0.00	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान	0.00		0.00	
घटाएं : पूर्व वर्ष के लिए प्रावधान का समायोजन	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
उपदान के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	13226.54		11446.44	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान	4397.69		2317.10	
घटाएं : उपदान न्यास में अंतरण	1019.00		537.00	
जोड़े : उपदान न्यास से अंतरण	2724.78		4647.98	

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
जोड़े : निगमित से अंतरण	0.00		0.00	
घटाएं : भुगतान	2724.78		4647.98	
कुल		16605.23		13226.54
अर्जित अवकाश के लिए	-		-	
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	1992.69		2008.05	
घटाएं: निगम को अंतरण	0.00		0.00	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान	3443.48		2124.80	
घटाएं : भुगतान	2771.66		2140.16	
कुल		2664.52		1992.69
रूग्णावकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	2.50		1.45	
जोड़े : वर्ष के लिए प्रावधान	(0.97)		1.05	
घटाएं : अदायगी	0.00		0.00	
कुल		1.52		2.50
लंबी दूरी के लिए रियायती यात्रा भत्ता				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	177.16		208.63	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान का उत्क्रमण	57.76		69.02	
घटाएं : भुगतान	64.35		100.49	
कुल		170.58		177.16
कुल योग		19441.86		15398.90
टिप्पणी सं. 21				
चालू कर देनदारियाँ				
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
टिप्पणी संख्या 22				
परिचालन से राजस्व				
i) **उत्पादों की बिक्री (जीएसटी का निवल)**				
तैयार माल की बिक्री	5944.54		6857.45	
व्यापार माल की बिक्री	16198.06		51998.38	
कुल		22142.60		58855.83
ii) **सेवाओं की बिक्री**		117399.93		127217.30
iii) **अन्य प्रचालन राजस्व :**				
क) स्क्रैप की बिक्री	1.98		0.00	
ख) डीएलआरसी परियोजना से आय	0.00		0.00	
ग) गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क	0.00		0.00	
घ) सहायता-राजस्व में अनुदान	0.00	1.98	0.00	0.00
कुल		139544.51		186073.13
मुख्य शीर्षक अंतर्गत बिक्री:				
1. मिनी पीडीओ	1.21		0.00	
2. इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग उपस्कर/एसएमपीएस/एसएसटीपी	750.64		1687.90	
3 एमएलएलएन	0.00		0.00	
4. इन्वर्टर ट्रॉली	0.00		0.00	
5. एनरीएम	0.00		0.00	
6. टेलीफोन	18.47		9.44	

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
7. जी-पॉन	0.10		60.90	
8. जॉब वार्क	0.00		0.00	
9. सोलर पैनल	122.29		1254.28	
10. एसएमपीएस	0.00		0.00	
11. 4 जी रेडियो	0.00		0.00	
12. जीएसएम फ्रेंचाइजी	0.00		0.00	
13. एनजीएन	0.00		16.10	
14. एनएफएस	595.18		1694.89	
15. एस्कॉन	0.00		0.00	
16. रक्षा	399.88		22994.66	
17. स्मार्ट ऊर्जा मीटर	(1155.62)		0.00	
18. बीबीडब्ल्यूटी	0.00		0.00	
19. एचडीपीई पाइप	251.97		34.87	
20. ओएफसी	1139.08		9693.03	
21. महानेट	412.79		21.18	
22. वाईफाई हॉटस्पॉट	0.00		0.00	
23. गुजनेट	0.00		0.00	
24. बीएनजी	0.00		0.00	
25. डीडीओएस	0.00		0.00	
26. मिनी पीसी विनिर्माण/टैब पीसी	3548.92		72.38	
27. सीसीएमएस	0.00		0.00	
28. जीएसएम पश्चिम क्षेत्र	0.00		0.00	
29. ओएनटी/ओएलटी	0.00		0.00	
30. एसएसटीपी	0.00		0.00	
31 एसटीएम	0.00		0.00	
32. एसईएम (एनईटी)	0.00		0.00	
33. मोबाइल शोरूम	52.77		99.35	
34. एमसीईयू	0.00		0.00	
35. वाईफाई एक्सेस पाईंट	2.50		0.00	
36. आईपी इन्क्रीपटर एमएचए	0.00		0.00	
37. सौर एलईडी स्ट्रीट लाईट	1378.86		1470.80	
38. फेस शील्ड/ सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन	20.21		16.96	
39. स्मार्ट पार्सल डिलीवरी सिस्टम	0.00		0.00	
40. घटक स्क्रीनिंग वीएसएससी	0.00		0.00	
41. स्मार्ट कार्ड	31.52		44.11	
42. वेंटीलेटर / मेडिकल डिवाइस	0.00		0.00	
43. यूएसओएफ भारत नेट प्रोजेक्ट	0.00		0.00	
44. टैनफिनेट	0.00		0.00	
45. आईएएफ डाटा सेंटर का उन्नयन	0.00		0.00	
46. आईएएफ 4जी एलटीई	10066.92		0.00	
47. एस्कॉन चरण IV	0.00		0.00	
48. ऐयरटेल एफटीटीएच रोल आउट	0.00		0.00	
49. भारतनेट अंडामान और निकोबार	0.00		56.96	
50. एफएमएस-एमसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी	215.64		0.00	
51. सीसीटीवी	0.00		0.00	
52. पीओएलईएस	597.81		0.00	

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
53. इंस्टालेशन ट्रेडिंग ओएमसी	0.00		0.00	
54. 3 डी प्रिंटिंग	23.25		80.61	
55. अनुबंध विनिर्माण	6.45		14.03	
56. आईटी कंप्यूटर सहायक उपकरण	1168.98		17781.97	
57. अन्य राज्य सरकार	1814.15		559.83	
58. अन्य	678.64		1191.57	
कुल		22142.60		58855.83
मुख्य शीर्ष के अंतर्गत सेवाएँ से लाभ:				
1. एसएसटीपी एएमसी	56.21		1944.51	
2. टेलीकॉम टेस्टिंग एव लैब	76.28		0.00	
3. स्मार्ट पार्सल सर्वीसेस	0.00		0.00	
4. डाटा सेंटर	2616.94		1926.21	
5. कौशल विकास	31.49		0.00	
6. एसडब्ल्यूएएन	0.00		374.84	
7. जीएसएम	5519.78		8734.30	
7क. जीएसएम एएमसी (जीएसटी टर्नओवर)	121.40		0.00	
8. एनएफएस	6654.22		8111.16	
9. जी-पॉन आई एंड सी	1054.57		723.73	
10. एस्कॉन एएमसी	665.04		1577.82	
11. रक्षा एएमसी	85.94		1278.23	
12. एनजीएन एएमसी	321.87		321.31	
13. बीबीडब्ल्यूटी	0.00		0.00	
14. महानेट बिल रहित	24829.19		24462.50	
14क. महानेट (जीएसटी टर्नओवर)	0.00		0.00	
15. वाई-फाई हॉटस्पॉट	0.00		47.86	
16. गुजनेट	6655.23		4440.70	
17. बीएनजी	482.90		474.45	
18. डीडीओएस	450.11		0.00	
19. एमएलएलएन एएमसी	1571.27		23.26	
20. सीसीएमएस एएमसी	77.77		34.79	
21. ई-निविदा	1648.16		2573.47	
22. एफएमएस-एमसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी	2619.88		0.00	
23. एसएमपीएस	81.07		41.46	
24. यूएसओएफ भारत नेट प्रोजेक्ट	675.31		0.00	
25. जीएसएम पश्चिम क्षेत्र	0.00		0.00	
26. वाईफ़ाई एससेस पाईट	0.00		0.00	
27. एसडब्ल्यूएम-आईसीटी- अपशिष्ट प्रबंधन	324.54		0.00	
28. आईएएफ डाटा सेंटर का उन्नयन	0.00		0.00	
29. जियो फेंसिंग प्रोजेक्ट	243.08		0.00	
30. घटक स्क्रीनिंग वीएसएससी	667.11		0.00	
31. आईटी-वेब पोर्टल	412.50		3128.77	
32. ओएमसी एएमसी	320.77		0.00	
33. टैनफिनेट	12803.43		0.00	
34. आईएएफ 4जी एलटीई	0.00		0.00	
35. फाइबर नेटवर्क	0.00		159.56	
36. रेलवे	138.71		120.41	

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
37. एनएमएस	55.31		110.62	
38. ई-गवर्नेंस/ई-सेवा	0.00		0.00	
39. ओसीबी एएमसी	7.18		0.00	
40. टीपीए	502.76		777.58	
41. आधार बिजनेस/एसएएएस	4.98		0.00	
42. विश्वसनीयता प्रयोगशाला	161.91		113.49	
43. ऐयरटेल एफटीटीएच रोलआउट	1539.97		572.50	
44. भारतनेट अंडामान और निकोबार	0.00		0.00	
45. सीसीटीवी सर्वीसेस	947.82		0.00	
46. सर्वेक्षण कार्य	0.00		0.00	
47. एस्कॉन फेज़ IV	37648.34		59956.57	
48. एसएएएस	171.90		190.46	
49. अनुबंध विनिर्माण	111.74		9.90	
50. एमएलएलएन आईएंडसी	4.87		25.63	
51. अन्य एएमसी	4960.58		3473.86	
52. अन्य	77.80		1487.35	
कुल		117399.93		127217.30
विदेशी मुद्रा में आय				
माल के निर्यात का एफओबी के आधार पर गणना	0.00		0.00	
रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी, व्यावसायिक और परामर्श शुल्क	0.00		0.00	
ब्याज और लाभांश	0.00		0.00	
सेवाएँ	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
टिप्पणी संख्या : 23				
अन्य आय				
क) आय पर ब्याज				
i) अंतर कार्यालय अग्रिम पर ब्याज	0.00		0.00	
ii) ब्याज - अन्य	541.27		485.26	
कुल		541.27		485.26
ख) गैर-व्यापार निवेश से लाभांश		0.00		0.00
ग) निवेश के बिक्री से निवल लाभ / हानि		0.00		0.00
घ) अन्य गैर-प्रचालन आय (ऐसी आय के कारण निवल खर्च)				
i) परिसंपत्ति के बिक्री से लाभ	89.66		0.00	
घटाएं : पूँजीगत खाते का आरक्षण	0.00		0.00	
कुल		89.66		0.00
ii) कमीशन	0.00		0.00	
iii) किराया	1806.11		1928.77	
iv) पट्टे का किराया	309.15		309.15	
v) परिवाहन प्रभार	0.00		0.02	
vi) रद्दी की बिक्री	675.56		104.69	
vii) जल प्रभार / विद्युत प्रभार	5.21		5.42	
viii) जब्त बैंक गारंटी	16.10		7.31	
ix) अतिरिक्त वापस लिया हुआ प्रावधान	0.00		0.10	
x) चीआरएस की प्रतिपूर्ति	0.00		0.00	
xi) गैर जरूरत देनदारियों की वापसी	3.80		289.18	

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
xii) परिनिर्धारित हानि की छूट	0.00		3.08	
xiii) श्रीनगर की हानि की क्षतिपूर्ति	0.00		0.00	
xiv) ब्याज प्रभार पर छूट	0.00		0.00	
xv) अनुदान सहायता से स्थानांतरण	0.00		0.00	
xvi) राजस्व अनुदान सहायता वीआरएस	0.00		481.48	
xvii) राजस्व अनुदान सहायता*	0.00		21429.03	
xviii) पूंजीगत सहायता अनुदान से स्थानांतरण	0.00		0.00	
xix) एसडब्ल्यूआर/एनएचएआई द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा	1539.17		344.48	
xx) विविध आय	268.84		68.64	
कुल (i से xx)		4713.61		24971.36
ङ) निवेश का फैरिंग वैल्यू के लिए समायोजन (प्रतिलेखन)		0.00		0.00
च) पिछले साल से संबंधित अनुदान		0.00		0.00
छ) विदेशी मुद्रा अनुवाद और लेन-देन पर निवल लाभ / हानि (वित्तीय लागत के रूप में माने जाने के अलावा)		0.00		0.00
कुल योग		5254.88		25456.62

- वर्ष 1988 के दौरान विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (केआईडीबीए)द्वारा आईटीआई की भूमि का अधिग्रहण मा.रा.रा.प्रा. के सड़क विस्तार के लिए किया गया था जिसके लिए अवार्ड की राशि 10 रुपए प्रति वर्ग फुट निर्धारित की गई थी। तथापि, कंपनी ने बाजार मूल्य के अनुसार संवर्धन, एवं अतिरिक्त ब्याज एवं क्षतिपूर्ति के मामले का दावा किया है। नगर सिविल न्यायालय द्वारा अक्तूबर, 2021 के दौरान कंपनी के पक्ष में निर्णय पारित किया गया था तथा कंपनी के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रति 334.48 का मुआवजा तय किया गया था।

*वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी को दक्षिण-पश्चिम रेलवे द्वारा बैंगलुरु में भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के प्रति 2908.02 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का पत्र प्राप्त हुआ था। गणन करके भूमि की लागत को घटाने के पश्चात 2796.34 लाख रुपए की आधिक्य राशि है, जो बैंगलुरु में कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि के क्षेत्र में से अधिग्रहित भूमि के कुल वहन मूल्य का आनुपातिक मूल्य है तथा इस आधिक्य को अपरिहार्य आय माना गया है।

टिप्पणी संख्या 24				
कच्चे माल तथा उत्पादन भंडार की खपत				
आरंभिक स्टॉक	8293.69		8483.92	
जोड़े : पुनरीक्षण के कारण पूर्व अवधि समायोजन	0.00		0.00	
क्रय / स्थानांतरण	16534.65		11641.54	
स्थापना और अनुरक्षण के लिए सामग्री	0.00		0.00	
कुल		24828.34		20125.46
घटाएं :				
अंतिम स्टॉक	8138.69		8076.46	
राजस्व एवं अन्य को निर्गम	248.12		3.48	
सामग्री अन्य यूनिटों में स्थानांतरण	(0.00)		(0.00)	
कुल		8386.81		8079.94
जोड़ / भंडार से संबंधित भंडार अप्रत्यक्ष व्यय		0.00		0.00
उपभोग		16441.53		12045.52
मुख्य शीर्षक जिनके अंतर्गत कच्चे माल का खपत होता है विवरण				
विवरण				
1. इलेक्ट्रॉनिक माल और घटक	14734.40		11911.12	
2. एमएनआईसी	12.23		0.00	
कुल		14746.63		11911.12
सीआईएफ आधार पर आयातित वस्तुओं का मूल्य				
कच्चे माल और उत्पादन भंडार		521.25		53.38
घटक और अतिरिक्त पुर्जे		0.00		0.00
मार्गस्थ सामग्री		0.00		0.00
पूँजीगत माल		0.00		946.87
कुल		521.25		1000.25

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
आयातित कच्चे माल का मूल्य, भंडार और अतिरिक्त पुर्जों की खपत और स्वदेशी वस्तुओं की खपत और कुल खपत में प्रत्येक की प्रतिशतता				
विवरण	**मार्च, 2023**	**%**	**मार्च, 2022**	**%**
आयातित	**521.25**	**3.17**	53.38	0.44
स्वदेशी	**15920.27**	**96.83**	11992.14	99.56
कुल	**16441.53**	**100.00**	12045.52	100.00
टिप्पणी संख्या 25 (क)				
व्यापार में स्टॉक की खरीद				
मुख्य शीर्षक के तहत खरीदे गए सामान				
विवरण				
1. मिनी पीडीओ	**0.00**		0.00	
2. इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग उपस्कर/एसएमपीएस/एसएसटीपी	**0.00**		0.00	
3. एमएलएलएन	**0.00**		0.00	
4. इन्वर्टर ट्रॉली	**0.00**		0.00	
5. एनसीएम	**0.00**		0.00	
6. टेलीफोन	**0.00**		0.00	
7. जी-पॉन	**0.00**		0.00	
8. जॉब वार्क	**0.00**		0.00	
9. सोलर पैनल	**0.00**		0.00	
10. एसएमपीएस	**0.00**		0.00	
11. 4 जी रेडियो	**0.00**		0.00	
12. जीएसएम फ्रैंचाइजी	**0.00**		0.00	
13. एनजीएन	**0.00**		14.81	
14. एनएफएस	**572.86**		1631.34	
15. एस्कॉन	**0.00**		69.85	
16. रक्षा	**0.00**		20821.83	
17. स्मार्ट ऊर्जा मीटर	**0.00**		0.00	
18. बीबीडब्ल्यूटी	**0.00**		0.00	
19. एचडीपीई पाइप	**0.00**		0.00	
20. ओएफसी	**657.59**		8576.08	
21. महानेट	**400.41**		0.00	
22. वाईफाई-हॉटस्पॉट	**0.00**		0.00	
23. गुजनेट	**396.14**		498.35	
24. बीएनजी	**0.00**		0.00	
25. डीडीओएस	**0.00**		0.00	
26. मिनी पीसी विनिर्माण/टैब पीसी	**0.00**		0.00	
27. सीसीएमएस	**0.00**		0.00	
28. जीएसएम पश्चिम क्षेत्र	**0.00**		0.00	
29. ओएनटी/ओएलटी	**0.00**		0.00	
30. एसएसटीपी	**0.00**		0.00	
31. एसटीएम	**0.00**		0.00	
32. एसईएम(एनईटी)	**0.00**		0.00	
33. मोबाइल शोरूम	**40.89**		82.48	
34. एमसीईयू	**0.00**		0.00	
35. वाईफ़ाई एक्सेस पाईंट	**0.00**		0.00	
36. आईपी इन्क्रीपटर एमएचए	**0.00**		0.00	

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
37. सौर एलईडी स्ट्रीट लाईट	0.00		1396.48	
38. फेस शील्ड/ सैनिटरी नैपकिन पैकिंग मशीन	3.59		0.05	
39. स्मार्ट पार्सल डिलीवरी सिस्टम	0.00		0.00	
40. घटक स्क्रीनिंग वीएसएससी	0.00		0.00	
41 स्मार्ट कार्ड	0.00		0.00	
42. वेंटीलेटर / मेडिकल डिवाइस	0.00		0.00	
43. यूएसओएफ भारत नेट प्रोजेक्ट	13.39		0.00	
44. टैनफिनेट	7259.73		0.00	
45. आईएएफ डाटा सेंटर का उन्नयन	0.00		0.00	
46. आईएएफ 4जी एलटीई	9158.71		0.00	
47. एस्कॉन चरण IV	4759.19		11961.01	
48. ऐयरटेल एफटीटीएच रोल आउट	0.00		0.00	
49. भारतनेट अंडामान और निकोबार	0.00		0.00	
50. एफएमएस-एमसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी	202.70		0.00	
51. सीसीटीवी	0.00		0.00	
52. पीओएलईएस	553.53		0.00	
53. इंस्टालेशन ट्रेडिंग ओएमसी	0.00		0.00	
54. 3 डी प्रिंटिंग	0.00		0.00	
55. अनुबंध विनिर्माण	0.00		0.00	
56. आईटी कंप्यूटर सहायक उपकरण	1080.02		15365.07	
57. अन्य राज्य सरकार	1669.02		515.04	
58. अन्य	569.41		1084.98	
कुल		27337.18		62017.37
टिप्पणी संख्या 25 (ख)				
मुख्य शीर्ष के अंतर्गत सेवाएँ से लाभ				
1. एसएसटीपी एएमसी	11.75		1161.01	
2. टेलीकॉम टेस्टिंग एव लैब	0.00		0.00	
3. स्मार्ट पार्सल सर्वीसेस	0.00		0.00	
4. डाटा सेंटर	2091.81		1547.40	
5. कौशल विकास	27.71		0.00	
6. एसडब्ल्यूएएन	0.00		344.85	
7. जीएसएम	5216.19		8361.67	
7ए. जीएसएम एएमसी (जीएसटी टर्नओवर)	0.00		0.00	
8. एनएफएस	6388.00		7795.27	
9. जी-पॉन आई एंड सी	513.26		361.44	
10. एस्कॉन एएमसी	594.21		1520.33	
11. रक्षा एएमसी	0.00		0.00	
12. एनजीएन एएमसी	312.22		311.67	
13. बीबीडब्ल्यूटी	0.00		0.00	
14. महानेट बिल रहित	24084.32		23728.63	
14ए. महानेट (जीएसटी टर्नओवर)	0.00		0.00	
15. वाई-फाई - हॉटस्पॉट	0.00		52.21	
16. गुजनेट	4344.63		3025.99	
17. बीएनजी	383.23		383.23	
18. डीडीओएस	425.35		0.00	
19. एमएलएलएन एएमसी	435.08		17.76	
20. सीसीएमएस एएमसी	71.55		32.00	

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
21. ई-निविदा	1235.29		2184.87	
22. एफएमएस-एमसीडब्ल्यूडब्ल्यूवी	2462.69		0.00	
23. एसएमपीएस	60.71		31.36	
24. यूएसओएफ भारत नेट प्रोजेक्ट	482.13		0.00	
25. जीएसएम पश्चिम क्षेत्र	0.00		0.00	
26. वाईफ़ाई एक्सेस पाईंट	0.00		0.00	
27. एसडब्ल्यूएम-आईसीटी- अपशिष्ट प्रबंधन	298.58		0.00	
28. आईएएफ डाटा सेंटर का उन्नयन	0.00		0.00	
29. जियो फेंसिंग प्रोजेक्ट	222.51		0.00	
30. घटक स्क्रीनिंग वीएसएससी	613.75		0.00	
31. आईटी-वेब पोर्टल	377.44		2917.15	
32. ओएमसी एएमसी	294.09		0.00	
33. टैनकिनेट	2034.73		0.00	
34. आईएएफ 4जी एलटीई	0.00		0.00	
35. फाइबर नेटवर्क	0.00		109.93	
36. रेलवे	126.69		109.04	
37. एनएमएस	51.16		102.32	
38. ई-गवर्नेंस/ई-सेवा	0.00		0.00	
39. ओसीबी एएमसी	0.00		0.00	
40. टीपीए	0.00		0.00	
41. आधार बिजनेस/एसएएएस	4.58		0.00	
42. विश्वसनीयता प्रयोगशाला	0.00		0.00	
43. ऐयरटेल एफटीटीएच रोलआउट	1077.18		637.91	
44. भारतनेट अंडामान और निकोबार	0.00		0.00	
45. सीसीटीवी सर्वीसेस	876.54		0.00	
46. सर्वेक्षण कार्य	0.00		0.00	
47. एरकॉन फेज़ IV	17709.90		12354.75	
48. एसएएएस	123.18		142.85	
49. अनुबंध विनिर्माण	0.00		0.00	
50. एमएलएलएन आईएंडसी	4.38		20.90	
51. अन्य एएमसी	4404.84		3109.07	
52. अन्य	305.08		1027.17	
कुल		77664.74		71390.78
टिप्पणी संख्या 26				
तैयार माल की वस्तु सूची में परिवर्तन, प्रक्रियाधीन कार्य और व्यापार में स्टॉक				
प्रक्रियाधीन कार्य में वृद्धि / (ह्रास)				
प्रक्रियाधीन उत्पादन :				
इति शेष	5594.97		6902.72	
घटाएं : अथ शेष	6902.72		7375.41	
कुल	(1307.75)		(472.69)	
जोड़ें : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	0.00		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	0.00		0.00	
कुल		(1307.75)		(472.69)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
प्रक्रियाधीन कार्य संस्थापन:				
इति शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं : अथ शेष	**0.00**		0.00	
कुल	**0.00**		0.00	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	**0.00**		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		0.00
विनिर्मित घटकों में वृद्धि / (ह्रास)				
इति शेष	**4900.12**		4270.98	
घटाएं : अथ शेष	**4270.98**		2132.56	
कुल	**629.13**		2138.42	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	**0.00**		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	**0.00**		0.00	
कुल		**629.13**		2138.42
प्रक्रियाधीन कार्य संस्थापन :				
इति शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं : अथ शेष	**0.00**		0.00	
कुल	**0.00**		0.00	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	**0.00**		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप/ संस्थापन में प्रभाव	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		0.00
प्रक्रियाधीन कार्य में वृद्धि / (ह्रास)				
व्यापार में स्टॉक:				
इति शेष	**6431.14**		2429.74	
घटाएं : अथ शेष	**2429.75**		2102.07	
कुल	**4001.40**		327.67	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	**0.00**		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	**0.00**		0.00	
कुल		**4001.40**		327.67
रद्दी का स्टॉक				
इति शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं : अथ शेष	**0.00**		0.00	
जोड़े : पूर्व अवधि समायोजन	**0.00**		(65.03)	
कुल		**0.00**		(65.03)
कुल योग		**3322.78**		1928.37

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी संख्या 27				
कर्मचारी हित पर व्यय:				
i) **वेतन और मजदूरी :**				
वेतन और मजदूरी	**17162.32**		16539.36	
घटाएं : अन्य राजस्व लेखा	**0.00**		0.00	
कुल	**17162.32**		16539.36	
बोनस	**5.38**		12.75	
वेतन संशोधन बकाया भुगतान	**0.00**		0.00	
प्रोत्साहन	**10.55**		9.02	
कुल		**17178.25**		16561.13
ii) **भविष्य निधि और अन्य निधियों को कंपनी का अंशदान :**				
भविष्य निधि और पेंशन निधि	**1881.52**		1690.83	
कर्मचारी राज्य बीमा	**18.94**		14.79	
उपदान न्यास निधि	**4397.69**		2317.10	
छुट्टी वेतन - पीएल	**3983.09**		1428.27	
रुग्ण अवकाश	**(18.49)**		(8.08)	
जमा बद्ध बीमा / ग्रुप बीमा	**22.26**		23.50	
कुल		**10285.01**		5466.41
iii) **कर्मकार और कर्मचारी कल्याण व्यय**				
कल्याण व्यय - कैंटीन	**300.24**		274.72	
कल्याण व्यय - शिक्षा	**3.73**		25.37	
चिकित्सा व्यय	**546.76**		623.75	
एलटीसी / एलएलटीसी	**57.76**		69.20	
वर्दी	**1.84**		0.62	
अन्य	**341.63**		201.22	
कुल		**1251.96**		1194.89
iv) **स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना**				
वीआरएस भुगतान		**250.94**		481.48
v) **बीमांकिक लाभ / (हानि)**		**(6079.04)**		(1486.07)
कुल योग		**22887.13**		22217.84
संबंधित पार्टी लेनदेन				
प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों - वेतन और परिलब्धियाँ				
नाम		मार्च, 2023		मार्च, 2022
श्री राजेश राय - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 21.02.2023 से प्रभावी		**4.12**		0.00
श्री आर एम अग्रवाल - पूर्व, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक		**8.87**		36.48
श्री राजीव श्रीवास्तव - निदेशक-वित्त		**24.22**		19.12
श्री शशि प्रकाश गुप्ता - पूर्व, निदेशक - मानव संसाधन		**0.00**		7.84
श्री वेंकटेश्वरलू - पूर्व, निदेशक उत्पादन		**39.07**		19.65
श्री राकेश चंद्र तिवारी - निदेशक विपणन		**45.98**		42.38
श्रीमती शनमुगा प्रिया - पूर्व, कंपनी सचिव		**16.20**		13.27
श्रीमती आर वसंती-निदेशक (उत्पादन) - अतिरिक्त प्रभार 28.02.2023 से प्रभावी		**2.04**		0.00
श्रीमती एस जेयंति-निदेशक मानव संसाधन - अतिरिक्त प्रभार 28.02.2023 से प्रभावी		**2.04**		0.00

भारतीय लेखाकरण मानक 19 के अंतर्गत प्रकटीकरण रिपोर्ट

परिभाषित लाभ योजना

ट्रस्ट द्वारा कर्मचारियों की उपदान निधि योजना परिभाषित लाभ योजना है । दायित्व का वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अवकाश नकदीकरण का दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है जो कि अपव्ययी है ।

		उपदान		विशेषाधिकार अवकाश		रुग्ण अवकाश	
I. परिणाम का सारांश							
क्र.सं.	**परिसंपत्ति / देयता**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	16,729	15,007	7,776	6,565	31	50
ख)	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	124	1,781	0	0	0	0
ग)	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल संपत्ति / (देयता)	-16,605	-13,227	-7,776	-6,565	-31	-50
II. बीमांकिक और जनसंख्यिकीय धरणा							
क्र.सं.	**विवरण**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**
क)	छूट दर	7.18	6.86	7.18	6.86	7.18	6.86
ख)	भविष्य में वेतन वृद्धि	2.75	2.00	2.75	2.00	2.75	2.00
ग)	उम्र के संघर्षण	12.35	2.45	12.35	2.45	12.35	2.45
III. योजना दायित्व							
समाप्त तिथि		**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य		16,729	15,007	7,776	6,565	31	50
IV. सेवा लागत							
क्र.सं.	**विवरण**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**
क)	वर्तमान सेवा लागत	526	480	537	528	3	2
ख)	पिछली सेवा लागत में कटौती लाभ / हानि शामिल	0	0	0	0	0	0
ग)	गैर दिनचर्या निपटान पर लाभ या हानि	0	0	0	0	0	0
घ)	कुल सेवा लागत	526	480	537	528	3	2
V. निवल ब्याज लागत							
क्र.सं.	**विवरण**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**
क)	परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	1030	1,055	450	448	3	4
ख)	योजना परिसंपत्ति पर ब्याज आय	122	351	0	0	0	0
ग)	निवल ब्याज लागत (आय)	907	704	450	448	3	4
VI. लाभ दायित्व में परिवर्तन							
क्र.सं.	**विवरण**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**
क)	अवधि की प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15007	17148	6565	7277	50	58
ख)	अधिग्रहण समायोजन	0	0	0	0	0	0
ग)	ब्याज लागत	1030	1055	450	448	3	4
घ)	सेवा लागत	526	480	537	528	3	2
ङ)	पिछली सेवा लागत में कटौती लाभ / हानि शामिल	0	0	0	0	0	0
च)	लाभ का भुगतान	-2725	-4648	-2915	-2054	0	0
छ)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	2891	973	3139	367	-24	-14
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	16729	15007	7776	6565	31	50

भारतीय लेखाकरण मानक 19 के अंतर्गत प्रकटीकरण रिपोर्ट (जारी...)

		उपदान		विशेषाधिकार अवकाश		रुग्ण अवकाश	
VII. दायित्व पर वास्तविक लाभ / हानि का विभाजन							
क्र.सं.	**विवरण**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**
क)	जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	568	0	349	0	2	0
ख)	वित्तीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	112	-265	111	-142	0	-1
ग)	अनुभव समायोजन होने पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	2211	1,238	2679	509	-27	-13
VIII. परिसंपत्ति योजना पर बीमांकिक लाभ/हानि							
क्र.सं.	**विवरण**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**
क)	अपेक्षित ब्याज आय	122	351	0	0	0	0
ख)	योजना संपत्ति पर वास्तविक आय	49	191	0	0	0	0
ग)	वर्ष के संपत्ति पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	-73	-160	0	0	0	0
IX. तुलन पत्र और संबंधित विश्लेषण							
क्र.सं.	**विवरण**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**
क)	अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	16,729	15,007	7,776	6,565	31	50
ख)	योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	124	1,781	0	0	0	0
ग)	तुलन पत्र में अपव्ययी दायित्व / प्रावधान	-16,605	-13,227	-7,776	-6,565	-31	-50
X. आय विवरण में मान्यता प्राप्त राशि							
क्र.सं.	**विवरण**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**
क)	कुल सेवा लागत	526	480	537	528	3	2
ख)	निवल ब्याज लागत	907	704	450	448	3	4
ग)	अवधि में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ) / हानि	0	0	3,139	367	-24	-14
घ)	आय विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	1,434	1,184	4,127	1,342	-19	-8
XI. अन्य व्यापक आय (ओसीआई)							
क्र.सं.	**विवरण**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**
क)	निवल संचयी न पहचाना गया लाभ/(हानि) खोलना	0	0	0	0	0	0
ख)	पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	-2,891	-973	0	0	0	0
ग)	परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	-73	-160	0	0	0	0
घ)	वर्ष में न पहचाना गया बीमांकिक लाभ/(हानि)	-2,964	-1,133	0	0	0	0
XII. परिसंपत्ति योजना में परिवर्तन							
क्र.सं.	**विवरण**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**
क)	अवधि की शुरुआत में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	1781	5,701	0	0	0	0
ख)	योजना संपत्ति पर वास्तविक वापसी	49	191	0	0	0	0
ग)	नियोक्ता योगदान	1019	537	0	0	0	0
घ)	लाभ का भुगतान	-2,725	-4,648	0	0	0	0
ङ)	अवधि के अंत में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	124	1,781	0	0	0	0

भारतीय लेखाकरण मानक 19 के अंतर्गत प्रकटीकरण रिपोर्ट (जारी...)

		उपदान		विशेषाधिकार अवकाश		रुग्ण अवकाश	

XIII. योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख शेणियाँ (कुल योजना परिसंपत्तियों का प्रतिशत)

क्र.सं.	विवरण	31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022
क)	भारत सरकार की प्रतिभूतियों	0	0	0	0	0	0
ख)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियों	0	0	0	0	0	0
ग)	उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड	0	0	0	0	0	0
घ)	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0	0	0	0	0	0
ङ)	परिसंपत्ति	0	0	0	0	0	0
च)	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित धन	100%	100%	0	0	0	0
छ)	बैंक शेष	0	0	0	0	0	0
	कुल	**100%**	**100%**				

XIV. निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन योजना

क्र.सं.	विवरण	31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022
क)	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	13,227	11,446	6,565	7,277	50	58
ख)	अधिग्रहण समायोजन	0	0	0	0	0	0
ग)	कुल सेवा लागत	526	480	537	528	3	2
घ)	निवल ब्याज लागत (आय)	907	704	450	448	3	4
ङ)	पुनः माप	2,964	1,133	3,139	367	-24	-14
	खोलने में अंतर	-1,019	-537	0	0	0	0
च)	निधि के लिए योगदान का भुगतान	0	0	-2,915	-2,054	0	0
छ)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान लाभ	0	0	0	0	0	0
ज)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	16,605	13,227	7,776	6,565	31	50

XV. चालू और गैर-चालू वर्ष के अंत में पीबीओ का विभाजन

क्र.सं.	विवरण	31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022
क)	चालू देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	5972	4,869	2,665	1,993	2	2
ख)	गैर-चालू देयता (एक वर्ष से अधिक की देय राशि)	10758	10,139	5112	4,572	30	47
	वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	**16,729**	**15,007**	**7,776**	**6,565**	**31**	**50**

XVI. अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान

क्र.सं.	विवरण	31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022
क)	सेवा लागत	517	431	427	443	14	11
ख)	निवल ब्याज लागत	1192	907	558	450	2	3
ग)	अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित व्यय	1709	1,338	985	893	16	15

XVII. परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता विश्लेषण

क)	**वेतन वृद्धि में परिवर्तन का असर**	31-03-2023	31-03-2023	31-03-2023
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	16,729	7,776	31
क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	-167	-100	0
ख)	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	170	103	0

ख)	**वेतन वृद्धि में परिवर्तन का असर**			
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	16,729	7,776	31
क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	133	107	0
ख)	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	-133	-105	0

भारतीय लेखाकरण मानक 19 के अंतर्गत प्रकटीकरण रिपोर्ट (जारी...)

	उपदान	विशेषाधिकार अवकाश	रुग्ण अवकाश

XVIII. परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफ़ाइल।

	वर्ष	राशि	राशि	राशि
क)	0 से 1 वर्ष	5,972	2,665	2
ख)	1 से 2 वर्ष	3,716	1,630	15
ग)	2 से 3 वर्ष	2,636	1,195	6
घ)	3 से 4 वर्ष	1,780	810	3
ङ)	4 से 5 वर्ष	1,010	508	2
च)	5 से 6 वर्ष	660	350	1
छ)	6 साल बाद	956	619	3

XIX. परिणाम का सारांश

		छुट्टी यात्रा रियायत	
क्र.सं.	परिसंपत्ति / दायित्व	31-03-2023	31-03-2022
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	171	177
ख)	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0	0
ग)	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल परिसंपत्तियाँ / (दायित्व)	-171	-177

XX. बीमांकिक एवं जनसांख्यिकीय धारणाएँ

क्र.सं.	विवरण	31-03-2023	31-03-2022
क)	छूट दर	7.18	6.86
ख)	भविष्य में वेतन वृद्धि	2.75	2.00
ग)	उम्र के संघर्षण	0	0

XXI. बीमांकिक मूल्य

	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	171	177

XXII. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची III के अनुसार वर्ष के अंत में पीबीओ का विभाजन

क्र.सं.	विवरण	31-03-2023	31-03-2022
क)	चालू देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	64	52
ख)	गैर-चालू देयता (एक वर्ष से अधिक की देय राशि)	107	125
ग)	वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	171	177

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी संख्या 28				
वित्तपोषण लागत				
i) ब्याज व्ययः				
नकद ऋण	**14422.22**		10761.60	
सार्वजनिक जमा	**0.00**		0.00	
बांड	**0.00**		**0.00**	
अवधि ऋण	**0.00**		0.00	
अन्य*	**3720.67**		5809.68	
ii) बैंक प्रभार	**2785.67**		2647.95	
iii) सरकारी गारंटी शुल्क	**0.00**		0.00	
iv) बांड / ऋण जारी करने में व्यय	**0.00**		0.00	
v) विदेशी मुद्रा अनुवाद और लेनदेन से निवल लाभ/हानि	**29.85**		3.37	
कुल		**20958.40**		19222.60
*पीएफ से ट्रस्ट में विलंबित भुगतान पर ब्याज सहित अन्य ब्याज व्यय।				
टिप्पणी संख्या 29				
मूल्यह्रास और ऋणमुक्ति व्यय :				
स्थाई परिसंपत्ति	**4946.02**		5101.42	
औजर और गेज	**3.82**		0.00	
कुल	**4949.84**		**5101.42**	
घटाएं : पुनर्मूल्यांकन आरक्षित से स्थानांतरण	**0.00**		0.00	
निवल मूल्यह्रास		**4949.84**		5101.42
टिप्पणी संख्या 30				
अन्य व्यय				
डीआरई बड़े खाते में डाले गए		**0.00**		0.00
वीआरएस व्यय		**0.00**		0.00
विनिर्माण व्यय :				
भंडार और पुर्जों की खपत		**9.57**		49.91
पावर और लाइट		**1849.09**		1756.64
जल प्रभार		**333.66**		285.62
उत्पाद शुल्क		**0.00**		0.00
रखरखाव और मरम्मत :				
i) प्लांट मिशीनरी और उपस्कर	**270.71**		175.37	
ii) वाहन	**88.84**		58.91	
iii) भवन	**877.03**		948.09	
iv) अन्य उपस्कर	**158.29**	**1394.87**	65.17	1247.54
लागत और औजारों पर व्यय		**0.00**		0.00
प्रयोगात्मक कार्य और प्रशिक्षण पर व्यय		**6.78**		2.00
लघु उपस्कर और कार्य पर व्यय		**0.75**		6.08
रॉयल्टी		**884.61**		0.00
आग के कारण स्टॉक का नुकसान		**88.25**		0.00
स्क्रैप और निस्तारण		**0.00**		0.00
फैक्ट्री व्यय		**926.29**		828.29

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टीओटी प्रभार :				
i) तकनीकी सहायता	0.00		0.00	
ii) तकनीकी जानकारी शुल्क	0.00		0.00	
iii) प्रलेखन प्रभार	0.00		0.00	
iv) प्रशिक्षण सहायता	0.00		0.00	
v) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
परिनिर्धारित नुकसानी		1246.75		531.26
विलंब - शुल्क		0.67		0.00
विदेशी मुद्रा अनुवाद और संचालन में निवल लाभ / हानि (वित्त लागत के रूप में माने जाने के अलावा)		0.00		(0.01)
कुल विनिर्माण व्यय		6741.28		4707.33
प्रशासनिक व्यय :				
किराया	154.69		161.52	
दर और कर	1056.47		157.66	
बीमा	129.75		74.06	
यात्रा व्यय				
अंतर्देशीय	562.09		432.69	
विदेशी	0.00		0.00	
डाक, टेलीग्राम, टेलेक्स व्यय	25.61		31.78	
टेलीफोन और ट्रंक-कॉल देय	44.24		68.92	
लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक				
लेखापरीक्षा शुल्क	27.04		23.96	
करारोपण मामले के लिए	1.50		1.66	
कंपनी कानून मामलों के लिए	0.00		0.00	
प्रबंधन सेवाओं के लिए	0.00		0.00	
प्रतिपूर्ति व्यय के लिए	1.18		0.38	
अन्य सेवाओं के लिए	1.33		0.48	
कानूनी शुल्क	135.76		92.10	
अन्य व्यावसायिक शुल्क	264.36		283.06	
सीआईएसएफ / निजी सुरक्षा व्यय	1002.28		960.60	
मुद्रण और स्टेशनरी और नकल प्रभार	64.94		45.25	
परिवहन व्यय	291.40		287.84	
समाचार पत्र, पत्रिका और पत्र-पत्रिकाएं	14.70		23.33	
यंत्रीकृत लेखा व्यय	2.40		3.73	
पट्टा शुल्क	0.00		0.00	
लाइसेंस शुल्क / खण्ड प्रभार	2.40		4.07	
सीएसआर व्यय	16.64		68.00	
अनुवर्ती सार्वजनिक अधिकारी (एफपीओ) पर व्यय	0.00		0.00	
कार्यालय व्यय	580.43		598.39	
आरएम स्टोर्स के अप्रचलन के लिए प्रावधान	0.00		0.00	
अप्रचलित आरएम और प्रोडक्शन स्टोर को बट्टे खाते में डाले गए	0.00		0.00	
प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य को बट्टे खाते में डालने का प्रावधान	0.00		0.00	
देनदार / अग्रिम के लिए प्रावधान	2639.38		700.00	
अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में डाले गए	0.78		323.02	
दावे एवं व्यय बंद प्रभारी	20.47		19.18	
परिसंपत्तियों की बिक्री के कारण हानि	0.00		0.00	
जुर्माना और विलंब शुल्क	17.35		15.24	

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
वहन राशि निवेश का समायोजन	0.00		0.00	
निवेशों की बिक्री पर निवल घाटा	0.00		0.00	
कुल प्रशासन व्यय		7057.17		4376.92
ग) विक्रय व्यय				
विक्रय एजेंसी कमीशन	4.11		6.38	
विज्ञापन व्यय	16.98		24.72	
प्रदर्शनी और प्रचार व्यय	9.64		0.40	
पैकिंग व्यय	6.70		0.16	
अन्वेषण व्यय	53.68		322.40	
प्रदत्त छूट	0.00		0.00	
आश्वस्ति व्यय	0.00		0.53	
विक्रय बढ़ोतरी व्यय	0.00		9.03	
मनोरंजन व्यय	1.56		2.58	
निविदा प्रपत्र की लागत	1.84		4.37	
कुल विक्रय व्यय		94.51		370.57
कुल अन्य व्यय		13892.97		9454.83
सी-डॉट के पर्याप्त देय राशि को ध्यान में रखते हुए रॉयल्टी पर देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है। (यह राशि रॉयल्टी की राशि से ज्यादा है) क्योंकि सी-डॉट द्वारा पट्टे पर लिए गए भवन का किराया लंबे समय से बकाया है।				
बैक-टू-बैक व्यवस्था होने की दशा में, परिनिर्धारित नुकसान की गणना निवल आधार पर की जाएगी।				
विदेशी मुद्रा में व्यय :				
रॉयलटी	0.00		0.00	
जानकारी	0.00		0.00	
वृत्तिक / परामर्श शुल्क	0.00		0.00	
ब्याज	0.00		0.00	
अन्य	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (जारी...)

अतिरिक्त प्रकटीकरण

विवरण	31.03.2023	31.03.2022

टिप्पणी - 31

1 **निगमित सूचना :**

आईटीआई लिमिटेड एक सार्वजनिक कंपनी है जो कि भारत की स्थायी और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार समाविष्ट है। कंपनी मुख्य रूप से दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण, सेवा और बिक्री के कारोबार में लगी हुई है।

2 16500 करोड़ रुपये की राशि 2014-2015 के दौरान वेतन संशोधन बकाया राशि प्राप्त हुआ है। 15493.72 लाख रुपये का भुगतान वेतन संशोधन बकाया राशि के रुप में और शेष राशि 1006.28 लाख रुपये का मौजूदा देनदारियों के तहत रखा गया है।

3 लेनदारों, देनदारों के खातों में शेयर राशियाँ, ग्राहकों से अग्रिम, कुछ बैंक खाते, वसूली योग्य दावे, ऋण और अग्रिम, फैब्रिकेटरों, उप-ठेकेदार / अन्य के पास सामग्री, मार्गस्थ सामग्री, जमा राशियां, ऋण, जीएसटी, जमा और अन्य देनदारियाँ जो पुष्टि / समाधान के अधीन हैं। हालांकि प्रबंधन की राय में, यदि सामान्य व्यवसाय के दौरान महसूस किया गया हो, व्यापार प्राप्तियाँ, मौजूदा संपत्ति, ऋण और अग्रिम के रूप में व्यक्त किए गए है।

4 कंपनी मुख्य रूप से विनिर्माण, व्यापार और दूरसंचार उपकरणों की सर्विसिंग के कारोबार और सहायक सेवाओं के प्रतिपादन के व्यवसाय में लगी हुई है और अलग से रिपोर्ट करने योग्य कोई खंड नह है। कंपनी को मुख्य रूप से एक ही भौगोलिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है, जो भारत में काम कर रही है। कंपनी रक्षा परियोजनाओं में भी लगी हुई है। दिनांक 23.02.2018 को अधिसूचित के अनुसार एमसीए ने सेगमेंट रिपोर्टिंग की आवश्यकता से रक्षा उत्पादन में लगे कंपनियों की पहचान की है।

5 क) संबंधित पार्टी प्रकटीकरणों पर लेखाकरण मानक (इंड एएस)24 के अनुसार इंडिया सेटकॉम लि.(आईएसएल) इन संयुक्त उद्यम कंपनियों के साथ निम्न लेन-देन किए गए।

	31.03.2023	31.03.2022
माल सेवाओं का खरीद	-	-
माल सेवाओं का विक्रय	-	-
बकाया रकमः		
- संबंधित पार्टी से देय	-	-
- संबंधित पार्टी को देय	-	-
संबंधित पार्टी से संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	-	-
ख) कुंजी प्रबंधन कर्मियों को प्रतिपूर्ति भुगतान किया गया। (इंड एएस-24 यथा अपेक्षित)	**मार्च, 2023**	**मार्च, 2022**
श्री राजेश राय-अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 21.02.2023 से प्रभावी	**4.12**	0.00
श्री आर एम अग्रवाल पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**8.87**	36.48
श्री राजीव श्रीवास्तव निदेशक-वित्त	**24.22**	19.12
श्री शशि प्रकाश गुप्ता पूर्व निदेशक मानव संसाधन	**0.00**	7.84
श्री वेंकटेश्वरलू पूर्व-निदेशक (उत्पादन)	**39.07**	19.65
श्री राकेश चंद्र तिवारी, निदेशक-विपणन	**45.98**	42.38
श्रीमती शनमुगा प्रिया पूर्व, कंपनी सचिव	**16.20**	13.27
श्रीमती आर वसंती-निदेशक (उत्पादन) अतिरिक्त प्रभार 28.02.2023 से प्रभावी	**2.04**	0.00
श्रीमती जेयंति निदेशक मानव संसाधन, अतिरिक्त प्रभार, 28.02.2023 से प्रभावी	**2.04**	0.00

6 आय प्रति शेयर (प्रचालन जारी रखने के लिए)

	31.03.2023	31.03.2022
कर पूर्व लाभ	**-36009.63**	12007.78
(-) अधिमान लाभांश	**0.00**	0.00
लाभांश कर	**0.00**	0.00
इक्विटी शेयरधारकों को उपलब्ध लाभ	**-36009.63**	12007.78
वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की संख्या	**933522869**	933522869
वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या	**949577352**	933522869
अवधि के दौरान शेयरों का भारित औसत संख्या	**944488639**	933522869
आय प्रति इक्विटी शेयर (प्रचालन जारी रखने के लिए) बेसिक और तनुकृत (रु. में)	**-3.81**	1.29

7 चूँकि कंपनी की पर्याप्त भावी कर योग्य आय की कोई यथार्थ अवधारणा नह है, भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस)-12 ''आयकरों के अंतर्गत अनवशोषित मूल्यह्रास और कंपनी के अग्रेषित हानि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों को नह लिया जा रहा है।

8 **<u>संयुक्त उद्यम:</u>**

इंड एएस 28 के अनुसार संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंगः

(क) इंडिया सैटकॉम लिमिटेड	31.03.2023	31.03.2022
सं.2, काडुगोडी इंडस्ट्रियल एरिया, व्हाईट फिल्ड, बेंगलूरु-67		
कंपनी की इक्विटी भागीदारी	49%	49%

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (जारी...)

9	क) पूँजी खाते में निष्पादन के लिए शेष संविदाओं की प्राक्कलित राशि जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिम का निवल)	2,033.31	1,621.58
	ख) अन्य संविदाओं के संबंध में प्रतिबद्धता नहीं दी गई।	-	-
10	आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं		
	(क) कंपनियों के खिलाफ दावों को कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया		
	- बकाया साखपत्र एवं गारंटी	**1,32,149.64**	1,47,253.97
	- बकाया कर		
	----- मुक़दमे		
	----------प्रत्यक्ष कर मामले	**691.72**	691.72
	----------अप्रत्यक्ष कर मामले	**13,371.38**	16,338.54
	-----अन्य कर बकाया		
	----------प्रत्यक्ष कर मामले	**177.51**	-
	----------अप्रत्यक्ष कर मामले	**5,915.37**	14,139.51
	- अन्य दावे मुक़दमे	**27,718.38**	21,380.42
	- अन्य दावे अन्य	**18.20**	-

i) कंपनी के प्रति किए दावों की स्वीकृति ऋण के रूप में नहीं की गई है, जिसमें मैसर्स अलिक्रयन कॉर्पोरेशन द्वारा दावा की गई 167000.00 लाख रुपए की राशि शामिल है, कंपनी को जीपॉन से संबंधित बैक टू बैक आधारित अनुबंध के प्रति बीएसएनएल से 17096 लाख रुपए की वसूली करनी है।

ii) कंपनी को बीबीएमपी से 2008-09 से 2022-23 तक के वर्षों के लिए ब्याज और जुर्माने के साथ संशोधित दरों के आधार पर कुल 7938.21 लाख रुपये के संपत्ति कर की मांग प्राप्त हुई है। कंपनी ने उन दरों पर संपत्ति कर का भुगतान किया है /प्रावधान किए हैं जिस दर पर पूर्व काल में करों का भुगतान किया था तथा कंपनी ने इस आधार पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करके इस आधार पर संपत्ति कर के संशोधन का प्रतिवाद किया था कि यह कंपनी बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत पुनरुद्धार योजना के अंतर्गत रुग्न उद्योग के अंतर्गत आती है तथा इस प्रकार यह ऐसे संशोधन के प्रति छूट दिए जाने की पात्र है।

iii) कंपनी को बीएसई/एनएसई से स्वतंत्र निदेशकों/महिला निदेशकों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण 18.20 रुपये की राशि के जुर्माने का नोटिस प्राप्त हुआ है। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में गैर-अनुपालन का कारण के साथ बीएसई/एनएसई को अनुरोध किए जाने के परिणामस्वप वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही तक जुर्माना समाप्त कर दिया गया है। कंपनी का विश्वास है कि अनुवर्ती दंड भी इसी प्रकार समाप्त किए जाएंगे। तदनुसार, इन दंडों के प्रति किसी प्रकार के प्रावधान नहीं किए गए हैं।

iv) दावे की राशि में एचएफसीएल द्वारा निर्णित हर्जाने के प्रति दावा की गई 1485.60 लाख रुपये का दावा तथा विवाचक द्वारा की गई पुष्टि शामिल है। तथापि, कंपनी ने उक्त दावे के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की है।

v) कंपनी के प्रति किए गए दावों में ईईएसएल निविदा के अंतर्गत आरईसीएपी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीसीएएमएस बॉक्स उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में दायर की गई याचिका की देय तिथि से दावा की गई राशि के शेष 615.13 लाख रुपए का दावा भी शामिल है।

vi) वित्तीय संकट के कारण, भविष्य निधि में अंशदान सहित कुछ सांविधिक देयताओं के भुगतान में देरी हुई है। इसके प्रति देय ब्याज / जुर्माने की वास्तविक ज्ञात न किए जा सकने के कारण कंपनी द्वारा अनुमान के आधार पर देरी पर ब्याज के प्रति अनुमानित आधार पर प्रावधान किए गए हैं।

vii) कंपनी ने अनुमानित आधार पर पिछले वर्ष के लिए सी/डी फॉर्म जमा नहीं करने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय बिक्री कर देयता के लिए 5,915.37 लाख रूपये (पिछले वर्ष 14,139.51 लाख रुपये) की आकस्मिक देयता का खुलासा किया है । वास्तविक दायित्व वैधानिक रूप के संग्रह और प्रस्तुत करने और कर निर्धारण के समय लागू कर दर को अपनाने के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।

viii) कंपनी के खिलाफ दावों में से 26,800.10 लाख रुपये के ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया जिसमें 16700.00 लाख रुपये शामिल हैं। मेसर्स अल्क्रियन कॉरपोरेशन कंपनी को जीपॉन से संबंधित अनुबंध के आधार पर बीएसएनएल से 17096 लाख रुपये की वसूली करनी है ।

ix) सभी अतिदेय सांविधिक देनदारियों (निर्विवाद सहित) के बकाया और दंड पर संबंधित अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन और निर्धारित किया जा सकता है।

x) एक कर्मचारी ने कंपनी के खिलाफ 39 महीने के वेतन संशोधन बकाया पर 28.28 लाख रुपये के ब्याज का दावा करने के लिए मामला दर्ज किया है और मामला उच्च न्यायालय में लंबित है।

ख) अन्य मुकदमे:

i) परिसमाप्त क्षति के कारण दावा वसूली- भूमि में 1049.41 लाख रूपये मेसर्स हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस से देय है। कंपनी ने कानूनी मामला दायर किया है जो दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है।

ii) बृहत बेंगलूरु महानगर पालिका का (बीबीएमपी) ने आईटीआई की अनुमति के बिना आईटीआई भूमि कृष्णाराजपुरम में सड़क का निर्माण, कर्नाटक हाइकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद किया गया जिसका उपयोग आम जनता द्वारा किया जाता है।

आईटीआई लिमिटेड द्वारा मैसर्स माइंड ऐरे सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के प्रति कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए दिनांक 18.5.2022 को मैजिस्ट्रेट सिविल न्यायालय के सम्मुख एक शिकायत दर्ज की गई है। यह मामला नगर वाणिज्य न्यायालय, बेंगलूरु के अध्यधीन है।

आईटीआई लिमिटेड द्वारा इंफोस पार्क को एलईडी स्ट्रीट लाइटों की आपूर्ति की गई थी, जिसका भुगतान अभी प्राप्त नहीं हुआ है। आईटीआई द्वारा मैसर्स इंफोस पार्क के खिलाफ बैंक की ओर से भुगतान के लिए चेक नकार दिए जाने का एक मामला दर्ज किया गया है।

कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 5 एकड़ भूमि का उपयोग कर रहा है तथा इसके लिए कोई पट्टा करार नहीं किया गया है।

कर्नाटक जनरल लेबर यूनियन ने वीयूएसएस और मुस के लिए 248.17 लाख रुपए की लॉकडाउन वेतन का भुगतान न करने का मामला दायर किया है।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (जारी...)

11. पूर्व वर्षों के प्रतिलेखित दायित्वों में 3.80 लाख रुपए नैनी इकाई, 2.86 लाख रुपए एवं क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलूरु प्लांट 0.94 लाख रुपए (पिछले वर्ष 289.18 लाख रुपए जिसमें रायबरेली इकाई के 161.46 लाख रुपए, एनएस यूनिट के 127.72 लाख रुपए) शामिल हैं।

12. प्रयुक्त आयातित कच्चे माल, भंडार और अतिरिक्त पूर्जों का मूल्य तथा प्रयुक्त देशी सामग्री का मूल्य प्रत्येक की प्रतिशतता।

	31.03.2023	31.03.2022
आयातित	521.25	53.38
देशी	15,920.27	11,992.14
कुल	**16,441.53**	**12,045.52**

13 प्रारंभिक स्टॉक के संदर्भ में सीमा शुल्क तथा में देय विभिन्न समायोजनों को ध्यान में रखने के पश्चात् प्राप्त स्टॉक में अभिवृद्धि / कमी।

14 रुग्न उद्योग कंपनी अधिनियम (एसआईसीए), 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कंपनी एक रुग्न कंपनी है तथा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के सम्मुख कंपनी को संदर्भित किए जाने के पश्चात वर्तमान में यह पुनरूद्धार योजना के अंतर्गत आती है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा पुनरूद्धार योजना के अंतर्गत कंपनी के पुनरूद्धार के लिए फरवरी 2014 में अनुमोदित 415679 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का अनुमोदन दिया गया है।

अनुमोदित वित्तीय सहायता के एक भाग के रूप में वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रारंभ तक 94556 लाख रुपए पूंजी अनुदान के रूप में तथा 189279 लाख रुपए की राशि की प्राप्ति राजस्व अनुदान के रूप में प्राप्त हो चुकी है। बीआईएफआर के दिनांक 8.1.2013 के आदेश के अनुसार विभिन्न तिथियों को भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त पूंजी अनुदान के प्रति प्रचलित बाजार मूल्य अथवा आबंटन की तिथि से पूर्व की तीन माह के औसत शेयर मूल्य, जो भी कम हों, के अनुसार शेयरों का आबंटन किया गया है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के प्रति प्राप्त 15500 लाख रुपए के राजस्व अनुदान में से 11003.58 लाख रुपए की राशि का वितरण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को किया जा चुका है तथा शेष राशि खाते में उपलब्ध है।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी को वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 18700 लाख रुपये का पूंजी अनुदान प्राप्त हुआ। इसमें से 8,000.00 लाख रुपए के अनुदान की राशि के प्रति 77,33,204 शेयर 103.45 रुपये प्रति शेयर (10 रुपए मूल्य के पूर्ण चुकता शेयर के प्रति 93.45 रुपए के प्रीमियम के साथ) दिनांक 28.9.2022 को आबंटित किए गए हैं तथा शेष 10700.00 लाख रुपए की राशि का लेखा बहियों में लेखांकन शेयर आवेदन राशि के रूप में लंबित आबंटन के प्रति किया गया है। तुलन पत्र की तिथि तक प्राप्त कुल वित्तीय सहायता की राशि 302535 लाख रुपए है।

15 12.15 एकड़ भूमी में से जो बेंगलूरु मैट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन, बीएमटीसी को पट्टे के रूप में देना है 12.15 एकड़ भूमी जो पहले से ही बीएमटीसी के कब्जे में है, भारत सरकार के पट्टे के नियमों व शर्तानुसार अनुमोदन देना है। पट्टे को पहचानित कर किराए को शर्तों के अनुसार अंतिम रुप दिया जाएगा। 285 लाख रु. पूर्व में बीएमटीसी से प्राप्त हो चुकी है जिसको जमा किया गया है।

16 प्राप्त सेवानिवृति अनुदान सहायता में से कर्मचारियों को चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति दिए जाने के कंपनी के प्रस्ताव पर लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान दूरसंचार विभाग द्वारा सहमति नहीं दी गई थी। अतः वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान सेवानिवृत्ति अनुदान सहायता में से स्वीकृत किए गए चिकित्सा आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के व्यय का समायोजन अब व्यय के रूप में किया गया है।

17 ईएसआईसी के साथ पट्टा समझौता जुलाई 2016 के महीने में समाप्त हो गया है और पट्टे का नवीकरण समझौते नहीं किया गया है, क्योंकि संशोधित पट्टा किराया ईएसआईसी के साथ फैसला नहीं किया गया है।

18 सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य

कच्चा माल और उत्पादन भंडार	349.64	49.48
घटक तथा अतिरिक्त पुर्जे	171.62	3.90
मार्गस्थ सामग्री	-	-
पूँजीगत माल	-	163.60
कुल	**521.25**	**216.98**

19 सी-डॉट, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय से 2005-06 से 2010-11 तक 5847.90 लाख रुपये अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। उगाही/वसूली के अनिश्चितता के चलते, सकल किराया राजस्व की पहचान जिसकी कुल रकम 11,779.92 लाख रुपये है जो प्रोद्भवन आधार पर वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए है, आस्थगित किया गया है और एएस-18 के अनुरूप है।

20 जून 1990 तक दक्षिणी रेलवे द्वारा अपनी सुविधाओं तक पहुंच मार्ग के रूप में उपयोग की जाने वाली 1.83 एकड़ भूमि के किराए का भुगतान, बिना किसी लिखित पट्टा करार के, चुकता किया जा रहा था। तथापि, एप्रोच रोड का उपयोग जनता एवं स्थानीय क्षेत्र निवासियों द्वारा किए जाने के कारण दक्षिण रेलवे किराए का भुगतान करना बंद कर दिया था। वर्तमान में इस भूमि का उपयोग जनता द्वारा राइट आफ वे के रूप में किया जा रहा है।

21 वित्तीय विवरणों के नोट 1 तथा नोट 3 में किए गए प्रकटीकरण के अनुसार नीचे उल्लिखित के अलावा सम्पतियों के हक विलेख कंपनी के नाम पर धारित हैं:

(i) पालक्काड में स्थित 19470 लाख रुपए मूल्य (वहन मूल्य) की 77 एकड़ माप की भूमि का पुनः ग्रहण केरल सरकार द्वारा कर लिया गया है तथा यह मामला उच्चतर न्यायालय के सम्मुख न्यायाधीन है। तुलन पत्र में दर्शाई भूमि के मूल्य में केरल सरकार द्वारा पुनः ग्रहण की गई भूमि का मूल्य शामिल है जो उच्चतर न्यायालय में न्याय के लिए लंबित है।

(ii) आईटीआई कॉम्प्लेक्स में 174.69 एकड़ माप की 9282 लाख रुपए के मूल्य (वहन मूल्य) की भूमि जिला औद्योगिक अधिकारी द्वारा वर्ष 1969 में नैनी यूनिट को सौंप दी गई थी जो कंपनी के नाम से नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (जारी...)

(iii) उद्योग विभाग, रायबरेली द्वारा दिनांक 12.11.1973 को गांव बेलापुर, छजलापुर एवं मालिकमाऊ ऐयमा, रायबरेली में दिनांक 9.1.1973 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 10574(1).एसएचए.यू/18.।।.666/बीएचए-72 के माध्यम अंतरित की गई 11620 लाख रुपए (लगभग) मूल्य की 196.37 एकड़ भूमि (फैक्टरी क्षेत्र) के शीर्ष के अंतरण का मामला आईटीआई लिमिटेड की ओर से भूमि अधिग्रहण के समय भू स्वामियों को चुकता किए गए भुगतान के प्रमाण की प्रस्तुत न किए जाने के कारण लंबित है।

22 मैसर्स कार्वी डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड तथा मैसर्स टेल्वा सिस्टम्स से 2144 लाख रुपये की राशि लम्बे समय से प्राप्य है। कंपनी द्वारा इस मामले में बट्टा नामे का कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि विक्रेताओं (बैक-एंड पार्टनर्स) से समान राशि की अनुरूपी देयता देय है जो कि इस राशि की वसूली होने पर ही की जाएगी। प्राप्य एवं देय राशि के मध्य भिन्नता की 242 लाख रुपए की राशि के लिए प्रावधान किए गए हैं।

23 प्रोमोटरों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों तथा संबद्ध पार्टियों (कंपनी अधिनियम, 2013 में की गई परिभाषा के अनुसार) ऋण अथवा अग्रिम के रूप में किसी भी प्रकार के ऐसे ऋण प्रदान नहीं किए गए है जो पृथक अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से (क) मांग पर देय हैं अथवा (ख) निर्दिष्ट किन्हीं शर्तों अथवा पुनर्भुगतान की अवधि में देय हैं।

24 कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के प्रति बेनामी संव्यवहार (प्रतिबंध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) एवं उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत न तो कोई प्रक्रिया की गई है अथवा न ही कोई प्रक्रिया लंबित है।

25 कंपनी ने बैंकों से अपनी चालू परिसम्पतियों की प्रतिभूति के आधार पर ऋण प्राप्त किए हैं। कंपनी द्वारा बैंकों को फाइल किया गया स्टॉक एवं देनदार विवरण लेखा बहियों के अनुरूप है।

26 किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान अथवा किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

27 प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 248 के अंतर्गत स्ट्रक ऑफ कम्पनियों के साथ प्रतिभूतियों में निवेश, प्राप्यों, देयों, स्ट्रक ऑफ कंपनी द्वारा धारित शेयरों एवं अन्य बकाया शेषों के संबंध में किसी प्रकार के संव्यवहार नहीं किए हैं।

28 कंपनी के प्रति ऐसे कोई चार्जिस अथवा चार्जिस की संतुष्टि नहीं है जो सांविधिक अवधि के पश्चात अभी आरओसी में पंजीकृत नहीं की गई है।

29 कंपनी ने ऐसी काई योजना व्यवस्था नहीं की है जिससे चालू अथवा पूर्व वित्तीय वर्ष में लेखांकन प्रभावित होता हो।

30 कंपनी द्वारा विदेशी इकाईयों, "मध्यस्थों" सहित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (इकाईयों) को किसी निधि का अग्रिम अथवा ऋण नहीं दिया गया है अथवा निवेश (ऋण पर प्राप्त निधियों अथवा शेयर प्रीमियम अथवा अन्य स्रोतों से अथवा अन्य प्रकार की निधियों में किसी में से) इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं किया गया है कि मध्यस्थ द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, कंपनी अथवा कंपनी की और से ("अंतिम लाभग्राहियों") अन्य व्यक्तियों अथवा निर्धारित इकाईयों को ऋण अथवा उनमें निवेश अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा, अंतिम लाभग्राहियों की ओर से किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान की जाएगी

31 कंपनी ने लेखा बहियों में रिकार्ड न किए ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए हैं जो आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण के लिए वर्ष के दौरान त्याग दिए गए हों अथवा जिनका प्रकटीकरण किया गया हो।

32 कंपनी के क्रिप्टो अथवा वर्चुअल मुद्रा में चालू अथवा पूर्व वर्ष के दौरान न तो कोई ट्रेड किया है और न ही निवेश किया है।

33 कंपनी द्वारा बैंको अथवा वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋणों का उपयोग उन उद्देश्यों से किया जा रहा है जिस उद्देश्य के लिए आवेदन दिया गया था।

34 अनुपातों की गणना के लिए प्रयुक्त अनुपात और सूत्र निम्नानुसार है:

	31.03.2023	31.03.2022
(क) चालू अनुपात	0.97	1.01
(ख) नामे इक्विटी अनुपात	0.81	0.64
(ग) नामे सेवा कवरेज अनुपात	-0.55	1.38
(घ) इक्विटी पर प्रतिफल	-0.15	0.13
(ङ) मालसूची टर्नओवर अनुपात	6.89	9.07
(च) व्यवसाय प्राप्य टर्नओवर अनुपात	0.50	0.63
(छ) व्यवसाय देय टर्नओवर अनुपात	0.61	0.70
(ज) निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	-6.31	21.93
(झ) निवल लाभ अनुपात	-25.81%	6.45%
(ञ) नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	-0.04	0.04
(ट) अनुदान सहायता के बिना परिचालन लाभ मार्जिन (परिचालन लाभ/निवल बिक्री)	-9.10%	-5.37%
(ठ) अनुदान सहायता के साथ परिचालन लाभ मार्जिन (परिचालन लाभ/निवल बिक्री)	-9.10%	6.40%
(ड) कुल परिसम्पतियों के प्रति बिक्री (कर सहित बिक्री/कुल परिसंपतियां (निवल अचल परिसंपितयां) + निवेश + सकल चालू परिसंतियां)	0.17	0.22
(ढ) बिक्री से लाभ (बिक्री से जीएसटी सहित कर पूर्व लाभ)	-22.67%	5.78%
(ण) नियोजित पूंजी से परिचालन लाभ(कर पूर्व लाभ/ (शेयरधारक निधियां + ऋण निधियां)	-6.34%	3.62%
25% से अधिक भिन्नता वाले टर्नओवर अनुपालन परिचालन परिवर्तनों के कारण हैं।		

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (जारी...)

35 **सीएसआर गतिविधियों का विवरण :**

(i) वर्ष के दौरान कंपनी से व्यय के लिए अपेक्षित राशि	शून्य	110.55
(ii) व्यय की गई राशि	5.00	99.09
(iii) वर्ष के अंत में न्यूनता	0	11.46
(iv) पिछले वर्ष की कुल न्यूनता	शून्य	शून्य
(v) न्यूनता का कारण (*पीएम केयर्स फंड में 29.09.2022 को 11.46 लाख रुपये की कमी जमा की गई)	लागू नहीं	
(vi) सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	सशस्त्र बल ध्वज निधि (एएफएफडीएफ)	शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, भूख मिटाना, पर्यावरण आदि।
(vii) सम्बद्ध पार्टी संव्यवहार का विवरण, उदाहरण : कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान		शून्य

36 आईटीआई लिमिटेड, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के आदेश द्वारा की जाती है। स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण निदेशक मंडल की संरचना सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। तथापि, कंपनी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव प्रशासनिक मंत्रालय के पास प्रक्रियाधीन है। 31 मार्च 2023 तक कंपनी में कंपनी सचिव पद भी रिक्त है।

37 वित्त लागत में, वर्ष के अंत में, भविष्य निधि (3006.98 लाख रुपये) के सांविधिक बकाया पर देय विलंबित भुगतान का ब्याज शामिल है।

38 पट्टा काल एवं अनुबंध के अंतिमकरण के प्रति संबंधित मंत्रालय से अनुमोदन लंबित होने के कारण रायबरेली द्वारा एनआईएफटी को नवनिर्मित भवन पट्टे पर दिए जाने प्राप्त किराया आय की स्वीकृति नहीं की गई है।

39 पिछले वर्ष के आँकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकृत, फिर से वर्गीकृत और पुनर्कथित किया गया है।

40 वह आँकड़े जो ब्रैकेट में दर्शाएं गए हैं, वह ऋणात्मक आँकड़ों को प्रदर्शित करते हैं।

टिप्पणी : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते **जीआरएसएम एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण नं. 000863एस

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ए राजगोपाल
साझेदार
एम.सं.205296

राजीव श्रीवास्तव
निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन: 08921307

राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 10052045

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 29 मई 2023

अनुबंध - 1

31.03.2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए संबंधित पार्टी लेनदेन (स्टैंडअलोन) का प्रकटीकरण

32 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

क. एसोशिएट/संयुक्त उद्यम

उद्यम का नाम	व्यवसाय का स्थान	कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व हित		गैर-नियंत्रण हितों द्वारा धारित स्वामित्व हित		प्रमुख गतिविधियां
		31.03.2023 को	31.03.2022 को	31.03.2023 को	31.03.2022 को	
इंडिया सैटकॉम लिमिटेड	इंडिया	49.06%	49.06%	50.94%	50.94%	वीसैट विनिर्माण एवं सर्वीसिंग

ख. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण

लाख रु. में:

निदेशकों / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के नाम	31.03.2023 को समाप्त तिमाही के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
श्री राजेश राय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 21.02.2023 से प्रभावी	4.12	4.12	-
श्री आनंद सिंह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (01.09.2022 से 30.09.2022 तक)	-	-	-
श्री राकेश चंद्र तिवारी - निदेशक (विपणन)	12.59	45.98	42.38
श्री राजीव श्रीवास्तव - निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकरी	7.04	24.22	19.12
श्रीमती आर वसंती - निदेशक (उत्पादन) अतिरिक्त प्रभार 28.02.2023 से प्रभावी *	2.04	2.04	-
श्रीमती एस जेयंति - निदेशक (मानव संसाधन), अतिरिक्त प्रभार, 28.02.2023 से प्रभावी*	2.04	2.04	-
श्री आर एम अग्रवाल - पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	-	8.87	36.48
श्री डी वेंकटेश्वरलू - पूर्व निदेशक (उत्पादन)	-	42.07	19.65
श्री शशिप्रकाश गुप्ता - पूर्व निदेशक (मानव संसाधन)	-	-	7.84
श्रीमती शनमुगा प्रिया पूर्व - कंपनी सचिव	3.78	16.20	13.27
डॉ. अखिलेश दुबे - स्वतंत्र निदेशक	-	-	0.15
डॉ. के.आर. शनमुगम - स्वतंत्र निदेशक	-	-	0.45
श्री मयंक गुप्ता - स्वतंत्र निदेशक	-	-	0.40
श्री राजेन विद्यार्थी - स्वतंत्र निदेशक	-	-	0.20
डॉ राजा नायक - स्वतंत्र निदेशक	0.60	1.80	0.65
श्री श्री बिलेश्वर सिन्हा - स्वतंत्र निदेशक	0.30	1.30	0.50
श्रीमती ममता पलारिया - स्वतंत्र निदेशक	0.50	1.80	0.60

* वर्ष का अंश

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के इतर संबंधित परतियों के साथ लेनदेन निम्नानुसार है (पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दर्शित है):

विवरण	एसोशिएट/संयुक्त उद्यम
	इंडिया सेटकॉम लिमिटेड
माल का क्रय	शून्य
माल की बिक्री	
सेवाएँ प्रदान करना	
प्राप्त सेवाएँ	
प्राप्त किराया (लीज़)	
ब्याज आय	
निवेश पर लाभांश आय	
31.03.2023 पर बकाया ऋण (ब्याज सहित)	
31.03.2023 पर बकाया व्यापार देनदारियाँ	
31.03.2023 पर बकाया प्राप्य व्यापार	
31.03.2023 पर इक्विटी में निवेश	40.55 लाख रु. (40.55 लाख)
31.03.2023 पर बकाया किराया के लिए अग्रिम	शून्य

घ)	संबंधित पार्टियों के साथ निपटाए गए सभी लेनदेन सरल रूप में पहुँच के आधार पर है।

ङ)	सभी बकाया शेष राशि (ऋण के इतर) असुरक्षित हैं और अगले 6 महीनों के अंदर नकद में प्रतिदेय है। ऋण के बकाया शेष राशि के लिए नीचे टिप्पणी ज का संदर्भ लें।

च)	**संबंधित पार्टियों को ऋण**
	शून्य

छ)	**कर्मचारियों की प्रतिनियुक्त सहित प्रबंध अनुबंधः**
	शून्य

ज)	**"सरकार एवं सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेनः**
	जैसा कि आईटीआई दूरसंचार मंत्रालय (डीओटी) के नियंत्रणाधीन एक सरकारी संस्था है, सरकार एवं सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन के संबंध में भारतीय लेखा मानक 24 के अधीन अपेक्षित अनुसार कंपनी ने विवरणात्मक प्रकटीकरण का प्रावधान किया है। भारतीय लेखा मानक 24 के अधीन अपेक्षित अनुसार, व्यक्तिगत रूप में महत्वपुर्ण लेनदेन नीचे दिये जाते हैं: 1. शेयरों की पुनर्खरीद। 2. जारी बोनस। 3. प्रदत्त लाभांश।

2022-23 सुख-सुविधाओं पर पूंजीगत व्यय

करोड़ रु. में

विवरण	लागत पर सकल निरुद्ध					मूल्यह्रास					निवल ब्लॉक	
	31.03.2022 तक	इस वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बेची/रद्द परिसंपत्तियाँ	अंतरण तथा समायोजन	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक	इस वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान बेची/रद्द परिसंपत्तियाँ	अंतरण तथा समायोजन	31.03.2023 तक	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
टाउनशीप	1104.24	0.10	0.00	0.00	1104.34	110.03	0.87	0.00	0.00	110.90	**993.44**	**994.21**
परिवहन	7.00	0.27	0.00	0.00	7.27	6.49	0.15	0.00	0.00	6.64	**0.63**	**0.51**
चिकित्सा	8.34	0.03	0.00	0.00	8.37	3.63	0.06	0.00	0.00	3.69	**4.68**	**4.71**
कैंटीन	6.16	0.00	0.00	0.00	6.16	3.32	0.10	0.00	0.00	3.42	**2.74**	**2.83**
स्कूल, क्लब, ऑडिटोरियम, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप	12.85	0.00	0.00	0.00	12.85	5.56	0.08	0.00	0.00	5.64	**7.21**	**7.29**
सब्जी की खेती और उद्यान आदि	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	**0.02**	**0.02**
कुल	**1138.64**	**0.40**	**0.00**	**0.00**	**1139.04**	**129.06**	**1.26**	**0.00**	**0.00**	**130.32**	**1008.72**	**1009.57**

2022-23 सुख-सुविधाओं पर राजस्व व्यय

करोड़ रु. में

विवरण	टाउनशिप	परिवहन	चिकित्सा	कैंटीन	स्कूल, क्लब ऑडिटोरियम, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलाप	सब्जी की खेती और उद्यान आदि	2022-23	2021-22
वेतन और भत्ते	8.46	1.08	2.68	0.35	0.25	0.00	**12.82**	**12.30**
वर्दी	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	**0.03**	**0.02**
अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	**0.05**	**0.29**
आपूर्ति एवं अन्य सेवाएँ	0.01	0.03	3.22	2.26	0.00	0.00	**5.52**	**6.65**
ऊर्जा, बिजली और जल	3.23	0.00	0.10	0.03	0.00	0.00	**3.36**	**3.19**
परिवहन प्रभार	0.01	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	**1.64**	**1.41**
किराया, दर, कर और बिमा	0.14	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.18**	**0.44**
अनुरक्षण एवं मरम्मत	2.02	0.53	0.09	0.02	0.07	0.19	**2.92**	**2.42**
मूल्यह्रास - भवन	0.37	0.05	0.02	0.11	0.08	0.00	**0.63**	**0.59**
मूल्यह्रास - संयंत्र मशीनरी उपस्कर और वाहन	0.25	0.06	0.04	0.00	0.01	0.00	**0.36**	**0.64**
सामान्य उपरिव्यय	0.02	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	**0.62**	**0.06**
	14.51	**3.44**	**6.75**	**2.78**	**0.46**	**0.19**	**28.13**	**28.01**
घटाएँ :								
वसूली/समायोजन								
किराया	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**17.48**	**18.72**
ऊर्जा, बिजली और जल	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.85**	**1.34**
परिवहन प्रभार	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.05**	**0.08**
प्रति व्यक्ति शुल्क और अन्य वसूली	0.00	0.00	0.05	0.06	0.00	0.00	**0.11**	**0.02**
विक्रय राशियाँ	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	**0.15**	**0.12**
अप्रत्यक्ष व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.09**
टाउनशिप, चिकित्सा और कार्यालय प्रयोग के लिए विनिधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
	18.33	**0.05**	**0.05**	**0.21**	**0.00**	**0.00**	**18.64**	**20.37**
निवल व्यय	-3.82	3.39	6.70	2.57	0.46	0.19	**9.49**	**7.64**
पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज कल्पित	0.00	0.25	0.13	0.09	0.01	0.00	**0.48**	**0.83**
कुल व्यय	**-3.82**	**3.64**	**6.83**	**2.66**	**0.47**	**0.19**	**9.97**	**8.47**
पिछला वर्ष	**-9.17**	**4.06**	**7.47**	**4.74**	**0.99**	**0.62**	**8.47**	**8.47**

एकल स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सदस्य, आईटीआई लिमिटेड, बेंगलुरु ।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अर्हक मत

हमने आईटीआई लिमिटेड ("कंपनी") के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र, इसी वर्ष को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य विवरणात्मक सूचना (एतद्वारा " एकल वित्तीय विवरण" के नाम से संदर्भित) का सार शामिल है जिसमें नैनी, मानकपुर, रायबरेली, श्रीनगर एवं पालक्काड में स्थित कंपनी की शाखाओं के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित उक्त तिथि को समाप्त वर्ष की विवरणियों का समावेश किया गया है।

हमारे मत और हमें प्रदान की गई सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के अर्हक मत के आधार खंड में वर्णित मामले के प्रभाव के अलावा ऊपर उल्लिखित वित्तीय विवरण यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 ("इंड एएस") के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 की अपेक्षाओं के अनुपालन तथा भारतीय लेखांकन मानकों एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त स्थिति के संबंध में कंपनी के क्रियाकलापों एवं वर्ष में उक्त तिथि को समाप्त लाभ एवं कुल विस्तृत आय, इक्विटी परिवर्तन एवं इसके नकदी प्रवाह के विवरण की सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति उस विधि से करते हैं जिसकी अपेक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") में की गई है।

अर्हक मत का आधार

1. कंपनी ने चालू वित्तीय परिसम्पतियों के अंतर्गत शामिल निम्नलिखित मदों के संबंध में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण (संभावित क्रेडिट हानियां) के प्रावधान नहीं किए हैं जिनकी वसूली भी संदेहास्पद है :

   क) सी-डॉट से 31.3.2011 तक की अवधि में पट्टे पर प्रदान किए गए परिसरों के किराए के प्रति 5,847.90 लाख रुपए की राशि वसूलीय है।

   ख) कंपनी की मनकापुर यूनिट के संबंध में आईटीआई, एचसील एवं अल्काटेल के मध्य किए गए अनुबंध के आधार पर व्यय की गई अधिक राशि के प्रति 1,690.20 लाख रुपए की राशि एचसीएल इंफोसिस्टम्स लिमिटेड से मुआवजे के रूप में वसूलीय है।

   ग) हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्यूनिकेशंस लिमिटेड से निर्गित हर्जाने के प्रति 1,049.41 लाख रुपए की राशि वसूलीय है।

   घ) माइंडएरे से साख पत्र के नकदीकरण के प्रति 1,023.00 रुपए की राशि वसूलीय है।

   तदनुसार, यदि कंपनी द्वारा ऋण हानियों के प्रति प्रावधान किए होते, तो वर्ष के दौरान हानि अधिक तथा निवल चालू परिसम्पतयों में 9,610.51 लाख रुपए की कमी आती।

2. कंपनी ने कंपनी की पालक्काड यूनिट के संबंध में वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त किए गए 889 लाख रूपए के गलत जीएसटी इनपुट कर क्रेडिट को रिवर्स नहीं किया है। नैनी यूनिट के संबंध में अप्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट से संबंधित 94.42 लाख रुपए के नामे शेष है जो समय बाधित है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान लागू ब्याज सहित 983.42 लाख रुपए की राशि के निवल लाभ की अत्युक्ति हुई है।

3. नीचे उल्लिखित मुद्दों के संबंध में, वित्तीय विवरणों की मदों पर प्रभाव के परिमाण का निर्धारण नहीं किए जा सके हैं/ निर्धारित नहीं है:

   क) कंपनी के पास व्यापार प्राप्य, बिल न किए गए नामे शेष, प्राप्य दावे तथा प्राप्य किराया के अंतर्गत दीर्घकालिक बकाया शेष हैं। ये शेष राशियाँ पार्टियों द्वारा पुष्टि एवं समाधान के अधीन हैं। समाधान से होने वाले समायोजन प्रभाव तथा बकाया के निपटान में देरी के परिणामस्वरूप कम/वसूली न होने से हानि होनी संभव है। पर्याप्त एवं उचित प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण हम इन प्राप्यों के मूल्य के साथ-साथ अन्य व्यापक आय पर होने अनिर्धारित हानियों के प्रभाव के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

   ख) कंपनी की मालसूचियों में पुरानी मालसूचियां शामिल हैं, तथा इनमें से कंपनी को विभिन्न यूनिटों में रखी गई मालसूचियों के काल, उपयोज्यता एवं सेवायोज्यता के मूल्यांकन की प्रक्रिया के माध्यम से इनके कालातीत होने के निर्धारण किए जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, हम ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं कि क्या मालसूचियों का मूल्यांकन लागत से कम मूल्य तथा निवल प्राप्य मूल्य पर किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा है तथा जिसका न किया जाना इंड एएस 2 की अपेक्षाओं का उल्लंघन हैं।

   ग) कुछ मामलों में वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में पोर्टल पर उपलब्ध फाइल किए गए विवरणों तथा इनपुट कर क्रेडिट लेखा बहियों में की गई प्रविष्टियों / शेष से मेल नहीं करते हैं। इनपुट कर क्रेडिट के संबंध में समायोजन प्रविष्टियां एवं रिवर्सल प्रक्रिया लंबित है।

   घ) कंपनी के पास स्वीकृति/स्थापना के संबंध में लंबित पूंजी कार्य प्रगति पर के संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की कुछ मदें हैं। इनमें किराए पर दी गई 6582.06 लाख रुपए की लागत का भवन शामिल है जिसका निवेश सम्पति के रूप में पूंजीयन अभी नहीं हुआ है। ऐसी मदों की एक विस्तृत सूची, उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि के साथ, इंड एएस 16/40 के अंतर्गत मूल्यह्रास के प्रावधान में हुई किसी प्रकार की न्यूनता, यदि कोई हो, को ज्ञात करने के लिए उपलब्ध करवाई गई थी, मूल्यह्रास उस तिथि से प्रारंभ किया जाना है जिस तिथि को मदें उपयोग के लिए उपलब्ध हुई थी। पर्याप्त एवं यथोचित प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण, हम इस प्रकार के विलंबित पूंजीयन के प्रभाव तथा अन्य व्यापक आय पर मूल्यह्रास प्रभावी करने से हुई परिणामी न्यूनता पर कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं।

4) वर्ष की वित्त लागत में भविष्य निधि के विलंबित भुगतान से संबंधित 3,006.98 लाख रुपये का ब्याज शामिल है। इस राशि में वर्तमान और पिछले वर्षों का ब्याज शामिल है, तथा इससे संबंधित ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

5) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करने और भुगतान में देरी के मामलों में ब्याज के भुगतान के लिए कंपनी द्वारा की गई प्रक्रिया अपर्याप्त है तथा सत्यापित नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, हम यह सत्यापन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या विलंबित भुगतान पर ब्याज के प्रावधान पूर्ण हैं अथवा नहीं हैं तथा हम कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अंतर्गत, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुपालन के संबंध में, कंपनी द्वारा किए गए प्रकटीकरण की शुद्धता एवं सटीकता के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं।

हमने एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा का निर्वाह, कंपनी अधिनियम की धारा 143(10) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों ("एसए") के अनुसरण में किया है। इन मानकों के अंतर्गत, हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तृत वर्णन हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरण के खंड में वर्णित लेखापरीक्षकों के दायित्व में किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम) के प्रावधानों तथा उनके अध्याधीन निर्मित नियमों

के अंतर्गत हमारे द्वारा की गई एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, हमारी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं के साथ साथ इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार, जिसके अंतर्गत हम कंपनी से स्वतंत्र हैं, हमने अन्य आचार दायित्वों का अनुसरण इन अपेक्षाओं एवं आचार संहिता में की गई अपेक्षाओं की अनुरूपता में किया है। हमारा यह मानना है कि हमारे द्वारा एकत्र किए गए लेखापरीक्षा प्रमाण, एकल वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की प्रस्तुति के आधार के लिए पर्याप्त एवं यथोचित हैं।

मामले का प्रभाव

हम वित्तीय विवरणों के विभिन्न नोटों (प्रत्येक मद के प्रति संदर्भित) के अंतर्गत निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इन मामलों के संबंध में हमारे मत में कोई संशोधन नह किया गया है।

i. रूग्न औद्योगिक कंपनी अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार जब कंपनी रूग्न कंपनी घोषित की गई थी तब आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित वित्तीय सहायता के अंतर्गत पूंजी व्यय के लिए कंपनी को निधियां प्राप्त हुई थ। (नोट संख्या 31.14)

ii. कंपनी ने कुछ पार्टियों से किराए की प्राप्ति से संबंधित राजस्व स्वीकृति स्थगित की है जो पट्टे के उपबंधों का अंतिम निर्धारण न किए जाने एवं औपचारिक अनुबंध न किए जैसे विभिन्न कारणों, जो सीमित कारण नह हैं, सहित संग्रहण के प्रति अनिश्चितता की वजह से है। (नोट संख्या 31.10(ख), 31.15, 31.17 और 31.19)

iii. कंपनी बिल न किए गए 2,57,855 लाख रुपए के संचित राजस्व का वहन 'अन्य वित्तीय परिसम्पतियां चालू' के अंतर्गत कर रही है जिसकी स्वीकृति चालू वर्ष में एवं पिछले कुछ वर्षों के दौरान की गई है। (नोट संख्या 9 (ख))

iv. मांग से संबंधित मामला विवादित होने तथा कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर किए जाने के कारण कंपनी द्वारा बीबीएमपी से प्राप्त मांग नोटिस के आधार पर सम्पति कर की मांग के संबंध में प्रावधान नह किए गए हैं, (नोट संख्या 31.10 (क)(ii))

v. कंपनी द्वारा निर्दिष्ट अनुपात के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों तथा कंपनी सचिव की नियुक्ति से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन नह किया गया है। (नोट संख्या 31.36)

vi. केरल सरकार से पुनःधारण की सूचना प्राप्ति के पश्चात भी कंपनी सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के अंतर्गत 77 एकड़ माप की भूमि के 19,470 लाख रुपए के वहन मूल्य का वहन कर रही है जो इसके संबंध में शीर्ष न्यायालय में कंपनी की ओर से दाखिल विवाद न्यायाधीन होने के कारण है। (शाखा लेखापरीक्षकों से प्राप्त सूचना के अनुसार) (नोट संख्या 31.21(i))

vii तुलन पत्र की तिथि को निवेश सम्पतियों के संबंध में उचित मूल्य का प्रकटीकरण नह किया गया है। (नोट संख्या 3(iv))

viii. कंपनी की पालक्काड यूनिट ने मेसर्स कार्वी डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड तथा मैसर्स टेल्या सिस्टम्स से काफी समय से प्राप्य से संबंधित बैंक-एंड साझेदारों की सदृश देयता के समंजन के पश्चात केवल 242 लाख रुपए के अशोध्य नामे के प्रावधान किए हैं। (नोट संख्या 31.22)

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले, वे मामले हैं, जो चालू अवधि के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा से जुड़े हमारे व्यावसायिक निर्धारण के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में इन मामलों पर मत के निर्धारण के लिए हमने समग्र रूप से विचार किया है, तथा ऐसे मामलों के लिए हम अलग से अपनी कोई राय प्रस्तुत नह कर रहे हैं। हमारे द्वारा निर्धारित किए गए नीचे प्रस्तुत मामले हमारी रिपोर्ट में सूचित प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया
ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्वः राजस्व के संबंध में किया जाने वाला लेखांकन वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति के प्रति लेखांकन नीतियों के आधार पर राजस्व की स्वीकृति किए जाने की प्रक्रिया है। नियत मूल्य, नियत समय काल अनुबंध जैसी परियोजनाओं (सेवा/निर्माण अनुबंध), जिनके निष्पादन दायित्व कार्य पूर्णता के अनुसार पूर्ण होते हैं, से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति इनपुट (कार्य पूर्णता के प्रतिशत) विधि के उपयोग से की जाती है। इनपुट एवं उत्पादकता में प्रत्यक्ष संबंध होने के कारण प्रयासों अथवा लागतों में होने वाली वृद्धि कार्य पूर्णता की प्रगति के निर्धारण के लिए होता है। कार्य पूर्णता की प्रगति का मापन कुल लागतों अथवा प्रयासों के प्रति किसी तिथि तक व्ययित लागतों अथवा प्रयासों (जो निष्पादित कार्य के अनुसार हैं) के अनुपात के अनुसार किया जाता है। कार्य निष्पादन के प्रतिशत की विधि के उपयोग के लिए कंपनी से कुल अनुमानित प्रयासों अथवा व्यय की जाने वाली लागतों के अनुपात में किसी तिथि को वास्तविक प्रयासों अथवा व्यय की गई लागतों का निर्धारण करने की अपेक्षा है। कुल प्रयासों अथवा लागतों के अनुमान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने अपेक्षित होते हैं तथा अद्यतन उपलब्ध सूचना पर आधारित परिवर्तनों की पूर्ण अवधि के दौरान प्रस्तुति किए जाने के लिए इनका मूल्यांकन किया जाता है। हमने प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में राजस्व स्वीकृति को संज्ञान में लिया है क्योंकि अनुबंध की पूर्ण अवधि के दौरान प्रयासों एवं लागतों के अनुमान आंकने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने अपेक्षित होते हैं तथा इनमें अद्यतन उपलब्ध सूचना के आधार पर अनुबंध की अवधि में अनुबंध की प्रगति के अनुसार संशोधन करने पड़ते हैं। अनुमान में उच्चतर अंतर्निहित अनिश्चितता व्याप्त होती है जिसके लिए अनुबंध की प्रगति, अब तक व्ययित प्रयासों अथवा लागतों तथा अनुबंध के काल के शेष निष्पादन दायित्वों की पूर्ति के लिए अपेक्षित प्रयासों एवं लागतों के अनुमानों पर विचार किया जाना अपेक्षित होता है।	प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं, निम्नलिखित सहित निर्धारित मूल्य के अनुबंधों की पूर्णता से संबंधित कुल संभावित लागतों अथवा प्रयासों के अनुमानों के संबंध में हैः हमने, (1) शेष अनुबंध निष्पादन दायित्वों को पूर्ण करने के लिए व्यय किए गए प्रयासों अथवा लागतों अथवा अपेक्षित प्रयासों अथवा लागतों की समीक्षा एवं (2) किए गए प्रयासों को रिकार्डबद्ध करने के अनाधिकृत परिवर्तनों से बचाव की रिकार्डिंग एवं निर्धारण प्रणालियों से संबंधित नियंत्रणों की समीक्षा के लिए नियंत्रणों प्रभाव्यता की जांच की है। हमने नियत मूल्य अनुबंध के लेखांकन के लिए उपयोग में लाई गई निष्पादन प्रतिशत विधि के एक नमने का चयन किया है एवं निम्नानुसार निष्पादन किए हैः • कंपनी द्वारा व्यय किए गए प्रयासों अथवा लागतों की तुलना कंपनी द्वारा उन महत्वपूर्ण भिन्नताओं को संज्ञान में लेने के लिए व्यय किए गए प्रयासों अथवा लागतों के अनुमान के साथ यह मूल्यांकन करने के लिए की है कि क्या अनुबंध की पूर्ति के उद्देश्य से शेष लागतों अथवा प्रयासों के अनुमान लगाने के लिए ऐसी भिन्नताओं पर यथोचित रूप में विचार किया गया है अथवा नह किया गया है। • बिल न किए गए राजस्व के संज्ञान के लिए तुलन पत्र तिथि तक की गई बिलिंग के साथ कुल राजस्व स्वीकार्य योग्यता एवं तुलनात्मकता की गणन विधि की समीक्षा की है।

एकल वित्तीय विवरणों एवं उससे संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण, निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित निदेशक मंडल की रिपोर्ट व्यापार उत्तरदेयता रिपोर्ट, कॉर्पोरेट शासन एवं शेयरधारकों की सूचना से युक्त सूचना शामिल की जाती है, परन्तु इसमें एकल वित्तीय विवरण एवं उससे संबंधित लेखापरीक्षकों की हमारी रिपोर्ट शामिल नह होती है।

हमारे मतानुसार, वित्तीय विवरणों में अन्य सूचना को शामिल नह होती है तथा इसके संबंध में किसी प्रकार की आश्वासन रूपी अभिव्यक्ति अथवा उसके किसी निष्कर्ष की प्रस्तुति नह कर रहे हैं।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारा दायित्व अन्य सूचना को पढ़ना तथा ऐसा करते हुए अन्य सूचना में वित्तीय विवरणों अथवा लेखपरीक्षा के दौरान प्राप्त की गई जानकारियों अथवा अन्यथा स्वरूप में सामग्रीगत

दुर्विवरण की प्रतीति होने पर अन्य सूचना से उसकी तारतम्यता होने अथवा न होने पर विचार करना है।

।यदि हमारे निष्पादित कार्य के आधार पर, अन्य सूचना में हमारे निष्कर्ष के अनुसार कोई सामग्रीगत दुर्विवरण प्रतीत होता है तो हम से उसके तथ्य रिपोर्ट किए जाने की अपेक्षा की गई है। इसके संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

एकल वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) अधिनियम की धारा 134(5) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, कुल व्यापक आय, इक्विटी परिवर्तन एवं नकदी प्रवाह की सत्य एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत करने वाले इन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप करने के प्रति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में, कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा जालसाजियों एवं अन्य अनियमितताओं से उनके बचाव के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के रखरखाव करना; उचित लेखांकन नीति का चयन एवं उपयोग करना; औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत निर्णय निर्धारण करना एवं अनुमान लगाना; तथा सत्य एवं स्वच्छ प्रस्तुत करने वाले एवं प्रत्येक प्रकार सामग्रीगत मिथ्या विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त इंड एएस स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों का निर्माण करने एवं प्रस्तुत करने के सुनिश्चय के उद्देश्य से अभिकल्प करने, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णत के लिए प्रभावी प्रक्रिया कर रहे है, का कार्यान्वयन एवं सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व भी शामिल है।

यदि कंपनी के प्रबंधन की मंशा परिचालनों को बन्द करने अथवा ऐसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न होने के कारण कंपनी का ऋणशोधन करने की नहीं है तो प्रबंधन कंपनी के इन वित्तीय विवरणों के निर्माण के दौरान गोइंग कंसर्न के आधार पर कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने, यथा लागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के आधार के लिए गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों एवं उनका उपयोग करने के प्रति उत्तरदायी है।

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के प्रति उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य, एकल वित्तीय विवरणों को पूर्ण रूप से सामग्रीगत दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके, अपने मत के समावेश के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्चतर स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें की गई लेखापरीक्षा के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एकल प्रक्रिया के अंतर्गत की जाने वाले लेखापरीक्षा से सामग्रीगत दुर्विवरण, यदि कोई हों, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी । सामग्रीगत दुर्विवरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकती है अथवा इसे सामग्रीगत तभी माना जा सकता है, जब इनसे अलग-अलग अथवा समस्त रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

एकल के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान, हमें व्यावसायिक तौर पर संशयात्मक दृष्टिकोण से युक्त व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं:-

एकल वित्तीय विवरणों में सामग्रीगत दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करते हुए ऐसे जोखिमों के प्रति प्रतिक्रिया करने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के स्वरूप का निर्माण करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना है, जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हों। किसी जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण का संज्ञान न होने के जोखिम के परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां किसी साठ गांठ, धोखाधड़ी, सामिप्राय अकरण, मिथ्याकथन अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।

लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए, परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। अधिनियम की धारा 143(3)(1) के अंतर्गत, हम इस मत की अभिव्यक्ति करने के प्रति भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी द्वारा पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की गई है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता है अथवा नहीं है।

प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता एवं प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता तथा सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।

प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या ऐसी स्थितियां अथवा परिस्थितियां हैं जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे कंपनी की गोइंग कंसर्न की क्षमता पर किसी प्रकार का संदेह होने की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध रिपोर्ट में प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने अथवा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा की गई है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कंपनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।

प्रकटीकरणों सहित एकल वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या इंड एएस वित्तीय विवरणों में लेन-देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं दिया गया है।

वस्तुतः एकल वित्तीय विवरणों में अलग-अलग अथवा सामुच्य स्वरूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दुर्विवरणों की वस्तुपरकता की जटिलता कुछ इस प्रकार की होती है कि इनमें स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों का औचित्यपरक ज्ञान रखने वाले उपयोक्ता द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के कार्यक्षेत्र की योजना के निर्माण तथा अपने कार्य के परिणाम के मूल्यांकन, एवं (ii) वित्तीय विवरणों में से संज्ञान में लिए गए दुर्विवरण के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए तथ्यपरक प्रमात्रा के गुणात्मक कारकों को विचार में लेते हैं।

हम, अन्य मामलों के साथ-साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा की समय सारणी एवं लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ी खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को स्वतंत्रता से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं तथा उन्हें हमारी लेखापरीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हों, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबद्धता एवं अन्य मामलों की सम्बद्धता सूचित करने के लिए, हमने स्वयं द्वारा समेकित विवरण भी दिया है।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को सम्प्रेषित मामलों में से हमने उन मामलों का निर्धारण भी किया है, जो चालू अवधि के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं तथा जिनसे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले प्रभावित हो सकते थे। अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में हमने उन मामलों का वर्णन किया है, जो विधि अथवा विनियमों के अंतर्गत ऐसे मामलों के सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं अथवा जहां, अत्यधिक विरल परिस्थितियों

में, हमारे द्वारा किन्हीं परिणामों की संभावना के कारण किसी मामले की अभिव्यक्ति न करने का निर्धारण किया गया है क्योंकि ऐसी अभिव्यक्ति किए जाने से सार्वजनिक हितों पर औचित्यपरक रूप से प्रभाव पड़ सकता है।

अन्य मामले

हमने कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल मानकपुर, रायबरेली, श्रीनगर, नैनी एवं पालक्काड शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है तथा इन एकल वित्तीय विवरणों (अंतर-यूनिट शेषों एवं संव्यवहारों के अलावा) में 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार 2,96,230.66 लाख रुपए की कुल परिसम्पत्तियां एवं इसी तिथि को समाप्त वर्ष की कुल आय 17,057.64 लाख रुपए दर्शाई गई है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों ने की है एवं इनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारे मतानुसार, इन शाखाओं के संबंध में शामिल की गई राशियों एवं प्रकटीकरणों की सम्बद्धता केवल इन शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ ही है। इन मामलों के संबंध में हमारे मत में संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट

1. केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 (11) के उपबंधों के अंतर्गत जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2016 ("आदेश") की अपेक्षाओं के अनुसार, हम "अनुलग्नक-क" में आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों का यथा लागू विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

2. कंपनी अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार, अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे एवं प्राप्त किए हैं, जिनकी आवश्यकता हमें हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन से थी।

   (ख) हमारे मतानुसार, कंपनी ने विधिक अपेक्षाओं के अनुसार लेखा बहियों का उचित रखरखाव किया है, जो कि हमें इन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत हुआ है। हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से हमारे द्वारा विजिट न की गई शाखाओं के पर्याप्त एवं यथोचित विवरण हमें प्राप्त हुए हैं।

   (ग) कंपनी के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत शाखा कार्यालयों के लेखों की लेखापरीक्षित रिपोर्ट हमें भेजी है तथा हमने इस रिपोर्ट के निर्माण के उद्देश्य से उसके संबंध में उचित कार्रवाई की है।

   (घ) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी परिवर्तन एवं नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

   (ङ.) हमारे मतानुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

   (च) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5.6.2015 की अधिसूचना सूचना जीएसआर 463 (ई) के अनुसरण में निदेशकों की अनर्हता से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

   (छ) प्रबंधन पारिश्रामिक का भुगतान चूंकि भारत सरकार से प्राप्त पत्र के अनुसार किया जाता है इसलिए धारा 197 के प्रावधान (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के उपबंधों के अंतर्गत) सरकारी कंपनी के संबंध में लागू नहीं है।

   (ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता "अनुलग्नक-ख" में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में दी गई है।

   (झ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम निम्नानुसार यह रिपोर्ट करते हैं कि:

      i) हमें उपलब्ध करवाए गए रिकार्ड के अनुसार, कंपनी ने स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में की गई अपनी टिप्पणियों एवं उनके अनुलग्नकों में लम्बित न्यायाधीन मामलों से अपनी वित्तीय स्थिति पर होने वाले प्रभाव का प्रकटीकरण कर दिया है (संदर्भ वित्तीय विवरणों का नोट 31.10)

      ii) सामग्रीगत संभावित हानियों, यदि कोई हों, से संबंधित लागू विधियों अथवा लेखांकन मानकों की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी ने डेरिवेटिव अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों के लिए प्रावधान किए हैं।

      iii) कंपनी अधिनियम के सम्बद्ध प्रावधानों एवं उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अनुसरण में कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरण के लिए अपेक्षित किन्हीं राशियों का अंतरण करने में किसी प्रकार की देरी नहीं की गई है।

      iv) प्रबंधन द्वारा यह प्रस्तुति दी गई है कि,

         (1) अपनी जानकारी एवं विश्वास, लेखांकन नोटों में किए गए प्रकटीकरण के अलावा, के अनुसार कंपनी द्वारा विदेशी इकाईयों, ''मध्यस्थों" सहित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (इकाईयों) को किसी निधि का अग्रिम अथवा ऋण नहीं दिया गया है अथवा निवेश (ऋण पर प्राप्त निधियों अथवा शेयर प्रीमियम अथवा अन्य स्रोतों से अथवा अन्य प्रकार की निधियों में किसी में से) इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं किया गया है कि मध्यस्थ द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, कंपनी अथवा कंपनी की ओर से (''अंतिम लाभग्राहियों") अन्य व्यक्तियों अथवा निर्धारित इकाईयों को ऋण अथवा उनमें निवेश अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा, अंतिम लाभग्राहियों की ओर से किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान की जाएगी;

         (2) अपनी जानकारी एवं विश्वास, लेखांकन नोटों में किए गए प्रकटीकरण के अलावा, के अनुसार कंपनी को विदेशी इकाईयों (''निधियन पार्टियों") सहित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (इकाईयों) से ऐसी किसी निधि की प्राप्ति इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं हुई है कि कंपनी द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, किन्हीं व्यक्तियों अथवा निर्धारित इकाईयों को किसी भी स्वरूप में कंपनी अथवा निधियन पार्टी (''अंतिम लाभग्राहियों") की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा, अंतिम लाभग्राहियों की ओर से किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान की जाएगी;

         (3) हमारे द्वारा औचित्यपरक एवं संगत परिस्थितियों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा के आधार; हमारे जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे यह विश्वास स्थपित हो सके कि उप-खंड (क) एवं (ख) में की गई प्रस्तुति में किसी प्रकार का कोई मिथ्या कथन है।

v) वर्ष के दौरान कंपनी ने न तो कोई घोषणा की है और न ही लाभांश का भुगतान किया है तथा इस प्रकार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुपालन पर किसी प्रकार की टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

vi) लेखा बहियों के अनुरक्षण से संबंधित कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 3(1) के परंतुक में लेखांकन साफ्टवेयर के उपयोग की व्यवस्था है जिसमें कंपनी के संबंध में, 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी, ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा की रिकार्डिंग का एक विशिष्ट आकर्षण दिया गया है तथा तदनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11(जी) के अंतर्गत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(3) हमारे द्वारा कंपनी की बहियों एवं रिकार्ड के संबंध में की गई उक्त जांचों के संबंध में यथोचित समझी गई एवं हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उप निदेशों का अनुसरण करते हुए, अधिनियम की धारा 143(5) के उपबंधों के अंतर्गत अपेक्षित रिपोर्ट की प्रस्तुति, "अनुलग्नक ग" में कर रहे हैं।

कृते **जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 000863एस

यूडीआईएनः 23205296बीजीडब्ल्यूआरपीएम3312
राजगोपाल ए
साझेदार
सदस्यता संख्या 205296

स्थान : बेंगलुरु
दिनांक : 29 मई, 2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक ''क''

आईटीआई लिमिटेड ('कंपनी') के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों से संबंधित हमारी समतिथि की रिपोर्ट में ''अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट'' शीर्षक के पैराग्राफ 1 में संदर्भित

i. (क) (क) कंपनी द्वारा बेंगलूरु में स्थित बेंगलूरु संयंत्र, एनएस यूनिट तथा अनुसंधान एवं विकास यूनिट के मामलों, जिनका रिकार्ड अद्यतन नहीं है, के अलावा परिमाणात्मक विवरण एवं स्थिर परिसम्पतियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले रिकार्ड का उचित रूप में अनुरक्षण किया गया है।

(ख) कंपनी के पास अमूर्त परिसम्पतियां नहीं हैं।

(ख) हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रबंधन द्वारा बेंगलूरू संयंत्र, बेंगलूरू एनएस यूनिट, क्षेत्रीय कार्यालयों, निगमित कार्यालय तथा रायबरेली (फर्नीचर एवं वाहन) में स्थित परिसम्पतियों के अलावा स्थिर परिसम्पतियों का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है। इस सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की सामग्रीगत अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है। उपर्युक्त यूनिटों, अनियमितताओं, यदि कोई हों, से संबंधित स्थिर परिसम्पतियों का लंबित भौतिक सत्यापन न होने के कारण के कारण निर्धारण एवं लेखांकन नहीं किया जा सका है।

(ग) हमारे द्वारा लेखापरीक्षा की गई जिन यूनिटों में हमें कंपनी के नाम से धारित अचल परिसम्पतियों से संबंधित पर्याप्त सूचना एवं यथोचित प्रमाण उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं, उनके संबंध में यह टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं कि क्या अचल परिसम्पतियों के हक विलेख कंपनी के नाम से धारित हैं अथवा धारित नहीं हैं। प्रबंधन के मतानुसार जिन अचल परिसम्पतियों के हक विलेख कंपनी के नाम से धारित नहीं हैं, उनसे संबंधित विवरण वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 31.21 में तथा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

सम्पति का स्वरूप	सकल वहन मूल्य (रुपए लाख में)	किस के नाम से धारित	क्या प्रोमोटर, निदेशक अथवा उनके संबंधी अथवा कर्मचारी हैं	धारण की अवधि रेंज, यदि लागू है, का उल्लेख करें	कंपनी के नाम से धारित न होने के कारण (यदि विवादित है तो उल्लेख करें)
भूमि	19470	केरल सरकार द्वारा हक पुनः प्राप्त किया गया	नहीं	10 वर्ष से अधिक	कंपनी द्वारा पुनः प्राप्ति का दावा किया गया है
भूमि	9282	पूर्ण बिक्री विलेख अभी निष्पादित नहीं हुआ है	नहीं	10 वर्ष से अधिक	लंबित
भूमि	11620	पूर्ण बिक्री विलेख अभी निष्पादित नहीं हुआ है	नहीं	10 वर्ष से अधिक	भूमि अधिग्रहण के समय आईटीआई द्वारा भूस्वामियों को चुकता मुआवजे का प्रमाण प्रस्तुत न किए जाने के कारण लंबित

(घ) वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग अधिकार परिसम्पतियों सहित) तथा अमूर्त परिसम्पतियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कंपनी के प्रति बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में यथासंशोधित) एवं उसके अध्याधीन निर्मित के अंतर्गत किसी भी बेनामी संपति के धारण के लिए वर्ष के दौरान न तो कोई कार्रवाई प्रारंभ की गई है और न ही कोई कार्रवाई लंबित है।

ii. (क) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रबंधन द्वारा (i) बेंगलूरू संयंत्र; (ii) एनएसयू यूनिट तथा (iii) क्षेत्रीय कार्यालयों के अलावा औचित्यपरक अंतराल के दौरान मालसूचियों (तृतीय पक्षकारों के पास रखी गई के अलावा) का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर उन स्थल पर मालसूचियों के भौतिक सत्यापन में किसी प्रकार की सामग्रीगत अविनियमितता देखने में नहीं है जहां प्रबंधन द्वारा भौतिक सत्यापन किए गए हैं।

(ख) हमारे मतानुसार तथा हमारे द्वारा लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान लेखा बहियों की जांच के अनुसार कंपनी द्वारा उन बैंकों के सम्मुख प्रस्तुत किए गए तिमाही विवरण कंपनी की लेखा बहियों से संगत हैं जिन्होंने कंपनी के लिए कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की है।

iii. हमें दी गई सूचना के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित दायित्व साझेदारियों अथवा अन्य पार्टियों में कोई निवेश नहीं किए हैं, ऋण, प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत, के स्वरूप में किसी ऋण अथवा अग्रिमों के प्रति कोई गारंटी अथवा प्रतिभूति प्रदान नहीं की है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (iii) (क) से (घ) कंपनी के संबंध में लागू नहीं हैं।

iv. कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों, किए गए निवेशों और प्रदान की गई गारंटी और प्रतिभूतियों, जैसा लागू हो, के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

v. कंपनी ने किसी जमा के स्वरूप में कोई जमा अथवा राशि स्वीकार नहीं की गई हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(v) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

vi. हमने केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत निर्धारित कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियमावली, 2014 के अनुसरण में कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखा बहियों एवं रिकार्डों की वृहद समीक्षा की है तथा हमारे मतानुसार, प्रथम दृष्टया, लेखों एवं रिकार्डों का अनुरक्षण किया गया है। तथापि, हमसे लेखों एवं रिकार्डों के संबंध में विस्तृत जांच किए जाने की अपेक्षा नहीं है तथा न ही हमने की है।

vii. सांविधिक देयताओं के संबंध में हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

(क) कंपनी द्वारा सामान्यतः वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय-कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धित कर एवं अन्य अविवादित सांविधिक देयताओं का नियमित भुगतान संबंधित प्राधिकरणों को किया गया है। 31.3.2023 की स्थिति के अनुसार सांविधिक देयताओं के बकाया शेष, जो देय तिथि से छह माह से अधिक अवधि से बकाया हैं, का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

रुपए लाख में

विवरण	बीजी संयंत्र (आरओ हैदराबाद सहित)	श्रीनगर	नैनी	रायबरेली	मनकापुर	पालक्काड	योग
भविष्य निधि सांविधिक देयता	2,372.22	-	3,314.66	10,729.72	6,384.88	290.96	**23092.44**
डब्ल्यूसीटी	-	-	8.08	-	-	-	**8.08**
उत्पाद शुल्क	-	-	0.44	-	-	-	**0.44**
बिक्री कर	-	-	1.23	-	-	-	**1.23**
जीएसटी पर टीडीएस	-	-	0.26	42.11	-	-	**42.37**
जीएसटी	66.08	-	-	35.37	-	-	**101.45**
जीएसएलआई	-	-	3.19	-	-	-	**3.19**
सेवा कर	-	-	1.29	2,417.74	-	-	**2,419.03**
योग	**2,438.30**	**-**	**3,329.15**	**13,224.94**	**6,384.88**	**290.96**	**25,668.23**

(ख) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित सांविधिक देयताओं का भुगतान किसी विवाद के कारण से नहीं किया गया है:

क्र.सं.	सांविधिक व्यवस्था का नाम	देयताओं की प्रकृति	राशि लाख में (31.3.2023 की स्थिति के अनुसार)	विवाद किस अवधि से संबंधित है	किस फोरम में विवाद लंबित है	यूनिट
1	केन्द्रीय उत्पाद अधि नियम, 1944	केन्द्रीय उत्पाद विभाग द्वारा साफ्टवेयर के संबंध में प्रयुक्त शून्य शुल्क दर का विवाद (पूर्व जमा निवल योग 200.00 लाख रुपए)	637.00	2003-2005	सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल	बेंगलुरु प्लांट
2	केन्द्रीय उत्पाद नियम, 1944	आर एंड डी प्रोटोटाइप माड्यूल्स के फील्ड ट्रायल पर उत्पाद विभाग द्वारा की गई मांग। स्थगन विस्तारित (पूर्व जमा निवल योग 30.00 लाख रुपए)	299.00	2006-07	सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल	बेंगलुरु प्लांट
3	केन्द्रीय उत्पाद नियम, 1944	केन्द्रीय उत्पाद विभाग द्वारा साफ्टवेयर के संबंध में प्रयुक्त शून्य शुल्क दर का विवाद (पूर्व जमा निवल योग 14.00 लाख रुपए)	497.28	2001-2002 2002-2003	सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल	बेंगलुरु प्लांट
4	केन्द्रीय उत्पाद नियम, 1944	केन्द्रीय मूल्य संवर्धित दर क्रेडिट	376.00	2007-2008	सीमाशुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलिय ट्रिब्यूनल	बेंगलुरु प्लांट
5	उ.प्र. वीएटी	बिक्री कर	264.89	1986-1989	उत्तर प्रदेश सरकार	मनकापुर
6	उ.प्र. वीएटी	बिक्री कर	15.32	1989-1996	उत्तर प्रदेश सरकार	मनकापुर
7	वित्त अधिनियम, 1994	उपकर कर	5,510.14	2009-10 से 2013-14	उपकर कर, इलाहाबाद	मनकापुर
8	वित्त अधिनियम, 1994	उपकर कर	1,992.19	2009-10 से 2013-14	उपकर कर, इलाहाबाद	मनकापुर
9	केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी)	फार्म 'सी' के प्रति अन्य देयों एवं अतिरिक्त कर की मांग	1,013.98	2005-2006	संयुक्त आयुक्त (अपील) वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद	नैनी
10	केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी)	फार्म 'सी' के प्रति अतिरिक्त कर की मांग	2.64	2007-08	अपर आयुक्त (अपील) वाणिज्यिक कर, इलहाबाद	नैनी
11	सीएसटी/उ.प्र. वीएटी/प्रवेश कर	अन्य देयों की मांग	9.23	2008-09	अपर आयुक्त (अपील) वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद	नैनी
12	केन्द्रीय बिक्री कर	फार्म 'सी' के प्रति अन्य देयों एवं अतिरिक्त कर की मांग	2.12	2009-10	उप आयुक्त वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद	नैनी

क्र.सं.	सांविधिक व्यवस्था का नाम	देयताओं की प्रकृति	राशि लाख में (31.3.2023 की स्थिति के अनुसार)	विवाद किस अवधि से संबंधित है	किस फोरम में विवाद लंबित है	यूनिट
13	सीएसटी/ उ.प्र.वीएटी	फार्म 'सी' के प्रति अन्य देयों एवं अतिरिक्त कर की मांग	60.57	2010-11	अपर आयुक्त (अपील) वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद	नैनी
14	सीएसटी	फार्म 'सी' के प्रति अन्य देयों एवं अतिरिक्त कर की मांग	10.96	2011-12	ट्रिब्यूनल, वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद	नैनी
15	सीएसटी / उ.प्र.वीएटी	फार्म 'सी' के प्रति अन्य देयों की मांग	146.75	2012-13	उप आयुक्त, सेक्टर 14, वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद	नैनी
16	सीएसटी / उ.प्र.वीएटी	कर की मांग	86.75	2013-14	उप आयुक्त, सेक्टर 14, वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद	नैनी
17	सेवा कर	सेवा कर	109.44	2010-2011	सीईएसटीएटी, बेंगलूरू	पालक्काड
18	सेवा कर	सेवा कर	140.34	2011-2012	सीईएसटीएटी, बेंगलूरू	पालक्काड
19	सेवा कर	सेवा कर	161.27	2011-2012	सीईएसटीएटी, बेंगलूरू	पालक्काड
20	सेवा कर	सेवा कर	2.76	2012-2013	सीईएसटीएटी, बेंगलूरू	पालक्काड
21	सेवा कर	सेवा कर	2.69	2012-2013	सीईएसटीएटी, बेंगलूरू	पालक्काड
22	सीएसटी	बिक्री कर	28.04	2001-02	उच्च न्यायालय, ऐरनाकुलम	पालक्काड
23	सीएसटी	बिक्री कर	504.13	2003-04	केवीएटी ट्रिब्यूनल, पालक्काड	पालक्काड
24	सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर	बिक्री कर	143.42 2017-18	2016-17 &	आयुक्त अपील, कोच्चि	पालक्काड
25	सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर	बिक्री कर	3.93	अप्रैल 2015 से जून 2 2017	आयुक्त अपील, कोच्चि	पालक्काड
26	बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	117.70	2010-11	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, लखनऊ	रायबरेली
27	बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	87.39	2014-15	व्यापार कर ट्रिब्यूनल, लखनऊ	रायबरेली
28	कर्नाटक वीएटी अधिनियम, 2003	टर्नओवर रोक	26.47	2013-14	वाणिज्यिक कर अधिकारी, थिरपुनिथुरा	क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलूरु
29	कर्नाटक वीएटी अधिनियम, 2003	टर्नओवर रोक	48.92	2014-15	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, ऐरनाकुलम	क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलूरु
30	सेवा कर	प्राप्त रायल्टी भुगतान पर सेवा कर का भुगतान न किए जाना	44.78	2012-13 से 2014-15	केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त	क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलूरु
31	कर्नाटक वीएटी	टर्नओवर रोक	65.87	2012-13	उपायुक्त (अपील) वाणिज्यिक कर, ऐरनाकुलम	क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलूरु
32	बिक्री कर	बिक्री कर	733.36	1987-88 से 1989-90,1996-97, 1999-00, 2002-03	उच्च न्यायालय, जम्मू एवं कश्मीर	श्रीनगर
33	बिक्री कर	बिक्री कर	226.05	2013-14	बिक्री कर आयुक्त, भुवनेश्वर	क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर
34	आय कर	आय कर	691.72	2017-18	आयकर आयुक्त	निगमित कार्यालय
35	आय कर	आय कर	305.00	2020-21	आयकर आयुक्त	निगमित कार्यालय
		योग	**14,368.10**			

viii. रिकार्ड न की गई ऐसी किसी पूर्व आय के संव्यवहार नहीं है जिसका आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण के वर्ष में परित्याग किया गया हो अथवा आय के रूप में प्रकटीकरण किया गया हो।

ix. (क) कंपनी को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार से वर्ष 2014-15 के दौरान कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के लिए 30,000 लाख रुपए का साफ्ट ऋण प्राप्त हुआ था। अद्यतन सूचना के मूलधन की 1/5 राशि का पुनर्भुगतान वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रारंभ होना था। तथापि, ब्याज के भुगतान से संबंधित व्यवस्था स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा, हमारे द्वारा की गई रिकार्डों की जांच तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों अथवा सरकार को किए जाने वाले ऋण अथवा उधार के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है। कंपनी द्वारा कोई डिबेंचर जारी नहीं किए गए हैं।

नामे प्रतिभूतियों सहित ऋण की प्रकृति	ऋणदाता का नाम*	नियत तिथि को चुकता न की गई राशि	क्या यह मूलधन है अथवा ब्याज	लंबित अथवा अचुकता दिनों की संख्या	टिप्पणियां, यदि कोई हों
ऋण	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार	6000.00 लाख रुपए	मूलधन	वित्तीय वर्ष दौरान 2022-23 के देय	स्वीकृत पत्र में पुनर्भुगतान की तिथि का उल्लेख नहीं है तथा इसमें 1/5 भुगतान वार्षिक रूप में किए जाने का उल्लेख है।

(ख) कंपनी को किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्थान अथवा अन्य ऋणदाता द्वारा कंपनी को सुविचारित चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा आवधिक ऋण प्राप्त किया गया था तथा ऋण का उपयोग ऋण की प्राप्ति के उद्देश्य के अनुसार किया गया था।

(घ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, प्रथम दृश्यता, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर निधियों की उत्पत्ति की गई है परन्तु उनका उपयोग वर्ष के दौरान दीर्घकालिक उद्देश्यों से नहीं किया गया है।

(ङ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार कंपनी द्वारा किसी इकाई अथवा व्यक्ति से अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों की पूर्ति के लिए कोई निधियां प्राप्त नहीं की गई हैं।

(च) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों अथवा सम्बद्ध कंपनियों में धारित अपनी प्रतिभूतियों को रेहन रखकर किसी ऋण की उत्पत्ति नहीं की गई है तथा इस प्रकार आदेश के खंड 3(ix)(च) के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।

x. (क) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा अग्रेतर सार्वजनिक प्रस्ताव (नामे विलेख सहित) के माध्यम से धन की उत्पत्ति नहीं की गई है तथा तदनुसार आदेश के खंड 3(x)(क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।

(ख) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों (पूर्ण अथवा आंशिक अथवा वैकल्पिक) का वरीयता आबंटन अथवा निजी स्थापन नहीं किया है तथा तथा तदनुसार आदेश का खंड 3(x)(ख) लागू नहीं है।

xi. (क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई जालसाजी नहीं की गई है तथा न ही कंपनी के प्रति की गई कोई जालसाजी प्रकाश में आई है।

(ख) वर्ष के दौरान तथा इस रिपोर्ट की तिथि तक केन्द्र सरकार के सम्मुख कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित फार्म एडीटी-4 में कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ग) हमने, हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, काल एवं विस्तार के निर्धारण के दौरान, वर्ष के दौरान (तथा इस रिपोर्ट की तिथि तक) कंपनी को प्राप्त व्हीसल ब्लोअर शिकायतों को विचार में लिया है।

xii. यह कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।

xiii. हमारे मतानुसार एवं हमें प्रदान की गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 177 एवं 188 के अंतर्गत, जहां लागू हैं, सम्बद्ध पार्टियों के साथ कंपनी के सभी यथा लागू लेन-देन के प्रकटीकरण स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों लागू लेखांकन मानकों के अनुसार किए हैं।

xiv. (क) कंपनी में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित है। तथापि, हमारे मतानुसार, यह कंपनी के आकार एवं व्यवसाय के स्वरूप के अनुरूप नहीं है।

(ख) हमने लेखापरीक्षा के अंतर्गत अपनी लेखापरीक्षा की प्रकृति, समय एवं विस्तार के निर्धारण के लिए कंपनी को अब तक जारी आंतरिक लेखापरीक्षा को विचार में लिया है।

xv. हमारे मतानुसार कंपनी द्वारा अपने निदेशकों अथवा अपने निदेशकों से सम्बद्ध व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार के गैर-नकदी संव्यवहार नहीं किए हैं तथा तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी के संबंध में लागू नहीं हैं।

xvi. (क) हमारे मतानुसार, कंपनी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकरण करवाना अपेक्षित नहीं है। तनुसार आदेश का खंड 3(xvi)(क), (ख) तथा (ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) हमारे मतानुसार, समूह में कोई प्रमुख निवेश कंपनी (प्रमुख निवेश कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 की परिभाषा के अनुसार) नहीं है तथा तदनुसार आदेश के खंड 3(xvi)(घ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।

xvii. वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने हमारी लेखापरीक्षा में कवर किए गए परन्तु निकटतम पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कवर न किए गए वित्तीय घाटों का वहन नहीं किया गया है।

xviii. वर्ष के दौरान कंपनी के किसी सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा त्यागपत्र नहीं दिया गया

xix. वित्तीय अनुपात, वित्तीय परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल तथा वित्तीय देयताओं के भुगतान की संभावित तिथियों, वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य सूचना तथा निदेशक मंडल एवं प्रबंधन योजनाओं की हमारी जानकारी के आधार पर हमारा ऐसा मानना है कि लेखापरीक्षा की रिपोर्टिंग की तिथि को ऐसी कोई सामग्रीगत अनिश्चितता व्याप्त नहीं है कि कंपनी तुलन पत्र की तिथि को विद्यमान देयताओं की पूर्ति, तुलन पत्र की तिथि की तिथि से एक वर्ष की अवधि में जब कभी वे देय हों, न कर सके। हम, तथापि, यहां यह उल्लेख करना चाहते हैं कि यह कंपनी की भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी उल्लेख करना चाहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा तिथि के तथ्यों पर आधारित है तथा हम ऐसी कोई गारंटी अथवा आश्वासन नहीं दे रहे हैं कि कंपनी द्वारा तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि अपनी सभी देयताओं, जब कभी वे देय हों, का निवर्हन कर लिया जाएगा।

xx. (क) अन्य जारी परियोजनाओं के संबंध में कंपनी ने अव्यतित राशि का अंतरण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अंतर्गत उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह माह की अवधि के भीतर निर्दिष्ट निधि में कर दिया है।

(ख) कंपनी के पास कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के अंतर्गत जारी परियोजनाओं से संबंधित कोई अव्यतित राशि शेष नहीं है तथा तदनुसार उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6) के प्रावधानों के अंतर्गत विशेष खाते में राशि का अंतरण किए जाने का प्रश्न नहीं है।

कृते **जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 000863एस

यूडीआईएनः 23205296बीजीडब्ल्यूआरपीएम3312

राजगोपाल ए
साझेदार
सदस्यता संख्या 205296

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 29 मई, 2023

आईटीआई लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों से संबंधित समान तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 के उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट

हमने आईटीआई लिमिटेड ("कंपनी") के संबंध में 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, वर्ष में समाप्त कथित तिथि के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संयोजन में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के प्रति प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की लेखापरीक्षा के दिशानिर्देश नोट के अनुसार इसमें उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करके कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदयित्वों में सम्बद्ध कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, जालसाजी और चूकों को संज्ञान में लेने, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णता के साथ साथ कंपनी आधिनियम, 2013 के अंतर्गत की गई अपेक्षाओं के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर निर्माण करने के साथ साथ अपने व्यवसाय का सुव्यवस्थित एवं कुशल रूप में संचलन करने के सुनिश्चय के लिए प्रचालनात्मक प्रभाव्यता से युक्त, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता का निर्माण करने, कार्यान्वयन करने एवं अनुरक्षण करने के दायित्व शामिल हैं।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में अपना मत व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के दिशनिर्देश टिप्पणी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों का अनुसरण करके आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों तथा दिशनिर्देश टिप्पणी में हमसे नैतिक अपेक्षाओं का अनुसरण करते हुए, इस युक्तिसंगत आश्वासन की प्राप्ति के उद्देश्य से यह ज्ञात करने के लिए लेखापरीक्षा की जानी अनिवार्य की गई है कि क्या वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं तथा इनका अनुरक्षण किया जा रहा है तथा क्या प्रत्येक वस्तुगत विषयों के लिए ऐसे नियंत्रण कारगर रूप से प्रचालन कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं।

लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की सटीकता एवं उनकी प्रचालनात्मक प्रभाव्यता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा, सामग्रीगत दोष के रूप में विद्यमान जोखिम के मूल्यांकन तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन किया जाना शामिल है। वित्तीय विवरणो के सामग्रीगत दुर्विवरण,जालसाजी या त्रुटि के कारण, के मूल्यांकन सहित प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षकों के विवेक पर निर्भर है।

हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारे लेखापरीक्षा मत की प्रस्तुति करने का पर्याप्त और उपयुक्त आधार हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया वित्तीय रिपोर्टिंग एवं सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों से वित्तीय विवरणों को तैयार करने की विश्वसनीयता के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने की अभिकल्पित प्रकिया है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मे वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल है, (1) जिससे रिकार्डों के अनुरक्षण, युक्तिसंगत ब्यौरे, सटीकता तथा स्पष्टता के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान प्रदर्शित होता हो; (2) जिससे यह युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध होता हो कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कंपनी की आय और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किया गया है; (3)जिससे कंपनी की परिसंपत्ति के अनाधिकृत आधिग्रहण, प्रयोग अथवा निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध प्राप्त होते हों तथा जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रभावित कर सकते हों ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित परिसीमाओं में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की दुरभिसंधि अथवा अनुचित प्रबंधन करते हुए नियंत्रणों के अधिरोहण, चूक और जालसाजी के कारण वस्तुगत गलत बयानी, संभावनाएं शामिल हैं, जिनका संज्ञान नहीं भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर है कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों मे परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है अथवा नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

अर्हक मत

हमारी सूचना एव हमें दिए गए स्पष्टीकरणों, तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित सामग्रीगत न्यूनताएं पाई गई हैं:

i. कंपनी में आवधिक आधार पर बकायों की पुष्टि, एवं मिलान न किए गए प्राप्यों, अग्रिमों एवं देयताओं के समाधान के लिए यथोचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है।

ii. कंपनी के पास वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में प्रविष्टियों, अपात्र इनपुट कर क्रेडिट का लेखांकन समय पर करने एवं फाइल किए गए विवरणों में लेखा बकायों का समाधान करने के लिए प्रभावी प्रणाली नहीं है।

iii. रायबरेली यूनिट में, ईआरपी साफ्टवेयर बीएएएन को यथोचित रूप से अपडेट नहीं किया गया है तथा लेखापरीक्षा की प्रक्रिया को विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार पूरा किया गया था।

iv. उपयोक्ता विभाग द्वारा लेखा विभाग को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मदों के संस्थापन एवं स्वीकृति से संबंधित सूचना की प्रस्तुति में होने वाले विलंब से बचाव के सुनिश्चय के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर है जिसके परिणामस्वरूप कुछ मामलों में मूल्यह्रास के बैकलॉग का लेखांकन हुआ है।

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंडों के लक्ष्यों की उपलब्धि के संबंध में ऊपर वर्णित सामग्रीगत न्यूनताओं के प्रभाव / संभावित प्रभाव के अलावा प्रत्येक सामग्रीगत दृष्टिकोण से कंपनी में अनुरक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रणाली पर्याप्त है तथा ये वित्तीय नियंत्रण, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए जारी मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक रिपोर्टिंग के अनिवार्य घटकों को विचार में लेकर कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार प्रभारी रूप से कार्य कर रहे थे।

अन्य मामले

हमने कंपनी के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में शामिल मनकापुर, रायबरेली, श्रीनगर, नैनी एवं पालक्काड़ की उन शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखापरीक्षण नहीं किया है जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कुल 2,96,230.66 लाख रुपए की कुल परिसम्पतिया एवं इसी तिथि को समाप्त वर्ष की कुल आय 17,057.64 लाख रुपए दशाई गई है जिन्हें स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों मे शामिल किया गया है (अंतर यूनिट शेषों एवं संव्यवहारों के अलावा) । इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों ने की है एवं इनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारे मतानुसार, इन शाखाओं के संबंध में जहां तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों की परिचालनात्मक प्रभाव्यता का संबंध है, वह इन शाखाओं के संबंध में इन शाखा लेखापरीक्षकों की उक्त रिपोर्ट में शामिल है।

इन मामलों के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं किया गया है।

कृते **जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000863एस
यूडीआईएन: 23205296बीजीडब्ल्यूआरपीएम3312

राजगोपाल ए
साझेदार
सदस्यता संख्या 205296

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 29 मई, 2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक ग"

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा आईटीआई लिमिटेड (स्टैंडएलोन) के वर्ष 2022-23 से संबंधित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले क्षेत्रों के संबंध में जारी दिशानिर्देश।

क्र.सं.	जांच के क्षेत्र	लेखापरीक्षक की टिप्पणी
1.	क्या कंपनी में सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने की व्यवस्था स्थापित की गई है? यदि हां, तो लेखांकन संव्यवहारों को बाह्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से की जाने वाली प्रक्रिया से लेखों के समेकन में होने वाली कठिनाईयों तथा वित्तीय कठिनाईयों, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।	जी हां, कंपनी में सभी लेखा संव्यवहारों की प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था स्थापित है। कंपनी की भिन्न यूनिटों में भिन्न प्रणालियों का उपयोग किया जाता है।
2	क्या किसी विद्यमान ऋण अथवा किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में कंपनी को ऋण की अदायगी न किए जाने के कारण ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट / बट्टा/ किए जाने की प्रक्रिया की गई है? यदि हां, तो इससे संबंधित किसी प्रकार की वित्तीय बाध्यताएं हों तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।	हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के रिकार्ड की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर वर्ष के दौरान किसी भी विद्यमान ऋण की पुनर्संरचना अथवा कंपनी को ऋण की अदायगी न किए जाने के कारण ऋणदाता द्वारा ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट / बट्टा/ किए जाने की प्रक्रिया नह की गई है।
3	क्या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र / राज्य एजेंसियों से प्राप्त / प्राप्य से प्राप्य निधियों (अनुदान / राजसहायता) का नियमों एवं शर्तों के अनुसार उचित लेखाजोखा रखा गया है/ उचित उपयोग किया गया है? व्यतिक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	केन्द्र / राज्य सरकार अथवा इनकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त / प्राप्य निधियों (अनुदान / राजसहायता इत्यादि) के नियमों एवं शर्तों के अनुसार उचित लेखांकन / उपयोग किया गया है। 31.3.2023 की स्थिति के अनुसार व्यय न किए गए अनुदान / राजसहायता का विवरण निम्नलिखित है : 1) अनुदान सहायता बीआरएस 4,496.42 लाख रुपए 2) अनुदान सहायता (पूंजी) 10700.00 लाख रुपए

कृते **जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 000863एस

यूडीआईएनः 23205296बीजीडब्ल्यूआरपीएम3312
राजगोपाल ए
साझेदार
सदस्यता संख्या 205296

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 29 मई, 2023

अनुपालन प्रमाण-पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के खातों की लेखापरीक्षा की और प्रमाणित किया कि हमें जारी सभी निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते **जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 000863एस

यूडीआईएन : 23205296बीजीडब्ल्यूआरपीएम3312

गोपालन ए
साझेदार
सदस्यता संख्या 205296

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 29 मई, 2023

समेकित वित्तीय विवरण

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

कॉर्पोरेट जानकारी

भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र इकाई (पीएसयू) - आईटीआई लिमिटेड की स्थापना 1948 में हुई थी। तब से, दूरसंचार के क्षेत्र में एक अग्रणी उद्यम के रूप में, इसने वर्तमान राष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क का 50% योगदान दिया है। नवोन्मेष विनिर्माण सुविधाओं के साथ छह स्थानों और विपणन/सेवा आउटलेट के देशव्यापी नेटवर्क में फैले हुए, कंपनी दूरसंचार उत्पादों की पूरी श्रृंखला और स्विचिंग, ट्रांसमिशन, एक्सेस और अभिदाता परिसर उपकरण के पूरे विस्तार को कवर करने वाले सकल समाधान प्रदान करती है।

आईटीआई वर्ष 2005-06 में अपने मानकापुर और रायबरेली संयंत्रों में मोबाइल उपकरण निर्माण सुविधाओं के उद्घाटन के साथ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल (जीएसएम) प्रौद्योगिकी के विश्व स्तरीय विक्रेताओं के लीग में शामिल हो गया। इसने देश में स्वदेशी मोबाइल उपकरण उत्पादन के एक नए युग में शुरुआत की। ये दोनों सुविधाएं घरेलू और निर्यात बाजार दोनों के लिए सालाना नौ मिलियन से अधिक लाइनों की आपूर्ति करती हैं।

1) **तैयारी का आधार**

भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार जैसा कि यहां बताया गया है, उन्हें छोड़कर, वित्तीय विवरणों को, लेखांकन के संचय आधार पर, तैयार किए जाते हैं और प्रस्तुत किए जाते हैं। जीएएपी में अनिवार्य भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान शामिल हैं, जिन्हें लगातार लागू किया गया है, सिवाय इसके कि एक नया लेखा मानक प्रारंभ में अपनाया गया है या मौजूदा लेखा मानक में संशोधन के लिए अब तक लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता है।

मापन का आधार :

निम्नलिखित संपत्तियों और देनदारियों, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है, को छोड़कर वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है :

क. व्युत्पन्न वित्तीय साधन, यदि कोई हो

ख. वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा गया है

ग. परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य पर परिभाषित लाभ संपत्ति/(देयता) योजना संपत्तियों के कम उचित मूल्य मान्यता प्राप्त है।

2) **अनुमानों का उपयोग**

भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तारीख को प्रकट संपत्तियों, देनदारियों, राजस्व, व्यय और आकस्मिक देनदारियों की प्रकटीकरण की रिपोर्ट की गई राशि तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय पर रिपोर्ट की गई राशि में प्रबंधन को प्राक्कलनों और अनुमानों पर विचार करने की अपेक्षा होती है। हालांकि इस प्रकार के अनुमान सभी उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए एक उचित और विवेकी आधार पर किए जाते हैं, वास्तविक परिणाम अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और इस तरह के अंतर उस अवधि में मान्यता प्राप्त हैं जिसमें परिणाम निर्धारित किए जाते हैं।

3) **कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा**

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किया जाता है, जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा है और प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा है जिसमें इकाई संचालित होती है। भारतीय रुपए में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी शेयर और प्रति शेयर डेटा को छोड़कर निकटतम लाखों में पूर्णांक की गई है।

4) **राजस्व मान्यता**

कंपनी ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंधों के प्रति प्राप्त राजस्व की स्वीकृति तब करती है जब ग्राहक को प्रतिबद्ध माल अथवा सेवा के अंतरण का दायित्व पूरा हो जाता है। राजस्व की स्वीकृति निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के अनुसार निर्धारित संव्यवहार मूल्य पर की जाती है। परिसम्पत्ति (माल अथवा सेवा) का अंतरण ग्राहक को किए जाने के समय निष्पादन दायित्व पूर्ण होते हैं तथा अन्य मामलों में निष्पादन दायित्व किसी समय बिन्दु पर पूर्ण होते हैं। समय के साथ पूर्ण होने वाले निष्पादन दायित्व के प्रति राजस्व स्वीकृति निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की प्रगति का मापन करके की जाती है। प्रगति का मापन व्यय की गई वास्तविक लागत के अनुपात के अनुसार निष्पादन दायित्व से सम्बद्ध अनुमानित लागत पर किया जाता है।

क. **माल की बिक्री**

माल की बिक्री से राजस्व को प्राप्त या प्राप्त करने योग्य, रिटर्न के शुद्ध, व्यापार छूट और वॉल्यूम छूट के उचित मूल्य पर विचार करते हुए मापा जाता है। जब महत्वपूर्ण जोखिम और स्वामित्व के पुरस्कार को बिक्री समझौते की शर्तों के अनुसार ग्राहक को स्थानांतरित कर दिया गया है, न ही निरंतर प्रबंधन भागीदारी और माल पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखा जाता है, विचार की वसूली संभव है, और लागत की लागत और राजस्व विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, तब राजस्व को मान्यता दी जाती है। जोखिम समझौते के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक शर्तें के आधार पर जोखिम और पुरस्कारों के हस्तांतरण का समय मूल्यांकन किया जाता है।

ख. **पूर्व-संकर्म अनुबंध**

जब आवश्यक माल पूर्व निरीक्षण और स्वीकृति के बाद अनुबंध के लिए बिना शर्त रूप से विनियमित होते हैं, यदि आवश्यक हो।

ग. **एफ़ओआर अनुबंध**

एफ़ओआर अनुबंध के मामले में, जब बिक्री पूर्व निर्धारित और स्वीकृति के बाद खरीददार को अंतरण के लिए वाहक को माल सौंप दिया जाता है और एफ़ओआर गंतव्य स्थान के अनुबंध के मामले में, यदि लेखांकन अवधि के अंदर गंतव्य तक पहुंचने वाले माल की उचित अपेक्षा होने पर बिक्री की मान्यता दी जाती है।

घ. **बिल और होल्ड बिक्री**

बिल-और-होल्ड लेनदेन के लिए, जब ग्राहक शीर्षक लेता है तो राजस्व पहचाना जाता है, बशर्ते कि :

i. यह संभव है कि वितरण किया जाएगा;

ii. जब बिक्री की मान्यता दी जाती है, तब खरीददार को मद को तैयार कर, पहचानकर और सुपुर्दगी की जाती है;

iii. खरीददार विशेष रूप से आस्थगित सुपुर्दगी निर्देशों को स्वीकार करता है; सामान्य भुगतान शर्तें लागू होती हैं।

ङ. **सेवाएं एवं निर्माण अनुबंध**

समय-एवं-सामग्री तथा यूनिट के कार्य आधारित अनुबंधों पर राजस्व की स्वीकृति सम्बद्ध सेवाओं का निष्पादन होने पर की जाती है। नियत मूल्य अनुरक्षण राजस्व की स्वीकृति आनुपातिक रूप से या तो सीधी रेखा आधार पर दर निर्धारण के लिए तब की जाती है जब सेवाओं का निष्पादन अनिश्चित संख्या की किन्हीं पुनरावृति क्रियाओं से किसी निर्दिष्ट अवधि में पूरा कर लिया गया हो अथवा आनुपातिक रूप में कार्य पूर्णता के प्रतिशत की विधि से तब की जाती है जब ग्राहक को प्रदान की गई सेवाओं के लाभों का पैटर्न तथा अनुबंध की अवधि पर कंपनी की लागतें अनुबंध के लिए पर्याप्त नहीं होती हैं क्योंकि सेवाओं का स्वरूप सामान्यतः भिन्न प्रकार का होता है तथा यह पुनरावृतीय नहीं होता है। निष्पादन दायित्व की पूर्ति समय के साथ साथ किए जाने वाले अन्य नियत मूल्य, नियत काल के अनुबंधों की राजस्व स्वीकृति, कार्य की पूर्णता के प्रतिशत की विधि से, की जाती है। इनपुट एवं उत्पादकता में प्रत्यक्ष सम्बद्धता होने के विचार से विस्तारित प्रयासों अथवा लागतों का उपयोग कार्य की पूर्ति की प्रगति के निर्धारण के लिए किया जाता है। कार्य की पूर्णता की प्रगति का मापन अनुमानित लागतों अथवा प्रयासों के संबंध में (निष्पादित कार्य के अनुसार) अब तक व्यय की गई लागतों अथवा के अनुपात के अनुसार किया जाता है। संव्यवहार मूल्य के अनुमानों तथा कुल लागतों अथवा प्रयासों की अनुबंध की अवधि के दौरान अनवरत निगरानी की जाती है तथा इनकी स्वीकृति अवधि के दौरान तब की जाती है जब इनके अनुमान परिवर्तित होते हैं अथवा अनुमान संशोधित होते हैं। राजस्व तथा अनुमानित कुल लागतों अथवा प्रयास अनुबंध की प्रगति के अनुसार संशोधित किए जाने की शर्त पर होते हैं। जब यह संभाव्य होता है कुल राजस्व के प्रति कार्य की पूर्ति के लिए अनुबंध लागतों में वृद्धि होगी तो कार्य पूर्णता की संभावित हानि को तत्काल व्यय के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

कुछ अनुबंधों में विभिन्न निष्पादन दायित्व शामिल होते हैं जैसे कि सिस्टम्स, उपकरण इत्यादि की आपूर्ति इत्यादि तथा अनुरक्षण सेवाएं। अनुरक्षण सेवाओं के संबंध में महत्व को संज्ञान में लिया जाता है तथा उसका लेखांकन एक पृथक निष्पादन दायित्व के रूप में किया जाता है। जहां अनुबंधों में विभिन्न निष्पादन दायित्व होते हैं वहां संव्यवहार मूल्य को स्टैंडएलोन विक्रय मूल्यों के आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए निर्धारण किए जाते हैं। जहां इनकी प्रत्यक्ष संबद्धता प्रत्यक्ष रूप में स्पष्ट नहीं होती है तो संभावित लागत जमा मार्जिन के आधार पर उनके अनुमान लगाए जाते हैं।

अन्य नियत मूल्य अनुबंधों के लिए राजस्व की स्वीकृति संव्यवहार के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि को कार्य पूर्णता के चरण के अनुपात में की जाती है। कार्य पूर्णता के चरण का मूल्यांकन कार्य निष्पादन के संदर्भ में होता है। यदि किसी प्राप्य प्रतिफल की वसूली के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता होती है अथवा यदि व्यय की गई अथवा व्यय की जाने वाली लागतों का मापन विश्वसनीयता के साथ नहीं किया जा सकता है तो राजस्व की स्वीकृति नहीं की जाती है।

च. **ब्याज आय**

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग कर मान्यता दी जाती है।

छ. **लाभांश**

जब लाभांश प्राप्त करने हेतु कंपनी का अधिकार स्थापित किया जाता है तो लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।

ज. **किराए से आय**

जब तक किराये में वृद्धि अपेक्षित मुद्रास्फीति या अन्यथा उचित (उचित मूल्य) के अनुरूप नहीं होती है, परिचालनीय पट्टे से उत्पन्न होने वाली किराये के आय लीज अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर होते हैं।

झ. **शुल्क वापसी**

दावों को प्रमुखता देने के संबंध में निर्यात पर शुल्क वापसी का दावा किया जाता है।

ट. **अन्य आय**

अन्य आय जिसे विशेष रूप से ऊपर वर्णित नहीं है, को अर्जन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

5) **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, प्रगतिशील पूंजी कार्य**

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को ऐतिहासिक लागत पर संचित अवमूल्यन और क्षति नुकसान, यदि कोई हो, के घाटे पर दर्शाये गए हैं। लागत में खरीद मूल्य और पीपीई को अपने अभिप्रेत उपयोग के लिए कामकाजी स्थिति में लाने की कोई भी जिम्मेदार लागत शामिल है। पीपीई के अधिग्रहण से संबंधित उधार और अन्य जिम्मेदार लागत, जो इसके अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय लेती है, को भी इस अवधि तक संबंधित सीमा तक भी शामिल किया गया है जब तक कि इस तरह के पीपीई उपयोग करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। या तो निपटान पर या इस तरह के उपयोग से सेवानिवृत्त होने पर वित्तीय विवरणों से पीपीई को हटा दिया जाता है। जब संयंत्र और उपकरण के महत्वपूर्ण पुर्जों को अंतराल पर प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें अलग घटक के रूप में मान्यता दी जाती है।

उपहार के रूप में या मुफ्त में प्राप्त संपत्तियों को उचित मूल्य पर दर्शाई जाती हैं, जिसे अधिग्रहण या प्राप्ति के समय कम संचित मूल्यह्रास और क्षति नुकसान के घाटे पर अन्य इक्विटी में जमा किया जाता है।

प्रगतिशील पूंजी कार्य

तुलनपत्र की तिथि पर संस्थापन या निर्माणाधीन संपत्तियों को प्रगतिशील पूंजी कार्य के रूप में दर्शाई जाती है।

निर्माण अवधि से संबंधित आय, जैसे ठेकेदारों से प्राप्त अग्रिम से ब्याज, निविदा दस्तावेजों की बिक्री इत्यादि, को निर्माण के दौरान व्यय के विरुद्ध समाप्त किया जाता है।

पट्टेधारित भूमि के विकास पर व्यय को भूमि विकास व्यय के रूप में पूंजीकृत किया गया है और पट्टे की अवधि या उपयोगी, जीवनकाल जो भी कम है, पर अमूर्त किया गया है।

6) **अमूर्त संपत्तियां, विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां**

क. आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहित सॉफ्टवेयर (जो संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है) की लागत और इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण भविष्य के आर्थिक लाभ को, उपयोग के लिए तैयार हो जाने पर अमूर्त संपत्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। अमूर्त संपत्ति, जो तुलनपत्र की तिथि पर उनके अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार नहीं है, को विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

ख. जहां भी योग्य हो, विकासशील कार्य की लागत को उनके पूरा होने पर अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है।

ग. जहां भी योग्य हो, प्रगति के तहत विकास कार्यों की लागत को विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

घ. ले जाने वाली राशि में विकास परियोजना (ओं) की ओर बाहरी एजेंसियों को कंपनी द्वारा वित्त पोषित राशि और कंपनी द्वारा भौतिक लागत, कर्मचारी लागत और अन्य प्रत्यक्ष व्यय की ओर किए गए व्यय शामिल है।

7) **अनुसंधान और विकास व्ययः**

अनुसंधान व्यय लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। उत्पादों की विकास लागत को लाभ और हानि विवरण पर भी दर्शाया जाता है जब तक कि उत्पाद की तकनीकी व्यवहार्यता स्थापित नहीं की जाती है, इस

मामले में इस तरह के व्यय को पूंजीकृत किया जाता है। अनुसंधान और विकास में उपयोग की जाने वाली मूर्त संपत्तियां पूंजीकृत हैं।

अन्य विकास गतिविधि की ओर किए गए व्यय, जहां नए या बेहतर उत्पादों या प्रक्रियाओं के विकास के लिए शोध परिणाम या अन्य ज्ञान लागू किया गया है, और यदि भारतीय लेखा मानक 38 में निर्दिष्ट मान्यता मानदंडों को पूरा किया जाता है, को अमूर्त संपत्ति के रूप में पहचाना जाता है और जब विकसित उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रयोग करने योग्य है, कंपनी के पास विकास को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं और बाद में अमूर्त संपत्ति का उपयोग या बिक्री की जाती है, और उत्पाद या प्रक्रिया भविष्य के आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की संभावना है।

8) गैर-वित्तीय संपत्तियों का नुकसान

प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि के अंत में, अगर आंतरिक/बाहरी कारकों के आधार पर हानि का कोई संकेत होने हेतु संपत्तियों की ले जानेवाली राशि की समीक्षा की जाती है। यदि अनुमानित वसूली योग्य राशि ले जाने वाली राशि से कम पाई जाती है, तो क्षति नुकसान की मान्यता दी जाती है और संपत्तियां वसूली योग्य राशि पर लिखी जाती हैं।

9) मूल्यह्रास/परिशोधन

संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर मूल्यह्रास की गणना सीधी रेखा के आधार पर की जाती है।

वर्ष के दौरान निश्चित परिसंपत्तियों को जोड़ और हटाने पर मूल्यह्रास को यथानुपात आधार पर निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

क. महीने के 15वें दिन या उससे पहले की गई संपत्तियों के अतिरिक्त महीने के लिए मूल्यह्रास पूरी तरह से माना जाता है जबकि महीने के 15वें दिन के बाद कमीशन की गई परिसंपत्तियों के अतिरिक्त महीने के लिए कोई मूल्यह्रास माना नहीं जाता है।

ख. महीने के 15वें दिन या उससे पहले बेचे गए, अयोग्य, क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्तियों के संबंध में, हटाने के महीने के लिए कोई मूल्यह्रास माना नहीं जाता है, जबकि महीने के 15वें दिन के बाद बेचे गए, अयोग्य, क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्तियों के लिए हटाने के महीने के लिए पूर्ण रूप में तरह से माना जाता है।

ग. परिसंपत्ति के एक हिस्से की लागत संपत्ति की कुल लागत के लिए महत्वपूर्ण है और उस हिस्से का उपयोगी जीवन शेष संपत्ति के उपयोगी जीवन से अलग है, तो उस महत्वपूर्ण भाग के उपयोगी जीवन को अलग-अलग निर्धारित किया जाता है और इसके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा विधि पर ह्रास की जाती है।

घ. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मूल्यह्रास के तरीकों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो, तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

परिशोधन

अमूर्त संपत्तियों को उनके संबंधित व्यक्तिगत अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर, उस तारीख, जब वे उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, से अलग किए जाते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधन विधियों और उपयोगी जीवन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

अवमूल्यन संपत्तियों के मामले में जो संशोधित किए गए हैं, पुनर्मूल्यांकित राशि पर सीधी रेखा विधि पर मूल्यह्रास की गणना की जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन के कारण बढ़ती अवमूल्यन सामान्य रिजर्व को क्रेडिट के रूप में कम किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का निपटान

शुरुआत में मान्यता दी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु और किसी भी महत्वपूर्ण भाग को उनके निपटान पर या इसके उपयोग या निपटान से भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है, तो उनके निपटान पर विमान्यता की जाती है।

परिसंपत्ति की विमान्यता पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि (निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की ले जाने वाली राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) को परिसंपत्ति को विमान्यता किए जाने पर लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

विवरण		(वर्ष)
क.	(क) भवन (कारखाने की इमारतों के अलावा)	60
	(ख) कारखाने की इमारत	30
	(ग) पूरी तरह से अस्थायी निर्माण	3
	(घ) प्लिंथ क्षेत्र में प्रत्येक इकाई के लिए आवास निर्माण 80 वर्गमीटर से अधिक नहीं है।	30
ख.	फर्नीचर और फिटिंग	10
ग.	संयंत्र और मशीनरी	
	(क) सामान्य दर (डबल शिफ्ट आधार पर)	15
	(ख) विशिष्ट दर : - सर्वर और नेटवर्क	6
	(ग) कंप्यूटर सहित डेटा प्रोसेसिंग मशीन	3
घ.	सड़कें और परिसर की दीवारें	10
ङ.	कार्यालय मशीनरी और उपकरण	5
च.	वाहन	8
छ.	5,000/- रुपये से कम की लागत वाली परिसंपत्तियाँ 100 प्रतिशत की कमी	
	हालांकि, 50,000/- रुपये और उससे अधिक की मूल लागत वाले परिसंपत्तियों के संबंध में, पुस्तकों में 5/- रुपये की अवशिष्ट शेष राशि बरकरार रखी गई है।	

10) पट्टे

प्रारम्भिक तिथि पर ही किसी पट्टे को वित्तीय या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

पट्टेदार के रूप में कंपनी

वित्तीय पट्टे को उचित मूल्य के नीचे पूंजीकृत किया जाता है और पट्टे के शुरू होने पर न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य होता है। वित्त प्रभार को लाभ और हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है। एक पट्टे वाली संपत्ति को संपत्ति या लीज अवधि के उपयोगी जीवन, जो भी कम हो, पर मूल्यह्रास किया जाता है।

पट्टा प्रारंभ की तिथि को कंपनी द्वारा उपयोग अधिकार परिसम्पति (आरओयू) तथा 12 माह अथवा कम (अल्प-कालिक पट्टे) अवधि के पट्टे एवं न्यून मूल्य पट्टे के अलावा पट्टा युक्त सभी पट्टा व्यवस्थाओं, जिनमें कंपनी पट्टेदार है, के लिए अनुवर्ती पट्टा दायित्व की स्वीकृति दी जाती है। इन अल्प कालिक एवं न्यून मूल्य की परिसम्पतियों के लिए कंपनी पट्टा भुगतानों की स्वीकृति, पट्टे के काल के लिए सीधी रेखा आधार पर, परिचालन व्यय के रूप में करती है। पट्टा देयता का प्रारंभिक मापन भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य की परिशोधन लागत पर किया जाता है। पट्टे की अंतर्निहित ब्याज की दर के उपयोग से अथवा यदि इनका निर्धारण तत्काल नहीं हो पाता है तो इन पट्टों के क्षेत्र की आवृत्ति ऋण दरों के उपयोग से पट्टा भुगतान बट्टा किए जाते हैं। यदि कंपनी इनके विस्तार अथवा समापन विकल्प का उपयोग करने अथवा न करने के मूल्यांकन के प्रति बदलाव करती है तो पट्टा दायित्वों का पुनःमापन उपयोग अधिकार की परिसम्पति से सम्बद्ध अनुवर्ती समायोजन करके किया जाता है।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है जिसमें पट्टा दायित्व की प्रारंभिक राशि का समायोजन पट्टे के प्रारंभ होने के समय अथवा पूर्व चुकता किए गए किन्हीं पट्टा भुगतानों जमा किसी प्रकार के पट्टा प्रोत्साहनों को घटाकर व्यय की गई प्रत्यक्ष लागतों को घटाकर किया जाता है। संचित मूल्यह्रास तथा अक्षमता क्षतियों को घटाकर लागत पर इनके अनुवर्ती मापन किए जाते हैं। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का मूल्यह्रास प्रारंभ तिथि से पट्टे के शेष काल तथा अंतर्निहित उपयोज्यता काल के लिए सीधी रेखा आधार पर किया जाता है। प्रतिलब्धता के लिए उपयोग अधिकार की परिसम्पतियों का मूल्यांकन तब किया जाता है जब परिस्थितियों अथवा परिवर्तनों के परिणामस्वरूप ऐसे संकेत प्रतीत हों कि उनकी वहन राशियों की वसूली नहीं की जा सकेगी।

पट्टादाता के रूप में कंपनी

ऑपरेटिंग लीज आय को सीधी रेखा के आधार पर लीज अवधि पर मान्यता प्राप्त होती है, सिवाय इसके कि जब वृद्धि सामान्य मुद्रास्फीति या अन्यथा उचित हो। आकस्मिक किराए, अगर कोई है, तो उसे अर्जित अवधि में राजस्व के रूप में पहचाने जाते हैं।

11) उधार लागत

उधार लागत सीधे उस संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार है जो आवश्यक उद्देश्य या बिक्री के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय लेती है, संपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत होती है।

सामान्य उधार लागत को पूंजीकरण दर लागू करके परिसंपत्तियों को अर्हता प्राप्त करने के लिए पूंजीकृत किया जाता है, जो उस उधार के लिए विशिष्ट उधार के अलावा बकाया सामान्य उधार के लिए उधार लेने वाली लागतों का भारित औसत होता है। अन्य सभी उधार लेने की लागत उस अवधि में व्यय होती है जिसमें वे संभावित हैं। उधार लागत में ब्याज और अन्य लागतें शामिल होती हैं जो एक इकाई निधि के उधार के संबंध में होती है, साथ ही साथ उधार लागत में समायोजन के रूप में माना जाता है।

12) सरकारी अनुदान

सरकार से प्राप्त अनुदान को उचित मूल्य पर मापा जाता है और शुरुआत में आस्थगित आय के रूप में पहचाना जाता है।

स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण आस्थगित आय के तहत पड़ी राशि को संबंधित परिसंपत्तियों पर लगाए गए मूल्यह्रास के अनुपात में अधिग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले सरकारी अनुदान के लिए जिम्मेदार सीमा तक लाभ और हानि विवरण के क्रेडिट में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

राजस्व व्यय के कारण आस्थगित आय के तहत निलंबित राशि को वित्त पोषण के अनुपात में किए गए व्यय की सीमा तक लाभ और हानि विवरण में हस्तांतरित किया जाता है, जो स्वीकृत अनुदान तक ही सीमित स्वीकृत लागत तक सीमित होता है।

13) संयुक्त उद्यम और एसोशिएट में निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों में संयुक्त उद्यम और एसोशिएट में कंपनी की भागीदारी को लागत पर दर्शाया गया है, बल्कि समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी विधि के तहत दर्शाया गया है।

14) मालसूचियाँ

विनिर्माण/उत्पादन गतिविधियों के लिए अप्रचलन के बाद, यदि कोई हो, खरीदी गई कच्ची सामग्रियों, घटकों और भंडार को कम लागत और निवल प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। वर्ष के अंत में भारित औसत दर पर लागत की गणना की जाती है। जहां भी वही सामान खरीदे जाते हैं, विनिर्माण लागत आमतौर पर अपनाई जाती है।

उप साधन और कैबिकेटर के साथ कच्चे माल और उत्पादन भंडार को उनके जारी किए जाने पर कम कीमत पर मूल्यांकित किए जाते हैं और अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, निवल निष्पाद्य मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

स्टॉक और स्टॉक-इन-ट्रेड में निर्मित मदों को, अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, ब्याज शुल्क, प्रशासन ओवरहेड्स और बिक्री ओवरहेड्स और निवल प्राप्य मूल्य पर छोड़कर कम लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

मूल्यवान धातु स्क्रैप को वर्ष के अंत में शुद्ध वास्तविक मूल्य पर वही खाते में लाया जाता है।

15) चालू कार्य

क. प्रक्रियाशील कार्य (उत्पादन) के मूल्य को, अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, ब्याज शुल्क, प्रशासन और बिक्री ओवरहेड्स को छोड़कर और निवल अचल मूल्य पर भौतिक रूप से सत्यापित मात्रा के आधार पर मूल्यांकित है ।

ख. प्रक्रियाशील कार्य (संस्थापन) के मूल्य को, अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, कार्य आदेशों और निवल प्राप्य मूल्य में दर्ज की गई लागत के कम मूल्य पर मूल्यांकित है।

16) औज़ार और गेज

विशेष उद्देश्य के औजारों और जुडनारों पर व्यय शुरू में लागत पर पूंजीकृत है और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, व्यवस्थित आधार पर उत्पादन पर परिशोधित हैं।

फुटकर औजारों को जारी करते समय राजस्व पर प्रभारित किए जाते हैं।

17) वित्तीय संपतियां (प्राप्य व्यापार और अन्य प्राप्य)

प्राप्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर पहचानी जाती हैं, जो ज्यादातर मामलों में मामूली मूल्य का अनुमान लगाती है। यदि संपत्ति को बाद में क्षति पहुँचने की कोई संकेत है, तो क्षति के लिए भी समीक्षा की जाती है।

18) त्रुटिय और अनुमान

यदि भारतीय लेखा मानकों में बदलाव के कारण परिवर्तन की आवश्यकता है या यदि परिवर्तन वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को अधिक प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है, तो कंपनी अपनी लेखांकन नीतियों को संशोधित करती है।

लेखांकन अनुमान में बदलाव के परिणामस्वरूप मान्यता प्राप्त संपत्तियों या देनदारियों या लाभ या हानि विवरण के लिए परिवर्तन की अवधि में परिवर्तनों की संभावना है।

त्रुटियों की खोज और परिणामों की तुलनात्मक रूप से पुनरीक्षण में परिणामों को पुनः निरीक्षण में परिणाम, देनदारियों और इक्विटी की पहली पूर्व अवधि की इक्विटी की तुलना में त्रुटि की खोज की जाती है। प्रस्तुत की गई पूर्व अवधि के प्रारम्भिक शेष भी पुनः घोषित किए जाते हैं।

19) आय कर

आयकर में वर्तमान और आस्थगित आयकर शामिल हैं।

वर्तमान आयकर

करधान प्राधिकारियों को देय या वसूल योग्य राशि को भुगतान की जाने वाली राशि पर मापा जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर की दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित होते हैं। इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित वर्तमान कर इक्विटी में मान्यता प्राप्त है और लाभ और हानि के विवरण में नहीं।

आस्थगित कर

संपत्ति और देनदारियों के कर आधार और रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए उनकी ले जाने वाली रकम के बीच अस्थायी अंतर पर तुलनपत्र विधि का उपयोग करके आस्थगित कर प्रावधान किया जाता है।

आस्थगित कर संपत्ति सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतर के लिए पहचानी जाती है, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और किसी भी अप्रयुक्त कर घाटे को आगे बढ़ाते हैं, इस हद तक कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक कम हो जाती है कि अब यह संभव नहीं है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या हिस्से को उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

20) वारंटी दायित्व

ग्राहकों को बेचे गए उपकरणों के संबंध में संविदात्मक दायित्व के लिए वारंटी दायित्व वार्षिक तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर माना जाता है।

21) विदेशी मुद्राएं

विदेशी मुद्राओं में लेन-देन को प्रारम्भ में कंपनी द्वारा अपनी संबंधित मुद्रा विनिमय दर पर लेनदेन की तारीख को पहली बार मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त होने पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक संपत्तियों और देनदारियों का अनुवाद रिपोर्टिंग तिथि पर कार्यात्मक मुद्रा विनिमय दर पर किया जाता है।

निपटारे या मौद्रिक वस्तुओं के अंतरण पर उत्पन्न अंतर लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त हैं।

गैर-मौद्रिक वस्तुओं को विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापा जाता है, प्रारंभिक लेनदेन की तारीखों पर कार्यात्मक मुद्रा विनिमय दर का उपयोग करके अंतरित किया जाता है।

22) कर्मचारी हितलाभ

क. अल्पावधि कर्मचारी लाभ को वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में गैर-छूट प्राप्त राशि पर एक व्यय के रूप में पहचाने जाते हैं जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है।

ख. रोज़गार के उपरांत के लाभ जैसे उपदान और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ जैसे विशेषाधिकार छुट्टी, बीमार छुट्टी और एलएलटीसी को वर्ष के लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष में कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं। व्यय आकलन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित देय राशि के वर्तमान मूल्य पर मान्यता प्राप्त है।

ग. बीमांकिक लाभ और हानि तथा योजना संपत्तियों (ब्याज को छोड़कर) का विवरण और परिसंपत्ति की अधिकतम सीमा का प्रभाव (यदि कोई हो, ब्याज को छोड़कर) को अन्य व्यापक आय (ओआईसी) में तुरंत मान्यता दी जाती है। निवल परिभाषित देयता (परिसंपत्तियों) पर निवल ब्याज व्यय (आय) की गणना निवल दर देकर (परिसंपत्ति) को वर्ष के दौरान योगदान और लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप किसी भी बदलाव को ध्यान में रखते हुए निवल परिभाषित देयता (परिसंपत्ति) को मापने के बाद वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, गणना दर लागू करने के द्वारा की जाती है। निवल ब्याज व्यय और परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्च लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त हैं।

घ. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) से संबंधित व्यय को घटनाओं के संबंधित वर्ष में लिखा गया है।

ङ. कंपनी के पात्र कर्मचारियों को परिभाषित अंशदायी योजना के अंतर्गत भविष्य निधि के लाभ प्रदान किए जाते हैं । पात्र कर्मचारी तथा कंपनी, दोनों, भविष्य निधि योजना में संबंधित कर्मचारी के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के अनुसार मासिक अंशदान करती हैं। कंपनी यह अशंदान आईटीआई कर्मचारी भविष्य निधि न्यास को सौंपती है। विनियमों के अनुसार सरकार द्वारा शासित पेंशन निधि में अंशदान का भाग जमा करवाने के पश्चात न्यास शेष निधियों का निवेश संबंधित विनियमों के अंतर्गत अनुमत विशिष्ट निर्दिष्ट उपकरणों मे करता है। न्यास द्वारा लाभग्राहियों को चुकता किए जाने वाले वार्षिक ब्याज की दर का निर्धारण सरकार करती है।

23) प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब पिछले कार्यक्रम के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, यह संभव है कि आर्थिक लाभों को जोड़नेवाले संसाधनों का बहिर्वाह दायित्व को सुलझाने के लिए आवश्यक होगा और एक विश्वसनीय अनुमान दायित्व की राशि से किया जा सकता है। जब कंपनी को कुछ या सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की उम्मीद है, उदाहरणार्थ, एक बीमा अनुबंध के तहत, प्रतिपूर्ति एक अलग संपत्ति के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन केवल प्रतिपूर्ति लगभग निश्चित हो। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय किसी भी निवल प्रतिपूर्ति के लाभ और हानि विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

यदि पैसे के समय मूल्य का प्रभाव महत्त्वपूर्ण है, प्रावधानों को वर्तमान पूर्व कर दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो दर्शाती है, जब उचित हो, देयता के लिए विशिष्ट जोखिम होता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में पहचाना जाता है।

आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आकस्मिक देनदारियां जब तक कि आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ और आकस्मिक संपत्तियां जहां आर्थिक लाभ की आमद संभावित है, नोटों में प्रकट की जाती हैं।

भारयुक्त अनुबंध

जब संविदा से कंपनी द्वारा प्राप्त होनेवाले अपेक्षित लाभ संविदा के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत से कम होते हैं तब निर्माण अनुबंधों के अलावा अन्य कई अनुबंधों के लिए प्रावधान किया जाता है।

प्रावधान को अनुबंध समाप्त होने की उम्मीद की निवल लागत के नीचे के वर्तमान मूल्य और अनुबंध के साथ जारी रखने की उम्मीद की निवल लागत से मापा जाता है।

प्रावधान स्थापित होने से पहले, कंपनी उस अनुबंध से जुड़ी संपत्तियों पर किसी भी क्षति नुकसान को पहचानती है।

24) उचित मूल्य मापन

कंपनी प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर उचित मूल्य पर अपने वित्तीय विवरणों में डेरिवेटिव्स और अन्य वस्तुओं जैसे कुछ वित्तीय उपकरणों को मापती है।

सभी संपत्तियों और देनदारियों के लिए जो उचित मूल्यों को वित्तीय विवरणों में मापा या खुलासा किया गया है, वे उचित मूल्य माप के आधार पर उचित मूल्य पदानुक्रम के अधीन वर्गीकृत होते हैं जो कि उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है :

स्तर 1 - समान संपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)

स्तर 2 - उद्धृत कीमतों के अलावा इनपुट्स जिसे स्तर 1 के अधीन शामिल किया गया है, जो संपत्ति या देयता के लिए, या तो सीधे (यानी कीमतों के रूप में) या परोक्ष रूप से (यानी कीमतों से व्युत्पन्न) विचारणीय हैं।

स्तर 3 - संपत्तियों या देनदारियों के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अप्रचलित इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के प्रयोजनों के लिए, कंपनी ने संपत्ति या देयता के प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों और उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्ग निर्धारित किए हैं।

25) निवेश सम्पत्ति

निवेश संपत्तियों को शुरुआत में लागत पर मापा जाता है, जिसमें लेनदेन लागत भी शामिल है। प्रारंभिक मान्यता के अनुक्रम में, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति नुकसान, यदि कोई हो, पर उल्लेख किया जाता है।

26) वित्तीय साधन

क. प्रारंभिक मान्यता और मापन

सभी वित्तीय संपत्तियों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया गया है, वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार लेनदेन लागत संपत्ति की लागत में शामिल है।

ख. अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय संपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

i. अमूर्त लागत पर ऋण साधन,

ii. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफवीटीओसीआई),

iii. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन, डेरिवेटिव और इक्विटी साधन (एफवीटीपीएल),

iv. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा इक्विटी साधन सहयोगियों में निवेश के अलावा जो लागत पर किया जाता है (एफवीटीओसीआई)।

विमान्यता

वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्ति के हिस्से को तब मान्यता दी जाती है जब परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

एम्बेडेड डेरिवेटिव

एम्बेडेड डेरिवेटिव, यदि आवश्यक हो, होस्ट अनुबंध से अलग किया गया है और उचित मूल्य पर मापा जाता है।

27) आगे अनुबंध

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों को संभालने के लिए आगे मुद्रा अनुबंध जैसे डेरिवेटिव वित्तीय उपकरणों का उपयोग करती है। इस तरह के डेरिवेटिव वित्तीय साधनों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है जिस पर एक डेरिवेटिव अनुबंध दर्ज किया जाता है और बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। जब उचित मूल्य सकारात्मक होता है तब डेरिवेटिव वित्तीय संपत्ति के रूप में ले जाते हैं और उचित देनदार होने पर वित्तीय देनदारियों के रूप में ले जाते हैं।

28) नकद और नकद समतुल्य

नकद में मौजूदा नकद और मांग जमा शामिल है। नकद समतुल्य तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक अत्यधिक तरल निवेशह है, जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय है एवं मूल्य में परिवर्तन के तुच्छ जोखिम के अधीन है।

तुलनपत्र पर मौजूदा देनदारियों में उधार के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट, यदि कोई हो, को दिखाया गया है।

29) वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी माप के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है और क्रेडिट जोखिम के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि की पहचान करती है।

क. सरकार/सरकारी विभागों/सरकारी कंपनियों से कालबर्जित देय को आम तौर पर ऐसी वित्तीय संपत्ति के क्रेडिट जोखिम में वृद्धि के रूप में नहीं माना जाता है।

ख. जहां कानूनी कार्यवाही में बकाया राशि विवादित होती है, अगर कंपनी के विरुद्ध कोई निर्णय दिया जाता है तो भी प्रावधान किया जाता है, भले ही इसे उच्च प्राधिकारियों/अदालतों को अपील पर लिया जाता है।

ग. मामला-दर-मामले के आधार पर विशिष्ट समयावधि के लिए बकाया देय के मामले में।

अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त ईसीएल क्षति नुकसान भत्ता (या उलटा) को लाभ और हानि विवरण में व्यय/(आय) के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह राशि लाभ और हानि विवरण में क्षति लाभ में या हानि के रूप में प्रतिबिंबित करती है।

30) वित्तीय देयताएँ

क. प्रारम्भिक मान्यता और मापन

वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक रूप से उपयुक्त, ऋण, उधार, देनदार या डेरिवेटिव के रूप में लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है।

ऋण, उधार और देय, लेनदेन लागत का निवल कहा जाता है जो सीधे जिम्मेदार होते हैं।

ख. बाद के मापन

वित्तीय देनदारियों का मापन उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

i. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियां।

ii. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। इस संवर्ग में कंपनी द्वारा प्रवेश किए गए डेरिवेटिव वित्तीय साधन भी शामिल हैं, जो भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज रिश्तों में हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित नहीं हैं। पृथक एम्बेडेड डेरिवेटिव को व्यापार के लिए भी वर्गीकृत किया जाता है जब तक उन्हें प्रभावी हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए धारित देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है।

ग. ऋण और उधार

प्रारंभिक मान्यता के बाद, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करके ब्याज-रहित ऋण और उधार को बाद में लागत में मापा जाता है। जब देनदारियों को ईआईआर अमूर्तकरण प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता प्राप्त होती है लाभ और हानि को लाभ या हानि के रूप में में पहचानी जाती है।

वित्तीय देनदारी के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त होने पर वित्तीय देयता की विमान्यता की जाती है।

घ. व्यापार और अन्य देनदारियाँ

चाहे आपूर्तिकर्ता द्वारा बिल किया गया हो या नहीं, देयताओं को भविष्य में प्राप्त की जानेवाली माल और सेवाओं के लिए भुगतान की जानेवाली राशि के रूप में मान्यता दी जाती है।

31) वित्तीय उपकरण का पुनःवर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों के वर्गीकरण को निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों, जो इक्विटी उपकरण और वित्तीय देनदारियां हैं, के लिए कोई पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण साधन हैं, पुनःवर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन संपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यावसायिक मॉडल में कोई बदलाव हो। अगर कंपनी वित्तीय संपत्तियों को पुनः वर्गीकृत करती है, तो यह भावी रूप से पुनः वर्गीकरण लागू करती है।

32) वित्तीय उपकरणों की ऑफसेटिंग

यदि मान्यता प्राप्त राशि को ऑफ सेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकारी है और निवल आधार निपटाने का इरादा है, तो वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ऑफ सेट किया जाता है और परिसंपत्तियों का एहसास करने तथा देनदारियों को एक साथ व्यवस्थित करने के लिए निवल का तुलन पत्र में दर्शाया जाता है।

33) इक्विटी शेयरधारकों को नकद लाभांश और गैर-नकद वितरण

कंपनी इक्विटी धारकों को नकद या गैर-नकदी वितरण करने की देयता को मान्यता देती है, जब वितरण अधिकृत होता है और वितरण अब कंपनी के विवेकानुसार नहीं होता है।

34) प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर की मूल अर्जन की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के आधार पर इक्विटी शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार अवधि के लिए निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर कम किया हुआ अर्जन की गणना के उद्देश्य के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार अवधि के लिए निवल लाभ या हानि और उस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी कम किए गए संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

35) रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ

समायोजित घटनाएँ ऐसी हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद स्थितियों के आगे प्रमाण करती हैं। इस मुद्दे के लिए प्राधिकरण से पहले वित्तीय विवरणों को इस तरह की घटनाओं के लिए समायोजित किया जाता है।

गैर-समायोजन घटनाएँ ऐसी हैं, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक उठनेवाली स्थिति के संकेतक हैं। रिपोर्टिंग की तारीख के बाद गैर-समायोजन घटनाओं का हिसाब नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें प्रकट किया गया है।

36) समेकित

आईटीआई ने 40.55 लाख रुपये की लागत के लिए अपने संयुक्त उद्यम इंडिया सेटकॉम लिमिटेड में इक्विटी शेयर पूंजी का 49% निवेश किया है ।

भारतीय लेखांकन मानक 28 के अनुसार, संयुक्त उद्यमों में ब्याज की समेकन इक्विटी विधि का उपयोग कर किया जा सकता है, जिसमें निवेशक के निवल मूल्य में निवेशक का हिस्सा सीधे निवेशक की किताबों में निवेश के मूल्य के रूप में लिया जा सकता है और अंतर पुराने मूल्य और नए मूल्य के बीच अन्य व्यापक आय में जमा/डेबिट किया जाएगा क्योंकि इक्विटी शेयरों में निवेश को इक्विटी उपकरणों द्वारा अन्य व्यापक आय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते **मेसर्स जीआरएसएम एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण नं. 000863एस

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ए राजगोपाल
साझेदार
एम.सं.205296

राजीव श्रीवास्तव
निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन: 08921307

राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 10052045

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 29 मई 2023

31.03.2023 के अनुसार समेकित तुलन पत्र

लाख रुपए में

विवरण	नोट सं.	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
I. परिसंपत्तियाँ					
(1) गैर-चालू परिसंपत्तियाँ					
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	1	**268408.07**		266105.11	
(ख) प्रगतिशील पूंजी कार्य	2	**13863.12**		14964.58	
(ग) निवेश संपत्ति	3	**6827.78**		6838.00	
(घ) साख		**0.00**		0.00	
(ङ) अन्य अमूर्त परिसंत्तियाँ		**0.00**		0.00	
(च) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ		**0.00**		0.00	
(छ) बेरर संयंत्रों को छोड़कर जैविक		**0.00**		0.00	
(ज) वित्तीस परिसंपत्तियाँ					
(i) निवेश	4(क)	**3514.27**		3490.00	
(ii) प्राप्य व्यापार	4(ख)	**19646.74**		23622.30	
(iii) ऋण	4(ग)	**0.00**		0.00	
(iv) अन्य	4(घ)	**3.00**		3.00	
(झ) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		**0.00**			
(ञ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	5	**0.52**	**312263.51**	0.52	315023.51
(2) चालू परिसंपत्तियाँ					
(क) माल सूचियाँ	6	**24975.23**		19339.54	
(ख) वित्तीय परिसंपत्तिया					
(i) निवेश		**0.00**		0.00	
(ii) प्राप्य व्यापार	7	**242927.83**		272989.62	
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	8(क)	**935.78**		1556.54	
(iv) ऊपर (iii) के इतर बैंक शेष	8(ख)	**20548.13**		29093.25	
(v) ऋण	9(क)	**73302.93**		75304.97	
(vii) अन्य	9(ख)	**257975.43**		230593.53	
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		**0.00**		0.00	
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	10	**16207.31**	**636872.64**	13578.72	642456.17
कुल			**949136.16**		957479.69
II. इक्विटी और देयताए					
इक्विटी					
(क) इक्विटी शेयर पूँजी	11	**94957.74**		93352.29	
(ख) अन्य इक्विटी	12	**142475.59**	**237433.33**	167445.44	260797.73
देयताएँ					
(1) गैर-चालू देयताएँ					
(क) अप्रयुक्त सरकारी अनुदान	13	**4501.06**		4250.12	
(ख) वित्तीय देयताएँ					
(i) उधार	14(क)	**18000.00**		24000.00	
(ia) पट्टे देनदारियां	14(ख)	**59.66**		74.67	
(ii) व्यापार देनदारियाँ	14(ग)				
(क) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के कुल बकाया, तथा		**0.00**		0.00	
(ख) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया		**17399.02**		22381.00	

31.03.2023 के अनुसार समेकित तुलन पत्र जारी...

लाख रुपए में

विवरण	नोट सं.	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
(iii) अन्य	14(घ)	**7631.29**		7386.26	
(ग) प्रावधान	15	**5141.35**		4619.26	
(घ) आस्थगित कर देयताएँ		**0.00**		0.00	
(ङ) अन्य गैर-चालू देयताएँ	16	**0.00**	**52732.38**	0.00	62711.32
(2) चालू देयताएँ					
(क) वित्तीय देयताएँ					
(i) उधार	17(क)	**169583.52**		137199.25	
(ia) पट्टे देनदारियाँ	17(ख)	**15.01**		13.48	
(ii) व्यापार देनदारियाँ	17(ग)				
(क) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के कुल बकाया, तथा		**12895.01**		20606.69	
(ख) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया		**124773.18**		148399.64	
(iii) अन्य	18	**229040.32**		205577.47	
(ख) अन्य चालू देयताए	19	**103221.54**		106775.23	
(ग) प्रावधान	20	**19441.86**		15398.90	
(घ) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ	21	**0.00**	**658970.45**	0.00	633970.64
कुल			**949136.16**		**957479.69**

टिप्पणी : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते **मेसर्स जीआरएसएम एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण नं. 000863एस

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ए राजगोपाल
साझेदार
एम.सं.205296

राजीव श्रीवास्तव
निदेशक वित्त एव मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन: 08921307

राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 10052045

स्थान: बैंगलुरु
दिनांक: 29 मई 2023

इक्विटी में समेकित परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी लाख रुपए में

लाख रुपए म

विवरण	2022-23	2021-22
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**93,352.29**	**93,352.29**
पूर्वावधि चूकों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
चालू रिपोर्टिंग वर्ष के प्रारंभ में पुनर्लिखित शेष	-	-
चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	1,605.45	-
वर्ष के अंत में शेष	**94,957.74**	**93,352.29**

ख. अन्य इक्विटी लाख रुपए में

विवरण	शेयर आवेदन राशि निलंबित आबंटन	आरक्षित और अधिशेष					अधिशेष का पुनर्मूल्यांकन	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कुल
		पूंजी आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	अन्य व्यापक आय-डीवीपी का पुनर्मापन	अन्य रिजर्व	धारित आय			
01.04.2022 की स्थिति को शेष	**7,156.30**	**3,05,827.30**	**21,679.44**	**8,759.37**	**-**	**-1,75,976.96**	**-**	**-**	**1,67,445.45**
लेखांकन नीति / पूर्वावधि चूका में परिवर्तन									-
चालू रिपोर्टिंग वर्ष के प्रारंभ में पुनर्लिखित शेष	**7,156.30**	**3,05,827.30**	**21,679.44**	**8,759.37**	**-**	**-1,75,976.96**	**-**	**-**	**1,67,445.45**
चालू वर्ष में कुल व्यापक आय					-6,079.04				**-6,079.04**
लाभांश									
धारित आय में अंतरण						-35,985.36			**-35,985.36**
अन्य कोई परिवर्तन	-7,156.30		13,550.85						**6,394.55**
वर्ष के दौरान प्राप्त पूंजी अनुदान*	10,700.00								**10,700.00**
31.03.2023 की स्थिति को शेष	**10,700.00**	**3,05,827.30**	**35,230.29**	**2,680.34**	**-**	**-2,11,962.32**	**-**	**-**	**1,42,475.59**
01.04.2021 की स्थिति को शेष	**-**	**3,05,827.30**	**21,679.44**	**10,245.45**		**-1,86,696.56**	**-**	**-**	**1,51,055.63**
लेखांकन नीति / पूर्वावधि चूकों में परिवर्तन*						-1,151.55			**-1,151.55**
चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनर्लिखित शेष	**-**	**3,05,827.30**	**21,679.44**	**10,245.45**	**-**	**-1,91,434.14**	**-**	**-**	**1,46,318.06**
चालू वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय				-1,486.07					**-1,486.07**
लाभांश									-
वर्ष के दौरान प्राप्त पूंजीगत अनुदान*	7,156.30								**7,156.30**
धारित आय में अंतरण						11,871.15			**11,871.15**
अन्य कोई परिवर्तन									-
31.03.2022 की स्थिति को शेष	**7,156.30**	**3,05,827.30**	**21,679.44**	**8,759.37**	**-**	**-1,75,976.96**	**-**	**-**	**1,67,445.45**

*** नोट**

(i) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कुछ मदों के पूंजीयन में हुई देरी की त्रुटि में सुधार किए हैं। इन परिसंपत्तियों के संस्थापन की तिथि के आधार पर, इन्हें वित्तीय विवरणों में शामिल तुलनीय अवधि से पूर्व पूंजीयन किया जाना चाहिए था तथा ऐसा न किए जाने के परिणामस्वरूप पूर्व वर्षों में मूल्यह्रास के प्रावधान नहीं किए जा सके थे। मूल्यह्रास के कम प्रावधान के मामले वर्ष 2021-22 से संबंधित भी हैं। इन त्रुटियों का (i) तुलनीय वर्ष वित्त वर्ष 2021-22 के मूल्यह्रास में 98.48 लाख रुपये की वृद्धि करके (ii) पूर्व अवधियों से संबंधित धारित आय में 117.42 लाख रुपए की राशि को मूल्यह्रास के प्रति कम करके सुधार किया गया है। (iii) पूंजी कार्य प्रगति पर में 2390.98 लाख रुपए की वहन मूल्य को कम करके 1.4.2021 की स्थिति के अनुसार तदनुरूपी पूर्वप्रभावी पुनर्विवरण में संपति, संयंत्र एवं उपकरण में समान राशि के वहन मूल्य में वृद्धि करके सुधार किया गया है।

(ii) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बिल न किए गए राजस्व से संबंधित 1593 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति का लेखांकन चूकवश नहीं किया जा सका था तथा चालू वर्ष में इस चुक में व्यापार देय के पूर्वप्रभावी पुनर्विवरण के माध्यम से किया गया है।

(iii) स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त 558.87 लाख रुपये की अनुदान सहायता का वहन चूकवश देयता के रूप में किया गया था तथा इसके अनुवर्ती व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 में किया गया था। तथापि, चूकवश इस अनुदान की स्वीकृति लागतों के अनुरूप आय के रूप में नहीं की गई थी। अन्य चालू देयताओं का पूर्वप्रभावी पुनर्विवरण प्रस्तुत करके इस चूक में सुधार कर लिया गया है।

(iv) वित्तीय वर्ष 2022-23 में कंपनी को 18700 लाख रुपये का पूंजी अनुदान प्राप्त हुआ था। इसमें से 8,000.00 लाख रुपए की अनुदान राशि के लिए दिनांक 28.9.2022 को प्रति शेयर 103.45 रुपए (10 रुपए मूल्य के पूर्ण चुकता शेयर के प्रति 93.45 रुपए के प्रीमियम के साथ) की दर से 77,33,204 शेयर आवंटित किए गए थे तथा शेष 10700.00 लाख रुपए की राशि का लेखा बहियों में लेखांकन शेयर आवेदन राशि के रूप में लंबित आवंटन के प्रति किया गया है।

टिप्पणी: संलग्न महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं नोट इन वित्तीय विवरणों का भाग हैं।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते **मेसर्स जीआरएसएम एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण नं. 000863एस

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ए राजगोपाल	**राजीव श्रीवास्तव**	**राजेश राय**
साझेदार	निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम.सं.205296	डीआईएन: 08921307	डीआईएन: 10052045

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 29 मई 2023

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का समेकित विवरण

लाख रूपए में

विवरण	नोट सं.	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
I. संचालन से राजस्व	22	**139544.51**		186073.13	
II. अन्य आय	23	**5254.88**		25456.63	
III. कुल राजस्व (I+II)			**144799.38**		211529.76
IV. व्ययः					
खपत सामग्री की लागत	24	**16441.53**		12045.53	
व्यापार में स्टॉक की खरीद	25 (क)	**27337.18**		62017.36	
संस्थापन एवं अनुरक्षण प्रभार	25 (ख)	**77664.74**		71390.78	
निर्मित माल, प्रगतिशील कार्य और व्यापार में स्टॉक की मालसूचियों में परिवर्तन	26	**(3322.78)**		(1928.37)	
कर्मचारी हितलाभ व्यय	27	**22887.13**		22217.84	
वित्तीय लागत	28	**20958.40**		19222.60	
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	29	**4949.84**		5101.43	
अन्य व्यय	30	**13892.97**		9454.83	
IV. कुल व्यय			**180809.02**		199521.99
एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों के शुद्ध लाभ का हिस्सा इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है			**24.27**		(136.61)
V. असाधारण मद एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)			**(35985.36)**		11871.15
VI. असाधारण मद					
(i) आय			**0.00**		0.00
(ii) व्यय			**0.00**		0.00
VII. कर से पूर्व लाभ/(हानि)(V + VI)			**(35985.36)**		11871.15
VIII. कर संबंधी खर्चः					
(1) चालू कर			**0.00**		0.00
(2) आस्थगित कर			**0.00**		0.00
IX. वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)			**(35985.36)**		11871.15
X. अन्य व्यापक आय					
क. (i) मद जो लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं होंगे					
परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन, अन्य व्यापक			**(6079.04)**		(1486.07)
आय के माध्यम से इक्विटी साधन के उचित मूल्य में परिवर्तन			**0.00**		0.00
ख. (i) मद जो लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत होंगे			**0.00**		0.00
XI. वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (IX+X) (वर्ष के लिए लाभ/(हानि) और कुल व्यापक आय शामिल है)			**(42064.40)**		10385.08
XII. प्रति शेयर इक्विटी अर्जन (सतत संचालन के लिए):					
मूल एवं कम किया हुआ (अंकित मूल्य प्रति रु. 10/-):			**(3.81)**		1.27
शेयरों की भारित औसत संख्या			**944488639**		933522869

टिप्पणीः महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते **मेसर्स जीआरएसएम एण्ड एसोसिएटस**
सनदी लेखाकर
फ़र्म पंजीकरण नं. 000863एस

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ए राजगोपाल
साझेदार
एम.सं. 205296

राजीव श्रीवास्तव
निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएनः 08921307

राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 10052045

स्थान : बेंगलुरु
दिनांक : 29 मई 2023

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण

लाख रूपए में

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
क) प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह:				
कर से पूर्व निवल लाभ/(हानि)		(35985.36)		11871.15
निम्नलिखित के लिए समायोजन :				
मूल्यह्रास	4949.84		5101.43	
वित्तपोषण व्यय	20958.40		19222.60	
निवेश के विक्रय से लाभ	0.00		0.00	
प्राप्त ब्याज/लाभांश	(541.27)		(485.26)	
परिसंपत्तियों के विक्रय से हानि	0.00		0.00	
परिसंपत्तियों के विक्रय से लाभ	(1628.83)		(344.48)	
सहायता अनुदान से अंतरण	250.94		(21912.40)	
सहायता अनुदान से अंतरण	0.00		0.00	
अन्य व्यापक आय	(6079.04)		(1486.07)	
गैर नकद व्यय	2660.62	20570.67	1042.20	1138.02
कार्यशील पूँजी परिवर्तन के पूर्व प्रचालन नकद (लाभ)		(15414.70)		13009.17
निम्नलिखित के लिए समायोजन				
व्यापार और अन्य प्राप्यध	3297.07		(90721.87)	
मालसूचियाँ	(5635.69)		30.36	
व्यापार देय	(11600.83)		33927.00	
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	0.00	(13939.45)	10.08	(56754.43)
संचालन से उत्पन्न नकद				
प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		(29354.15)		(43745.26)
ख) निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह:		(29354.15)		(43745.26)
स्थाई परिसंपत्तियों सहित क्रय				
पूँजीगत चालू कार्य	(6069.96)		(6016.08)	
स्थाई परिसंपत्तियों का विक्रय	1628.83		344.48	
निवेश	(24.27)		136.61	
प्राप्त ब्याज	541.27		485.26	
अन्य बैंक शेषों की परिपक्वता/जमा से प्राप्त आय	8545.12		22873.62	
प्राप्त लाभांश	0.00		0.00	
निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकद (ख)		4620.99		17823.90
ग) वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाह:				
अल्पकालिक उधार से प्राप्त आय	26370.79		14760.83	
शेयर आवेदन के पैसे	10700.00		7156.30	
कैपेक्स अनुदान प्राप्त हुआ और शेयर आवंटित किए गए				
अधिशेष के साथ समायोजन	8000.00		0.00	
प्राप्त सहायता अनुदान	0.00		21989.76	
वित्तीय व्यय	(20958.40)		(19222.60)	
वित्त पोषण क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकद (ग)		24112.39		24684.30
नकद और समतुल्य में निवल वृद्धि (क+ख+ग)		(620.76)		(1237.08)
नगद और नगद समतुल्य की अथशेष		1556.54		2793.67
नगद और नकद समतुल्य की अंतिम शेष		935.78		1556.54

टिप्पणी: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और सहटिप्पणी वित्तीय विवरण के मद से ।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते **मेसर्स जीआरएसएम एण्ड एसोसिएटस**
सनदी लेखाकर
फ़र्म पंजीकरण नं. 000863एस

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ए राजगोपाल
साझेदार
एम.सं. 205296

राजीव श्रीवास्तव
निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएनः 08921307

राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 10052045

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 29 मई 2023

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी संख्या 1

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

लाख रु. में

वि.व. 2022-23

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास					31.03.2023 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2022	वृद्धि	विलोप	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि (शुल्क पुनर्मूल्यांकन कुल शुद्ध वहन राशि का 10 से अधिक है)	समायोजन	कुल 31.03.2023	संचित मूल्यह्रास 01.04.2022	अवधि के लिए	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2023	
भूमि:												
- पूर्व स्वामित्व	2,20,957.17	-	67.08	-	-	2,20,890.09	-	-	-	-	-	2,20,890.09
- पट्टाधृति	777.13	-	-	-	-	777.13	1.62	0.27	-	-	1.89	775.24
पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भूमि विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन	14,706.58	251.73	-	-	-	14,958.31	4,400.43	705.21	-	-	5,105.64	9,852.67
संयंत्र एवं यंत्र	44,848.89	5,925.54	60.36	-	-	50,714.07	14,649.31	3,694.17	59.98	-	18,283.50	32,430.57
अन्य उपकरण	5,263.96	946.12	14.61	-	-	6,195.47	1,735.50	435.38	14.61	-	2,156.27	4,039.20
कार्यालय मशीन एवं उपस्कर	409.94	147.33	1.49	-	-	555.78	293.66	54.74	1.25	-	347.15	208.63
उपस्कर जुड़नार एवं पुर्जे	106.74	7.96	-	-	-	114.70	51.09	9.36	-	-	60.45	54.25
वाहन	148.06	27.74	-	-	-	175.80	87.75	16.24	-	-	103.99	71.81
विद्युत प्रतिष्ठापन	29.49	-	-	-	-	29.49	-	-	-	-	-	29.49
उपयोग का अधिकार (कार लीज)	102.03	-	-	-	-	102.03	25.51	20.41	-	-	45.91	56.12
कुल	**2,87,350.00**	**7,306.42**	**143.53**	**-**	**-**	**2,94,512.89**	**21,244.88**	**4,935.79**	**75.84**	**-**	**26,104.82**	**2,68,408.07**

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी संख्या 2

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

लाख रु. में

वि.व. 2021-22

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास					31.03.2022 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2021	वृद्धि	विलोप	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि (शुल्क पुनर्मूल्यांकन कुल शुद्ध वहन राशि का 10 से अधिक है)	समायोजन	कुल 31.03.2022	संचित मूल्यह्रास 01.04.2021	अवधि के लिए	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2022	
भूमि:												
- पूर्व स्वामित्व	2,21,058.84	-	101.67	-	-	2,20,957.17	-	-	-	-	-	2,20,957.17
- पट्टाधृति	777.13	-	-	-	-	777.13	1.35	0.27	-	-	1.62	775.51
पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भूमि विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन	14,556.03	150.55	-	-	-	14,706.58	3,709.11	704.46	-	-13.15	4,400.44	10,306.14
संयत्र एवं यंत्र	41,827.70	3,224.99	203.79	-	-	44,848.89	10,884.80	3,683.56	85.17	166.12	14,649.31	30,199.58
अन्य उपकरण	3,109.22	2,154.74	-	-	-	5,263.96	1,177.44	723.13	-	-165.07	1,735.50	3,528.46
कार्यालय मशीन एवं उपस्कर	343.96	65.98	-	-	-	409.94	240.74	53.97	-	-1.05	293.66	116.28
उपस्कर जुड़नार एवं पुर्जे	75.79	30.95	-	-	-	106.74	41.85	9.61	-	-0.37	51.09	55.65
वाहन	138.61	9.45	-	-	-	148.06	73.72	14.03	-	-	87.75	60.31
विद्युत प्रतिष्ठापन	-	29.49	-	-	-	29.49	-	-	-	-	-	29.49
उपयोग का अधिकार (कार लीज)	102.03	-	-	-	-	102.03	5.10	20.41	-	-	25.51	76.52
कुल	**2,81,989.30**	**5,666.16**	**305.46**	**-**	**-**	**2,87,350.00**	**16,134.12**	**5,209.44**	**85.17**	**-13.52**	**21,244.88**	**2,66,105.12**

टिप्पणी:

1. कर्नाटक सरकार के पक्ष में 400डी और 624ई टाइप क्वार्टरों के लिए इमदादी औद्योगिक आवास योजना की शर्तों के अनुसार प्राप्त सब्सीडी पर 7 लाख रुपये का प्रभार है।
2. फैक्ट्री भवन पट्टा भूमि पर है, जिसकी माप 36 कनाल्स तथा 13 मर्लास है, पट्टा अवधि बढ़ाने के कार्य जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ प्रक्रियाधीन है।
3. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और कंपनी की अन्य संपत्तियों के शीर्षक पर विभिन्न उधारदाताओं के पक्ष में 357694 लाख रुपये की कुल राशि का शुल्क है क्योंकि इन संपत्तियों को देनदारियों के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखा जाता है।
4. शीर्षक विलेखों की अनुपलब्धता: बेंगलूरु: के आर पुरम में आईटीआई लिमिटेड के पास 435 एकड़ जमीन है । इसमें से, कंपनी के पास लगभग 375 एकड़ क्षेत्र के लिए मालिकाना हक है । शेष क्षेत्र के लिए, भूमि के उपयोग के लिए कंपनी के पास केवल अधिकारों का रिकॉर्ड मौजूद है और कंपनी के पास उचित स्वामित्व विलेख नहीं हैं ।

मनकापुर: निजी मालिकों से खरीदी गई 191.03 एकड़ भूमि में से 41.77 एकड़ भूमि का मालिकाना हक प्रबंधन के पास उपलब्ध नहीं है ।
नैनी: वर्ष 1969 में आईटीआई कॉम्प्लेक्स (174.69 एकड़) की भूमि जिला औद्योगिक अधिकारी को सौंपी गई थी । इस भूमि का स्वामित्व विलेख अभी भी मैसर्स आईटीआई लिमिटेड के नाम पर स्थानांतरित नहीं किया गया है ।
पालक्काड: कंपनी के पास 77 एकड़ भूमि के संबंध में स्वामित्व/पट्टा विलेख संपत्तियां हैं, जिन्हें केरल सरकार द्वारा फिर से शुरू किया गया है और शीर्ष अदालत के समक्ष निर्णय के अधीन है ।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी संख्या 3

लाख रु. में

निवेश सम्पत्ति:

वि.व. 2022-23

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास					31.03.2023 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2022	वृद्धि	विलोप	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि (शुल्क पुनर्मूल्यांकन कुल शुद्ध वहन राशि का 10 से अधिक है)	समायोजन	कुल 31.03.2023	संचित मूल्यह्रास 01.04.2022	अवधि के लिए	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2023	
भूमि	6,497.55	-	-	-	-	6,497.55	-	-	-	-	-	6,497.55
भवन	382.35	-	-	-	-	382.35	41.90	10.22	-	-	52.12	330.24
कुल	6,879.90	-	-	-	-	6,879.90	41.90	10.22	-	-	52.12	6,827.78

निवेश सम्पत्ति:

वि.व. 2021-22

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास					31.03.2022 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2021	वृद्धि	विलोप	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि (शुल्क पुनर्मूल्यांकन कुल शुद्ध वहन राशि का 10 से अधिक है)	समायोजन	कुल 31.03.2022	संचित मूल्यह्रास 01.04.2021	अवधि के लिए	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2022	
भूमि	6,395.87	101.67	-	-	-	6,497.55	-	-	-	-	-	6,497.55
भवन	382.35	-	-	-	-	382.35	31.69	10.21	-	-	41.90	340.45
कुल	6,778.22	101.67	-	-	-	6,879.90	31.69	10.21	-	-	41.90	6,838.00

टिप्पणी:

i) (क) दूरसंचार विभाग को 03.10.1983 को 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई 4653.75 वर्गमीटर भूमि। (ख) भूमि के संबंध में (बेंगलूरु और मनकापुर के कुछ भूभागों को छोड़कर) औपचारिक हस्तांतर-पत्र/पट्टा विलेख संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित किया गया है। (ग) दूरसंचार विभाग को 10.07.1991 से 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई 1256.86 वर्गमीटर भूमि । (घ) मार्च, 1994 से 3 एकड़ भूमि राज्य सरकार को 99 वर्ष की अवधि के लिए मिनि विधान सौधा के निर्माण के लिए पट्टे पर दिया गया है।

ii) 1.83 एकड़ भूमि, दक्षिणी रेल्वे को पट्टे पर दी गई है तथा 0.286 एकड़ भूमि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) को पट्टे पर दी गई है।

iii) (क) बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज के पास 0.5733 एकड़ जमीन है। (ख) एचपीसीएल पेट्रोल बंक, आईटीआई कालोनी के पास 0.2222 एकड़ जमीन है। (ग) एचपीसीएल पेट्रोल बंक, ओल्ड मद्रास रोड, के.आर.पुरम के पास 0.3025 एकड़ जमीन है। (घ) ईपीएफओ, एफ-28 भवन, के पास 0.6069 एकड़ जमीन है। (ङ) थंबी एविएशन (हैलीपैड-ईसी प्लांट) के पास 0.9182 एकड़ जमीन है।
(च) एम्बसी सर्विसस् प्राईवेट लिमिटेड के पास भूमि और भवन की क्रमशः 0.776 एकड़ और 6300 वर्ग मीटर का जमीन है।

iv) कंपनी विभिन्न निवेश संपत्तियों के उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए पंजीकृत मूल्य को शामिल करने की प्रक्रिया में है और इसलिए इस जानकारी का प्रकटण नहीं किया जा सका ।

समेकित वित्तीय विवरण पर टिप्पणी

लाख रु. में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी संख्या 2				
पूंजीगत चालू कार्य				
लागत पर पूंजीगत चालू कार्य	7075.28		9004.29	
घटाएं: प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		7075.28		9004.29
ठेकेदारों के पास सामग्री	28.93		28.93	
घटाएं: प्रावधान	28.93		28.93	
कुल		0.00		0.00
लागत पर मशीनरी				
मार्गस्थ	7.93		60.84	
स्वीकृति/अधिष्ठापन प्रतीक्षित	6786.44		5905.98	
	6794.38		5966.82	
घटाएं: प्रावधान	6.53		6.53	
कुल		6787.84		5960.29
कुल योग		13863.12		14964.58

पूंजी कार्य प्रगति पर काल प्रभाव अनुसूची

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2023 को
परियोजनाएं प्रगति पर	166.75	160.27	0.00	6593.48	6920.50
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ट्रांजिट में स्वीकृति/संस्थापन के लिए प्रतीक्षित मशीनरी का लागत मूल्य	1733.05	1329.07	2234.16	1646.34	6942.62
कुल	**1899.80**	**1489.34**	**2234.16**	**8239.82**	**13863.12**

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2023 को
परियोजनाएं प्रगति पर	1,922.78	225.17	118.06	6,738.28	9004.29
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	0.00
ट्रांजिट में स्वीकृति/संस्थापन के लिए प्रतीक्षित मशीनरी का लागत मूल्य	1,220.27	2,234.16	1,824.54	681.32	5960.29
कुल	**3143.05**	**2459.33**	**1942.60**	**7419.60**	**14964.58**

पंजी कार्य प्रगति पर के लिए, जिनकी कार्य पूर्णता अतिदेय है अथवा इसकी लागत इसकी मूल योजना की तुलना में बढ़ गई है*

सीडब्ल्यूआईपी कार्य पूर्णता अनुसूची

परियोजना का नाम	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
1- एनआईएफटी	0.00	0.00	0.00	6582.06
कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6582.06**
परियोजना का नाम	**1 वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**
1- एनआईएफटी	0.00	0.00	6582.05	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**	**6582.05**	**0.00**

नोट: कंपनी को एनआईएफटी भवन के निर्माण का कार्य सौंपा गया था जिसके लिए मैसर्स टीसीआईएल (भारत सरकार का उपक्रम) की सेवाएं पीएमसी के रूप में प्राप्त की गई थी तथा सम्पूर्ण निर्माण कार्य टीसीआईएल को सौंप दिया गया था। अब, सम्पूर्ण भवन का निर्माण हो चुका है तथा इसे एनआईएफटी को सौंप दिया गया है परन्तु टीसीआईएल ने स्थानीय विकास प्राधिकरणों से कुछ दस्तावेजों की प्राप्ति न हो पाने के कारण कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है। कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र की प्राप्ति के लिए कंपनी सभी स्टेकधारकों के साथ संपर्क कार्य कर रही है।

लाख रु. में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी सं. 4(क)				
अप्रचलित वित्तीय परिसंपत्ति निवेश				
इक्विटी यंत्रों में निवेश				
लागत पर पूर्ण प्रदत्तश (अनुदत्त)	**3490.00**		3626.61	
इंडिया सेटकॉम लिमिटेड के पूर्ण प्रदत्त 10 रु. प्रति शेयर के 16,21,800 इक्विटी शेयर ।	**24.27**		(136.61)	
कुल		**3514.27**		**3490.00**
भारतीय लेखा मानक 27 के अनुसार अलग वित्तीय विवरण, संयुक्त उद्यमों में निवेश एकल वित्तीय विवरणों के लागत पर किया जा रहा है ।				
इंडियन सेटकॉम लिमिटेड में इक्विटी उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन की गणना (49%)				

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
इंडियन सेटकॉम लिमिटेड की कुल संपत्ति	**12013.13**		12098.03	
घटाएं: इंडियन सेटकॉम लिमिटेड की कुल बाहरी देनदारियां	**(4841.15)**		(4975.58)	
नेटवर्थ (100%)	**7171.98**		7122.45	
आईटीआई का हिस्सा (49%) समापन शेष	**3514.27**		3490.00	
घटाएं: अथशेष	**(3490.00)**		(3626.61)	
वर्ष के दौरान उचित मूल्य में परिवर्तन	**24.27**		(136.61)	
नोट संख्या 4 (ख)				
गैर चालू वित्तीय परिसम्पतियां - व्यापार प्राप्य				
व्यापार प्राप्य अच्छा समझा गया - प्रतिभूत	**0.00**		0.00	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
व्यापार प्राप्य अच्छा समझा गया - अप्रतिभूत	**19646.74**		**23622.30**	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**0.00**		0.00	
कुल		**19646.74**		**23622.30**
व्यापार प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	**0.00**		0.00	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
व्यापार प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	**0.00**		0.00	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
कुल योग		**19646.74**		**23622.30**

व्यापार प्राप्त काल प्रभाव अनुसूची

विवरण	6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2023 की स्थिति
(i) गैर-विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	0.00	0.00	1440.54	15535.04	2671.16	19646.74
(ii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य जिसका क्रेडिट जोखिम बढ़ गया है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(v) विवादित व्यापार प्राप्य जिसका क्रेडिट काफी जोखिम बढ़ गया है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**	**1440.54**	**15535.04**	**2671.16**	**19646.74**

विवादित व्यापार प्राप्यों के लिए काल प्रभाव अनुसूची की स्वीकृति नहीं की गई है क्योंकि इसकी स्वीकृति पहले से ही अशोध्य एवं संदेहास्पद नामे में की जा चुकी है।

विवरण	6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2022 की स्थिति
(i) गैर-विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	0.00	0.00	0.00	20703.30	2919.00	23622.30
(ii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य जिसका क्रेडिट जोखिम बढ़ गया ह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(v) विवादित व्यापार प्राप्य जिसका क्रेडिट काफी जोखिम बढ़ गया है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20703.30**	**2919.00**	**23622.30**

विवादित व्यापार प्राप्यों के लिए काल प्रभाव अनुसूची की स्वीकृति नहीं की गई है क्योंकि इसकी स्वीकृति पहले से ही अशोध्य एवं संदेहास्पद नामे में की जा चुकी है।

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
नोट संख्या 4(ग)				
गैर चालू वित्तीय परिसम्पतियां - ऋण				
ऋण प्राप्य अच्छा समझा गया - प्रतिभूत				
ऋण एवं अग्रिम	0.00		0.00	
अन्य	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
घटाएं - प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
ऋण प्राप्य अच्छा समझा गया - अप्रतिभूत				
ऋण एवं अग्रिम	0.00		0.00	
जमा	0.00		0.00	
सम्बद्ध पार्टियों को ऋण एवं अग्रिम	0.00		0.00	
अन्य	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
घटाएं - प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
ऋण प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	0.00		0.00	
घटाएं: प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
ऋण प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00		0.00	
घटाएं: प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
कुल योग		0.00		0.00

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी सं. 4(घ)				
अप्रचलित वित्तीय परिसंपत्ति अन्य				
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति				
(i) सुरक्षा जमा	0.00		0.00	
(ii) 12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि	3.00		3.00	
(iii) अन्य	0.00		0.00	
कुल योग		3.00		3.00

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी सं. 5				
अन्य अप्रचलित वित्तीय परिसंपत्ति				
(i) अग्रिम पूंजी	1.62		1.62	
घटाएं: प्रावधान	1.10		1.10	
कुल		0.52		0.52
(ii) पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम				
सीमांत राशि	0.00		0.00	
घटाएं: प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
(iii) अन्य	0.00		0.00	
घटाएं: प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
कुल योग		0.52		0.52
टिप्पणी सं. 6				
माल सूचियाँ				
क) कच्चा माल और उत्पादन भंडार	8041.77		8196.77	
घटाएं: अप्रचलन के लिए प्रावधान	1754.22		1754.22	
		6287.55		6442.55
ख) विक्रेताओं द्वारा आयोजित पैक्रिकेशन संविदा के प्रति जारी सामग्री	96.91		96.91	
घटाएं: प्रावधान	95.47		95.47	
		1.44		1.44
ग) गैर-उत्पादन भंडार	949.10		843.96	
घटाएं: अप्रचलन के लिए प्रावधान	237.41		237.41	
		711.69		606.55
घ) प्रक्रियाधीन कार्य उत्पादन	5626.31		6934.06	
घटाएं: प्रावधान	606.76		606.76	
		5019.55		6327.30
ङ) प्रक्रियाधीन कार्य-स्थापना	0.00		0.00	
घटाएं: प्रावधान	0.00		0.00	
		0.00		0.00
च) विनिर्मित घटक	4914.19		4285.07	
घटाएं: प्रावधान	40.13		40.13	
		4874.06		4244.94
छ) तैयार माल				
भंडार माल	6580.92		2579.52	
घटाएं: प्रावधान	1019.56		1019.56	
		5561.36		1559.96
ज) स्टॉक समाधान लेखा	19.47		19.47	
घटाएं: प्रावधान	10.33		10.33	
		9.14		9.14
झ) निरीक्षण / स्वीकृति हेतु लंबित माल		1141.60		3.89
ञ) मार्गस्थ सामग्री अग्रिम				
प्राप्त समझी गई	493.99		143.77	
संदिग्ध समझी गई	238.76		238.76	
	732.75		382.53	
घटाएं: प्रावधान	238.76		238.76	
		493.99		143.77
ट) प्राप्त सामग्री और देय मार्गस्थ अग्रिम		874.86		0.00
ठ) औजार और गेज		0.00		0.00
कुल योग		24975.23		19339.54

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी सं. 7				
चालू वित्तीय परिसम्पतियां - व्यापार प्राप्य				
व्यापार प्राप्य अच्छा समझा गया - प्रतिभूत	**0.00**		0.00	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		0.00
व्यापार प्राप्य अच्छा समझा गया - अप्रतिभुत				
- गुजनेट	**6419.28**		26000.32	
- गुजनेट के अलावा	**236508.55**		246989.30	
	242927.83		272989.63	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**0.00**		0.00	
कुल		**242927.83**		272989.63
व्यापार प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ गया है	**7070.95**		4974.00	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**7070.95**		4974.00	
कुल		**0.00**		0.00
व्यापार प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	**580.68**		580.68	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध नामे स्वीकृति	**580.68**		580.68	
कुल		**0.00**		0.00
कुल योग		**242927.83**		**272989.63**

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी में प्राप्य मूल्यों को अपेक्षित साख हानि मॉडल का इस्तेमाल करके हानि परीक्षण में दिया जाना चाहिए। भारतीय लेखा मानक 109 व्यापार प्राप्तियों पर अपेक्षित साख हानि को मापने के दौरान वास्तविक समयोचित के उपयोग की अनुमति देता है, और कहा जाता है कि प्रावधान मैट्रिक्स समयोचित के लिए उदाहरण है। अधिकांश व्यापार प्राप्तियां सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं से उत्पन्न होती हैं, जो उच्च जोखिम के संपर्क में नहीं हैं, कंपनी मामले की समीक्षा और बोर्ड द्वारा अनुमोदित मामले के आधार पर विशिष्ट प्रावधान कर रही है। जबकि, अन्य ग्राहकों के लिए, प्रावधान मामले के आधार पर अपेक्षित साख हानि मॉडल का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

लाख रुपए में

व्यापार प्राप्त काल प्रभाव अनुसूची

विवरण	6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2023 की स्थिति
(i) गैर-विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	32713.80	10856.19	32345.44	32116.04	117494.54	225526.01
(ii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य जिसका क्रेडिट जोखिम बढ़ गया है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	0.00	0.00	0.00	0.00	17401.81	17401.81
(v) विवादित व्यापार प्राप्य जिसका क्रेडिट काफी जोखिम बढ़ गया है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**32713.80**	**10856.19**	**32345.44**	**32116.04**	**134896.35**	**242927.83**

विवादित व्यापार प्राप्यों के लिए काल प्रभाव अनुसूची की स्वीकृति नहीं की गई है क्योंकि इसकी स्वीकृति पहले से ही अशोध्य एवं संदेहास्पद नामे में की जा चुकी है।

विवरण	6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2022 की स्थिति
(i) गैर-विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	43863.81	48114.98	43612.17	23434.67	96562.18	255587.81
(ii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य जिसका क्रेडिट जोखिम बढ़ गया है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) गैर विवादित व्यापार प्राप्य क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	0.00	0.00	0.00	0.00	17401.81	17401.81
(v) विवादित व्यापार प्राप्य जिसका क्रेडिट काफी जोखिम बढ़ गया है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**43863.81**	**48114.98**	**43612.17**	**23434.67**	**113963.99**	**272989.63**

विवादित व्यापार प्राप्यों के लिए काल प्रभाव अनुसूची की स्वीकृति नहीं की गई है क्योंकि इसकी स्वीकृति पहले से ही अशोध्य एवं संदेहास्पद नामे में की जा चुकी है।

लाख रुपए म

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी सं. 8 (क)				
चालू वित्तीयाँ परिसंपत्तियाँ रोकड और रोकड समकक्ष				
क) मार्गस्थ रोकड़	0.00		0.00	
ख) उपलब्ध रोकड़	3.56		4.18	
ग) चेक और उपलब्ध स्टैंप	0.46		0.59	
घ) बैंकों के पास शेष राशिः				
- चालू खाते में	931.76		1551.77	
कुल		935.78		1556.54
टिप्पणी सं. 8(ख)				
चालू वित्तीयाँ परिसंपत्तियाँ उपयुक्त को छोड़कर बैंक में शेष राशि				
बैंकों के पास शेष राशिः				
- एस्क्रो खाते पर	16240.59		20830.29	
- चालू खाते में (प्रशिक्षुओं)	424.46		54.76	
लाभांश बकाया	0.00		0.00	
एलसी मार्जिन धन	0.00		0.00	
बचत खाते में (प्रशिक्षुओं की प्रतिभूति जमा)	0.00		0.00	
अंशकालिक जमा (मार्जिन धन)	173.07		157.82	
चालू खाते में (मार्जिन धन)	0.00		0.00	
सावधि जमा खाता पर 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम परिपक्वता	3710.01		8050.37	
अन्य	0.00		0.00	
कुल		20548.13		29093.25
टिप्पणी सं. 9 (क)				
चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ ऋण				
वसूली योग्य नकद या वस्तु के रूप में या करने के लिए प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए सुरक्षित अग्रिम				
वाहन	0.00		0.00	
गृह भवन	0.00		0.00	
अन्य जमा	1147.76		1182.22	
घटाएं: प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		1147.76		1182.22
प्राप्य मूल्य पर नकद वसूलीय गैर प्रतिभूत अग्रिम				
अग्रिम वसूलीय - अच्छा समझा गया	27744.09		27939.38	
घटाएं: प्रावधान	0.00		0.00	
		27744.09		27939.38
ऋण प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	536.60		536.60	
घटाएं: प्रावधान	536.60		536.60	
		0.00		0.00
ऋण प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00		0.00	
घटाएं: प्रावधान	0.00		0.00	
		0.00		0.00
कुल		27744.09		27939.38
दावे एवं व्यय वसूलीय - अंतर्देशीय				
अच्छा समझा गया	41428.03		41054.37	
घटाएं: प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		41428.03		41054.37

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
ऋण प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	992.29		992.29	
घटाएं: प्रावधान	992.29		992.29	
		0.00		0.00
ऋण प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	10.32		10.32	
घटाएं: प्रावधान	10.32		10.32	
		0.00		0.00
कुल		41428.03		41054.37
दावे एवं व्यय वसूलीय - विदेश				
अच्छा समझा गया	6.10		1.54	
घटाएं: प्रावधान	0.00		0.00	
		6.10		1.54
ऋण प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	1204.32		1204.32	
घटाएं: प्रावधान	1204.32		1204.32	
		(0.00)		(0.00)
ऋण प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00		0.00	
घटाएं: प्रावधान	0.00		0.00	
		0.00		0.00
कुल		6.10		1.54
सिविल निर्माण / पूंजी माल के लिए अग्रिम				
अच्छा समझा गया	0.00		0.00	
घटाएं: प्रावधान	0.00		0.00	
		0.00		0.00
ऋण प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है	0.00		0.00	
घटाएं: प्रावधान	0.00		0.00	
		0.00		0.00
ऋण प्राप्य - क्रेडिट, जो क्षीण है	0.00		0.00	
घटाएं: प्रावधान	0.00		0.00	
		0.00		0.00
कुल		0.00		0.00
वाहन अग्रिम	0.00		0.00	
संबंधित पार्टियों को ऋण एवं अग्रिम	0.00		0.00	
अन्य जमा	3387.01		5531.19	
घटाएं: प्रावधान	421.47		421.47	
	2965.54		5109.72	
अल्पावधि जमा पर ब्याज अर्जित नहीं	11.42		17.74	
कुल		2976.96		5127.46
कुल योग		73302.93		75304.96

(क) इसमें 1690.20 लाख रुपए जो कि मेसर्स एचसीएल इंफोसिस्टम से आईटीआई, एचसीएल और एल्काटेल के बीच समझौता के तहत क्षतिपूर्ति के रूप में वसूली करने योग्य है, का समावेश है। क्योंकि यह राशि आईटीआई लिमिटेड, मनकापुर द्वारा अधिक व्यय कर दी गई है।

(ख) दावा वसूली भूमि में 1049.41 लाख रुपये मेसर्स हिमाचल फ्यूचूरिस्टिक कम्युनिकेशन से परिसमापन हर्जाना के अंतर्गत देय है । कंपनी ने कानूनी मामला दायर किया है जो उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष लंबित है ।

(ग) 31.03.2011 अवधि की समाप्त तक पट्टे पर दिए गए परिसर हेतु 5847.90 लाख रुपए किराए पर प्राप्त हुए है और उसी परिसर के लिए 31.03.2011 के बाद की अवधि के लिए कोई किराए की आय प्राप्ति की अनिश्चितता के कारण संचित आधार पर मान्यता प्राप्त नहीं है।

(घ) दावा प्राप्य में मैसर्स माइंडएरे से साख पत्र के नकदीकरण के प्रति 1023.00 लाख रुपए शामिल हैं।

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी सं. 9(ख)				
चालू वित्तीय परिसंपत्तियां अन्य				
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) सुरक्षा जमा		35.61		80.81
(ii) असंबद्ध राजस्व				
सरकार				
- गुजनेट	5307.00		7462.75	
- अन्य	252548.00		223038.57	
गैर सरकारी	0.00	257855.00	0.00	230501.32
(iii) अन्य	84.82		11.39	
कुल		257975.43		230593.52
अन्य वित्तीय परिसम्पतियों में 257855 लाख रुपए का यूबीआर का वह राजस्व शामिल है जिसकी स्वीकृति पिछले कुछ वर्षों में निष्पादित कार्य के आधार पर की गई है तथा जिसकी बिलिंग अनुबंध शर्तों की पूर्ति होने पर की जानी है।				
टिप्पणी सं. 10				
अन्य मौजूदा परिसंपत्तियाँ				
कर और शुल्क निवेश	14827.89		12827.37	
सीमा शुल्क विभाग के पास जमा	942.30		328.61	
अग्रिम कर का भुगतान (धनवापसी का निवल)	0.00		0.00	
उत्पाद शुल्क अधिकारी के पास जमा	437.12		422.74	
डब्ल्यूसीटी वसूली योग्य	0.00		0.00	
कुल		16207.31		13578.72
टिप्पणी सं. 11				
I. इक्विटी शेयर पूंजी				
क) प्राधिकृत				
2,80,00,00, 000 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है	280000.00		280000.00	
ख) निर्गमित				
949577352 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है (पिछले वर्ष 93,35,22,869 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है)	94957.74		93352.29	
ग) अभिदत्त एवं पूर्णरूप से अप्रदत्त				
949577352 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है (पिछले वर्ष 93,35,22,869 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है)	94957.74		93352.29	
घ) अभिदत्त एवं पूर्णरूप से अप्रदत्त नहीं	0.00		0.00	
ङ) सममूल्य प्रति शेयर	10.00		10.00	
च) अदत्त माँग	0.00		0.00	
छ) जब्त शेयर	0.00		0.00	
ज) प्रारंभ में और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयरों की संख्या का पुनर्मूल्यांकन।				
विवरण		**शेयरों की संख्या 31.03.2023 को**		**शेयरों की संख्या 31.03.2022 को**
शेयरों की संख्या बकाया अथ शेष		933522869		933522869
जोडिए: वर्ष के दौरान निर्गम*		16054483		0
घटाए: वर्ष के दौरान वापसी क्रय नीति/जब्ती		0		0
शेयरों की बकाया संख्या अंत शेष		949577352		933522869

*भारत के राष्ट्रपति को कंपनी द्वारा दिनांक 25.05.2022 को 86 रुपए प्रति शेयर की दर से 7156.30 लाख रुपये के पूंजीगत अनुदान के प्रति 8321279 इक्विटी शेयर आवंटित किए गए हैं तथा भारत के राष्ट्रपति को दिनांक 28.09.2022 को भारत सरकार से प्राप्त 8000 लाख रुपए के पूंजी अनुदान के प्रति 103.45 रुपये प्रति शेयर की दर से 7733204 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं।

(झ) अधिकारों एवं अधिमानो एवं उपरोक्त वर्ग के शेयर के साथ प्रतिबंध संलग्न

- इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार
- कंपनी के परिनिर्धारण होने की दशा में, अधिमान्य राशि का वितरण होने के बाद, इक्विटी शेयर धारकों को कंपनी की शेष परिसंपत्तियों का वितरण उनके द्वारा लिए गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा ।

ञ) शेयरधारकों की सूची जिन्होंने 5 से ज्यादा शेयर लिया है।			
नाम	रखे गए शेयरों की संख्या		रखे गए शेयरों की संख्या
1. भारत के राष्ट्रपति	**855912566**		839858083
2. विशेष राष्ट्रपति निवेश कोष	**73132976**		73132976
ट) पिछले पाँच वर्षों के दौरानः			
i) नकद प्राप्त किए बिना आबंटित शेयरों की कुल संख्या	**0**		0
ii) अधिलाभ शेयरों के माध्यम से पूरी तरह से भुगतान के रूप में आबंटित शेयरों की कुल संख्या			**0** 0
iii) वापस खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या एवं वर्ग	**0**		0
विवरण	**31.03.2023 को**		**31.03.2022 को**
II. प्राथमिकता शेयरः			
क) अधिकृत			
70000000 वरीयता शेयर प्रत्येक 100 रुपये के	**7000.00**		7000.00
I) प्रमोटर की शेयरधारिता			
प्रवर्तक का नाम	**31.03.2023 को रखे गए शेयरों**		
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	**31.03.2023 के समाप्त अवधि के दौरान % परिवर्तन**
1. भारत के राष्ट्रपति	**855912566**	90.14	1.91
2. कर्नाटक सरकार	**312500**	0.03	0.00

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी सं. 12				
अन्य इक्विटी				
1) आरक्षित पूंजी				
i) पहार स्वरुप दी गई निःशुल्क भूमि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**25.30**		25.30	
वृद्धि	**0.00**		0.00	
कुल	**25.30**		25.30	
कटौती	**0.00**		0.00	
इति शेष		**25.30**		25.30
ii) सहायता अनुदान पूँजी				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**305802.00**		305802.00	
सहायता अनुदान से अंतरण (पूँजी)	**0.00**		0.00	
इति शेष		**305802.00**		305802.00
कुल आरक्षित पूंजी		**305827.30**		305827.30
2) प्रतिभूति बीमा-किस्त आरक्षिति				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**21679.44**		21679.44	
वृद्धि	**13550.85**		0.00	
कुल	**35230.29**		21679.44	
कटौतीः एफपीओ मुद्दे व्यय*	**0.00**		0.00	
इति शेष	**35230.29**		21679.44	
3) पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति				
i) पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति भूमि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं - भूमि की बिक्री पर उत्क्रमण	**0.00**		0.00	
इति शेष	**0.00**		0.00	
ii) पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति भवन				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं सामान्य संशय पर अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**0.00**		0.00
कुल पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति		**0.00**		0.00

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
4) प्रतिधारित आय				
i) सामान्य आरक्षिति:				
पछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**235316.61**		235316.61	
पूर्व अवधि समायोजन	**0.00**		0.00	
जोड़ें: बांड मोचनीय आरक्षिति से अंतरण	**0.00**		0.00	
घटाएं लाभ-हानि में अंतरण	**0.00**		0.00	
घटाएं - अधिशेष के लिए अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**235316.61**		235316.61
ii) अचल संपत्ति की बिक्री पर लाभ				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं - अधिशेष के लिए अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**0.00**		0.00
iii) तकनीकी जानकारी की बिक्री				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**3.50**		3.50	
घटाएं - लाभ-हानि में अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**3.50**		3.50
iv) औद्योगिक आवास सब्सिडी				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**6.79**		6.79	
घटाएं - लाभ-हानि में अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**6.79**		6.79
v) निवेशीय भत्ता आरक्षिति				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**0.00**		0.00	
घटाएं - सामान्य आरक्षिति में अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष	**0.00**		0.00	
vi) अधिशेष				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**(411303.87)**		(422023.46)	
जोड़ें: वर्ष के दौरान लाभ/हानि	**(35985.36)**		11871.15	
जोड़ें: सामान्य आरक्षित से अंतरण	**0.00**		0.00	
जोड़ें: अचल संपत्तियों की बिक्री के हानि पर लाभ से अंतरण	**0.00**		0.00	
कुल	**(447289.23)**		**(410152.32)**	
घटाएं: विनियोग	**0.00**		1151.55	
घटाएं-लाभ और हानि खाते से कम अंतरण(वर्ष के लिए हानि)	**0.00**		0.00	
इति शेष		**(447289.23)**		(411303.87)
कुल प्रतिधारित कमाई		**(211962.34)**		(175976.97)
5) शेयर अनुप्रयोग में लंबित आबंटित धन राशि		**10700.00**		7156.30
6) अन्य व्यापक आय				
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन (बीमांकिक लाभ)				
अथशेष	**8759.38**		10245.45	
वर्ष के दौरान परिवर्तन	**(6079.04)**		(1486.07)	
इति शेष		**2680.34**		8759.38
कुल योग अन्य इक्विटी		**142475.59**		**167445.44**

- वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी ने सेबी में एफपीओ (फर्दर पब्लिक ऑफर) के लिए रेड हेरिंग प्रोस्पैक्टस फाइल किया था। तथापि, कंपनी ने तात्कालिक बाजार स्थितियों के विचार से इश्यू वापिस ले लिया। एफपीओ के प्रति इश्यू के लिए किया गया 1363.39 लाख रुपए के व्यय का समंजन कंपनी अधिनियम की धारा 52 के अंतर्गत सिक्योरिटी प्रीमियम खाते में किया है। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 के दौरान एफपीओ व्यय के वास्तविक भुगतान के पश्चात 165.51 लाख रुपए की अधिक रियर्स कर दिए गए हैं।
- कंपनी को वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 18700 लाख रुपये का पूंजी अनुदान प्राप्त हुआ। इसमें से 8,000.00 लाख रुपए के अनुदान की राशि के प्रति 77,33,204 शेयर 103.45 रुपये प्रति शेयर (10 रुपए मूल्य के पूर्ण चुकता शेयर के प्रति 93.45 रुपए के प्रीमियम के साथ) दिनांक 28.9.2022 को आबंटित किए गए हैं तथा शेष 10700.00 लाख रुपए की राशि को लेखा बहियों में लेखांकन शेयर आवेदन राशि के रूप में लंबित आबंटन के प्रति किया गया है।

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी सं. 13				
अप्रचलित देनदारियाँ				
सरकारी अनुदान का अनुपयोग:				
i) **उपहार स्वरुप दी गई निःशुल्क उपस्कर**				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं - लाभ-हानि में अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**0.00**		0.00
ii) **सहायता अनुदान (पूंजीगत):**				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**4.64**		4.64	
जोड़ेः इस वर्ष की प्राप्तियाँ	**0.00**		0.00	
कुल	**4.64**		**4.64**	
घटाएंः सहायता अनुदान राजस्व में अंतरणःपूंजीगत आरक्षिति	**0.00**		0.00	
घटाएंः लाभ हानि लेखा में अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**4.64**		4.64
iii) **सहायता अनुदान (राजस्व)**				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**4245.48**		4726.98	
जोड़ेः इस वर्ष की प्राप्तियाँ *	**0.00**		21430.89	
कुल	**4245.48**		**26157.87**	
घटाएंः लाभ/हानि लेखे में अंतरण	**(250.94)**		21912.40	
इति शेष		**4496.42**		4245.48
कुल योग		**4501.06**		**4250.12**

- वर्ष 2021-22 के दौरान दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा कंपनी को 30.6.2018 तक कंपनी में सेवारत कर्मचारियों की भविष्य निधि एवं अनुदान की देयताओं की पूर्ति के लिए 21429 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया गया था जिसके लिए अनुमोदन व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय से प्राप्त था। इंड एएस 20 के अनुसरण में 21429 लाख रुपए अनुदान की स्वीकृति आय के रूप में की गई है।
- सरकार से प्राप्त अनुदान के अव्ययित भाग (अनुदान दस्तावेज की शर्तों के अंतर्गत) का वर्गीकरण अन्य इक्विटी से अलग किया गया है तथा इसे गैर-चालू देयताओं में दर्शाया गया है।

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी सं. 14(क)				
अप्रचलित वित्तीय देनदारियाँ उधार				
I. **उधार सुरक्षित**				
(क) बांड	**0.00**		0.00	
(ख) सावधि ऋण				
(i) बैंक द्वारा	**0.00**		0.00	
(ii) अन्य द्वारा	**0.00**		0.00	
(ग) आस्थगित भुगतान देयता	**0.00**		0.00	
(घ) जमा	**0.00**		0.00	
(ङ) संबंधित पक्ष द्वारा ऋण	**0.00**		0.00	
(च) यौगिक वित्तीय लिखतों का दायित्व घटक	**0.00**		0.00	
(छ) अन्य ऋण	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		0.00
II. **उधार असुरक्षित**				
(क) बांड	**0.00**		0.00	
(ख) सावधि ऋण				
(i) बैंक द्वारा	**0.00**		0.00	
(ii) अन्य द्वारा	**0.00**		0.00	
भारत सरकार से ऋण*	**18000.00**		24000.00	
उपार्जित और उपरोक्त पर देय ब्याज	**0.00**		0.00	

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
(ग) आस्थगित भुगतान देयता	0.00		0.00	
(घ) जमा	0.00		0.00	
(ङ) संबंधित पक्ष द्वारा ऋण	0.00		0.00	
(च) यौगिक वित्तीय लिखतों का दायित्व घटक	0.00		0.00	
(छ) अन्य ऋण	0.00		0.00	
कुल		18000.00		24000.00
कुल योग		18000.00		24000.00

*कंपनी को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान 30,000 लाख का साफ्ट ऋण प्राप्त हुआ था जिसकी अदायगी दो वर्ष के स्थगन काल सहित कंपनी द्वारा लाभ कमाना प्रारंभ करने के पांच वर्षों में की जानी है। कंपनी को दूरसंचार विभाग से दिनांक 27.10.21 को एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें इस प्रेक्षण का उल्लेख है कि कंपनी ने वर्ष 2019-20 से अपने परिचालनों से लाभ अर्जित करने प्रारंभ किए हैं तथा तदनुसार कंपनी को वित्त वर्ष 2022-23 से उक्त ऋण का पुनर्भुगतान प्रारंभ कर देना चाहिए। तदनुसार, अगले 12 माह में देय पुनर्भुगतान चालू देयताओं के अंतर्गत दर्शाया गया है।

- सरकार से प्राप्त अनुदान के अव्ययित भाग (अनुदान दस्तावेज की शर्तों के अंतर्गत) का वर्गीकरण अन्य इक्विटी से अलग किया गया है तथा इसे गैर-चालू देयताओं में दर्शाया गया है।

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी सं. 14(ख)				
अचल वित्तीय देयता पट्टे देयता				
वित्त पट्टे देयताएं	59.66		74.67	
परिचालन पट्टे देयताएं	0.00		0.00	
कुल योग		59.66		74.67
टिप्पणी सं. 14(ग)				
चालू वित्तीय देयताएँ व्यापार प्राप्तियाँ				
वस्तुओं के संभरण के लिए				
- गुजनेट				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	0.00		0.00	
- अन्य	17399.02		22381.00	
- गुजनेट के अलावा				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	0.00		0.00	
- अन्य	0.00		0.00	
कुल		17399.02		22381.00
व्ययों और सेवाओं के लिए				
- गुजनेट	0.00		0.00	
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	0.00		0.00	
- अन्य	0.00		0.00	
- गुजनेट के अलावा				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	0.00		0.00	
- अन्य	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
अन्य देयताओं के लिए				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	0.00		0.00	
- अन्य	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
विवादित देय राशि				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	0.00		0.00	
- अन्य	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
कुल योग		17399.02		22381.00

लाख रुपए में

व्यापार प्राप्य काल प्रभाव अनुसूची					
विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2022 को
(i) एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) अन्य	882.38	4181.57	2015.59	10319.48	17399.02
(iii) विवादित बकाया-एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित बकाया-अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**882.38**	**4181.57**	**2015.59**	**10319.48**	**17399.02**

व्यापार प्राप्य काल प्रभाव अनुसूची					
विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2022 को
(i) एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) विवादित बकाया-एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित बकाया-अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
टिप्पणी सं. 14(घ)					
अचल वित्तीय देयता अन्य					
प्राप्त प्रतिभूति जमा		7631.29		7386.26	
कुल योग			**7631.29**		**7386.26**

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी सं. 15				
अचल प्रावधान का विवरण				
(i) कर्मचारियों के लाभ के लिए				
विशेषाधिकृत अवकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**4572.04**		5268.57	
घटाएं: निगमित से अंतरण	**0.00**		0.00	
जोड़ें: वर्ष के लिए प्रावधान	**539.61**		(696.53)	
घटाएं: अदायगी	**0.00**		0.00	
कुल		**5111.65**		**4572.04**
रुग्णावकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**47.23**		56.34	
घटाएं: निगमित से अंतरण	**0.00**		0.00	
जोड़ें: वर्ष के लिए प्रावधान का उत्क्रमण	**(17.52)**		(9.12)	
घटाएं: अदायगी	**0.00**		0.00	
कुल		**29.71**		**47.23**
(ii) अन्य		**0.00**		0.00
कुल योग		**5141.35**		**4619.26**
टिप्पणी सं. 16				
अन्य गैर-चालू देयताएँ				
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
कुल योग		**0.00**		**0.00**

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी सं. 17(क)				
चालू वित्तीय देयताएँ ऋण				
I. **ऋण - प्रतिभूत**				
(क) मांग पर पुनर्भुगतान किए जाने वाले ऋण				
(i) बैंकों से				
भारतीय स्टेट बैंक एवं कंसोर्टियम के अन्य बैंकों से स्टॉक, भंडार एवं कच्ची सामग्रियों, नामे एवं अग्रिमों तथ चल एवं अचल, दोनों, परिसम्पतियों के सैकेंड चार्ज के दृष्टि बंधन के प्रति नकद क्रेडिट	157561.05		131189.85	
(ii) अन्यों से	22.47		9.40	
(ख) सम्बद्ध पार्टियों से ऋण	0.00		0.00	
(ग) जमा	0.00		0.00	
(घ) दीर्घकालिक ऋणों की चालू परिपक्वता		0.00		0.00
(ड) अन्य	0.00		0.00	
कुल		157583.52		131199.25
II. **ऋण - अप्रतिभूत**				
(क) मांग पर पुनर्भुगतान किए जाने वाले ऋण				
(i) बैंकों से	0.00		0.00	
(ii) अन्यों से	0.00		0.00	
(ख) सम्बद्ध पार्टियों से ऋण	0.00		0.00	
(ग) जमा	0.00		0.00	
(घ) दीर्घकालिक ऋणों की चालू परिपक्वता	12000.00		6000.00	
(ड) अन्य	0.00		0.00	
कुल		12000.00		6000.00
कुल योग		169583.52		137199.25
31.3.2023 की स्थिति के अनुसार जमा, जो प्राप्य हैं तथा धनवापसी के लिए दावा नह किए गए हैं, को चालू देयताओं में दर्शाया गया है।				
टिप्पणी सं. 17(ख)				
चालू वित्तीय देयताएँ पट्टे देयताएँ				
वित्त पट्टे देयताएँ	15.01		13.48	
प्रचालन पट्टे देयताएँ	0.00		0.00	
कुल योग		15.01		13.48
टिप्पणी सं. 17(ग)				
चालू वित्तीय देयताएँ-व्यापार प्राप्तियाँ				
वस्तुओं के संभरण के लिए				
- गुजनेट				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	0.00		345.08	
- अन्य	5767.42		12705.91	
- गुजनेट के अलावा				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	12895.01		20261.61	
- अन्य	111152.25		128098.77	
कुल		129814.68		161411.36
व्यय और सेवाओं के लिए				
- गुजनेट				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	0.00		0.00	
- अन्य	489.77		923.65	
- गुजनेट के अलावा				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	0.00		0.00	

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
- अन्य	3537.07		4295.17	
कुल		4026.84		5218.82
अन्य देयताओं के लिए				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	0.00		0.00	
- अन्य	3826.67		2376.14	
कुल		3826.67		2376.14
विवादित बकाया				
- सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	0.00		0.00	
- अन्य	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
कुल योग		137668.19		169006.33

व्यापार प्राप्य काल प्रभाव अनुसूची

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2023 को
(i) एमएसएमई	3859.89	2799.52	2273.09	3962.52	12895.01
(ii) अन्य	28104.90	18378.17	22839.33	39049.94	108372.34
(iii) विवादित बकाया-एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित बकाया-अन्य	0.00	0.00	0.00	16400.82	16400.82
कुल	**31964.79**	**21177.69**	**25112.42**	**59413.28**	**137668.19**

व्यापार प्राप्य काल प्रभाव अनुसूची

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2022 को
(i) एमएसएमई	16223.06	1860.04	968.14	1555.45	20606.69
(ii) अन्य	54885.25	30101.34	26955.25	18106.71	130048.55
(iii) विवादित बकाया-एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादित बकाया-अन्य	0.00	1771.00	0.00	16580.08	18351.08
कुल	**71108.31**	**33732.38**	**27923.39**	**36242.24**	**169006.33**

सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यमों की एक सूची जिसका कंपनी ऋणी है, बकाया ब्याज के साथ किसी भी राशि के लिए

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
<u>अनुलग्नक के अनुसार:</u>				
सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय/भुगतान का खुलासा उस सीमा तक करना, जिस सीमा तक कंपनी द्वारा ऐसे उद्यमों की पहचान की जाती है।				
(क) समाप्त अवधि के लिए न चुकाया हुआ मूल राशि का बकाया है।	**12895.01**		20606.69	
(ख) समाप्त अवधि के लिए न चुकाया हुआ ब्याज बकाया है।	**68.25**		31.03	
(ग) अवधि के दौरान नियुक्ति दिन से परे भुगतान किया गया ब्याज और मूलधन की राशि।	**0.00**		0.00	
(घ) भुगतान में देरी के कारण हेतु ब्याज राशि की शेष और देय (जो नियुक्ति अवधि के दौरान से परे भुगतान की गई) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2007 के अंतर्गत ब्याज को छोड़कर।	**0.00**		0.00	

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
(ङ) समाप्त अवधि के लिए न चुकाया हुआ अर्जित ब्याज की राशि शेष।	0.00		0.00	
(च) सफल वर्ष में भी देय और शेष ब्याज की राशि देय। (जब तक इस तरह के ब्याज का भुगतान छोटे उद्यम को नहीं किया जाता है।)	0.00		0.00	
टिप्पणी सं. 18				
चालू वित्तीय देयताएँ अन्य				
बिल न चुकाया देय				
सरकार				
- गुजनेट	5011.06		4554.71	
- गुजनेट के अलावा	140547.18		120525.01	
गैर सरकार	0.00		0.00	
उधार पर नहीं बकाया किन्तु प्रोदभूत ब्याज	2556.20		2256.20	
उधार पर बकाया एवं प्रोदभूत ब्याज	0.00		0.00	
अप्रदत परिपक्व जमा एवं उन पर प्रोदभूत ब्याज	0.00		0.00	
अप्रदत परिपक्व डिबेंचर एवं उन पर प्रोदभूत ब्याज	0.00		0.00	
दावा न किए गए लाभांश	0.00		0.00	
व्यय एवं सेवा कर के लिए	11485.08		11864.70	
अन्य देयता के लिए	26675.34		26632.85	
अन्य देय	660.60		468.48	
देय वेतन	2747.87		2542.05	
रॉयल्टी देय	1007.54		212.80	
वेतन संशोधन बकाया	1006.28		1014.89	
ठेकेदारों से जम	7263.30		6898.06	
विविध देनदारियाँ	30079.87		28607.72	
अधिमान शेयर	0.00		0.00	
कुल		229040.32		205577.47

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी सं. 19				
अन्य चालू देयताएँ				
अग्रिम में आय प्राप्त	2.66		0.00	
शुल्क और कर	3628.85		3414.24	
ग्राहकों से अग्रिम	99590.03		103360.99	
कुल		103221.54		106775.23
टिप्पणी सं. 20				
चालू प्रावधान				
कराधन के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	0.00		0.00	
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्रावधान	0.00		0.00	
घटाएं: पूर्व वर्ष के लिए प्रावधान का समायोजन	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
उपदान के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	13226.54		11446.44	
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्रावधान	4397.69		2317.10	
घटाएं: उपदान न्यास में अंतरण	1019.00		537.00	
जोड़ें: उपदान न्यास से अंतरण	2724.78		4647.98	

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
जोड़ें: निगमित से अंतरण	0.00		0.00	
घटाएं: भुगतान	2724.78		4647.98	
कुल		16605.23		13226.54
अर्जित अवकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	1992.69		2008.05	
घटाएं: निगम को अंतरण	0.00		0.00	
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्रावधान	3443.48		2124.80	
घटाएं: भुगतान	2771.66		2140.16	
कुल		2664.52		1992.69
रूग्णावकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	2.50		1.45	
जोड़ें: वर्ष के लिए प्रावधान	(0.97)		1.05	
घटाएं: अदायगी	0.00		0.00	
कुल		1.52		2.50
लंबी दूरी के लिए रियायती यात्रा भत्ता				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	177.16		208.63	
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्रावधान का उत्क्रमण	57.76		69.02	
घटाएं: भुगतान	64.35		100.49	
कुल		170.58		177.16
कुल योग		19441.86		15398.90
टिप्पणी सं. 21				
चालू कर देनदारियाँ				
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
टिप्पणी संख्या 22				
परिचालन से राजस्व				
i) **उत्पादों की बिक्री (जीएसटी का निवल)**				
तैयार माल की बिक्री	5944.54		6857.45	
व्यापार माल की बिक्री	16198.06		51998.38	
कुल		22142.60		58855.83
ii) **सेवाओं की बिक्री**		117399.93		127217.30
iii) **अन्य प्रचालन राजस्व:**				
क) स्क्रैप की बिक्री	1.98		0.00	
ख) डीएलआरसी परियोजना से आय	0.00		0.00	
ग) गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क	0.00		0.00	
घ) सहायता-राजस्व में अनुदान	0.00	1.98	0.00	0.00
कुल		139544.51		186073.13
मुख्य शीर्षक अंतर्गत बिक्री:				
1. मिनी पीडीओ	1.21		0.00	
2. इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग उपस्कर/एसएमपीएस/एसएसटीपी	750.64		1687.90	
3 एमएलएलएन	0.00		0.00	
4. इन्वर्टर ट्रॉली	0.00		0.00	
5. एनसीएम	0.00		0.00	
6. टैलीफोन	18.47		9.44	

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
7. जी-पॉन	0.10		60.90	
8. जॉब वार्क	0.00		0.00	
9. सोलर पैनल	122.29		1254.28	
10. एसएमपीएस	0.00		0.00	
11. 4 जी रेडियो	0.00		0.00	
12. जीएसएम फ्रेंचाइजी	0.00		0.00	
13. एनजीएन	0.00		16.10	
14. एनएफएस	595.18		1694.89	
15. एस्कॉन	0.00		0.00	
16. रक्षा	399.88		22994.66	
17. स्मार्ट ऊर्जा मीटर	(1155.62)		0.00	
18. बीबीडब्ल्यूटी	0.00		0.00	
19. एचडीपीई पाइप	251.97		34.87	
20. ओएफसी	1139.08		9693.03	
21. महानेट	412.79		21.18	
22. वाईफाई हॉटस्पॉट	0.00		0.00	
23. गुजनेट	0.00		0.00	
24. बीएनजी	0.00		0.00	
25. डीडीओएस	0.00		0.00	
26. मिनी पीसी विनिर्माण/टैब पीसी	3548.92		72.38	
27. सीसीएमएस	0.00		0.00	
28. जीएसएम पश्चिम क्षेत्र	0.00		0.00	
29. ओएनटी/ओएलटी	0.00		0.00	
30. एसएसटीपी	0.00		0.00	
31 एसटीएम	0.00		0.00	
32. एसईएम(एनईटी)	0.00		0.00	
33. मोबाइल शोरूम	52.77		99.35	
34. एमसीईयू	0.00		0.00	
35. वाईफ़ाई एक्सेस पाईंट	2.50		0.00	
36. आईपी इन्क्रीपटर एमएचए	0.00		0.00	
37. सौर एलईडी स्ट्रीट लाईट	1378.86		1470.80	
38. फेस शील्ड/ सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन	20.21		16.96	
39. स्मार्ट पार्सल डिलीवरी सिस्टम	0.00		0.00	
40. घटक स्क्रीनिंग वीएसएससी	0.00		0.00	
41. स्मार्ट कार्ड	31.52		44.11	
42. वेंटीलेटर / मेडिकल डिवाइस	0.00		0.00	
43. यूएसओएफ भारत नेट प्रोजेक्ट	0.00		0.00	
44. टैनफिनेट	0.00		0.00	
45. आईएएफ डाटा सेंटर का उन्नयन	0.00		0.00	
46. आईएएफ 4जी एलटीई	10066.92		0.00	
47. एस्कॉन चरण IV	0.00		0.00	
48. ऐयरटेल एफटीटीएच रोल आउट	0.00		0.00	
49. भारतनेट अंडामान और निकोबार	0.00		56.96	
50. एफएमएस-एमसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी	215.64		0.00	
51. सीसीटीवी	0.00		0.00	
52. पीओएलईएस	597.81		0.00	

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
53. इंस्टालेशन ट्रेडिंग ओएमसी	0.00		0.00	
54. 3 डी प्रिंटिंग	23.25		80.61	
55. अनुबंध विनिर्माण	6.45		14.03	
56. आईटी कंप्यूटर सहायक उपकरण	1168.98		17781.97	
57. अन्य राज्य सरकार	1814.15		559.83	
58. अन्य	678.64		1191.57	
कुल		22142.60		58855.83
मुख्य शीर्ष के अंतर्गत सेवाएँ से लाभ :				
1. एसएसटीपी एएमसी	56.21		1944.51	
2. टेलीकॉम टेस्टिंग एव लैब	76.28		0.00	
3. स्मार्ट पार्सल सर्वीसेस	0.00		0.00	
4. डाटा सेंटर	2616.94		1926.21	
5. कौशल विकास	31.49		0.00	
6. एसडब्ल्यूएएन	0.00		374.84	
7. जीएसएम	5519.78		8734.30	
7क. जीएसएम एएमसी (जीएसटी टर्नओवर)	121.40		0.00	
8. एनएफएस	6654.22		8111.16	
9. जो-पॉन आई एंड सी	1054.57		723.73	
10. एस्कॉन एएमसी	665.04		1577.82	
11. रक्षा एएमसी	85.94		1278.23	
12. एनजीएन एएमसी	321.87		321.31	
13. बीबीडब्ल्यूटी	0.00		0.00	
14. महानेट बिल रहित	24829.19		24462.50	
14क. महानेट (जीएसटी टर्नओवर)	0.00		0.00	
15. वाई-फाई हॉटस्पॉट	0.00		47.86	
16. गुजनेट	6655.23		4440.70	
17. बीएनजी	482.90		474.45	
18. डीडीओएस	450.11		0.00	
19. एमएलएलएन एएमसी	1571.27		23.26	
20. सीसीएमएस एएमसी	77.77		34.79	
21. ई-निविदा	1648.16		2573.47	
22. एफएमएस-एमसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी	2619.88		0.00	
23. एसएमपीएस	81.07		41.46	
24. यूएसओएफ भारत नेट प्रोजेक्ट	675.31		0.00	
25. जीएसएम पश्चिम क्षेत्र	0.00		0.00	
26. वाईफ़ाई एस्सेस पाईंट	0.00		0.00	
27. एसडब्ल्यूएम-आईसीटी- अपशिष्ट प्रबंधन	324.54		0.00	
28. आईएएफ डाटा सेंटर का उन्नयन	0.00		0.00	
29. जियो फेंसिंग प्रोजेक्ट	243.08		0.00	
30. घटक स्क्रीनिंग वीएसएससी	667.11		0.00	
31. आईटी-वेब पोर्टल	412.50		3128.77	
32. ओएमसी एएमसी	320.77		0.00	
33. टैनफिनेट	12803.43		0.00	
34. आईएएफ 4जी एलटीई	0.00		0.00	
35. फाइबर नेटवर्क	0.00		159.56	
36. रेलवे	138.71		120.41	

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
37. एनएमएस	55.31		110.62	
38. ई-गवर्नेंस/ई-सेवा	0.00		0.00	
39. ओसीबी एएमसी	7.18		0.00	
40. टीपीए	502.76		777.58	
41. आधार बिजनेस/एसएएएस	4.98		0.00	
42. विश्वसनीयता प्रयोगशाला	161.91		113.49	
43. ऐयरटेल एफटीटीएच रोलआउट	1539.97		572.50	
44. भारतनेट अंडमान और निकेबार	0.00		0.00	
45. सीसीटीवी सर्वीसेस	947.82		0.00	
46. सर्वेक्षण कार्य	0.00		0.00	
47. एस्कॉन फेज IV	37648.34		59956.57	
48. एसएएएस	171.90		190.46	
49. अनुबंध विनिर्माण	111.74		9.90	
50. एमएलएलएन आईएंडसी	4.87		25.63	
51. अन्य एएमसी	4960.58		3473.86	
52. अन्य	77.80		1487.35	
कुल		117399.93		127217.30
विदेशी मुद्रा में आय				
माल के निर्यात का एफओबी के आधार पर गणना	0.00		0.00	
रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी, व्यावसायिक और परामर्श शुल्क	0.00		0.00	
ब्याज और लाभांश	0.00		0.00	
सेवाए	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
टिप्पणी संख्या: 23				
अन्य आय				
क) **आय पर ब्याज**				
i) अंतर कार्यालय अग्रिम पर ब्याज	0.00		0.00	
ii) ब्याज अन्य	541.27		485.26	
कुल		541.27		485.26
ख) गैर-व्यापार निवेश से लाभांश		0.00		0.00
ग) निवेश के बिक्री से निवल लाभ / हानि		0.00		0.00
घ) अन्य गैर-प्रचालन आय (ऐसी आय के कारण निवल खर्च)				
i) परिसंपत्ति के बिक्री से लाभ	89.66		0.00	
घटाएं: पूँजीगत खाते का आरक्षण	0.00		0.00	
कुल	89.66		0.00	
ii) कमीशन	0.00		0.00	
iii) किराया	1806.11		1928.77	
iv) पट्टे का किराया	309.15		309.15	
v) परिवाहन प्रभार	0.00		0.02	
vi) रद्दी की बिक्री	675.56		104.69	
vii) जल प्रभार / विद्युत प्रभार	5.21		5.42	
viii) जब्त बैंक गारंटी	16.10		7.31	
ix) अतिरिक्त वापस लिया हुआ प्रावधान	0.00		0.10	
x) पीआरएस की प्रतिपूर्ति	0.00		0.00	
xi) गैर जरूरत देनदारियों की वापसी	3.80		289.18	

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
xii) परिनिर्धारित हानि की छूट	0.00		3.08	
xiii) श्रीनगर की हानि की क्षतिपूर्ति	0.00		0.00	
xiv) ब्याज प्रभार पर छूट	0.00		0.00	
xv) अनुदान सहायता से स्थानांतरण	0.00		0.00	
xvi) राजस्व अनुदान सहायता वीआरएस	0.00		481.48	
xvii) राजस्व अनुदान सहायता*	0.00		21429.03	
xviii) पूंजीगत सहायता अनुदान से स्थानांतरण	0.00		0.00	
xix) एसडब्ल्यूआर/एनएचएआई द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा	1539.17		344.48	
xx) विविध आय	268.84		68.64	
कुल (i से xx)		**4713.61**		**24971.36**
ङ) निवेश का कैरिंग वैल्यू के लिए समायोजन (प्रतिलेखन)		**0.00**		0.00
च) पिछले साल से संबंधित अनुदान		**0.00**		0.00
छ) विदेशी मुद्रा अनुवाद और लेन-देन पर निवल लाभ / हानि (वित्तीय लागत के रूप में माने जाने के अलावा)		**0.00**		0.00
कुल योग		**5254.88**		**25456.62**

- स्वच्छ भारत के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान 558.87 लाख रुपये की राजस्व अनुदान सहायता प्राप्त हुई।
- वर्ष 1988 के दौरान विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (केआईडीबीए) द्वारा आईटीआई की भूमि का अधिग्रहण भा.रा.रा.प्रा. के सड़क विस्तार के लिए किया गया था जिसके लिए अवार्ड की राशि 10 रुपए प्रति वर्ग फुट निर्धारित की गई थी। तथापि, कंपनी ने बाजार मूल्य के अनुसार संवर्धन, एवं अतिरिक्त ब्याज एवं क्षतिपूर्ति के मामले का दावा किया है। नगर सिविल न्यायालय द्वारा अक्तूबर, 2021 के दौरान कंपनी के पक्ष में निर्णय पारित किया गया था तथा कंपनी के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रति 334.48 का मुआवजा तय किया गया था।
- वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी को दक्षिण-पश्चिम रेलवे द्वारा बेंगलुरु में भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के प्रति 2908.02 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का पत्र प्राप्त हुआ था। गणन करके भूमि की लागत को घटाने के पश्चात 2796.34 लाख रुपए की आधिक्य राशि है, जो बेंगलुरु में कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि के क्षेत्र में से अधिग्रहित भूमि के कुल वहन मूल्य का आनुपातिक मूल्य है तथा इस आधिक्य को अपरिहार्य आय माना गया है।

टिप्पणी संख्या 24				
कच्चे माल तथा उत्पादन भंडार की खपत				
आरंभिक स्टॉक	**8293.69**		8483.92	
जोड़ें: पुनरीक्षण के कारण पूर्व अवधि समायोजन	**0.00**		0.00	
क्रय / स्थानांतरण	**16534.65**		11641.54	
स्थापना और अनुरक्षण के लिए सामग्री	**0.00**		0.00	
कुल		**24828.34**		**20125.46**
घटाएं:				
अंतिम स्टॉक	**8138.69**		8076.46	
राजस्व एवं अन्य को निर्गम	**248.12**		3.48	
सामग्री अन्य यूनिटों में स्थानांतरण	**(0.00)**		(0.00)	
कुल		**8386.81**		**8079.94**
जोड़: भंडार से संबंधित भंडार अप्रत्यक्ष व्यय		**0.00**		0.00
उपभोग		**16441.53**		12045.52
मुख्य शीर्षक जिनके अंतर्गत कच्चे माल का खपत होता है विवरण				
विवरण				
1. इलेक्ट्रॉनिक माल और घटक	**14734.40**		11911.12	
2. एमएनआईसी	**12.23**		0.00	
कुल		**14746.63**		**11911.12**
सीआईएफ आधार पर आयातित वस्तुओं का मूल्य				
कच्चे माल और उत्पादन भंडार		**521.25**		53.38
घटक और अतिरिक्त पुर्जे		**0.00**		0.00
मार्गस्थ सामग्री		**0.00**		0.00
पूँजीगत माल		**0.00**		946.87
कुल		**521.25**		**1000.25**

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
आयातित कच्चे माल का मूल्य, भंडार और अतिरिक्त पुर्जों की खपत और स्वदेशी वस्तुओं की खपत और कुल खपत में प्रत्येक की प्रतिशतता				
विवरण	मार्च, 2023	%	मार्च, 2022	%
आयातित	521.25	3.17	53.38	0.44
स्वदेशी	15920.27	96.83	11992.14	99.56
कुल	**16441.53**	**100.00**	**12045.52**	**100.00**
टिप्पणी संख्या 25 (क)				
व्यापार में स्टॉक की खरीद				
मुख्य शीर्षक के तहत खरीदे गए सामान				
विवरण				
1. मिनी पीडीओ	**0.00**		0.00	
2. इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग उपस्कर/एसएमपीएस/एसएसटीपी	**0.00**		0.00	
3. एमएलएलएन	**0.00**		0.00	
4. इन्वर्टर ट्रॉली	**0.00**		0.00	
5. एनसीएम	**0.00**		0.00	
6. टेलीफोन	**0.00**		0.00	
7. जी-पॉन	**0.00**		0.00	
8. जॉब वार्क	**0.00**		0.00	
9. सोलर पैनल	**0.00**		0.00	
10. एसएमपीएस	**0.00**		0.00	
11. 4 जी रेडियो	**0.00**		0.00	
12. जीएसएम फ्रेंचाइजी	**0.00**		0.00	
13. एनजीएन	**0.00**		14.81	
14. एनएफएस	**572.86**		1631.34	
15. एस्कॉन	**0.00**		69.85	
16. रक्षा	**0.00**		20821.83	
17. स्मार्ट ऊर्जा मीटर	**0.00**		0.00	
18. बीबीडब्ल्यूटी	**0.00**		0.00	
19. एचडीपीई पाइप	**0.00**		0.00	
20. ओएफसी	**657.59**		8576.08	
21. महानेट	**400.41**		0.00	
22. वाईफाई हॉटस्पॉट	**0.00**		0.00	
23. गुजनेट	**396.14**		498.35	
24. बीएनजी	**0.00**		0.00	
25. डीडीओएस	**0.00**		0.00	
26. मिनी पीसी विनिर्माण/टैब पीसी	**0.00**		0.00	
27. सीसीएमएस	**0.00**		0.00	
28. जीएसएम पश्चिम क्षेत्र	**0.00**		0.00	
29. ओएनटी/ओएलटी	**0.00**		0.00	
30. एसएसटीपी	**0.00**		0.00	
31. एसटीएम	**0.00**		0.00	
32. एसईएम(एनईटी)	**0.00**		0.00	
33. मोबाइल शोरूम	**40.89**		82.48	
34. एमसीईयू	**0.00**		0.00	
35. वाईफाई एक्सेस पाईंट	**0.00**		0.00	
36. आईपी इन्क्रीपटर एमएचए	**0.00**		0.00	

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
37. सौर एलईडी स्ट्रीट लाईट	0.00		1396.48	
38. फेस शील्ड/ सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन	3.59		0.05	
39. स्मार्ट पार्सल डिलीवरी सिस्टम	0.00		0.00	
40. घटक स्क्रीनिंग वीएसएससी	0.00		0.00	
41 स्मार्ट कार्ड	0.00		0.00	
42. वेंटीलेटर / मेडिकल डिवाइस	0.00		0.00	
43. यूएसओएफ भारत नेट प्रोजेक्ट	13.39		0.00	
44. टैनकिनेट	7259.73		0.00	
45. आईएएफ डाटा सेंटर का उन्नयन	0.00		0.00	
46. आईएएफ 4जी एलटीई	9158.71		0.00	
47. एस्कॉन चरण IV	4759.19		11961.01	
48. ऐयरटेल एफटीटीएच रोल आउट	0.00		0.00	
49. भारतनेट अंडामान और निकोबार	0.00		0.00	
50. एकएमएस-एमसीडब्ल्यूडब्ल्यूवी	202.70		0.00	
51. सीसीटीवी	0.00		0.00	
52. पीओएलईएस	553.53		0.00	
53. इंस्टालेशन ट्रेडिंग ओएमसी	0.00		0.00	
54. 3 डी प्रिंटिंग	0.00		0.00	
55. अनुबंध विनिर्माण	0.00		0.00	
56. आईटी कंप्युटर सहायक उपकरण	1080.02		15365.07	
57. अन्य राज्य सरकार	1669.02		515.04	
58. अन्य	569.41		1084.98	
कुल		27337.18		62017.37
टिप्पणी संख्या 25 (ख)				
मुख्य शीर्ष के अंतर्गत सेवाएँ से लाभ:				
1. एसएसटीपी एएमसी	11.75		1161.01	
2. टेलीकॉम टेस्टिंग एच लैब	0.00		0.00	
3. स्मार्ट पार्सल सर्वीसेस	0.00		0.00	
4. डाटा सेंटर	2091.81		1547.40	
5. कौशल विकास	27.71		0.00	
6. एसडब्ल्यूएएन	0.00		344.85	
7. जीएसएम	5216.19		8361.67	
7क. जीएसएम एएमसी (जीएसटी टर्नओवर)	0.00		0.00	
8. एनएफएस	6388.00		7795.27	
9. जी-पॉन आई एंड सी	513.26		361.44	
10. एस्कॉन एएमसी	594.21		1520.33	
11. रक्षा एएमसी	0.00		0.00	
12. एनजीएन एएमसी	312.22		311.67	
13. बीबीडब्ल्यूटी	0.00		0.00	
14. महानेट बिल रहित	24084.32		23728.63	
14क. महानेट (जीएसटी टर्नओवर)	0.00		0.00	
15. वाई-फाई हॉटस्पॉट	0.00		52.21	
16. गुजनेट	4344.63		3025.99	
17. बीएनजी	383.23		383.23	
18. डीडीओएस	425.35		0.00	
19. एमएलएलएन एएमसी	435.08		17.76	
20. सीसीएमएस एएमसी	71.55		32.00	

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
21. ई-निविदा	1235.29		2184.87	
22. एफएमएस-एमसीडब्ल्युडब्ल्युबी	2462.69		0.00	
23. एसएमपीएस	60.71		31.36	
24. यूएसओएफ भारत नेट प्रोजेक्ट	482.13		0.00	
25. जीएसएम पश्चिम क्षेत्र	0.00		0.00	
26. वाईफ़ाई एस्सेस पाईट	0.00		0.00	
27. एसडब्ल्यूएम-आईसीटी- अपशिष्ट प्रबंधन	298.58		0.00	
28. आईएएफ डाटा सेंटर का उन्नयन	0.00		0.00	
29. जियो फेंसिंग प्रोजेक्ट	222.51		0.00	
30. घटक स्क्रीनिंग बीएसएससी	613.75		0.00	
31. आईटी-वेब पोर्टल	377.44		2917.15	
32. ओएमसी एएमसी	294.09		0.00	
33. टैनफिनेट	2034.73		0.00	
34. आईएएफ 4जी एलटीई	0.00		0.00	
35. फाइबर नेटवर्क	0.00		109.93	
36. रेलवे	126.69		109.04	
37. एनएमएस	51.16		102.32	
38. ई-गवर्नेंस/ई-सेवा	0.00		0.00	
39. ओसीबी एएमसी	0.00		0.00	
40. टीपीए	0.00		0.00	
41. आधार बिजनेस/एसएएएस	4.58		0.00	
42. विश्वसनीयता प्रयोगशाला	0.00		0.00	
43. ऐयरटेल एफटीटीएच रौलआउट	1077.18		637.91	
44. भारतनेट अंडामान और निकोबार	0.00		0.00	
45. सीसीटीवी सर्वीसेस	876.54		0.00	
46. सर्वेक्षण कार्य	0.00		0.00	
47. एस्कॉन फेज़ IV	17709.90		12354.75	
48. एसएएएस	123.18		142.85	
49. अनुबंध विनिर्माण	0.00		0.00	
50. एमएलएलएन आईएंडसी	4.38		20.90	
51. अन्य एएमसी	4404.84		3109.07	
52. अन्य	305.08		1027.17	
कुल		77664.74		71390.78
टिप्पणी संख्या 26				
तैयार माल की वस्तु सूची में परिवर्तन, प्रक्रियाधीन कार्य और व्यापार में स्टॉक				
प्रक्रियाधीन कार्य में वृद्धि / (ह्रास)				
प्रक्रियाधीन उत्पादनः				
इति शेष	5594.97		6902.72	
घटाएं: अथ शेष	6902.72		7375.41	
कुल	(1307.75)		(472.69)	
जोड़ें: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	0.00		0.00	
घटाएं: मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	0.00		0.00	
कुल		(1307.75)		(472.69)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
प्रक्रियाधीन कार्य संस्थापनः				
इति शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं: अथ शेष	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
जोड़ेः वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	**0.00**		0.00	
घटाएं: मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
विनिर्मित घटकों में वृद्धि / (ह्रास)				
इति शेष	**4900.12**		4270.98	
घटाएं: अथ शेष	**4270.98**		2132.56	
कुल		**629.13**		**2138.42**
जोड़ेः वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	**0.00**		0.00	
घटाएं: मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	**0.00**		0.00	
कुल		**629.13**		**2138.42**
प्रक्रियाधीन कार्य संस्थापनः				
इति शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं: अथ शेष	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
जोड़ेः वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	**0.00**		0.00	
घटाएं: मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप/ संस्थापन में प्रभाव	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**
प्रक्रियाधीन कार्य में वृद्धि / (ह्रास)				
व्यापार में स्टॉकः				
इति शेष	**6431.14**		2429.74	
घटाएं: अथ शेष	**2429.75**		2102.07	
कुल		**4001.40**		**327.67**
जोड़ेः वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए		**0.00**		0.00
घटाएं: मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	**0.00**		0.00	
कुल		**4001.40**		**327.67**
रद्दी का स्टॉक				
इति शेष	**0.00**		0.00	
घटाएं: अथ शेष	**0.00**		0.00	
जोड़ेः पूर्व अवधि समायोजन	**0.00**		(65.03)	
कुल		**0.00**		**(65.03)**
कुल योग		**3322.78**		**1928.37**

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी संख्या 27				
कर्मचारी हित पर व्ययः				
i) **वेतन और मजदूरीः**				
वेतन और मजदूरी	**17162.32**		16539.36	
घटाएं: अन्य राजस्व लेखा	**0.00**		0.00	
कुल	**17162.32**		**16539.36**	
बोनस	**5.38**		12.75	
वेतन संशोधन बकाया भुगतान	**0.00**		0.00	
प्रोत्साहन	**10.55**		9.02	
कुल		**17178.25**		**16561.13**
ii) **भविष्य निधि और अन्य निधियों को कंपनी का अंशदानः**				
भविष्य निधि और पेंशन निधि	**1881.52**		1690.83	
कर्मचारी राज्य बीमा	**18.94**		14.79	
उपदान न्यास निधि	**4397.69**		2317.10	
छुट्टी वेतन - पीएल	**3983.09**		1428.27	
रुग्ण अवकास	**(18.49)**		(8.08)	
जमा बद्ध बीमा / ग्रुप बीमा	**22.26**		23.50	
कुल		**10285.01**		**5466.41**
iii) **कर्मकार और कर्मचारी कल्याण व्यय**				
कल्याण व्यय - कैंटीन	**300.24**		274.72	
कल्याण व्यय - शिक्षा	**3.73**		25.37	
चिकित्सा व्यय	**546.76**		623.75	
एलटीसी / एलएलटीसी	**57.76**		69.20	
वर्दी	**1.84**		0.62	
अन्य	**341.63**		201.22	
कुल		**1251.96**		**1194.89**
iv) **स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाः**				
वीआरएस भुगतान		**250.94**		481.48
v) **बीमांकिक लाभ / (हानि)**		**(6079.04)**		**(1486.07)**
कुल योग		**22887.13**		**22217.84**
संबंधित पार्टी लेनदेन				
प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों - वेतन और परिलब्धियाँ				
नाम		**मार्च, 2023**		**मार्च, 2022**
श्री राजेश राय - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 21.02.2023 से प्रभावी		**4.12**		0.00
श्री आर एम अग्रवाल - पूर्व, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक		**8.87**		36.48
श्री राजीव श्रीवास्तव - निदेशक-वित्त		**24.22**		19.12
श्री शशि प्रकाश गुप्ता - पूर्व, निदेशक-मानव संसाधन		**0.00**		7.84
श्री वेंकटेश्वरलू - पूर्व, निदेशक (उत्पादन)		**39.07**		19.65
श्री राकेश चंद्र तिवारी - निदेशक विपणन		**45.98**		42.38
श्रीमती शनमुगा प्रिया - पूर्व, कंपनी सचिव		**16.20**		13.27
श्रीमती आर वसंती - निदेशक (उत्पादन) अतिरिक्त प्रभार 28.02.2023 से प्रभावी		**2.04**		0.00
श्रीमती एस जेयंति - निदेशक मानव संसाधन अतिरिक्त प्रभार 28.02.2023 से प्रभावी		**2.04**		0.00

भारतीय लेखाकरण मानक 19 के अंतर्गत प्रकटीकरण रिपोर्ट

परिभाषित लाभ योजना

ट्रस्ट द्वारा कर्मचारियों की उपदान निधि योजना परिभाषित लाभ योजना है । दायित्व का वर्तमान मूल्य बीमांकिक मुल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है । अवकाश नकदीकरण का दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है जो कि अपव्ययी है ।

		उपदान		विशेषाधिकार अवकाश		रुग्न अवकाश	
I. परिणाम का सारांश							
क्र.सं.	**परिसंपत्ति / देयता**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**
क	दायित्व का वर्तमान मूल्य	16,729	15,007	7,776	6,565	31	50
ख	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	124	1,781	0	0	0	0
ग	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल संपत्ति / (देयता)	-16,605	-13,227	-7,776	-6,565	-31	-50
II. बीमांकिक और जनसांख्यिकीय धारणा							
क्र.सं.	**विवरण**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**
क	छूट दर	7.18	6.86	7.18	6.86	7.18	6.86
ख	भविष्य में वेतन वृद्धि	2.75	2.00	2.75	2.00	2.75	2.00
ग	उम्र के संघर्षण	12.35	2.45	12.35	2.45	12.35	2.45
III. योजना दायित्व							
समाप्त तिथि		**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य		16,729	15,007	7,776	6,565	31	50
IV. सेवा लागत							
क्र.सं.	**विवरण**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**
क	वर्तमान सेवा लागत	526	480	537	528	3	2
ख	पिछली सेवा लागत में कटौती लाभ / हानि शामिल	0	0	0	0	0	0
ग	गैर दिनचर्या निपटान पर लाभ या हानि	0	0	0	0	0	0
घ	कुल सेवा लागत	526	480	537	528	3	2
V. निवल ब्याज लागत							
क्र.सं.	**विवरण**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**
क	परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	1030	1,055	450	448	3	4
ख	योजना परिसंपत्ति पर ब्याज आय	122	351	0	0	0	0
ग	निवल ब्याज लागत (आय)	907	704	450	448	3	4
VI. लाभ दायित्व में परिवर्तन							
क्र.सं.	**विवरण**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**
क	अवधि की प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15007	17148	6565	7277	50	58
ख	अधिग्रहण समायोजन	0	0	0	0	0	0
ग	ब्याज लागत	1030	1055	450	448	3	4
घ	सेवा लागत	526	480	537	528	3	2
ङ	पिछली सेवा लागत में कटौती लाभ / हानि शामिल	0	0	0	0	0	0
च	लाभ का भुगतान	-2725	-4648	-2915	-2054	0	0
छ	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	2891	973	3139	367	-24	-14
ज	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	16729	15007	7776	6565	31	50

भारतीय लेखाकरण मानक 19 के अंतर्गत प्रकटीकरण रिपोर्ट - जारी...

		उपदान		विशेषाधिकार अवकाश		रुग्न अवकाश	
VII. दायित्व पर वास्तविक लाभ / हानि का विभाजन							
क्र.सं.	**विवरण**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**
क	जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	568	0	349	0	2	0
ख	वित्तीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	112	-265	111	-142	0	-1
ग	अनुभव समायोजन होने पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	2211	1,238	2679	509	-27	-13
VIII. परिसंपत्ति योजना पर बीमांकिक लाभ/हानि							
क्र.सं.	**विवरण**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**
क	अपेक्षित ब्याज आय	122	351	0	0	0	0
ख	योजना संपत्ति पर वास्तविक आय	49	191	0	0	0	0
ग	वर्ष के संपत्ति पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	-73	-160	0	0	0	0
IX. तुलन पत्र और संबंधित विश्लेषण							
क्र.सं.	**विवरण**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**
क	अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	16,729	15,007	7,776	6,565	31	50
ख	योजना संपत्तियों का उचित मुल्य	124	1,781	0	0	0	0
ग	तुलन पत्र में अपथ्वी दायित्व / प्रावधान	-16,605	-13,227	-7,776	-6,565	-31	-50
X. आय विवरण में मान्यता प्राप्त राशि							
क्र.सं.	**विवरण**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**
क	कुल सेवा लागत	526	480	537	528	3	2
ख	निवल ब्याज लागत	907	704	450	448	3	4
ग	अवधि में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ) / हानि	0	0	3,139	367	-24	-14
घ	आय विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	1,434	1,184	4,127	1,342	-19	-8
XI. अन्य व्यापक आय (ओसीआई)							
क्र.सं.	**विवरण**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**
क	निवल संचयी न पहचाना गया लाभ/ (हानि) खोलना	0	0	0	0	0	0
ख	पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	-2,891	-973	0	0	0	0
ग	परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	-73	-160	0	0	0	0
घ	वर्ष में न पहचाना गया बीमांकिक लाभ/(हानि)	-2,964	-1,133	0	0	0	0
XII. परिसंपत्ति योजना में परिवर्तन							
क्र.सं.	**विवरण**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2022**
क	अवधि की शुरुआत में योजना संपत्तियों का उचित मुल्य	1781	5,701	0	0	0	0
ख	योजना संपत्ति पर वास्तविक वापसी	49	191	0	0	0	0
ग	नियोक्ता योगदान	1019	537	0	0	0	0
घ	लाभ का भुगतान	-2,725	-4,648	0	0	0	0
ड	अवधि के अंत में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	124	1,781	0	0	0	0

भारतीय लेखाकरण मानक 19 के अंतर्गत प्रकटीकरण रिपोर्ट - जारी...

	उपदान		विशेषाधिकार अवकाश		रुग्न अवकाश	

XIII. योजना परिसंपत्तियो की प्रमुख श्रेणियां (कुल योजना परिसंपत्तियों का प्रतिशत)

क्र.सं.	विवरण	31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022
क	भारत सरकार की प्रतिभूतियों	0	0	0	0	0	0
ख	राज्य सरकार की प्रतिभूतियों	0	0	0	0	0	0
ग	उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड	0	0	0	0	0	0
घ	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0	0	0	0	0	0
ड	परिसंपत्ति	0	0	0	0	0	0
च	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित धन	100%	100%	0	0	0	0
छ	बैंक शेष	0	0	0	0	0	0
	कुल	**100%**	**100%**				

XIV. निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन योजना

क्र.सं	विवरण	31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022
क	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	13,227	11,446	6,565	7,277	50	58
ख	अधिग्रहण समायोजन	0	0	0	0	0	0
ग	कुल सेवा लागत	526	480	537	528	3	2
घ	निवल ब्याज लागत (आय)	907	704	450	448	3	4
ड	पुनः माप	2,964	1,133	3,139	367	-24	-14
	खोलने में अंतर	-1,019	-537	0	0	0	0
च	निधि के लिए योगदान का भुगतान	0	0	-2,915	-2,054	0	0
छ	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान लाभ	0	0	0	0	0	0
ज	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	16,605	13,227	7,776	6,565	31	50

XV. चालू और गैर-चालू वर्ष के अंत में पीबीओ का विभाजन

क्र.सं.	विवरण	31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022
क	चालू देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	5972	4,869	2,665	1,993	2	2
ख	गैर-चालू देयता (एक वर्ष से अधिक की देय राशि)	10758	10,139	5112	4,572	30	47
	वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	**16,729**	**15,007**	**7,776**	**6,565**	**31**	**50**

XVI. अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान

क्र.सं.	विवरण	31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022
क	सेवा लागत	517	431	427	443	14	11
ख	निवल ब्याज लागत	1192	907	558	450	2	3
ग	अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित व्यय	1709	1,338	985	893	16	15

XVII. परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता विश्लेषण।

क	वेतन वृद्धि में परिवर्तन का असर	31-03-2023	31-03-2023	31-03-2023
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	16,729	7,776	31
क	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	-167	-100	0
ख	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	170	103	0

ख	वेतन वृद्धि में परिवर्तन का असर			
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	16,729	7,776	31
क	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	133	107	0
ख	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	-133	-105	0

भारतीय लेखाकरण मानक 19 के अंतर्गत प्रकटीकरण रिपोर्ट - जारी...

	उपदान	विशेषाधिकार अवकाश	रुग्न अवकाश

XVIII. परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफ़ाइल।

	वर्ष	राशि	राशि	राशि
क)	0 से 1 वर्ष	5,972	2,665	2
ख)	1 से 2 वर्ष	3,716	1,630	15
ग)	2 से 3 वर्ष	2,636	1,195	6
घ)	3 से 4 वर्ष	1,780	810	3
ङ)	4 से 5 वर्ष	1,010	508	2
च)	5 से 6 वर्ष	660	350	1
छ)	6 साल बाद	956	619	3

XIX. परिणाम का सारांश

		छुट्टी यात्रा रियायत	
क्र.सं.	विवरण	31-03-2023	31-03-2022
क	दायित्व का वर्तमान मूल्य	171	177
ख	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0	0
ग	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल परिसंपत्तियाँ / (दायित्व)	-171	-177

XX. बीमांकिक एवं जनसांख्यिकीय धारणाएँ

क्र.सं.	विवरण	31-03-2023	31-03-2022
क	छूट दर	7.18	6.86
ख	भविष्य में वेतन वृद्धि	2.75	2.00
ग	उम्र के संघर्षण	0	0

XXI. बीमांकिक मूल्य

	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	171	177

XXII. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची III के अनुसार वर्ष के अंत में पीबीओ का विभाजन

क्र.सं.	विवरण	31-03-2023	31-03-2022
क	चालू देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	64	52
ख	गैर-चालू देयता (एक वर्ष से अधिक की देय राशि)	107	125
ग	वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	171	177

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
टिप्पणी संख्या 28				
वित्तपोषण लागत				
i) **ब्याज व्यय:**				
नकद ऋण	**14422.22**		10761.60	
सार्वजनिक जमा	**0.00**		0.00	
बांड	**0.00**		0.00	
अवधि ऋण	**0.00**		0.00	
अन्य*	**3720.67**		5809.68	
ii) **बैंक प्रभार**	**2785.67**		2647.95	
iii) **सरकारी गारंटी शुल्क**	**0.00**		0.00	
iv) **बांड / ऋण जारी करने में व्यय**	**0.00**		0.00	
v) **विदेशी मुद्रा अनुवाद और लेनदेन से निवल लाभ/हानि**	**29.85**		3.37	
कुल		**20958.40**		**19222.60**
*पीएफ से ट्रस्ट में विलंबित भुगतान पर ब्याज सहित अन्य ब्याज व्यय।				
टिप्पणी संख्या 29				
मूल्यह्रास और ऋणमुक्ति व्यय:				
स्थाई परिसंपत्ति	**4946.02**		5101.42	
औजर और गेज	**3.82**		0.00	
कुल	**4949.84**		**5101.42**	
घटाएं: पूनर्मूल्यांकन आरक्षित से स्थानांतरण	**0.00**		0.00	
निवल मूल्यह्रास		**4949.84**		**5101.42**
टिप्पणी संख्या 30				
अन्य व्यय				
डीआरई बट्टे खाते में डाले गए		**0.00**		0.00
वीआरएस व्यय		**0.00**		0.00
विनिर्माण व्यय:				
भंडार और पुर्जों की खपत		**9.57**		49.91
पावर और लाइट		**1849.09**		1756.64
जल प्रभार		**333.66**		285.62
उत्पाद शुल्क		**0.00**		0.00
रखरखाव और मरम्मत:				
i) प्लांट मशीनरी और उपस्कर	**270.71**		175.37	
ii) वाहन	**88.84**		58.91	
iii) भवन	**877.03**		948.09	
iv) अन्य उपस्कर	**158.29**	**1394.87**	65.17	1247.54
लागत और औजारों पर व्यय		**0.00**		0.00
प्रयोगात्मक कार्य और प्रशिक्षण पर व्यय		**6.78**		2.00
लघु उपस्कर और कार्य पर व्यय		**0.75**		6.08
रॉयल्टी		**884.61**		0.00
आग के कारण स्टॉक का नुकसान		**88.25**		0.00
स्क्रैप और निस्तारण		**0.00**		0.00
फैक्ट्री व्यय		**926.29**		828.29

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
कुल प्रभार:				
i) तकनीकी सहायता	0.00		0.00	
ii) तकनीकी जानकारी शुल्क	0.00		0.00	
iii) प्रलेखन प्रभार	0.00		0.00	
iv) प्रशिक्षण सहायता	0.00		0.00	
v) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
परिनिर्धारित नुकसानी		1246.75		531.26
विलंब - शुल्क		0.67		0.00
विदेशी मुद्रा अनुवाद और संचालन में निवल लाभ / हानि (वित्त लागत के रूप में माने जाने के अलावा)		0.00		(0.01)
कुल विनिर्माण व्यय		6741.28		4707.33
प्रशासनिक व्यय:				
किराया	154.69		161.52	
दर और कर	1056.47		157.66	
बीमा	129.75		74.06	
यात्रा व्यय				
अंतर्देशीय	562.09		432.69	
विदेशी	0.00		0.00	
डाक, टेलीग्राम, टेलेक्स व्यय	25.61		31.78	
टेलीफोन और ट्रंक-कॉल देय	44.24		68.92	
लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक				
लेखापरीक्षा शुल्क	27.04		23.96	
कराधान मामले के लिए	1.50		1.66	
कंपनी कानून मामलों के लिए	0.00		0.00	
प्रबंधन सेवाओं के लिए	0.00		0.00	
प्रतिपूर्ति व्यय के लिए	1.18		0.38	
अन्य सेवाओं के लिए	1.33		0.48	
कानूनी शुल्क	135.76		92.10	
अन्य व्यावसायिक शुल्क	264.36		283.06	
सीआईएसएफ / निजी सुरक्षा व्यय	1002.28		960.60	
मुद्रण और स्टेशनरी और नकल प्रभार	64.94		45.25	
परिवहन व्यय	291.40		287.84	
समाचार पत्र, पत्रिका और पत्र-पत्रिकाएं	14.70		23.33	
यंत्रीकृत लेखा व्यय	2.40		3.73	
पट्टा शुल्क	0.00		0.00	
लाइसेंस शुल्क / खण्ड प्रभार	2.40		4.07	
सीएसआर व्यय	16.64		68.00	
अनुवर्ती सार्वजनिक अधिकारी (एफपीओ) पर व्यय	0.00		0.00	
कार्यालय व्यय	580.43		598.39	
आरएम स्टोर्स के अप्रचलन के लिए प्रावधान	0.00		0.00	
अप्रचलित आरएम और प्रोडक्शन स्टोर को बट्टे खाते में डाले गए	0.00		0.00	
प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य को बट्टे खाते में डालने का प्रावधान	0.00		0.00	
देनदार / अग्रिम के लिए प्रावधान	2639.38		700.00	
अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में डाले गए	0.78		323.02	
दावे एवं व्यय बंद प्रभारी	20.47		19.18	
परिसंपत्तियों की बिक्री के कारण हानि	0.00		0.00	
जुर्माना और विलंब शुल्क	17.35		15.24	

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
वहन राशि निवेश का समायोजन	**0.00**		0.00	
निवेशों की बिक्री पर निवल घाटा	**0.00**		0.00	
कुल प्रशासन व्यय		**7057.17**		4376.92
ग. विक्रय व्यय				
विक्रय एजेंसी कमीशन	**4.11**		6.38	
विज्ञापन व्यय	**16.98**		24.72	
प्रदर्शनी और प्रचार व्यय	**9.64**		0.40	
पैकिंग व्यय	**6.70**		0.16	
अग्रेषण व्यय	**53.68**		322.40	
प्रदत्त छूट	**0.00**		0.00	
आश्वस्ति व्यय	**0.00**		0.53	
विक्रय बढ़ोतरी व्यय	**0.00**		9.03	
मनोरंजन व्यय	**1.56**		2.58	
निविदा प्रपत्र की लागत	**1.84**		4.37	
कुल विक्रय व्यय		**94.51**		**370.57**
कुल अन्य व्यय		**13892.97**		**9454.83**

सी-डॉट के पर्याप्त देय राशि को ध्यान में रखते हुए रॉयल्टी पर देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है। (यह राशि रॉयल्टी की राशि से ज्यादा है) क्योंकि सी-डॉट द्वारा पट्टे पर लिए गए भवन का किराया लंबे समय से बकाया है।

बैक-टू-बैक व्यवस्था होने की दशा में, परिनिर्धारित नुकसान की गणना निवल आधार पर की जाएगी।

विदेशी मुद्रा में व्यय:				
रॉयल्टी	**0.00**		0.00	
जानकारी	**0.00**		0.00	
वृत्तिक / परामर्श शुल्क	**0.00**		0.00	
ब्याज	**0.00**		0.00	
अन्य	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		**0.00**

समेकित वित्तीय विवरण पर टिप्पणी (जारी...)

अतिरिक्त खुलासे

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2023	31.03.2022

टिप्पणी सं. 31

1. निगमित सूचना :

आईटीआई लिमिटेड एक सार्वजनिक कंपनी है जो कि भारत की स्थायी और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार समाविष्ट है। कंपनी मुख्य रूप से दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण, सेवा और बिक्री के कारोबार में लगी हुई है।

2 16500 करोड़ रुपये की राशि 2014-2015 के दौरान वेतन संशोधन बकाया राशि प्राप्त हुआ है। 15493.72 लाख रुपये का भुगतान वेतन संशोधन बकाया राशि के रुप में और शेष राशि 1006.28 लाख रुपये का मौजूदा देनदारियों के तहत रखा गया है।

3 लेनदारों, देनदारों के खातों में शेयर राशियाँ, ग्राहकों से अग्रिम, कुछ बैंक खाते, वसूली योग्य दावे, ऋण और अग्रिम, फैब्रिकेटरों, उप-ठेकेदार / अन्य के पास सामग्री, मार्गस्थ सामग्री, जमा राशियों, ऋण, जीएसटी, जमा और अन्य देनदारियाँ जो पुष्टि / समाधान के अधीन हैं। हालांकि प्रबंधन की राय में, यदि सामान्य व्यवसाय के दौरान महसूस किया गया हो, व्यापार प्राप्तियाँ, मौजूदा संपत्ति, ऋण और अग्रिम के रूप में व्यक्त किए गए है।

4 कंपनी मुख्य रूप से विनिर्माण, व्यापार और दूरसंचार उपकरणों की सर्विसिंग के कारोबार और सहायक सेवाओं के प्रतिपादन के व्यवसाय में लगी हुई है और अलग से रिपोर्ट करने योग्य कोई खंड नहीं है। कंपनी को मुख्य रूप से एक ही भौगोलिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है, जो भारत में काम कर रही है। कंपनी रक्षा परियोजनाओं में भी लगी हुई है। दिनांक 23.02.2018 को अधिसूचित के अनुसार एमसीए ने सेगमेंट रिपोर्टिंग की आवश्यकता से रक्षा उत्पादन में लगे कंपनियों की पहचान की है।

5 **क)** संबंधित पार्टी प्रकटीकरणों पर लेखाकरण मानक (इंड एएस)24 के अनुसार इंडिया सेटकॉम लि.(आईएसएल) इन संयुक्त उद्यम कंपनियों के साथ निम्न लेन-देन किए गए।

	31.03.2023	31.03.2022
माल सेवाओं का खरीद	-	-
माल सेवाओं का विक्रय	-	-
बकाया रकम:		
- संबंधित पार्टी से देय	-	-
- संबंधित पार्टी को देय	-	-
संबंधित पार्टी से संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	-	-

ख) कुंजी प्रबंधन कर्मियों को प्रतिपूर्ति भुगतान किया गया। (इंड एएस-24 यथा अपेक्षित)

	मार्च 2023	मार्च 2022
श्री राजेश राय - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 21.02.2023 से प्रभावी	**4.12**	0.00
श्री आर एम अग्रवाल - पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**8.87**	36.48
श्री राजीव श्रीवास्तव - निदेशक-वित्त	**24.22**	19.12
श्री शशि प्रकाश गुप्ता - पूर्व, निदेशक-मानव संसाधन	**0.00**	7.84
श्री वेंकटेश्वरलू - पूर्व-निदेशक (उत्पादन)	**39.07**	19.65
श्री राकेश चंद्र तिवारी - निदेशक-विपणन	**45.98**	42.38
श्रीमती शनमुगा प्रिया - पूर्व, कंपनी सचिव	**16.20**	13.27
श्रीमती आर वसंती - निदेशक (उत्पादन) अतिरिक्त प्रभार 28.02.2023 से प्रभावी	**2.04**	0.00
श्रीमती एस जेयंति - निदेशक मानव संसाधन, अतिरिक्त प्रभार, 28.02.2023 से प्रभावी	**2.04**	0.00

6 **आय प्रति शेयर (प्रचालन जारी रखने के लिए):**

	31.03.2023	31.03.2022
कर पूर्व लाभ	**-36009.63**	12007.78
(-) अधिमान लाभांश	**0.00**	0.00
लाभांश कर	**0.00**	0.00
इक्विटी शेयरधारकों को उपलब्ध लाभ	**-36009.63**	12007.78
वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की संख्या	**933522869**	933522869
वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या	**949577352**	933522869
अवधि के दौरान शेयरों का भारित औसत संख्या	**944488639**	933522869
आय प्रति इक्विटी शेयर (प्रचालन जारी रखने के लिए) बेसिक और तनुकृत (रु. में)	**-3.81**	1.29

7 चूँकि कंपनी की पर्याप्त भावी कर योग्य आय की कोई यथार्थ अवधारणा नहीं है, भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस)-12 "आयकरों के अंतर्गत अनवशोषित मूल्यह्रास और कंपनी के अग्रेषित हानि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों को नहीं लिया जा रहा है।

8 **संयुक्त उद्यम:**

इंड एएस 28 के अनुसार संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग

(क) इंडिया सैटकॉम लिमिटेड	31.03.2023	31.03.2022
सं. 2, काडुगोडी इंडस्ट्रियल एरिया, व्हाईट फिल्ड, बेंगलूरु - 560 067		
कंपनी की इक्विटी भागीदारी	49%	49%
संयुक्त उद्यम के निगमीकरण का स्थान-जे.वी, भारत		

समेकित वित्तीय विवरण पर टिप्पणी (जारी...)

9	क) पूँजी खाते में निष्पादन के लिए शेष संविदाओं की प्राक्कलित राशि जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिम का निवल)	**2,033.31**	1,621.58
	ख) अन्य संविदाओं के संबंध में प्रतिबद्धता नहीं दी गई।	-	-
10	आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं		
	(क) कंपनियों के खिलाफ दावों को कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया		
	- बकाया साखपत्र एवं गारंटी	**1,32,149.64**	1,47,253.97
	- बकाया कर		
	----- मुक़दमे		
	----------प्रत्यक्ष कर मामले	**691.72**	691.72
	----------अप्रत्यक्ष कर मामले	**13,371.38**	16,338.54
	-----अन्य कर बकाया		
	----------प्रत्यक्ष कर मामले	**177.51**	-
	----------अप्रत्यक्ष कर मामले	**5,915.37**	14,139.51
	- अन्य दावे मुक़दमे	**27,718.38**	21,380.42
	- अन्य दावे अन्य	**18.20**	-

(i) कंपनी के प्रति किए दावों की स्वीकृति ऋण के रूप में नहीं की गई है, जिसमें मैसर्स अल्फियन कॉर्पोरेशन द्वारा दावा की गई 16700.00 लाख रुपए की राशि शामिल है, कंपनी को जीपीओएन से संबंधित बैक टू बैक आधारित अनुबंध के प्रति बीएसएनएल से 17096 लाख रुपए की वसूली करनी है।

(ii) कंपनी को बीबीएमपी से 2008-09 से 2022-23 तक के वर्षों के लिए ब्याज और जुर्माने के साथ संशोधित दरों के आधार पर कुल 7938.21 लाख रुपये के संपत्ति कर की मांग प्राप्त हुई है। कंपनी ने उन दरों पर संपत्ति कर का भुगतान किया है /प्रावधान किए हैं जिस दर पर पूर्व काल में करों का भुगतान किया था तथा कंपनी ने इस आधार पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करके इस आधार पर संपत्ति कर के संशोधन का प्रतिवाद किया था कि यह कंपनी बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत पुनरुद्धार योजना के अंतर्गत रुग्न उद्योग के अंतर्गत आती है तथा इस प्रकार यह ऐसे संशोधन के प्रति छूट दिए जाने की पात्र है।

(iii) कंपनी को बीएसई/एनएसई से स्वतंत्र निदेशकों/महिला निदेशकों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण 18.20 रुपये की राशि के जुर्माने का नोटिस प्राप्त हुआ है। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में गैर-अनुपालन का कारण के साथ बीएसई/एनएसई को अनुरोध किए जाने के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही तक जुर्माना समाप्त कर दिया गया है। कंपनी का विश्वास है कि अनुवर्ती दंड भी इसी प्रकार समाप्त किए जाएंगे। तदनुसार, इन दंडों के प्रति किसी प्रकार के प्रावधान नहीं किए गए हैं।

(iv) दावे की राशि में एचएफसीएल द्वारा निर्णित हर्जाने के प्रति दावा की गई 1485.60 लाख रुपये का दावा तथा विवाचक द्वारा की गई पुष्टि शामिल है। तथापि, कंपनी ने उक्त दावे के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की है।

(v) कंपनी के प्रति किए गए दावों में ईईएसएल निविदा के अंतर्गत आरईसीएपी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीसीएएमएस बॉक्स उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में दायर की गई याचिका की देय तिथि से दावा की गई राशि के शेष 615.13 लाख रुपए का दावा भी शामिल है।

vi) वित्तीय संकट के कारण, भविष्य निधि में अंशदान सहित कुछ सांविधिक देयताओं के भुगतान में देरी हुई है। इसके प्रति देय ब्याज / जुर्माने की वास्तविक ज्ञात न किए जा सकने के कारण कंपनी द्वारा अनुमान के आधार पर देरी पर ब्याज के प्रति अनुमानित आधार पर प्रावधान किए गए हैं।

vii) कंपनी ने अनुमानित आधार पर पिछले वर्ष के लिए सी/डी फॉर्म जमा नहीं करने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय बिक्री कर देयता के लिए 5,915.37 लाख रूपये (पिछले वर्ष 14,139.51 लाख रुपये) की आकस्मिक देयता का खुलासा किया है । वास्तविक दायित्व वैधानिक रूप के संग्रह और प्रस्तुत करने और कर निर्धारण के समय लागू कर दर को अपनाने के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।

viii) कंपनी के खिलाफ दावों में से 26,800.10 लाख रुपये के ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया जिसमें 16700.00 लाख रुपये शामिल हैं। मेसर्स अल्फियन कॉरपोरेशन कंपनी को जीपॉन से संबंधित अनुबंध के आधार पर बीएसएनएल से 17096 लाख रुपये की वसूली करनी है ।

ix) सभी अतिदेय सांविधिक देनदारियों (निर्विवाद सहित) के बकाया और दंड पर संबंधित अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन और निर्धारित किया जा सकता है।

x) एक कर्मचारी ने कंपनी के खिलाफ 39 महीने के वेतन संशोधन बकाया पर 28.28 लाख रुपये के ब्याज का दावा करने के लिए मामला दर्ज किया है और मामला उच्च न्यायालय में लंबित है।

ख) अन्य मुकदमे:

i) परिसमाप्त क्षति के कारण दावा वसूली- भूमि में 1049.41 लाख रूपये मेसर्स हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस से देय है। कंपनी ने कानूनी मामला दायर किया है जो दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है।

ii) बृहत बेंगलूरु महानगर पालिका का (बीबीएमपी) ने आईटीआई की अनुमति के बिना आईटीआई भूमि कृष्णाराजपुरम में सड़क का निर्माण, कर्नाटक हाइकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद किया गया जिसका उपयोग आम जनता द्वारा किया जाता है।

आईटीआई लिमिटेड द्वारा मैसर्स माइंड ऐरे सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के प्रति कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए दिनांक 18.5.2022 को मैजिस्ट्रेट सिविल न्यायालय के सम्मुख एक शिकायत दर्ज की गई है। यह मामला नगर वाणिज्य न्यायालय, बेंगलूरु के अध्याधीन है।

आईटीआई लिमिटेड द्वारा इंफोस पार्क को एलईडी स्ट्रीट लाइटों की आपूर्ति की गई थी, जिसका भुगतान अभी प्राप्त नहीं हुआ है। आईटीआई द्वारा मैसर्स इंफोस पार्क के खिलाफ बैंक की ओर से भुगतान के लिए चेक नकार दिए जाने का एक मामला दर्ज किया गया है।

कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 5 एकड़ भूमि का उपयोग कर रहा है तथा इसके लिए कोई पट्टा करार नहीं किया गया है।

कर्नाटक जनरल लेबर यूनियन ने वीयूएसएस और मुस के लिए 248.17 लाख रुपए को लॉकडाउन वेतन का भुगतान न करने का मामला दायर किया है।

समेकित वित्तीय विवरण पर टिप्पणी (जारी...)

11 पूर्व वर्षों के प्रतिलेखित दायित्वों में 3.80 लाख रुपए नैनी इकाई, 2.86 लाख रुपए एवं क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु प्लांट 0.94 लाख रुपए (पिछले वर्ष 289.18 लाख रुपए जिसमें रायबरेली इकाई के 161.46 लाख रुपए, एनएस यूनिट के 127.72 लाख रुपए) शामिल हैं।

12 प्रयुक्त आयातित कच्चे माल, भंडार और अतिरिक्त पुर्जों का मूल्य तथा प्रयुक्त देशी सामग्री का मूल्य प्रत्येक की प्रतिशतता।

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
आयातित	**521.25**	53.38
देशी	**15,920.27**	11,992.14
कुल	**16,441.53**	**12,045.52**

13 प्रारंभिक स्टॉक के संदर्भ में सीमा शुल्क तथ्य में देय विभिन्न समायोजनों को ध्यान में रखने के पश्चात् प्राप्त स्टॉक में अभिवृद्धि / कमी।

14 रुग्न उद्योग कंपनी अधिनियम (एसआईसीए), 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कंपनी एक रुग्न कंपनी है तथा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के सम्मुख कंपनी को संदर्भित किए जाने के पश्चात वर्तमान में यह पुनरूद्धार योजना के अंतर्गत आती है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा पुनरूद्धार योजना के अंतर्गत कंपनी के पुनरूद्धार के लिए फरवरी 2014 में अनुमोदित 415679 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का अनुमोदन दिया गया है।

अनुमोदित वित्तीय सहायता के एक भाग के रूप में वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रारंभ तक 94556 लाख रुपए पूंजी अनुदान के रूप में तथा 189279 लाख रुपए की राशि की प्राप्ति राजस्व अनुदान के रूप में प्राप्त हो चुकी है। बीआईएफआर के दिनांक 8.1.2013 के आदेश के अनुसार विभिन्न तिथियों को भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त पूंजी अनुदान के प्रति प्रचलित बाजार मूल्य अथवा आबंटन की तिथि से पूर्व की तीन माह के औसत शेयर मूल्य, जो भी कम हों, के अनुसार शेयरों का आबंटन किया गया है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के प्रति प्राप्त 15500 लाख रुपए के राजस्व अनुदान में से 11003.58 लाख रुपए की राशि का वितरण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को किया जा चुका है तथा शेष राशि खाते में उपलब्ध है।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी को वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 18700 लाख रुपये का पूंजी अनुदान प्राप्त हुआ। इसमें से 8,000.00 लाख रुपए के अनुदान की राशि के प्रति 77,33,204 शेयर 103.45 रुपये प्रति शेयर (10 रुपए मूल्य के पूर्ण चुकता शेयर के प्रति 93.45 रुपए के प्रीमियम के साथ) दिनांक 28.9.2022 को आबंटित किए गए हैं तथा शेष 10700.00 लाख रुपए की राशि का लेखा बहियों में लेखांकन शेयर आवेदन राशि के रूप में लंबित आबंटन के प्रति किया गया है। तुलन पत्र की तिथि तक प्राप्त कुल वित्तीय सहायता की राशि 302535 लाख रुपए है।

15 12.15 एकड़ भूमी में से जो बेंगलूरु मैट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन, बीएमटीसी को पट्टे के रूप में देना है 12.15 एकड़ भूमी जो पहले से ही बीएमटीसी के कब्जे में है, भारत सरकार के पट्टे के नियमों व शर्तानुसार अनुमोदन देना है। पट्टे को पहचानित कर किराए को शर्तों के अनुसार अंतिम रुप दिया जाएगा। 285 लाख रु. पूर्व में बीएमटीसी से प्राप्त हो चुकी है जिसको जमा किया गया है।

16 प्राप्त सेवानिवृत्ति अनुदान सहायता में से कर्मचारियों को चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति दिए जाने के कंपनी के प्रस्ताव पर लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान दूरसंचार विभाग द्वारा सहमति नहीं दी गई थी। अतः वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान सेवानिवृत्ति अनुदान सहायता में से स्वीकृत किए गए चिकित्सा आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के व्यय का समायोजन अब व्यय के रूप में किया गया है।

17 ईएसआईसी के साथ पट्टा समझौता जुलाई 2016 के महीने में समाप्त हो गया है और पट्टे का नवीकरण समझौते नहीं किया गया है, क्योंकि संशोधित पट्टा किराया ईएसआईसी के साथ फैसला नहीं किया गया है।

18 <u>सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य:</u>

कच्चा माल और उत्पादन भंडार	**349.64**	49.48
घटक तथा अतिरिक्त पुर्जे	**171.62**	3.90
मार्गस्थ सामग्री	**-**	-
पूँजीगत माल	**-**	163.60
कुल	**521.25**	**216.98**

19 सी-डॉट, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय से 2005-06 से 2010-11 तक 5847.90 लाख रुपये अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। उगाही/वसूली के अनिश्चितता के चलते, सकल किराया राजस्व की पहचान जिसकी कुल रकम 11,779.92 लाख रुपये है जो प्रोद्भवन आधार पर वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए है, आस्थगित किया गया है और एएस-18 के अनुरुप है।

20 जून 1990 तक दक्षिणी रेलवे द्वारा अपनी सुविधाओं तक पहुंच मार्ग के रूप में उपयोग की जाने वाली 1.83 एकड़ भूमि के किराए का भुगतान, बिना किसी लिखित पट्टा करार के, चुकता किया जा रहा था। तथापि, एप्रोच रोड का उपयोग जनता एवं स्थानीय क्षेत्र निवासियों द्वारा किए जाने के कारण दक्षिण रेलवे किराए का भुगतान करना बंद कर दिया था। वर्तमान में इस भूमि का उपयोग जनता द्वारा राइट आफ वे के रूप में किया जा रहा है।

21 वित्तीय विवरणों के नोट 1 तथा नोट 3 में किए गए प्रकटीकरण के अनुसार नीचे उल्लिखित के अलावा सम्पतियों के हक विलेख कंपनी के नाम पर धारित हैं:

(i) पालक्काड में स्थित 19470 लाख रुपए मूल्य (वहन मूल्य) की 77 एकड़ माप की भूमि का पुनः ग्रहण केरल सरकार द्वारा कर लिया गया है तथा यह मामला उच्चतर न्यायालय के सम्मुख न्यायाधीन है। तुलन पत्र में दर्शाई भूमि के मूल्य में केरल सरकार द्वारा पुनः ग्रहण की गई भूमि का मूल्य शामिल है जो उच्चतर न्यायालय में न्याय के लिए लंबित है।

(ii) आईटीआई कॉम्प्लेक्स में 174.69 एकड़ माप की 9282 लाख रुपए के मूल्य (वहन मूल्य) की भूमि जिला औद्योगिक अधिकारी द्वारा वर्ष 1969 में नैनी यूनिट को सौंप दी गई थी जो कंपनी के नाम से नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरण पर टिप्पणी (जारी...)

(iii) उद्योग विभाग, रायबरेली द्वारा दिनांक 12.11.1973 को गांव बेलापुर, छजलापुर एवं मालिकमाऊ ऐयमा, रायबरेली में दिनांक 9.1.1973 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 10574(1) एसएचए.यू/18.11.666/बीएचए-72 के माध्यम अंतरित की गई 11620 लाख रुपए (लगभग) मूल्य की 196.37 एकड़ भूमि (फैक्टरी क्षेत्र) के शीर्ष के अंतरण का मामला आईटीआई लिमिटेड की ओर से भूमि अधिग्रहण के समय भू स्वामियों को चुकता किए गए भुगतान के प्रमाण की प्रस्तुत न किए जाने के कारण लंबित है।

22 मैसर्स कार्वी डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड तथा मैसर्स टेल्वा सिस्टम्स से 2144 लाख रुपये की राशि लम्बे समय से प्राप्य है। कंपनी द्वारा इस मामले में बट्टा नामे का कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि विक्रेताओं (बैक-एंड पार्टनर्स) से समान राशि की अनुरूपी देयता देय है जो कि इस राशि की वसूली होने पर ही की जाएगी। प्राप्य एवं देय राशि के मध्य भिन्नता की 242 लाख रुपए की राशि के लिए प्रावधान किए गए हैं।

23 प्रोमोटरों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों तथा संबद्ध पार्टियों (कंपनी अधिनियम, 2013 में की गई परिभाषा के अनुसार) ऋण अथवा अग्रिम के रूप में किसी भी प्रकार के ऐसे ऋण प्रदान नहीं किए गए है जो पृथक अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से (क) मांग पर देय हैं अथवा (ख) निर्दिष्ट किन्हीं शर्तों अथवा पुनर्भुगतान की अवधि में देय हैं।

24 कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के प्रति बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) एवं उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत न तो कोई प्रक्रिया की गई है अथवा न ही कोई प्रक्रिया लंबित है।

25 कंपनी ने बैंकों से अपनी चालू परिसम्पतियों की प्रतिभूति के आधार पर ऋण प्राप्त किए हैं। कंपनी द्वारा बैंकों को फाइल किया गया स्टॉक एवं देनदार विवरण लेखा बहियों के अनुरूप है।

26 किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान अथवा किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

27 प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 248 के अंतर्गत स्ट्रक ऑफ कम्पनियों के साथ प्रतिभूतियों में निवेश, प्राप्यों, देयों, स्ट्रक ऑफ कंपनी द्वारा धारित शेयरों एवं अन्य बकाया शेषों के संबंध में किसी प्रकार के संव्यवहार नहीं किए हैं।

28 कंपनी के प्रति ऐसे कोई चार्जिस अथवा चार्जिस की संतुष्टि नहीं है जो सांविधिक अवधि के पश्चात अभी आरओसी में पंजीकृत नहीं की गई है।

29 कंपनी ने ऐसी कोई योजना व्यवस्था नहीं की है जिससे चालू अथवा पूर्व वित्तीय वर्ष में लेखांकन प्रभावित होता हो।

30 कंपनी द्वारा विदेशी इकाईयों, "मध्यस्थों" सहित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (इकाईयों) को किसी निधि का अग्रिम अथवा ऋण नहीं दिया गया है अथवा निवेश (ऋण पर प्राप्त निधियों अथवा शेयर प्रीमियम अथवा अन्य स्रोतों से अथवा अन्य प्रकार की निधियों में किसी में से) इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं किया गया है कि मध्यस्थ द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, कंपनी अथवा कंपनी की ओर से ("अंतिम लाभग्राहियों") अन्य व्यक्तियों अथवा निर्धारित इकाईयों को ऋण अथवा उनमें निवेश अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा, अंतिम लाभग्राहियों की ओर से किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान की जाएगी

31 कंपनी ने लेखा बहियों में रिकार्ड न किए ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए हैं जो आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण के लिए वर्ष के दौरान त्याग दिए गए हों अथवा जिनका प्रकटीकरण किया गया हो।

32 कंपनी के क्रिप्टो अथवा वर्चुअल मुद्रा में चालू अथवा पूर्व वर्ष के दौरान न तो कोई ट्रेड किया है और न ही निवेश किया है।

33 कंपनी द्वारा बैंको अथवा वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋणों का उपयोग उन उद्देश्यों से किया जा रहा है जिस उद्देश्य के लिए आवेदन दिया गया था।

34 अनुपातों की गणना के लिए प्रयुक्त अनुपात और सूत्र निम्नानुसार है:

	31.03.2023	31.03.2022
(क) चालू अनुपात	**0.97**	1.01
(ख) नामे इक्विटी अनुपात	**0.80**	0.63
(ग) नामे सेवा कवरेज अनुपात	**-0.55**	1.38
(घ) इक्विटी पर प्रतिफल	**-0.15**	0.13
(ङ) मालसूची टर्नओवर अनुपात	**6.89**	9.07
(च) व्यवसाय प्राप्य टर्नओवर अनुपात	**0.50**	0.63
(छ) व्यवसाय देय टर्नओवर अनुपात	**0.61**	0.67
(ज) निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	**-6.31**	-26.65
(झ) निवल लाभ अनुपात	**-25.79%**	6.38%
(ञ) नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	**-0.04**	0.04
(ट) अनुदान सहायता के बिना परिचालन लाभ मार्जिन (परिचालन लाभ/निवल बिक्री)	**-9.08%**	6.33%
(ठ) अनुदान सहायता के साथ परिचालन लाभ मार्जिन (परिचालन लाभ/निवल बिक्री)	**-9.08%**	6.33%
(ड) कुल परिसम्पतियों के प्रति बिक्री(कर सहित बिक्री/कुल परिसंपतियां (निवल अचल परिसंपतियां + निवेश + सकल चालू परिसंपतियां)	**0.17**	0.22
(ढ) बिक्री से लाभ (बिक्री से जीएसटी सहित कर पूर्व लाभ)	**-22.65%**	5.71%
(ण) नियोजित पूंजी से परिचालन लाभ (कर पूर्व लाभ/शेयरधरकनिधियां + ऋण निधियां)	**-6.43%**	3.52%
25% से अधिक भिन्नता वाले टर्नओवर अनुपालन परिचालन परिवर्तनों के कारण हैं।		

समेकित वित्तीय विवरण पर टिप्पणी (जारी...)

35 **सीएसआर गतिविधियों का विवरण:**

(i) वर्ष के दौरान कंपनी से व्यय के लिए अपेक्षित राशि	शून्य	110.55
(ii) व्यय की गई राशि	5.00	99.09
(iii) वर्ष के अंत में न्यूनता*	0	11.46
(iv) पिछले वर्ष की कुल न्यूनता	शून्य	शून्य
(v) न्यूनता का कारण* (*पीएम केयर फंड में 29.09.2022 को 11.46 लाख रुपये की कमी जमा की गई)	लागू नहीं	
(vi) सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	सशस्त्र बल ध्वज निधि (एएफएफडीएफ)	शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, भूख मिटाना, पर्यावरण आदि।
(vii) सम्बद्ध पार्टी संव्यवहार का विवरण, उदाहरण : कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान	शून्य	

36 आईटीआई लिमिटेड, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के आदेश द्वारा की जाती है। स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण निदेशक मंडल की संरचना सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। तथापि, कंपनी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव प्रशासनिक मंत्रालय के पास प्रक्रियाधीन है। 31 मार्च 2023 तक कंपनी में कंपनी सचिव पद भी रिक्त है।

37 वित्त लागत में, वर्ष के अंत में, भविष्य निधि (3006.98 लाख रुपये) के सांविधिक बकाया पर देय विलंबित भुगतान का ब्याज शामिल है।

38 पट्टा काल एवं अनुबंध के अंतिमकरण के प्रति संबंधित मंत्रालय से अनुमोदन लंबित होने के कारण रायबरेली द्वारा एनआईएफटी को नवनिर्मित भवन पट्टे पर दिए जाने प्राप्त किराया आय की स्वीकृति नहीं की गई है।

39 पिछले वर्ष के आँकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकृत, फिर से वर्गीकृत और पुनर्क्रमित किया गया है।

40 वह आँकड़े जो ब्रैकेट में दर्शाएं गए हैं, वह ऋणात्मक आँकड़ों को प्रदर्शित करते हैं।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते **मेसर्स जीआरएसएम एण्ड एसोसिएटस**
सनदी लेखाकर
फ़र्म पंजीकरण नं. 000863एस

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ए राजगोपाल
साझेदार
एम.सं. 205296

राजीव श्रीवास्तव
निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएनः 08921307

राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 10052045

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 29 मई 2023

अनुलग्नक - 1

31.03.2023 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए संबंधित पार्टी लेनदेन (समेकित) का प्रकटीकरण

32. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

क) एसोशिएट/संयुक्त उद्यमः

उद्यम का नाम	व्यवसाय का स्थान	कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व हित		गैर-नियंत्रण हितों द्वारा धारित स्वामित्व हित		प्रमुख गतिविधियां
		31.03.2023 को	31.03.2022 को	31.03.2023 को	31.03.2022 को	
इंडिया सैटकॉम लिमिटेड	इंडिया	49.06%	49.06%	50.94%	50.94%	वीसैट विनिर्माण एवं सर्वीसिंग

ख) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण लाख रु. में:

लाख रुपए में

निदेशकों / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के नाम	31.03.2023 को सामाप्त तिमाही के लिए	31.03.2023 को सामाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को सामाप्त वर्ष के लिए
श्री राजेश राय - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 21.02.2023 से प्रभावी *	4.12	4.12	-
श्री आनंद सिंह - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (01.09.2022 से 30.09.2022 तक)	-	-	-
श्री राकेश चंद्र तिवारी - निदेशक (विपणन)	12.59	45.98	42.38
श्री राजीव श्रीवास्तव - निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकरी	7.04	24.22	19.12
श्रीमती आर वसंती - निदेशक (उत्पादन) अतिरिक्त प्रभार 28.02.2023 से प्रभावी*	2.04	2.04	-
श्रीमती एस जेयंति निदेशक - मानव संसाधन, अतिरिक्त प्रभार, 28.02.2023 से प्रभावी*	2.04	2.04	-
श्री आर एस अग्रवाल - पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	-	8.87	36.48
श्री डी वेंकटेश्वरलू - पूर्व निदेशक (उत्पादन)	-	42.07	19.65
श्री शशिप्रकाश गुप्ता - पूर्व निदेशक (मानव संसाधन)	-	-	7.84
श्रीमती शनमुगा प्रिया - पूर्व - कंपनी सचिव	3.78	16.20	13.27
डॉ. अखिलेश दुबे - स्वतंत्र निदेशक	-	-	0.15
डॉ. के.आर. शनमुगम - स्वतंत्र निदेशक	-	-	0.45
श्री मयंक गुप्ता - स्वतंत्र निदेशक	-	-	0.40
श्री राजेन विद्यार्थी - स्वतंत्र निदेशक	-	-	0.20
डॉ राजा नायक - स्वतंत्र निदेशक	0.60	1.80	0.65
श्री श्री बिलेश्वर सिन्हा - स्वतंत्र निदेशक	0.30	1.30	0.50
श्रीमती ममता पलारिया - स्वतंत्र निदेशक	0.50	1.80	0.60

* वर्ष का अंश

ग) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के इतर संबंधित परतियों के साथ लेनदेन निम्नानुसार है (पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दर्शित है):

विवरण	एसोशिएट/संयुक्त उद्यम
	इंडिया सैटकॉम लिमिटेड
माल का क्रय शून्य	शून्य
माल की बिक्री	
सेवाएँ प्रदान करना	
प्राप्त सेवाएँ	
प्राप्त किराया (लीज़)	
ब्याज आय	
निवेश पर लाभांश आय	
31.03.2023 पर बकाया ऋण (ब्याज सहित)	
31.03.2023 पर बकाया व्यापार देनदारियाँ	
31.03.2023 पर बकाया प्राप्य व्यापार	
31.03.2023 पर इक्विटी में निवेश	40.55 लाख रु. (40.55 लाख)
31.03.2023 पर बकाया कराया के लिए अग्रिम	शून्य

घ)	संबंधित पार्टियों के साथ निपटाए गए सभी लेनदेन सरल रूप में पहुँच के आधार पर है।

ङ)	सभी बकाया शेष राशि (ऋण के इतर) असुरक्षित हैं और अगले 6 महीनों के अंदर नकद में प्रतिदेय है। ऋण के बकाया शेष राशि के लिए नीचे टिप्पणी ज का संदर्भ लें।

च)	**संबंधित पार्टियों को ऋण**
	शून्य

छ)	**कर्मचारियों की प्रतिनियुक्त सहित प्रबंध अनुबंधः**
	शून्य

ज)	**सरकार एवं सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन**
	जैसा कि आईटीआई संचार मंत्रालय (एमओसी) के नियंत्रणाधीन एक सरकारी संस्था है, सरकार एवं सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन के संबंध में भारतीय लेखा मानक 24 के अधीन अपेक्षित अनुसार कंपनी ने विवरणात्मक प्रकटीकरण का प्रावधान किया है। भारतीय लेखा मानक 24 के अधीन अपेक्षित अनुसार, व्यक्तिगत रूप में महत्वपूर्ण लेनदेन नीचे दिये जाते हैं : - 1. शेयरों की पुनर्खरीद। 2. जारी बोनस। 3. प्रदत्त लाभांश।

समेकित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सदस्य, आईटीआई लिमिटेड, बेंगलूरु

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अर्हक मत

हमने आईटीआई लिमिटेड, जिसे एतद्वारा ("कंपनी") एवं इसकी सम्बद्ध कम्पनियों (कंपनी एवं इसकी एक सम्बद्ध कंपनी को एक साथ "समूह") के नाम से संदर्भित किया गया है, के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के समेकित तुलन पत्र, इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि के विवरण (अन्य वृहत आय सहित) समेकित इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण और इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना के सार के साथ साथ समेकित वित्तीय विवरणों के नोट (एतद्वारा ''समेकित वित्तीय विवरण" के नाम से संदर्भित) शामिल हैं।

हमारे मत और हमें प्रदान की गई सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के अर्हक मत के आधार खंड में वर्णित मामले के प्रभाव के अलावा ऊपर उल्लिखित वित्तीय विवरण यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 ("इंड एएस") के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 की अपेक्षाओं के अनुपालन तथा भारतीय लेखांकन मानकों एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त स्थिति के संबंध में कंपनी के क्रियाकलापों एवं वर्ष में उक्त तिथि को समेकित लाभ एवं कुल समेकित आय, इक्विटी परिवर्तन एवं इसके नकदी प्रवाह के समेकित विवरण की सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति उस विधि से करते हैं जिसकी अपेक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") में की गई है।

अर्हक मत का आधार

1. कंपनी ने चालू वित्तीय परिसम्पतियों के अंतर्गत शामिल निम्नलिखित मदों के संबंध में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण (संभावित क्रेडिट हानियां) के प्रावधान नहीं किए हैं जिनकी वसूली भी संदेहास्पद है :

   क) सी-डॉट से 31.3.2011 तक की अवधि में पड़े पर प्रदान किए गए परिसरों के किराए के प्रति 5,847.90 लाख रुपए की राशि वसूलीय है।

   ख) कंपनी की मनकापुर यूनिट के संबंध में आईटीआई, एचसीएल एवं अल्काटेल के मध्य किए गए अनुबंध के आधार पर व्यय की गई अधिक राशि के प्रति 1,690.20 लाख रुपए की राशि एचसीएल इंफोसिस्टम्स लिमिटेड से मुआवजे के रूप में वसूलीय है।

   ग) हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्यूनिकेशंस लिमिटेड से निर्णित हर्जाने के प्रति 1,049.41 लाख रुपए की राशि वसूलीय है।

   घ) माइंडएरे से साख पत्र के नकदीकरण के प्रति 1,023.00 रुपए की राशि वसूलीय है।

   तदनुसार, यदि कंपनी द्वारा ऋण हानियों के प्रति प्रावधान किए होते तो वर्ष के दौरान हानि अधिक तथा निवल चालू परिसम्पतयों में 9,610.51 लाख रुपए की कमी आती।

2. कंपनी ने कंपनी की पालक्काड यूनिट के संबंध में वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त किए गए 889 लाख रूपए के गलत जीएसटी इनपुट कर क्रेडिट को रिवर्स नहीं किया है। नैनी यूनिट के संबंध में अप्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट से संबंधित 94.42 लाख रुपए के नामे शेष है जो समय बाधित है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान लागू ब्याज सहित 983.42 लाख रुपए की राशि के निवल लाभ की अल्पोक्ति हुई है।

3. नीचे उल्लिखित मुद्दों के संबंध में, वित्तीय विवरणों की मदों पर प्रभाव के परिमाण का निर्धारण नहीं किए जा सके हैं/ निर्धारित नहीं है:

   क) कंपनी के पास व्यापार प्राप्य, बिल न किए गए नामे शेष, प्राप्य दावे तथा प्राप्य किराया के अंतर्गत दीर्घकालिक बकाया शेष हैं। ये शेष राशियाँ पार्टियों द्वारा पुष्टि एवं समाधान के अधीन हैं। समाधान से होने वाले समायोजन प्रभाव तथा बकाया के निपटान में देरी के परिणामस्वरूप कम/वसूली न होने से हानि होनी संभव है। पर्याप्त एवं उचित प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण हम इन प्राप्यों के मूल्य के साथ-साथ अन्य व्यापक आय पर होने अनिर्धारित हानियों के प्रभाव के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

   ख) कंपनी की मालसूचियों में पुरानी मालसूचियां शामिल हैं, तथा इनमें से कंपनी की विभिन्न यूनिटों में रखी गई मालसूचियों के काल, उपयोज्यता एवं सेवायोज्यता के मूल्यांकन की प्रक्रिया के माध्यम से इनके कालातीत होने के निर्धारण किए जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, हम ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं कि क्या मालसूचियों का मूल्यांकन लागत से कम मूल्य तथा निवल प्राप्य मूल्य पर किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा है तथा जिसका न किया जाना इंड एएस 2 की अपेक्षाओं का उल्लंघन हैं।

   ग) कुछ मामलों में वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में पोर्टल पर उपलब्ध फाइल किए गए विवरणों तथा इनपुट कर क्रेडिट लेखा बहियों में की गई प्रविष्टियों / शेष से मेल नहीं करते हैं। इनपुट कर क्रेडिट के संबंध में समायोजन प्रविष्टियां एवं रिवर्सल प्रक्रिया लंबित है।

   घ) कंपनी के पास स्वीकृति/स्थापना के संबंध में लंबित पूंजी कार्य प्रगति पर के संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की कुछ मदें हैं। इनमें किराए पर दी गई 6582.06 लाख रुपए की लागत का भवन शामिल है जिसका निवेश सम्पति के रूप में पूंजीयन अभी नहीं हुआ है। ऐसी मदों की एक विस्तृत सूची, उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि के साथ, इंड एएस 16/40 के अंतर्गत मूल्यह्रास के प्रावधान में हुई किसी प्रकार की न्यूनता, यदि कोई हो, को ज्ञात करने के लिए उपलब्ध करवाई गई थी, मूल्यह्रास उस तिथि से प्रारंभ किया जाना है जिस तिथि को मदें उपयोग के लिए उपलब्ध हुई थी। पर्याप्त एवं यथोचित प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण, हम इस प्रकार के विलंबित पूंजीयन के प्रभाव तथा अन्य व्यापक आय पर मूल्यह्रास प्रभावी करने से हुई परिणामी न्यूनता पर कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं।

4) वर्ष की वित्त लागत में भविष्य निधि के विलंबित भुगतान से संबंधित 3,006.98 लाख रुपये का ब्याज शामिल है। इस राशि में वर्तमान और पिछले वर्षों का ब्याज शामिल है, तथा इससे संबंधित ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

5) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करने और भुगतान में देरी के मामलों में ब्याज के भुगतान के लिए कंपनी द्वारा की गई प्रक्रिया अपर्याप्त है तथा सत्यापित नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, हम यह सत्यापन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या विलंबित भुगतान पर ब्याज के प्रावधान पूर्ण हैं अथवा नहीं हैं तथा हम कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अंतर्गत, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुपालन के संबंध में, कंपनी द्वारा किए गए प्रकटीकरण की शुद्धता एवं सटीकता के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं।

हमने समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा का निर्वाह, कंपनी अधिनियम की धारा 143(10) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों ("एसए") के अनुसरण में किया है। इन मानकों के अंतर्गत, हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तृत वर्णन हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण के खंड में वर्णित लेखापरीक्षकों के दायित्व में किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम) के प्रावधानों तथा उनके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत हमारे द्वारा की गई समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, हमारी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं के साथ साथ

इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार, जिसके अंतर्गत हम कंपनी से स्वतंत्र हैं, हमने अन्य आचार दायित्वों का अनुसरण इन अपेक्षाओं एवं आचार संहिता में की गई अपेक्षाओं की अनुरूपता में किया है। हमारा यह मानना है कि हमारे द्वारा एकत्र किए गए लेखापरीक्षा प्रमाण, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की प्रस्तुति के आधार के लिए पर्याप्त एवं यथोचित हैं।

मामले का प्रभाव

हम वित्तीय विवरणों के विभिन्न नोटों (प्रत्येक मद के प्रति संदर्भित) के अंतर्गत निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इन मामलों के संबंध में हमारे मत में कोई संशोधन नह किया गया है।

i. रूग्न औद्योगिक कंपनी अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार जब कंपनी रूग्न कंपनी घोषित की गई थी तब आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित वित्तीय सहायता के अंतर्गत पूंजी व्यय के लिए कंपनी को निधियां प्राप्त हुई थ। (नोट संख्या 31.14)

ii. कंपनी ने कुछ पार्टियों से किराए की प्राप्ति से संबंधित राजस्व स्वीकृति स्थगित की है जो पट्टे के उपबंधों का अंतिम निर्धारण न किए जाने एवं औपचारिक अनुबंध न किए जैसे विभिन्न कारणों, जो सीमित कारण नह हैं, सहित संग्रहण के प्रति अनिश्चितता की वजह से है। (नोट संख्या 31.10(ख), 31.15, 31.17 और 31.19)

iii. कंपनी बिल न किए गए 2,67,855 लाख रुपए के संचित राजस्व का वहन 'अन्य वित्तीय परिसम्पतियां चालू' के अंतर्गत कर रही है जिसकी स्वीकृति चालू वर्ष में एवं पिछले कुछ वर्षों के दौरान की गई है। (नोट संख्या 9 (ख))

iv. मांग से संबंधित मामला विवादित होने तथा कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर किए जाने के कारण कंपनी द्वारा बीबीएमपी से प्राप्त मांग नोटिस के आधार पर सम्पति कर की मांग के संबंध में प्रावधान नह किए गए हैं, (नोट संख्या 31.10 (क)(ii))

v. कंपनी द्वारा निर्दिष्ट अनुपात के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों तथा कंपनी सचिव की नियुक्ति से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन नह किया गया है। (नोट संख्या 31.36)

vi. केरल सरकार से पुनःधारण की सूचना प्राप्ति के प चात भी कंपनी सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के अंतर्गत 77 एकड़ माप की भूमि के 19,470 लाख रुपए के वहन मूल्य का वहन कर रही है जो इसके संबंध में शीर्ष न्यायालय में कंपनी की ओर से दाखिल विवाद न्यायाधीन होने के कारण है। शाखा लेखापरीक्षकों से प्राप्त सूचना के अनुसार (नोट संख्या 31.21(i))

vii तुलन पत्र की तिथि को निवेश सम्पतियों के संबंध में उचित मूल्य का प्रकटीकरण नह किया गया है। (नोट संख्या 3(iv))

viii. कंपनी की पालक्काड यूनिट ने मेसर्स कार्वी डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड तथा मैसर्स टैल्वा सिस्टम्स से काफी समय से प्राप्य से संबंधित बैंक-एंड साझेदारों की सदृश देयता के समंजन के प चात केवल 242 लाख रुपए के अशोध्य नामे के प्रावधान किए हैं। (नोट संख्या 31.22)

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले, वे मामले हैं, जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा से जुड़े हमारे व्यावसायिक निर्धारण के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में इन मामलों पर मत के निर्धारण के लिए हमने समग्र रूप से विचार किया है, तथा ऐसे मामलों के लिए हम अलग से अपनी कोई राय प्रस्तुत नह कर रहे हैं। हमारे द्वारा निर्धारित किए गए नीचे प्रस्तुत मामले हमारी रिपोर्ट में सूचित प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया
ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व: राजस्व के संबंध में किया जाने वाला लेखांकन वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति के प्रति लेखांकन नीतियों के आधार पर राजस्व की स्वीकृति किए जाने की प्रक्रिया है। नियत मूल्य, नियत समय काल अनुबंध जैसी परियोजनाओं (सेवा/निर्माण अनुबंध), जिनके निष्पादन दायित्व कार्य पूर्णता के अनुसार पूर्ण होते हैं, से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति इनपुट (कार्य पूर्णता के प्रतिशत) विधि के उपयोग से की जाती है। इनपुट एवं उत्पादकता में प्रत्यक्ष संबंध होने के कारण प्रयासों अथवा लागतों में होने वाली वृद्धि कार्य पूर्णता की प्रगति के निर्धारण के लिए होता है। कार्य पूर्णता की प्रगति का मापन कुल लागतों अथवा प्रयासों के प्रति किसी तिथि तक व्ययित लागतों अथवा प्रयासों (जो निष्पादित कार्य के अनुसार हैं) के अनुपात के अनुसार किया जाता है। कार्य निष्पादन के प्रतिशत की विधि के उपयोग के लिए कंपनी से कुल अनुमानित प्रयासों अथवा व्यय की जाने वाली लागतों के अनुपात में किसी तिथि को वास्तविक प्रयासों अथवा व्यय की गई लागतों का निर्धारण करने की अपेक्षा है। कुल प्रयासों अथवा लागतों के अनुमान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने अपेक्षित होते हैं तथा अद्यतन उपलब्ध सूचना पर आधारित परिवर्तनों की पूर्ण अवधि के दौरान प्रस्तुति किए जाने के लिए इनका मूल्यांकन किया जाता है। हमने प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में राजस्व स्वीकृति को संज्ञान में लिया है क्योंकि अनुबंध की पूर्ण अवधि के दौरान प्रयासों एवं लागतों के अनुमान आंकने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने अपेक्षित होते हैं तथा इनमें अद्यतन उपलब्ध सूचना के आधार पर अनुबंध की अवधि में अनुबंध की प्रगति के अनुसार संशोधन करने पड़ते हैं। अनुमान में उच्चस्तर अंतर्निहित अनिश्चितता व्याप्त होती है जिसके लिए अनुबंध की प्रगति, अब तक व्ययित प्रयासों अथवा लागतों तथा अनुबंध के काल के शेष निष्पादन दायित्वों की पूर्ति के लिए अपेक्षित प्रयासों एवं लागतों के अनुमानों पर विचार किया जाना अपेक्षित होता है।	प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं, निम्नलिखित सहित निर्धारित मूल्य के अनुबंधों की पूर्णता से संबंधित कुल संभावित लागतों अथवा प्रयासों के अनुमानों के संबंध में है: हमने (1) शेष अनुबंध निष्पादन दायित्वों को पूर्ण करने के लिए व्यय किए गए प्रयासों अथवा लागतों अथवा अपेक्षित प्रयासों अथवा लागतों की समीक्षा एवं (2) किए गए प्रयासों को रिकार्डबद्ध करने के अनाधिकृत परिवर्तनों से बचाव की रिकार्डिंग एवं निर्धारण प्रणालियों से संबंधित नियंत्रणों की समीक्षा के लिए नियंत्रणों प्रभाव्यता की जांच की है। हमने नियत मूल्य अनुबंध के लेखांकन के लिए उपयोग में लाई गई निष्पादन प्रतिशत विधि के एक नमने का चयन किया है एवं निम्नानुसार निष्पादन किए है: • कंपनी द्वारा व्यय किए गए प्रयासों अथवा लागतों की तुलना कंपनी द्वारा उन महत्वपूर्ण भिन्नताओं को संज्ञान में लेने के लिए व्यय किए गए प्रयासों अथवा लागतों के अनुमान के साथ यह मूल्यांकन करने के लिए की है कि क्या अनुबंध की पूर्ति के उद्देश्य से शेष लागतों अथवा प्रयासों के अनुमान लगाने के लिए ऐसी भिन्नताओं पर यथोचित रूप में विचार किया गया है अथवा नह किया गया है। • बिल न किए गए राजस्व के संज्ञान के लिए तुलन पत्र तिथि तक की गई बिलिंग के साथ कुल राजस्व स्वीकार्य योग्यता एवं तुलनात्मकता की गणन विधि की समीक्षा की है।

समेकित वित्तीय विवरणों एवं उससे संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में प्रबंधन चर्चा एवं वि लेषण, निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित निदेशक मंडल की रिपोर्ट व्यापार उत्तरदेयता रिपोर्ट, कॉर्पोरेट शासन एवं शेयरधारकों की सूचना से युक्त सूचना शामिल की जाती है, परन्तु इसमें एकल वित्तीय विवरण एवं उससे संबंधित लेखापरीक्षकों की हमारी रिपोर्ट शामिल नहीं होती है।

हमारे मतानुसार, समेकित वित्तीय विवरणों में अन्य सूचना को शामिल नहीं होती है तथा इसके संबंध में किसी प्रकार की आश्वासन रूपी अभिव्यक्ति अथवा उसके किसी निष्कर्ष की प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारा दायित्व अन्य सूचना को पढ़ना तथा ऐसा करते हुए अन्य सूचना में समेकित वित्तीय विवरणों अथवा लेखपरीक्षा के दौरान प्राप्त की गई जानकारियों अथवा अन्यथा स्वरूप में सामग्रीगत दुर्विवरण की प्रतीति होने पर अन्य सूचना से उसकी तारतम्यता होने अथवा न होने पर विचार करना है।

यदि हमारे निष्पादित कार्य के आधार पर, अन्य सूचना में हमारे निष्कर्ष के अनुसार कोई सामग्रीगत दुर्विवरण प्रतीत होता है तो हम से उसके तथ्य रिपोर्ट किए जाने की अपेक्षा की गई है। इसके संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

समेकित वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) अधिनियम की धारा 134(5) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, कुल व्यापक आय, इक्विटी परिवर्तन एवं नकदी प्रवाह की सत्य एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत करने वाले इन समेकित वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप करने के प्रति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में, कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा जालसाजियों एवं अन्य अनियमितताओं से उनके बचाव के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के रखरखाव करना; उचित लेखांकन नीति का चयन एवं उपयोग करना; औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत निर्णय निर्धारण करना एवं अनुमान लगाना; तथा सत्य एवं स्वच्छ प्रस्तुत करने वाले एवं प्रत्येक प्रकार सामग्रीगत मिथ्या विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त समेकित वित्तीय विवरणों का निर्माण करने एवं प्रस्तुत करने के सुनि चय के उद्देश्य से अभिकल्प करने, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णत के लिए प्रभावी प्रक्रिया कर रहे है, का कार्यान्वयन एवं सुनि चित करने का उत्तरदायित्व भी शामिल है।

यदि समूह सहित कम्पनियों के निदेशक मंडल की मंशा समूह का ऋणशोधन करने अथवा परिचालन बंद करने की नहीं है अथवा ऐसा करने के अलावा इसके पास अन्य कोई विकल्प नहीं है तो समूह में शामिल कम्पनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की गोइंग कंसर्न के आधार पर क्षमता का मूल्यांकन करने, गोइंग कंसर्न के संबंध में यथा लागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के आधार के लिए गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों एवं उनका उपयोग करने के प्रति उत्तरदायी है।

समूह सहित कंपनियों के संबंध निदेशक मंडल समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य, समेकित वित्तीय विवरणों को पूर्ण रूप से सामग्रीगत दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके, अपने मत के समावेश के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्चतर स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें की गई लेखापरीक्षा के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि समेकित प्रक्रिया के अंतर्गत की जाने वाले लेखापरीक्षा से सामग्रीगत दुर्विवरण, यदि कोई हों, की प्राप्ति नि चित तौर पर हो सकेगी । सामग्रीगत दुर्विवरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकती है अथवा इसे सामग्रीगत तभी माना जा सकता है, जब इनसे अलग-अलग अथवा समस्त रूप से इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

एकल के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान, हमें व्यावसायिक तौर पर संशयात्मक दृष्टिकोण से युक्त व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणों में सामग्रीगत दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करते हुए ऐसे जोखिमों के प्रति प्रतिक्रिया करने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के स्वरूप का निर्माण करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना है, जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हों। किसी जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण का संज्ञान न होने के जोखिम के परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां किसी साठ गांठ, धोखाधड़ी, सामिप्राय अकरण, मिथ्याकथन अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए, परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। अधिनियम की धारा 143(3)(1) के अंतर्गत, हम इस मत की अभिव्यक्ति करने के प्रति भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी द्वारा पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की गई है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता है अथवा नहीं है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता एवं प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता तथा सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह नि चय करना कि क्या ऐसी स्थितियां अथवा परिस्थितियां हैं जिनसे यह तथ्यपरक अनि चितता होती हो तथा जिनसे कंपनी की गोइंग कंसर्न की क्षमता पर किसी प्रकार का संदेह होने की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनि चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध रिपोर्ट में प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने अथवा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा की गई है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कंपनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।
- प्रकटीकरणों सहित एकल वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या इंड एएस वित्तीय विवरणों में लेन-देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं दिया गया है।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर अपने मत की अभिव्यक्ति के लिए समूह के भीतर इकाईयों के व्यावसायिक क्रियाकलापों के संबंध में यथोचित पर्याप्त लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी इकाईयों के वित्तीय विवरणों के संबंध में दिशानिर्देशन, पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के प्रति उत्तरदायी हैं।

वस्तुतः एकल वित्तीय विवरणों में अलग-अलग अथवा सामुच्य स्वरूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दुर्विवरणों की वस्तुपरकता की जटिलता कुछ इस प्रकार की होती है कि इनमें स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों का औचित्यपरक ज्ञान रखने वाले उपयोक्ता द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के कार्यक्षेत्र की योजना के निर्माण तथा अपने कार्य के परिणाम के मूल्यांकन, एवं (ii) वित्तीय विवरणों में से संज्ञान में लिए गए दुर्विवरण के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए तथ्यपरक प्रमात्रा के गुणात्मक कारकों को विचार में लेते हैं।

हम, अन्य मामलों के साथ-साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा की समय सारणी एवं लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ी खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को स्वतंत्रता से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं तथा उन्हें हमारी लेखापरीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हों, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबद्धता एवं अन्य मामलों की सम्बद्धता सूचित करने के लिए, हमने स्वयं द्वारा समेकित विवरण भी दिया है।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को सम्प्रेषित मामलों में से हमने उन मामलों का निर्धारण भी किया है, जो चालू अवधि के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं तथा जिनसे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले प्रभावित हो सकते थे। अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में हमने उन मामलों का वर्णन किया है, जो विधि अथवा विनियमों के अंतर्गत ऐसे मामलों के सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं अथवा जहां, अत्यधिक विरल परिस्थितियों में, हमारे द्वारा किन्हीं परिणामों की संभावना के कारण किसी मामले की अभिव्यक्ति न करने का निर्धारण किया गया है क्योंकि ऐसी अभिव्यक्ति किए जाने से सार्वजनिक हितों पर औचित्यपरक रूप से प्रभाव पड़ सकता है।

अन्य मामले

क) समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एक सम्बद्ध कंपनी से संबंधित समूह के अंशभाग की 24 लाख रुपए की निवल हानि भी शामिल है जिसके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा उसके स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है। इस इकाई के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा हमारे मतानुसार जहां तक इनकी सम्बद्धता इन इकाईयों के संबंध में शामिल राशियों एवं प्रकटीकरणों से है, ये केवल इन लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं तथा हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाएं उपर्युक्त पैराग्राफ में किए गए उल्लेख के अनुसार हैं।

ख) हमने कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल मानकपुर, रायबरेली, गिनगर, नैनी एवं पालक्काड शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है तथा इन एकल वित्तीय विवरणों (अंतर-यूनिट शेषों एवं संव्यवहारों के अलावा) में 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार 2,96,230.66 लाख रुपए की कुल परिसम्पतियां एवं इसी तिथि को समाप्त वर्ष की कुल आय 17,057.64 लाख रुपए दर्शाई गई है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों ने की है एवं इनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारे मतानुसार, इन शाखाओं के संबंध में शामिल की गई राशियों एवं प्रकटीकरणों की सम्बद्धता केवल इन शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ ही है।

समेकित वित्तीय विवरणों एवं नीचे प्रस्तुत अन्य विधिक एवं विनियमक अपेक्षाओं की हमारी रिपोर्ट के संबंध में हमारे मत, उपर्युक्त मामलों पर हमारे द्वारा किए गए कार्यों की विश्वसनीयता के संदर्भ में, परिवर्तित नहीं किए गए हैं तथा अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों एवं वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना का प्रमाणन प्रबंधन द्वारा किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हमारी लेखापरीक्षा एवं "अन्य मामलों" के पैराग्राफ में संदर्भित सम्बद्ध कंपनी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि यथा विस्तारितः

   क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जिनकी आवश्यकता हमें हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के प्रयोजन से थी;

   ख) हमारे मतानुसार, विधिक अपेक्षाओं के अनुसार लेखा बहियों का उचित रखरखाव किया गया है, जो कि हमें उपर्युक्त इंड एएस समेकित विवरणों के संबंध में लेखापरीक्षा के प्रयोजन से अपेक्षित इन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत हुआ है;

   ग) इस रिपोर्ट में वर्णित समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ व हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित इक्विटी परिवर्तन विवरण एवं समेकित नकदी प्रवाह विवरण समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के निर्माण के उद्देश्य से अनुरक्षित की गई लेखाबहियों से मेल खाते हैं;

   घ) हमारे मतानुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

   (ङ.) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5.6.2015 की अधिसूचना सूचना जीएसआर 463 (ई) के अनुसरण में निदेशकों की अनर्हता से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं ।

   (च) प्रबंधन पारिश्रमिक का भुगतान चूंकि भारत सरकार से प्राप्त पत्र के अनुसार किया जाता है इसलिए धारा 197 के प्रावधान (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के उपबंधों के अंतर्गत) सरकारी कंपनी के संबंध में लागू नहीं है।

   (छ) कंपनी तथा इसकी सम्बद्ध कम्पनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता का विवरण "अनुलग्नक-क" में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में दिया गया है;

   (ज) लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11, यथासंशोधित, के अनुसरण में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा "अन्य मामलों" के पैराग्राफ में वर्णित सहायक कंपनी एवं इसकी सम्बद्ध कम्पनियों के अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की अन्य सूचना के आधार पर भी, हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:-

      i. समेकित वित्तीय विवरणों में लम्बित न्यायाधीन मामलों से समूह की समेकित वित्तीय पर होने वाले प्रभाव का प्रकटीकरण किया गया है ।

      ii. लागू कानून अथवा भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार समूह से सम्बद्ध उक्त मदों के के लिए दीर्घकालिक अनुबंधों के प्रति पूर्वानुमानित सामग्रीगत हानियों, यदि कोई हों, के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में प्रावधन किए गए हैं तथा

      iii. धारक कंपनी एवं भारत में निगमित इसकी सम्बद्ध कम्पनियों द्वारा निदेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरण के लिए अपेक्षित किन्हीं राशियों का अंतरण करने में किसी प्रकार की देरी नहीं की गई है।

      iv. (क) कंपनी के संबंधित प्रबंधन एवं इसकी सहायक कम्पनियों, जो भारत में निगमित हैं, जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के अंतर्गत लेखापरीक्षा हुई है, द्वारा हमें दी गई प्रस्तुतियों के अनुसार, उनकी जानकारी एवं विश्वास में कोई भी निधियां (जो वैयक्तिक अथवा समुच्चय में सामग्रीगत हैं) विदेशी इकाई ("मध्यस्थों") सहित किसी अन्य व्यक्ति अथवा इकाई को कंपनी अथवा किसी एक सहायक कंपनी द्वारा अग्रिम अथवा ऋण अथवा निवेश (ऋण पर प्राप्त निधियों अथवा शेयर प्रीमियम अथवा अन्य किन्हीं स्रोतों अथवा अन्य प्रकार की निधियों में से किसी में से) के लिए इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, नहीं के साथ नहीं किया गया है कि मध्यस्थ द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूप में, अन्य व्यक्तियों अथवा कंपनी अथवा किसी सहायक कंपनी ("अंतिम लाभग्राहियों") की ओर से किसी भी विधि से निर्धारित इकाईयों को ऋण अथवा उनमें निवेश के लिए अथवा किसी गारंटी, प्रतिभूति अथवा अंतिम लाभग्राहियों की ओर किसी

प्रकार की प्रतिभूति के लिए प्रदान की जाएंगी।

(ख) कंपनी के संबंधित प्रबंधन एवं इसकी सहायक कम्पनियों, जो भारत में निगमित हैं, जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के अंतर्गत लेखापरीक्षा हुई है, द्वारा हमें दी गई प्रस्तुतियों के अनुसार, उनकी जानकारी एवं विश्वास में कोई भी निधियां (जो वैयक्तिक अथवा समुच्चय में सामग्रीगत हैं) कंपनी अथवा ऐसी सहायक कम्पनियों को किसी व्यक्ति अथवा इकाई, विदेशी इकाई ("निधियन पार्टियां") सहित, से इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ प्राप्त नहीं हुई है कि कंपनी अथवा किसी सहायक कंपनी द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, इसे अन्य व्यक्तियों अथवा निधियन पार्टी ("अंतिम लाभग्राहियों") द्वारा अथवा की ओर से किसी विधि से निर्धारित इकाईयों को ऋण के रूप में अथवा निवेश के लिए अथवा किसी प्रकार की गारंटी, प्रतिभूति, अथवा समान प्रकार की प्रतिभूति के लिए अंतिम लाभग्राहियों की ओर से प्रदान की जाएगी।

(ग) हमारे द्वारा औचित्यपरक एवं संगत परिस्थितियों के अनुसार कंपनी एवं इसकी सहायक कम्पनियों, जो भारत में निगमित कम्पनियां हैं तथा जिनके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम के अंतर्गत की गई है, के संबंध में की गई लेखापरीक्षा के आधार पर; हमारे जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे यह विश्वास स्थापित हो सके कि उप-खंड (क) एवं (ख) के अंतर्गत, उपर्युक्त उप-खंड (i) एवं (ii) में की गई प्रस्तुति के अनुसार, किसी प्रकार का कोई मिथ्या कथन है।

v. वर्ष के दौरान कंपनी अथवा इसके एसोसिएट्स ने न तो कोई घोषणा की है और न ही लाभांश का भुगतान किया है तथा इस प्रकार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुपालन पर किसी प्रकार की टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

2. केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 143(11) के उपबंधों की अपेक्षाओं के अनुसार जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश ("आदेश"/ "सीएआरओ") के पैराग्राफ 3(xxi) एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, जिसे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किया जाना है, हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा कंपनी एवं समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल इसकी एसोसिएट्स, जिनके संबंध में सीएआरओ के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षित है, के लिए जारी सीएआरओ रिपोर्टों के आधार पर हम नीचे कम्पनियों के विवरण एवं सीएआरओ रिपोर्ट में की गई अर्हताओं अथवा प्रतिकूल टिप्पणियों के पैराग्राफों की संख्या का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं:

क्र. सं.	नाम / सीआईएन	सीआईएन	धारक कंपनी / सहायक कंपनी / सम्बद्ध कंपनी / संयुक्त उद्यम	सीएआरओ रिपोर्ट के खंड नम्बर जिनमें अर्हता अथवा प्रतिकूल टिप्पणियां हैं
1.	आईटीआई लिमिटेड	एल32202केए1950जीओआई000640	धारक कंपनी	खंड (i)(क)(क), (i)(ख), (i)(ग), (ii)(क), (vii)(क), (viii)(ख), (ix)(क), (xiv)(क) तथा (xvii)
2.	इंडिया सैटकॉम लिमिटेड	यू85110केए1987पीएलसी008639	सम्बद्ध कंपनी	खंड (xvii)

कृते **जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
[एफआरएन: 000863एस]

यूडीआईएन: 23205296बीजीडब्ल्यूआरपीएस3755
राजगोपाल ए.
साझेदार
सदस्यता संख्या 205296

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 29 मई, 2023

आईटीआई लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के रूप में समेकित ईंड एएस पर सम तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक "अ"

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 के उपधारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के रूप में समेकित भारतीय लेखा मानक के हमारे ऑडिट के साथ, हमने आईटीआई लिमिटेड और उसके संयुक्त उद्यम इंडिया सैटकॉम लिमिटेड की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया, जो उस तिथि के अनुसार भारत में शामिल की गई कंपनियाँ हैं (साथ में कंपनी कहा जाता है) ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

कंपनी के निदेशक मण्डल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मापदंड पर आधारित आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना एवं अनुरक्षण के लिए जवाबदेह है। इस जवाबदेही में, कंपनी की आस्ति की सुरक्षा के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षित अनुसार पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण, जो कि कंपनी की नीतियों, आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाना एवं रोकथाम, लेखा अभिलेखों की यथार्थता और पर्याप्तता, विश्वसनीय वित्तीय विवरणों की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय को विवेकपूर्ण एवं सशक्त रूप में संचालन सुनिश्चित करना भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों की ज़िम्मेदारी

हमारा दायित्व हमारी लेखा परीक्षा कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी राय व्यक्त करनी है। हमने अपनी लेखापरीक्षा को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी ("दिशानिर्देश टिप्पणी") तथा लेखापरीक्षा के मानकों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित अनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होने के अनुसार किया है। उन मानकों और दिशानिर्देश टिप्पणियों की यह अपेक्षा होती है कि हम नीतिगत आवश्यकताओं का पालन करें तथा योजना बनाएँ और उचित आश्वासन/विश्वास प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करें चाहे वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित हों तथा ऐसे नियंत्रण सभी यथार्थ मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हों।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभाविकता प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, मौजूद भौतिक कमजोरियों की जोखिम का आकलन करना, आकलित जोखिम के आधार आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन एवं परिचालन प्रभाविकता को मूल्यांकित करना शामिल है। वित्तीय विवरणों के पथार्थ गलत अनुमान की जोखिम, चाहे वह धोखा या त्रुटि से हो, का आकलन करने सहित चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है।

हमें विश्वास है कि हमारी द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त एवं उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आमतौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में व नीतियाँ और प्रक्रियाँ सम्मिलित हैं कि-

(1) समुचित विवरणों के साथ सही अभिलेखों के अनुरक्षण को कंपनी की आस्तियों के लेनदेन तथा स्वभाव को यथार्थतः एवं प्रतिबिंबित करने के संबंधे में प्रदान करता है;

(2) आमतौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आवश्यक लेनदेन अभिलेखित किए जाए और प्रबंधन एवं कंपनी के निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार कंपनी की प्राप्ति एवं व्यय तैयार किए जाने का समुचित आश्वासन प्रदान करना; और

(3) वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डालनेवाले कंपनी की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण के रोकथाम या समय पर पता लगाना, उपयोग, या स्वभाव के संबंध में समुचित आश्वासन प्रदान करता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की कपटसंधि या अनुचित प्रबंधन प्रत्यादिश्तों सहित त्रुटि या धोखाधड़ी की वजह से भौतिक गलत बयान हो सकते हैं और पता लगाया नह जाता। इसके अलावा, भावी समय के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन के अनुमान उस जोखिम पर निर्भर होते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन, या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन बिगड़ जाने के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है।

अन्य मामले

वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय आंतरिक नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता की पर्याप्तता के संबंध में अधिनियम की धारा 143(3) (i) के अंतर्गत हमारी उपर्युक्त रिपोर्टों की सम्बद्धता :

- हमारी एक सम्बद्ध कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनी है, से है तथा तदनुसार यह उनके लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है।
- मनकापुर, रायबरेली, श्रीनगर, नैनी और पालक्काड शाखाओं का लेखापरीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है

जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, तथा हमारे मतानुसार, इन शाखाओं के संबंध में शामिल वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार प्रचालनात्मक प्रभाव्यता का जहां तक संबंध है, वह केवल इन सहभागी/शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। इन मामलों के संबंध में हमारा मत संशोधित नह किया गया है।

अर्हक मत

हमारी सूचना एव हमें दिए गए स्पष्टीकरणों, तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित सामग्रीगत न्यूनताएं पाई गई हैं:

i. कंपनी में आवधिक आधार पर बकायों की पुष्टि, एवं मिलान न किए गए प्राप्यों, अग्रिमों एवं देयताओं के समाधान के लिए यथोचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है।

ii. कंपनी के पास वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में प्रविष्टियों, अपात्र इनपुट कर क्रेडिट का लेखांकन समय पर करने एवं फाइल किए गए विवरणों में लेखा बकायों का समाधान करने के लिए प्रभावी प्रणाली नहीं है।

iii. रायबरेली यूनिट में, ईआरपी साफ्टवेयर बीएएएन को यथोचित रूप से अपडेट नहीं किया गया है तथा लेखापरीक्षा की प्रक्रिया को विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार पूरा किया गया था।

iv. उपयोक्ता विभाग द्वारा लेखा विभाग को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मदों के संस्थापन एवं स्वीकृति से संबंधित सूचना की प्रस्तुति में होने वाले विलंब से बचाव के सुनिश्चय के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर है जिसके परिणामस्वरूप कुछ मामलों में मूल्यह्रास के बैकलॉग का लेखांकन हुआ है।

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंडों के लक्ष्यों की उपलब्धि के संबंध में ऊपर वर्णित सामग्रीगत न्यूनताओं के प्रभाव / संभावित प्रभाव के अलावा, कंपनी, इसकी एक सम्बद्ध कंपनी, जो भारत में निगमित है, में अनुरक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रणाली प्रत्येक सामग्रीगत दृष्टिकोण पर्याप्त है तथा ये वित्तीय नियंत्रण, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए जारी मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक रिपोर्टिंग के अनिवार्य घटकों को विचार में लेकर कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार प्रभारी रूप से कार्य कर रहे थे।

स्थानः बेंगलूरु
दिनांकः 29 मई 2023

कृते जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 000863एस

यूडीआईएनः 23205296बीजीडब्ल्यूआरपीएस3755
राजगोपाल ए
साझेदार
सदस्यता संख्या 205296

अनुपालना प्रमाण-पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के खातों की लेखापरीक्षा की और प्रमाणित किया कि हमें जारी सभी निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते **जीआरएसएम एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 000863एस

यूडीआईएनः 23205296बीजीडब्ल्यूआरपीएस3312

राजगोपाल ए
साझेदार
सदस्यता संख्या 205296

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 29 मई 2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के(एकल) वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालपेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अपने मत की अभिव्यक्ति के प्रति उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 29.05.2023 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ऐसा कर लिया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील दस्तावेजों तक किसी प्रकार की पहुंच के बिना की गई है तथा यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी कार्मिकों से की गई पूछताछ एवं चयनित कुछ लेखांकन रिकार्डों की जांच किए जाने तक ही सीमित है।

मेरे पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं, यह उल्लेख करना चाहता हूं कि मेरी जानकारी में अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामले आए हैं तथा ये मेरे मतानुसार, कंपनी के वित्तीय विवरणों एवं उससे संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समझ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं:

लाभप्रदत्ता के संबंध में टिप्पणी

लाभ एवं हानि लेखा

व्यय

1. **वित्त लागत (नोट 28) - 20958.40 लाख रुपए**

   वर्ष 2022-23 के सॉफ्ट ऋण पर अतिदेय ब्याज और मूल राशि के संबंध में दूरसंचार विभाग को देय जुर्माना ब्याज के प्रावधान शामिल न किए जाने के कारण उपरोक्त मद में 85.56 लाख रुपए की राशि की न्यूनोक्ति हुई है।

   इसके परिणामस्वरूप समान राशि की हानि की भी न्यूनोक्ति हुई है।

2. **अन्य व्यय (नोट 30)- 13892.97 लाख रुपए**

   वर्ष 2022-23 के दौरान बेंगलूरु संयंत्र की एनएस यूनिट तथा आरओ, कोलकाता में विभिन्न विक्रेताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के देय बिलों का प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप उपरोक्त मद में 115.66 लाख रुपए की राशि की न्यूनोक्ति हुई है।

   इसके परिणामस्वरूप समान राशि की हानि की भी न्यूनोक्ति हुई है।

3. **अतिरिक्त प्रकटीकरण (नोट संख्या 31)**

   (i) आईटीआई लिमिटेड द्वारा केआर. पुरम, बेंगलूरु में अधिग्रहीत 1320 वर्ग मीटर के मुआवजे के लिए दक्षिण पश्चिम रेलवे से 2908.01 लाख रुपए की राशि प्राप्य के रूप में दर्शाई गई है। तथापि, आईटीआई लिमिटेड एवं दक्षिण पश्चिम रेलवे के मध्य दिनांक 16 मार्च, 2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार यह राशि 1172.16 लाख रुपए है। इस तथ्य का प्रकटीकरण लेखा बहियों में नहीं किया गया है।

   (ii) आईटीआई लिमिटेड द्वारा कंसोर्टियम बैंकर्स के पास, अग्रणी बैंक के रूप में भारतीय स्टेट बैंक, गिरवी रखी गई भूमि के अधिग्रहण के संबंध में कर्नाटक इंडस्ट्रीयल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (केआईएडीबी) को प्रस्तुत प्रतिबद्धता का प्रकटीकरण नहीं किया है। कंपनी ने केआईएडीबी के साथ यह प्रतिबद्धता की थी कि यदि कंसोर्टियम बैंक द्वारा उपरोक्त अधिग्रहण के संबंध में कोई आपत्ति की जाएगी तो मुआवजे की राशि भारतीय स्टेट बैंक में जमा कर दी जाएगी। कंपनी द्वारा 1539.17 लाख रुपए की स्वीकृति अपनी आय के रूप में की गई है जो कि इस भूमि के अधिग्रहण के प्रति केआईएडीबी प्राप्त मुआवजे की राशि है।

4. **आकस्मिक देयता - नोट 31(10)**

   उपर्युक्त शीर्ष के अंतर्गत 375.79 लाख रुपए की राशि की न्यूनोक्ति की गई है जो कि किए गए प्रकटीकरण के अंतर्गत मध्यस्था निर्णय के अनुपालन में आईटीआई लिमिटेड द्वारा मैसर्स एल्फियन कॉर्पोरेशन को देय है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के
निमित्त एवं उनकी ओर से

(रोली शुक्ला मालगे)
महानिदेशक (लेखापरीक्षा)
(वित्त एवं संचार)

स्थानः दिल्ली
तिथि : 10 अगस्त 2023

आईटीआई लिमिटेड के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लेखों (एकल) पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई टिप्पणियों के लिए कंपनी के उत्तर।

	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	कंपनी के उत्तर
1.	**लाभप्रदता के संबंध में टिप्पणी** **लाभ एवं हानि विवरण** **व्यय :** **1. वित्त लागत (टिप्पणी 28) - 20958.40 लाख रुपए** उपर्युक्त शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के सॉफ्ट ऋण पर अतिदेय ब्याज और मूल राशि के संबंध में दूरसंचार विभाग को देय जुर्माना ब्याज के प्रावधान शामिल न किए जाने के कारण 85.56 लाख रुपए की राशि की न्यूनोक्ति हुई है। इसके परिणामस्वरूप, समान राशि की हानि की न्यूनोक्ति भी हुई है।	आर्थिक संकट एवं निधियों की कमी के कारण आईटीआई द्वारा दूरसंचार विभाग को साफ्ट ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया जा सका है। एरकॉन-IV परियोजना लंबित होने के कारण बिलिंग नहीं की जा सकी है जिसके कारण निधियों का अंतर्प्रवाह प्रभावित हुआ है तथा इसके परिणामस्वरूप कंपनी लक्ष्यबद्ध टर्नओवर की प्राप्ति नहीं कर पाई थी तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान घाटे वहन करने पड़े थे। अतः मूल राशि का भुगतान नहीं किया गया था। आईटीआई लिमिटेड द्वारा दूरसंचार विभाग से निरंतर ये अनुरोध किए जा रहे हैं कि पूर्वकाल में की गई कार्रवाई के अनुसार इस साफ्ट ऋण को अनुदान सहायता में परिवर्तित कर दें तथा यह भी कि कंपनी बीआईएफआर से अभी बाहर नहीं हुई है।
2.	**अन्य व्यय (नोट 30)- 13892.97 लाख रुपए** उपर्युक्त शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के दौरान बेंगलुरु संयंत्र की एनएस यूनिट तथा आरओ, कोलकाता में विभिन्न विक्रेताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के देय बिलों का प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप उपरोक्त मद में 115.66 लाख रुपए की राशि की न्यूनोक्ति हुई है। इसके परिणामस्वरूप समान राशि की हानि की भी न्यूनोक्ति हुई है।	बिलों के देर से प्राप्त होने तथा अवधि के दौरान पास न किए जाने के परिणामस्वरूप चूकवश लेखा बहियों में इनका लेखांकन नहीं हो पाया था।
3.	**अतिरिक्त प्रकटीकरण (नोट संख्या 31)** (i) आईटीआई लिमिटेड द्वारा के.आर. पुरम, बेंगलुरु में अधिग्रहीत 1320 वर्ग मीटर के मुआवजे के लिए दक्षिण पश्चिम रेलवे से 2908.01 लाख रुपए की राशि प्राप्य के रूप में दर्शाई गई है। तथापि, आईटीआई लिमिटेड एवं दक्षिण पश्चिम रेलवे के मध्य दिनांक 16 मार्च, 2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार यह राशि 1172.16 लाख रुपए है। इस तथ्य का प्रकटीकरण लेखा बहियों में नहीं किया गया है।	आईटीआई लिमिटेड द्वारा विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी को दिनांक 8.5.2023 के पत्र सं. आईटीआई/बीजीपी/एचआर/2021/8009 के माध्यम से यह प्रस्तुति दी गई थी कि कंपनी दिनांक 14.3.2023 के पत्र के माध्यम से सूचित दर प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है तथा इसमें मध्यस्थता करने एवं दिनांक 29.2.2020 के दौरान निर्धारित 2,908.01 लाख रुपए की राशि के मूल निर्धारित मुआवजा मूल्य को बनाए रखने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकरण द्वारा लिया गया एक तरफा निर्णय आईटीआई को स्वीकार्य नहीं है तथा तदनुसार मूल राशि को बहाल करने के लिए यह मामला सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, लेखा बहियों में इस कमी का लेखांकन नहीं किया गया है।
	(ii) आईटीआई लिमिटेड द्वारा कंसोर्टियम बैंकर्स के पास, अग्रणी बैंक के रूप में भारतीय स्टेट बैंक, गिरवी रखी गई भूमि के अधिग्रहण के संबंध में कर्नाटक इंडस्ट्रीयल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (केआईएडीबी) को प्रस्तुत प्रतिबद्धता का प्रकटीकरण नहीं किया है। कंपनी ने केआईएडीबी के साथ यह प्रतिबद्धता की थी कि यदि कंसोर्टियम बैंक द्वारा उपरोक्त अधिग्रहण के संबंध में कोई आपत्ति की जाएगी तो मुआवजे की राशि भारतीय स्टेट बैंक में जमा कर दी जाएगी। कंपनी द्वारा 1539.17 लाख रुपए की स्वीकृति अपनी आय के रूप में की गई है जो कि इस भूमि के अधिग्रहण के प्रति केआईएडीबी प्राप्त मुआवजे की राशि है।	कंपनी द्वारा अपने दिनांक 6.4.2022 के पत्र के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक, कंसोर्टियम का अग्रणी बैंक, के सम्मुख इलेक्ट्रोनिक सिटी, बेंगलुरु में स्थित भूमि के संबंध में एनएचएआई एवं बीएमआरसीएल से पूर्वकाल में अधिग्रहित भूमि के विवरण के साथ भूमि की स्थिति का प्रकटीकरण प्रस्तुत कर दिया था तथा उनसे कर्नाटक इंडस्ट्रीयल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (केआईडीबी) द्वारा बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना के लिए इलेक्ट्रानिक सिटी, बेंगलुरु में स्थित 738 वर्गमीटर भूमि का अधिग्रहण किए जाने के संबंध में अनापत्ति मांगी थी। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से औचित्यपरक समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई थी। इससे यह मान लिया गया था कि भारतीय स्टेट बैंक को इससे कोई आपत्ति नहीं है तथा तदनुसार कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।
4.	**आकस्मिक देयता - नोट 31(10)** उपर्युक्त शीर्ष के अंतर्गत 375.79 लाख रुपए की राशि की न्यूनोक्ति की गई है जो कि किए गए प्रकटीकरण के अंतर्गत मध्यस्था निर्णय के अनुपालन में आईटीआई लिमिटेड द्वारा मैसर्स एल्किएन कॉर्पोरेशन को देय है।	इस मामले के संबंध में हुई नई गतिविधियों के कारण यह नोट संशोधित किया गया माना गया है। इस राशि का सही उल्लेख नहीं हुआ था। कंपनी इसके संबंध में वर्ष 2023-24 के दौरान वृहद एवं सही प्रकटीकरण की प्रस्तुति कर देगी।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 10052045

स्थान : बेंगलुरु
दिनांक : 11 अगस्त, 2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के (समेकित) वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालपेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अपने मत की अभिव्यक्ति के प्रति उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 29.05.2023 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ऐसा कर लिया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमारे द्वारा आईटीआई लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई है परन्तु उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के संबंध में हमने सत्काम लिमिटेड (संयुक्त नियंत्रित इकाई) के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। **इसके अलावा, लागू सम्बद्ध कानूनों के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति किए जाने तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा किए जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 139(5) एवं 143(6)(क) के प्रावधान, एक निजी इकाई होने के कारण, सत्काम लिमिटेड के संबंध में लागू नहीं हैं। तदनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा न तो किसी सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की गई है और न ही कंपनी के संबंध में अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई है।** यह अनुपूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील दस्तावेजों तक किसी प्रकार की पहुंच के बिना की गई है तथा यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी कार्मिकों से की गई पूछताछ एवं चयनित कुछ लेखांकन रिकार्डों की जांच किए जाने तक ही सीमित है।

मेरे पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं, यह उल्लेख करना चाहता हूं कि मेरी जानकारी में अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामले आए हैं तथा ये मेरे मतानुसार, कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों एवं उससे संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समझ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं:

लाभप्रदत्ता के संबंध में टिप्पणी

लाभ एवं हानि लेखा

व्यय

1. **वित्त लागत (नोट 28) - 20958.40 लाख रुपए**

   वर्ष 2022-23 के सॉफ्ट ऋण पर अतिदेय ब्याज और मूल राशि के संबंध में दूरसंचार विभाग को देय जुर्माना ब्याज के प्रावधान शामिल न किए जाने के कारण उपरोक्त मद में 85.56 लाख रुपए की राशि की न्यूनोक्ति हुई है।

   इसके परिणामस्वरूप समान राशि की हानि की भी न्यूनोक्ति हुई है।

2. **अन्य व्यय (नोट 30) - 13892.97 लाख रुपए**

   वर्ष 2022-23 के दौरान बेंगलूरु संयंत्र की एनएस यूनिट तथा आरओ, कोलकाता में विभिन्न विक्रेताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के देय बिलों का प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप उपरोक्त मद में 115.66 लाख रुपए की राशि की न्यूनोक्ति हुई है।

   इसके परिणामस्वरूप समान राशि की हानि की भी न्यूनोक्ति हुई है।

3. **अतिरिक्त प्रकटीकरण (नोट संख्या 31)**

   (i) आईटीआई लिमिटेड द्वारा के.आर. पुरम, बेंगलुरु में अधिग्रहीत 1320 वर्ग मीटर के मुआवजे के लिए दक्षिण पश्चिम रेलवे से 2908.01 लाख रुपए की राशि प्राप्य के रूप में दर्शाई गई है। तथापि, आईटीआई लिमिटेड एवं दक्षिण पश्चिम रेलवे के मध्य दिनांक 16 मार्च, 2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार यह राशि 1172.16 लाख रुपए है। इस तथ्य का प्रकटीकरण लेखा बहियों में नहीं किया गया है।

   (ii) आईटीआई लिमिटेड द्वारा कंसोर्टियम बैंकर्स के पास, अग्रणी बैंक के रूप में भारतीय स्टेट बैंक, गिरवी रखी गई भूमि के अधिग्रहण के संबंध में कर्नाटक इंडस्ट्रीयल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (केआईएडीबी) को प्रस्तुत प्रतिबद्धता का प्रकटीकरण नहीं किया है। कंपनी ने केआईएडीबी के साथ यह प्रतिबद्धता की थी कि यदि कंसोर्टियम बैंक द्वारा उपरोक्त अधिग्रहण के संबंध में कोई आपत्ति की जाएगी तो मुआवजे की राशि भारतीय स्टेट बैंक में जमा कर दी जाएगी। कंपनी द्वारा 1539.17 लाख रुपए की स्वीकृति अपनी आय के रूप में की गई है जो कि इस भूमि के अधिग्रहण के प्रति केआईएडीबी प्राप्त मुआवजे की राशि है।

4. **आकस्मिक देयता - नोट 31(10)**

उपर्युक्त शीर्ष के अंतर्गत 375.79 लाख रुपए की राशि की न्यूनोक्ति की गई है जो कि किए गए प्रकटीकरण के अंतर्गत मध्यस्था निर्णय के अनुपालन में आईटीआई लिमिटेड द्वारा मैसर्स एल्कियन कॉर्पोरेशन को देय है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के
निमित्त एवं उनकी ओर से

(रोली शुक्ला मालगे)
महानिदेशक (लेखापरीक्षा)
(वित्त एवं संचार)

स्थान: दिल्ली
तिथि : 10 अगस्त 2023

आईटीआई लिमिटेड के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लेखों (समेकित) पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई टिप्पणियों के लिए कंपनी के उत्तर।

	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	कंपनी के उत्तर
1.	**लाभप्रदता के संबंध में टिप्पणी** **लाभ एवं हानि विवरण** **व्यय :** **1. वित्त लागत (टिप्पणी 28) - 20958.40 लाख रुपए** उपर्युक्त शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के सॉफ्ट ऋण पर अतिदेय ब्याज और मूल राशि के संबंध में दूरसंचार विभाग को देय जुर्माना ब्याज के प्रावधान शामिल न किए जाने के कारण 85.56 लाख रुपए की राशि की न्यूनोक्ति हुई है। इसके परिणामस्वरूप, समान राशि की हानि की न्यूनोक्ति भी हुई है।	आर्थिक संकट एवं निधियों की कमी के कारण आईटीआई द्वारा दूरसंचार विभाग को साफ्ट ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया जा सका है। एस्कॉन-IV परियोजना लंबित होने के कारण बिलिंग नहीं की जा सकी है जिसके कारण निधियों का अंतर्प्रवाह प्रभावित हुआ है तथा इसके परिणामस्वरूप कंपनी लक्ष्यबद्ध टर्नओवर की प्राप्ति नहीं कर पाई थी तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान घाटे वहन करने पड़े थे। अतः मूल राशि का भुगतान नहीं किया गया था। आईटीआई लिमिटेड द्वारा दूरसंचार विभाग से निरंतर ये अनुरोध किए जा रहे हैं कि पूर्वकाल में की गई कार्रवाई के अनुसार इस साफ्ट ऋण को अनुदान सहायता में परिवर्तित कर दें तथा यह भी कि कंपनी बीआईएफआर से अभी बाहर नहीं हुई है।
	2. अन्य व्यय (नोट 30)- 13892.97 लाख रुपए उपर्युक्त शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के दौरान बेंगलूरु संयंत्र की एनएस यूनिट तथा आरओ, कोलकाता में विभिन्न विक्रेताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के देय बिलों का प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप उपरोक्त मद में 115.66 लाख रुपए की राशि की न्यूनोक्ति हुई है। इसके परिणामस्वरूप समान राशि की हानि की भी न्यूनोक्ति हुई है।	बिलों के देर से प्राप्त होने तथा अवधि के दौरान पास न किए जाने के परिणामस्वरूप बकवश लेखा बहियों में इनका लेखांकन नहीं हो पाया था।
3.	**अतिरिक्त प्रकटीकरण (नोट संख्या 31)** (i) आईटीआई लिमिटेड द्वारा के.आर. पुरम, बेंगलुरु में अधिग्रहीत 1320 वर्ग मीटर के मुआवजे के लिए दक्षिण पश्चिम रेलवे से 2908.01 लाख रुपए की राशि प्राप्य के रूप में दर्शाई गई है। तथापि, आईटीआई लिमिटेड एवं दक्षिण पश्चिम रेलवे के मध्य दिनांक 16 मार्च, 2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार यह राशि 1172.16 लाख रुपए है। इस तथ्य का प्रकटीकरण लेखा बहियों में नहीं किया गया है।	आईटीआई लिमिटेड द्वारा विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी को दिनांक 8.5.2023 के पत्र सं. आईटीआई/बीजीपी/एचआर/2021/8009 के माध्यम से यह प्रस्तुति दी गई थी कि कंपनी दिनांक 14.3.2023 के पत्र के माध्यम से सूचित दर प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है तथा इसमें मध्यस्थता करने एवं दिनांक 29.2.2020 के दौरान निर्धारित 2,908.01 लाख रुपए की राशि के मूल निर्धारित मुआवजा मूल्य को बनाए रखने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकरण द्वारा लिया गया एक तरफा निर्णय आईटीआई को स्वीकार्य नहीं है तथा तदनुसार मूल राशि को बहाल करने के लिए यह मामला सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, लेखा बहियों में इस कमी का लेखांकन नहीं किया गया है।
	(ii) आईटीआई लिमिटेड द्वारा कंसोर्टियम बैंकर्स के पास, अग्रणी बैंक के रूप में भारतीय स्टेट बैंक, गिरवी रखी गई भूमि के अधिग्रहण के संबंध में कर्नाटक इंडस्ट्रीयल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (केआईएडीबी) को प्रस्तुत प्रतिबद्धता का प्रकटीकरण नहीं किया है। कंपनी ने केआईएडीबी के साथ यह प्रतिबद्धता की थी कि यदि कंसोर्टियम बैंक द्वारा उपरोक्त अधिग्रहण के संबंध में कोई आपत्ति की जाएगी तो मुआवजे की राशि भारतीय स्टेट बैंक में जमा कर दी जाएगी। कंपनी द्वारा 1539.17 लाख रुपए की स्वीकृति अपनी आय के रूप में की गई है जो कि इस भूमि के अधिग्रहण के प्रति केआईएडीबी प्राप्त मुआवजे की राशि है।	कंपनी द्वारा अपने दिनांक 6.4.2022 के पत्र के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक, कंसोर्टियम का अग्रणी बैंक, के सम्मुख इलेक्ट्रोनिक सिटी, बेंगलूरु में स्थित भूमि के संबंध में एनएचएआई एवं बीएमआरसीएल से पूर्वकाल में अधिग्रहित भूमि के विवरण के साथ भूमि की स्थिति का प्रकटीकरण प्रस्तुत कर दिया था तथा उनसे कर्नाटक इंडस्ट्रीयल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (केआईडीबी) द्वारा बेंगलूरु मेट्रो रेल परियोजना के लिए इलेक्ट्रानिक सिटी, बेंगलूरु में स्थित 738 वर्गमीटर भूमि का अधिग्रहण किए जाने के संबंध में अनापत्ति मांगी थी। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से औचित्यपरक समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई थी। इससे यह मान लिया गया था कि भारतीय स्टेट बैंक को इससे कोई आपत्ति नहीं है तथा तदनुसार कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।
4.	**आकस्मिक देयता - नोट 31(10)** उपर्युक्त शीर्ष के अंतर्गत 375.79 लाख रुपए की राशि की न्यूनोक्ति की गई है जो कि किए गए प्रकटीकरण के अंतर्गत मध्यस्था निर्णय के अनुपालन में आईटीआई लिमिटेड द्वारा मैसर्स एल्कियन कॉर्पोरेशन को देय है।	इस मामले के संबंध में हुई नई गतिविधियों के कारण यह नोट संशोधित किया गया माना गया है। इस राशि का सही उल्लेख नहीं हुआ था। कंपनी इसके संबंध में वर्ष 2023-24 के दौरान वृहद एवं सही प्रकटीकरण की प्रस्तुति कर देगी।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

राजेश राय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 10052045

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 11 अगस्त, 2023

टिप्पणी

आईटीआई लिमिटेड के उत्पाद और सेवाएँ

1948 से राष्ट्र निर्माण में भागीदार

आईटीआई लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)

आईटीआई लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)

सीआईएन : एल32202केए1950जीओआई000640
पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय :
आईटीआई भवन, दूरवाणीनगर, बेंगलूरु-560 016,
कर्नाटक, भारत
फोन: +91(80) 2561 4466 | फैक्स: +91(80) 2561 7525
ई-मेल: cosecy_crp@itiltd.co.in | वेबसाइट: https://www.itiltd.in